अष्टम माला, खंड 10, अंक 1

सोमवार, 18 नवम्बर, 1985
27 कार्तिक, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 10 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा ।)

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 10, चौथा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 1, सोमवार, 18 नवम्बर, 1985/27 कार्तिक, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
जर्मन संघीय गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1—2
निधन सम्बन्धी उल्लेख	2—5
नये मंत्रियों का परिचय	5—8
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	8—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 5	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	20—220
तारांकित प्रश्न संख्या : 6 से 20	20—35
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 59, 61 से 133, 135 से 186 और 188 से 212	35—215
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	220—228
प्रत्यायोजित विधान उपबंध (संशोधन) विधेयक	229
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	
विधेयकों पर अनुमति	229—230
सदस्य द्वारा त्याग-पत्र	230
(श्रीमती मनोरमा सिंह द्वारा त्याग-पत्र)	
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के बारे में समय-सीमा	230
(एक) दक्षिण-अफ्रीका में विद्यमान स्थिति; (दो) निरस्त्रीकरण; (तीन) तमिलनाडु में प्राकृतिक विपदायें; और (चार) कोलम्बिया में प्राकृतिक विपदाओं के बारे में संकल्प	231—232
नागरिकता (संशोधन) विधेयक	232—236
पुरःस्थापित करने के लिये प्रस्ताव	
श्री एस० बी० चव्हाण	232
श्री अमल दत्त	233
श्री इन्द्रजीत गुप्त	233

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
श्री बसुदेव आचार्य	234
श्री जी० एम० बनातवाला	235
श्री सैफुद्दीन चौधरी	235
नियम 377 के अधीन मामले	236—240
(एक) दिल्ली के विभिन्न भागों में यातायात की भीड़-भाड़ को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता	
श्री जयप्रकाश अग्रवाल	236
(दो) ग्रामवासियों के लाभार्थ दूरदर्शन सैट खरीदने के लिए ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	
श्री के० एन० प्रधान	237
(तीन) खलीलाबाद के बुनकरों को समय पर भुगतान की व्यवस्था करने और उनके लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता	
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी	237
(चार) उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिल सके इस हेतु भारतीय कपास निगम द्वारा कपास खरीदे जाने और कपास का निर्यात कोटा जारी करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता	
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	238
(पांच) देश के विभिन्न भागों में श्रमिकों की दयनीय स्थिति और विदेश जाने के इच्छुक श्रमिकों को धोखाधड़ी और जाल-साजी से बचाने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता	
श्री सोमनाथ रथ	238
(छः) उड़ीसा में मौसम विज्ञान कार्यालयों के लिए एक पृथक क्षेत्र बनाने और उनको प्रशासनिक व्यवस्था को आर० सी० कलकत्ता से अलग करने की आवश्यकता	
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	239
(सात) महाराष्ट्र में नागपुर मे गंदी बस्तियों के सुधार के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता	
श्री बनवारी लाल पुरोहित	240
(आठ) समाचार-पत्रों आदि में सिगरटों के विज्ञापन पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता	
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	24[illegible]

विषय	पृष्ठ
भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक	241—271
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जनार्दन पुजारी	241
श्री सी० माधव रेड्डी	243
डा० गौरीशंकर राजहंस	248
श्री जगन्नाथ राव	250
श्री अमल दत्त	253
श्री वाई० एस० महाजन	254
श्री राम प्यारे पनिका	256
श्री तम्पन थामस	258
श्री मूल चन्द डागा	259
श्री विजय कुमार यादव	263
श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी	264
नये मंत्रियों का परिचय	248
देश के विभिन्न भागों में बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा	271—332
श्री बी० वी० देसाई	271
श्री एम० रघुमा रेड्डी	274
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	276
श्री राम प्यारे पनिका	278
श्री सुरेश कुरुप	279
श्री बृजमोहन महन्ती	280
श्री सी० के० कुप्पुस्वामी	282
श्री पी० कुलनदईवेलु	283
डा० गौरी शंकर राजहंस	285
श्री सी० पी० ठाकुर	286
श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर	288
श्री राम सिंह यादव	289
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति	290
श्री नारायण चौबे	292
श्रीमती जयन्ती पटनायक	293
डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुहा	296
श्री के० एस० राव	297
श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणी	300

विषय	पृष्ठ
श्री एन० वी० एन० सोमू	301
श्रीमती बसव राजेश्वरी	304
श्री जुझार सिंह	306
श्री सी० सम्बु	307
श्री चिन्तामणि जेना	308
श्रीमती उषा ठक्कर	310
डा० एस० जगतरक्षकन	311
श्री बालासाहिब विखे पाटिल	312
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	314
श्री जी० एस० बसवराजू	316
श्री चिन्ता मोहन	318
श्री डी० पी० यादव	319
श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन	321
श्री डी० पी० जदेजा	322
श्री दिलीप सिंह भूरिया	323
श्री प्रभु लाल रावत	324
श्री माणिक राव होडल्या गावीत	325
श्री हरीश रावत	326
श्री गिरधारी लाल व्यास	327
श्री मूल चन्द डागा	329
कार्य मंत्रणा समिति	300
अठारहवां प्रतिवेदन	

आठवीं लोक-सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अ

अंजैया, श्री टी० (सिकन्दराबाद)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान (मधुबनी)
अखतर हसन, श्री (कैराना)
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (चांदनी चौक)
अडईकलराज, श्री एल (तिरूचिरापल्ली)
अदियोडी, डा० के० जी० (कालीकट)
अण्णानम्बी, श्री आर० (पोल्लाची)
अप्पालानारासिह्लम, श्री वी० (अनकापल्ली)
अब्दुल गफूर, श्री (सीवन)
अब्दुल्ला, बेगम (अनन्तनाग)
अब्बासी, श्री के० जे० (डुमरियागंज)
अय्यर, श्री वी० एस० कृष्ण (बंगलौर दक्षिण)
अरुणाचलम, श्री० एम० (टेंकासी)
अलखाराम, श्री (सलुम्बर)
अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)
अहमद, श्रीमती बेगम आबिदा (बरेली)
अहमद श्री सरफराज (गिरिडीह)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)
आजाद, श्री गुलाम नबी (वाशिम)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)

उ

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्रीमती सुमति (लोहारडागा)

ए

एंथनी, श्री फ्रेंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एन्टनी, श्री पी० ए० (त्रिचूर)

ओ

ओडेयर, श्री चनैया (दावनगोर)
ओवसी, श्री (हैदराबाद)

क

ककाडे, श्री सोभाजीराव (बारामती)
कमलनाथ, श्री (छिंदवाड़ा)
कमला कुमारी, कुमारी (पलामू)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कलानिधि, डा० ए० (मद्रास मध्य)
कल्पना देवी, डा० टी० (वारंगल)
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम (उस्मानाबाद)
कण्णन, श्री पी० (तिरुचेंगोडे)
काबुली, श्री अब्दुल रशीद (श्रीनगर)
कामत, श्री गुरुदास (बम्बई उत्तर पूर्व)
कामसन, प्रो० मिजिनलंग (बाह्य मणिपुर)
किदवई, श्रीमती मोहसिना (मेरठ)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द (दुमका)
कुंवर राम, श्री (नवादा)
कुचन, श्री गंगाधर एस० (शोलापुर)
कुजूर, श्री मारिस (सुन्दरगढ़)
कुन्हम्बु, श्री के० (अडूर)
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के० (कोयम्बटूर)

कुमारमंगलम, श्री पी० आर० (सलेम)
कुरियन, प्रो० पी० जे० (इदुक्की)
कुरूप, श्री सुरेश (कोट्टायम)
कुरेशी श्री, अजीज (सतना)
कुलनदईवेलु, श्री पी० (गोबिचेट्टिपालयम)
केन, श्री लाला राम (बयाना)
केयूर भूषण, श्री (रायपुर)
कोनयक, श्री चिंगवोंग (नागालैंड)
कोसलराम, श्री के० टी (तिरुचेन्डूर)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कौशल, श्री जगन्नाथ (चन्डीगढ़)
कृष्ण कुमार, श्री एस० (क्विलोन)
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री (महाराजगंज)
कृष्ण सिंह, श्री (भिण्ड)
क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई (बीड़)

ख

खत्री, श्री निर्मल (फैजाबाद)
खां, श्री असलम शेर (बेतूल)
खां, श्री आरिफ मोहम्मद (बहराइच)
खां, श्री खुर्शीद आलम (फर्रुखाबाद)
खां, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खां, श्री मोहम्मद महफूज अली (एटा)
खां, श्री मोहम्मद अयूब (झुन्झुनू)
खां, श्री रहीम (फरीदाबाद)
खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ (सीतामढ़ी)

ग

गंगा राम, श्री (फिरोजाबाद)
गढवी, श्री बी० के० (बनासकांठा)
गहलौत, श्री अशोक (जोधपुर)
गांधी, श्री राजीव (अमेठी)
गाडगिल, श्री वी० एन० (पुणे)
गामित, श्री सी० डी० (माण्डवी)
गिल, मेवा सिंह (लुधियाना)
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव (कोल्हापुर)
गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह (बड़ौदा)
गावली, श्री सीताराम जे० (दादरा और नगर हवेली)
गावित, श्री मानिकराव होडल्य (नन्दरबार)
गिरधारी लाल, श्री (बिजनौर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (बसीरहाट)
गुप्ता, श्री जनक राज (जम्मू)
गुप्ता, श्रीमती प्रभावती (मोतीहारी)
गुरड्डी, श्री एस० एम० (बीजापुर)
गुहा, श्रीमती फूलरेणु (कन्टई)
गोपेश्वर, श्री (जमशेदपुर)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोहिल, श्री जी० बी० (भावनगर)
गोडर, श्री ए० एस० (पलानी)
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे (हसन)

घ

घोलप, श्री एस० जी० (थाणे)
घोष, श्री तरुण कान्ति (बारासट)
घोष, श्री विमल कान्ति (सीरमपुर)
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा (नवद्वीप)
घोषाल, श्री देवी (बैरकपुर)

च

चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र (कानपुर)
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती (खजुराहो)
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री (पदरौना)
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (श्री पेरम्बुदूर)
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दू लाल (दुर्ग)
चन्द्रेश कुमारी, श्रीमती (कांगड़ा)
चरण सिंह, श्री (बागपत)

चव्हाण, श्री एस० बी० (नांदेड़)

चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)

चार्ल्स, श्री ए० (त्रिवेन्द्रम)

चावड़ा, श्री ईश्वर भाई के० (आनन्द)

चिदाम्बरम, श्री पी० (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, श्री (तिरुपति)

चोक्का राव, श्री जे० (करीमनगर)

चौधरी, श्रीमती ऊषा (अमरावती)

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनीखान (माल्दा)

चौधरी, श्री जगन्नाथ (बलिया)

चौधरी, श्री नन्दलाल (सागर)

चौधरी, श्री मनफूल सिंह (बीकानेर)

चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)

चौबे, श्री नारायण (मिदनापुर)

ज

जगतरक्षकन, डा० एस० (चिंगलपट्टू)

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)

जगन्नाथ प्रसाद, श्री (मोहनलालगंज)

जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)

जनार्दनन, श्री कादम्बुर (तिरुनेलवेली)

जयदीप सिंह, श्री (गोधरा)

जयामोहन, श्री ए० (तिरुपत्तूर)

जांगड़े, श्री खेलन राम (बिलासपुर)

जाखड़, डा० बलराम (सीकर)

जाटव, श्री कम्मोदीलाल (मुरैना)

जाफर शरीफ, श्री (बंगलौर उत्तर)

जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)

जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)

जितेन्द्र सिंह, श्री (महाराजगंज)

जीवरत्न, श्री आर० (आर्कोनम)

जुझार सिंह, श्री (झालावाड़)

जैना, श्री चिन्तामणि (बालासोर)

जैन, श्री डाल चन्द्र (दमोह)

जैन, श्री निहाल सिंह (आगरा)

जैन, श्री वृद्धि चन्द्र (बाड़मेर)

जैनुल बशर, श्री (गाजीपुर)

झ

झांसीलक्ष्मी, श्रीमती एन० पी० (चित्तूर)

झिकराम, श्री एम० एल० (मांडला)

ट

टाइटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आंतरिक मणिपुर)

ठ

ठक्कर, श्रीमती उषा (कच्छ)

ठाकुर, श्री सी० पी० (पटना)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)

डामोर, श्री सोमजी भाई (दोहद)

डिगाल, श्री राधाकांत (फूलबनी)

डेनिस, श्री एन० (नागर कोइल)

डोगरा, श्री गिरधारी लाल (ऊधमपुर)

डोणगांवकर, श्री साहबराव पाटिल (औरंगाबाद)

डोरा, श्री एच० ए० (श्रीकाकुलम)

ढ

ढिल्लन, डा० जी० एस० (फिरोजपुर)

त

तंगराजू, श्री एस० (पेरम्बलूर)

तपेश्वर सिंह, श्री (विक्रमगंज)

तम्बि दुराई, श्री एम० (धर्मपुरी)

तारादेवी, कुमारी डी० के० (चिकमगलूर)

तारिक अनवर, श्री (कटिहार)

तिग्गा, श्री साइमन (खूंटी)

तिरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वार)

तिलकधारी सिंह, श्री (कोडरमा)
तिवारी, प्रो० के० के० (बक्सर)
तुर, सरदार त्रिलोचन सिंह (तरनतारन)
तुलसीराम, श्री वी० (नगरकुरनूल)
तोमर, श्रीमती ऊषा रानी (अलीगढ़)
त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह (मुजफ्फरनगर)
त्रिपाठी, डा० चन्द्रशेखर (खलीलाबाद)
त्रिपाठी, श्रीमती चन्दा (चन्दौली)

थ

थामस, प्रो० के० बी० (एरनाकुलम)
थामस, श्री तम्पन (मवेलिकरा)
थुंगन, श्री पी० के० (अरुणाचल पश्चिम)
थोटा, श्री गोपाल कृष्ण, (काकीनाडा)
थोरट, श्री भाऊसाहिब (पंढरपुर)

द

दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दत्त, श्री अमल (डायमन्ड हार्बर)
दर्दी, श्री तेजा सिंह (भटिंडा)
दलवाई, श्री हुसैन (रत्नगिरि)
दलबीर सिंह, श्री (शहडोल)
दलबीर सिंह, चौधरी (सिरसा)
दाभी, श्री अजीत सिंह (केरा)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास मुंशी, श्री प्रिय रंजन (हावड़ा)
दास, श्री रेणुपद (कृषनगर)
दिग्विजय सिंह, श्री (राजगढ़)
दिग्विजय सिंह, श्री (सुरेन्द्रनगर)
दिघे, श्री शरद (बंबई उत्तर मध्य)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्रीमती शीला (कन्नौज)
दुबे, श्री भीष्म देव (बांदा)
देव, श्री वी० किशोरचन्द्र एस० (पार्वतीपुरम)
देवरा, श्री मुरली (बंबई दक्षिण)
देवराजन, श्री बी० (रसिपुरम)
देवी, प्रो० चन्द्र भानू (बलिया)
देसाई, श्री बी० बी० (रायपुर)

ध

धारीवाल, श्री शांति (कोटा)

न

नटराजन, श्री के० आर० (डिन्डिगुल)
नटवर सिंह, श्री के० (भरतपुर)
नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती (करौलबाग)
नामग्याल, श्री पी० (लद्दाख)
नायक, श्री जी० देवराय (कनारा)
नायक, श्री शांताराम (पणजी)
नायकर, श्री डी० के० (धारवाड़ उत्तर)
नारायणन, श्री के० आर० (ओट्टापलम)
निर्मला कुमारी, प्रो० (चित्तौड़गढ़)
नीखरा, श्री रामेश्वर (होशंगाबाद)
नेगी, श्री चन्द्र मोहन सिंह (गढ़वाल)
नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)
नेहरू, श्री अरुण कुमार (रायबरेली)

प

पंजा, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
पंत, श्री के० सी० (नई दिल्ली)
पकीर मोहम्मद, श्री ई० एस० एम० (मयूरम)
पटनायक, श्री जगन्नाथ (कालाहण्डी)
पटनायक, श्रीमती जयन्ती (कटक)
पटेल, श्री अहमद एम० (भड़ौच)
पटेल, श्री यू० एच० (बलसार)
पटेल, डा० ए० के० (मेहसाना)
पटेल, श्री एच० एम० (साबरकंठा)
पटेल, श्री जी० आई० (गांधीनगर)
पटेल, श्री मोहन भाई (जूनागढ़)

पटेल, श्री राम पूजन (फूलपुर)
पटेल, श्री सी० डी० (सूरत)
पडयाच्ची, श्री एस० एस० रामास्वामी (तिडोवनम)
पनिका, श्री राम प्यारे (राबर्ट्सगंज)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द्र (हमीरपुर)
पलाकोंड्रायुडू, श्री एस० (राजमपेट)
पवार, श्री बालासाहिब (जालना)
पवार, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)
पांडे, श्री काली प्रसाद (गोपालगंज)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री मदन (गोरखपुर)
पांडे, श्री मनोज (बेतिया)
पांडे, श्री राज मंगल (देवरिया)
पाइलट, श्री राजेश (दौसा)
पाटिल, श्री उत्तमराव (यवतमाल)
पाटिल, श्री एच० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्रीडी० बी० (कोलाबा)
पाटिल, श्री प्रकाश वी० (सांगली)
पाटिल, श्री बालासाहेब विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री यशवंतराव गडाख (अहमदनगर)
पाटिल, श्री विजय एन० (इरन्दोल)
पाटिल, श्री वीरेन्द्र (गुलबर्गा)
पाटिल, श्री शिवराज वी० (लाटूर)
पाठक, श्री आनन्द (दार्जिलिंग)
पाठक, श्री चन्द्र किशोर (सहरसा)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाणिग्रही, श्री श्रीवल्लभ (देवगढ़)
पारधी, श्री केशवराव (भंडारा)
पासवान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)
पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम (अलप्पी)
पुरोहित, श्री बनवारी लाल (नागपुर)
पुष्पा देवी, कुमारी (रायगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (हाथरस)
पेंचलैया, श्री पी० (नेल्लौर)
पेरुमन, डा० पी० वल्लल (चिदम्बरम)
पोतदुखे, श्री शान्ताराम (चन्द्रपुर)
प्रकाश चन्द्र, श्री (बाढ़)
प्रधान, श्री के० एन० (भोपाल)
प्रधानी, श्री के० (नोरंगपुर)
प्रभु, श्री आर० (नीलगिरि)

फ

फर्नान्डेज, श्री ओस्कर (उदीपी)
फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बंसी लाल, श्री (भिवानी)
बघेल, श्री प्रताप सिंह (धार)
बच्चन, श्री अमिताभ (इलाहाबाद)
बन, श्री दीप नारायण (बलरामपुर)
बनर्जी, कुमारी ममता (जादवपुर)
बनातवाला, श्री जी० एम० (पोन्नानी)
बर्मन, श्री पलास (बलूरघाट)
बलरामन, श्री एल० (वन्डावासी)
बशीर, श्री टी० (चिरायिंकिल)
बसवराजू, श्री जी० एस० (टुमकुर)
बसु, श्री अनिल (आरामबाग)
बागुन सुम्बरुई, श्री (सिंहभूम)
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी (सीतापुर)
बाला गौड़, श्री टी० (निजामाबाद)
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला (मद्रास दक्षिण)
विश्वास, श्री अजय (त्रिपुरा पश्चिम)
बीरबल, श्री (गंगानगर)
बीरेन्द्र सिंह, राव (महेन्द्रगढ़)

बीरेन्द्र सिंह, श्री (हिसार)
बुन्देला, श्री सुजान सिंह (झांसी)
बूटा सिंह, सरदार (जालौर)
बेरवा, श्री बनवारी लाल (टोंक)
बैठा, श्री डूमर लाल (अररिया)
बैरागी, श्री बालकवि (मंदसौर)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ब्रह्मदत्त, श्री (टिहरी गढ़वाल)

भ

भंडारी, श्रीमती डी० के० (सिक्किम)
भक्त, श्री मनोरंजन (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह)
भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (आरा)
भट्टम, श्री एस० एम० (विशाखापत्तनम्)
भट्टाचार्य, श्रीमती इन्दुमती (हुगली)
भरत कुमार, श्री (पोरबन्दर)
भरत सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भानु प्रताप सिंह, श्री (पीलीभीत)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारंगढ़)
भूपति, श्री जी० (पेद्दापल्ली)
भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)
भोये, डा० कृपा सिंधु (सम्बलपुर)
भोये, श्री आर० एम० (धुले)
भोये, श्री एस० एस० (मालेगांव)
भोसले, श्री प्रतापराव बी० (सतारा)

म

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
मकवाना, श्री नरसिंह (धंधुका)
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह (सोनीपत)
मलिक, श्री पूर्णचन्द्र (दुर्गापुर)
मलिक, श्री लक्ष्मण (जगतसिंहपुर)
मसुदल हुसैन, श्री सैयद (मुर्शिदाबाद)
महन्ती, श्री बृजमोहन (पुरी)
महाजन, श्री वाई० एस० (जलगांव)
महाबीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)
महाता, श्री चित्त (पुरुलिया)
महालिंगम, श्री एम० (नागापट्टिनम)
महेन्द्र सिंह, श्री (गुना)
माकन, श्री ललित (दक्षिण दिल्ली)
माधुरी सिंह, श्रीमती (पूर्णिया)
मानवेन्द्र सिंह, श्री (मथुरा)
माने, श्री आर० एस० (इचलकरांजी)
माने, श्री मुरलीधर (नासिक)
मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)
मालवीय, श्री बापूलाल (शाजापुर)
मावणि, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई (राजकोट)
मिर्धा, श्री राम निवास (नागौर)
मिश्र, श्री उमाकान्त (मिर्जापुर)
मिश्र, श्री जी० एस० (सिवनी)
मिश्र, श्री नित्यानन्द (बोलनगीर)
मिश्र, श्री राम नगीना (सलेमपुर)
मिश्र, श्री विजय कुमार (दरभंगा)
मिश्र, श्री श्रीपति (मछलीशहर)
मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)
मिश्रा, डा० प्रभात कुमार (जंजगीर)
मीना, श्री राम कुमार (सवाई माधोपुर)
मुंडाकल, श्री जार्ज जोसफ (मुवत्तपूजा)
मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)
मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल (आसनसोल)
मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)

मुरमू, श्री सिद्धलाल (मयूरभंज)
मुरुगैय्या, श्री ए० आर० (करूर)
मुशरान, श्री अजय (जबलपुर)
मुर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)
मेहता, श्री हरुभाई (अहमदाबाद)
मोतीलाल सिंह, श्री (सीधी)
मोदी, श्री विष्णु (अजमेर)
मोरे, प्रो० रामकृष्ण (खेड़)
मोहनदास, श्री के० (मुकुन्दपुरम)

य

यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
याजदानी, डा० गुलाम (रायगंज)
यादव, श्री आर० एन० (परभणी)
यादव, श्री कैलाश (जलेसर)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री बलराम सिंह (मैनपुरी)
यादव, श्री महाबीर प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री राम सिंह (अलवर)
यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)
यादव, श्री श्याम लाल (वाराणसी)
यादव, श्री सुभाष (खारगोन)
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद (चतरा)

र

रंगनाथ, श्री के० एच० (चित्रदुर्ग)
रंगा, प्रो० एन० जी० (गुंटूर)
रघुराज सिंह, चौधरी (इटावा)
रत्नम, श्री एन० वेंकट (तेनाली)
रणवीर सिंह, श्री (केसरगंज)
रथ, श्री सोमनाथ (आस्का)
रामैय्या, श्री बी० बी० (ऐलुरू)
रामैय्या, श्री सोडे (भद्राचलम)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज करन सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राजहंस, डा० गौरी शंकर (झंझारपुर)
राजू, श्री आनन्द गजपति (बोबिली)
राजू, श्री विजय कुमार (नरसापुर)
राजेश्वरन, डा० वी० (रामनाथपुरम)
राजेश्वरी, श्रीमती बसव (बेल्लारी)
राठवा, श्री अमर सिंह (छोटा उदयपुर)
राठौड़, श्री उत्तम (हिंगोली)
राम, श्री राम रतन (हाजीपुर)
राम, श्री रामस्वरूप (गया)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानोर)
रामसमुझावन, श्री (सैदपुर)
रामधन, श्री (लालगंज)
रामपाल सिंह, श्री (अमरोहा)
राम प्रकाश, चौधरी (अम्बाला)
राय बहादुर सिंह, श्री (छपरा)
राममूर्ति, श्री के० (कृष्णगिरि)
रामाश्रय प्रसाद सिंह, श्री (जहानाबाद)
रामुलू, श्री एच० जी० (कोप्पल)
रामुवालिया, श्री बलबन्त सिंह (संगरूर)
राय, श्री आई० रामा (कासरगौड़)
राय, श्री राज कुमार (घोसी)
राय, श्री रामदेव (समस्तीपुर)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, डा० सुधीर (बर्दवान)
रायप्रधान, श्री अमर (कूच बिहार)
राव, ए० जे० वी० बी० (अमालापुरम)
राव, श्री के० एस० (मछलीपटनम)
राव, श्री जगन्नाथ (बरहामपुर)
राव, डा० जी० विजयरामा (सिद्दिपेट)
राव, श्री जे० वेंगल (खम्मम)

राव, श्री पी० वी० नरसिंह (रामटेक)
राव, श्री वी० शोभनाद्रीश्वर (विजयवाड़ा)
राव, श्री वी० कृष्ण (चिकबल्लापुर)
राव, श्री श्रीहरि (राजामुन्द्री)
रावणी, श्री नवीन (अमरेली)
रावत, श्री कमला प्रसाद (बाराबंकी)
रावत, श्री प्रभुलाल (बांसवाड़ा)
रावत, श्री हरीश (अल्मोड़ा)
रियान, श्री बाजूबन (त्रिपुरा पूर्व)
रेड्डी, श्री ई० अय्यप्पू (कुरनूल)
रेड्डी, श्री के० रामचन्द्र (हिन्दुपुर)
रेड्डी, श्री सी० जंगा (हनमकोंडा)
रेड्डी, श्री डी० एन० (कडप्पा)
रेड्डी, श्री वैंजावाड़ापापी (सोंगोल)
रेड्डी, श्री पी० मानिक (मेडक)
रेड्डी, श्री वी० एन० (मिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री एम० सुब्बा (नन्दयाल)
रेड्डी, श्री एम० रघुमा (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री एम० जयपाल (महबूबनगर)

ल

लच्छी राम, श्री (जालौन)
लाल डहोमा, श्री (मिजोरम)
लाहा, श्री आशुतोष (दमदम)
लोवांग, श्री वांगफा (अरुणाचल पूर्व)

व

वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई (पाटन)
वर्मा, श्रीमती ऊषा (खेरी)
वर्मा, डा० सी० एस० (खगरिया)
वाडियर, श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज (मैसूर)
वालिया, श्री चरनजीत सिंह (पटियाला)
वासनिक, श्री मुकुल (बुलढाना)
विजयराघवन, श्री वी० एस० (पालघाट)
वीरसेन, श्री (खुर्जा)
वेंकटेश, डा० वी० (कोलार)
वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस० (कुड्डालोर)
वैराले, श्री मधु सूदन (अकोला)
व्यास, श्री गिरधारीलाल (भीलवाड़ा)

श

शंकरगौडा, श्री के० वी० (मांड्या)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़)
शर्मा, श्री चिरंजीलाल (करनाल)
शर्मा, श्री नन्द किशोर (बालाघाट)
शर्मा, श्री नवल किशोर (जयपुर)
शर्मा, श्री प्रताप भानु (विदिशा)
शांति देवी, श्रीमती (सम्भल)
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण (फतेहपुर)
शाह, श्री अनूपचन्द (बंबई उत्तर)
शाही, श्री ललितेश्वर (मुजफ्फरपुर)
शिंगड़ा, श्री डी० बी० (दहानू)
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्दगांव)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमुन्द)
शेरवानी, श्री सलीम आई० (बदायूं)
शमिन्दर सिंह, श्री (फरीदकोट)
शैलेश, डा० बी० एल० (चैल)
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी० (चामराजनगर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संखावर, श्री आशकरण (घाटमपुर)
संगमा, श्री पी० ए० (तुरा)
संतोष कुमार सिंह, श्री (आजमगढ़)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)
सकरगयम, श्री कालीचरण (खंडवा)

सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
सन्याल, श्री मानिक (जलपाईगुड़ी)
सम्बु, श्री सी० (बापतला)
सलाहुद्दीन, श्री (गोड्डा)
साठे, श्री वसंत (वर्धा)
सामंत, डा० दत्ता (बंबई-दक्षिण मध्य)
साहा, श्री अजित कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)
साहू, श्री शिव प्रसाद (रांची)
सिंगरावडीवेल, श्री एस० (तंजावूर)
सिंह, श्री अतीश चन्द्र (बरहामपुर)
सिंह, श्रीमती किशोरी (वैशाली)
सिंह, श्री के० एन० (हापुड़)
सिंह, श्री डी० जी० (शाहाबाद)
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप (सरगुजा)
सिंह, श्री एस० डी० (धनबाद)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंहदेव, श्री के० पी० (ढेकानाल)
सिदनाल, श्री एस० बी० (बेलगाम)
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद (मुरादाबाद)
सिन्धिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)
सिन्हा, श्रीमती राम दुलारी (शिवहर)
सुंदरलाल, श्री (हरिद्वार)
सुंदर सिंह, चौधरी (फिल्लोर)
सुखराम, श्री (मन्डी)
सुखाड़िया, श्रीमती इंदुबाला (उदयपुर)
सुखबन्स कौर, श्रीमती (गुरदासपुर)
सुनील दत्त, श्री (बंबई उत्तर पश्चिम)
सुन्दरराज, श्री (पुद्दकोट्टई)
सुन्दरराजन, श्री एन० (शिवकाशी)
सुब्बुरमन, श्री ए० जी० (मुदुरै)
सुमन, श्री राम प्यारे (अकबरपुर)
सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सुल्तानपुरी, श्री के० डी० (शिमला)
सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव (बीदर)
सेट, श्री अजीज (धारवाड़ दक्षिण)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (मंजेरी)
सेठी, श्री अनंत प्रसाद (भद्रक)
सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र (इन्दौर)
सेन, श्री भोला नाथ (कलकत्ता दक्षिण)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेल्वेन्द्रन, श्री पी० (पेरियाकुलम)
सोज, प्रो० सैफुद्दीन (बारामूला)
सोडी, श्री मनकूराम (बस्तर)
सोमू, श्री एन० वी० एन० (मद्रास उत्तर)
सोरन, श्री हरिहर (क्योंझर)
सोलंकी, श्री कल्याण सिंह (आँवला)
सोलंकी, श्री नटवर सिंह (कापड़वंज)
स्वामी, श्री कूटरी नारायण (नरसारावपेट)
स्वामी, श्री डी० नारायण (अनन्तपुर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
स्पैरो, श्री आर० एस० (जालन्धर)
स्वेल, श्री जी० जी० (शिलांग)

(ह)

हंसदा, श्री मतिलाल (झाड़ग्राम)
हन्नान मोल्लाह, श्री (उलूबेरिया)
हरद्वारी लाल, श्री (रोहतक)
हरपाल सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)
हाल्दर, श्री एम० आर० (मथुरापुर)
हेमब्रम, श्री सेत (राजमहल)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० बलराम जाखड़

उपाध्यक्ष

श्री एम० तम्बि दुराई

सभापति तालिका

श्रीमती बसव राजेश्वरी
श्री जैनुल बशर
श्री शरद दिघे
श्री वक्कम पुरुषोत्तमन
श्री सोमनाथ रथ
श्री निस्संकारा राव वेंकटरत्नम

महासचिव

डा० सुभाष काश्यप

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा रक्षा; पर्यावरण और वन; कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन; योजना; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; परमाणु ऊर्जा; इलेक्ट्रानिकी, महासागर विकास, अन्तरिक्ष मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी तथा अन्य उन विषयों के प्रभारी जो किसी मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री या राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को नहीं दिए गए हैं :	श्री राजीव गांधी
मानव संसाधन विकास मंत्री	श्री पी० वी० नरसिंह राव
गृह मंत्री	श्री एस० बी० चव्हाण
वित्त मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री	श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी
शहरी विकास मंत्री	श्री अब्दुल गफूर
वाणिज्य मंत्री	श्री अर्जुन सिंह
विधि और न्याय मंत्री	श्री ए० के० सेन
विदेश मंत्री	श्री बी० आर० भगत
जल संसाधन मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
परिवहन मंत्री	श्री बंसी लाल
कृषि मंत्री	सरदार बूटा सिंह
संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
इस्पात और खान मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	श्रीमती मोहसिना किदवई
उद्योग मंत्री	श्री नारायण दत्त तिवारी
ऊर्जा मंत्री	श्री वसंत साठे

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

वस्त्र मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री	श्री खुर्शीद आलम खां
खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री	श्री के० पी० सिंह देव
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री	श्री नवल किशोर शर्मा
कल्याण मंत्रालय की (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री	डा० (श्रीमती) राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी
संचार मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री	श्री रामनिवास मिर्धा
श्रम मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री	श्री टी० अंजैया
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री	श्री वी० एन० गाडगिल

राज्य मंत्री

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० के० पंजा
विद्युत विभाग में राज्य मंत्री	श्री आरिफ मोहम्मद खां
आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री	श्री अरुण नेहरू
रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री	श्री अरुण सिंह
ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री	श्री चन्दूलाल चन्द्राकर
शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री दलबीर सिंह
संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (लोक सभा)	श्री गुलाम नबी आजाद

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० आर० भारद्वाज
नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री	श्री जगदीश टाईटलर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री जनार्दन पुजारी
उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री	श्री के० नटवर सिंह
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० नारायणन
रेल विभाग में राज्य मंत्री	श्री माधव राव सिंधिया
युवक कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री	श्रीमती मारग्रेट अल्वा
औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री	श्री एम० अरुणाचलम
राज्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री पी० ए० संगमा
रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री	श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह
जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री	श्री राजेश पायलट
खान विभाग में राज्य मंत्री	श्रीमती रामदुलारी सिन्हा
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री	श्री शिवराज वी० पाटिल
संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (राज्य सभा)	श्री सीताराम केसरी
रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री	श्री सुखराम
शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री	श्री योगेन्द्र मकवाणा
पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी

उप-मंत्री

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री	श्री गिरिधर गोमांगो
परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री	श्री एस० कृष्ण कुमार
कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री	श्री पी० चिदम्बरम्

लोक सभा

सोमवार, 18 नवम्बर, 1985/27 कार्तिक, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी का स्वागत करता हूं । कृपया बैठ जाइये ।

जर्मन संघीय गणराज्य के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे एक घोषणा करनी है ।

अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से बंडेस्टेज जर्मन संघीय गणराज्य की लोक सभा के उपराष्ट्रपति श्री डियेटर जूलियस क्रोनेनबर्ग और जर्मन संघीय गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल के माननीय सदस्यों का, स्वागत करने में मुझे अपार हर्ष हो रहा है । वे हमारे सम्माननीय अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर आये हैं ।

शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्य हैं :—

(1) श्री जार्ज स्कलागा, संसद सदस्य

(2) श्री माइकेल ग्लोस, संसद सदस्य

यह शिष्टमंडल शनिवार, 16 नवम्बर, 1985 को प्रातः काल यहां पहुंचा था । इस समय वे लोग विशेष कक्ष में बैठे हुए हैं । हम कामना करते हैं कि इस देश में उनका प्रवास सुखमय और फलीभूत हो । हम उनके माध्यम से महामहिम चांसलर, प्रेसीडेंट सरकार तथा जर्मन संघीय गण-राज्य के मित्र लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनायें भेजते हैं ।

सदस्यों द्वारा शपथ-ग्रहण

श्री रघुनंदन लाल भाटिया (अमृतसर)

मेजर जनरल राजिन्दर सिंह स्पैरो (जालन्धर)

चौ० सुन्दर सिंह (फिल्लौर) (अनु० जाति)

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर)

श्री चरनजीत सिंह (रोपड़) (अनु० जाति)

श्रीं चरनजीत सिंह वालिया (पटियाला)

श्री मेवा सिंह (लुधियाना)

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया (संगरूर)

श्री तेजा सिंह दर्दी (भटिंडा)(अनु० जाति)

श्री शमिन्दर सिंर (फरीदकोट)

श्री गुरदयाल सिंद ढिल्लों (फिरोजपुर)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, चूंकि आज हम लोग लगभग ढ़ाई महीने बाद मिल रहे हैं। मुझे सभा को सूचना देनी है कि इस सभा के 9 भूतपूर्व सदस्यों का निधन हो गया है जिनके नाम इस प्रकार हैं—श्रीमती जयश्री रायजी, सर्वश्री अमर नाथ विद्यालंकार, पोन्नापति एन्टोनी रेड्डी, परिमल घोष, चन्द्रभान बालाजी अथारे पाटिल, बाबूराव जंगलजी काले, ललित सेन, शिब्बन लाल सक्सेना और राजेश कुमार सिंह।

श्रीमती जयश्री रायजी 1952 से 1957 तक प्रथम.लोक सभा की सदस्या थीं। वह भूतपूर्व बम्बई राज्य के बम्बई उपनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थीं। श्रीमती रायजी वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थीं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया और जेल गईं। वह एक जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता तथा शिक्षाविद् थीं। उन्होंने अपने जीवनकाल में महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न हैसियतों से काम किया। वह 1950 से 1953 तक अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की उपाध्यक्ष थीं। वह विभिन्न अन्य समाज कल्याणकारी संगठनों से संबद्ध रहीं। विभाजन के बाद दंगा पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने तथा विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए गठित की गई संकट निवारण निधि समिति की उपाध्यक्ष भी रही थीं।

श्रीमती जयश्री रायजी का 28 अगस्त, 1985 को 90 वर्ष की आयु में बम्बई में निधन हुआ।

श्री अमर नाथ दिद्यालंकार 1952 से 1956, 1962 से 1967 और 1971 से 1977 तक प्रथम, तृतीय तथा पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने क्रमशः पंजाब राज्य के जालन्धर और होशियारपुर निर्वाचन क्षेत्रों का और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह 1950-51 और 1957-62 तक पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1956-62 तक पंजाब मंत्रिमंडल में मंत्री रहे।

वह एक योग्य सांसद, मजदूर नेता, सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने श्रमजीवी वर्ग और कमजोर वर्ग की समस्याओं को संसद के अन्दर और बाहर दोनों जगह उठाया। राजनीतिक और

सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय रहने के अलावा वह अमृतसर के म्यूनिसिपल कमिश्नर भी रहे और सरकारी तथा गैर-सरकारी अनेक संगठनों में वह विभिन्न रूप से संबद्ध रहे। वह सर्वेंट्स आफ पीपल सोसायटी के आजीवन सदस्य थे और कई वर्षों तक पी० टी० आई० कर्मचारियों के महासंघ के अध्यक्ष रहे।

वह एक जाने-माने पत्रकार थे। उन्होंने अंग्रेजी तथा हिन्दी में कई पुस्तकें लिखीं। कई बार विदेश गये और शिष्टमण्डलों का नेतृत्व किया। इसके अलावा 1957 में उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया था।

श्री अमर नाथ विद्यालंकार का 21 सितम्बर, 1985 को 83 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में देहान्त हुआ।

श्री पोन्नापति एन्टोनी रेड्डी 1967-77 के दौरान चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले वह आंध्र प्रदेश विधान सभा के 1955-57 तक सदस्य रहे।

वह एक शिक्षक तथा किसान थे। उन्होंने शिक्षा के विकास में काफी गहरी दिलचस्पी ली। उन्होंने अंनतपुर जिले में एक आदर्श आवासीय हाई स्कूल का संचालन किया तथा वह आंध्र प्रदेश के विभिन्न शिक्षा संस्थानों से सम्बद्ध रहे। वह आंध्र प्रदेश और वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य रहे। वह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कार्यकरण की जांच समिति में भी रहे थे।

श्री रेड्डी ने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और ग्रामीण विकास में गहरी दिलचस्पी ली।

श्री रेड्डी का 29 सितम्बर, 1985 को 77 वर्ष की आयु में अनंतपुर में निधन हुआ।

श्री परिमल घोष 1967-70 के दौरान चौथी लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने पश्चिम बंगाल के घाटल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह मार्च, 1967 से अक्तूबर, 1969 तथा पुनः जून, 70 से मार्च, 71 तक केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद के राज्य मन्त्री रहे।

वह व्यापारी थे। उनका कई सामाजिक संगठनों से संबंध था। उन्हें 1960 में पश्चिम बंगाल राज्य में जस्टिस आफ पीस नियुक्त किया गया। श्री घोष खेलप्रेमी थे और उन्होंने व्यापक भ्रमण किया था। उन्होंने 1981 से 1984 तक टर्की में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया।

श्री घोष का 14 अक्तूबर, 1985 को 68 वर्ष की आयु में कलकत्ता में निधन हुआ।

श्री चन्द्रभान बालाजी अथारे पाटिल 1980-84 तक सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे और महाराष्ट्र के अहमदनगर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वह एक वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। कई बार जेल गये। वह एक वकील थे। उन्होंने शिक्षा के प्रसार में गहरी रुचि ली। यह अहमदनगर जिला मराठा विद्या प्रसारक समाज के सचिव थे। वह महाराष्ट्र भारत-सोवियत मैत्री संगठन के उपाध्यक्ष थे।

श्री चन्द्रभान वालाजी अथारे पाटिल का 16 अक्तूबर, 1985 को 65 वर्ष की आयु में पुणे में देहांत हुआ।

श्री बाबूराम जंगलजी काले 1971-76 के दौरान पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे और महाराष्ट्र की जालना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए निर्वाचित हो जाने के पश्चात् उन्होंने 1976 में लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। इससे पूर्व वह नौ साल तक महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य रहे और राज्य मन्त्रिमण्डल के सदस्य भी रहे।

वह किसान और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने सामुदायिक विकास और शिक्षा के प्रसार में गहरी दिलचस्पी ली। उन्होंने दो शिक्षा सस्थाओं की स्थापना की थी। इसके अलावा वह महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी कोर्ट तथा राज्य सिंचाई समिति के सदस्य रहे : वह अनेक संगठनों में विभिन्न रूप से जुड़े रहे।

श्री काले का 18 अक्तूबर, 1985 को 59 वर्ष की आयु में बम्बई में निधन हुआ।

श्री ललित सेन 1962-70 के दौरान तीसरी और चौथी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मण्डी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वह एक सुयोग्य संसदविद् थे तथा 1963 में वह तीसरी लोक सभा की प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे। वह 1964-66 तक प्रधान मन्त्री के संसदीय सचिव रहे तथा 1962 में आकाशवाणी हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य रहे। उन्होंने व्यापक भ्रमण किया। वह 1964 में राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य थे।

उन्होंने छोटी उम्र से ही सामाजिक कार्यों में काफी रुचि दिखाई। समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान तथा उनमें शिक्षा प्रसार के लिए उन्होंने अथक कार्य किया। वह राज्य के विभिन्न संगठनों से विभिन्न रूप से जुड़े हुए थे। वह हिमाचल प्रदेश सेन्ट्रल स्टेट लैण्ड मोरटगेट बैंक लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष थे।

श्री ललित सेन का 18 अक्तूबर, 1985 को नई दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्थान में 53 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

श्री शिब्बनलाल सक्सैना 1946-50, 1950-52, 1954-57, 1957-62, 1971-77 और 1977-79 तक क्रमशः संविधान सभा, अन्तरिम संसद, प्रथम, द्वितीय, पांचवीं और छठी लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पूर्व वह 1937-46 और 1964-67 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

वह एक वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी थे। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया और कई बार जेल गये। वह एक योग्य सांसद, सामाजिक कार्यकर्ता और मजदूर संघ नेता थे। उन्होंने श्रमिक वर्ग की कठिनाइयों को हर उचित अवसर पर उठाया। उनका कई मजदूर संघों, सामाजिक तथा शैक्षणिक संस्थाओं से सम्बन्ध रहा। उन्होंने संसद में अपने कार्यकाल के दौरान कई संसदीय समितियों में काम किया।

उन्होंने शिक्षा प्रसार में गहरी रुचि ली। उन्होंने श्रम संगठनों के विषय में कई पुस्तकें

लिखीं। उन्होंने 1954 में बर्लिन में और 1955 में स्टाकहोम में हुई विश्व शांति परिषद् की बैठक में भाग लिया। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कान्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

श्री सक्सेना का 20 अक्तूबर, 1985 को 80 वर्ष की आयु में लखनऊ में निधन हुआ।

श्री राजेश कुमार सिंह 1980-84 के दौरान सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वह एक किसान थे। सामाजिक कार्यकर्ता और राजनैतिक कार्यकर्ता थे। वह एक सक्रिय सांसद रहे। उन्होंने सभा पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति में काम किया।

श्री राजेश कुमार सिंह का 44 वर्ष की आयु में 3 नवम्बर, 1985 को आगरा में एक दुखद सड़क दुर्घटना में निधन हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा मेरे साथ शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संप्रेषित करेगी।

अब सभा सम्वेदना व्यक्त करने के लिए कुछ क्षण के लिए मौन खड़ी हो।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

11.23 म० पू०

नये मंत्रियों का परिचय

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री भगत जी नये मंत्रियों का परिचय करायेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : प्रधान मंत्री को परिचय कराना चाहिए।

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मुझे आपको तथा आपके माध्यम से सभा को अपने उन साथियों का, जो मंत्री नियुक्त किये गये हैं, परिचय कराते हुए अपार हर्ष हो रहा है। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : प्रधानमंत्री को परिचय कराना चाहिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : वह न तो सभा के नेता हैं और न ही प्रधान मंत्री हैं। परम्परा के अनुसार प्रधान मंत्री को मंत्रियों का परिचय कराना चाहिए। यदि वे लोग चाहें तो स्वयं अपना परिचय दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री परिचय करा सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सभा का सत्र चल रहा है और प्रधानमंत्री विदेश गए हुए हैं और ऊपर से वे हमें चिढ़ा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्हें परिचय कराने का अधिकार है। वह परिचय करा सकते हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : वे कौन होते हैं, परिचय कराने वाले ? इस बात को कृपया मत मानिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : इस प्रकार का कोई पूर्व दृष्टांत नहीं है। ऐसा कभी नहीं किया गया।

प्रो० मधु दंडवते : 1952 से लेकर इस समय तक प्रधान मंत्री के अलावा कभी किसी ने परिचय नहीं कराया है।

अध्यक्ष महोदय : पिछली बार, इन्होंने ही परिचय कराया था।

प्रो० मधु दण्डवते : यह बहुत गलत बात है। सभा की कुछ परम्परा होती है, जिसका पालन किया ही जाना चाहिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : वे लोग अपना परिचय स्वयं दे सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री मंत्री परिषद के सदस्य हैं। वह किसी अन्य मंत्री का परिचय नहीं करा सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : या तो वे लोग अपना परिचय स्वयं दें अथवा प्रधान मंत्री के लौटने के बाद उनका परिचय कराया जाए। वे लोग अपना परिचय स्वयं दें।

प्रो० मधु दंडवते : यह ठीक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम नित नयी मिसाल नहीं बना सकते।

प्रो० मधु दंडवते : प्रधान मंत्री को लौट आने दीजिए, वह उन लोगों का परिचय करायेंगे। इस बीच, कुछ अनुभव भी हो जाएगा।

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) आपको पता है कि सभी संसदों में यही प्रथा है **(व्यवधान)** कि संसदीय कार्य मंत्री सरकार का प्रवक्ता होता है। इसीलिए, हमेशा संसदीय कार्य मंत्री ही सरकार की ओर से बोलते रहे हैं। उस मामले के लिए, और वस्तुतः मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को ऐसा करने का अधिकार है। किन्तु अब संसदीय कार्य मंत्री परिचय दे रहे हैं; उन्हें परिचय देने दीजिए। और मैं यह भी नहीं चाहता कि श्री मधु दंडवते की ये हल्की-फुल्की टिप्पणियां कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित की जायें कि प्रधान मंत्री ने संसद की कोई परवाह नहीं की। प्रधान मंत्री देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का भी ध्यान रखना पड़ता है।

श्री एच० के० एल० भगत : क्या मैं कुछ निवेदन कर सकता हूं ? यह कहना सर्वथा गलत है कि ऐसी मिसाल नहीं रही है। मैं कुछ विशेष उदाहरण दे सकता हूं। ऐसी मिसाल रही है जब संसदीय कार्य मंत्री ने मंत्रियों का परिचय कराया ही। ऐसे सुस्पष्ट उदाहरण हैं। यह कहना गलत है कि ऐसी मिसाल नहीं है। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : अति विनम्रतापूर्वक मैं यह कहना चाहूंगा कि उन्हें प्रधान मंत्री का उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहिए। मेरा उनसे अनुरोध है कि वह ऐसा न करें।

श्री एच० के० एल० भगत : इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई मिसाल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसका अध्ययन किया है; मैंने इसे पहले भी देखा है। आपकी सूचना के लिए, ऐसी मिसाल मेरे पास है। सर्वश्री सिद्धेश्वर प्रसाद, जगन्नाथ पहाड़िया, चौधरी राम सेवक, उपमंत्रीगणों का परिचय 14-11-1967 को संसदीय कार्य मंत्री ने सभा में कराया था······

प्रो० मधु दंडवते : यदि मैं सभा में होता तो मैं आपत्ति करता··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक बात और है। कृपया मेरी बात सुनिए। प्रधान मंत्री हमेशा बाहर नहीं रहते हैं······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए। प्रधान मंत्री हमेशा बाहर नहीं रहते। मंत्रियों का परिचय हमेशा उन्होंने ही कराया है। कुछ विशेष परिस्थिति में ही······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पनिका जी, क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे ? मैं स्पष्ट करूंगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसा विशेष परिस्थिति में ही होता है। यद्यपि, मैं प्रायः उनके पत्रों को यहां नहीं पढ़ता हूं, जो वह मुझे लिखते हैं। चूंकि यह कुछ आवश्यक हो गया है अतः मैं उनका पत्र पढ़ कर सुनाऊंगा······

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह पत्र श्री भगत को लिखा गया है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ने यह पत्र मुझे लिखा है। मैंने उनका मन्तव्य स्वीकार कर लिया है।

"प्रिय अध्यक्ष महोदय,

मुझे आपको सूचित करना है कि मुझे ओमन् के सुल्तान के राज्याभिषेक की पन्द्रहवीं जयंती के आयोजन में सम्मिलित होने के लिए 17 नवम्बर, 1985 को दोपहर बाद मस्कट जाना है तथा मैं मंगलवार दिनांक 19 नवम्बर, 1985, को प्रातः काल वापस आऊंगा। इसलिए, मैं सोमवार, 18 नवम्बर, 1985 को लोक सभा की बैठक में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा।

ओमन के सुल्तान ने कुछ ही सरकारों और राज्यों के अध्यक्षों को आमन्त्रित किया है और जयंती में सम्मिलित होने वाले छः अध्यक्षों में से मैं भी एक हूं। ओमन के साथ हमारा घनिष्ट संबंध है और वहां लगभग 200,000 भारतीय कार्य करते हैं। ओमन की मेरी इस प्रस्तावित यात्रा से उस देश से हमारे संबंध और अधिक मजबूत होने की संभावना है। चूंकि ओमन में होने वाले उत्सव की तिथि परिवर्तित नहीं की जा सकती है, अतः मुझे खेद है कि इस अपरिहार्य स्थिति में मैं लोक सभा के आगामी सत्र के प्रथम दिन की बैठक में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा।"

इसीलिए मैंने उनकी बात स्वीकार कर ली है। राष्ट्रहित में वह वहां गये हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : यह परम्परा का उल्लंघन है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास अनेक उदाहरण हैं—1964, पुनः 1964, पुनः 1964······

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : वे उपमंत्री थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मै कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मैं परम्परा के अनुरूप कार्य कर रहा हूं। यह एक ऐसा कार्य है जो राष्ट्रीय हित में है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई मिसाल नहीं कायम कर रहा हूं। मैं केवल पूर्वोदाहरण का अनुसरण कर रहा हूं।

श्री भगत।

श्री एच० के० एल० भगत : आपको तथा आपके माध्यम से सभा को अपने उन साथियों का, जो मंत्री नियुक्त किए गए हैं, परिचय देते हुए मुझे अपार हर्ष है :

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी	—कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री
श्री अर्जुन सिंह	—वाणिज्य मंत्री
श्री बी० आर० भगत	—विदेश मंत्री
श्री अजित पंजा	—योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अरुण सिंह	—रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री
श्री दलबीर सिंह	—शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जगदीश टाइटलर	—नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री
श्री राजेश पाइलट	—जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री
श्री सीताराम केसरी	—संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुखराम	—रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री
श्रीमती सुशीला रोहतगी	—शिक्षा और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री
श्री गिरधिर गोमांगो	—कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री
श्री एस० कृष्ण कुमार	—परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री
श्री पी० चिदम्बरम्	—कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भण्डारण तथा रख-रखाव की सुविधाएं

*1. **श्री राज कुमार राय** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मे भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भण्डारण तथा रख-रखाव की

पर्याप्त और उचित सुविधाओं के अभाव में गेहूं की बोरियां खुले में पड़ी हैं और गेहूं खराब हो रहा है;

(ख) इन गोदामों में भण्डारण और रख-रखाव की सुविधाओं की कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इन गोदामों में रखी गई वस्तुओं के उचित भण्डारण और रख-रखाव का प्रबन्ध कर रही है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी नहीं। तथापि, भारतीय खाद्य निगम के पास दिल्ली में 1-10-1985 को कवर और प्लिंथ भण्डारण के अधीन 17,126 मीटरी टन गेहूं पड़ा था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) निगम ढके हुए गोदामों और कवर एवं प्लिंथ भण्डारण में रखे हुए स्टाक का परिरक्षण और अनुरक्षण करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है। इन उपायों में स्टाक का रोग-निरोधी और रोगहर उपचार करना और आवधिक निरीक्षण करना शामिल है।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय : मान्यवर, यह सरकार के लिए बहुत आसान है कि जब कोई माननीय सदस्य कोई प्रश्न करता है, तो "जी नहीं" कह करके उसका उत्तर दे दिया जाता है। मैंने इस मामले में खुद अपनी आंखों से देखा है और आज भी यदि माननीय मंत्री जी देखने का कष्ट उठाएं, तो उन्हें मिलेगा कि ओखला, नारायणा, जिसे मायापुरी भी कहते हैं, और शक्ति नगर के गोदामों में खाद्यान्न आज भी खुले स्थानों में पड़ा है। अगर किसी मजबूरी की वजह से खाद्यान्न को इस तरह के गोदामों में रखा गया है, तो नौकरशाही को उसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस तरह ओपन स्थानों पर रखने से जो खाद्यान्न सड़ जाता है और कितने ही मीट्रिक टन अनाज उपभोक्ताओं को सड़े-गले और खराब रूप में मिलता है, क्या खाद्यान्न को सड़ने से बचाने के लिए सरकार पक्के गोदामों की व्यवस्था नहीं कर सकती है और अगर कर सकती है, तो कितनी जल्दी इसे करेगी ?

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी बात को छिपाने या किसी का बचाव या संरक्षण करने का कोई भी कारण नहीं है। तथ्य यह है कि कुछ भी खाद्यान्न खुले आकाश के नीचे नहीं पड़ा है। खुले में कहने का मतलब है कवर एवं प्लिंथ।

अतः प्रश्न का उत्तर बिलकुल सही है क्योंकि तनिक भी खाद्यान्न सड़ नहीं रहा है लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है नारायणा, ओखला तथा शक्तिनगर में बाढ़ के कारण कुछ क्षति जरूर हुई है। इसको अलग रख दिया गया है। जैसा कि उत्तर में बताया गया है पी०डी०ए० को घटिया खाद्यान्न सप्लाई नहीं किया गया है। इसे स्वीकार करने से पूर्व राज्य तथा केन्द्र प्रशासन

तथा भारतीय खाद्य निगम ने इसका निरीक्षण किया है। जहां तक उनके द्वारा बताए गए ढके हुए गोदामों का संबंध है, हमने इस संबंध में योजना आयोग से बात की है। योजना आयोग ने हमारे सभी प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया है। अगर माननीय सदस्य अपनी आवाज उठाएं और इस संबंध में हमें स्वीकृति दिला दें तो मैं उनका बहुत आभारी होऊंगा।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय : देश के अन्य भागों में भी मैंने देखा है और खासतौर पर हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों में अनकवर्ड स्थानों पर खाद्यान्न पड़ा हुआ है। मान्यवर,मैंने बहुत नम्रता के साथ तीन, चार गोदामों का हवाला दिया है और मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी खुद जाएं या शासन का कोई व्यक्ति जाए या आपकी तरफ से कोई व्यक्ति जाए, तो आज भीअनकवर्ड और खराब अवस्था में खाद्यान्न मिल सकता है। क्या माननीय मंत्री जी सदन की और आपकी परमिशन लेकर उसे देखना पसन्द करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : मेरे अधिकारी इन स्थानों पर गए हैं, और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, कुछ भी खाद्यान्न सड़ नहीं रहा है। इसकी कड़ी निगरानी रखी जाती है। हमारे अधिकारी तथा भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी समय-समय पर जाते रहते हैं। हम इस परम्परा को जारी रख सकते हैं और हम इसे और बढ़ा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : आज देश में गोदामों की बहुत कमी है। पहले एक योजना थी, जिसमें प्राइवेट पार्टीज को एडवान्स दिया जाता था और सरकार उनकी मारफत काफी गोदाम बनवाती थी। क्या इस तरह की योजना आज भी चालू है, जिससे ज्यादा से ज्यादा गोदाम हमारे देश में बनें और अनाज सड़े नहीं। अगर ऐसी योजना नहीं है, तो क्या सरकार इस तरह की कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है, जिसमें प्राइवेट पार्टीज को एडवान्स दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा गोदाम बनें ! इस तरह अपने देश में गोदामों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस जरूरत को ध्यान में रख कर क्या सरकार किसी स्कीम पर विचार कर रही है जिससे कि देश में ज्यादा से ज्यादा गोदाम बनें ?

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, ए० आर० डी० सी० के साथ-साथ बैंक से ऋण मिलता है। भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए बैंक निजी व्यक्तियों को ऋण दे रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम अपने गोदाम स्वयं बनाता है और जहां सम्भव नहीं होता वहां यह केन्द्रीय भाण्डागार निगम और राज्य एजेंसियों से सहायता लेता है। लोग अपने मनचाहे किसी भी स्रोत से ऋण ले सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि चूंकि अगले वर्ष होने वाली फसल का हमारा अनुमान 15 करोड़ मीट्रिक टन का है। यह जो अगले वर्ष हमारे यहां इतना अन्न पैदा होगा, इसका ध्यान में रख कर क्या सरकार ने अगले वर्ष के लिए नये प्रस्ताव

पर विचार कर लिया है कि *किस-किस क्षेत्र में, किस-किस स्टेट में कितनी-कितनी भण्डारण क्षपता* की जरूरत होगी ?

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, प्रश्न दिल्ली के बारे में है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह बैरागी हैं, वह कहीं पर भी रम सकते हैं ।

श्री बालकवि बैरागी : मै कहीं भी रम सकता हूं लेकिन गोदाम से बाहर नहीं जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप किस कौने में रम जाएं यह आपकी मर्जी है ।

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, मैं केवल यही कह सकता हूं कि हम भारत भर में ढकी हुई भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं । अगर योजना आयोग धन दे तो हम यह काम पूरा कर सकते हैं ।

दूरदर्शन फिल्म "सच की परछाई" का प्रदर्शन

*2. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन फिल्म "सच की परछाई" के प्रदर्शन के बारे में दिल्ली पुलिस बल की प्रतिक्रिया की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एल० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। दिल्ली पुलिस से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री बृज मोहन महन्ती : महोदय, मुझे स्वयं विश्वास नहीं होता है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस पर हुई प्रतिक्रिया का पता नहीं है । सच तो यह है कि राष्ट्रीय समाचार पत्रों में यह बात कई दिनों तक छपती रही है, परन्तु मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या टी० वी० फिल्म "सच की परछाईयां" में दिल्ली के पुलिस कार्मिकों की खराब छवि को प्रस्तुत नहीं किया गया है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हर कोई जानता है कि दिल्ली पुलिस बल भ्रष्ट तथा लापरवाह है, लेकिन इसके साथ-साथ पुलिस बल अधिकांश तौर पर अपना काम निष्ठा से और कई बार अपनी जान को जोखिम में डालकर कर रहा है । हर रोज हम अखबारों में देखते हैं कि यहां-वहां कोई पुलिस कार्मिक मारा गया । इस पृष्ठभूमि में यह जरूरी है कि टी० वी० फिल्म में समूची स्थिति प्रस्तुत की जाए अर्थात् पुलिस कार्मिकों के दोनों पहलू प्रस्तुत किए जायें । एक पहलू यह कि वे लोग निष्ठा से काम कर रहे हैं और दूसरा पहलू यह है कि भ्रष्टाचार

और लापरवाही भी बरती जाती है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह फिल्म इस स्तर के अनुरूप है या नहीं और क्या मंत्रालय ने कोई जांच की है?

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय, प्रश्न दिल्ली पुलिस की प्रतिक्रिया के बारे में है। मैंने समाचारपत्रों में प्रतिक्रिया देखी है लेकिन मैं इस प्रतिक्रिया को दिल्ली पुलिस की औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं मान सकता। लेकिन मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि जांच करने पर मैंने पाया है कि कार्यक्रम थोड़ा असंतुलित था और इसमें दिल्ली पुलिस की छवि थोड़ी गलत प्रस्तुत की गई है। यद्यपि दूरदर्शन का काम वास्तविकता प्रस्तुत करना तथा जहां कहीं बुरीइयां हैं, उनकी ओर लोगों का ध्यान दिलाना है। इसीलिए "रजनी" आदि कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ-इसे आशावादी पहलू दिखाना चाहिए। इस रिपोर्ट में हमने उपयुक्त अनुदेश दे दिए हैं।

श्री बृज मोहन महन्ती : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में कोई प्रयास किया गया है या पुलिस बल पर इस फिल्म के प्रभाव का पता लगाने के लिए गृह मंत्रालय से संपर्क किया गया है? क्या इससे उनका मनोबल गिरा है?

श्री वी० एन० गाडगिल : हमने पूछताछ नहीं की। हमारे यहां श्रोता अनुसंधान ब्यूरो है। वह सर्वेक्षण कर रहा है। संभवतः उनके सर्वेक्षण से पता चल सकेगा कि इस कार्यक्रम पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या हुई है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में संशोधन

*3. **श्री भोला नाथ सेन :**
श्री बी० तुलसी राम :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का किस आधार पर संकलन करने का विचार है;

(घ) नये मूल्य सूचकांक के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष मानने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि नया मूल्य सूचकांक आधारभूत स्थिति का सूचक हो, क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ङ) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार द्वारा 1980 में डा० सील, तत्कालीन महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकीय विभाग की अध्यक्षता में नियुक्त की गई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सम्बन्धी समिति ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई सिरीज शुरू करने की सिफारिश की है। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई सिरीज का आधार श्रम ब्यूरो द्वारा

1981-82 में किए गए परिवार आय और व्यय सर्वेक्षण होगा और नई सिरीज का आधार वर्ष 1981-82 होगा। इस सर्वेक्षण का आधार 1958-59 में किये गये पहले सर्वेक्षण, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वर्तमान सिरीज का आधार था, की तुलना में अधिक व्यापक है। 1981-82 के सर्वेक्षण के अन्तर्गत नियोजन के 7 सैक्टर अर्थात् कारखाने, बागान, मोटर परिवहन उपक्रम, रेलवे, पत्तन और गोदियां तथा बिजली सृजन एवं वितरण प्रतिष्ठान आते हैं जबकि 1958-59 के सर्वेक्षण के अन्तर्गत नियोजन के केवल 3 सैक्टर अर्थात् कारखाने, खानें, और बागान आते थे। इसके अतिरिक्त, नया सर्वेक्षण उन आंकड़ों पर आधारित है जो सम्पूर्ण देश के 70 केन्द्रों से एकत्रित किए गये हैं जबकि पहला सर्वेक्षण केवल 50 केन्द्रों के आंकड़ों पर आधारित था अतः इस प्रकार 1981-82 के सर्वेक्षण पर आधारित नई सिरीज अधिक व्यापक और यथार्थ होगी।

सील कमेटी की सिफारिशें विचाराधीन हैं। नई सिरीज चालू करने से पहले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उपभोगियों से परामर्श किया जाएगा।

श्री भोलानाथ सेन : महोदय, विवरण में कहा गया है कि सील समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं और नई सिरीज चालू करने से पहले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उपभोगियों से परामर्श किया जाएगा। क्या मैं मामनीय मंत्री से जान सकता हूं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उपभोगियों से कब तक परामर्श कर लिया जाएगा और नई सिरीज कब चालू की जाएगी ?

[हिन्दी]

श्री टी० अंजैया : स्टेटमेंट में बहुत क्लीयर है, बहुत जल्दी ही गवर्नमेंट इस पर डिसीजन लेने वाली है। रिपोर्ट लायब्रेरी में रखी हुई है जिसकी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री भोलानाथ सेन : महोदय, कम से कम मुझे तो माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। विवरण में यह उल्लेख है कि सील समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। लेकिन नई सिरीज को चालू करने से पहले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उपभोगियों से परामर्श किया जाएगा। मेरा प्रश्न विशेष यह है कि माननीय मंत्री को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उपभोगियों से परामर्श का काम कब तक पूरे हो जाने की आशा है तथा नई सिरीज कब चालू की जाएगी। यही मेरा प्रश्न है और जिसका उत्तर नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री टी० अंजैया : नई सिरीज में अभी प्राइस इंडेक्स 619 है। 1981 में रिपोर्ट दी गई है और गवर्नमेंट इसके ऊपर विचार कर रही है ओर जल्दी ही इसके इंप्लीमेंटेशन की कोशिश की जा रही है। इसमें जो सिफारिशों की गई हैं, उनको हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। इससे दो-तीन पब्लिक सेक्टर के बजाए 7 पब्लिक सेक्टर्स को कवर किया गया है और इससे काफी लोगों को फायदा होगा, लेकिन आप जानते हैं कि फाइनेंशल मैटर है, डिसकस किया जा रहा है और जल्दी ही हम इस पर डिसीजन लेने वाले हैं।

[अनुवाद]

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : अध्यक्ष महोदय, सरकारी दीर्घा से एक व्यक्ति आया और उसने माननीय मंत्री को कुछ कागज दिए। महोदय, इसकी अनुमति नहीं है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। महोदय, सदन में यह क्या हो रहा है ? **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, अगर अधिकारियों को मंत्री जी को कुछ कागजात देने होते हैं तो मंत्री जी को सरकारी दीर्घा में जाकर अधिकारियों से कागजात लेने होते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि अधिकारी ने आकर माननीय मंत्री को कागजात दिए हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं किया जाएगा। इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हम इसकी अनुमति नहीं देंगे।

[हिन्दी]

श्री तुलसीराम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जब आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तब बहुत अच्छा काम करते थे और बहुत सोचते थे, लेकिन यहां पर आकर इन्होंने सोचना छोड़ दिया है। अपने शरीर के लिए सोचते हैं। हम उन्हें आंध्र में प्यार से अजना कहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने क्या सोचा है और कौन से साल से इसको लागू करने वाले हैं और इंडेक्स क्या है। आज हिन्दुस्तान में जो रेट्स बढ़ रहे हैं और आग लगी हुई है, उसके बारे में क्या सोचा गया है। इस पर जल्दी कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही, क्या वजह है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री टी० अंजैया : गवर्नमेंट का कोई मकसद नहीं है कि डिले की जाए। मैं यह आपको बता देना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट लाइब्रेरी में रखी गई है और इसका इम्पलीमेंटेशन भी बहुत ही जल्दी करने वाले हैं।

प्रो० मधु दंडवते : क्या हमारे मंत्री महोदय यह बता सकते हैं कि हिन्दुस्तान की कई ट्रेड यूनियन संस्थाओं ने कंज्युमर्स की ऑरगेनाइजेशन्स ने और महिलाओं की संस्थाओं ने यह मांग की है कि आज जिस बुनियाद पर कंज्युमर/प्राइस इन्डेक्स तय किया जाता है उसमें मौलिक परिवर्तन किया जाना चाहिए और साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि रथ कमेटी जब नियुक्त की गई थी तो उन्होंने काफी सिफारिशें दी थीं जिसके आधार पर कंज्युमर प्राइस इन्डेक्स तय करने के लिए जो बास्केट माना जायेगा उसके लिए कौन-सी कमोडिटी तय की जायेगी। तफसील के साथ जो आपको सिफारिशें दी थीं उन सिफारिशों के बारे में आपने कोई फैसला किया है या नहीं या अभी सोच रहे हैं।

श्री टी० अंजैया : मैंने आपसे कहा है कि अभी जो नयी कमेटी बनी है उसने इन तमाम सिफारिशों को देखा है जिसमें प्लाट, रूम्स हाउस रेट, आदि तथा प्राइस इन्डेक्स के बारे में सोचा गया है। मैं समझता हूं जिस दिन अनाउन्समेंट होगा, आप सब लोग खुश हो जायेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : फैसला लेने के लिए कोई समय की सीमा तय की है या नहीं।

श्री टी० अंजैया : मैं कोई लक्ष्मीपति नहीं हूं। लक्ष्मीपति तो फानेंइस मिनिस्टर हैं। मुझे, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ करेंगे।······**(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : पति कहां से आया, लक्ष्मीपति की बात कर रहे हैं।···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह आपको समझाना पड़ेगा।

[अनुवाद]

तिलहनों का उत्पादन

***4. श्री चिन्तामणि जैना† :**
श्री मोहन भाई पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के लिए तिलहनों के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उपलब्धि क्या रही :

(ख) यदि उत्पादन लक्ष्य से कम रहा, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तिलहनों के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) उत्पादन बढ़ाने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष (1984-85) के दौरान तिलहनों का उत्पादन 130.98 लाख मीटरी टन का था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (1989-90) के लिए तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्य 180 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया है।

(घ) 1984-85 के दौरान शुरू की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना को 1985-86 के दौरान भी चालू रखा गया है। राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना में अन्य तिलहनों के विकास के कार्यक्रमों के अलावा मूंगफली, तोरिया-सरसों, सोयाबीन और सूरजमूखी के विकास के लिए विशेष परियोजनाएं शामिल हैं।

श्री चिन्तामणि जेना : मैं केन्द्र सरकार, विशेष रूप से कृषि मंत्रालय का आभारी हूं कि तिलहनों का उत्पादन छठी योजना में इसके लिए लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में अधिक हुआ क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि विभिन्न प्रकार से तिलहन इस फसल बीमा योजना में शामिल नहीं हैं ? यदि हां, तो तिलहन की वह कौन-कौन-सी किस्में हैं जो समिलित नहीं की गई हैं और सरकार का तिलहनों की उन किस्मों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल करने के लिए किस प्रकार की कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

तिलहनों पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदायें आती हैं और नाश कीटों से आघात, आदि होता है। सरकार का इन तिलहनों की फसल बीमा योजना के अन्तर्गत समिलित करने और तिलहनों की उन किस्मों को इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने में लिए राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मूलतः इस प्रश्न का संबंध फसल बीमा योजना से नहीं है। यह तिलहनों के उत्पादन के संबंध में है, फिर भी, माननीय सदस्य ने पूछा है, मैं उन्हें आपके माध्यम से सूचित करता हूं कि फसल बीमा योजना हाल ही में आरम्भ की गई है और हम इस योजना को उन राज्यों में भी लागू कर रहे हैं जिन्होंने इस स्वीकार किया है। किंतु तिलहनों के क्षेत्र में, विशेषकर शुल्क खेती में, बीमाकर्ता सामने नहीं आ रहे हैं और यह बहुत कठिन है। फिर भी हम बीमाकर्ताओं को और कृषकों को इस फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आने के लिए समझा रहे हैं।

श्री चिन्तामणि जेना : प्रश्न (घ) का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित तिलहन विकास परियोजना जिसे 1984-85 में बनाया गया था, वर्ष 1985-86 के दौरान भी जारी रखी जा रही है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस योजना को सातवीं योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बढ़ाया जाएगा ? यदि हां, तो इस योजना के लिए सातवीं योजना में कितनी राशि निर्धारित की जाएगी ? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि उड़ीसा राज्य सरकार समेत अनेक राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में तिलहन उत्पादन के कार्यक्रमों के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता हेतु केन्द्र से अनुरोध किया है। यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप अपने प्रश्न को व्यर्थ ही लम्बा कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, इस योजना को वर्ष 1985-86 में भी जारी रखना है और इसे सातवीं योजना की पूरी अवधि में शामिल करने की श्री संभावना है। मैं तिलहन को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल करने के संबंध में अपने पूर्व विवरण में संशोधन करता चाहता हूं। सभी प्रकार के तिलहनों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाता है जहां तक उड़ीसा राज्य का सम्बन्ध है, वर्ष 1984-85 की राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना को 1985-86 में भी जारी रखा गया है और 122.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अखिल भारतीय स्तर पर 30 करोड रुपये परिव्यय है। सातवीं योजना के लिए धनराशि का निर्धारण नहीं हुआ है क्योंकि यह एक सतत योजना है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि जबकि नारियल को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर एक तिलहन की फसल के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे इस रूप में स्वीकार किया गया है तो इस देश, में, उनका मंत्रालय अभी तक इस मूल्यवान वस्तु को जिसका संबंध समस्त तटीय क्षेत्र से है, तिलहन कार्यक्रम के लाभों से क्यों अलग रख रहा है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : नारियल बोर्ड भी है जो नारियल फसल की देखभाल करता है और अब इसे तिलहनों में शामिल किया गया है। वैसे तो यह तिलहन नहीं है···**(व्यवधान)**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप क्या कह रहे हैं ? यह तिलहन है। और अन्तरराष्ट्रीय

स्तर पर इसे तिलहन के रूप में मान्यता प्राप्त है। किंतु उनका मंत्रालय इसे तिलहन के रूप में मान्यता नहीं देता है। यही मेरा प्रश्न है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह तिलहन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह तिलहन नहीं है। यह तेल ही है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह एक तेल वृक्ष है, और इसका केरल के साथ महत्व पूर्ण संबंध है। मैं जानना चाहता हूं कि तेल की तरह इतने फिसलने वाले क्यों बनें ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : यह एक तथ्य है कि नारियल एक तेल आधारित फसल है। वैसे तो यह तिलहन है और इसका अधिकांश तेल तुरन्त ही प्रयोग में लाया जाता है। अतः किस्म बदलने से कुछ नहीं होगा। जिस बात का उल्लेख मेरे माननीय साथी ने किया है वह यह है कि नारियल फसल की देख-भाल के लिए एक स्वतंत्र निकाय है। केवल इसके लिए इसे तिलहनों में शामिल करने से क्या लाभ है ? हम नारियल के फसल विकसित करना चाहते हैं और हमने एक नारियल बोर्ड पहले ही बना दिया है जो कि नारियल के उत्पादन की देख-भाल कर रहा है। नारियल फसल में विचित्र समस्याएं हैं और हम इसकी ओर ध्यान दे रहे हैं। इस समय नारियल में जिस बात का अभाव है वह है मूल्य समर्थन। केरल की सरकार ने स्वयं भारत सरकार के समक्ष नारियल को मूल्य-समर्थित फसल में सम्मिलित करने के लिए अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। किंतु मामला अभी विचाराधीन है। हमें आशा है कि हमारे साथ भी इसी प्रकार का बर्ताव किया जाएगा जो अन्य तिलहन फसलों को प्राप्त हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें परामर्श दिया है कि वह इसे अन्य फसलों के समकक्ष लाएं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मेरा प्रश्न है कि क्या यह तिलहन है या नहीं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। उन्हें इसे अन्य फसलों के समकक्ष लाने दीजिए।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : माननीय मंत्री ने कहा है कि उत्पादन लक्ष्य से थोड़ा अधिक है। किंतु सच तो यह है कि विदेश से 1100 करोड़ रुपए का खाने का तेल आयात करने से इस बात का पता चलता है कि इस लक्ष्य के आंकड़े देश की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। अतः मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार लक्ष्यों में वृद्धि करने आयात को घटाने, और देश के तिलहन उत्पादकों को लाभकारी और प्रोत्साहनकारी मूल्य देने के लिए कदम उठा रही है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : लक्ष्य उत्पादन के अनुरूप है। हमने सातवीं योजना में लक्ष्यों में वृद्धि की है। फिर भी, तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, हम तिलहनों के, संबंध में एक विशेष लक्ष्य आरम्भ कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इसमें वर्तमान उत्पादन से 6.5 प्रतिशत अधिक वृद्धि होगी। हम मूल्य प्रोत्साहन दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें समर्थन मूल्य चाहिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : अब हम समर्थन मूल्यों की घोषणा कर रहे हैं और हम बाजार में प्रवेश करने जा रहे हैं। बाजार हस्तक्षेप की बात 1984-85 में आरम्भ की गयी थी। इससे पहले के वर्षों मे हम बाजार में हस्तक्षेप नहीं करते थे, किन्तु 1984-85 से हमने तिलहनों की

वसूली के लिए बाजार में हस्तक्षेप करना आरम्भ किया है, ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सकें और सातवीं योजना में तिलहन विकास के लिए एक विशेष योजना के रूप में 170 करोड़ रूपये निर्धारित किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह ने जो कहा वह उचित है अर्थात समर्थन मूल्य देना।

डा० के० जी० आदियोडी : नारियल तिलहन की श्रेणी में शामिल नहीं है। अत: जो कोई भी लाभ सरकार के माध्यम से दिया जाता है वह बड़े पैमाने के उत्पादकों को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। नारियल का मूल्य 1983 में 3000 रुपये था, और इसमें बहुत कमी आई है। अब यह इसका एक तिहाई रह गया है। केरल सरकार ने केन्द्र सरकार को किन उपचारों का सुझाव दिया है?

सरदार बूटा सिंह : महोदय, किसी अलग उपचार का सुझाव नहीं है। केरल सरकार ने सामान्य समर्थन मूल्य का तथा सार्वजनिक क्षेत्र विशेषकर सहकारी विपणन संघ द्वारा बाजार हस्तक्षेप का सुझाव दिया। चूंकि श्री उन्नीकृष्णन जी ने सच ही कहा है कि नारियल एक ऐसी वस्तु है जो तिलहन की नियमित फसल में नहीं आती है; अत: यह थोड़ा कठिन है। हमने केरल सरकार का अनुरोध वित्त मंत्रालय को भेजा है। इस पर सक्रिय विचार हो रहा है। हम आशा करते हैं कि हम इसी प्रकार का समर्थन दे सकेंगे। महोदय, केरल के माननीय सदस्यों की सूचना के लिए हमने स्वयं राज्य सरकार को बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहित किया है। जब उन्होंने बाजार में हस्तक्षेप किया तो, मूल्यों में वृद्धि हो गई। अत: उस सीमा तक हमने राज्य सरकार की सहायता की है और भविष्य में भी हम राज्य सरकार की सहायता करते रहेंगे और हम उन वस्तुओं को सहायता देने जिनका प्रयोग गरीब जनता करती है विशेषकर तिलहन और दालें, के मामले में भारत सरकार पूरी सहायता देगी।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की वसूली आदि पर किया गया खर्च

*5. **डा० ए० के० पटेल**† :
श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष गेहूं और चावल, की वसूली, वितरण और सुरक्षित भण्डारों का संग्रह करने में प्रति क्विटल कितना खर्च किया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल वसूली मूल्यों की तुलना में उक्त खर्च कितना प्रतिशत है;

(ग) क्या सरकार का विचार खर्च को कम करने की दृष्टि से स्वस्थ प्रतियोगिता कायम रखने हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र में ऐसे ही किसी निगम की मंजूरी देने का है; और

(घ) वर्षा से होने वाले नुकसान का औसत मूल्य कितना है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गेहूं और चावल की वसूली पर किए गए प्रासंगिक खर्चों, वितरण लागत और बफर स्टाक रखने की लागत का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

दर रु०/क्विंटल

	वसूली प्रभार		
	1982-83 दर	1983-84 दर	1984-85 (सं० अ०) दर
गेहूं	24.28	24.17	28.09
चावल	9.94	11.11	17.57

	वितरण लागत दर	बफर स्टाक रखने की लागत दर
1982-83	43.91	42.23
1983-84	46.87	40.71
1984-85 (सं० अ०)	48.34	43.82

(ख) समूची लागत की तुलना में वसूली प्रासंगिक खर्चों और वितरण लागत की प्रतिशतता नीचे दी जाती है :—

दर रु०/क्विंटल

	1982-83		1983-84		1984-85 (सं० अ०)	
	दर	समूची लागत की तुलना में प्रतिशत	दर	समूची लागत की तुलना में प्रतिशत	दर	समूची लागत की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
(1) गेहूं (देशी)						
वसूली मूल्य	142.00	67.55	151.00	68.00	152.00	66.54
वसूली प्रभार	24.28	11.56	24.17	10.89	28.09	12.30
वितरण लागत	43.91	20.89	46.87	21.11	48.34	21.16
जोड़	210.19	100.00	222.04	100.00	228.43	100.00

1	2	3	4	5	6	7
(2) चावल देशी						
औसत वसूली लागत	209.55	79.56	226.07	79.59	238.61	78.36
वसूली प्रभार	9.94	3.77	11.11	3.91	17.57	5.77
वितरण लागत	43.91	16.67	46.87	16.50	48.34	15.87
जोड़	263.40	100.00	284.05	100.00	304.52	100.00

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, [सरकार निगम के परिचालनों में किफायत लाने की दृष्टि से भारतीय खाद्य निगम के कार्यनिष्पादन पर बराबर निगरानी रखती है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम के लेखों से केवल वर्षा से क्षति के कारण हानि के बारे में सूचना का पता नहीं चलता। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षति/खराब होने (वर्षा से हुई क्षति के कारण हानि, यदि कोई हुई हो, सहित) के कारण हानि का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	मूल्य (रु०/करोड़)
1982-82	3.44
1983-84	10.20
1984-85 (सं० अ०)	7.95 (अनन्तिम)

डा० ए० के० पटेल : मैं अपने मूल प्रश्न अर्थात् भाग (क) तथा (ख) के विषय में अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय खाद्य निगमों द्वारा खाद्यान्नों के सम्भालने पर बहुत खर्च होता है। अन्त में यह उपभोक्ताओं को ही देना पड़ता है। मैं माननीय मन्त्री से जानता चाहूंगा कि क्या सरकार निजी क्षेत्र को उसी ढंग से कार्य करने की अनुमति देने को तैयार है. जिस प्रकार भारतीय खाद्य निगम कार्य करता है, क्योंकि मैंने स्वयं इसका अध्ययन किया है और देखा है कि निजी क्षेत्र द्वारा इसको संभालने पर 40% कम खर्च आता है। क्या मन्त्री इस मामले की ओर ध्यान देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल अब समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कमजोर वर्गों के लोगों को रियायती दरों पर खाद्यान्नों का दिया जाना

*6. श्री लक्ष्मण मलिक :

श्री आनन्द सिंह :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में पोषण का स्तर बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्यक्रम आरम्भ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) नेशनल न्यूट्रिशनल मानीटरिंग ब्यूरो ने देश के कई एक राज्यों में आहार और पोषाहार संबंधी सर्वेक्षण किए हैं। उनके सर्वेक्षणों के अनुसार पौष्टिक आहार के औसत इस्तेमाल का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) आदिवासी क्षेत्रों में रह रही जनता और समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर अन्य वर्गों को विशिष्ट राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति करने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

राज्य	नेशनल न्यूट्रिशनल मोनीटरिंग ब्यूरो					पौष्टिक आहार का औसत इस्तेमाल (सी० यू०/दिन) 1980			
	प्रोटीन (जी)	कैलोरी (के कल)	कैलशियम (एम जी)	आयरन (एम जी)	विटामिन ए (यू जी) रेशनल	थायमाइन (एम जी)	रिनोफलाबिन (एम जी)	निकोटिन (एम जी)	विटामिन सी (एम जी)
केरल	50.3	2158	582	23.7	350	0.67	0.76	11.8	83
तमिलनाडु	53.6	2196	609	25.6	211	0.90	0.75	12.1	39
कर्नाटक	79.0	2992	1067	43.9	209	2.23	1.16	17.2	21
आंध्र प्रदेश	56.7	2391	529	25.7	296	0.90	0.77	13.2	35
गुजरात	67.4	2333	546	25.3	264	1.86	1.15	14.1	36
उड़ीसा	58.9	2468	445	30.2	472	0.82	0.69	15.1	71
पश्चिमी बंगाल	62.9	2580	493	33.3	495	1.08	0.84	17.9	91
उत्तर प्रदेश	69.6	2115	426	29.1	207	2.06	1.18	21.6	41
औसत	62.3	2404	587	29.6	313	1.32	0.91	15.4	52
प्रस्तावित इनटेक (आई सी एम आर-1968)	55.0	2400	400-500	20.0	750	1.20	1.30	16.0	50

राष्ट्रीय कृषि नीति

*7. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक नई राष्ट्रीय कृषि नीति तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की नीति तैयार करने में क्या किसानों के प्रतिनिधियों के विचारों को ध्यान में रखा जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की नीति कब तक तैयार करने का विचार है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री कृषि का तेजी से विकास करने के संबंध में समय-समय पर बल देते रहते हैं। इस संबंध में विभिन्न मुद्दों की जांच की जा रही है और संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

इसी बीच, 8 और 9 नवम्बर, 1985 को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) स्वीकृत की गयी है। यह योजना 2000 ई० तक सम्भावित विकास की रूपरेखा को भी दर्शाती है। सातवीं योजना में प्रस्तुत सम्भावित विकास की मुख्य नीति में उर्वरक और सिंचाई सुविधाओं का वर्धित उपयोग, प्रौद्योगिकी में सुधार, दहलनों और तिलहनों के लिए अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्मों को तैयार करना, सिंचाई और कृषि विस्तार सेवाओं के संबंध में प्रबंध संबंधी आधुनिक तकनीकों को लाना विशेषकर लघु और सीमांत किसानों के लाभ के लिए सरकारी आंदोलन में सुधार लाना और उसे सक्रिय करना, बारानी खेती का विकास, मछली पकड़ने और मछली पालन में बढ़िया प्रौद्योगिकी का उपयोग और कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं। दीर्घावधि संभावना पर कृषि विकास की कार्यनीति के प्रलेख का कोई भी प्रारूप उपर्युक्त राष्ट्रीय योजना उद्देश्यों के अनुरूप तैयार करना होगा। ऐसे प्रारूप को, जब तैयार होगा, तभी अन्तिम रूप दिया जाएगा, जब उस पर किसानों के प्रतिनिधियों सहित सभी संबंधित हितों की प्रतिक्रिया उपलब्ध हो जाएगी। इस कार्य के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति

*8. **श्री चित्त महाटा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नें कृषि भूमि को बचानें तथा उत्पादकता बढ़ानें के लिए एक राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य बातें क्या है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) तत्कालीन राष्ट्रीय भूमि संसाधन संरक्षण और विकास आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने अप्रैल, 1984 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। विशेषज्ञ समिति ने दिसम्बर, 1984 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे संबंधित केद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, राज्य भू-उपयोग बोर्डों और कुछ कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थाओं को परिचारित किया गया। उनसे प्राप्त टिप्पणियों पर विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया और रिपोर्ट में आवश्यकतानुसार उपयुक्त रूप से संशोधन किया गया। भूमि के इष्टतम उपयोग के अल्पावधि और दीर्घावधि उद्देश्यों दोनों को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ

समिति द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति के प्रारूप की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :—

1. भूमि पर आधारित उत्पादन पद्धति से कुल आय में वृद्धि करना और उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि करने और भूमि के अवक्रमण की रोकने संबंधी दोहरे उद्देश्यों से भूमि का प्रबंध करना।

2. कमजोर पर्वतों अर्थात् हिमालय, पश्चिमी और पूर्वी घाटों अरावली की पहाड़ियों आदि में पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना।

3. जल उत्पादन पद्धति के लिए एक महत्वपूर्ण आदान है। अतः भूमि को उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए जल की बढ़ती हुई मांग का पूरा करने के लिए भूमि और जल चक्र को सुव्यवस्थित रूप से बनाए रखा जाना चाहिए।

4. वन के अंतर्गत क्षेत्र को हर कीमत पर बचाया जाना चाहिए और यह प्रयास किया जाना चाहिए कि कुल भौगोलिक क्षेत्र के आवश्यक एक तिहाई भाग में वनों का विस्तार किया जाए।

5. अच्छी कृषि भूषि का गैर-कृषि कार्यों में उपयोग करने से रोकना, विशेषकर जब कम उत्पादी भूमि उपलब्ध हो। यह देखने की व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्य स्तर पर इसका निरन्तर प्रबोधन किया जाए।

6. कार्य की समेकित योजनाएं तैयार करने के लिए भूमि, मृदा, पौधे, पशु और मानव की विस्तृत मांग सूची तैयार करना।

7. पर्याप्त परिव्यय से भूमि सुधार सहित मृदा और जल संरक्षण कार्यक्रम तेज करना।

8. समयबद्ध मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण कार्यक्रम शुरू करना।

9. भूमि उपयोग से सम्बन्धित सभी अधिनियमों की समीक्षा करना। वर्तमान आंकड़ा आधार में सुधार लाने के लिए इस समय भूमि उपयोग के एकमात्र वृहत कानून की आवश्यकता है।

10. भूमि उपयोग और प्रबंध के कार्यक्रमों में जनता में अधिक जागरूकता लाना।

11. भूमि अवक्रम का नियंत्रण करने और बंजर भूमि का विकास करने सम्बन्धी कार्यक्रम शुरू करने के लिए लोगों की भागीदारी और स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग को सुनिश्चित करना।

12. वर्षा सिंचित क्षेत्रों से उत्पादकता में सुधार करने के लिए बेहतर फसल पौध प्रौद्योगिकी से समेकित भूमि और जल संसाधन प्रबन्ध को सुनिश्चित बनाना।

राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड ने 17 अक्तूबर, 1985 को हुई अपनी प्रथम बैठक में राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति की रूपरेखा का मूल प्रारूप तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए कठिन कार्य की प्रशंसा करते हुए यह निर्णय लिया गया कि श्री वी० बी० बोहरा, अध्यक्ष, ऊर्जा सलाहकार बोर्ड, की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाए ताकि भू-

उपयोग नीति सम्बन्धी विवरण का प्रारूप पुनः तैयार किया जा सके। अन्य बातों के साथ लोगों की भागीदारी और प्रेरणा और प्रोत्साहन जैसे मामलों पर भी विचार करना चाहिए और भूमि के इष्टतम उपयोग और प्रबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी आदानों की भूमिका पर विचार करना राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति के क्रियान्वयन की कार्यकारी योजना राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड द्वारा इसे अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति से बनेगी।

उड़िया चलचित्रों और गीतों का दूरदर्शन पर प्रसारण

*9. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक चित्रहार में कोई उड़ीसा गीत और चलचित्र प्रसारित किये गए हैं; यदि हां तो कितने अन्तराल से; और

(ख) क्या भारत भर में रह रहे उड़ीसा निवासियों ने इस बात पर भारी असन्तोष व्यक्त किया है कि दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा उड़िया चलचित्रों और गीतों के प्रसारण की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता जबकि अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के चलचित्रों और गीतों पर अधिक ध्यान दिया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। गत एक वर्ष के दौरान उड़िया फीचर फिल्मों से चार गीत टेलीकास्ट किये गये थे, दो अक्तूबर, 1984 में तथा एक-एक मई और जून, 1985 में।

(ख) इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ध्यान में नहीं आई है।

राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड

*10. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के क्या कृत्य हैं;

(ख) बोर्ड ने देश में तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करने में किस प्रकार सहायता की है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बोर्ड को निधि के रूप में कितनी राशि दी जाएगी तथा तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) बोर्ड के कार्य राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 9 के अधीन निर्धारित किए गए हैं। बोर्ड के कार्यों का वितरण संलग्न है।

(ख) बोर्ड ने तिलहनों और वनस्पति तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्पादन, परि-संस्करण, विपणन, कीमत टेक्नालाजी का आधुनिकीकरण और परिसंस्करण, सुविधा और अनुसंधान आदि सभी पहलुओं की एक दीर्घकालिक कार्य नीति तैयार करने का निर्णय किया है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में अभी तक बोर्ड की स्कीमों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। फिर भी, वनस्पति तेल उपकर अधिनियम 1983 के अधीन उपकर के आगम से

अनुदान के रूप में बोर्ड के कार्यों पर होने वाले व्यय के वहन के लिए 1985-86 के बजट में पांच करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 9 के अधीन निर्धारित राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के कार्य :

(1) बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे उपायों द्वारा जैसा वह उचित समझता है, केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन तिलहन उद्योग और वनस्पति तेल उद्योग के विकास को प्रोत्साहन दें।

(2) उप-धारा (1) में उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें निर्दिष्ट उपायों में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था होगी—

(क) तिलहन उद्योग और वनस्पति तेल उद्योग के लिए ऐसे उपाय करना जिससे किसान खासतौर पर छोटे किसान भारत में तिलहन उद्योग तथा वनस्पति तेल उद्योग के विकास और वृद्धि में सहभोगी बन सकें और उसके लाभभोगी हो सकें,

(ख) भारत में तिलहनों, तिलहन और वनस्पति तेलों के उत्पाद के विपणन के सुधार के लिए तथा उनकी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उपायों की सिफारिश करना,

(ग) किसी भी ऐसे व्यक्ति को तकनीकी राय देना, जो तिलहनों की खेती या तिलहनों और उसके उत्पादों के परिसंस्करण या विपणन में लगा हो,

(घ) तिलहन उद्योग और वनस्पति तेल उद्योग के विकास की दृष्टि के उच्च कोटि के प्रजनकों हेतु बीजों, आधारी बीजों और प्रमाणीकृत बीजों के उत्पादन तथा पर्याप्त गुणवत्ता विकसित करने, तिलहन उत्पादकों के लिए आदानों की सप्लाई का प्रबंध करने, तिलहनों की खेती के उन्नत तरीकों और तिलहनों के परिसंस्करण के लिए आधुनिक टैक्नालाजी अपनाने के लिए क्षेत्र को विस्तार करने के लिए वित्तीय अथवा अन्य सहायता प्रदान करना अथवा उनके लिए सिफारिश करना,

(ङ) ऐसे उपायों की सिफारिश करना, जो लाभदायक कीमतें प्राप्त करने में तिलहन उत्पादकों की सहायता करने में व्यावहारिक हों, इसमें कृषि मूल्य आयोग के परामर्श से जब कभी आवश्यक हो, तिलहनों और तिलहनों तथा वनस्पति तेलों के उत्पादकों की न्यूनतम तथा अधिकतम कीमतों की सिफारिश करना भी शामिल है,

(च) तिलहनों, तिलहन व वनस्पति तेल के उत्पादों के संबंध में मूल्य स्थिति तथा बाजार दशा को स्थिर करने के लिए तिलहनों का संग्रहण, अधिग्रहण और बफर स्टाक बनाने के वास्ते सिफारिश करना तथा आवश्यक उपाय करना,

(छ) निम्नलिखित के लिए सिफारिश करना तथा यथा आवश्यक उपाय करना :

1. भंडारण सुविधाओं का संवर्धन और विकास,

2. तिलहनों के संबंध में परिसंस्करण यूनिटों की स्थापना और ऐसी वित्तीय या अन्य सहायता देना जो इन प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे जाएं,

3. तिलहनों के उत्पादन, परिसंस्करण और विपणन के बीच तालमेल प्राप्त करने की दृष्टि से तिलहन उत्पादन सहकारी समितियों और अन्य समुचित एजेंसियों को बढ़ावा देना,

(ज) तिलहनों और वनस्पति तेलों के विकास की एकीकृत नीति तथा कार्यक्रम के संदर्भ में तिलहनों या वनस्पति तेलों के उत्पादों के आयात, निर्यात या वितरण को विनियमित करने के उपायों की सिफारिश करना,

(झ) तिलहन उत्पादकों, तिलहन व्यापरियों, तिलहन तथा वनस्पति तेल के उत्पाद विनिर्माताओं और किसी भी अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं से जैसा आवश्यक हो तिलहन उद्योग या वनस्पति तेल उद्योग से संबंधित किसी भी मामले पर आंकड़े एकत्र करना तथा इस प्रकार एकत्र किए गए आंकड़ों या उससे भाग या उससे उद्धरणों को प्रकाशित करना,

(ञ) तिलहनों और उनके उत्पादों तथा वनस्पति तेलों के लिए ग्रेड मानक स्थापित करने तथा अपनाने की सिफारिश करना,

(ट) केन्द्रीय सरकार और उन राज्य सरकारों के परामर्श से जहां तिलहनों की पैदावार अधिक होती है, उपयुक्त स्कीमों का वित्त पोषण ताकि तिलहनों का उत्पादन बढ़ाया जा सके और उनकी कोटि तथा उपज सुधारी जा सके और तिलहन उत्पादकों तथा तिलहन उत्पाद तथा वनस्पति तेल विनिर्माताओं के प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार या अनुदान देने तथा तिलहन उत्पादों और वनस्पति तेलों के लिए विपणन सुविधाएं देने के वास्ते स्कीमें तैयार करना,

(ठ) तिलहनों और उनके उत्पादों तथा वनस्पति तेलों पर कृषि, तकनीकी, औद्योगिक या आर्थिक अनुसंधान में इस प्रकार से सहायता करना, बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, समन्वय करना और वित्त पोषण करना, जिसे बोर्ड उपलब्ध संस्थाओं का उपयोग करने के लिए उचित समझे ।

(ड) तिलहन उद्योग और वनस्पति तेल उद्योग के अनुसंधान तथा विकास पर प्रचार कार्य करना,

(ढ) बोर्ड के कार्यों के दक्ष निर्वहन के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में तिलहनों तथा उसके उत्पादों और वनस्पति तेलों के उत्पादन परिसंस्करण, ग्रेडिंग और विपणन के संवर्धन और विकास के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अन्य एजेंसियों की स्थापना करना,

(ण) बोर्ड के कृत्यों या यथा निर्धारित कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे गए कोई भी अन्य मामले।

(3) बोर्ड अपने कार्यों को इस धारा के अधीन ऐसे नियमों के अनुसार और अध्यधीन करेगा जैसाकि केन्द्रीय सरकार इस विषय पर बनाएगी।

जाली एजेंटों द्वारा विदेशों के लिए श्रमिकों की भर्ती

*11. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक जाली एजेंट विभिन्न प्रकार के झूठे वायदे करके विदेश भेजने के लिए श्रमिकों की भर्ती कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को 1 जनवरी, 1983 से 30 सितम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान दिल्ली, राजस्थान, बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और केरल से, श्रमिकों और धोखा खाये हुए ग्राहकों की ओर से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे एजेंटों और एजेन्सियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) सरकार को उन नकली भरती एजेंटों द्वारा पैदा की गयी समस्याओं की जानकारी है जो श्रम मंत्रालय के पास पंजीकरण के बिना अपना काम कर रहे हैं। उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 10 के उपबन्धों के अनुसार कोई भी भरती एजेंट श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र के बिना भरती कार्य नहीं करेगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और अधिनियम की धारा 24(1)(ख) के अधीन इसका उल्लंघन दण्डनीय है जिसके लिए दो वर्ष तक की सजा दी जा सकती है और 2,000 रु० तक का जुर्माना हो सकता है। नकली एजेंटों के विरुद्ध शिकायतें श्रम मंत्रालय और विभिन्न पुलिस प्राधिकरणों दोनों द्वारा प्राप्त की जाती हैं।

पहली जनवरी, 1983 से 30 सितम्बर, 1985 तक दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, उड़ीसा और गुजरात से धोखेबाजी के संबंध में 154 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन्हें जांच-पड़ताल के लिए संबंधित राज्य पुलिस प्राधिकरणों के पास भेजा गया।

गन्ने का उत्पाद बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन

*12. **श्री उत्तम रांव पाटिल** :
श्री अमर रायप्रधान :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा लोगों को आयातित चीनी खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दूरदर्शन और अन्य प्रचार माध्यमों के जरिये विज्ञापन दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे देश में चीनी उत्पादन के मामले में निरुत्साह पैदा हो रहा है;

(ग) क्या सरकार विशेषकर सहकारी क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए उचित/उपयुक्त प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है ताकि चीनी के उत्पादन में वृद्धि से देश की जरूरत आसानी से पूरी की जा सके और इसका आयात न करना पड़े; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हाँ। आयातित चीनी की किस्म के बारे में जन साधारण के दिमाग के गलतफहमी दूर करने और विभिन्न वितरण माध्यमों से इसकी उचित दामों पर उपलब्धता के बारे में उन्हें जानकारी देने के उद्देश्य से, दोनों दिल्ली प्रशासन और भारतीय खाद्य निगम दूरदर्शन और अन्य मीडिया से प्रचार कर रहे हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) जी, हां। सातवीं योजना के दौरान 2170 लाख मीटरी टन गन्ने का उत्पादन करने का लक्ष्य अपनाया गया है । गन्ने के लिए अधिक मूल्य देने के रूप में प्रोत्साहन देने के अलावा, भारत सरकार गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन सुलभ करने विषयक राज्य सरकारों के उपायों को समर्थन दे रही है । राज्यों की सहकारी समितियों ने गन्ना उत्पादकों को ऋण और आदान सुलभ करने की व्यवस्था की है । बहुत सारी राज्य सरकारें सिंचाई के लिए राजसहायता देने, चीनी फैक्ट्रियों के आरक्षित क्षेत्रों में लिंक-सड़कों की व्यवस्था करने, किसानों को प्रशिक्षण देने, कीटों और बीमारियों से बचाव करने आदि जैसे प्रोत्साहन और सहायता भी प्रदान कर रही हैं ।

कर्नाटक के लिए पृथक रेडियो और टी० वी० चैनल की मांग

***13. डा० वी० वेंकटेश** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने पृथक रेडियो और टी० वी० चैनल की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस मांग पर कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) यह उल्लेखनीय है कि मौजूदा छः रेडियो स्टेशन तथा उच्च शक्ति वाले दो दूरदर्शन ट्रांसमीटर और अल्प शक्ति वाले ग्यारह ट्रांसमीटर राज्य में संतोषजनक सेवा उपलब्ध कर रहे हैं ।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पर फिल्म

*14. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ फिल्म निर्माता नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पर एक चलचित्र बनाने हेतु धन और सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से बातचीत कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) जी, हां । इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध प्राप्त हुये हैं :—

(1) एक अनुरोध नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पर फिल्म बनाने हेतु वित्तीय सहायता के लिए जुलाई, 1983 में कलकत्ता की सुश्री मंजू डे से प्राप्त हुआ था । मंत्रालय द्वारा उन्हें सलाह दी गई थी कि वे ऋण के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को आवेदन करें जो उनके मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा । तथापि, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने सूचित किया है कि उन्हें इस संबंध में फिल्म के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(2) दूसरा अनुरोध नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जीवन पर फिल्म बनाने हेतु वित्तीय सहायता के लिए नवम्बर, 1985 में नई दिल्ली की एक फिल्म कम्पनी से प्राप्त हुआ है । अनुरोध की जांच की जा रही है ।

कैंसर पैदा करने वाली कीटनाशी दवाइयां

*15. **श्री सनत कुमार मण्डल** :
डा० गौरी शंकर राजहंस :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 अक्तूबर, 1983 के "इंडियन एक्सप्रेस", नई दिल्ली में "केन्सर-कार्जिंग पेस्टीसाइड्स आन मार्केट, शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या विषैली कीटनाशी दवाओं विशेष रूप से ई० डी० बी० क्लोर्डिमेफोर्म के इस्तेमाल तथा इस बारे में कि खाद्य और कृषि संगठन के अनुमान के अनुसार कीटनाशी दवाओं के जहर से प्रतिवर्ष औसतन 10,000 लोग मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, पर्याप्त जागरूकता है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी कैंसर पैदा करने वाली कीटनाशी दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगाने तथा इस संबंध में इनका इस्तेमाल करने वालों को उचित प्रशिक्षण देने के बारे में उनका क्या उपाय करने का विचार है; और

(घ) क्या इन अत्यधिक विषैली कीटनाशी दवाओं का विकल्प खोजने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई अनुसंधान किया गया है और यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार को कीटनाशी दवाओं के विषाक्त प्रभावों के बारे में पूरी जानकारी है। क्लोरडेमिफार्म और समाचार पत्र में उल्लिखित ई० पी० एन० मीरेक्स, एन्डरिन आदि जैसी कुछेक अन्य कीटनाशी दवाइयां भारत में अनुमोदित नहीं हैं। इस्तेमाल नहीं की जाती हैं। जहां तक ई० डी० बी० का संबंध है, कैंसर विशेषज्ञों तथा अन्यों ने 28 जुलाई, 1984 को विशेष तौर पर बुलाई गई पंजीकरण समिति की बैठक में इसके इस्तेमाल पर विचार-विमर्श किया था। विशेषज्ञों के विचारों/सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि ई० डी० बी० का प्रयोग सरकारी एजेंसियों और इनके अधीन कार्यरत आपरेटरों द्वारा केवल सीमित प्रयोजना के लिए किया जाना चाहिए ।

कीटनाशी दवाओं की विषाक्तता के कारण भारत में कोई मौत होने के बारे में खाद्य और कृषि संगठन के कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ग) कीटनाशी दवा अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति कीटनाशी दवाओं के भारत में प्रयोग के बारे में यथोचित कार्रवाई करने के लिए उनके विषाक्त प्रभावों पर विचार करती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हानिकारक कीटनाशी भी शामिल हैं। भारत सरकार ने ऐसी सभी कीटनाशी दवाओं की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति बनाई है, जिन पर अन्य देशों में रोक लगी है या जो प्रतिबंधित हैं, किन्तु भारत में इस्तेमाल की जा रही हैं ।

कीटनाशी दवाओं का उपयोग करने वालों की सुरक्षात्मक सावधानियां बरतने में सहायता देने के लिए कीटनाशी दवा के डिब्बे आदि के लेबलों पर तथा उनके साथ मिलने वाले पर्चों में आवश्यक जानकारी दी जाती है जो एक क्षेत्रीय भाषा सहित कम से कम तीन भाषाओं में होती है ।

इसके अलावा, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विस्तार कर्मचारी समय-समय पर किसानों के लाभ हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं ताकि कीटनाशी दवाओं का विवेकपूर्ण और सुरक्षित इस्तेमाल सुनिश्चित हो सके ।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति को अति विषाक्त कीटनाशी दवाओं के स्थान पर अपेक्षाकृत सुरक्षित दवाएं खोजने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इस समिति में अन्यों के साथ-साथ देश के विभिन्न संबंधित राष्ट्रीय संस्थानों के विशेषज्ञ भी शामिल हैं ।

बंधुआ मजदूरों के लिए जिलास्तर के पैनलों की स्थापना

*16. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 1 अक्तूबर, 1985 के "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित समाचार के

अनुसार बंधुआ मजदूरों के लिए जिला-स्तर के पैनलों की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार ने राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यरा क्या है और देश में ऐसे पैनल कब से काम करना शुरू कर देंगे ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) पुनर्वास योजनाओं की स्वीकृति के लिए प्रक्रिया को 17 सितम्बर, 1985 से सरल कर दिया गया है जिसके तहत राज्य सरकारों को अनुमति दी गई है कि वे जिला स्तर पर स्क्रीनिंग समितियों के गठित करके पुनर्वास योजनाओं को स्वीकृति के लिए शक्तियों को जिला कलैक्टरों/मण्डल आयुक्तों को प्रत्यायोजित करें। (उससे पहले, ऐसी शक्तियां राज्य सरकारों के पास थीं)। इस संबंध में राज्य सरकारों को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(i) राज्य सरकारों को यह छूट होगी कि जहां कहीं आवश्यक हो, वे बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए योजनाओं को स्वीकृत करने के लिए जिला स्तर पर स्क्रीनिंग समितियां गठित करें । इस समिति में राज्य में बंधुआ श्रमिकों के कार्यक्रम को लागू करने वाले विभाग से संबंधित जिला और/या मंडल स्तर के अधिकारी तथा कृषि, सिंचाई, सहकारिता, ग्रामीण विकास, पशु पालन विभागों और ऐसे अन्य विभागों के, जो उपयुक्त समझे जाएं, अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा । इस समिति में क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाय ।

(ii) सहायता के राज्य के हिस्से की बाबत राशि को राज्य सरकारों द्वारा बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लक्ष्य के आधार पर पहले से जिला कलैक्टरों/मण्डलीय आयुक्तों को सौंपा जाएगा ।

(iii) राज्य स्तर पर एक मानीटरिंग और पुनरीक्षा समिति गठित की जाएगी जिसकी बैठक हर तिमाही होगी ताकि बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास प्रगति को मानीटर किया जा सके और उपयुक्त सिफारिशें की जा सकें ।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे जिला स्तर पर स्क्रीनिंग समितियां गठित करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करें। आशा है कि ऐसी समितियां शीघ्र काम करना शुरू कर देंगी ।

[हिन्दी]

पीतमपुरा, दिल्ली में टी० वी० टावर की स्थापना

***17. श्री भरत सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन की प्रसारण क्षमता बढ़ाने के लिए पीतमपुरा, दिल्ली में एक टी० वी० टावर की स्थापना संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है ?

(ख) इसके परिणामस्वरूप दिल्ली का कितना अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दिल्ली दूरदर्शन के प्रसारण-क्षेत्र में आ जायेगा; और

(ग) निकट भविष्य में दूरदर्शन को और अधिक लोकप्रिय बनाने संबंधी कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) पीतमपुरा में प्रस्तावित टी० वी० टावर 235 मीटर ऊंचा होगा। इसके 1986 के उत्तरार्द्ध में मुकम्मल होने की संभावना है। इसके चालू हो जाने पर दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र की सेवा परिधि 110 किलोमीटर से बढ़कर 140 किलोमीटर हो जायेगी।

(ख) नये ट्रांसमीटर की परिधि के अन्तर्गत 82.70 लाख ग्रामीण जनसंख्या सहित 104.10 लाख अतिरिक्त जनसंख्या आयेगी।

(ग) कार्यक्रमों में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। "न्यूजलाइन", "सच की परिछाइयां" जैसे नये कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। जिन और कार्यक्रमों के शुरू होने की सभावना है उनमें विज्ञान, अंतरिक्ष पर धारावाहिक कार्यक्रम तथा वाल्ट डिस्ने कार्टून आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में "गैड-फ्लाई" द्वारा धान की फसल को पहुंचाई गई हानि

*18. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अध्ययन दल ने "गैड-फ्लाई" द्वारा धान की फसल को पहुंचाई गयी हानि का अनुमान लगाने के लिए महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र का हाल ही में दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। एक केन्द्रीय अध्ययन दल ने अक्तूबर, 1985 के दौरान महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र (जिला नागपुर) में "गैड-फ्लाई" को स्थानिकमारी वाले इलाके का दौरा किया। उस दल की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को उपचारिक और निवारक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

(ग) कुल मिलाकर, स्थानिकमारी वाले क्षेत्र में गैड-फ्लाई पर नियंत्रण पाने के लिए रासायनिक नियंत्रक उपाय अपनाए गए हैं, जैसाकि प्रश्न के भाग (क) के अन्तर्गत बताया गया है। तथापि, इस प्रकोप पर प्रभावी ढंग से काबू पाने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं।

(1) चावल की मौजूदा अति संवेदनशील किस्मों के स्थान पर उपयुक्त प्रतिरोधी और सहिष्णु किस्में अपनाई जाएं।

(2) प्रतिरोपण से पहले बीजों की जड़ों को डुबाने की उपचार विधि अपनायी जाए और

स्थानिकमारी वाले इलाकों में क्षेत्रीय-आधार पर दानेदार कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग किया जाए।

(3) संवर्धन और कृषि-वैज्ञानिक पद्धतियों को लोकप्रिय बनाना।

(4) सही समय पर नियंत्रक कार्य करने के लिए सुव्यवस्थित कीट प्रबोधन।

समेकित कीट नियंत्रण व्यवस्था में सुधार

*19. **श्री यशवंत राव गडाख पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित कीट नियंत्रण व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) ये उपाय कीट नियंत्रण के लिए कितने प्रभावी सिद्ध हुए हैं ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) सरकार ने समेकित कीट नियंत्रण व्यवस्था में सुधार के लिए फसल संरक्षण अनुसंधान तथा विस्तार को उच्च अग्रता प्रदान की है तथा इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

1. फसल की ऐसी किस्मों का संवर्धन तथा प्रचार-प्रसार करना, जो कीट तथा रोग सहिष्णु/प्रतिरोधी हो।

2. विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न फसलों के लिए उपयुक्त कृषि और और सस्य वैज्ञानिक पद्धतियां शुरू करना और उनका प्रचार करना।

3. कीट तथा रोग की स्थिति का प्रबोधन करना तथा पूर्व चेतावनी देना ताकि समय पर और जरूरत के आधार पर नियंत्रण के उपाय किए जा सकें।

4. जैविक नियंत्रण एजेंटों का संरक्षण तथा उन्हें बढ़ावा देना।

5. रासायनिक कीटनाशकों के जरूरत के आधार पर और विवेकपूर्ण इस्तेमाल का प्रचार-प्रसार करना।

6. समेकित कीट नियंत्रण नीति अपनाने के लिए किसानों के समक्ष प्रदर्शन करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।

(ख) विषाक्त कीटनाशी दवाइयों के इस्तेमाल को सीमित रखते हुए कीटों के नियंत्रण में ये उपाय कारगर सिद्ध हुए हैं। इसके अलावा, जैव-नियंत्रण उपायों से चावल, कपास और गन्ने के विभिन्न कीटों पर नियंत्रण करने में मदद मिली है जिससे रसायनों का इस्तेमाल काफी हद तक कम रह गया है।

आंध्र प्रदेश में नारियल उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य

*20. **श्री श्रीहरि राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि नारियल का लाभप्रद मूल्य निर्धारित न करने से इसका मूल्य अचानक 3,000 रुपये प्रति हजार नारियल से तेजी से घटकर लगभग 900 रुपए प्रति हजार नारियल रह गया है; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादकों को उनके उत्पाद का उचित लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) नारियल उत्पादनों के लिए सहायता की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जबकि नारियल के मूल्य अलाभकर स्तर तक घट जाता है। गत पांच वर्षों में किसी भी समय राजमुन्दरी में नारियल का मूल्य 3,000 रुपए प्रति हजार गरी तक पहुंचा हो, ऐसा प्रतीत नहीं हुआ है। अक्तूबर, 1985 में यह 1250 प्रति हजार गरी पहुंचा है। केरल राज्य सरकार अपनी सहकारी विपणन संघ के माध्यम से नारियल उत्पादकों का समर्थन करने के लिए विपणन में हस्तक्षेप करती है। आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए केरल की योजना का अध्ययन करने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

यमुना-पार क्षेत्र में नालियां बनाना और सड़कों का विकास

1. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना-पार के क्षेत्रों में लक्ष्मी नगर, शकरपुर में नालियां बनाने और सड़कों को समतल तथा विकसित करने का कार्य शुरु किया गया है;

(ख) क्या उक्त कार्य पूरा हो गया है और नालियों के निर्माण के कारण सड़कों और नालियों में पड़ी मिट्टी मलवे को हटा दिया गया है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने ढाल और पानी के बहाव का निरीक्षण किया है;

(घ) क्या वे अधिकारी काम और प्रयोग की गई सामग्री की किस्म और मात्रा से सन्तुष्ट हैं;

(ङ) क्या उन्होंने इस बात की जांच की है कि नालियां अभी से टूटनी शुरू हो गई हैं और पानी सड़कों पर बहने लगा है;

(च) क्या इस संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं और क्या यह पता लगाने के लिए कोई नमूने लिए गए हैं कि सही किस्म की और सही अनुपात में सीमेंट प्रयोग की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा शीघ्र ही इनके पूर्ण हो जाने की संभावना है। जहां कहीं निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, उस स्थल से मलवा हटा दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) नालियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है परन्तु उन्हें अभी परिधीय सेवाओं से जोड़ा जाना है। ज्यों ही यह पूरा हो जाएगा, ये सुचारू रूप से कार्य करने लगेंगे। बिजली के खंबों के

कारण कुछ रुकावटें हैं तथा इन खम्बों को बदलने का मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डेसू के साथ उठाया है।

(च) किसी भी विशेष क्षेत्र से निर्माण कार्य की कोटि के बारे में कोई विशेष शिकायतें नहीं हैं।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम को उदार बनाना

2. **श्री के० एस० राव** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यों को नीचे लाने और गृह निर्माण को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम को उदार बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 के संशोधनार्थ कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

छठी योजना के दौरान ग्रामीण परिवारों को मकानों के लिए जमीन दिया जाना

3. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान कितने ग्रामीण परिवारों को मकानों के लिए जमीन दी गई तथा उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे;

(ग) क्या यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 68 लाखों ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को आवास स्थल आबंटित करने का लक्ष्य था।

1984-85 के दौरान ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को आबंटित आवास स्थलों का विवरण राज्यवार संलग्न है।

(ग) और (घ) आवास राज्य का विषय होने के कारण आवास स्थल आबंटन योजना सहित सभी सामाजिक आवास योजनाये राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। केन्द्र सरकार इस योजना का केवल प्रबोधन करती है।

विवरण

वर्ष 1984-85 के दौरान ग्रामीण आवास स्थल आबटित किये गये
भूमिहीन परिवारों की राज्यवार संख्या

क्रम सं०	राज्य का नाम	आवास स्थल आबंटित किये गये व्यक्तियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	324567
2.	असम	36666
3.	बिहार	18392
4.	गुजरात	65118
5.	हरियाणा	9813
6.	हिमाचल प्रदेश	—
7.	जम्मू और कश्मीर	643
8.	कर्नाटक	78001
9.	केरल	9885
10.	मध्य प्रदेश	41545
11.	महाराष्ट्र	17144
12.	उड़ीसा	44608
13.	पंजाब	—
14.	राजस्थान	65514*
15.	तमिलनाडु	205108
16.	त्रिपुरा	6077*
17.	उत्तर प्रदेश	87302
18.	पश्चिम बंगाल	16358

*फरवरी, 1985 तक

यह योजना मणिपुर, मेघालय नागालैण्ड तथा सिक्किम में परिचालन में नहीं है।

[हिन्दी]

किसानों द्वारा उर्वरकों के उपयोग के बारे में राज्यों को मार्ग निदेश

4. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वैज्ञानिकों के विचारों के अनुसार किसानों को मिट्टी का परीक्षण करने

के बाद ही उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्यों को इस संबंध में कोई मार्गनिदेश जारी किये हैं कि संबंधित कर्मचारियों को गांवों में जाना चाहिये और प्रत्येक गांव में प्रत्येक खेत की मिट्टी का परीक्षण करने के बाद किसानों को सही सलाह देनी चाहिये; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मक ाना) : (क) और (ख) उर्वरक के लाभदायक और उत्पादनकारी उपयोग में मृदा परीक्षणों से यथा प्रकटित मृदा में कमियों के आधार पर और प्रस्तावित फसल को आवश्यकता के आधार पर भी उर्वरक की ठीक-ठीक मात्रा का वैज्ञानिक प्रयोग निहित है। फिर भी, प्रत्येक जिले में हजारों मृदा परीक्षणों के आधार पर भिन्न-भिन्न फसलों के लिए उर्वरक उपयोग के लिए सामान्य सिफारिशें तैयार की गई हैं। परन्तु सबसे अधिक अच्छे परिणाम तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब प्रत्येक खेत में मृदा परीक्षणों के आधार पर सिफारिश की जाए। राज्य सरकारों से इस प्रयोजन के लिए मृदा परीक्षण अभियान चलाने का अनुरोध किया गया है।

इस समय देश में लगभग 419 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का नेटवर्क है जो किसानों को उर्वरकों के दक्ष और संतुलित प्रयोग की सलाह देते हैं। मृदा परीक्षण के बाद उर्वरकों के प्रयोग सहित फसल उत्पादन तकनीकों के बारे में ग्राम विस्तार कार्यकर्ता और कृषि विस्तार अधिकारी देश में किसानों को संदेश पहुंचाते हैं। भारत सरकार ने पहले ही राज्य सरकारों से अतिरिक्त मृदा परीक्षण प्रयोगशाएं स्थापित करने का अनुरोध किया है ताकि मृदा परीक्षण कार्यक्रम से अधिक से अधिक किसान लाभ उठा सकें।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

वनस्पति उद्योग सम्बन्धी नीति पर पुनर्विचार

5. **श्री आर० एम० भोये :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति उद्योग सम्बन्धी सरकार की नीति पर पुनर्विचार करने के लिये प्रधान मंत्री को कोई ज्ञापन दिया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान नीति किसी के लिए भी लाभदायक सिद्ध नहीं है और सरकार को रियायती दामों में भारी मात्रा में आयातित तेल सप्लाई करने के कारण भा ी घाटा हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। वनस्पति उद्योग को आयातित खाद्य तेलों का आबंटन करने से सीधी खपत

के लिए उपयोग में लाए जाने वाले देशी खाद्य तेलों के मूल्यों तथा उनकी उपलब्धता पर दबाव कम करने में सहायता मिली है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में धान की वसूली

6. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष बिहार राज्य में खरीफ की फसल अच्छी होने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने धान की वसूली के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बिहार में मौजूदा प्रबंधों के अनुसार धान की खरीद के लिए मूल्य समर्थन सम्बन्धी कार्य राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा किए जा रहे हैं।

दूरदर्शन पर धारावाहिक कार्यक्रमों के आरम्भ और अन्त में दिखाए जाने वाले मोन्ताज

7. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने अपने नेटवर्क में धारावाहिक कार्यक्रमों के वास्तविक प्रसारण के काफी कम हो जाने पर आपत्ति की है;

(ख) क्या धारावाहिक कार्यक्रम के आरम्भ में और अन्त में दिखाये जाने वाले मोन्ताज बहुत लम्बे होते हैं जिससे कार्यक्रम की अवधि कम हो जाती है तथा दर्शकों में रोष पैदा होता है;

(ग) क्या विज्ञापन दाता एजेंसियां और निर्माता संगीत दृश्य के आरम्भ में और अन्त में मोन्ताज को अधिक समय देते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (घ) कुछ मामलों में दूरदर्शन ने यह नोट किया था कि बाहर के निर्माताओं द्वारा निर्मित धारावाहिक कार्यक्रमों के आरम्भिक मोन्ताज काफी लम्बे होते थे और कार्यक्रमों में उनका कोई योगदान भी नहीं होता था। इन मोन्ताजों में कोई विज्ञापन नहीं होता था। धारावाहिक कार्यक्रम की अवधि भी कम नहीं हुई जो विज्ञापनों सहित 25 मिनट की रही।

चूंकि लम्बे मोन्ताजों से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता था, इसलिए संबंधित निर्माताओं और निर्देशकों को यह सुझाव दिया गया था कि लम्बाई जरूरी आवश्यकताओं तक ही

सीमित रखी जाए। उन्होंने इसका अनुपालन करना शुरू कर दिया है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में चीनी जारी करना

8. **श्री जैनुल बशर** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी दी है कि राज्य में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी चीनी जारी करने के लिये राज्य की एजेंसियों से अतिरिक्त तथा अवैध धन मांग रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले सूचित किया था कि भारतीय खाद्य निगम का स्टाफ राज्य सरकार के नामितों को आयातित चीनी आवंटित करने और सुपुर्दगियां देने के लिए प्रीमियम की मांग कर रहा है।

इस मामले में की गई कार्यवाही इस प्रकार है :—

(1) भारतीय खाद्य निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी को विस्तृत जांच-पड़ताल करने और उत्तर प्रदेश सरकार के नामितों को आयातित चीनी की सुपुर्दगियां करने के कार्य को सरल बनाने के लिए भी लखनऊ भेजा गया था।

(2) भारतीय खाद्य निगम के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा भी मुख्यालय से संवेदनशील स्थानों पर स्कवाड भेज कर अचानक छापे मारे जा रहे हैं।

(3) राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों को सलाह दी गई है कि वे विभागीय लेबर को कोई अतिरिक्त धनराशि न दें और यदि वे अतिरिक्त धनराशि की मांग करते हैं तो इस मामले की सूचना उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के जिला प्रबन्धक अथवा वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक को सीधे भेजी जानी चाहिए।

(4) दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए लखनऊ में तैनात केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश से संयुक्त छापे मारने के लिए अनुरोध किया गया था।

(5) डिपो स्टाफ और लेबर द्वारा धनराशि की मांग करने सम्बन्धी आरोपों को कम करने की दृष्टि से, राज्य सरकार के नामितों को उनके पक्ष में रेलवे रसीद पृष्ठांकित करके रेल हैड्स से आयातित चीनी की सीधी सुपुर्दगी की जा रही है।

(6) राज्य स्तर पर, राज्य सरकार के अधिकारियों की सलाह से सुपुर्दगियों का कार्य-क्रम/अनुसूची तैयार की जा रही है ताकि व्यापारियों और राज्य की एजेंसियों को एक ही समय पर सुपुर्दगियां करने की घटनाओं को रोका जा सके।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरों को रियायती दरों पर खाद्यान्नों का वितरण

9. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजनाओं के अन्तर्गत मजदूरों को रियायती दरों पर कुछ अतिरिक्त अनाज का विवरण करने की घोषणा की गई है; और

(ख) वितरण के लिये अब तक अपनाये गये मापदंडों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कर रहे मजदूरों को वितरित किए जाने के लिए इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत हाल ही में एक मिलियन टन अतिरिक्त गेहूं आबंटित किया गया है।

(ख) इस अतिरिक्त गेहूं का आबंटन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निधियों के वितरण हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया गया है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में 75 प्रतिशत बल खेतिहर मजदूरों और सीमान्त कृषकों की संख्या पर तथा 25 प्रतिशत बल निर्धनता के प्रभाव पर दिया जाता है। गेहूं के इस अतिरिक्त संसाधन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को गेहूं के रूप में किसी बराबर के अंश की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। अतिरिक्त गेहूं लेने वाले राज्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी की कम से कम 40 प्रतिशत मजदूरी गेहूं के रूप में अनिवार्य रूप से वितरित करनी होगी।

[हिन्दी]

धान और मक्का में पाइरिला की बीमारी

10. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** :
श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा देश के अन्य भागों में पाइरिला की बीमारी गन्ने के अतिरिक्त धान तथा मक्का की फसल को भी प्रभावित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में पाइरिला से अब तक क्षतिग्रस्त फसलों की मूल्य क्या है और प्रभावित जिलों के नाम क्या हैं;

(ग) इस बीमारी पर नियंत्रण करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं; और

(घ) यदि कोई उपाय नहीं किये गये हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं। उत्तर प्रदेश हरियाणा तथा देश के अन्य भागों में सभी फसलों पर पाइरिला कीट नियन्त्रण में है।

(ख) और (ग) सरकार ने जुलाई, 1985 से आगे पाइरिला कीट की स्थिति की निरन्तर समीक्षा की है और राज्यों को उपयुक्त नियन्त्रण नीति की सलाह दी है। सम्बन्धित राज्य एजेंसियों द्वारा तदनुसार उपाय किए गए। फसलों को कृमि से होने वाली क्षति से बचाया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में अभाव की स्थिति से निपटने के लिए खाद्यान्न का आबंटन

11\. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में अभाव की स्थिति से निपटने के लिये केन्द्र द्वारा कितना खाद्यान्न आवंटित किया गया है;

(ख) क्या इस तरह सप्लाई किये जाने वाले खाद्यान्नों का मूल्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किये जाने वाले खाद्यान्नों के मूल्य के बराबर है; और

(ग) क्या सरकार रियायती दरों पर खाद्यान्नों की सप्लाई करने का विचार करेगी क्योंकि यह उन गरीब लोगों को दिया जाता है जिनके पास जीवन-निर्वाह के लिए कोई अन्य साधन नहीं हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) अभाव से राहत देने के लिए खाद्यान्नों की अतिरिक्त निर्मुक्त करने हेतु महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

सातवीं योजना के दौरान रोजगार समस्या हल करना

12\. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं योजना अवधि में देश में रोजगारी की समस्या को हल करने पर अधिक जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये क्या कार्यक्रम अपनाया जा रहा है;

(ग) सातवीं योजना के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के मसौदा दस्तावेज के अनुसार, उत्पादी रोजगार का सृजन करना सातवीं योजना की विकास संबंधी नीति का केन्द्रीय तत्व है।

(ख) से (घ) क्षेत्रीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त, समाज के कमजोर वर्गों को स्व-रोजगार

तथा मजदूरी सहित रोजगार देने के उद्देश्य से गरीबी कम करने संबंधी एक-मुश्त कार्यक्रम सातवीं योजना के दौरान महत्वपूर्ण पैमाने पर जारी रखा जाएगा। आशा है कि सातवीं योजना के दौरान लगभग 403.6 लाख मानक व्यक्ति वर्षों के बराबर अतिरिक्त रोजगार सृजित किया जाएगा जिससे 3.99% प्रति वर्ष की वृद्धि दर प्राप्त हो सकेगी। योजना अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०) से 90.4 लाख मानक व्यक्ति वर्षों का रोजगार सृजित होगा।

केरल में आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

13. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में निकट भविष्य में आकाशवाणी के कितने केन्द्र तथा कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे;

(ख) केरल में कन्नौर में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना के निर्णय को कब क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ग) क्या कन्नौर में स्थापित किया जाने वाला आकाशवाणी केन्द्र केरल में इस समय स्थापित किसी भी केन्द्र से अधिक शक्तिशाली होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में केरल राज्य में कन्नौर, इडुक्की और कोचीन में से प्रत्येक में 2×3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटरों से युक्त तीन एफ० एम० रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये स्टेशन प्रेषण की फ्रीक्वेंसी मोडुलेटिड प्रणाली के होंगे। भिन्न प्रौद्योगिकी के कारण इनसे सेवा क्षेत्र में हस्तक्षेप मुक्त और संकुचन मुक्त कवरेज उपलब्ध करने की अपेक्षा की है।

इसके अलावा, त्रिवेन्द्रम में 50 किलोवाट शार्टवेव का एक ट्रांसमीटर स्थापित करने तथा त्रिचूर के 20 किलोवाट मीडियम वेव के ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 100 किलोवाट मीडियम वेव करने का भी प्रस्ताव है।

कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्यों का निर्धारण

14. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को वर्ष 1984-85 के लिये धान, अनाज, गन्ना, कपास, मूंगफली तथा अन्य कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य निर्धारित करने के बारे में अपना सुझाव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उन सुझावों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इन फसलों के कम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 1984-85 मौसम के लिए धान, खरीफ मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा और मक्का) और खरीफ दलहन (मूंग, उड़द और लाल चना) मूंगफली, कपास और गन्ने के संबंध में अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्य सुझाए थे।

(ख) जी, हां।

(ग) समर्थन मूल्य, कई तत्वों को ध्यान में रखते हुए कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। आयोग की सिफारिशों में केवल जिन्स के उत्पादन को लागत को ही ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि मूल्यों का रुझान, मांग और आपूर्ति की स्थिति, और औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर और जीवन यापन संबंधी लागत पर प्रभाव जैसे तत्वों तथा विभिन्न राज्य सरकारों के विचारों को ध्यान में रखा जाता है।

भारतीय खाद्य निगम में जोनल प्रणाली का पुनर्गठन

15. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम अपनी जोनल-प्रणाली का पुनर्गठन करने और एक नया मध्य जोन बनाने पर विचार कर रहा है; यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या अनेक वर्षों से सात राज्यों अर्थात् असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैण्ड, मणिपुर आदि के लिए एक अलग पूर्वोत्तर सीमा जोन बनाने की भी मांग की जाती रही है; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) भारतीय खाद्य निगम की जोनल प्रणाली का पुनर्संगठन करने विषयक कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किए गए हैं।

(ख) यदि ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया जाता है तो एक अलग उत्तर-पूर्वी सीमा जोन बनाने की मांग को ध्यान में रखा जाएगा।

प्रत्येक उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड का गठन

16. श्री रेणुपद दास : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिन्न-भिन्न राज्यों में समान उद्योगों में दी जाने वाली मंजूरी में व्यापक असमानताओं को देखते हुए सरकार ने प्रत्येक उद्योग के लिए कानूनी आधार पर मजूरी बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का कब तक ऐसे बोर्डों की स्थापना करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अनुसार दो मजदूरी बोर्ड—एक श्रमजीवी पत्रकारों के लिए और दूसरा पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए गठित किए हैं। चीनी उद्योग के लिए एक गैर-सांविधिक मजदूरी बोर्ड भी अभी हाल ही में गठित किया गया है। मजदूरी बोर्डों को सांविधिक समर्थन देने के प्रश्न की पहले जांच की गई लेकिन इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया। हाल ही में मई, 1985 में आयोजित श्रम मन्त्री सम्मेलन के 35वें अधिवेशन द्वारा गठित राज्य श्रम मन्त्रियों के दल ने इस आशय की सिफारिश की है कि विभिन्न उद्योगों के लिए, जब कभी आवश्यक हो, सांविधिक मजदूरी बोर्ड गठित कर सकने के लिए उपयुक्त विधान पेश करने के प्रश्न की जांच की जाए।

दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र, नीमपुरा का कार्यनिष्पादन

17. **श्री नारायण चौबे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि नीमपुरा, खड़कपुर, पश्चिम बंगाल स्थित दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र में प्राय: खराबी आ जाती है जिसकी वजह से दूरदर्शन चैनल पूरी तरह खराब हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे ठीक करने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है;

(ग) विशेष रूप से दूरदर्शन केन्द्र का प्रसारण क्षेत्र कितना है;

(घ) क्या उक्त प्रसारण केन्द्र 70 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले मिदनापुर जैसे बड़े जिले के लिए अपर्याप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उक्त दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र को अधिक शक्तिशाली बनाया जायेगा; यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) बिजली बार-बार चले जाने के कारण दूरदर्शन रिले केन्द्र, खड़कपुर के प्रेषण में रुकावटें आती हैं। इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र को एक डीजल जनरेटर दिया गया है। फिर भी बिजली चले जाने पर हर बार 1-2 मिनट की रुकावट अपरिहार्य है, क्योंकि डीजल जनरेटर को चलाने के लिए कुछ समय आवश्यक है।

(ग) दूरदर्शन रिले केन्द्र, खड़कपुर लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सेवा प्रदान करता है।

(घ) और (ङ) खड़गपुर में कार्यरत अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के अलावा, मिदनापुर जिले के कुछ भाग कलकत्ता और आसनसोल के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के सेवा क्षेत्र के अन्दर आते हैं। खड़गपुर में उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, किन्तु सातवीं योजना अवधि के दौरान मिदनापुर में अल्प शक्ति वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर अलग से स्थापित करने की परिकल्पना है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के मूल्य घटाने के लिए सुझाव

18. श्री टी० बालगौड़ : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्नों के मूल्यों की व्यावहारिक स्तर तक कम करने के लिए सरकार को कुछ उपायों का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) भारतीय खाद्य निगम से ऐसे कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कृषि शिक्षा

19. श्री मुरलीधर माने : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि शिक्षा को और अधिक सार्थक बनाने के लिए कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो कृषि विश्वविद्यालयों में विद्यमान पाठ्यक्रमों तथा अनुसंधान कार्यों में क्या विशिष्ट परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों तथा कृषि विश्वविद्यालयों को क्या दिशा निर्देश भेजे गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) देश के राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा को कृषि के विभिन्न शाखाओं में व्यावसायिक डिग्री कार्यक्रम के रूप में संगठित किया गया है। कृषि विकास की जरूरतों के अनुसार उसमें आवश्यक परिवर्तन करने के लिए समय-समय पर इन डिग्री कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1978 में राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के शैक्षिक कार्यों की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न डिग्री कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम की समीक्षा और उसमें परिवर्तन करने के लिए एक डिन्स कमिटी का गठन किया गया था। इस समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है और राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों को उनके विचारार्थ एवं कार्यान्वयन के लिए उसे (रिपोर्ट को) भेज दिया गया है।

इस डिन्स कमिटी की सिफारिशों की मुख्य बातें यह हैं—मूल विज्ञान और मानविकी में आवश्यक पाठ्यक्रम को शामिल करना, संबंधित विषयों में एक ठोस प्रमुख कार्यक्रम और विभिन्न विशेषीकृत क्षेत्रों में कार्य करने के लिए छात्रों को तैयार करने हेतु अनेक चुनींदे पाठ्यक्रमों को उसमें शामिल करना। शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत पर्याप्त व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था की गई है।

फसल बीमा योजना की उपलब्धि

20. **श्री आई० रामाराव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसल बीमा योजना के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) सरकार ने फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा उपलब्ध कराने के लिए किन-किन राज्यों को चुना है; और

(ग) क्या कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट विशेषकर हाल ही में नारियल के मूल्यों में आई गिरावट के लिए बीमा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) बृहत फसल बीमा योजना, जिसे खरीफ, 1985 मौसम से देश में क्रियान्वित किया जा रहा है, को अभी तक 12 राज्यों और 3 संघ क्षेत्रों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, दमन एवं दीव और पाण्डिचेरी संघ शासित प्रदेशों द्वारा अपनाया गया है। राजस्थान और जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकारों ने इस योजना को रबी, 1985 मौसम से क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है।

भारतीय सामान्य बीमा निगम, जो सह बीमाकर्ता के रूप में राज्य सरकारों के सहयोग से इस योजना को क्रियान्वित कर रहा है, को खरीफ मौसम के संबंध में 12 राज्य सरकारों से बीमा की गई धनराशि के रूप में 200 करोड़ रुपये की धनराशि के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तथापि, अन्तिम स्थिति का पता 30 नवम्बर, 1985 के पश्चात् ही लगेगा, जो खरीफ मौसम को समाप्ति की अन्तिम तिथि है।

(ग) जी नहीं।

दूरदर्शन धारावाहिक कार्यक्रम

21. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय बहुत अधिक दूरदर्शन धारावाहिक कार्यक्रम हैं; यदि हां, तो कितने धारावाहिक कार्यक्रम स्वीकृत कर लिए गए हैं और कितने विचाराधीन हैं;

(ख) उन धारावाहिक कार्यक्रमों के नाम क्या हैं जिनकी अवधि बढ़ाई जा रही है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि कार्यक्रम निर्माता बेहतर किस्म के और सामाजिक विषय के कार्यक्रम सुनिश्चित करें;

(घ) इन धारावाहिक कार्यक्रमों को दूरदर्शन नेट वर्क पर दिखाये जाने से पहले इन कार्यक्रमों को अनुमोदित करने का दायित्व किस अधिकारी पर है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान दूरदर्शन को इन धारावाहिक कार्यक्रमों से कितनी धनराशि प्राप्त होने की आशा है और प्रमुख विज्ञापनदाता प्रायोजक एजेन्सियों के नाम क्या हैं और उन्होंने कितनी धनराशि का भुगतान किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) प्रायोजित धारावाहिक कार्यक्रमों के लिए दूरदर्शन को अब तक प्राप्त कुल 639 प्रस्तावों में से 69 स्वीकार किए गए हैं, 340 अस्वीकार किए गए हैं और 230 पर अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

(ख) जो धारावाहिक कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं, उनमें से "यह जो है जिन्दगी", "एक कहानी" और "दर्पण" का समय 13 और कड़ियों के लिए बढ़ाया गया है।

(ग) धारावाहिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखी जाती है। प्रिव्यू के लिए दूरदर्शन कार्यक्रमों/धारावाहिक कार्यक्रमों की डिब्बाबन्द न्यूनतम चार कड़ियां प्रायोजकों से प्राप्त की जाती हैं और दूरदर्शन पर उन्हें दिखाने से पूर्व शोधक कार्रवाई की जाती है।

(घ) दूरदर्शन धारावाहिक कार्यक्रमों के चयन और स्वीकृत करने के लिए दूरदर्शन अन्तिम प्राधिकारी है।

(ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

चालू वर्ष के दौरान दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किए जाने वाले विभिन्न धारावाहिक कार्यक्रमों की प्रायोजकता से प्राप्त होने वाली अनुमानित धनराशि लगभग 4 करोड़ रुपए होगी। प्रमुख विज्ञापनदाता/प्रायोजक इस प्रकार हैं

(लाख रुपयों में)

1	2	3
1.	कोलगेट पामोलिव इंडिया लि०	34.15
2.	फूड स्पेशियलिटीज लि०	38.85
3.	हिन्दुस्तान लीवर	23.10
4.	खेतान फेन	7.70
5.	वीको लेबोरेटरी	25.55
6.	पार्ले एक्सपोर्ट्स	8.40
7.	मे० प्राइमा मार्केटिंग	4.90
8.	गुजरात को-आपरेटिव्ज	25.55
9.	टाटा आयल मिल्स	17.85
10.	रिचर्डसन हिन्दुस्तान लि०	7.50
11.	पोन्ड्स	7.65
12.	डाबर	5.90

1	2	3
13.	गोदरेज	30.75
14.	मयूर पान	9.10
15.	ज्योफरी मैनर्स	19.25
16.	केडबरी (प्रा०) लिमिटेड	16.80
17.	वी० आई० पी० चैम्पियन	1.05
18.	रैलियन्स टेक्सटाइल	7.70
19.	बम्बई आयल मिल्स	15.40
20.	बजाज	18.55
21.	अन्य	74.30
	योग	400.00

चीनी उठाने के लिए राजस्थान द्वारा मांगी गई अग्रिम राशि

22. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ को भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य को आबंटित की गई 16,000 टन चीनी उठाने में समर्थ बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार से 6 करोड़ रुपये की ब्याज मुक्त अर्थोपाय अग्रिम राशि मांगी है क्योंकि संघ के पास भारतीय खाद्य निगम को भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है जो अग्रिम भुगतान पर जोर देता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि राजस्थान एक सीधा अलाटी राज्य है, इसलिए राज्य सरकार से फैक्ट्रियों अथवा भारतीय खाद्य निगम से लेवी चीनी के कोटे उठाने के लिए धनराशि की स्वयं व्यवस्था करने की अपेक्षा की जाती है। राज्य सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

दिल्ली में गैर-सरकारी मकान

23. **श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गैर-सरकारी आवासीय इकाइयों के रूप में लगभग पांच लाख मकान हैं;

(ख) क्या ये मकान अत्यन्त अव्यवस्थित और बुनियादी सुविधाओं से रहित हैं तथा इससे पर्यावरण और सफाई-प्रबन्ध संबंधी भारी समस्यायें पैदा हो गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार के रिहायशी तथा वाणिज्यिक सम्पत्तियों की संख्या लगभग 4.5 लाख बताई जाती है। नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र की सम्पत्तियों को जोड़कर यह संख्या लगभग 5 लाख होने की संभावना है।

(ख) तथा (ग) ये मकान आयोजना, सेवाओं की उपलब्धता तथा विकास की योजनाओं के आधार पर कालोनियों की निम्नलिखित किस्मों में विभाजित किए जा सकते हैं :

(1) **अनुमोदित कालोनियां** : इन कालोनियों की उचित रूप से आयोजना की गई है तथा उनमें मानकों के अनुसार सेवाएं मुहैया कराई जा चुकी हैं उनमें स्वच्छता आदि के प्रबन्ध विद्यमान हैं।

(2) **अनधिकृत कालोनियां** : दिल्ली में लगभग 600 अनधिकृत कालोनियां हैं जो अव्यवस्थित ढंग से स्थापित की गई थीं। इन कालोनियों में सेवाओं की कमी है। सरकारी आदेशों के अनुसार, अनधिकृत कालोनियों जिनमें क्रमशः 30-6-77 तथा 16-2-77 तक बनी रिहायशी तथा वाणिज्यिक संरचनाएं शामिल हैं, को विन्यास नक्शों में दुरुस्त करने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम नियमित कर रहे हैं तथा उनमें स्थान की उपलब्धता, अधसंरचना तथा लाभभोगियों द्वारा विकास प्रभारों के भुगतान की शर्त पर सेवाएं भी मुहैया की/सुधारी जा रही है।

निर्धारित तिथि के बाद स्थापित की गई अनधिकृत कालोनियां नियमितीकरण के योग्य नहीं हैं तथा उनमें कोई सुधार नहीं किया जा रहा है।

(3) **पुनर्वास कालोनियां** : दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में हटाए गए झुग्गी झोपड़ी निवासियों को इन कालोनियों में पुनर्वासित किया गया है जिनमें सामुदायिक स्तर पर शौचालय, पानी के नलके आदि जैसी सेवाएं प्रारम्भ में मुहैया की गई थीं। पानी तथा सीवरों के लिए पृथक प्रथम कनेक्शन स्वीकृत करने के लिए पानी तथा सीवर लाइनों, सड़कों के सुधार, नालियों, उपरी तथा भूमिगत टैंकों आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाओं के प्रावधान हेतु सरकार ने एक योजना स्वीकृत की है।

(4) **ग्राम** : ये पुरानी ग्राम आबादियां हैं जिनमें ग्रामों जैसी प्रारम्भिक सुविधाएं विद्यमान हैं। इस मंत्रालय ने नगरीय ग्रामों में जलपूर्ति, मलनिर्यास, पर्यावरणीय स्वच्छता आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान की एक योजना स्वीकृत की है।

(5) **अधिसूचित मलिन बस्ती क्षेत्र** : उनमें स्वच्छता के लिए सेवाएं तथा प्रबन्ध मुहैया किये जाते हैं तथा मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार के अन्तर्गत उनमें सुधार किया जा रहा है।

राज्यों में भविष्य निधि की वसूली की जाने वाली पड़ी बकाया राशि

24. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**
श्री पी० मानिक रेड्डी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों

में भविष्य निधि की भारी राशि की वसूली की जानी बाकी है;

(ख) यदि हां, यो उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिन पर 31 अक्तूबर, 1985 तक दस लाख रुपये से अधिक की राशि बकाया पड़ी है;

(ग) क्या अदायगी न करने वाले इन उद्योगों से भविष्य निधि की राशि की वसूली करने हेतु अब तक कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां।

(ख) 31-10-1985 की स्थिति के अनुसार, सूचना सहज उपलब्ध नहीं है। तथापि 31-3-1985 की स्थिति के अनुसार, उन छूटप्राप्त और छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के नाम संलग्न विवरणों (1 और 2) में दिए गए हैं जिन्होंने दस लाख या इससे अधिक बकाया राशि का भुगतान करना है।

(ग) और (घ) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अनुसार, भविष्य निधि प्राधिकारी बकाया राशि को वसूल करने के लिए सभी दोषी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आवश्यक वैध और दांडिक कार्यवाही कर रहे हैं।

विवरण-1

31 मार्च, 1985 की स्थिति के अनुसार, 10 लाख या इससे अधिक राशि के भविष्य निधि अंशदानों को उनसे संबंधित न्यासी बोर्डों को स्थानान्तरित करने में दोषी छूट-प्राप्त प्रतिष्ठानों के ब्यौरे

क्रमांक	प्रतिष्ठान का नाम	स्थानान्तरित न की गई राशि (रु० लाखों में)
1	2	3
	बिहार	
1.	मैसर्स बिहार स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड, पटना	144.40
2.	मैसर्स रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड	109.10
3.	मैसर्स बिहार फायरब्रिक्स एण्ड पोटरीज लि०	37.65
4.	मैसर्स सोम वैली पोर्टलैंड सीमेंट फैक्टरी	28.54
5.	मैसर्स पर्श्वा प्रोपर्टीज एण्ड माइनिंग कं० लि०	12.82
6.	मैसर्स मोतीपुर शुगर फैक्टरी एण्ड केन फार्म	32.82
7.	मैसर्स बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट	124.60

1	2	3
8.	मैसर्स हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची	78.10
9.	मैसर्स एस० के० जी० शुगर कारपोरेशन	18.63
	गुजरात	
1.	मैसर्स गायकवाड मिल्स लि०	39.07
	कर्नाटक	
1.	मैसर्स सोलर जंग शुगर मिल	13.52
	केरल	
1.	मैसर्स ट्रावनकोर रेयन्स लि०	49.85
2.	मैसर्स केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन	52.65
	मध्य प्रदेश	
1.	मैसर्स हुक्म चन्द मिल्स लि०	23.21
	महाराष्ट्र	
1.	मैसर्स दी खंदेश स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, स्टेशन रोड, जलगांव	15.76
2.	मैसर्स श्रीनिवास कॉटन मिल्स लि०, बम्बई	13.36
3.	मैसर्स मॉडल मिल्स लि०, अमरोद रोड, नागपुर	10.47
4.	मैसर्स वैस्टर्न इंडिया स्पीनिंग एण्ड वीविंग कं० लि०, कालाचौकी	20.73
5.	मैसर्स फिनले मिल्स लि०, बम्बई	24.58
6.	मैसर्स गोल्ड मोहर मिल्स लि०, बम्बई	21.99
7.	मैसर्स नेशनल रेयन कारपोरेशन लि०	20.65
	उत्तर प्रदेश	
1.	मैसर्स मोदी स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड	49.18
	पश्चिम बंगाल	
1.	मैसर्स केविल्न जूट कं० लि०	315.50
2.	मैसर्स खारडाह कं० लि०	33.32
3.	मैसर्स मन्ना मिल्स लि०	247.73
4.	मैसर्स श्री अम्बिका जूट कं० लि०	184.00
5.	मैसर्स एंग्ल इंडिया जूट मिल्स लि०	19.51
6.	मैसर्स डलहौजी जूट कं० लि०	75.25

1	2	3
7.	मैसर्स ईस्टर्न मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०	85.18
8.	मैसर्स नार्थ ब्रुक जूट मिल्स लि०	115.02
9.	मैसर्स एम्पलायर जूट कं० लि०	201.77
10.	मैसर्स गौरी शंकर जूट मिल्स लि०	76.00
11.	मैसर्स बर्ड जूट एण्ड एक्सपोर्ट लि०	12.67
12.	मैसर्स इंडिया हार्ड मैटल्स लि०	19.15
13.	मैसर्स बर्न एण्ड कं० लि०	78.00
14.	मैसर्स इंडियन स्टैंडर्ड वैगन लि०	30.75
15.	मैसर्स बंगाल पोटरीज लिमिटेड	48.19
16.	मैसर्स मोहिनी मिल्स लि०	86.22
17.	मैसर्स इंडिया पेपर पल्प कं० लि०	77.34
18.	मैसर्स अमृत बाजार पत्रिका लि०	20.88
19.	मैसर्स श्री हनुमान जूट मिल्स लि०	82.00
20.	मैसर्स बेनी लि०	19.14
21.	मैसर्स वर्ड एण्ड कं० लि० प्रोसेस इंजीनियरिंग डिवीजन	11.11
22.	मैसर्स हुगली डॉकिंग इंजीनियरिंग कं० लि०	53.31
23.	मैसर्स रामनुगारकस केन एण्ड शुगर कं० लि०	27.70
24.	मैसर्स एल्यूमिनियम मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०	19.15
25.	मैसर्स वी० वी० जे० कंसट्रक्शन कं० लि०	24.71
26.	मैसर्स गौरीपुर कं० लि०	290.00
27.	मैसर्स बज जूट कम्पनी लि०	87.15
28.	मैसर्स बारानगर जूट मिल्स लि०	150.00
29.	मैसर्स हावड़ा मिल्स लि०	159.78
30.	मैसर्स कल्याणी स्पीनिंग मिल्स लि०	112.00
31.	मैसर्स नफ्फार चन्द्र जूट मिल्स	27.99
32.	मैसर्स कनखोरा कं० लि०	120.00
33.	मैसर्स नैहाती जूट कं० लि०	59.52
34.	मैसर्स न्यू सेंट्रल जूट मिल्स	473.07

1	2	3
35.	मैसर्स अगरपारा कम्पनी	24.67
36.	मैसर्स टीटागढ़ जूट मिल्स लि०	273.83
37.	मैसर्स विक्टोरिया जूट कं० लि०	89.80
38.	मैसर्स दी अंग्स कं० लि०	210.80
39.	मैसर्स श्यामनगर जूट पोटरी कं० लि०	261.50
40.	मैसर्स नुद्दन मिल्स लि०	280.00
41.	मैसर्स गमीव मैन्यूफैक्चरिंग लि०	36.00
42.	मैसर्स माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०	273.89
43.	मैसर्स डैल्टा जूट एण्ड इंडस्ट्रीज लि०	91.67
44.	मैसर्स मैलडोनियन जूट मिल्स लि०	47.20
45.	मैसर्स विलिंगटन जूट मिल्स लि०	83.27
46.	मैसर्स नेशनल रबड कं० लि०	12.64
47.	मैसर्स इंडिया जूट कं० लि०	91.45
48.	मैसर्स दुंबार मिल्स लिमिटेड	29.76

विवरण-2

31 मार्च, 1985 की स्थिति के अनुसार, भविष्य निधि की 10 लाख और इससे अधिक बकाया राशि के लिए छूट-न-प्राप्त दोषी प्रतिष्ठानों के ब्यौरे

क्रमांक	प्रतिष्ठान का नाम	भविष्य निधि की बकाया राशि (रु० लाखों में)
1	2	3
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	मैसर्स अजमाही मिल्स लि०, वारंगल	27.76
2.	मैसर्स नेल्लीमार्लेस जूट मिल्स, विजियानगरम	14.76
	बिहार	
1.	मैसर्स नैशनल जूट मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन लि०	47.54

1	2	3
2.	मैसर्स कटिहार जूट मिल्स	50.02
3.	मैसर्स बिहार शूगर वर्क्स	11.40
4.	मैसर्स बिहार स्टेट शूगर कारपोरेशन यूनिट भिते	11.88
5.	मैसर्स रेलियेंस फायरब्रिक्स एण्ड पोटरी कं० लि०, धनबाद	27.48
6.	मैसर्स कुमारधूवी इंजीनियरिंग वर्क्स	28.87
	दिल्ली	
1.	मैसर्स बिहार स्टेट कोपरेटिव बैंक लि०	50.10
2.	मैसर्स हिन्दुस्तान समाचार कोपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	11.46
	गुजरात	
1.	मैसर्स केशरिया इनवेस्टमैंट लि०	22.09
2.	मैसर्स मानेकचौक एण्ड अहमदाबाद मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०	18.68
3.	मैसर्स श्री यमूना मिल्स लि०, बड़ौदा	11.23
4.	मैसर्स दी सेंट्रल पल्प मिल्स लि०, सोनगढ़	13.56
	हरियाणा	
1.	मैसर्स हिन्दुस्तान प्रेस्ट्रेस्ड एण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर (प्रा०) लि०, फरीदाबाद	26.10
2.	मैसर्स भारत कारपेट्स लि०, फरीदाबाद	14.31
3.	मैसर्स गेडोरा टूल्स इंडिया लि०, फरीदाबाद	94.28
	कर्नाटक	
1.	मैसर्स शंकर टैक्सटाइल मिल्स दावनागेरे	54.68
	केरल	
1.	मैसर्स सीताराम टैक्सटाइल मिल्स त्रिचूर	29.57
1.	मैसर्स त्रिवेन्द्रम रबड़ वर्क्स	14.51
	मध्य प्रदेश	
1.	मैसर्स इन्दौर मालवा यूनाइटिड मिल्स इन्दौर	108.25
2.	मैसर्स कल्याणमई मिलस, इन्दौर	43.79
3.	मैसर्स स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर मिल्स, इन्दौर	68.00

1	2	3
4.	मैसर्स हीरा मिल्स उज्जैन	38.96
5.	मैसर्स बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स, राजनन्दगांव	16.92
6.	मैसर्स न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल्स, भोपाल	23.64
7.	मैसर्स हुकम चन्द मिल्स लि०, इन्दौर	39.99
8.	मैसर्स राज कुमार मिल्स लि०, इन्दौर	38.88
9.	मैसर्स होप टैक्सटाइल्स मिल्स, इन्दौर	139.05
10.	मैसर्स विनोद मिल्स कं० लि०, उज्जैन	308.44
11.	मैसर्स विमल मिल्स कं० लि०, उज्जैन	64.00
12.	मैसर्स इन्दौर टैक्सटाइल्स लि०, उज्जैन	47.44
13.	मैसर्स श्री सज्जन मिल्स लि०, रतलाम	41.04
14.	मैसर्स विलासपुर स्पनिंग मिल्स एण्ड इंडस्ट्रीज विलासपुर	20.96
15.	मैसर्स गजरा गियर्स (प्रा०) लि०, देवास	17.96
	महाराष्ट्र	
1.	मैसर्स फ्यूल इंजेक्शन लि०, थाणे	10.12
2.	मैसर्स हिन्द साईकिल लि०, बम्बई	104.93
3.	मैसर्स भण्डारी पोडवाल इंजीनियरिंग कम्पनी सतारा	30.89
4.	मैसर्स जैफब्स टैक्स मिल्स, बम्बई	10.15
5.	मैसर्स बर्दबरी मिल्स लि०, बम्बई	242.49
6.	मैसर्स शोलापुर स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स	40.16
7.	मैसर्स सकसरिया कॉटन मिल्स, बम्बई	18.12
8.	मैसर्स न्यू केसर-ए-हिन्द मिल्स, बम्बई	20.63
9.	मैसर्स दिग्विजय टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई	13.55
10.	मैसर्स इंडिया यूनोइटिड मिल्स, बम्बई	219.13
11.	मैसर्स भारत टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई	19.65
12.	मैसर्स श्री सीताराम मिल्स, बम्बई	114.16
13.	मैसर्स जैम मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०	21.66
14.	मैसर्स फोनिक्स मिल्स बम्बई	24.71
15.	मैसर्स न्यू इंडिया रेयन मिल्स लि०, बम्बई	32.25
16.	मैसर्स एलोरा सिल्क मिल्स, थाणे	14.36

1	2	3
17.	मैसर्स टिम्बलो प्राइवेट लि०, गोवा	14.21
18.	मैसर्स पालघर रोलिंग मिल्स प्रा० लि०, थाणे	13.17
	उड़ीसा	
1.	मैसर्स विसरा स्टोन लाईम कं० लि०, सुन्दरगढ़]	42.49
2.	मैसर्स कटक इलैक्ट्रिकल डिवीजन, कटक	12.81
	राजस्थान	
1.	मैसर्स जयपुर स्पीनिंग टैक्सटाइल्स एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड	21.11
2.	मैसर्स मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स लि०	21.59
	तमिलनाडु	
1.	मैसर्स कालेसवरार मिल्स, कोयम्बतूर	13.36
2.	मैसर्स सोमासुन्दरम मिल्स (प्रा०) लि०, कोयम्बतूर	26.60
3.	मैसर्स दी भारती मिल्स (प्रा०) लि०, पांडिचेरी	21.62
4.	मैसर्स वसन्त मिल्स लि०, कोयम्बतूर	27.38
5.	मैसर्स श्री महालक्ष्मी टैक्सटाइल्स, मदुरै	54.87
6.	मैसर्स भवानी मिल्स लि०, कोयम्बतूर	10.85
7.	मैसर्स एंग्लो-फ्रेंच टैक्सटाइल लि०, बोन्डी	27.95
8.	मैसर्स श्री रामालिंगा चूंदेबिगाई मिल्स लि०, त्रिपुर	10.18
9.	मैसर्स श्री हरि मिल्स (प्रा०) लि०, कोयम्बतूर	15.00
10.	मैसर्स पायलट पेन कम्पनी (इंडिया) लि०	11.93
11.	मैसर्स टैक्सटूल एण्ड कं०, कोयम्बतूर	11.36
12.	मैसर्स एनफील्ड इंडिया लि०	10.44
13.	मैसर्स तमिलनाडु मैगनेसाइट लि०, सलेम	16.29
14.	मैसर्स सुदर्शन फाइनैंस कारपोरेशन	14.47
	उत्तर प्रदेश	
1.	मैसर्स पंजाब शूगर मिल्स, गोरखपुर	55.32
2.	मैसर्स महावीर शूगर मिल्स कं०, गोरखपुर	23.55
3.	मैसर्स यू० पी० स्टेट शूगर कारपोरेशन बहराइच	19.35
4.	मैसर्स नवाबगंज शूगर मिल्स कं० लि०, गोन्डा	92.99
5.	मैसर्स शेखसराय शूगर मिल्स, गोन्डा	16.65
6.	मैसर्स लक्ष्मी देवी शूगर मिल्स, देवरिया	16.45

1	2	3
7.	मैसर्स यू० पी० स्टेट शूगर कारपोरेशन, बरहवाल, बाराबंकी	10.01
8.	मैसर्स लक्ष्मी शूगर एण्ड जनरल मिल्स, हरदोई	128.97
9.	मैसर्स रतना शूगर मिल्स (प्रा०) लि०, जौनपुर	10.29
10.	मैसर्स जसवन्त शूगर मिल्स, मेरठ	16.18
11.	मैसर्स स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर	20.93
12.	मैसर्स न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर	88.23
13.	मैसर्स लक्ष्मी रतन कॉटन मिल्स, कानपुर	31.43
14.	मैसर्स एल्गिन मिल्स नं० 1, कानपुर	84.86
15.	मैसर्स एल्गिन मिल्स नं० 2, कानपुर	68.17
16.	मैसर्स आर्थर्टन मिल्स, कानपुर	43.51
17.	मैसर्स एसोसिएटिड जनरल्स, लखनऊ	17.22
18.	मैसर्स यू० पी० इंस्ट्रमेंट्स, लखनऊ	33.64
19.	मैसर्स बिजली कॉटन मिल्स, हाथरस	15.92
20.	मैसर्स एच० आर० शूगर मिल्स, बरेली	38.94
21.	मैसर्स टाईगर हरद्वार एंड टूल्स लि०, अलीगढ़	15.35
	पश्चिम बंगाल	
1.	मैसर्स आरती कॉटन मिल्स	23.38
2.	मैसर्स बर्तराम्स स्काट	27.80
3.	मैसर्स बंगाल फाइन स्पीनिंग एंड वीविंग मिल्स (नं० 1)	26.03
4.	मैसर्स बंगाल लक्ष्मी कॉटन मिल्स	75.95
5.	मैसर्स बंगाली कॉटन मिल्स	10.90
6.	मैसर्स बंगादया कॉटन मिल्स	15.22
7.	मैसर्स भारत जूट मिल्स	90.60
8.	मैसर्स कैंटीन कारपेंटरी वर्क्स	14.66
9.	मैसर्स सेंट्रल कॉटन मिल्स	65.78
10.	मैसर्स दम दिसा तास इस्टेट	24.79
11.	मैसर्स कलकत्ता जूट मैन्यूफैक्चरिंग कं०	18.59
12.	मैसर्स कनेरिया इंडस्ट्रीज	10.90
13.	मैसर्स कृष्णा सिलीकेट वर्क्स	13.86

1	2	3
14.	मैसर्स लक्ष्मी नारायण कॉटन मिल्स	33.23
15.	मैसर्स नेशनल आयरन एंड स्टील लि०	35.21
16.	मैसर्स पोर्ट इंजीनियरिंग वर्क्स	10.50
17.	मैसर्स श्री महालक्ष्मी कॉटन मिल्स	26.38
18.	मैसर्स सरूगांव टी इस्टेट	10.50
19.	मैसर्स ईस्टर्न पेपर मिल्स	18.52

व्यापक राष्ट्रीय वेतन नीति

25. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम :**
श्री वी० तुलसी राम :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक व्यापक राष्ट्रीय वेतन नीति बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मजदूरी नीति के प्रश्न पर विभिन्न मंचों (फोरम्स) पर समय-समय पर विचार किया गया है। इस सम्बन्ध में विभिन्न पक्षों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और दिए गए सुझावों पर श्रम मंत्रालय विचार कर रहा है।

इम्फाल में सीवर और नालियों के निर्माण के लिए सहायता

26. **श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य की राजधानी इम्फाल में सीवर और नालियों के निर्माण के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार को यह मालूम है कि उस राज्य की राजधानी में सीवर और नालियों की सुविधा की भारी जरूरत है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) ऐसा कोई विशेष अनुरोध इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इम्फाल में मल निर्यास तथा नालियों की सुविधाओं के स्तर से केन्द्र सामान्यतः अवगत

है। यह राज्य सरकार के लिए है कि वह राजधानी नगर के लिए मल निर्यास तथा नालियों की विस्तृत योजना तैयार करे।

धान और गेहूं के लिए वसूली मूल्य और उनकी वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य

27. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मौसम के लिए धान और गेहूं के वसूली मूल्य क्या निर्धारित किये गये हैं और धान और गेहूं की वसूली के लिए क्या राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ख) विभिन्न राज्यों के लिए कितना कोटा निर्धारित किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) खरीफ विपणन मौसम 1985-86 के लिए उचित औसत किस्म की धान की साधारण, बढ़िया और बहुत बढ़िया किस्मों के लिए समर्थन मूल्य क्रमशः 142 रुपये, 146 रुपये और 150 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। रबी विपणन मौसम 1985-86 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 157 रुपये प्रति क्विंटल है। वसूली के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं क्योंकि किसानों को समर्थन मूल्य देने के धान और गेहूं की वसूली की जाती है।

धान का वसूली मूल्य

28. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** :
श्री काली प्रसाद पांडेय :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान का वसूली मूल्य 142 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह उतना ही मूल्य है जिसकी कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी;

(ग) आयोग ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए थे; और

(घ) क्या नये वसूली मूल्य से धान की उत्पादन लागत की पूर्ति होती है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1985-86 विपणन मौसम के लिए सरकार ने औसत क्वालिटी के धान (सामान्य किस्म) का अधिप्राप्ति मूल्य 142 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

(ख) सरकार द्वारा निर्धारित किया गया मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किए गए मूल्य से 2 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है।

(ग) आयोग अन्य बातों के साथ-साथ जिन्स की अर्थ-व्यवस्था की समूची संरचना, जिसमें इसका उत्पादन और मूल्य स्थान, फसल के उत्पादन की लागत पर उपलब्ध आंकड़े, आदान मूल्यों में परिवर्तन, आदान, उत्पादन मूल्य समता, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार

मूल्य स्थिति और किसानों को दिए जाने वाले और उन्हें मिलने वाले मूल्यों के बीच समानता शामिल है, को ध्यान में रखता है ।

(घ) जी हां ।

उचित दर की दुकानों में चावल के निर्गम मूल्य में वृद्धि

28. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित दर की दुकानों में हाल ही में चावल के निर्गम मूल्य में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस तरह की वृद्धि से श्रमजीवी की जीवन निर्वाह लागत पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां ।

(ख) खरीफ विपणन मौसम 1985-86 के लिए धान के समर्थन मूल्यों में वृद्धि होने के फलस्वरूप 10.10.1985 से निर्गम मूल्यों में भी वृद्धि कर दी गई है ।

(ग) जी हां, मामूली । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किए जा रहे चावल के निर्गम मूल्य में भारी राजसहायता शामिल है और ये मूल्य बाजार में चावल के चल रहे मूल्यों से काफी कम होते हैं ।

राज्यों को आयातित स्किम्ड मिल्क पाउडर का आबंटन

30. **श्री सुभाष यादव :**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार भारतीय डेरी निगम द्वारा आयात किये गए स्किम्ड मिल्क पाउडर को कितनी मात्रा आबंटित की गई है;

(ख) दो लाख से कम आबादी वाले शहरों में स्थापित "दुग्ध सप्लाई योजना" की कितनी मात्रा आबंटित की गई है; और

(ग) ऐसी दुग्ध सप्लाई योजनाओं को किस दर पर सप्लाई किया गया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय डेरी निगम द्वारा विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में जारी की गई स्प्रेटा दुग्धचूर्ण की मात्रा निम्नलिखित है :—

वर्ष	मात्रा (मी० टन)
(1) 1982-83	44401
(2) 1983-84	42155
(3) 1984-85 (अनंतिम)	47438

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) भारतीय डेरी निगम द्वारा दुग्ध आपूर्ति योजनाओं को जारी किए गए स्प्रेटा दुग्धपूर्ण का बिक्री मूल्य निम्नलिखित है :—

वर्ष	बिक्री मूल्य (रु० प्रति मी० टन)
1982-83	
1-4-82 से 31-12-82	12,000
1-1-82 से 31-03-83	14-000
1983-84	
1-4-83 से 31-01-84	14,000
1-2-84 से 31-03-84	16,000
1984-85	
1-4-84 से 28-2-85	16,000
1-3-85 से 31-03-85	18,000 (महानगरीय डेरियों के लिए)
	20,000 (अन्य डेरियों के लिए)

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक की सहायता

31. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा "राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम" बीजों के उत्पादन, परिष्करण और भंडारण सम्बन्धी कार्य को विकेन्द्रीकृत करने में सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्यक्रम किन-किन राज्यों में कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) अब तक क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है और उस पर कितना व्यय किया गया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत पहले चरण में पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तथा दूसरे चरण में बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य आते हैं।

(ग) 1. इस परियोजना के अन्तर्गत बुनियादी ढांचे सम्बन्धी निम्नलिखित सुविधायें बनाई गई हैं :—

1. इस परियोजना के अधीनस्थ 12 कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सात संस्थानों, और इस परियोजना के बाहर वाले 4 राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों में प्रजनक बीजों संबंधी बुनियादी ढांचे की सुविधायें मजबूत बनाई गई हैं।

2. इस परियोजना में शामिल राज्यों के 11 कृषि विश्वविद्यालयों में बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान की सुविधायें विकसित की गई हैं।

3. इस परियोजना में शामिल 9 राज्यों में ऐसे राज्य बीज निगम स्थापित किये गये हैं जिनमें भारत सरकार राष्ट्रीय बीज निगम के माध्यम से सक्रियता से शामिल है।

4. विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों के रख-रखाव के लिए 22 स्थानों पर बीज परिसंस्करण सुविधायें सृजित की गई हैं। सृजित की गई परिसंस्करण क्षमता इस प्रकार हैं :—

(क) अनाज के बीज	1,12,500 मीटरी टन
(ख) कपास के बीज	9,500 मीटरी टन
(ग) मूंगफली की पौध	1,200 मीटरी टन
(घ) आलू के बीज	22,500 मीटरी टन

5. राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा कुल 24,000 क्विंटल क्षमता के सब्जियों के बीजों के आठ परिसंस्करण/पैकिंग संयंत्र स्थापित किये गये हैं।

6. 12 कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय राज्य फार्म निगम और हरियाणा भूमि सुधार और विकास निगम द्वारा खेतों का बड़े पैमाने पर विकास किया गया है।

7. 9 कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा 11 केन्द्रों पर आधारी बीज परिसंस्करण की सुविधायें सृजित की गई हैं जिनकी कुल परिसंस्करण क्षमता 83,000 क्विंटल है।

8. परिसंस्करण संयंत्रों पर वैज्ञानिक भण्डारण सुविधायें सृजित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बीज निगम तथा राज्य बीज निगम द्वारा 47 स्थानों पर भण्डारण सुविधायें भी सृजित की हैं जिनकी कुल भण्डारण क्षमता 4.67 लाख क्विंटल है।

9. गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी कार्य के लिए परियोजना वाले 9 राज्यों में राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेन्सियां तथा राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालायें बढ़ायी गई हैं।

10. विभिन्न विषयों पर विशिष्ट सलाह देने के लिए आठ परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया और विभिन्न निगमों के 27 तकनीकी पदाधिकारियों को अपनी तकनीकी सक्षमता बढ़ाने के लिए विदेश भेजा गया। इसके अतिरिक्त, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों ने "बीज प्रौद्योगिकी" में पी० एच० डी० शिक्षा-वृत्ति प्राप्त की।

2. इन दो परियोजनाओं के अन्तर्गत किया गया खर्च इस प्रकार है :—

1. **राष्ट्रीय बीज परियोजना 1 :** 49.74 रुपये (31 दिसम्बर, 1984 तक) अर्थात् परियोजना समाप्त होने तक।

2. **राष्ट्रीय बीज परियोजना 2 :** 31 अक्तूबर, 1985 तक 31.09 करोड़ रुपये [31 दिसम्बर, 1985 अर्थात् इस परियोजना के समाप्त न होने तक और खर्च होने की सम्भावना है।]

[अनुवाद]

केरल में नारियल की कीमतों में गिरावट

32. **श्री पी० जे० कुरियन :**
श्री टी० बशीर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में नारियल की कीमतों में आई अत्याधिक गिरावट की जानकारी है;

(ख) क्या इससे राज्य की अर्थ-व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या किसानों को लाभकारी कीमत देने से सहायता के लिए कोई विशेष कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) 1983-84 में असामान्यतः कम उत्पादन और 1984 में अधिक मूल्य की तुलना में बेहतर फसल होने के कारण चालू वर्ष के दौरान नारियल के मूल्यों में गिरावट आई है। राज्य सरकार ने केरल राज्य सहकारी विपणन संघ और केरल नारियल विकास निगम के माध्यम से 27 जून, 1985 से खोपड़ा बाजार में हस्तक्षेप किया है और 1200 रु० प्रति क्विंटल के मूल्य पर खोपड़ा खरीद रही है। इस प्रयोजन के लिए विपणन संघ को 20 करोड़ रु० के ऋण की स्वीकृति हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से भी अनुरोध किया गया है।

दिल्ली में सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि

33. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के बाजार में सब्जियों के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण जन-साधारण को सब्जियां खरीदने में कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो सब्जियों के मूल्यों को कम करने तथा जनसाधारण को ये उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख)

दिल्ली में सब्जियों की कीमतें 1985 के दौरान लगातार बढ़ती नहीं रही हैं। ये मौसमी कारकों के फलस्वरूप सामान्य उतार-चढ़ाव और स्थानीय कारणों से उत्पन्न पूर्ति और मांग में अल्पकालिक परिवर्तन से हुए हैं। फिर भी, सब्जियों की कीमतों में मौसमी वृद्धि को, जिसके कारण उपयोक्ताओं विशेषकर समाज के कमजोर और निर्धन वर्गों को कठिनाई होती है, कम करने की दृष्टि से सरकार ने अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय अपनाए हैं। अल्पकालिक उपायों में सुपर बाजार, दिल्ली द्वारा अपने मोबाइल गाड़ियों से फलों और सब्जियों की बिक्री करना तथा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा सब्जियों की खुदरी दूकानें खोलना शामिल है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ भी प्याज और आलू थोक मूल्य पर सुपर बाजार और दिल्ली नागरिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध कराता है। ये कीमतें मार्केट कीमतों से काफी कम होती हैं। दीर्घकालिक उपायों में अन्य बड़े-बड़े शहरों सहित दिल्ली के इर्द-गिर्द सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सातवीं योजना में केन्द्रीय प्रत्यायोजित स्कीम शुरू करना शामिल है।

कृषि श्रमिकों के लिए प्रसूति लाभ और बाल कल्याण सेवा

34. **श्रीमती फूलरेणु गुहा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में महिला कृषि श्रमिकों के लिए प्रसूति लाभ और बाल कल्याण सेवा प्रदान करने की सरकार की कोई योजना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 की धारा 2(1) का परन्तुक केन्द्रीय सरकार की अनुमति से, राज्य सरकारों को अधिकार प्रदान करता है कि वे अधिनियम के उपबंधों का किसी अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों की श्रेणी, औद्योगिक, व्यापारिक, कृषि या अन्यथा पर विस्तार करें। तथापि, अधिनियन के उपबंधों का अभी तक किसी कृषि प्रतिष्ठान पर विशेष रूप से विस्तार नहीं किया गया है।

सरकारी अस्पतालों और औषधालयों आदि द्वारा जनता को बाल कल्याण सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

भारतीय चीनी मिल संघ द्वारा दिया गया ज्ञापन

35. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** :
श्री बी० वी० देसाई :
श्री महेन्द्र सिंह :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चीनी मिल संघ ने सरकार को हाल ही में दिए गए एक ज्ञापन में गन्ना और चीनी के संबंध में एक दीर्घावधि नीति तैयार करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन से दी गई मुख्य बातों का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है :—

(1) गन्ने का सांविधिक न्यूनतन मूल्य 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 18-रुपये प्रति क्विटल तक बढ़ाया जाना चाहिए।

(2) लेवी और खुली बिक्री का अनुपात, जो इस समय 65:35 है, उसे संशोधित करके 50:50 किया जाना चाहिए।

(3) राज्य द्वारा सुझाए गए गन्ने के मूल्य देने की पद्धति को समाप्त किया जाना चाहिए।

(4) फैक्ट्रियों को अपने क्षेत्रों में गन्ना विकास कार्य करने के लिए कहा जाना चाहिए।

(5) राज्य सरकारों को सिंचाई, जल-निकास, संचार आदि सुविधाओं जैसी आवश्यक अवसंरचनाओं का सृजन करना चाहिए।

(6) गन्ने से संबंधित अनुसंधान कार्य में तीव्रता लाई जानी चाहिए।

(7) गन्ने के विकास के लिए चीनी मिलों को चीनी विकास निधि से ऋण लेने की अनुमति उदारतापूर्वक दी जानी चाहिए।

(8) गन्ने को गुड़ और खण्डसारी तैयार करने को तरफ भेजने पर रोक लगानी चाहिए।

(9) राज्य सरकारों द्वारा गन्ने की बांडिंग नीति को पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

(10) किसी मौजूदा यूनिट और प्रस्तावित नए यूनिट के बीच की त्रिज्यीय दूरी कम से कम 50 किलोमीटर होनी चाहिए।

(11) सातवीं योजनावधि के दौरान अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता, जहां तक सम्भव हो, मौजूदा यूनिटों का विस्तार करके पूरी की जानी चाहिए।

(12) विस्तार करने पर इस समय लागी हुई सीमा को समाप्त किया जाना चाहिए।

(ग) सरकार ने हाल ही में 1985-86 मौसम के लिए चीनी नीति को अन्तिम रूप दे दिया है। इस नीति की मुख्य बातें, जो दीर्घकालिक नीति का सूचक हैं, इस प्रकार हैं :—

(1) 1985-86 के दौरान चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर 14.00 रुपये प्रति क्विटल से बढ़ाकर 16.50 रुपये प्रति क्विटल कर दिया गया है। इसमें मूल स्तर से अधिक रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि पर आनुपातिक प्रीमियम देने की व्यवस्था है।

(2) आगामी मौसम अर्थात 1986-87 के दौरान चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 17 रुपये प्रति क्विटल निर्धारित करने का निर्णय किया गया है।

(3) वर्तमान 16 जोनों के लिए गन्ने के 16.50 रुपये प्रति क्विंटल के सांविधिक न्यूनतम मूल्य को ध्यान में रखते हुए 1985-86 मौसम के लिए चीनी का निकासी मूल्य निर्धारित किया गया है। 1250 टी० सी० डी० (प्रतिदिन पेरा गया मीटरी टन गन्ना) से कम क्षमता वाले कमजोर यूनिटों और 1-10-1955 से पूर्व स्थापित किए गए संयंत्रों को दिए जा रहे चीनी के 26 रुपये प्रति क्विंटल के अन्तर लेवी मूल्य को 1985-86 मौसम के लिए भी जारी रखा गया है।

(4) 1985-86 मौसम के लिए लेवी और मुक्त बिक्री की चीनी के अनुपात को 65:35 से बदलकर 55:45 कर दिया गया है।

(5) लेवी चीनी का खुदरा मूल्य 4.40 रुपये से बढ़ाकर 1-12-1985 से 4.80 रुपये प्रति किलो कर दिया जाएगा।

(6) चीनी विकास निधि नियम में गन्ने के विकास के लिए ऋण सहायता देने की व्यवस्था है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से गन्ने के संबंध में अपने अनुसंधान कार्यक्रम में तीव्रता लाने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों से चीनी फैक्ट्रियों के लिए पर्याप्त गन्ना उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया है। एक मौजूदा फैक्ट्री और एक नई प्रस्तावित फैक्ट्री के बीच दूरी रखने के बारे में पहले से ही प्रतिबन्ध है।

विभागीय उपक्रमों को औद्योगिक विवाद अधिनियम से मुक्त रखना

36. **श्री के० रामामूर्ति** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागीय उपक्रमों के कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया है और उन्हें प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है;

(ख) क्या आठ केन्द्रीय मजदूर यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति ने सरकार को यह अभ्यावेदन भेजा है कि सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों के मजदूर यूनियन अधिकारों का अतिक्रमण है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) कई ट्रेड यूनियन संगठनों ने सरकार के विभागीय उपक्रमों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के सीमा क्षेत्र से दिए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ सरकार को अभ्यावेदन दिए हैं।

(ग) ट्रेड यूनियम सगठनों द्वारा व्यक्त किए गए विचार को नोट कर लिया गया है।

गन्ना नीति

37. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गन्ने का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान गन्ने को सप्लाई की स्थिति क्या है; और

(ग) क्या देश में अधिक गन्ना पैदा करने के उद्देश्य से किसानों की अतिरिक्त सुविधायें देने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। सरकार की नीति गन्ने के तहत क्षेत्र में मुख्यत: उत्पादकता बढ़ाकर तथा सीमांत समंजनों के माध्यम से सातवीं योजना के अन्त तक गन्ने का उत्पादन बढ़ाकर 2170 लाख मीटरी टन करना है।

(ख) चालू वर्ष के लिए गन्ने के उत्पादन के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अत: चालू वर्ष के दौरान गन्ने की आपूर्ति की स्थिति बताना अभी संभव नहीं है।

(ग) गन्ने के विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना 1979-80 में राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार राज्य क्षेत्र के तहत क्रियान्वयन के लिए राज्यों को हस्तान्तरित की गई थी। राज्य सरकारें अपने राज्यों में गन्ने की फसल उगाने के लिए किसानों को सुविधाएं दे रही हैं।

1984-85 में गन्ने की खेती वाली भूमि

38. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 में गन्ने की खेती की जाने वाली भूमि में कोई वृद्धि की गई है;

(ख) क्या भारत में गन्ने की प्रति हैक्टेयर पैदावार अन्य देशों में औसतन प्रति हैक्टेयर पैदावार से काफी कम है; और

(ग) क्या भारत में गन्ने की खेती को फसल से प्रति हेक्टेयर आमदनी अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम है और क्या गन्ने की निश्चित की गई लेवी कीमत किसानों के लिए लाभकारी है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1984-85 के दौरान देश में गन्ने के तहत क्षेत्र लगभग उतना ही है जो 1983-84 में था। यह क्षेत्र अनुमानत: क्रमश: 3 लाख हैक्टेयर तथा 3.1 लाख हैक्टार है।

(ख) जी नहीं। भारत में गन्ने की प्रति हैक्टार पैदावार की तुलना केवल मोटे तौर पर केवल कुछ देशों को छोड़कर उत्पादन करने वाले अन्य देशों से की जा सकती है। यह निम्न सारणी से स्पष्ट है :—

देश	1983 में गन्ने की पैदावार (क्विटल प्रति हैक्टार)
1	2
भारत	559.8*
अर्जेनटाईना	498.6

1	2
बंगला देश	443.7
ब्राजील	618.0
चीन	514.1
क्यूबा	536.6
इंडोनेशिया	904.5
मैक्सिको	692.3
पाकिस्तान	356.8
फिलीपाईन्स	447.2
थाईलैंड	422.9

*1983-84 से संबंधित है ।

(ग) प्रति हैक्टार आमदनी मुख्य रूप से प्रति हैक्टार गन्ने की पैदावार के स्तर तथा किसानों द्वारा प्राप्त किए गए मूल्यों पर निर्भर करती है। बाद की मद से संबंधित जानकारी सभी देशों के मामले में तत्काल उपलब्ध नहीं है। सरकार गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते समय, गन्ने को उत्पादन लागत सहित कई पहलुओं को ध्यान में रखती है। सरकार द्वारा इस प्रकार निर्धारित किए गए मूल्य किसानों के लिए लाभकारी हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा पंजाब में नमी वाले खाद्यान्नों का न खरीदा जाना

39. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में बड़ी मात्रा में खाद्यान्न पड़े हुए हैं और भारतीय खाद्य निगम इनमें नमी के अंश के कारण इन्हें खरीदने के लिए तैयार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंजाब सरकार ने उक्त खाद्यान्न की खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम से बार-बार अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा नमी की मात्रा ने लिए निर्धारित की गई विनिर्दिष्टयों के अनुरूप पंजाब में धान की खरीदारी कर रहा है।

(ख) विनिर्दिष्टियों में धान के लिए नमी की अधिकतम मात्रा 18 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

(ग) और (घ) जी हां। तथापि, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में दी गई सीमा और भण्डारण के दौरान अधिक नमी वाले अनाज के विशाक्त और खराब हो जाने की सम्भावना की दृष्टि में वसूली करने के प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्टियों में धान की नमी की मात्रा की सीमा में कोई ढील नहीं दी गई है।

पूर्वी क्षेत्र में घटिया किस्म के बीजों की सप्लाई के कारण खरीफ की फसल के उत्पादन में गिरावट

40. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति क्षेत्र के कुछ राज्यों में किसानों को घटिया किस्म के बीजों की सप्लाई से खरीफ की वर्तमान फसल को नुकसान पहुंचा है और आगामी फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा को गेहूं के बीज की अपेक्षित मात्रा सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत खरीफ की फसल के मौसम में भी उड़ीसा जैसे राज्यों ने अप्रमाणित किस्म और स्तर के बीच निहित स्वार्थों के माध्यम से खरीदकर गंजम और अन्य जिलों के किसानों को वितरित किए थे जिसके परिणामस्वरूप पूरी फसल नष्ट हो गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारत सरकार को इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि कुछ पूर्वी राज्यों में किसानों को घटिया बीजों की सप्लाई के कारण खरीफ की चालू फसल को क्षति हुई है। इसी प्रकार, यद्यपि रबी की वर्तमान बुवाई का कार्य अभी चल रहा है, तथापि किसानों को की जा रही घटिया बीजों की सप्लाई के कारण फसल को हुई क्षति के बारे में अभी तक हमें रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि उन्हें चालू रबी मौसम के लिए 15,167 क्विंटल गेहूं के बीज की आवश्यकता होगी।

(ग) भारत सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में दूरदर्शन सुविधाओं की व्यवस्था

41. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अगले पांच वर्षों के दौरान दूरदर्शन सुविधाओं का विस्तार करने के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का विचार है;

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान राजस्थान में किन-किन जिलों और शहरों में दूरदर्शन सुविधा उपलब्ध की जाएगी; और

(ग) चित्तौड़गढ़ में दूरदर्शन सुविधाएं किस वर्ष तक उपलब्ध कराई जाएंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन के सातवीं योजना के प्रस्तावों का उद्देश्य कार्यक्रम निर्माण के लिए सुविधाओं का विस्तार और समेकित करना, सभी राज्यों में कार्यक्रम बनाना, प्रत्येक राज्य की राजधानी में स्टूडियो केन्द्र की व्यवस्था करना तथा राज्यों की राजधानियों में स्टूडियो केन्द्रों को संबंधित राज्य के रिले ट्रांसमीटरों से जोड़ने की व्यवस्था करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा का विस्तार करना है।

(ख) और (ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान राजस्थान में कोटा, जैसलमेर, बाड़मेर, पिलानी, झालावाड़, डुंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली, चुरू, सिरोही (आबु), सीकर, झुनझुनु, सवाई माधोपुर तथा रावतभाटा में दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने या सुधरी सेवा की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। चित्तौड़गढ़ की परियोजना सहित इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन योजना उन वर्षवार चरणबद्धताओं तथा अग्रताओं पर निर्भर करेगा जो योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की जाएं।

[अनुवाद]

घटिया किस्म के बीजों की खरीद

42. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र के राज्यों द्वारा गैर सरकारी फर्मों से घटिया किस्म के बीजों की खरीद से सरकारी क्षेत्र की बीज उत्पादक अभिकरणों की वित्तीय संकट का खतरा उत्पन्न हो गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय बीज निगम और अन्य राज्य बीज अभिकरणों के पास पड़े एक करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के बीज भण्डार के खराब होने की संभावना है, जिससे काफी वित्तीय क्षति होगी;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को सरकारी एजेंसियों से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारत सरकार की जानकारी में यह बात नहीं आई है कि कुछ पूर्वी राज्यों ने गैर-सरकारी फर्मों से बड़ी मात्रा में घटिया बीजों की खरीद की है। वास्तव में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार के संबंध में हमें इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है कि उन्होंने किसी गैर-सरकारी विक्रेता की कोई मांग प्रस्तुत की है। पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा की राज्य सरकार ने चालू रबी मौसम के लिए क्रमश: 4,000 क्विटल तथा 13,500 क्विटल गेहूं के बीज सप्लाई करने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम से सुनिश्चित मांग प्रस्तुत की है। बिहार सरकार ने इच्छा प्रकट की है कि राष्ट्रीय बीज निगम को, राज्य में अपने निजी विपणन नेट-वर्क के माध्यम से लगभग 65,000 क्विटल गेहूं के बीजों की बिक्री करनी चाहिए।

असम सरकार ने बताया है कि उन्हें चालू रबी मौसम के दौरान 98,000 क्विटल गेहूं

के बीजों की आवश्यकता होगी। इस मात्रा में से, राज्य सरकार ने 20,000 क्विंटल के लिए राष्ट्रीय बीज निगम को, उत्तर प्रदेश बीज तथा तराई विकास निगम को और 20,000 क्विंटल के लिए तथा हरियाणा बीज विकास निगम को 10,000 क्विंटल गेहूं के बीजों का आर्डर दिया है। राष्ट्रीय बीज निगम ने, एक अंतर्राज्यीय विपणन एजेंसी के रूप में, असम सरकार को सूचित किया है कि वे हरियाणा बीज विकास निगम की तरफ से 10,000 क्विंटल की आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि असम सरकार ने 50,000 क्विंटल की सप्लाई के लिए सरकारी एजेंसियों को आर्डर दिया है। उन्होंने अपनी शेष मांगों की पूर्ति के लिए भारत सरकार से कोई अनुरोध नहीं किया।

भारत सरकार को पता चला है कि असम सरकार ने उत्तर प्रदेश की एक गैर-सरकारी फर्म को बड़ी मात्रा में गेहूं के प्रमाणीकृत बीजों की सप्लाई का आर्डर दिया है। तथापि, असम सरकार ने भारत से यह पुष्टि नहीं की है कि क्या, वास्तव में, उन्होंने गैर-सरकारी पार्टी अथवा पार्टियों को आर्डर दिए हैं और यदि हां, तो कितनी मात्रा के लिए आर्डर दिए गए हैं।

यदि कुछ पूर्वी राज्य गैर-सरकारी फर्मों से घटिया बीजों की भारी मात्रा में खरीद करते हैं तो सरकारी क्षेत्र की बीज उत्पादन करने वाली एजेंसियों को हानि होने की आशंका है, क्योंकि उनके पास काफी बड़ी मात्रा में गेहूं के बीज पड़े हुए हैं।

(ख) चालू विपणन मौसम अभी समाप्त नहीं हुआ है और निर्यात संबंधी कुछ पूछताछ के परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः इस अवस्था में यह कहना सम्भव नहीं है कि सरकारी क्षेत्र की बीज एजेंसियों के पास पड़े बीज भण्डार में से कितना अनबिका रह जाएगा और इसके परिणामस्वरूप कितनी वित्तीय हानि होगी।

(ग) भारत सरकार को राष्ट्रीय बीज निगम से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि सम्भवतः असम सरकार ने उत्तर प्रदेश की एक गैर-सरकारी पार्टी को काफी बड़ी मात्रा में गेहूं के बीजों का आर्डर दिया है।

(घ) राष्ट्रीय बीज निगम विशेषकर पूर्वी राज्यों में तथा देश के अन्य भागों में भी अपने स्टाक की बिक्री के लिए अधिक से अधिक प्रयास कर रहा है। वे बीज का निर्यात करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं।

चीनी उत्पादन में कमी

43. डा० टी० कल्पना देवी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी के मूल्यों में वृद्धि का मुख्य कारण देश में चीनी के उत्पादन में कमी आना है;

(ख) 1982-83 से 1984-85 तक देश में गन्ने का कुल कितना उत्पादन हुआ और कितनी मात्रा में गन्ना पेराई के लिए चीनी मिलों में गया और कितनी मात्रा गुड़ और खांडसारी के लिए प्रयोग की गई;

(ग) इस अवधि के दौरान खांडसारी और चीनी मिलों द्वारा, विशेषकर सहकारी क्षेत्र की मिलों द्वारा, गन्ना उत्पादकों को गन्ने का क्या मूल्य दिया गया; और

(घ) यदि पेराई के लिए कम मात्रा में गन्ना दिया गया, तो इसके क्या कारण हैं; और चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ने की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना निम्नलिखित सारणी में दी जाती है :—

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

मौसम	गन्ने का उत्पादन	फैक्ट्रियों द्वारा पेरी गई मात्रा	गुड़ और खाण्डसारी निर्माताओं द्वारा इस्तेमाल की गई मात्रा
			(अनुमाति आंकड़े)
1982-83	1895	826.7	841
1983-84	1741	589.9	942
1984-85	1736	600.3	928
		(अनन्तिम)	

(ग) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के मौसमों के दौरान वास्तव में अदा किए गए मूल्यों के रेंज संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

गुड़ और खण्डसारी उद्योग असंगठित क्षेत्र में आता है और उनके द्वारा अदा किए गए मूल्य मांग और आपूर्ति की बाजार-शक्तियों पर निर्भर करते हैं। इन मूल्यों में क्षेत्र प्रति क्षेत्र और मौसम प्रति मौसम में व्यापक अन्तर होता है। सरकार के पास इन क्षेत्रों द्वारा अदा किए गए मूल्यों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) गुड़ और खण्डसारी के मूल्यों में वृद्धि होने और चीनी मिलों की कठिन तरलता स्थिति होने के कारण गुड़ और खण्डसारी निर्माताओं की तरफ गन्ना गया है।

राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे गन्ने को गुड़ और खण्डसारी उद्योग की तरफ जाने से रोकने के लिए उपाय करें। इन उपायों में फैक्ट्रियों के लिए आरक्षित क्षेत्रों का उचित सीमांकन करना, आरक्षित क्षेत्रों के अन्दर खण्डसारी यूनिटों के लिए नये लाइसेंस प्रदान न करना, गैर लाइसेंसशुदा क्रशरों पर प्रतिबन्ध लगाना और चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने के मूल्य का तुरन्त भुगतान करवाना सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अलावा, चालू मौसम के दौरान गन्ने की शीघ्र पिराई करने पर उत्पादन शुल्क में छूट देने की भी घोषणा की गई है। चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य को भी बढ़कर 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 16.50 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है जबकि पिछले मौसम में यह मूल्य 14.00 रुपये प्रति क्विंटल था।

विवरण

चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने के दिये गये मूल्य

(रु० प्रति क्विंटल)

राज्य	1982-83 मौसम	1983-84 मौसम (अनन्तिम)	1984-85 मौसम (अनन्तिम)
उत्तर प्रदेश	20.50 से 21.50	20.50 से 21.50	21.00 से 22.00
बिहार	20.50 (19.00 4.5.83 से)	20.50	21.00
पंजाब	20.00 से 23.00	20.00 से 23.00	22.00 से 25.00
हरियाणा	20.00 से 23.00	20.00 से 23.00	21.00 से 24.16
असम	18.00 से 20.00	17.00	21.17
पश्चिमी बंगाल	16.00 से 20.00	22.00 से 24.00	22.00
उड़ीसा	14.38 से 23.00	17.50 से 22.00	21.00 से 23.50
मध्य प्रदेश	20.00	20.00	21.00 से 25.00
राजस्थान	17.00 से 25.00	16.99 से 24.00	20.50 से 24.00
महाराष्ट्र	15.00 **	15.00 **	17.00 से 25.23 (अग्रिम)
गुजरात	14.50 से 20.50	10.00 से 20.40 ** **	15.00 से 23.60 (अग्रिम)
आन्ध्र प्रदेश	13.46 से 22.64	14.29 से 22.64	15.49 से 25.09
तमिलनाडु	14.95 से 20.61	13.50 से 20.52	15.15 से 23.94
कर्नाटक	17.00 से 22.16 (अनन्तिम)	18.00 से 22.00	18.00 से 23.50 (अनन्तिम)
केरल	17.00 से 20.00	17.50 से 20.99	18.00 से 22.57
पांडिचेरी	17.69	17.69	17.50 से 18.50
नागालैण्ड	17.50	18.50	19.00
गोआ	27.40	23.20	25.00 (कटाई और परिवहन प्रभार समेत)

**अग्रिम —खेत पर

सम्मत समिति सिफारिशों के अन्तर्गत चीनी कारखानों को फायदे

44. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 सितम्बर, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भूतपूर्व खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री ने इस सुझाव पर विचार करने का आश्वासन दिया था कि कुछ चीनी मिलों को सम्मत समिति की सिफ़ारिशों के अन्तर्गत गुण-दोषों के आधार पर सुविधाएं प्राप्त करने के लिये 39 महीने की सीमा से छूट दी जायेगी ;

(ख) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में तीन लेवी जोन बनाने का है तथा महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में नए चीनी मिल स्थापित करने के लिये पुनः विचार करने का है भले ही वे उद्योगविहीन जिले न हों क्योंकि राज्य में इस समय ऐसा कोई जिला नहीं है; और

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त सभी मुद्दों पर विचार किया है और यदि हां, तो प्रत्येक मुद्दे के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां। सरकार ने 19 सितम्बर, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुए समाचार को नोट किया है। जहां तक सम्मत समिति प्रोत्साहन योजना के अधीन प्रोत्साहनों के लिए पात्रता हेतु 39 महीनों से अधिक समय सीमा बढ़ाने का संबंध है, इस मामले में विचार किया गया है और इस संबंध में लिए गए निर्णय को सभी चीनी फैक्ट्रियों में परिचालित कर दिया गया है जो विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) महाराष्ट्र में उप-जोन बनाने के प्रश्न पर विचार किया गया है और यह निर्णय किया गया है कि 1985-86 और 1985-87 के दो वर्षों के लिए देश में वर्तमान 16 जोनों को जारी रखा जाएगा। जहां तक पिछड़े क्षेत्रों में नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने का संबंध है, सरकार द्वारा सातवीं योजना के लिए लाइसेंसिग नीति को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है और उसे अधिसूचित किया जाना है।

(ग) इस संबंध में स्थिति उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में स्पष्ट की गई है।

विवरण

सं० एफ़० 18/85-पी० सी०

नई दिल्ली दिनांक 11-11-1985

सेवा में

सभी चीनी फैक्ट्रियां

विषय :— ऊंची लागत पर स्थापित की गई नयी चीनी फैक्ट्रियों और विस्तार परियोजनाओं के लिए संशोधित प्रोत्साहन ताकि उन्हें आर्थिक दृष्टि से सक्षम सक्षम यूनिट बनाया जा सके।

महोदय,

मुझे इस निदेशालय के परिपत्र सं० 17/80-पी० सी०, दिनांक 15 नवम्बर, 1980 के

पैरा 2. (क) (ii) (ख) और (ग) तथा पैरा 2 ख (ii) (ख) और (ग) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें ये शर्तें दी गई हैं कि दावेदार फैक्ट्रियां को लाइसेंस/विस्तृत आशय पत्र की तारीख से 39 महीनों की अवधि के अन्दर उत्पादन शुरू कर देना चाहिए विस्तृत क्षमता पर उत्पादन शुरू कर देनां चाहिए, इसमें जो भी पहले हों।

2. इस संबंध में कई एक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें 39 महीनों की सीमा से अधिक समय बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है। सरकार ने इन पर सावधानी पूर्वक विचार किया है और उन सभी फैक्ट्रियों को, जो 39 महीनों की समय-सीमा के बाद उत्पादन शुरू करती हैं। विस्तृत क्षमता पर उत्पादन शुरू करती है, घटने-बढ़ने वाली दर पर प्रोत्साहन देने का निर्णय किया गया है। इसका विवरण नीचे दिया गया है :—

किस किस्म के मामले हैं	दिया जाने वाला प्रोत्साहन
(1) आशय पत्र/लाइसेंस की तारीख, जो भी पहले हो, से 39 महीनों के निर्धारित समय पर अथवा उससे पूर्व, उत्पादन प्रारम्भ करने वाली फैक्ट्रियों के लिए	1980 की योजना के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए पूर्ण प्रोत्साहन।
(2) आशय पत्र/लाइसेंस की तारीख, जो भी पहले हो, से 42 महीनों के समय पर अथवा उससे पूर्व, उत्पादन शुरू करने वाली फैक्ट्रियां।	गुण-दोष के आधार पर मामलों की जांच की जाती है और यदि तीन महीने के लिए समय बढ़ाने की स्वीकृति दे दी जाती है तो उस दशा में पूर्ण प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
(3) आशय पत्र/लाइसेंस की तारीख से, जो भी पहले हो, 39 महीनों के बाद लेकिन 51 महीनों के अन्दर जो फैक्ट्रियां उत्पादन शुरू करती हैं।	पहले वर्ष के लिए प्रोत्साहन की मनाही कर दी जाएगी। वे फैक्ट्री के पूरा होने की तारीख से दूसरे वर्ष और उसके बाद से लागू मुक्त बिक्री की चीनी की प्रतिशतता पर शेष अवधि के लिए प्रोत्साहन की पात्र होंगी।
(4) आशय पत्र/लाइसेंस की तारीख से, जो भी पहले हो, 51 महीनों के बाद लेकिन 63 महीनों के अन्दर जो फैक्ट्रियां उत्पादन शुरू करती हैं।	पहले और दूसरे वर्षों के लिए प्रोत्साहन की मनाही कर दी जाएगी। वे फैक्ट्री के पूरा होने की तारीख से तीसरे वर्ष और उसके बाद से लागू प्रतिशतता पर शेष अवधि के लिए प्रोत्साहन की पात्र होंगी।
(5) आशय पत्र/लाइसेंस की तारीख से, जो भी पहले हो, 63 महीनों के बाद उत्पादन शुरू करने वाली फैक्ट्रियां।	कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

3. इस निदेशालय के परिपत्र सं० एफ० 17/80-पी० सी०, दिनांक 15-11-1980 के क्रमशः पैरा 2 क(ii) (ख) और 2 ख (ii) (ख) में उल्लिखित नयी फैक्ट्रियों और विस्तार परियोजनाओं के बारे में 37 महीनों की समय-सीमा 1-12-1980 से गिनी जाएगी।

4. उपर्युक्त पैरा-2 के भाग (iii) और (iv) में उल्लिखित फैक्ट्रियां इस निदेशालय के परिपत्र सं० 27/6/75-एस० टी०, दिनांक 6 दिसम्बर, 1985 के पैरा 3 (iii) में दिए गए प्रोत्साहन वर्ष को चुनने के बारे में वैकल्प देने की हकदार नहीं होंगी।

5. इस निदेशालय के परिपत्र सं० एफ 17/80-पी० सी० दिनांक 15 नवम्बर, 1980 द्वारा घोषित प्रोत्साहन योजना में उपर्युक्त सीमा तक संशोधन किया जाता है।

भवदीय,

ह०/-
(ए० के० बोस)
निदेशक (शुगर टेक्नीकल)

केरल में सूखा

45. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पालघाट जिले का अट्टापाडी क्षेत्र भयकर रूप से सूखाग्रस्त है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप फसलों को भारी नुकसान हुआ है और मवेशियों को बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई है;

(ग) क्या किसी केन्द्रीय दल ने इस क्षेत्र का दौरा किया है; और

(घ) इस क्षेत्र के सूखा पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा भेजे गए ज्ञापन के अनुसार केरल के पालघाट जिले का अट्टापाडी क्षेत्र सूखे से प्रभावित हुआ है।

(ख) से (घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पालघाट जिले में सूखे से 11 गांव तथा 60,864 की जनसंख्या प्रभावित हुई है। सूखा राहत के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की मांगों को पूरा करने के लिए गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाना

46. **श्री० सी० माधव रेड्डी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में खाद्य उत्पादन विश्व की तुलना में केवल 8 प्रतिशत है जबकि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17 प्रतिशत है;

(ख) क्या भारत में खाद्य उत्पादन और उसकी जनसंख्या में असंगत अनुपात के कारण देश में कृषि उत्पादन पर्याप्त नहीं है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आई० आर० आर० आई०) मनिला के महानिदेशक ने खाद्य के संबंध में किसी प्रकार की तुष्टि के लिये चेतावनी दी है; और

(घ) यदि हां, तो देश में गेहूं और चावल आदि का पर्याप्त उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 1983 में भारत में खाद्यान्नों (अनाज और दलहन) का उत्पादन विश्व के उत्पादन का 10.6 प्रतिशत था, जबकि देश की जनसंख्या, 1981 की जनगणना के अनुसार, विश्व की जनसंख्या का 15.2 प्रतिशत थी । तथापि, इस असमान वितरण से खाद्यान्नों की पर्याप्तता या अपर्याप्तता का पता नहीं चल सकता है, क्योंकि अन्य कई देशों के विपरीत, भारत में खाद्यान्न उत्पादन का बहुत बड़ा भाग मानव उपभोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ।

(ग) देश में खाद्यान्न उत्पादन में हुई प्रभावशाली वृद्धि के बावजूद, कई वैज्ञानिकों, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (अ० चा० अ० सं०) के महानिदेशक भी हैं, ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की गति को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है ।

(घ) गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं :—(I) प्रौद्योगिकी बीज, उर्वरक और ऋण इत्यादि कृषि आदानों की समय पर सहज और पर्याप्त आपूर्ति, (II) अधिक उपज देने वाली किस्मों के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाना, (III) समेकित वनस्पति रक्षण उपाय अपनाना (IV) किसानों के लिए विभिन्न खाद्य फसलों के संबंध में लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना ।

ग्रामीण विकास पर विचार-गोष्ठी

47. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब जनता के उत्थान के लिए देश के ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में नई दिल्ली में हाल में एक विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) ग्रामीण उत्थान के लिए दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) जी हां; "निर्धनता निवारण-नीति विकल्प" पर विचार-विमर्श करने के लिए 26 अगस्त, 1985 को एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी । महत्वपूर्ण सुझावों के सारांश का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । इनमें से अधिकतर सुझावों को सातवीं योजना में कार्यान्वित किए जाने वाले ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में शामिल कर लिया गया है ।

विवरण

महत्वपूर्ण सुझावों का सारांश

1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का अन्य क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक सहायता और ऋण के वितरण तक ही सीमित न रहे ।

2. भूमि की जोतों के आधार पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों के

चयन के काम को अधिक सही बनाया जा सकता है। सर्वेक्षकों द्वारा किए गए आय के वस्तुपरक मूल्यांकनों की बजाय जीवन स्तर की वास्तविक स्थिति को संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

3. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की आयोजना किसी विशेष क्षेत्र के लिए तैयार की जाए, क्योंकि एक समान क्षेत्र प्रभावकारी कार्रवाई के लिए अधिक उपयुक्त रहेगा।

4. व्यक्तिपरक अथवा परिवारोन्मुख दृष्टिकोण की बजाय समूहपरक दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक होगा।

5. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्रक के लिए एक परियोजना दृष्टिकोण अपनाया जाए जिससे किसी एक काम पर पूरा जोर लगाने की बजाय संसाधनों की उपलब्धि, प्रशिक्षण तथा मजदूरी रोजगार को शामिल किया जा सकता है।

6. धन-साधन प्रदाय पद्धति को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

7. ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम उत्पादक परिसम्पत्तियों, विशेषकर कृषि के क्षेत्र में, को सृजित करने में सहायक हों ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गरीब लोगों को केवल मजदूरी रोजगार के ही नहीं परियोजना के उपरांत के लाभ भी प्राप्त होते रहें।

8. रोजगार कार्यक्रमों के लिए संसाधनों को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ज्यादा न फैलाया जाय क्योंकि इससे कार्यक्रम का प्रभाव क्षीण हो जाता है।

9. रोजगार के प्रति लचीला दृष्टिकोण होना चाहिए और उससे स्थानीय स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम की अधिक आवश्यकता होगी, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में स्व-रोजगार के कार्यक्रमों की अधिक गुंजाइश हो सकती है।

10. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाए और सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में इसका विस्तार किया जाए ताकि मजदूरों को रियायती दरों पर खाद्यान्नों का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। इस समय खाद्यान्नों के फालतू स्टाक को इस्तेमाल, रोजगार सृजन तथा उत्पादक परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए किया जा सकता है।

11. भूमि सुधार तथा अन्य गरीबी निवारक कार्यक्रमों का उचित समन्वय किया जाए।

12. जोतों की चकबन्दी को पर्याप्त प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि इसका कृषि विकास पर प्रभाव पड़ता है।

13. पंचायती राज संस्थाओं को भी मजबूत बनाया जाए और इन्हें गरीबी निवारक कार्यक्रमों के समग्र कार्यान्वयन में शामिल किया जाए।

14. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक संगठनों को पूर्ण रूप से शामिल किया जाए।

"इंडिया अर्ज्ड टू स्टाप पेइंग यू० के० इन्स्टीट्यूट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

48. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 सितम्बर, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इण्डिया अर्ज्ड टू स्टाप पेइंग यू० के० इन्स्टीट्यूट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उक्त संस्थान को प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा में 32.6 लाख रुपये का भुगतान करती रही है; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और हम कब से इसका भुगतान कर रहे हैं;

(ग) अन्य देशों अथवा संस्थानों के नाम क्या हैं जिन्हें हम अंशदान कर रहे हैं और प्रति वर्ष दी जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा यह राशि कब से दे रहे हैं और उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या हमने उक्त अंशदान करना बन्द करने का निर्णय किया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां, श्रीमान् । यह समाचार एक भूतपूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत एक वर्किंग पेपर के संदर्भ में है, जिन्होंने विदेशी मुद्रा में पूर्ण रूप से बचत राशि को प्राप्त करने के लिए व कामनवैल्थ एग्रीकल्चरल ब्यूरोक्स (कैब) की निधियों और नीतियों से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए भारत सरकार को कामनवैल्थ एग्रीकल्चरल ब्यूरोक्स (कैब) से अलग होने की सलाह दी है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् । कामनवैल्थ एग्रीकल्चरल ब्यूरोक्स को गत कुछ वर्षों में भारत द्वारा दिये गये अंशदान का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1980-81	61,300 पौन्ड
1981-82	80,500 पौन्ड
1982-83	86,250 पौन्ड
1983-84	91,425 पौन्ड
1984-85	107,496 पौन्ड

भारत 1929 से इसका सदस्य रहा है । भारत सरकार द्वारा कामनवैल्थ एग्रीकल्चरल ब्यूरोक्स की सदस्यता को जारी रखने का कारण यह है कि भारत को इससे हर माह प्रत्येक सारगर्भित पत्रिकाओं की 29 प्रतियां मुफ्त मिलती हैं जिन्हें सारे देश के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों में वितरित किया जाता है । बाजार भाव की दृष्टि से इसका मुद्रा-मूल्य 1,50,000 पौन्ड के लगभग है । इसके अतिरिक्त, कैब के सभी प्रकाशनों पर भारत को इसके सदस्य होने के नाते 33 प्रतिशत की छूट मिलती है जिन्हें देश की विभिन्न शैक्षिक संस्थाएं खरीदती हैं । इस प्रकार कैब के सदस्य होने की वजह से हमारी बहुत बचत होती है । सदस्यता का दूसरा बड़ा लाभ विभिन्न प्रकार के पौधों और पशुओं की कीट व्याधियों की मुफ्त पहचान है । यह कार्य कैब के

तीन अनुसंधान संस्थानों द्वारा किया जाता है। इसका लाभ बिना कोई भुगतान किये हुए भारत के सभी वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा मुक्त रूप से उठाया जा रहा है।

दूसरा क्षेत्र जिसमें भारत ने कैब के विशेषज्ञों से बड़े पैमाने पर सहायता प्राप्त की है, कामन वैल्थ जैविक नियन्त्रण संस्थान के साथ नियमित सहयोग से संबंधित क्षेत्र है। इस केन्द्र और भारतीय वैज्ञानिकों के बीच नियमित सहयोग के परिणामस्वरूप हम अखिल भारतीय जैविक नियन्त्रण समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं को विकसित करने में समर्थ हुए हैं जो अब देश के पन्द्रह स्थानों में चलायी जा रही है।

हाल के वर्षों में कैब ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किये हैं जिनमें से दो भारत में जैविक नियन्त्रण के क्षेत्र में शुरू किये गये हैं और तीसरा जो हाल ही में आगरा में शुरू किया गया है वह कीड़ों की पहचान से संबंधित है।

जहां तक कैब के सारगर्भित पत्र-पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों की गुणवत्ता का सम्बन्ध है विश्व में उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान है।

(ग) यह विभाग जिन अन्य विदेशी एजेन्सियों को अंशदान दे रहा है वे निम्नलिखित हैं :—

(I) वाशिंगटन में मुख्यालय सहित अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सलाहकार दल (सी० जी० आई० ए० आर०) भारत अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सलाहकार दल को 1981 से 5,00,000 अमरीकी डालर वार्षिक अंशदान दे रहा है।

(II) एसिया और पैसिफिक के आर्द्र उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों में मोटे अनाजों, दालों, जड़ व कन्द वर्गीय फसलों के अनुसंधान व विकास हेतु क्षेत्रीय समन्वयक केन्द्र (सी० जी० पी० आर० टी०)। यह ई० एस० ए० पी० का क्षेत्रीय संगठन है और भारत 1984-85 से इसे 5,000 अमरीकी डालर का वार्षिक अनुदान दे रहा है।

ये अंशदान इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि इन दोनों संगठनों का मुख्य उद्देश्य पारस्परिक हितों की दृष्टि से कृषि अनुसंधान को बढ़ाना और वैज्ञानिक सूचना एवं सामग्री का विनिमय करना है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान। कारण भाग (ख) के उत्तर में स्पष्ट किए गये हैं।

गेहूं की फसल के रकबे में कमी

49. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष गेहूं की भारी फसल के फलस्वरूप सरकार किसानों को गेहूं की फसल के रकबे में कमी करने की सलाह दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गेहूं की फसल के रकबे में कमी करने के स्थान पर गेहूं और चावल के उत्पादन में में पूरी क्षमता को और अधिक प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) गेहूं तथा चावल का उत्पादन और बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) सिंचित तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादकता में अधिकतम वृद्धि करना।

(2) प्रौद्योगिकी, बीजों, उर्वरकों, औजारों, पौध संरक्षण रसायनों, ऋण आदि जैसे कृषि संबंधी आदानों की ठीक समय पर, आसानी से तथा पर्याप्त आपूर्ति करना।

(3) अधिक उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम के तहत का क्षेत्र बढ़ाना।

(4) चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्षमता वाले जिलों में क्षेत्रीय तौर तरीके अपनाना।

(5) समेकित पौध संरक्षण उपायों को अपनाना।

(6) किसानों के लिए लाभकारी मूल्य का आश्वासन देना तथा बुवाई मौसम से पहले उनकी घोषणा करना और इन मूल्यों में जिन्सों की खरीद करने के लिए समर्थन का भी संगठन करना; और

(7) अधिक किसानों, सस्य पद्धतियों तथा क्षेत्रों के लिए नई प्रौद्योगिकी के लागों का विस्तार करने के लिए अनुसंधान संबंधी प्रयासों को तेज करना।

आयातित आवश्यक जिन्सों पर निर्भरता समाप्त करने के लिए फसल-चक्र में परिवर्तन

50. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों, दालों और चीनी सहित कुछ आवश्यक जिन्सों के आयात पर निर्भरता दूर करने के लिए फसल-चक्र में भारी परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता है;

(ख) क्या कृषि विशेषज्ञ और सरकार यह अनुभव करते हैं कि कृषि उत्पादन में असन्तुलन दूर करने के लिए गेहूं और चावल की फसलों के उत्पादन को बढ़ाने की वर्तमान प्रवृत्ति में अब उलट-फेर किया जाना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आयातों पर निर्भरता को कम करने के लिए आवश्यक मदों, जिनमें तिलहन, दलहन और गन्ना शामिल है, के उत्पादन में वृद्धि करने की जरूरत है। किसानों को उनके सस्य प्रतिमान में इन फसलों के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्र लाकर इन जिन्सों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन और उपायों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं। गेहूं और चावल की उत्पादकता में वृद्धि करने के मौजूदा सधान में उलट

फेर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके विपरीत, गेहूं और चावल की फसलों की प्रति हैक्टार उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत है, ताकि भाग (क) में सुझाए गए संशोधित सस्य प्रतिमानों के लिए संभावना को छोड़कर एक छोटे क्षेत्र से देश की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) गेहूं और चावल देश की बहुसंख्य आबादी का मुख्य खाद्य है। इसलिए बढ़ती हुई आबादी की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन दोनों ही जिन्सों के उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक है।

गुना उर्वरक परियोजना, मध्य प्रदेश

51. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गुना उर्वरक परियोजना को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कब तक चालू हो जाना चाहिए;

(ख) क्या गुना उर्वरक संयंत्र को चालू करने की दिशा में अत्यन्त धीमी प्रगति हो रही है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजना के कार्य को तेज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि इसे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चालू किया जा सके ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) मध्य प्रदेश के गुना जिले में विजयपुर स्थित गैस पर आधारित एक उर्वरक परियोजना को दिसम्बर, 1987 में चालू किया जाना है।

(ख) परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

खाद्य तेलों का आयात

52. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मूंगफली का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में से एक राज्य अर्थात् गुजरात में वर्षा न होने के कारण खाद्य तेलों के आयात के बारे में गम्भीर रूप से विचार कर रही है;

(ख) क्या खाद्य तेलों के आयात से बाजार में स्वदेशी खाद्य तेलों की बढ़ती हुई कीमतों पर रोक लगेगी;

(ग) क्या दीपावली तथा अन्य त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार आयात किए गए तेलों का उचित दर दुकानों के माध्यम से कमजोर वर्गों में वितरित करने का है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार देश में खाद्य तेलों की मांग और उनकी देश में उपलब्धता के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए पहले से ही भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम ने खाद्य तेलों का आयात कर रही है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को हर माह आयातित खाद्य तेल का आबंटन समाज के कमजोर वर्गों सहित उपभोक्ताओं को पूर्व निर्धारित मूल्यों पर उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण करने के लिए किया जाता है। उपभोक्ताओं को उचित दर की दुकानों के माध्यम से उचित मूल्य पर आयातित खाद्य तेलों का वितरण करने से देशी खाद्य तेलों के मूल्यों में स्थिरता लाने में मदद मिली है।

[हिन्दी]

गन्ने और चीनी के मूल्य बढ़ाने हेतु चीनी मिलों द्वारा दिया गया ज्ञापन

53. **श्री शांति धारीवाल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों ने वर्ष 1985-86 के दौरान गन्ने और चीनी के मूल्य बढ़ाने हेतु सरकार को कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) क्या सरकार ने गन्ने और चीनी के संबंध में एक दीर्घकालीन नीति बनाने के बारे में एक और ज्ञापन प्राप्त किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन ज्ञापनों पर कोई कार्यवाही करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां, चीनी उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले एपेक्स निकायों ने सरकार को ज्ञापन दिया है।

(ग) सरकार ने ऊपर उल्लिखित ज्ञापन में दिए गए मुद्दों को भी ध्यान में रखते हुए 1985-86 मौसम के लिए गन्ने और चीनी से संबंधित नीति को अन्तिम रूप दे दिया है। इस संबंध में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(1) 1985-86 मौसम के दौरान चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर 14.00 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 16.50 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसमें मूल स्तर से अधिक रिकवरी प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि पर आनुपातिक प्रीमियम देने की व्यवस्था है।

(2) आगामी मौसम अर्थात् 1986-87 के दौरान चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का सांविधानिक न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 17 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने का निर्णय किया गया है।

(3) वर्तमान 16 जोनों के लिए गन्ने के 16.50 रुपये प्रति क्विंटल के सांविधिक न्यूनतम

मूल्य को ध्यान में रखते हुए 1985-86 मौसम के लिए चीनी का निकासी मूल्य निर्धारित किया गया। 1250 टी० सी० डी० (प्रतिदिन पेरा गया मीटरी टन गन्ना) से कम क्षमता वाले और 1-10-1955 से पूर्व स्थापित किए कमजोर यूनिटों को दिए जा रहे चीनी के 26 रुपये प्रति क्विंटल के अन्तर लेवी मूल्य को 1985-86 मौसम के लिए भी जारी रखा गया है।

(4) 1985-86 मौसम के लिए लेवी और मुक्त बिक्री की चीनी के अनुपात को 65:35 से बदलकर 55:45 कर दिया गया है।

(5) लेवी चीनी का खुदरा मूल्य 4.40 रुपये से बढ़ायर 1-12-1985 से 4.80 रुपये प्रति किलो कर दिया जाएबा।

2. सरकार के उपर्युक्त निर्णय गन्ने और चीनी की दीर्घकालिक नीति के सूचक हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तरी भारत में पशुओं में पशुप्लेग की बीमारी

54. **श्री विष्णु मोदी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर भारत में पशुप्लेग की बीमारी से पशुओं के मरने के समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास पशुओं में फैली पशुप्लेग की बीमारी को रोकने की दवाइयों के पर्याप्त भण्डार नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बीमारी के लिए दवाइयां बनाना रोक दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) पशुओं में पशुप्लेग रोग की रोकथाम के लिए राज्य पशु चिकित्सा जैविक उत्पादन केन्द्रों, भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय कृषि-उद्योग फाउन्डेशन में पशुप्लेग की टीकों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) पशुओं को बचाव टीका लगाया जा रहा है।

(ङ) लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में दूरदर्शन प्रसारण का विस्तार

55. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में दूरदर्शन प्रसारण सुविधा प्राप्त करने वाले जिलों के नाम क्या हैं;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान जिन जिलों में दूरदर्शन प्रसारण सुविधा का विस्तार किया जाएगा, उनके नाम क्या हैं; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किन जिलों में दूरदर्शन प्रसारण सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) इस समय महाराष्ट्र के निम्नलिखित जिलों के पूर्ण अथवा आंशिक भागों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध है :—

1. ग्रेटर बम्बई	13. चन्द्रपुर
2. नागपुर	14. नासिक
3. वर्धा	15. औरंगाबाद
4. थाने	16. जालना
5. रायगढ़	17. येवतमाल
6. पुणे	18. अकोला
7. भण्डारा	19. परभनी
8. सतारा	20. सांगली
9. अमरावती	21. लाटुर
10. कोल्हापुर	22. नान्देड़
11. जलगांव	23. धुले
12. अहमदनगर	24. शोलापुर

(ख) जबकि सातवीं योजना की स्कीमों के अंग के रूप में सतारा में कार्यान्वयनाधीन अल्प शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर के 1985-86 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है । पणजी के दूरदर्शन ट्रांसमीटर की शक्ति लगभग 1986 के मध्य तक बढ़कर 10 किलोवाट हो जाने पर सिन्धुदुर्ग जिले के भागों को भी दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने लगेगी ।

(ग) इसके अलावा, पहले से ही दूरदर्शन कवरेज के अंतर्गत आने वाले कुछ जिलों में कवरेज में सुधार करते हुए, बीड, बुलडाना, रत्नागिरी, उस्मानाबाद और गढ़चिरोली जिलों को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने का प्रस्ताव है ।

दिल्ली में बजरी तथा चट्टानों की गैर कानूनी खुदाई के कारण श्रमिकों की मृत्यु

56. **श्री जैनुल अबेदिन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से आज तक दिल्ली तथा इसके इर्द-गिर्द बजरी तथा चट्टानों की गैर-कानूनी खुदाई में मरे श्रमिकों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मृतकों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में इस प्रकार दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए समझौता प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए गुप्त मतदान

57. **श्री आनन्द पाठक :**
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश वाणिज्य और उद्योग मंडल तथा केन्द्रीय मजदूर संघ, श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए समझौता प्रतिनिधियों का चुनाव करने हेतु गुप्त मतदान आरम्भ कराने के पक्ष में है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार की ऐसी नीति कम से कम पांचवें और छठे दशकों में विद्यमान थी;

(ग) यदि हां, तो क्या कारखाना स्तर पर गुप्त मतदान द्वारा समझौता प्रतिनिधियों का चुनाव कर एक औद्योगिक एकक में केवल एक ही मजदूर संघ को मान्यता देने की प्रणाली आरम्भ करने के लिए इसी सत्र के दौरान औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, नहीं । नियोजक संगठनों और कुछ ट्रेड यूनियन संगठनों ने चैक-ऑफ पद्धति शुरू करने का समर्थन किया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा गठित सनत मेहता समिति ने कई सिफारिशें की हैं, जो ट्रेड यूनियन की सदस्य संख्या के सत्यापन और सामूहिक सौदाकारी एजेंट का चयन करने के बारे में हैं । इन सिफारिशों के संबंध में अंतिम निर्णय अभी नहीं लिए गए हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए यह कहना संभव नहीं है कि क्या इस उद्देश्य के लिए वर्तमान सत्र के दौरान विधेयक पेश किया जाएगा ।

विदेशी मत्स्य नौकाओं की जासूसी गतिविधि

58. **प्रो० के० वी० थामस** : **क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशी चार्टर्ड मत्स्य नौकाएं देश को मछली सम्पत्ति और राजस्व से वंचित कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार की जानकारी में जासूसी गतिविधि संबंधी कोई शिकायत आई है;

(ग) क्या इन विदेशी मत्स्य नौकाओं के कार्यकलाप को नियंत्रित करने के लिए तटीय

गश्त को अधिक प्रभावी बनाया जायेगा;

(घ) क्या सरकार का विचार भारतीय मत्स्य नौका निर्माताओं को और अधिक रियायतें देकर उन्हें प्रोत्साहित करने का है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार समूह में कुछ क्षेत्र को केवल भारतीय मत्स्य नौकाओं के लिए आरक्षित करने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) चार्टर योजना के अनुसार, पकड़ी गई मछलियों की बिक्री से होने वाली कुल आय को विदेशी पार्टी तथा चार्टर करने वाले भारतीय के बीच 85% तथा 15% के अनुपात में बांटा जाता है। विदेशी पार्टी को देय कुल आय के 85% में चार्टर पोत का किराया और ईंधन लुब्रीकेंट आदि के भुगतान जैसी पोत के संचालन की लागत, विदेशी चालक दल के वेतन और भोजन आदि का खर्चा शामिल होता है। कुल आय का कम से कम 15% पोत चार्टर करने वाले भारतीय को मिलता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार स्वदेशी पोत कारखानों को ट्रालर की लागत के 33% के बराबर राजसहायता पहले ही दे रही है। इसके अतिरिक्त, पोत कारखानों को ट्रालर की लागत के 20% तक के उपकरण आयात शुल्क के बगैर आयात करने की अनुमति भी दी जाती है।

(ङ) भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी पोतों द्वारा मछली पकड़ने का विनियमन) नियमावली, 1982 जिसमें 1985 में संशोधन किया गया है, में परिभाषित विदेशी चार्टर मछली पकड़नेवाले पोतों के संचालन के क्षेत्र में सामुद्रिक संसाधनों से भरपूर कुछेक ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण भी किया गया है; जो केवल भारतीय ट्रालर चलाये जाने के लिए हैं।

देश में कोयला खानों में दुर्घटनाएं

59. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी कोयला खानों में दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना के क्या कारण हैं;

(ग) इन दुर्घटनाओं में कितने लोग मारे गए हैं:

(घ) कितना मुआवजा दिया गया है; और

(ङ) कितने मामलों में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया और सरकार ने इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान कोयला खानों में हुई घातक और गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या नीचे दी गयी है :—

वर्ष	घातक	गंभीर
1982	158	1135
1983	156	1169
1984	160	1196

(ख) भाग (क) में निर्दिष्ट दुर्घटनाओं का कारण-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

कारण	घातक			गंभीर		
	82	83	84	82	83	84
भूमि में संचलन	79	57	75	164	180	164
परिवहन तंत्र						
(i) शॉफ्ट में वाइंडिंग	1	2	5	1	4	7
(ii) शॉफ्ट में वाइंडिंग से अन्य	43	47	48	315	297	294
परिवहन मशीदरी से भिन्न मशीनरी	4	10	5	45	33	48
विस्फोटक	9	14	4	13	8	9
बिजली	3	4	7	—	5	3
गैस, धूल और अन्य दहनशील पदार्थ	2	—	2	—	—	—
ढहना (भूमि के ढहने से अन्य)	14	19	9	441	508	518
अन्य कारण	3	3	3	140	150	153
कुल	158	156	160	1135	1169	1196

(ग) उपरोक्त (क) में निर्दिष्ट घातक दुर्घनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	मारे गए व्यक्तियों की संख्या
1982	185
1983	191
1984	176

(घ) मृतक के वैध उत्तराधिकारी को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम, उपदान अधिनियम, जीवन बीमा योजना और कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम के अधीन परिवार पेंशन योजना के अन्तर्गत यथा-ग्राह्य मुआवजा अदा किया जाता है। इसके अतिरिक्त कोयला कम्पनियों द्वारा मृतक के आश्रित को रोजगार दिया जाता है और परिवार पेंशन, बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता और मृतक पर पूर्णतः आश्रित व्यक्ति को मासिक भत्ता भी दिया जाता है। मृतक के दाह संस्कार के लिए तुरन्त 1000 रु० की अतिरिक्त अदायगी भी की जाती है।

(ङ) वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान क्रमश: 115, 117 और 122 घातक दुर्घटनाओं में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया ।

उपरोक्त घातक दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा और प्रबंध-तंत्रों द्वारा की गयी कार्रवाई के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा

की गई कार्रवाई के ब्यौरे	1982	1983	1984
(i) चलाए गए अभियोजनों की संख्या	7	9	16
(ii) उन व्यक्तियों की संख्या जिनके प्रमाण-पत्र खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा निलंबित किए गए	19	9	13
(iii) जिन व्यक्तियों को चेतावनी दी गई, उनकी संख्या	45	67	52
प्रबंधतंत्रों द्वारा			
(i) जिन व्यक्तियों को निलंबित किया गया उनकी संख्या	77	35	32
(ii) जिन व्यक्तियों को चेतावनी दी गई, उनकी संख्या	25	25	16
(iii) वेतन वृद्धि रोकी गयी/प्रत्यावर्तित किया गया/पदोन्नति रोकी गई/सेवा समाप्त की गई आदि	25	27	14
(iv) अन्य	1	1	1

बिहार में सहरसा और मधेपुरा में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

61. **श्री महावीर प्रसाद यादव :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में प्रत्येक जिला मुख्यालय में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो बिहार के सहरसा और मधेपुरा इन दो जिलों में यह सुविधा क्यों नहीं दी गई है; और

(ग) क्या उपर्युक्त दोनों जिलों में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) बिहार के सभी जिला मुख्यालयों की सातवीं योजना अवधि के दौरान यथासंभव या तो स्वतन्त्र ट्रांसमीटर के माध्यम से या पड़ोसी क्षेत्रों के ट्रांसमीटर के माध्यम से दूरदर्शन कवरेज के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है ।

(ख) और (ग) सातवीं योजना के प्रस्तावों में शामिल कटिहार में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर तथा सहरसा में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर इनसे सहरसा तथा मधेपुरा जिलों को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है ।

"नेफेड" द्वारा ताजे फलों का आयात

62. **श्री राधा कान्त डिगाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने नेफेड तथा ताजे फलों का आयात करने वाली अन्य गैर-सरकारी पार्टियों पर प्रतिबन्ध हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) 1985-86 के वित्त वर्ष में नेफेड द्वारा फलों की कुल कितनी मात्रा का आयात किए जाने का विचार है; और

(घ) उन देशों के क्या नाम हैं जिनसे "नेफेड" फलों का आयात करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आयात निर्यात नीति 1985-86 के अनुसार नेफेड को 1985-86 के दौरान 3 करोड़ रुपये तक की कीमत के ताजे फलों के आयात करने के लिए संविदा रजिस्टर करने का प्राधिकार दिया गया था जिसके लिए सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा आबंटित की गई थी । आगे 20-10-1985 से 4.5 करोड़ रुपये के ताजे फलों के आयात के लिए प्राधिकार दिया गया है ।'

(ख) से (घ) भारत और अफगानिस्तान के बीच वाणिज्यिक विनियमों का विस्तार करने के उद्देश्य से उस देश के साथ भारतीय गैर परम्परागत जिन्सों के बढ़े हुए निर्यात के साथ जोड़कर ताजे फलों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का आबंटन बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपये किया गया है ।

मछली पकड़ने की नौकाओं का उपयोग

63. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास हमारी मछली पकड़ने की नौकाओं का पूरा और पूरे साल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कार्यक्रम है;

(ख) नावों और मछली पकड़ने को नौकाओं के मालिकों द्वारा विद्यमान मछली पकड़ने के बेड़े का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) मछली पकड़ने की सभी नौकाओं को ईंधन/तेल पर शत प्रतिशत उत्पाद शुल्क में छूट देने के लिए सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी नहीं। हमारे मत्स्यन ट्रालरों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किये गये कुछ उपाय नीचे दिये गये हैं :—

(1) भारत सरकार की संस्थाओं के स्वामित्व वाले मत्स्यन ट्रालरों के कार्य निष्पादन का निरन्तर प्रबोधन किया जा रहा है ताकि उनकी प्रचालनात्मक क्षमता और उपयोग में सुधार किया जा सके।

(2) प्रमुख और लघु मत्स्यन बन्दरगाहों और अवतरण केन्द्रों के रूप में अवतरण और ठहराने सम्बन्धी सुविधाओं का 73 केन्द्रों में सृजन किया गया है।

(3) वाणिज्य मंत्रालय की योजनाओं द्वारा निर्यात के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।

(4) नीलाम सभा भवनों, बर्फ संयंत्रों और शीत भण्डारण जैसी अवस्थापना सम्बन्धी तटीय सुविधाओं का सृजन किया जाता है।

(ग) 13.7 मीटर की लम्बाई और इससे अधिक की लम्बाई के मत्स्यन ट्रालरों, जिनमें 150 बी० एच० पी० और इससे अधिक का इंजिन लगा हुआ है, के निर्यात पर 100 प्रतिशत उत्पाद कर तक की छूट दी जाती है। सरकार सभी प्रकार की मत्स्यन नावों के एच० एस० डी० आयल पर लगाये गये उत्पाद कर पर छूट देने सम्बन्धी योजना पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

बहु-भाषा राष्ट्रीय समाचार एजेंसी

64. **डा० ए० के० पटेल :**
श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री बहु-भाषा राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के बारे में 19-8-1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3815 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भाषाओं की समाचार सेवा का वर्तमान समाचार एजेंसियों में विलय करने के सम्बन्ध में गोयनका समिति की सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय भाषाओं की समाचार सेवाओं में काम कर रहे सभी पत्रकारों और कर्मचारियों को तत्सम पदों पर खपाया जाए, सरकार की क्या नीति है और इस सम्बन्ध क्या उपाय किए जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) सरकार की प्रतिक्रिया अनुकूल है।

(ख) सरकार इन कर्मचारियों को सहयोगी संगठनों में खपाने में यथासंभव हद तक सहायता करेगी।

मरुस्थल विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन

65. **डा० ए० के० पटेल :**
श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 1977-78 में मरुस्थल विकास कार्यक्रम शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की आज तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मरुस्थल के क्षेत्र में संसाधन स्थिति बिगड़ गई है और यदि हां, तो कैसे और किस हद तक स्थिति बिगड़ी है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उक्त कार्यक्रम को फिर से तैयार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी हां।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए क्षेत्रों में रेत के टीले जमाना, वायुरोधी वृक्षारोपण, वन-रोपण, लघु सिंचाई, भूमि-संरक्षण कार्य, पशुधन विकास, बरानी खेती का प्रदर्शन आदि से सम्बन्धित अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। केवल छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही मरुभूमि विकास कार्यक्रम पर लगभग 73.55 करोड़ रुपये का कुल व्यय हुआ था। जहां तक छठी पंचवर्षीय योजना में वास्तविक उपलब्धियों का प्रश्न है, 53867 हैक्टेयर पर वृक्षारोपण किया गया था; लगभग 12086 हैक्टेयर पर रेत के टीले जमाए गए थे, 32611 किलोमीटर पर वायुरोधी वृक्षारोपण किया गया था, 7880 हैक्टेयर को सिंचाई योग्य बनाया गया था, 82528 हैक्टेयर का मृदा सर्वेक्षण किया गया था, 161 पशु औषधालय और 24 खन विस्तार केन्द्र खोले गए थे, तथा लगभग 8.8 मिलियन श्रमदिवसों का मजदूरी रोजगार सृजित किया गया था।

(ग) और (घ) मरुभूमि विकास कार्यक्रम पर इस समय उपलब्ध संसाधनों में से व्यय किया जा रहा है। सातवीं योजना में इस कार्यक्रम के लिए पहले से बेहतर वित्तीय पद्धति की परिकल्पना की गई है।

देश में अतिरिक्त भूमि

66. **डा० ए० के० पटेल :**
श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कब्जे में अतिरिक्त भूमि का कितने एकड़ क्षेत्र आया है;

(ख) सरकार ने भूमि के उक्त क्षेत्र में से कितने क्षेत्र पर मकान बनाये और शेष भूमि के सम्बन्ध में क्या नीति है; और

(ग) क्या शहरी क्षेत्र के गरीब लोगों की आवासीय समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार के पास कोई पेकेज कार्यक्रम विचाराधीन है और यदि हां, तो इस अतिरिक्त भूमि का प्रबन्ध किस प्रकार किया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 7964.20 एकड़ की फालतू भूमि विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के कब्जे में है।

(ख) तथा (ग) 620.75 एकड़। विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत अर्जित भूमि का उपयोग राज्य सरकारों को या तो निर्माण के प्रयोजनों के लिए करना होता है या नगर समूह, जिसमें ऐसी भूमि आती है, की बृहत योजनाओं में विचार किये गये क्षेत्र के भू-उपयोग को ध्यान में रखते हुए अन्यथा प्रयोजनों के लिए करना होता है।

[अनुवाद]

दिल्ली में उचित दर की दुकानों को राशन का सामान देने में विलम्ब

67. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में उचित दर की दुकान के दुकानदार गेहूं, चावल, चीनी आदि लेने के लिए काफी बड़ी धनराशि जमा करवाते हैं और कई बार तो उन्हें इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हफ्तों इन्तजार करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को परेशानी होती है और उन्हें समय पर राशन नहीं मिलता; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोई समय सीमा निर्धारित करने का है, ताकि इन वस्तुओं की समय पर सप्लाई हो सके ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) दिल्ली में उचित दर की दुकानों की सुविधा के लिए, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गेहूं, चावल, चीनी आदि का स्टाक लेकर उन्हें उचित दर की दुकानों को पहुंचाने की जिम्मेदारी ली हुई है। इस प्रयोजन के लिए स्टाक पहुंचाने का कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किया जाता है कि उचित दर की दुकानों को महीने के पहले पखवाड़े के लिए स्टाक पिछले महीने की आखिरी तारीख को और दूसरे पखवाड़े के लिए स्टाक सम्बन्धित महीने की 15 तारीख को पहुंच जाए। उचित दर की दुकान के मालिक 30 तारीख तक सप्लाई किए जाने वाले स्टाक के लिए 23 तारीख को और 15 तारीख को सप्लाई किए जाने वाले स्टाक के लिए 8 तारीख को दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पास बैंक ड्राफ्ट जमा करते हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि दुकानदार भारी रकमें जमा करते हैं और उन्हें स्टाक की सप्लाई के लिए कई सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

उड़ीसा में सहकारी क्षेत्र में चावल की मिलें

68. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र में चावल की कितने मिल हैं;

(ख) उड़ीसा में चावल मिलें लगाने के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ग) वर्ष 1984-85 में उड़ीसा में सहकारी क्षेत्र में चावल मिलों द्वारा परिष्कृत किये गये धान की क्या मात्रा है; और

(घ) क्या सहकारी चावल मिलें फायदे में अथवा घाटे में चल रही हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय राज्य के मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) उनहत्तर ।

(ख) (i) केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना स्कीम : 3.740 लाख रुपये

(ii) सैन्ट्रल सैक्टर स्कीम 72.586 लाख रुपये

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(घ) प्राप्त हुई कार्यकारी रिपोर्टों के आधार पर, सूचना देने वाली अधिकतर सहकारी चावल मिलें मुनाफे में चल रही हैं ।

राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड

69. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या किसानों को भी कोई प्रतिनिधित्व दिया गया है; यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां के वे निवासी हैं;

(घ) बोर्ड के मुख्य कृत्य क्या हैं; और

(ङ) देश में तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने में यह कहां तक सहायक होगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) बोर्ड के गठन का ब्यौरा देने वाला विवरण एक संलग्न है ।

(ग) जी हां । तिलहन उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदस्य हैं; अर्थात् :—

(1) श्री सहदेव सिंह मलिक, हरियाणा

(2) श्री कैलाश यादव, उत्तर प्रदेश और

(3) श्री आर० महानन्द, आंध्र प्रदेश

(घ) बोर्ड के कार्य राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 9 में विनिर्दिष्ट बोर्ड के मुख्य कार्य संलग्न विवरण दो में दिए गए हैं ।

(ङ) बोर्ड ने निर्णय किया है कि तिलहन तथा वनस्पति तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए

उत्पादन, परिसंस्करण, विपणन, मूल्यों, प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण तथा परिसंस्करण सुविधा तथा अनुसंधान आदि के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक दीर्घकालीन नीति बनाई जाए।

विवरण-एक

राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड का गठन

श्रेणी	क्रम सं०	सदस्य	टिप्पणी
1	2	3	4
	1.	मंत्री (कृषि)	अध्यक्ष पदेन
1. अधिकारी			
(क) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि	2.	सचिव (कृषि तथा सहकारिता)	उपाध्यक्ष पदेन
	3.	कृषि आयुक्त	सदस्य पदेन
	4.	महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	सदस्य पदेन
	5.	सलाहकार (कृषि) योजना आयोग	सदस्य
	6.	सदस्य (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय	सदस्य
	7.	संयुक्त सचिव, प्रभारी निर्यात संवर्धन कृषि प्रभाग वाणिज्य मंत्रालय	सदस्य

1	2 3	4
	8. संयुक्त सचिव, प्रभारी वनस्पति तेल, नागरिक आपूर्ति विभाग	सदस्य
	9. कार्यकारी निदेशक	सदस्य पदेन
	10. वित्तीय सलाहकार कृषि और सहकारिता विभाग	सदस्य पदेन
(ख) राज्य सरकारों के प्रतिनिधि	11. कृषि उत्पादन आयुक्त आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद	सदस्य
	12. अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि तथा वन विभाग, गुजरात सरकार, गांधी नगर	सदस्य
	13. कृषि निदेशक हरियाणा सरकार चंडीगढ़	सदस्य
	14. कृषि उत्पादन आयुक्त मध्य प्रदेश सरकार भोपाल	सदस्य
	15. प्रमुख तिलहन विकास अधिकारी कृषि निदेशालय महाराष्ट्र सरकार पुणे	सदस्य
	16. सचिव, कृषि तथा पशुपालन विभाग, कर्नाटक सरकार विधान सौध, बंगलौर	सदस्य

1	2	3	4
	17.	आयुक्त, कृषि तथा ग्रामीण विकास उड़ीसा सरकार भुवनेश्वर	सदस्य
	18.	निदेशक, कृषि पंजाब सरकार चंडीगढ़	सदस्य
	19.	सचिव, कृषि उत्पादन, राजस्थान सरकार जयपुर	सदस्य
	20.	निदेशक, तिलहन तमिलनाडु सरकार मद्रास	सदस्य
	21.	सचिव, कृषि उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ	सदस्य
(ग) तिलहनों तथा वनस्पति तेल उद्योगों से संबंधित स्वायत्त संगठनों के प्रतिनिधि :	22.	अध्यक्ष, भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०, नई दिल्ली	सदस्य
	23.	प्रबंध निदेशन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली	सदस्य
	24.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द	सदस्य

1	2	3	4
	25.	प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, बम्बई	सदस्य
	26.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, बम्बई	सदस्य
2. गैर सरकारी			
(क) संसद के सदस्य	27.	डा० बी० एल० शैलेश सदस्य, लोक सभा	सदस्य
	28.	श्री राम सिंह यादव, सदस्य, लोक सभा	सवस्य
	29.	श्री चिमन लाल अमीचंद भाई मेहता सदस्य राज्य सभा	सदस्य
(ख) तिलहन उत्पादकों के प्रतिनिधि :	30.	श्री सहदेव सिंह मलिक कृषि फार्म खानपुर कोलहान, तहसील : थानेसर, जिला—कुरूक्षेत्र हरियाणा	सदस्य
	31.	श्री कैलाश यादव, जनपेट, एटा, उत्तर प्रदेश	सदस्य
	32.	श्री आर० महानन्द, सचिव, नागार्जुन सागर, राईट कैनाल रोयट ऐसोशिएशन कुरिचेन्दु, प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	सदस्य

1	2	3	4
	(ग) तिलहनों, वनस्पति तेलों तथा तिलहनों से निकाले गए अन्य उत्पादों के निर्यातकों के प्रतिनिधि :	33. अध्यक्ष, भारतीय सोयाबीन परिसंस्करण एसोशिएशन, 7-क, श्रीनगर एनेक्स, इन्दौर-452001	सदस्य
	(घ) वनस्पति तेल उद्योग के प्रनिनिधि :	34. उप-अध्यक्ष, भारतीय तेल तकनीकी एसोशिएशन एच० बी० तकनीकी संस्थान, कानपुर-208002	सदस्य
	(ङ) रुचि रखने वाले अन्य के प्रतिनिधि :	35. अध्यक्ष, तेल उद्योग तथा व्यापार संबंधी केन्द्रीय संगठन, ऊन्ना भवन, तीसरी मंजिल, प्लाट नं० 87-सी० ब्रांच स्ट्रीट, डेवजी रतनसे मार्ग, बम्बई-40000	सदस्य
		36. रिक्त	इस श्रेणी अर्थात् रुचि रखने वाले अन्य इसके तहत एक नामजदगी अभी की जानी है।

विवरण-दो

(क) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 9 के अधीन निर्धारित राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के कार्य :

(1) बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे उपायों द्वारा जैसा वह उचित समझता है,

केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन तिलहन उद्योग और वनस्पति तेल उद्योग के विकास को प्रोत्साहन दे।

2. उप-धारा (1) में उपबंधों को व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें निर्दिष्ट उपायों में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था होगी :

(क) तिलहन उद्योग और वनस्पति तेल उद्योग के लिए ऐसे उपाय करना, जिससे किसान खासतौर पर छोटे किसान, भारत में तिलहन उद्योग तथा वनस्पति तेल उद्योग के विकास और वृद्धि में सहभागी बन सकें और उसके लाभभोगी हो सकें।

(ख) भारत में तिलहनों, तिलहन और वनस्पति तेलों के उत्पाद के विपणन के सुधार के लिए तथा उनकी गुणवता नियंत्रण के लिए उपायों की सिफारिश करना,

(ग) किसी भी ऐसे व्यक्ति को तकनीकी राय देना, जो तिलहनों को खेती या तिलहनों और उसके उत्पादों के परिसंस्करण या विपणन में लगा हो।

(घ) तिलहन उद्योग और वनस्पति तेल उद्योग के विकास की दृष्टि से उच्च कोटि के प्रजनकों हेतु बीजों, आधारी बीजों, और प्रमाणीकृत बीजों के उत्पादन तथा पर्याप्त गुणवत्ता विकसित करने, तिलहन उत्पादकों के लिए आदानों की सप्लाई का प्रबंध करने, तिलहनों की खेती के उन्नत तरीकों और तिलहनों के परिसंस्करण के लिए आधुनिक टैक्नालाजी अपनाने के लिए क्षेत्र का विस्तार करने के लिए वित्तीय अथवा अन्य सहायता प्रदान करना अथवा इनके लिए सिफारिश करना,

(ङ) ऐसे उपायों की सिफारिश करना, जो लाभदायक कीमतें प्राप्त करने तिलहन उत्पादकों की सहायता करने में व्यावहारिक हों, इसमें कृषि मूल्य आयोग के परामर्श से जब कभी आवश्यक हो, तिलहनों और तिलहनों तथा वनस्पति तेलों के उत्पादकों की न्यूनतम तथा अधिकतम कीमतों की सिफारिश करना भी शामिल है,

(च) तिलहनों, तिलहन व वनस्पति तेल के उत्पादों के संबंध में मूल्य स्थिति तथा बाजार दशा को स्थिर करने के लिए तिलहनों का संग्रहण, अधिग्रहण और बफर स्टाक बनाने के वास्ते सिफारिश करना तथा यथा आवश्यक उपाय करना,

(छ) निम्नलिखित के लिए सिफारिश करना तथा यथा आवश्यक उपाय करना :

1. भंडारण सुविधाओं का संवर्धन और विकास,
2. तिलहनों के संबंध में परिसंस्करण यूनिटों को स्थापना और ऐसी वित्तीय या अन्य सहायता देना जो इन प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे जाएं,
3. तिलहनों के उत्पादन, परिसंस्करण और विपणन के बीच तालमेल प्राप्त करने की दृष्टि से तिलहन उत्पादक सहकारी समितियों और अन्य समुचित एजेंसियों को बढ़ावा देना,

(ज) तिलहनों और वनस्पति तेलों के विकास की एकीकृत नीति तथा कार्यक्रम के संदर्भ में तिलहनों या वनस्पति तेलों के उत्पादों के आयात, निर्यात या वितरण को विनियमित करने के उपायों की सिफारिश करना,

(झ) तिलहन उत्पादकों, तिलहन व्यापारियों, तिलहन तथा वनस्पति तेल के उत्पाद विनिर्मानाओं और किसी भी अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं से, जैसा आवश्यक हो, तिलहन उद्योग या वनस्पति तेल उद्योग से संबंधित किसी भी मामले पर आंकड़े एकत्र करना तथा इस प्रकार एकत्र किए गए आंकड़ों या उसके भाग या उससे उद्धरणों को प्रकाशित करना,

(ञ) तिलहनों और उनके उत्पादकों तथा वनस्पति तेलों के लिए ग्रेड मानक स्थापित करने तथा अपनाने की सिफारिश करना,

(ट) केन्द्रीय सरकार और उन राज्य सरकारों के परामर्श से जहां तिलहनों की पैदावार अधिक होती है, उपयुक्त स्कीमों का वित्त पोषण ताकि तिलहनों का उत्पादन बढ़ाया जा सके और उनकी कोटि तथा उपज सुधारी जा सके और तिलहन उत्पादकों तथा तिलहन उत्पाद तथा वनस्पति तेल विनिर्माताओं के प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार या अनुदान देने तथा तिलहन उत्पादों और वनस्पति तेलों के लिए विपणन सुविधाएं देने के वास्ते स्कीमें तैयार करना,

(ठ) तिलहनों और उनके उत्पादों तथा वनस्पति तेलों पर कृषि, तकनीकी, औद्योगिक या आर्थिक अनुसंधान में इस प्रकार से सहायता करना, बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, समन्वय करना और वित्त पोषण करना, जिसे बोर्ड उपलब्ध संस्थाओं का उपयोग करने के लिए उचित समझे ।

(ड) तिलहन उद्योग और वनस्पति तेल उद्योग के अनुसंधान तथा विकास पर प्रचार कार्य करना,

(ढ) बोर्ड के कार्यों के दक्ष निर्वहन के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में तिलहनों तथा उसके उत्पादों और वनस्पति तेलों के उत्पादन परिसंस्करण, ग्रेडिंग और विपणन के संवर्धन और विकास के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अन्य एजेंसियों की स्थापना करना,

(ण) बोर्ड के कृत्यों या यथा निर्धारित कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे गए कोई भी अन्य मामले ।

(3) बोर्ड अपने कार्यों को इस धारा के अधीन ऐसे नियमों के अनुसार और अध्यधीन करेगा जैसाकि केन्द्रीय सरकार इस विषय पर बनाएगी ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की क्रियान्विति

70. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को यह सुझाव दिया है कि रोजगार के अवसर पैदा करने और ग्रामीण परिसम्पत्ति का निर्माण करने के लिए फालतू खाद्यान्नों का उपयोग कर के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी हां ।

(ख) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 मिलियन टन अतिरिक्त गेहूं आबंटित करने का निर्णय लिया गया है। इस मात्रा में से विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को गेहूं के आबंटन भी कर दिये गये हैं।

हैदराबाद में फिल्मोत्सव का आयोजन

71. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्मोत्सव '86 हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस बार इस उत्सव के लिए हैदराबाद में आयोजित करने का चुनाव कैसे किया गया;

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम पर इससे कितना खर्चा आयेगा;

(घ) क्या पहले आयोजित उत्सवों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किये गये हैं कि जो कमियां पहले रही हैं दुबारा न रहें, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या "भारतीय पनोरमा" भाग में क्षेत्रीय फिल्में भी दिखाई जायेंगी; यदि हां, तो इन फिल्मों के चयन के मानदंड क्या हैं?

(च) क्या विभिन्न भारतीय भाषाओं की फिल्मों को उचित बराबरी का स्थान दिया जायेगा; और

(छ) फिल्मोत्सव '86 आयोजित करने में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा क्या भूमिका निभाई जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां।

(ख) "फिल्मोत्सव" के नाम से जाने जाने वाला भारत का गैर-प्रतियोगी अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हर एकान्तर वर्ष में नई दिल्ली से भिन्न किसी अन्य भारतीय शहर में आयोजित किया जाता है। यह कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा बंगलौर में पहले ही आयोजित किया जा चुका है। हैदराबाद भी एक मुख्य फिल्म निर्माण केन्द्र है और इसलिए फिल्मोत्सव '86 को हैदराबाद में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) लगभग 50 लाख रुपये।

(घ) सुधार एक सतत प्रक्रिया है और पूर्व समारोहों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर समारोह की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाये जाते हैं।

(ङ) और (च) फिल्मोत्सव '86 में एक भारतीय पैनोरमा वर्ग होगा जिसमें 16 अक्तूबर, 1984 तथा 31 अगस्त, 1985 (दोनों दिनों को मिला कर) के बीच केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित अधिकतम 21 फीचर फिल्में तथा अधिकतम 21 लघु फिल्में होंगी। भारत पैनोरमा में शामिल करने के लिए केवल चलचित्रिकी, विषय वस्तु तथा सौन्दर्यात्मक रूप से उत्कृष्ट फिल्में

ही चुनी जायेंगी। भारतीय पैनोरमा के लिए फिल्मों का चयन करने के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं के लिए समानता मार्गदर्शी पहलू नहीं है।

(छ) क्योंकि फिल्मोत्सव '86 आंध्र प्रदेश की राजधानी, हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है, अतः समारोह का आयोजन करने में राज्य सरकार राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को पूरा सहयोग दे रही है।

पश्चिम बंगाल में झींगा मछली और मछली-पालन का विकास

72. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में खारे जल क्षेत्रों में झींगा मछली और मछली के पाए जाने की सबसे अधिक सम्भावना है;

(ख) क्या खारे जल क्षेत्र में उत्पादन बहुत अधिक बढ़ाने के लिये कोई प्रौद्योगिकी विकसित की गई है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में मछली के बीज पैदा करने और मत्स्य प्रजनन की व्यवस्था करने के अतिरिक्त वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण झींगा मछली और मछली पालन के लिए कोई उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) चयनात्मक संग्रहण और परिपूरक आहार जैसी प्रौद्योगिकी लागू की जा रही है। उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए खोज की जा रही है।

(ग) और (घ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन सरकार ने वाणिज्यिक रूप से महत्व पूर्ण झींगा तथा मछली का पालन करने के लिए पश्चिम बंगाल में खारे पानी के दो मछली फार्मों की मंजूरी दी है।

"गांधी" फिल्म पर हुआ खर्च

73. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म निगम को भारत-ब्रिटिश फिल्म "गांधी" से विदेशी मुद्रा में कितना लाभ हुआ है और अब तक कितनी धनराशि का भारत में प्रत्यावर्तन किया गया है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं कि पूरे लाभ का उचित ढंग से हिसाब रखा गया है और इस फिल्म का प्रदर्शन करने वाले विदेशी एजेन्टों ने इस लाभ का कोई भाग न तो अपने पास रखा है और न ही उसका दुरुपयोग किया है;

(ग) इस फिल्म से भारत में कुल कितनी आय हुई है; और

(घ) भारतीय फिल्म विकास निगम द्वारा इस फिल्म के शुरू किए जाने से लेकर इसे

अंतिम रूप दिए जाने तक तथा विदेशों में इसके प्रदर्शन पर और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक और अन्य अधिकारियों के विदेशों पर अधिकारीवार कुछ कितनी धनराशि खर्च की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) (ख) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही हैं और उसको तथा समय सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

(ग) 29 जून, 1985 के दिन की स्थिति के अनुसार भारत में फिल्म की कुल आय 2.87 करोड़ रुपये थी।

चीनी उत्पादन की अर्थ-व्यवस्था

74. **श्री आर०.एम० भोये** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि कृषकों को प्रोत्साहन के अभाव खेती के परम्परागत तरीके छोड़ कर आधुनिक तकनीक अपनाने में किसानों के प्रतिरोध तथा निहित कृषि हितों के दबाव के कारण देश में चीनी उत्पादन की अर्थ-व्यवस्था संकटयुक्त है तथा पिछले कुछ वर्षों से चीनी का उत्पादन कम होता जा रहा है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस मामले की जांच करने और इस संबंध में उपाय सुझाने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी नहीं। गन्ना उत्पादकों को राज्य सरकारों द्वारा अपनी अग्रताओं के अनुसार राज्य-क्षेत्र के अधीन प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। सामान्यतया, इन प्रोत्साहनों में गन्ने के बीजों, उर्वरकों का उत्पादन और वितरण करना, पौध संरक्षण, सिंचाई, निदर्शन आदि शामिल होते हैं। केन्द्रीय सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अधीन गन्ने के मूल्य के न्यूनतम स्तर को भी सुनिश्चित करती है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह विदित हो कि किसान गन्ने के उत्पादन की रुढ़िवादी खेती की तकनीक की बजाय खेती की आधुनिक तकनीक को अपनाने का विरोध करते हैं।

(ख) देशी चीनी के उत्पादन की अर्थ-व्यवस्था विषयक विशिष्ट मामले की जांच करने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेषज्ञ समिति गठित नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

आवास-योजनाओं के लिए बिहार को वित्तीय सहायता

75. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बिहार के लिए 63 आवास-योजनाओं की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को वित्तीय-सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) से (घ) आवास राज्य का विषय है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता विकास की किसी विशेष योजना अथवा शीर्ष से संबद्ध किए बिना समेकित ऋण तथा समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है। तथापि, आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा (हुडको) एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ने 39.74 करोड़ रुपये की ऋण बचनबद्धता सहित 68.75 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली बिहार के विभिन्न आवास अभिकरणों से प्राप्त 63 योजनाओं को स्वीकृत किया है। इससे 42,265 रिहायशी एककों, 42,700 मूलभूत स्वच्छता एककों तथा 1073 प्लाटों के विकास का प्रावधान होगा।

[अनुवाद]

वाराणसी स्थित दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की अभीष्ठ क्षमता

76. **श्री जैनुल बशर** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाराणसी स्थित दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की अभीष्ठ क्षमता कितनी होगी और उसके अन्तर्गत कितना प्रसारण क्षेत्र आयेगा;

(ख) अब तक की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और उसके अन्तर्गत कितनी क्षेत्र आता है; और

(ग) वास्तव में कितनी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है और उसके अन्तर्गत कितना क्षेत्र आता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) वाराणसी में दूरदर्शन ट्रांसमीटर 10 किलोवाट की अपनी पूरी शक्ति पर कार्य कर रहा है और यह लगभग 33,900 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध करता है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को धन का आबंटन

77. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य-वार, विशेषकर उड़ीसा के लिए कितनी राशि आबंटित की गई;

(ख) कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गई और क्या उपलब्धियां हुई;

(ग) क्या यह सच है कि 1985-86 के दौरान उड़ीसा को आबंटित की गई राशि स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्र से राशि बढ़ाने के लिए कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो केंन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) 1984-85 के दौरान उड़ीसा सरकार ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2045.14 लाख रुपये व्यय किए हैं और 2,13,119 परिवारों को सहायता पहुंचाई गई है।

(ग) से (ङ) 1985-86 के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्मक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा को 2496 लाख रुपये का आबंटन किया गया है । उड़ीसा सरकार ने यह उल्लेख किया है कि पूरक सहायता देने के लिए निर्धारित 184,350 पुराने लाभार्थियों और 61,450 नये लाभार्थियों को कम से कम 2,000 रुपये प्रति परिवार आर्थिक सहायता देने के लक्ष्य को पूरा करने हेतु यह आबंटन पर्याप्त नहीं होगा । उसके साथ ही राज्य सरकार ने कहा है कि पहले दो वर्षों में सहायता प्राप्त 2,38,776 लाभार्थियों में से 59,660 पुराने लाभार्थी और अधिक सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं, अतः उन्होंने यह सुझाव दिया है कि तदनुसार पुराने लाभार्थियों के लक्ष्य में संशोधन किया जाये । इस कार्य हेतु निर्धारित घर-घर जाकर सर्वेक्षण के अनुसार पुराने लाभार्थियों के लक्ष्यों को पुनरीक्षण किया जा रहा है और उड़ीसा के बारे में 20.11.1985 को विचार-विमर्श किया जाएगा ।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम—1984-85 के दौरान 1 मार्च,1985 तक प्रगति

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	कुल आबंटन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2640.00
2.	असम	1072.00
3.	बिहार	4696.00
4.	गुजरात	1744.00
5.	हरियाणा	744.00
6.	हिमाचल प्रदेश	552.00
7.	जम्मू व कश्मीर	904.00

1	2	3
8.	कर्नाटक	1400.00
9.	केरल	1208.00
10.	मध्य प्रदेश	3672.00
11.	महाराष्ट्र	2368.00
12.	मणिपुर	208.00
13.	मेघालय	240.00
14.	नागालैंड	168.00
15.	उड़ीसा	2512.00
16.	पंजाब	944.00
17.	राजस्थान	1888.00
18.	सिक्किम	32.00
19.	तमिलनाडु	3024.00
20.	त्रिपुरा	136.00
21.	उत्तर प्रदेश	7096.00
22.	पश्चिम बंगाल	2680.00
	केन्द्रशासित क्षेत्र	
23.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	40.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	384.00
25.	चण्डीगढ़	8.00
26.	दादरा व.नगर हवेली	8.00
27.	दिल्ली	40.00
28.	गोवा, दमन व दीव	96.00
29.	लक्षद्वीप	40.00
30.	मिजोरम	160.00
31.	पांडिचेरी	92.00
	अखिल भारत :	40736.00

ग्रामीण युवकों के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवक

78. **श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 के दौरान ग्रामीण युवकों के लिए स्व-रोजगार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितने युवकों को प्रशिक्षण दिया गया और इससे वास्तव में कितने लोगों को रोजगार दिया गया ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : वर्ष 1984-85 के दौरान ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने को योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवकों तथा वास्तव में नियोजित युवकों की राज्य वार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राइसेम) योजना
के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 के दौरान प्रशिक्षित युवाओं तथा
वास्तव में नियोजित युवाओं की संख्या

राज्य	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	स्व-नियोजित युवाओं की संख्या	मजदूरी वाले रोजगार पर लगे युवाओं की संख्या	स्व-नियोजित मजदूरी वाले रोजगार पर लगे युवाओं की संख्या (3+4)
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	10,460	5,492	असूचित	5,492
2. असम	5,548	2,238	असूचित	2,238
3. बिहार	8,359	2,631	1,777	4,408
4. गुजरात	10,475	5,141	1,275	6,416
5. हरियाणा	4,058	348	237	585
6. हिमाचल प्रदेश	2,081	1,335	382	1,717
7. जम्मू तथा कश्मीर	2,227	641	100	741
8. कर्नाटक	6,534	977	असूचित	977
9. केरल	9,754	4,436	4,132	8,568
10. मध्य प्रदेश	20,077	12,043	2,476	14,519
11. महाराष्ट्र	12,706	7,215	2,330	9,545
12. मणिपुर	442	114	असूचित	114
13. मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14. नागालैंड	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
15. उड़ीसा	9,405	4,990	असूचित	4,990

1	2	3	4	5
16. पंजाब	11,868	5,857	असूचित	5,857
17. राजस्थान	22,348	11,711	2,982	14,693
18. सिक्किम	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
19. तमिलनाडु	17,250	4,817	5,299	10,116
20. त्रिपुरा	280	59	—	59
21. उत्तर प्रदेश	46,983	18,174	3,707	21,881
22. पश्चिम बंगाल	11,492	1,875	1,327	3,202
संघ शासित क्षेत्र				
23. अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24. अरुणाचल प्रदेश	195	85	—	85
25. चण्डीगढ़	118	29	4	33
26. दादरा तथा नगर हवेली	29	18	—	18
27. दिल्ली	733	23	—	23
28. गोवा, दमन तथा दीव	2,917	2,107	214	2,321
29. लक्षद्वीप	—	—	—	—
30. मिजोरम	745	19	शून्य	19
31. पांडिचेरी	246	69	असूचित	69
अखिल भारत	2,17,330	92,444	26,242	1,18,686

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा किसानों को सहायता

79. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने किसानों को कितनी सहायता अथवा लाभ दिया है;

(ख) गत वर्ष राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्यों को दी गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाये गये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन० सी० डी० सी०) एक संवर्धनात्मक और विकासात्मक वित्तदाता संस्था है। यह कृषि उत्पादों के भंडारण, विपणन और संसाधन के लिए कृषि आदानों की सप्लाई के लिए देश भर में सहकारी समिति के माध्यम से कार्यक्रमों के नियोजन और संवर्धन के वास्ते और मछली पालन, मुर्गीपालन, डेरी, जनजाति सहकारी समितियों आदि जैसे कमजोर वर्गों के लिए सहकारी समितियों के विकास के लिए उत्तरदायी है। एन० सी० डी० सी० ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों के माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण को भी प्रोत्साहन दे रहा है और धन लगा रहा है। एन० सी० डी० सी० से कृषक सहकारी समितियों को सरकार की सेण्ट्रल सेक्टर स्कीमों और निगम प्रत्यायोजित स्कीमों के भाग के रूप में राज्य सरकारों तथा राज्य सहकारी बैंकों के मार्फत सहायता दी जाती है।

(ख) 1984-85 के दौरान सेण्ट्रल सेक्टर स्कीमों और निगम प्रत्यायोजित स्कीमों के अधीन एन० सी० डी० सी० द्वारा 124.706 करोड़ रुपये कर की सहायता दी गई। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सातवीं योजना परिव्यय और एन० सी० डी० सी० द्वारा तैयार किए गए सहकारिता विकास के कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं :—

रुपए (करोड़ में)

कार्यकलाप	वित्तीय परिव्यय
विपणन	37.40
शीत भंडारण सहित भंडारण	194.70
कृषि संसाधन	288.90
कृषि आदान	106.00
कमजोर वर्ग और अन्य कार्यक्रम	123.00
जोड़	750.00

मुख्य कार्यक्रमों के सम्बन्ध में वास्तविक लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :—

(1) कृषि उत्पादों का विपणन	4000 करोड़ रुपए
(2) उर्वरकों का वितरण	2900 करोड़ रुपए मूल्य का 65 लाख टन
(3) अतिरिक्त गोदाम क्षमता का सृजन	20 लाख मीटरी टन को बढ़ाकर कुल क्षमता 100 लाख मी० टन

विवरण

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा 1984-85 के
दौरान दी गई सहायता

(रुपये लाख में)

क्रम संख्या	राज्य	सेण्ट्रल सेक्टर स्कीम	निगम प्रत्यायोजित स्कीम	कुल जोड़
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	313.497	339.627	653.124
2.	असम	124.990	35.912	160.902
3.	बिहार	825.068	36.103	861.171
4.	गुजरात	29.350	323.894	353.244
5.	हरियाणा	125.829	85.541	211.370
6.	हिमाचल प्रदेश	130.993	78.295	209.288
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—
8.	कर्नाटक	163.200	406.634	569.834
9.	केरल	10.350	129.960	140.310
10.	मध्य प्रदेश	697.350	649.177	1346.527
11.	महाराष्ट्र	745.019	681.241	1426.260
12.	मणिपुर	16.314	11.000	27.314
13.	मेघालय	16.328	3.320	19.648
14.	नागालैंड	—	—	—
15.	उड़ीसा	448.334	152.173	600.507
16.	पंजाब	489.380	524.270	1013.650
17.	राजस्थान	328.253	190.381	518.634
18.	सिक्किम	40.000	—	40.000
19.	तमिलनाडु	389.262	433.900	823.162
20.	त्रिपुरा	86.104	9.820	95.924

1	2	3	4	5
21.	उत्तर प्रदेश	1535.835	1367.468	2903.303
22.	पश्चिम बंगाल	363.324	130.750	494.074
23.	अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह	1.860	—	1.860
24.	पांडिचेरी	—	0.480	0.480
	कुल	6880.640	5589.946	12470.586

विश्व बैंक द्वारा अतिरिक्त सहकारी भंडारण परियोजनाओं के लिए राज्यों को सहायता

80. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**
श्री गुरदास कामथ :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक अतिरिक्त सहकारी भण्डारण परियोजनाएं तैयार करने के लिए कुछ राज्यों को वित्तीय सहायता दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी सहायता दी है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान विश्व बैंक की सहायता से विभिन्न राज्यों में कितनी सहकारी भण्डारण परियोजनाओं का निर्माण किया गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन० सी० डी० सी०) द्वारा विश्व बैंक की सहायता से बारह राज्यों में सहकारी भंडारण परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। विश्व बैंक (आई० डी० ए०) भारत सरकार के मार्फत एन० सी० डी० सी० को वित्तीय सहायता देता है। फिर एन० सी० डी० सी० इसमें से स्वीकृत पैटर्न और कार्यान्वयन की प्रगति के अनुसार परियोजना राज्यों को धन देता है।

(ख) 1982-85 के दौरान एन० सी० डी० सी० द्वारा परियोजना राज्यों को कुल 80 करोड़ रुपए की सहायता दी गई जिनमें आई० डी० ए० का शेयर 48.96 करोड़ रुपए था। ब्यौरे विवरण-1 में प्रस्तुत हैं।

(ग) और (घ) इस अवधि के दौरान 13.83 लाख मीटरी टन क्षमता के 6760 ग्रामीण और 632 विपणन गोदाम बनाए गए। इस प्रकार 31 मार्च, 1985 तक बनाए गए कुल गोदामों की संख्या 8298 ग्रामीण और 747 विपणन गोदाम हो गई है और इस प्रकार परियोजना राज्यों में कुल भंडारण क्षमता 18.06 लाख मीटरी टन है। राज्य-वार ब्यौरे विवरण-2 में प्रस्तुत हैं।

विवरण-1

परियोजनाओं (एन० सी० डी० सी०-1, एन० सी० डी० सी०-2 और एन० सी० डी० सी०-3) तथा आई० डी० ए० (विश्व बैंक) की सहायता के अंश के अधीन गोदामों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों, राज्य सरकारी बैंकों, राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकों और बिहार राज्य सहकारी विपणन यूनियन को पिछले तीन वर्षों (1982-85) के दौरान एन० सी० डी० सी० द्वारा दी गई सहायता

(लाख रुपयों में राशि)

स्कीम	राज्य	राज्य सरकारों को दी गई राशि	एस० सी० बी०/ एस० एल० डी० बी०/ बि० रा० स० बि० यू० को दी गई राशि	उसमें आई० डी० ए० का अंश
1	2	3	4	5
एन० सी० डी० सी० 1				
	हरियाणा	38.107	308.139	246.511
	उड़ीसा	154.753	332.538	266.030
	उत्तर प्रदेश	186.793	720.982	576.786
	तक० सहायता	—	10.224	10.224
	योग	379.653	1371.883	1099.551
एन० सी० डी० सी० 2				
	आन्ध्र प्रदेश	273.667	693.218	589.235
	बिहार	90.525	263.486	223.963
	हिमाचल प्रदेश	81.283	241.922	205.634
	महाराष्ट्र	504.727	913.874	776.793
	पंजाब	571.472	1352.019	1149.216
	तक० सहायता	—	55.000	55.000
	योग	1521.674	3519.519	2999.841

1	2	3	4	5
एन० सी० डी० सी० 3				
	कर्नाटक	—	—	—
	मध्य प्रदेश	—	159.377	135.470
	उड़ीसा	—	96.372	81.916
	राजस्थान	—	—	—
	उत्तर प्रदेश	270.100	676.555	575.072
	पश्चिम बंगाल	—	4.887	4.154
	तक० सहायता	—	—	—
	कुल	270.100	937.191	796 612
	सकल योग	1271.427	5828.593	4896.004

विवरण-2

पिछले तीन वर्षों (1982-85) के दौरान एन० सी० डी० सी०-1, एन० सी० डी० सी०-2 और एन० सी० डी० सी०-3 भंडारण परियोजनाओं के अधीन निर्मित गोदामों (क्षमता सहित) के राज्यवार ब्यौरे

(क्षमता मीटरी टन में)

क्रम संख्या	परियोजना राज्य	पिछले तीन वर्षों (1982-85) के दौरान बनाए गए गोदाम			परियोजना के शुरू होने से 31.3.85 तक बनाए गए गोदामों की संख्या		
		आर०	एम०	क्षमता	आर०	एम०	क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8
एन० सी० डी० सी० 1							
1.	हरियाणा	635	16	112500	900	57	272000
2.	उड़ीसा	757	195	129460	922	218	159260
3.	उत्तर प्रदेश	2450	2	245250	3568	18	398650
	योग	3860	213	487210	5390	293	834960

1	2	3	4	5	6	7	8
एन० सी० डी० सी 2							
1.	आन्ध्र प्रदेश	1036	48	116500	1044	48	117300
2.	बिहार	—	96	138750	—	101	142750
3.	हिमाचल प्रदेश	332	20	29650	332	20	29650
4.	महाराष्ट्र	365	133	127200	365	135	144200
5.	पंजाब	986	122	466800	986	150	520500
	योग	2719	419	878900	2727	454	954400
एन० सी० डी० सी० 3							
1.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	—
2.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—
3.	उड़ीसा	—	—	—	—	—	—
4.	उत्तर प्रदेश	181	—	16800	181	—	16800
5.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—
6.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—
	योग	181	—	16800	181	—	16800
	सकल योग	6760	632	1382910	8289	747	1806160

नोट—आर—ग्रामीण गोदाम (संख्या)
एम—विपणन गोदाम (संख्या)

देश में बाढ़ और तूफान के कारण नुकसान

81. श्री बृजमोहन महन्ती :

श्री लक्ष्मण मलिक :

श्रीमती जयन्ती पटनायक :

श्री चित्त महाता :

श्री सोमनाथ रथ :

श्री काली प्रसाद पांडे :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रणी :

श्री अनंत प्रसाद सेठी :

श्री चिंतामणि पाणिग्रही :

श्री अमर रायप्रधान :

श्री अमर सिंह राठवा :

श्री जगन्नाथ पटनायक :

श्री प्रकाश चन्द्र :

श्री नारायण चौबे :

श्री सत्यगोपाल मिश्र :

श्री टी ० बालागौड :

श्री मुधरीधर गाने :

श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

श्री गुरू दास कामथ :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में, विशेषकर उड़ीसा में, बाढ़ और तूफान से हुए भारी नुकसान की जानकारी है और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने तूफान और बाढ़ से प्रभावित राज्यों को राहत कार्यों तथा मरम्मत कार्यों के लिए कोई धनराशि दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में जन-धन की क्षति का मूल्यांकन करने के लिए को अध्ययन दल नियुक्त किया है और यदि हां तो उनके द्वारा किए गए मूल्यांकन का ब्यौर क्या है;

(घ) क्या सरकार ने प्रभावित लोगों को राहत देने के संबंध में कोई मार्गनिर्देश दिए हैं और

(ङ) देश के विभिन्न भागों में बाढ़ और तूफान की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या दीर्घ कालीन उपाय किए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमन्। बाढ़/तूफान से प्रभावित राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर तैयार किया गया विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) संलग्न विवरण में उल्लिखित राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार औ सिक्किम ने कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी है। केन्द्रीय दल ने केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, त्रिपुरा असम, मणिपुर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मेघालय का दौरा किया है। उड़ीसा के बारे में केन्द्रीय दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। मणिपुर, मेघालय और असम संबंधी रिपोर्ट की जांच की जा रह

है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव के अनुरोधों की जांच कर ली गई है। गोवा, दमन और दीव के लिए स्वीकृति शीघ्र ही जारी की जाने की संभावना है। मिजोरम के अनुरोध की जांच की गई है और उनसे आगे और ब्यौरे तथा समेकित ज्ञापन देने का अनुरोध किया गया है।

केन्द्रीय दलों और राहत संबंधी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 1985-86 के दौरान निम्नलिखित राज्यों को निम्नलिखित राशि तक की केन्द्रीय सहायता की मंजूरियां जारी की हैं :—

	(रुपए करोड़ में)
1. केरल	134.79
2. महाराष्ट्र	13.91
3. पंजाब	60.88
4. त्रिपुरा	3.73
5. उत्तर प्रदेश	128.27
6. अरुणाचल प्रदेश	3.79

(घ) भारत सरकार ने सूखा और बाढ़ प्रबंध के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तथा उनके सहायता मैनुअलों को संशोधित करने/तैयार करने के लिए भी मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं।

(ङ) तटबंधों, जल निकास नालों का निर्माण, गांवों के बाढ़ स्तर ऊंचा करना, कस्बों की हिफाजत, बाढ़ चेतावनी प्रणाली आदि जैसे दीर्घकालिक उपायों को 1954 से मार्च, 1985 तक की अवधि के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किया गया है। निम्नलिखित वास्तविक उपलब्धियां हुई हैं :—

(1) नये तटबंध	13,885 कि० मी०
(2) जल निकास नाले	26,230 कि० मी०
(3) संरक्षित कस्बों की संख्या	360
(4) उन गांवों की संख्या जिनके बाढ़ स्तर ऊंचे किए गए हैं	4,700
(5) संरक्षित क्षेत्र	13 मिलियम हैक्टेयर
(6) बाढ़ पूर्वानुमान घोषणा करने वाले स्टेशनों की संख्या	145

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ नियंत्रण उपायों पर 778.66 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय था जबकि पहली योजना में यह 13.21 करोड़ रुपये था। सातवीं योजना में बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए 948 करोड़ रुपया है।

चक्रवात के मामले में, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में 357 चक्रवात आश्रत स्थापित किए गए हैं। 321 निर्माणाधीन हैं या उन पर कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, विशाखापटनम और भुवनेश्वर में चक्रवात चेतावनी केन्द स्थापित किए गए हैं। कलकत्ता, पारादीप, विशाखापटनम, मछलीपटनम आदि में चक्रवात का पता लगाने के राडार भी स्थापित किए गए हैं।

विवरण

1985 के दौरान बाढ़, भू-स्खलन और भारी वर्षा के कारण हुई हानि

क्र० सं०	राज्य/विपदा	प्रभावित जिलों की संख्या	प्रभावित गांवों की संख्या	प्रभावित लोगों की कुल सं० (लाख में)	कुल प्रभावित क्षेत्र	फसल वाली प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल, (लाख हे० में)	क्षतिग्रस्त फसल की अनुमानित कीमत (रुपए लाख में)	क्षतिग्रस्त मकानों/झोपड़ियों की संख्या	सार्वजनिक सम्पति की हानि (रुपए लाख में)	मनुष्यों को हानि	पशुओं की हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	असम (चक्रवात)	3	80	0.05	—	—	—	2564	—	4	—
	(बाढ़)	10	3558	23.66	6.47	0.82	168.29	114370	1035.88	55	687
2.	बिहार (बाढ़)	20	3895	46.95	7.32	3.26	2505.88	33565	130.68	64	9
3.	हरियाणा (बाढ़)	7	1046	11.12	1.64	1.07	2324.00	94057	1462.91	31	237
4.	हिमाचल प्रदेश (बाढ़)	12	12534	—	—	—	7955.05	7367	159.76	33	1138
5.	केरल (बाढ़)	14	900	146.00	1.46	0.90	16150.00	478514	32636.00	102	19002
6.	महाराष्ट्र (बाढ़)	4	—	—	—	—	—	—	7592.60	75	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	मणिपुर (बाढ़)	8	—	2.44	0.23	0.09	4.21	6601	270.21	5	19
8.	मेघालय (बाढ़) (भूस्खलन)	2	270	2.44	3.40	0.07	—	961	—	25	446
9.	नागालैंड (बाढ़)	7	23	0.32	0.08	0.04	54.06	—	—	—	—
10.	उड़ीसा (बाढ़)	9	145	57.18	7.08	5.45	1936.68	82805	6062.40	22	528
	(चक्रवात)	5	7506	40.00	2.98	2.98	—	34539	—	40	1073
11.	पंजाब (बाढ़)	12	4320	19.77	3.25	3.25	—	368637	75.00	128	1629
12.	सिक्किम (भूस्खलन)	4	26	0.25	0.07	0.05	103.20	135	1750.00	2	24
13.	त्रिपुरा (बाढ़)	3	138	3.00	0.02	0.02	243.07	13825	391.45	10	—
14.	उत्तर प्रदेश (बाढ़) (भूस्खलन)	54	24375	174.91	35.77	22.14	—	492000	—	721	3482
15.	पश्चिम बंगाल (बाढ़)	7	457	4.20	0.88	0.006	1.00	524	—	1	4
16.	अरुणाचल प्रदेश (बाढ़)	6	—	1.70	0.63	0.63	1943.00	31000	—	14	3500
	(भूस्खलन)	5	—	—	0.04	0.008	28.00	—	550.84	—	—
17.	गोवा, दमन और द्वीप	—	—	—	—	—	—	300	—	—	—
	योग :	192	73905	532.99	70.32	40.78	33416.44	1761824	52117.73	1332	36650

भारतीय प्रेस परिषद की शक्तियां

82. **श्री भोला नाथ सेन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस परिषद के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए भारतीय प्रेस परिषद ने परिषद की शक्तियां में वृद्धि करने और/या प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपाय किए गए है/करने का विचार किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एम० गाडगिल) : (क) और (ख) भारतीय प्रेस परिषद ने चूककर्ता समाचारपत्रों/एजेंसियों तथा इनके कार्यकर्ताओं के संबंध में केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों को दांडिक कार्रवाई की अनुशंसा करने का परिषद को अधिकार देने के लिए प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14 में कतिपय संशोधन सुझाए हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने मामले में अभी कोई अन्तिम दृष्टिकोण नहीं बनाया है।

पश्चिम बंगाल में कीटों द्वारा धान की फसल को क्षति पहुंचाना

83. **श्री भोला नाथ सेन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में हाल ही में धान की फसल को कीटों द्वारा क्षति पहुंचाई गई है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में चालू वर्ष के दौरान कीटों द्वारा क्षतिग्रस्त फसलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) फसलों को कीटों के आक्रमण से न बचा पाने के क्या कारण हैं; और

(घ) पश्चिम बंगाल में भविष्य में फसलों को कीटों के आक्रमण से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) जी हां। अगस्त सितम्बर, 1985 के दौरान वर्दमान, बीरभूम नादिया, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया और 24-परगना (पश्चिम बंगाल) के निचले क्षेत्रों में रोपित की गई धान की फसल धान के हिस्वा से ग्रस्त हुई है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार और किसानों द्वारा समय पर और बड़े पैमाने पर किये गए कीट नियंत्रण उपायों के कारण धान का हिस्वा नामक कीट पर सफलतापूर्वक नियंत्रण किया गया और फसल को सम्भावित क्षति होने से बचाया गया।

(घ) पश्चिम बंगाल में कीट के खतरे पर नियंत्रण करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा निम्न कदम उठाये गये हैं :—

(1) खरीफ और रबी की फसलों पर कीटों के आक्रमण का पता लगाने और पूर्व चेतावनी

देने के लिए केन्द्र-राज्य के संयुक्त दलों द्वारा कीटों पर नियमित निगरानी और प्रबोधन किया जाता है।

(2) राज्य सरकार और किसानों द्वारा समय पर कीट नियंत्रण अभियानों का आयोजन किया जाता है।

(3) पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक दवाओं की सप्लाई और उपलब्धि का प्रबंध किया जाता है।

छठी योजना के दौरान राज्यों में फालतू भूमि का वितरण

84. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में आवास स्थलों के आबंटन और फालतू भूमि के वितरण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में निर्धारित लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल में कार्यनिष्पादन की स्थिति क्या रही ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) छठी योजना में 68 लाख पात्र भूमिहीन परिवारों को गृह स्थल करने की परिकल्पना की गई थी। लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि (पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार) को दर्शाने वाला विवरण-एक संलग्न है। छठी योजना के पहले दो वर्षों के दौरान फालतू भूमि के वितरण के बारे में यद्यपि कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे, लेकिन राज्यों द्वारा सूचित उपलब्धियां यह दर्शाती हैं कि वर्ष 1980-81 और 1981-82 में क्रमशः 1,44,668 एकड़ तथा 84,726 एकड़ अधिकतम सीमा से फालतू भूमि वितरित की गई थी। अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का वितरण संबंधी विषय बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल होने के कारण 1982-83 के बाद राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों के परामर्श से भूमि वितरण हेतु विशेष लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। छठी योजना के आखिरी तीन वर्षों में निर्धारित लक्ष्य और सूचित उपलब्धियां संलग्न विवरण-दो से विवरण-चार में दर्शाई गई हैं।

विवरण-एक

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों को गृह स्थलों का आबंटन

राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र	गृह स्थल	
	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	11,10,000	15,49,726
2. असम	2,30;000	81,698

1	2	3
3. बिहार	16,80,000	85,987
4. गुजरात	2,00,000	4,07,570
5. हरियाणा	1,20,000	95,090
6. हिमाचल प्रदेश	—	739
7. जम्मू व कश्मीर	10,000	2,151
8. कर्नाटक	3,50,000	4,17,796
9. केरल	2,70,000	22,641
10. मध्य प्रदेश	3,50,000	1,36,512
11. महाराष्ट्र	90,000	1,77,362
12. उड़ीसा	3,20,000	1,27,187
13. पंजाब	60,000	4,930
14. राजस्थान	1,90,000	3,46,201
15. सिक्किम	—	—
16. तमिलनाडु	13,20,000	13,27,408
17. त्रिपुरा	20,000	24,071*
18. उत्तर प्रदेश	3,70,000	5,55,332
19. पश्चिम बंगाल	60,000	40,401
20. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	3,855
21. दादरा व नगर हवेली	—	173
22. दिल्ली	10,000	14,540
23. गोवा, दमन व दीव	—	3,522
24. लक्षद्वीप	—	20
25. पांडिचेरी	10,000	8,587
योग :	67,70,000	54,33,509

*28.2.1985 तक की उपलब्धि।

विवरण-दो

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों को आवास स्थल का आबंटन

(एकड़)

	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	12,600	22,500	178.6
2. असम	87,400	8,080	9.6
3. बिहार	54,100	8,300	15.3

1	2	3	4
4. गुजरात	42,600	14,300	33.6
5. हरियाणा	4,200	3,140	74.8
6. हिमाचल प्रदेश	—	—	—
7. जम्मू व कश्मीर	—	—	—
8. कर्नाटक	1,14,000	97,620	85.6
9. केरल	2,500	2,590	103.6
10. मध्य प्रदेश	58,600	8,040	13.7
11. महाराष्ट्र	31,000	2,040	6.6
12. मणिपुर	600	420	70.0
13. मेघालय	—	—	—
14. नागालैंड	—	—	—
15. उड़ीसा	32,700	8,410	25.7
16. पंजाब	11,400	5,540	48.6
17. राजस्थान	10,000	17,800	178.0
18. सिक्किम	—	—	—
19. तमिलनाडु	10,000	11,960	119.6
20. त्रिपुरा	200	320	160.0
21. उत्तर प्रदेश	16,600	4,830	29.4
22. पश्चिम बंगाल	38,900	23,590	60.4
केन्द्रशासित क्षेत्र	300	790	263.3
अखिल भारत	5,30,700	2,53,010	47.7

विवरण-तीन

फालतू भूमि के वितरण के अन्तर्गत लक्ष्य और उपलब्धियां—1983-85

(एकड़)

	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धियों का प्रतिशत
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	71,821	13,077	18.2
2. असम	11,000	20,327	184.8

1	2	3	4
3. बिहार	25,000	22,678	90.7
4. गुजरात	10,000	29,016	290.16
5. हरियाणा	3,500	2,313	66.1
6. हिमाचल प्रदेश	—	—	—
7. जम्मू व कश्मीर	—	—	—
8. कर्नाटक	55,000	6,322	11.5
9. केरल	5,000	2,183	43.7
10. मध्य प्रदेश	15,000	5,388	35.9
11. महाराष्ट्र	9,886	7,382	74.7
12. मणिपुर	400	271	72.7
13. मेघालय	—	—	—
14. नागालैंड	—	—	—
15. उड़ीसा	8,750	10,857	124.1
16. पंजाब	2,000	2,690	134.5
17. राजस्थान	12,000	24,608	205.1
18. सिक्किम	—	—	—
19. तमिलनाडु	10,000	11,412	114.1
20. त्रिपुरा	200	90	45.0
21. उत्तर प्रदेश	5,000	6,910	138.2
22. पश्चिम बंगाल	38,900	24,888	56.3
केन्द्र शासित प्रदेश			
23. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
24. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
25. चण्डीगढ़	—	—	—
26. दादरा व नगर हवेली	125	318	254.4
27. दिल्ली	100	143	143.0
28. गोवा, दमन व दीव	—	—	—
29. लक्षद्वीप	—	—	—
30. मिजोरम	—	—	—
31. पांडिचेरी	500	103	20.6
अखिल भारत	2,84,182	1,90,996	67.07

विवरण-चार

फालतू भूमि के वितरण के अन्तर्गत लक्ष्य तथा उपलब्धि—1984-85

(एकड़)

राज्य/केन्द्रशासित	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	50,000	22,169	44.3
असम	11,000	11,200	101.8
बिहार	27,850	20,351	73
गुजरात	12,000	12,943	107.9
हरियाणा	2,000	2,910	145.5
हिमाचल प्रदेश	—	—	—
जम्मू व कश्मीर	—	—	—
कर्नाटक	7,030	6,671	94.9
केरल	3,000	3,591	119.7
मध्य प्रदेश	8,000	2,022	25.3
महाराष्ट्र	10,000	13,210	132
मणिपुर	250	345	138.0
मेघालय	—	—	—
नागालैंड	—	—	—
उड़ीसा	9,000	9,595	106.6
पंजाब	900	997	110.8
राजस्थान	12,000	24,086	200.7
तमिलनाडु	5,000	5,067	101.3
त्रिपुरा	100	112	112.0
उत्तर प्रदेश	5,000	5,003	100.1
पश्चिम बंगाल	35,000	17,764	50.8
केन्द्र शासित क्षेत्र			
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
चण्डीगढ़	—	—	—
दादरा व नगर हवेली	165	165	100
दिल्ली	80	13	26.0
गोवा, दमन व दीव	—	—	—
लक्षद्वीप	—	—	—
मिजोरम	—	—	—
पांडिचेरी	425	16	3.8
	1,98,770	1,58,230	79.60

गुजरात में दूरदर्शन रिले केन्द्र

85. **श्री मोहन भाई पटेल :**
श्री अमर सिंह राठवा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजररत राज्य में कितने दूरदर्शन केन्द्र और दूरदर्शन रिले केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) इस समय गुजरात में कितने प्रतिशत जनसंख्या और कितने क्षेत्र को दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध है;

(ग) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान गुजरात में कुछ और दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो इसके लिए किस-किस स्थान का चयन किया गया है; और

(घ) क्या सरकार राज्य के ऐसे पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों को प्राथमिकता देने पर विचार करेगी, जहां अब तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) इस समय गुजरात राज्य में 9 स्थानों पर दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं।

(ख) इस समय दूरदर्शन सेवा राज्य के 56 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में फैली लगभग 69 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध है।

(ग) छठी योजना की स्कीमों के अंग के रूप में भुज में कार्यान्वयनाधीन अल्प शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर के 1986 के मध्य तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

(घ) जी, हां।

भुवनेश्वर में टी० वी० स्टूडियो का निर्माण

86. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**
श्री टी० बाला गौड :
श्री मुरलीधर माने :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भुवनेश्वर में एक पूर्ण स्तरीय टेलीविजन स्टूडियो का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों में चयन किया गया है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) उपर्युक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रयोजन के लिए मौजा नया पल्ली में स्थान चुना गया है।

(ग) और (घ) स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण सहित इस परियोजना पर लगभग 14 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। परियोजना और प्राक्कलनों के लिए सरकार की औपचारिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

टेलीविजन ट्रांसमीटरों की स्थापना

87. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**
श्री उत्तम राव पाटिल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत समूचे देश में दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कुछ और दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो देश की शत-प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सुविधा किस वर्ष तक उपलब्ध हो जाएगी;

(ग) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितने-कितने ट्रांसमीटरों की मंजूरी दी गई है;

(घ) उड़ीसा के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने "लो पावर ट्रांसमीटर" स्वीकृत हुए हैं; और

(ङ) उड़ीसा के किन-किन स्थानों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ङ) दूरदर्शन कवरेज देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने के लिए सातवीं

योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त दूरदर्शन ट्रांसमीटर चरणबद्ध ढंग से स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसमें उड़ीसा में उच्च शक्ति वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर भवानी पटना में तथा अल्प शक्ति वाले 8 ट्रांसमीटर, बारीपाडा, सुन्दरगढ़, बालेश्वर, क्योंझर, बोलंगीर, फुलबनी, जेपोर तथा छत्तरपुर में एक-एक, स्थापित करना शामिल है। 100 प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य उत्तरीवर्ती योजनाओं की अवधियों में प्राप्त किया जाना है। विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले ट्रांसमीटरों के बारे में स्पष्ट स्थिति कुछ समय बाद उपलब्ध होगी।

श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकारों को अन्तरिम सहायता

88. **श्री चित्त महाटा :**
श्री बी० तुलसी राम :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकारों को अंतरिम सहायता देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) श्रम जीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकारों को मजदूरी की अन्तरिम दरें देने के प्रश्न को, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अनुसार, मजदूरी बोर्डों को विचार के लिए भेजा गया है। उनकी सिफारिशों के प्राप्त होने पर, सरकार आवश्यकता पड़ने पर आगे कार्यवाही करेगी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बागवानी

89. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिकाधिक क्षेत्र बागवानी के अधीन लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 के लिए इस कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 1985-86 के दौरान केन्द्रीय भागीदारी के रूप में बागवानी विकास कार्यक्रम के लिए 418.29 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। योजना के ब्यौरे तथा भाग लेने वाले राज्यों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं०	योजना का नाम	1985-86 के दौरान मंजूर की गई धनराशि	भाग लेने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम
		(लाख रुपये)	
1.	नारियल विकास करने के लिए पैकेज कार्यक्रम	49.07	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा असम
2.	नारियल विकास बोर्ड की परियोजनाएं	150.00	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, गुजरात, मध्य-प्रदेश, गोवा, पांडिचेरी तथा अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह
3.	काजू विकास सम्बन्धी पैकेज कार्यक्रम	84.90	केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा गोवा
4.	बढ़िया किस्म के सेब उत्पादन सम्बन्धी उन्नत प्रौद्योगिको	13.69	जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश
5.	मसाला विकास सम्बन्धी कार्यक्रम	8.53	केरल, महाराष्ट्र, गोवा अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह
6.	कोको विकास संबंधी कार्यक्रम	2.99	केरल तथा कर्नाटक
7.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का वनस्पति उत्पादन बढ़ाने के लिए मिनिकिट वितरण संबंधी कार्यक्रम	63.00	असम, बिहार, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली तथा चंडीगढ़
8.	संघ राज्य क्षेत्रों में केला तथा अनन्नास संबंधी पैकेज कार्यक्रम	7.61	अरुणाचल प्रदेश, अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह और गोवा

उत्कृष्ट सन्तति आर्चर्ड एवं पौधशालाओं की स्थापना करने की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अलावा, 1985-86 के लिए 38.50 लाख रुपये के परिव्यय से 10 एस० सी० आई० फार्मों की मंजूरी दी गई है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर व्यापारिक विज्ञापन

90. **श्री यू० एच० पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अक्तूबर, 1985 के "जयहिन्द" (गुजरात का एक दैनिक समाचारपत्र) में "दूरदर्शन को एडवरटाइजमेंट के जरिए 60 करोड़ की आमदनी" शीर्षक के प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने व्यापारिक विज्ञापनों को दूरदर्शन पर और अधिक रुचिकर और लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं और क्या सरकार को इस सम्बन्ध में जनता के सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां। समाचार में आपरेशन्स रिसर्च ग्रुप, बड़ौदा द्वारा किए गए एक अध्ययन का उल्लेख किया गया है। अध्ययन के निष्कर्षों में, अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया, बताया गया है कि दूरदर्शन को विज्ञापनों के माध्यम से उत्तरोत्तर अधिक विज्ञापन राजस्व प्राप्त होगा।

(ग) और (घ) विज्ञापन दूरदर्शन द्वारा नहीं बल्कि विज्ञापन एजेंसियों द्वारा तैयार किए जाते हैं और ये दूरदर्शन की वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता से विनियमित होते हैं। विज्ञापनों की शैली और विषय-वस्तु के बारे में कुछ सामान्य सुझाव समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं। इन पर विचार किया जाता है और इनको विज्ञापनदाताओं/विज्ञापन एजेंसियों के ध्यान भी लाया जाता है।

[अनुवाद]

"राम तेरी गंगा मैली" और "मास्टर जी" चलचित्रों पर प्रतिबंध लगाना

91. **श्री उत्तम राव पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "राम तेरी गंगा मैली" और "मास्टर जी" चलचित्रों पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में कोई मांग की गयी है;

(ख) क्या सेंसर बोर्ड ने उक्त फिल्मों को वयस्क प्रमाणपत्र दिए बिना पास कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें "राम तेरी गंगा मैली" नामक फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग है। केन्द्रीय

फिल्म प्रमाणन बोर्ड को "मास्टर जी" नामक फिल्म के संबंध में इस प्रकार की किसी मांग की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) "राम तेरी गंगा मैली" नामक फिल्म को कुछ काट-छाट के अधीन "यू" प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, क्योंकि बोर्ड ने इस फिल्म को अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त समझा था। "मास्टर जी" नामक फिल्म को कुछ काट-छांट के अधीन "यू ए" प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, क्योंकि बोर्ड ने माता-पिता या अभिभावक को इस बारे में सावधान करना आवश्यक समझा कि बारह वर्ष से कम आयु के बच्चों को फिल्म देखने की अनुमति दी जाए या नहीं।

महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में सूखा

92. **श्री उत्तम राव पाटिल :**
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :
श्री आर० एम० भोये :
श्री प्रकाश वी० पाटिल :
प्रो० राम कृष्ण मोरे :
श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र और कर्नाटक के अनेक जिलों में उत्पन्न भंयकर सूखे की स्थिति की जानकारी है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस गंभीर समस्या को विशेषकर किसानों को हो रही कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए क्या अल्पकालिक और दीर्घकालिक कदम उठाए गए हैं/उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या फसल और पशुओं को क्षति का मूल्यांकन करने के लिए एक केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस दल की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्य की सरकारों द्वारा दिए गए नवीनतम ज्ञापनों के अनुसार महाराष्ट्र के 14 जिले और कर्नाटक के 17 जिले सूखे की चपेट में है।

(ख) महाराष्ट्र तथा कर्नाटक की राज्य सरकारों ने सूखे के कारण 1985-86 वित्तीय वर्ष के दौरान दो बार केन्द्रीय सहायता के लिए ज्ञापन भेजे हैं।

(ग) भारत सरकार ने सूखे की घटनाओं और गहनता को कम करने के लिए बहुत से

दीर्घकालिक उपाय किए हैं। इन उपायों में सिंचाई के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, मृदा तथा जल संरक्षण कार्यक्रम, बारानी खेती, फसल बीमा, वनरोपण, बीजों की उन्नत तथा सूखा प्रतिरोधी किस्मों का विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, पीने के पानी का कार्यक्रम और छोटे तथा सीमांम किसानों की सहायता के कार्यक्रम शामिल हैं।

(घ) तथा (ङ) महाराष्ट्र की राज्य सरकार से केन्द्रीय सहायता के लिए पहला ज्ञापन प्राप्त होने पर केन्द्रीय दल ने महाराष्ट्र के सूखे की चपेट में आये इलाकों का दौरा किया। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट और उस पर राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सहायता के रूप में महाराष्ट्र को 34.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। दूसरे ज्ञापन पर कार्रवाई करने के लिए सम्भवतः एक केन्द्रीय दल शीघ्र ही राज्य का दौरा करेगा।

इस वर्ष के दौरान दो केन्द्रीय दलों ने कर्नाटक का दौरा किया है। केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों और उन पर राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर कर्नाटक में सूखा राहत उपायों के लिए 53.31 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गैर सहकारी पार्टियों से बीजों की खरीद

93. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई सूचना मिली है कि राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार के अच्छे किस्म के प्रमाणित बीज प्राधिकृत अभिकरणों से खरीदने के अनुदेशों की अवहेलना करके पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किसानों को देने के लिये गैर-सरकारी पार्टियों से बीजों की खरीद की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र को प्राप्त हुई सूचना का ब्यौरा क्या है और राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के अनुदेश की अवहेलना करने के क्या कारण है;

(ग) पश्चिम बंगाल की वार्षिक प्रमाणित बीज आवश्यकता कितनी है;

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय बीज अभिकरणों को कितने बीजों की सप्लाई का आर्डर दिया है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं। भारत सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि पश्चिम बंगाल सरकार गैर-सरकारी पार्टियों से बीजों की खरीद कर रही है। यद्यपि केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बीज उत्पादन करने वाले संगठनों के पास उपलब्ध प्रमाणीकृत/बढ़िया किस्म के बीजों की खरीद करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देती है, फिर भी कोई विशेष अनुदेश नहीं हैं कि राज्य सरकारों को इस प्रकार के बीजों की खरीद सिर्फ सरकारी एजेंसियों से करनी चाहिए।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) वर्ष 1985-86 के लिए पश्चिम बंगाल की प्रमाणीकृत बीज की वार्षिक मांग 5,29,180 क्विटल है।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय बीज एजेंसियों अर्थात राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम को 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान क्रमशः 32,359, 38,010 तथा 38,435 क्विंटल बीज की आपूर्ति करने के आदेश दिए हैं।

(ङ) यद्यपि बीज उत्पादन तथा वितरण की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, फिर भी भारत सरकार से राष्ट्रीय तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बीज उत्पादन करने वाली एजेंसियों द्वारा जब भी अनुरोध किया जाता है, विभिन्न बीजों की अपेक्षित मात्रा की खरीद करने में वह उनकी सहायता करती है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत छठी योजना के दौरान पश्चिमी बंगाल के लिये निर्धारित लक्ष्य

94. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा प्रायोजित/सहायता प्राप्त विभिन्न गरीबी हटाने संबंधी कार्यक्रमों और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के लिये लक्ष्य निर्धारित किये गए थे;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल के लिये निर्धारित लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पश्चिम बंगाल के लिये निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में यदि कोई कमी रही है तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत यह कमी मुख्य रूप से प्रारंभिक वर्षों में इस कार्यक्रम के देरी से शुरू किए जाने के कारण थी। तथापि कार्य-निष्पादन में गति आई है तथा बाद के वर्षों में उपलब्धि 100 प्रतिशत से अधिक है।

विवरण

छठी योजनावधि में इस मंत्रालय के प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में लक्ष्य और उपलब्धियों

कार्यक्रम	एकक	लक्ष्य	उपलब्धि
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	लाख लाभार्थी	10.05	7.18
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम*	लाख श्रम दिवसों का रोजगार	1388.75	1383.54
राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	लाख श्रम दिवसों का रोजगार	301.02	80.00

*राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था; छठी योजना के लिए लक्ष्यों और उपलब्धियों, दोनों में वर्ष के दौरान 328.51 लाख श्रम दिवसों की उपलब्धि जोड़ी गई है।

सूखा-संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में लागू किए जा रहे दूसरे प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं और इसीलिए उपलब्धियों की लक्ष्यों के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। तथापि, छठी योजनावधि के दौरान पश्चिमी बंगाल में सूखा-संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 5.06 हजार हैक्टेयर भूमि पर भूमि एवं नमी संरक्षण कार्य किया गया था, 9.85 हजार हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई संभाव्यताओं में वृद्धि की गई, तथा 31.6 हजार हैक्टेयर भूमि पर वनरोपण एवं चरागाह विकास किया गया। इस कार्यक्रम से 84.18 लाख श्रम दिवसों के रोजगार का सृजन हुआ।

पश्चिम बंगाल द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत धनराशि का उपयोग

95. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में गरीबी हटाने तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये आबंटित की गई धनराशि का पूर्ण उपयोग करने में पश्चिम बंगाल सरकार असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो उस धनराशि का ब्यौरा क्या है जो केन्द्र ने गरीबी हटाने और ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रमों के लिये आबंटित की थी, परन्तु राज्य सरकार ने जिसका उपयोग नहीं किया है;

(ग) उसके क्या कारण हैं; और

(घ) पश्चिम बंगाल में गरीबी हटाने और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये आबंटित धनराशि का सातवीं योजना में बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) व (ख) छठी योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत निधियों के आबंटनों तथा उनके उपयोग को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :—

(रुपये करोड़ में)

कार्यक्रम	कुल आबंटन	कुल उपयोग
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	117.25	53.93
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	147.13	113.10
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	46.20	12.38
सूखा-संभावित क्षेत्र कार्यक्रम	24.00	18.46

(ग) व (घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत यह कमी मुख्य रूप से प्रारंभिक वर्षों में इस कार्यक्रम के देरी से शुरू किये जाने के कारण थी। तथापि, कार्य-निष्पादन में गति

आई है और बाद के वर्षों की उपलब्धि 100 प्रतिशत से अधिक है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1985-86 के दौरान कार्यक्रम की गति बढ़ाने हेतु उपाय किए गये हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा धोबी घाटों का निर्माण

96. **श्री भरत सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा धोबी घाटों के निर्माण में रुचि नहीं ली जा रही है;

(ख) निर्माण कार्य, जो कि अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, शुरू न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार कुछ अन्य स्थानों पर धोबी घाट बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) यह सही नहीं है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण धोबी घाट के निर्माण में रुचि नहीं ले रहा है।

(ख) और (ग) निर्मित/नवीकृत, जो निर्माणाधीन हैं तथा जिनका अभी तक निर्माण आरम्भ नहीं किया गया है, ऐसे धोबी घाटों के ब्यौरों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है। स्थलों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिये जाने पर कुछ और धोबी घाटों का निर्माण आरम्भ किया जाएगा।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण के मलिन बस्ती विभाग द्वारा निर्मित
नवीकृत धोबी घाटों की सूची

क्रम सं०	स्थान/कालोनी जहां धोबी घाट का निर्माण किया गया है।	पत्थरों की संख्या
1	2	3
1.	त्रिलोकपुरी	8 पत्थर
2.	दक्षिणपुरी	8 पत्थर
3.	मादीपुर	8 पत्थर
4.	जहांगीरपुरी	8 पत्थर
5.	सुल्तानपुरी	16 पत्थर
6.	संगमपार्क	16 पत्थर
7.	मंगोलपुरी	16 पत्थर
8.	सीलमपुर	12 पत्थर

1	2	3
9.	जहांगीरपुरी	8 पत्थर
10.	शकूरपुर	8 पत्थर
11.	चन्द्रशेखर आजाद कालोनी (पदम नगर)	16 पत्थर
12.	खिचड़ीपुर/त्रिलोकपुरी	40 पत्थर
13.	कालका जी	8 पत्थर
14.	नारायणा	16 पत्थर
15.	नन्द नगरी (संजय पार्क)	16 पत्थर
	योग	204 पत्थर

(ख) धोबी घाटों की सूची
(कार्य प्रगति पर है)

क्रम सं०	स्थान/कालोनी जहां कार्य प्रगति पर है	पत्थरों की संख्या
1.	नेहरू नगर	12 पत्थर
2.	झिलमिल	16 पत्थर
3.	न्यू सीमापुरी	16 पत्थर
4.	गढ़ी	24 पत्थर
5.	गोकलपुरी	16 पत्थर
6.	ज्वालापुरी	16 पत्थर
7.	हस्तशाल	16 पत्थर
	योग	116 पत्थर

(ग) कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका

क्रम सं०	स्थान/कालोनी जहां कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका	पत्थरों की संख्या	टिप्पणी
1.	रघुबीर नगर	16 पत्थर	कार्य आरम्भ किया गया था लेकिन वहां निवासियों द्वारा स्थल पर प्रतिरोध के कारण रोक दिया गया।
2.	इन्द्र लोक	16 पत्थर	स्थल की अनुपलब्धता के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

सातवीं योजना में कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के लिये विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

97. **श्री यशवंत राव गडाख पाटिल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना में कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के लिए विश्व बैंक से बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के प्रश्न पर बैंक से विचार विमर्श किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक की वचनबद्धता समग्र देश के लिए कॉन्सार्टियम की बैठक में वार्षिक रूप मे की जाती है और न कि विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि के लिए अलग-अलग नहीं। बैंक की प्रतिबद्ध समग्र सहायता के अन्तर्गत निधीयन के लिए विश्न बैंक द्वारा स्वीकृत योजना आबंटनों, किए गए प्रस्तावों और परियोजनाओं के आधार पर विभिन्न सेक्टरों में आबंटन किया जाता है।

दक्षिण अफ्रीकी फिल्मों का आयात

98. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :**
श्री काली प्रसाद पांडेय :
श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह पाया है कि दक्षिण अफ्रीकी मूल की "ब्यूटीफुल पीपुल" और "दि गाड्स मस्ट बी क्रेजी" नामक दो चलचित्रों के आयात और प्रदर्श में किन्हीं अधिकारियों का हाथ है; और

(ख) यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी जमीन से झुग्गियों और झोपड़ियों का हटाया जाना

99. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 से केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को झुग्गियों और झोंपड़ियों को हटाने के लिए तथा विस्थापितों को वैकल्पिक आवासीय भूखंड दिए जाने के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कितने मकान और भूखंड आबंटित किए गए हैं;

(ग) कितने भूखंड और मकान अवैध कब्जे में हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वसूल की जाने वाली लाइसेंस फीस की कितनी धनराशि बकाया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) झुग्गी झोपड़ी उन्मूलन योजना के लिये अनुदान दिल्ली प्रशासन द्वारा दिया जाता है न कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्लाटों के विकासार्थ दिल्ली प्रशासन द्वारा रिलीज किये गये अनुदानों का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है :—

वर्ष	राशि (करोड़ में)
1980-81	1.50 रुपये
1981-82	—
1982-83	1.50 रुपये
1983-84	1.50 रुपये
1984-85	3.92 रुपये

(ख) 1960 में योजना के आरम्भ होने से अब तक लगभग 2.40 लाख प्लाट/टेनामेंटों का आबंटन किया गया है।

(ग) कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है लेकिन आबंटियों द्वारा लगभग 50 प्रतिशत प्लाटों एवं टेनामेंटों का अनधिकृत रूप से अन्तरण किया है।

(घ) 31-3-85 तक लगभग 13.15 करोड़ रुपये। यह मुख्यतया आबंटियों द्वारा अनधिकृत रूप से प्लाटों के अन्तरण के कारण है।

चीनी का आयात

100. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :**
प्रो० राम कृष्ण मोरे :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयात की जाने वाली 10 लाख टन चीनी की सम्पूर्ण मात्रा पहुंच गई है, यदि नहीं तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने और अधिक चीनी का आयात करने का निर्णय किया है, यदि हां, तो चीनी की और कितनी मात्रा का आयात करने का विचार है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को आयातित चीनी के वितरण में सुधार हुआ है; और

(घ) आयातित चीनी की सप्लाई से चीनी के थोक तथा खुदरा मूल्यों में किस सीमा तक कमी हुई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) फिलहाल वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान लगभग 19.5 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने का निर्णय किया गया है। इस मात्रा के प्रति 31-10-1985 तक 10.33 लाख मीटरी

टन आयातित चीनी पहुँच चुकी है। अधिक मात्रा में आयात करने की आवश्यकता चीनी मौसम 1985-86 के दौरान उत्पादन की प्रवृत्तियों पर निर्भर करेगी।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम ने विभिन्न राज्य सरकारों के आयातित चीनी के मासिक आबंटनों के प्रति पूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए संबंधित राज्यों की बन्दरगाहों पर आयातित चीनी के पर्याप्त स्टाक तैयार किए हैं। जहां कहीं भी राज्य सरकारों द्वारा आयातित चीनी का उठान करने के कारण चीनी के मूल्य पर दबाव बढ़ने की प्रवृत्ति पैदा हुई, तभी भारतीय खाद्य निगम ने खुले बाजार में मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखने के उद्देश्य से चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अधिक मात्रा में आयातित चीनी की नीलामी की है। अतः चीनी के थोक मूल्य, जोकि 31-7-1985 को प्रमुख मंडियों में 685 रुपये से 800 रुपये प्रति क्विंटल के रेंज में थे, 7-11-85 को गिरकर 612 रुपये से 698 रुपये प्रति क्विंटल के रेंज में पहुंच गए हैं। आयातित चीनी के थोक मूल्य 550 रुपये से 560 रुपये प्रति क्विंटल के आस-पास हैं।

स्किम दुग्ध चूर्ण और बटर आयल का यूरोपीय आर्थिक समुदायों से उपहार

101. **श्री श्रीहरि राव : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय में दुग्ध क्रांति-2 कब आरम्भ हुई है और इस दुग्ध क्रांति परियोजना की अवधि क्या थी;

(ख) क्या दुग्ध क्रांति-2 की अवधि के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने प्रति वर्ष 35,000 मीटरिक टन स्किम दुग्ध चूर्ण और 15,000 मीटरिक टन बटर आयल उपहार स्वरूप देने की पेशकश की थी;

(ग) यदि हां, तो इस उपहार पेशकश के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस भारी मात्रा का निपटान करने के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है;

(घ) क्या यह दोनों मदें अर्थात् स्किम दुग्ध चूर्ण और बटर आयल बेबी फूड के प्रमुख अवयव हैं; और

(ङ) सरकार इन उत्पादों की अच्छी किस्म का उत्तरदायित्व किस प्रकार लेगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आपरेशन फ्लड-2, 485.50 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से 7 वर्षों की अवधि के लिए सरकार द्वारा अक्तूबर, 1978 में अनुमोदित किया गया। इस परियोजना के द्वितीय चरण को 1989-90 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई० ई० सी०) आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 1978-79 से छह वर्षों की अवधि के लिए 186000 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण और 76200 मी० टन बटर आयल/मक्खन दान देने पर सहमत हुआ था। इसके अतिरिक्त यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण, बटर आयल और वनस्पति तेल की अतिरिक्त मात्रा की भी सप्लाई की। आपरेशन फ्लड-2 के तहत 1984-85 तक योरोपीय आर्थिक समुदाय से

उपहारस्वरूप प्राप्त कुल आपूर्तियां निम्नलिखित हैं :

	(मात्रा मी० टन में)
स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण	216584000
बटर आयल	62401540
मक्खन	16577000
वनस्पति तेल	497.00

उपहार में प्राप्त जिंसों को भारतीय डेरी निगम द्वारा डेरियों को जारी किया गया और इसके फलस्वरूप प्राप्त हुई निधियों का इस्तेमाल आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए संसाधन के रूप में किया जा रहा है।

(घ) शिशु आहार के विनिर्माता, शिशु दुग्ध आहार का विनिर्माण करने हेतु ताजे या संरक्षित ठोस दूध का अपने विवेकानुसार इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं, और इस तरह विनिर्मित उत्पाद का पी० एफ० ए० नियम, 1955 में विनिर्दिष्ट मानकों पर भी खरा उतरना होता है तथा इसके लेबल पर इसकी समाप्ति की तिथि का भी उल्लेख होना चाहिए।

(ङ) आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के तहत, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय से उपहार में प्राप्त जिंसों की भारतीय डेरी निगम द्वारा की जा रही सप्लाई की मात्रा और गुणवत्ता सही है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत शिशु दुग्ध आहारों की गुणवत्ता की जांच की जाती है।

स्किम दुग्ध चूर्ण और बटर आयल से बेबी फूड का उत्पादन

102. **श्री श्रीहरि राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों का भोजन आयातित/दान में मिले स्किम दुग्ध चूर्ण और बटर आयल पदार्थों से निर्मित किया जा रहा है;

(ख) बच्चों के भोजन (बेबी फूड) के निर्माण के लिए स्किम दुग्ध चूर्ण और बटर आयल पर निर्भर रहने के क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्किम दुग्ध चूर्ण और बटर आयल की कितनी मात्रा का आयात किया गया/दान में प्राप्त हुई है; और

(घ) आयातित पदार्थों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा इस क्षेत्र में स्वदेश उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) शिशु दुग्ध आहार का उत्पादन करने के लिए शिशु दुग्ध आहार के विनिर्माताओं को भारतीय डेरी निगम किसी आयातित/दान में मिले स्किम दुग्ध चूर्ण और बटर आयल की आपूर्ति नहीं कर रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) 1982-83 से 1984-85 के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय मात्रा से उपहार के

रूप में प्राप्त स्किम दुग्ध चूर्ण और बटर आयल की मात्रा नीचे दी गई है :

(मात्रा मीटरी टन)

वर्ष	स्किम दुग्ध चूर्ण	बटर आयल
1982-83	37,572.528	9331.050
1983-84	7,694.700	599.260
1984-85	68,803.278	15859.397

(घ) विभिन्न केन्द्रीय, केन्द्र प्रायोजित और राज्य प्लान योजनाओं, जिनमें आपरेशन फ्लड कार्यक्रम भी शामिल है, के प्रभाव के कारण देश में अनुमानित दुग्ध उत्पादन 1969-70 में 216.00 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1984-85 में 387.4 लाख मीटरी हो गया। दुग्ध चूर्ण का अनुमानित स्वदेशी उत्पादन, जिसमें शिशु दुग्ध आहार भी शामिल है, 1970 में 22,354 मीटरी टन से बढ़कर 1984 में 95,600 मीटरी टन हो गया।

भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रियों और संसद सदस्यों के नाम बिजली और पानी का बकाया शुल्क

103. **श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रियों और भूतपूर्व संसद सदस्यों के नाम बिजली और पानी के शुल्क की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) उक्त बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फलों तथा सब्जियों के लिए भण्डारण सुविधा

104. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**
श्री सुभाष यादव :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में उपजाए गए फलों तथा सब्जियों की अधिकांश मात्रा उचित भण्डारण सुविधा के अभाव में बर्बाद हो जाती है;

(ख) इस प्रकार फलों तथा सब्जियों के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत उपयोग के लायक नहीं रहता;

(ग) उसका अनुमानित मूल्य क्या है; और

(घ) क्या सरकार को इस राष्ट्रीय सम्पदा के परिरक्षण हेतु व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) चूंकि फलों और सब्जियों के भण्डारण से सम्बन्धित विषय इस मंत्रालय के कार्यक्रम में नहीं आता है इसलिए इस विषय पर इस मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है।

भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रियों तथा संसद सदस्यों पर बकाया मकान किराया

105. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रियों तथा संसद सदस्यों पर सरकारी आवास रखने के लिए मकान किराये की कितनी धनराशि बकाया है; और

(ख) मकान बकाया किराये की राशि वसूल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 31-10-1985 तक 30.24 लाख रुपये की राशि बकाया है।

(ख) विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करने के अलावा सरकारी बकायों को वसूल करने के लिए लोक परिसर (अनधिकृत दखंलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अन्तर्गत भी कार्यवाही की गई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों का निर्माण तथा आबंटन

106. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की मकानों की औसतन मांग लगभग 80,000 मकान प्रति वर्ष है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण का जिसे, दिल्ली में मकान बनाने के मामले में एकाधिकार प्राप्त है, एक वर्ष में 8,000 से 10,000 मकान से अनधिक मकान बनाने का रिकार्ड है;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितने मकान बनाते गए और लोगों को कितने मकान आबंटित किए गए; और

(घ) शेष मकानों का आबंटन न करने के क्या कारण हैं; ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1981-1986 की अवधि के लिए दिल्ली की मकानों की औसतन आवश्यकता एक वर्ष में लगभग 65,000 एकक आंकी गई है।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्न प्रकार से फ्लैटों का निर्माण तथा आबंटन किया है :—

वर्ष	निर्मित मकानों की संख्या	आबंटित मकानों की संख्या
1982-83	6,634	सूचना एकत्र की जा रही है
1983-84	12,726	तथा सभा पटल पर रख दी
1984-85	7,295	जाएगी।

(घ) इंजीनियरी विभाग द्वारा निर्मित मकानों के ब्यौरे प्राप्त होने पर आबंटन आवास विभाग द्वारा किया जाता है। तथापि, कभी-कभी यमुना-पार क्षेत्र जैसे क्षेत्रों, जो कि अधिक लोकप्रिय नहीं हैं, में आबंटियों द्वारा फ्लैट स्वीकार नहीं किये जाते हैं जिसके कारण वे कुछ समय तक बिना आबंटन के रह जाते हैं। परन्तु आमतौर पर इन्हें अन्य पंजीकृत व्यक्तियों को दे दिया जाता है।

ग्रामीण श्रमिकों के लिए श्रम-कानून बनाया जाना

107. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संगठित क्षेत्रों के ढांचे पर यह सुनिश्चित करने के लिए श्रम कानून बनाने के बारे में विचार कर रही है कि ग्रामीण श्रमिकों को भी चिकित्सीय बीमा, विश्राम की सुविधाएं प्राप्त हों और उनके रोजगार की शर्तों का मानकीकरण और विनियमन हो;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आधार क्या है; और

(ग) इस संबंध में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) कृषि श्रमिकों के लिए केन्द्रीय कानून बनाने के प्रस्ताव पर विभिन्न मंचों में विचार किया गया था लेकिन यह निर्णय लिया गया कि कृषि श्रमिकों की काम-काज की दशाओं को विनियमित करने और उन्हें कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त कानून बनाया जाए। राज्य सरकारों को तदनुसार सलाह दी गई।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

किसानों को कृषि उत्पादों के लिए लाभप्रद मूल्य

108. **श्री पी० आर० कुमार मंगलम** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा सुनियोजित कृषि उत्पादन के द्वारा यह निश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि बाजार में अतिरिक्त धान, गेहूं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की वर्तमान स्थिति का निवारण किया जाये और किसानों को उनके उत्पादन के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित किए जायें?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : सरकार की नीति आयातों पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए तिलहनों, दलहनों तथा गन्ने सहित अनिवार्य मदों का उत्पादन बढ़ाने पर बल देना है। इन जिंसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों तथा उपायों के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गेहूं तथा चावल की फसलों की प्रति हैक्टार उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि संशोधित फसल पद्धतियों की गुंजाइश के अलावा छोटे क्षेत्रों से देश की खाद्यान्नों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।

गेहूं तथा चावल देश की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य खाद्य है। अतः बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन दोनों जिंसों का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में श्रमिक प्रशिक्षण संस्थान

109. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई श्रमिक प्रशिक्षण संस्थान खोला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) श्रम मंत्रालय, श्रमिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने से संबंधित नहीं है। तथापि, संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्कूल छोड़ने वाले युवकों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाते हैं।

गैर-हिन्दी राज्यों के आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों पर हिन्दी का प्रयोग

110. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन के गैर-हिन्दी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित केन्द्र में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस संबंध में की गई वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का वर्तमान सुविधाओं की पुनरीक्षा करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य सूचना और शिक्षा का प्रसार करना तथा मनोरंजन प्रदान करना है। अतः विभिन्न राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों/दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित/टेलीकास्ट होने वाले अधिकांश कार्यक्रम मुख्यतया संबंधित सेवा क्षेत्र में व्यापक रूप से बोली और समझी जाने वाली भाषा में होते हैं। तथापि, अहिन्दीभाषी क्षेत्रों में स्थित सभी आकाशवाणी केन्द्र समाचार बुलेटिनों, वार्ताओं, परिचर्चाओं, संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रमों आदि को हिन्दी में नियमित रूप से रिले करते हैं। वास्तव में, 23 केन्द्रों से हिन्दी पाठों को नियमित रूप से प्रसारित किया जा रहा है तथा उनमें से अधिकांश में उनकी अवधि हफ्ते में 4 से 5 बार है। दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में अधिक प्रतिशतता हिन्दी की है। इसके अलावा अल्प शक्ति वाले सभी ट्रांसमीटर केवल दिल्ली के कार्यक्रमों को ही रिले करते हैं।

आकाशवाणी केन्द्रों और दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा प्रसारित और टेलीकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रमों को श्रोताओं और दर्शकों की अभिरुचियों और आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। इस प्रकार की अभिरुचियों और आवश्यकताओं को देखते हुए अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रों से प्रसारित और टेलीकास्ट किए जा रहे मौजूदा कार्यक्रमों की मात्रा पर्याप्त है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा मणिपुर में मक्का की खरीद

111. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का इम्फाल एकक मणिपुर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध

मक्के की खरीद के लिए कोई प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्ष के दौरान कितनी मात्रा खरीदी गई;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का मणिपुर में उक्त फसल की प्रचुर मात्रा में उपलब्ता को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर पुनः विचार करने का है; और

(घ) अब तक इस फसल की पर्याप्त खरीद न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) मक्का सहित मोटे अनाजों की वसूली करने का कार्य भारतीय खाद्य निगम के परिचालनों के दायरे में नहीं आता है ।

(ग) और (घ) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० को 1985-86 मौसम के लिए राज्य सहकारिता विपणन एजेन्सियों अथवा राज्य द्वारा नामित की गई किन्हीं अन्य एजेन्सियों के सहयोग से मक्का सहित मोटे अनाजों की समर्थन खरीदारी करने के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है । विपणन मौसम 1985-86 के उचित औसत किस्म की मक्का का समर्थन मूल्य 130 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय

112. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय **खोलने का है;**

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में में, विशेषकर मणिपुर में ऐसा विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता की जांच करेगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान । सरकार ने उत्तरी-पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की बात को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है ।

(ख) इस क्षेत्र के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान की जरूरतों की समीक्षा की गई थी । इसके बाद एक प्रारूप प्रायोजना प्रस्ताव तैयार किया गया और उसे उत्तरी-पूर्वी परिषद और विभिन्न राज्यों/उत्तरी-पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के संघ शासित राज्य की सरकारों को इस अनुरोध के साथ भेजा गया था कि वे इस पर अपनी टिप्पणी/सुझाव भेजें ताकि आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए एक व्यापक प्रायोजना प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा सके । अभी तक इस संबंध में उनकी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खाड़ी देशों में भारतीय मजदूरों की जीवन दशा

113. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एजेंटों द्वारा झूठे वायदे करके चोरी-छिपे विदेश ले जाए गए बड़ी संख्या में

भारतीय मजदूरों को सीरिया, लेबनान और अन्य विभिन्न देशों में बहुत कम मजदूरों पर रोजगार दिया गया है और उनमें से कुछ को जेल में भी रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न देशों में (i) असामान्य रूप से कम मजदूरी पर दयनीय स्थिति में रह रहे ऐसे भारतीय मजदूरों की संख्या और (ii) गैर-कानूनी रूप में प्रवेश करने के कारण जेलों में बन्द भारतीय मजदूरों की संख्या के बारे में सरकार का नवीनतम अनुमान क्या है; और

(ग) उनके स्वदेश प्रत्यावर्तन या उनके लिए उपयुक्त कार्य और जीवन दशा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

शहरी क्षेत्रों में पेय-जल और सफाई सुविधाएं

114. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में सभी शहरी क्षेत्रों को पेय जल उपलब्ध कराने और उन क्षेत्रों में मल-निर्यास और सफाई सुविधाओं के विस्तार के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके अन्तर्गत क्षेत्र-वार तथा जनसंख्या-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय पेय जलपूर्ति तथा स्वच्छता दशक की राष्ट्रीय वृहद योजना में दिए गए लक्ष्यों के अनुसार दशक के अन्त तक अर्थात 31 मार्च, 1991 तक सरकार निम्नलिखित समावेशन को प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है।

शहरी जलपूर्ति : जनसंख्या का शत-प्रतिशत
शहरी स्वच्छता : जनसंख्या का 80 प्रतिशत

तथापि, दशक गतिविधियों की हाल ही में की गई मध्यावधि दशक समीक्षा के अनुसार लक्ष्यों के कम होने की सम्भावना है।

(ख) राज्यों द्वारा दशक कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता है तथा शहरी जलपूर्ति एवं स्वच्छता के लिए प्रावधान राज्य क्षेत्र में किया जाता है। हाल ही में की गई मध्यावधि दशक समीक्षा के अनुसार सातवीं योजना के दौरान शहरी जलपूर्ति तथा स्वच्छता (जनसंख्यावार तथा प्रतिशततावार दोनों प्रकार से) का समावेशन, जिन राज्यों द्वारा प्राप्त किए जाने की संभावना है, नीचे दिया गया है :—

	लाभान्वित की जाने वाली सम्भावित आबादी	कुल आबादी की प्रतिशतता
शहरी जलपूर्ति	169.96 मिलियन	86.4
शहरी स्वच्छता	87.91 मिलियन	44.7

राज्यवार लक्ष्यों को अभी निश्चित नहीं किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल और सफाई सुविधाएं

115. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में सभी ग्रामीण क्षेत्रों को पेय-जल उपलब्ध कराने और उन क्षेत्रों में मलनिर्यास और सफाई सुविधाओं के विस्तार के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके अन्तर्गत क्षेत्र-वार तथा जनसंख्या-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करने के लिए वचनबद्ध है। यह उद्देश्य 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र सं 8 के अन्तर्गत आता है और यह न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में भी शामिल है। 7वीं योजना के दौरान, अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल आपूर्ति तथा स्वच्छता दशक (1981-1991) के उद्देश्य के आधार पर लक्ष्य यह होगा कि समस्त ग्रामीण आबादी के लिए पर्याप्त पेय जल की सुविधाओं तथा कम से कम 25 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के लिए स्वच्छता की सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। सातवीं योजना में ग्रामीण जल आपूर्ति तथा सफाई के लिए परिव्यय इस प्रकार है :—

1. **राज्य/संघ शासित क्षेत्र**

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति	2253.25 करोड़
सफाई	96.75 करोड़

2. **केन्द्रीय योजना**

केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति	1201.22 करोड़

7वीं योजना के दौरान, कार्यक्रम का उद्देश्य यह होगा कि छठी योजनावधि में पहले सर्वेक्षण और बाद के चयन पर आधारित वर्तमान मानदण्डों पर चुने गए समस्याग्रस्त गांवों को शामिल किया जाए तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बस्तियों पर विशेष जोर देते हुए आंशिक रूप से शामिल किए गए गांवों/बस्तियों को पूरी तरह शामिल किया जाए। ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्देश्य यह होगा कि ग्राम समुदायों द्वारा और बड़े पैमाने पर स्वैच्छिक प्रसाधनों को जुटा कर चलाई गई स्वावलम्बी योजनाओं के जरिए जनता के सहयोग से इस कार्यक्रम को लागू किया जाए। बहुत से इलाकों में साधारण तथा सस्ते डिजाइन के पौर फलश वाले शौचालय पहले से ही बनाए गए हैं और प्रयास यह होगा कि उचित स्थानीय संशोधन के साथ इस डिजाइन के अपनाए जाने एवं इसके उपयोग किए जाने में ग्राम संगठनों की सहायता की जाए।

धान का वसूली मूल्य

116. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में धान की विभिन्न किस्मों की वसूली मूल्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मूल्य निर्धारित करने में धान में रखे गए लागत के ढांचे का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सरकार ने 1985-86 विपणन मौसम के लिए आम औसत किस्म धान का खरीद मूल्य आम, बढ़िया और अति उत्तम किस्मों के लिए क्रमश: 142 रुपये, 146 रुपये, और 150 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है ।

(ग) ध्यान में रखी गयी उत्पादन लागत में न केवल सभी चुकता लागत शामिल है बल्कि भूमि और परिवार श्रम आदि जैसी स्वामित्व परिसम्पत्तियों का आरोपित मूल्य भी शामिल है, जिसके लिए किसान नकद खर्च नहीं करते ।

केरल को चावल तथा गेहूं का आबंटन

117. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**
श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल के आबंटन के लिए केरल राज्य सरकार का अनुरोध प्राप्त हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1985 से अक्तूबर, 1985 तक केरल द्वारा मांगी गई चावल की वास्तविक मांग, केन्द्रीय पूल से आबंटित की गई मात्रा तथा केरल को दी गयी मात्रा क्या है; और

(ग) इसी अवधि के दौरान आबंटित किए गए गेहूं की मात्रा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें जनवरी, 1985 से अक्तूबर, 1985 तक चावल और गेहूं की मांग, आबंटन और उठान का ब्यौरा दिया गया है ।

विवरण

जनवरी, 1985 से अक्तूबर, 1985 तक की अवधि के लिए चावल और गेहूं की मांग, आबंटन और उठान :

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

मास	चावल			गेहूं सावित्र			गेहूं रोफमि		
	मांग	आबंटन	उठान	मांग	आबंटन	उठान	मांग	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1985									
जनवरी	135.0	110.0	109.9	20.0	35.9	9.7	13.3	13.77	7.4
फरवरी	135.0	110.0	93.0	20.0	35.0	6.7	13.77	13.77	7.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मार्च	135.0	110.0	108.0	20.0	35.0	7.1	13.77	13.77	8.2
अप्रैल	135.0	110.0	104.1	20.0	35.0	7.3	14.34	13.77	7.7
मई	135.0	110.0	118.3	20.0	35.0	8.0	13.34	13.77	8.4
जून	135.0	115.0	114.9	20.0	35.0	9.6	13.77	13.77	7.5
जुलाई	135.0	120.0 +25.0*	122.4	20.0	35.0	13.1	13.77	13.77	8.5
अगस्त	135.0	125.0	152.7	20.0	35.0	11.8	13.77	13.77	7.6
सितम्बर	135.0	125.0	104.7	20.0	35.0	8.5	13.77	13.77	10.2
अक्तूबर	135.0	125.0	सू०न०	20.0	35.0	सू०न०	13.77	13.77	सू०न०

साविप्र=सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

रोफ्‌मि=रोलर फ्लोर मिलें।

*26-7-1985 को किया गया एक ही समय का विशेष आबंटन।

सू०न०=सूचित नहीं।

क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रीय दूरदर्शन प्रसारण कार्यक्रम

118. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए जाने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम केवल हिन्दी में होते हैं;

(ख) क्या दूरदर्शन प्रसारित किये जाने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में अधिकांश प्रादेशिक भाषाओं के कार्यक्रम शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या विभिन्न केन्द्रों से प्रादेशिक भाषाओं के कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में दो समाचार बुलेटिन, हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रत्येक में, समाचार कहानियां तथा विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों और विदेशी से भी प्राप्त दृश्य सामग्री शामिल होती है। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों के अच्छी किस्म के राष्ट्रीय एकीकरण, सामुदायिक सदभाव, परिवार कल्याण, सांस्कृतिक विरासत पर बल देने वाले कार्यक्रम, संगीत, हिन्दुस्तानी और कर्नाटक दोनों, विभिन्न शैलियों के नृत्य कार्यक्रम, क्विज कार्यक्रम आदि होते हैं। 10 मार्च, 1985 से परिवार नियोजन, महिला कल्याण, रचनात्मक सामाजिक मूल्यों, आदि को बढ़ावा देने

वाले प्रायोजित धारावाहिक कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य मनोरंजन प्रदान करने वाले अन्य धारावाहिक कार्यक्रम राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट किये जा रहे हैं।

(ग) सभी दूरदर्शन केन्द्र इस समय भी राष्ट्रीय कार्यक्रमों को रिले करने के अलावा, अपनी-अपनी भाषा में कार्यक्रमों का निर्माण कर उन्हें टेलीकास्ट करते हैं। क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिए अधिक समय देने के लिए दिल्ली तथा बम्बई में दूसरा चैनल उपलब्ध किया गया है तथा मद्रास और कलकत्ता में भी इस प्रकार के दूसरे चैनल की यथा समय व्यवस्था की जायेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रिंग टाउनों का विकास

119. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :**
श्री एस० एम० भट्टम :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना में शामिल राज्य सरकारों ने इस क्षेत्र में रिंग टाउनों के विकास के लिए योजनायें प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां तो क्या उक्त योजनाओं का उद्देश्य दिल्ली की अतिरिक्त जनसंख्या को उक्त नगरों में भेजने की है;

(ग) क्या दिल्ली के फैलाव को विनियमित करने की योजना के साथ चल रही उन योजनाओं में इन नगरों के विकास के लिए अनुमान राशि उपलब्ध करायी जायेगी;

(घ) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) प्रत्येक राज्य का विचार कितने नगरों का विकास करने का है और उनके नाम क्या हैं; और

(च) इस प्रयोजन के लिए उक्त सरकारों द्वारा कितनी भूमि अधिग्रहीत की जायेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संकल्पना का मूल उद्देश्य दिल्ली में बाहर से आने वाली जनसंख्या के दबाव को दूर करने के लिए क्षेत्र में स्वतः पूर्ण केन्द्रों का विकास करके दिल्ली की जनसंख्या को प्रबन्धनीय सीमा में रखने का है।

(ग) तथा (घ) बोर्ड केवल ऐसी योजनाओं तथा प्लानों को वित्त सहायता मुहैया करता है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संकल्पना के मूल एवं समग्र उद्देश्य के साथ मेल खाती है। राज्य सरकारों के मुख्य मंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी बोर्ड में प्रतिनिधित्व करते हैं।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 से संलग्न अनुसूची में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किए गये क्षेत्रों को दर्शाया गया है। जिन कस्बों का विकास किया जाना है वे निम्नलिखित हैं :—

1. **हरियाणा** :—फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, बहादुरगढ़, पलवल, सोनीनत, कुंदली, पानपत, रिवाड़ी, दारहेड़ा।

2. उत्तर प्रदेश :—मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, हापुड़, मोदीनगर, खुर्जा, सिकन्दराबाद, नोएडा, बरीहट, सरधाना, गुलाबहली, गढ़मुक्तेश्वर, हस्तिनापुर, नरौरा, लोनी, दादरी, बागपत और खेकड़ा ।

3. राजस्थान :—अलवर, खैहल, भिवाड़ी, बेहरोर, ।

(च) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किये प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं तथा इस स्थिति में यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजनाओं का कार्यान्वित करने के लिए राज्यों द्वारा कितनी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा ।

शहरी विकास आयोग की नियुक्त

120. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी वास्तुकार की अध्यक्षता में एक शहरी विकास आयोग की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो आयोग के निदेश पद क्या हैं; और

(ग) क्या आयोग के सामने फर्श अनुपात निर्धारित करने का प्रश्न रखा जायेगा ताकि सभी महानगरीय क्षेत्रों में समान विनियम लागू किये जा सकें ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) यह आयोग अन्य बातों के साथ-साथ देश में नगर विकास के जनसांख्यकी रोजगार भौतिक, वित्तीय, आश्रय, सौन्दर्यता तथा सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन करेगा ।

(ग) विशेष रूप से यह प्रश्न इस समिति के समक्ष नहीं रखा गया है ।

बोनस की पात्रता के लिए वेतन की अधिकतम सीमा बढ़ाना

121. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस अधिनियम के अन्तर्गत बोनस की पात्रता के लिए वेतन की अधिकतम सीमा बढ़ाने का कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां ।

(ख) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अधीन बोनस की पात्रता के लिए वेतन/मजदूरी की अधिकतम सीमा को 1600 रु० से 2500 रु० प्रतिमाह तक बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति जी ने 7 नवम्बर, 1985 को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया है । तथापि 1600 रु० और 2500 रु० प्रतिमाह के बीच वेतन या मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए बोनस की गणना इस तरह की जाएगी मानो वे प्रतिमाह 1600 रु० की मजदूरी/वेतन प्राप्त करते हों ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई तालिकाओं का संकलन

122. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 और 1985 के बीच के वर्ष को आधार वर्ष मानते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई तालिका कब आरम्भ की जाएगी;

(ख) क्या नई तालिका सील समिति की सिफारिशों के अनुरूप है;

(ग) क्या कुछ केन्द्रीय मजदूर संगठनों ने सूचकांक संकलन की विधि के बारे में कतिपय आपत्तियां उठायी हैं;

(घ) क्या श्रमिकों को नये सूचकांक के संकलन करने और उन्हें लागू करने में विलम्ब होने और 1960=आधार वर्ष के सूचकांक का निरन्तर उपयोग किए जाने के कारण भारी हानि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ङ) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंधी सील समिति की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है और इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई सीरीज कब शुरू की जाए या सूचकांक संकलित करने की पद्धति क्या हो। सरकार द्वारा निर्णय लेने के पश्चात, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग करने वालों के साथ, जिनमें संगत ट्रेड-यूनियनें भी शामिल हैं, उचित रूप से विचार-विमर्श किया जाएगा। इस मामले को यथाशीघ्र अंतिम रूप देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

दूरदर्शन पर पान मसाला को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध

123. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 अक्तूबर, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार दूरदर्शन पर पान मसाला को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों का प्रदर्शन बन्द किया जाने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) यह कहा जाता है कि "पान मसाला" का उपयोग करने से गला खराब हो जाता है। यह सही है या नहीं, इसका निश्चय किया जाना है। इस प्रयोजन के लिए, दूरदर्शन चिकित्सा विशेषज्ञों की राय लेगा और उसके बाद, उस राय के आधार पर, "पान मसाला" के विज्ञापनों को स्वीकार करते रहने के बारे में निर्णय लेगा।

मध्य प्रदेश को सप्रेटा दूध चूर्ण की सप्लाई

124. **श्री सुभाष यादव** :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय डेरी एसोसिएशन द्वारा मध्य प्रदेश को गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार

सप्रेटा-दूध चूर्ण की कितनी मात्रा आबंटित की गई है;

(ख) इसकी सप्लाई किस दर पर की गई है;

(ग) क्या इस चूर्ण को समुचित उपयोग के संबंध में कोई निगरानी रखी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय डेयरी निगम ने 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान मध्य प्रदेश को स्किम दुग्ध-चूर्ण की निम्नलिखित मात्रा आबंटित की :—

	(मात्रा मीटरी टन में)
1982-83	703
1983-84	491
1984-85	857 (अनन्तिम)

(ख) भारतीय डेयरी निगम द्वारा स्किम दुग्ध चूर्ण निम्नलिखित दरों पर सप्लाई किया गया :—

	(रुपये प्रति मीटरी टन)
1982-83	
1-4-82 से 31-12-82	12,000
1-1-83 से 31-3-83	14,000
1983-84	
1-4-83 से 31-1-84	14,000
1-2-84 से 31-3-84	16,000
1984-85	
1-4-84 से 28-2-85	16,000
1-3-85 से 31-3-85	20,000

(ग) भारतीय डेयरी निगम द्वारा विभिन्न डेयरियों को दिये जाने वाले स्किम दुग्ध चूर्ण के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये भारतीय डेयरी निगम आवश्यक नियंत्रण रखती है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

देश में 'काला नमक' चावल के उत्पादन में कमी

125. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्ती जनपद (उत्तर प्रदेश) की बांसी एवं नवगढ़ तहसीलें हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध काला नमक चावल के उत्पादन के प्रमुख केन्द्र हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले कई वर्षों से इसका उत्पादन कम होता जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) चावल सहित विभिन्न फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के अनुमान जिला स्तर पर उपलब्ध हैं। तथापि, चावल का किस्मवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में चावल का कुल उत्पादन 1975-76 में 245 हजार मीटरी टन से बढ़ कर 1983-84 में 334 हजार मीटरी टन हो गया।

(ग) और (घ) चावल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम पूर्वी इलाके के चुने हुए क्षेत्रों में आरम्भ किया गया है, जिसमें अन्य के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के कुछ क्षेत्र भी शामिल हैं।

भारतीय बीजों का निर्यात

126. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के अनेक देशों में भारतीय बीज बहुत लोकप्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 और 1984-85 में क्रमश : प्रत्येक देश को कितना भारतीय बीज निर्यात किया गया; और

(ग) उक्त वर्षों के दौरान देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार के उद्यम राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा क्रमशः वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान विभिन्न देशों को निर्यात किए गए भारतीय बीजों की मात्रा तथा उक्त वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी मुद्रा के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। तथापि, ओपन जनरल लाइसेंस पर गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा निर्यात किए गए बीजों की जानकारी इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

विवरण

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा 1983-84 तथा 1984-85 के वर्षों के दौरान निर्यात किए गए बीजों की मात्रा तथा प्राप्त हुई विदेशी मुद्रा

वर्ष	देश	मात्रा (क्विटल में)	धनराशि (रुपए में)
1	2	3	4
1983-84	यमन (पी० डी० आर०)	850.00	5,55,400.00
	बांग्लादेश	25,049.60	1,31,41,040.00

1	2	3	4
	कनाडा	0.02	128.00
	मिस्र	0.04	102.50
	घाना	0.06	38.75
	इंडोनेशिया	1.25	750.00
	केन्या	2.15	4,075.00
	साऊदी अरब	0.25	450.00
	श्रीलंका	0.75	900.00
	सुडान	0.50	15,000.00
	यू० के०	0.05	50.00
	यू० एस० ए०	0.02	125.00
	गुयाना	2.34	23,170.00
	रूस	1.92	मुफ्त उपहार
		25,908.95	1,37,41,229.25
1984-85	यमन (ए० आर०)	4,050.00	28,87,500.00
	बांग्लादेश	65,764.00	3,94,58,400.00
	नेपाल	3,580.00	20,58,500.00
	योग	73,394.00	4,44,04,400.00

नटखट नारद कार्यक्रम का दूरदर्शन पर दिखाया जाना

127. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :**

डा० बी० एल० शैलेश :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा दिखाए जा रहे "नटखट नारद" कार्यक्रम में "नारद" की भूमिका के बारे में जनविरोध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे बन्द करने या संशोधित रूप में दिखाने का है; और

(ग) यदि हां, तो किस रूप में ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) प्रतिपादन काल्पनिक था। किन्तु तीन रिट याचिकायें दायर की गई थीं जिनमें यह अनुरोध किया गया था

कि इस धारावाहिक कार्यक्रम को बन्द कर देना चाहिए। दो याचिकाओं को खारिज भी कर दिया गया है। तीसरी याचिका पैंडिंग है।

(ख) और (ग) इस बीच, "नटखट नारद" नामक धाराबाहिक कार्यक्रम 4 नवम्बर, 1985 को समाप्त हो गया है। दूरदर्शन का इसको आगे चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

खोपड़ा (गिरी)/नारियल का वसूली मूल्य

128. **श्री पी० जे० कुरियन :**
श्री टी० बशीर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खोपड़े (गिरी) का वसूली मूल्य निर्धारित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल के नारियल उत्पादकों ने अधिक वसूल मूल्य के लिए अभ्यावेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) भारत सरकार खोपड़े (गिरी) का वसूली मूल्य निर्धारित नहीं करती है। वसूली मूल्य गन्ने, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, तुर, उरद, मूंग, पटसन, मूंगफली साबुत सोयाबीन, सूरजमुखी बीज, कपास, गेहूं, जौ तथा सरसों के लिए ही निर्धारित किए जाते हैं। केरल सरकार ने नारियल उत्पादकों के समर्थन के उपाय के रूप में 1200 रुपये प्रति क्विंटल पर खोपड़े (गिरी) का विपणन तथा खरीद करने का निर्णय किया है। केरल सरकार, नारियल के उत्पादकों को संभव समर्थन प्रदान करने के लिए मूल्य की स्थिति की लगातार समीक्षा करती रहती है।

राज्यों की राजधानियों में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

129. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों की राजधानियों में पूर्ण दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम तैयार और प्रसारित किये जा रहे हैं; और

(घ) क्षेत्रीय कार्यक्रमों को प्रसारित करने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान मुख्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों में पूर्णरुतेण दूरदर्शन केन्द्र

स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा लक्षद्वीप तथा दादरा व नागर हवेली को छोड़कर शेष राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों में कार्यक्रम निर्माण सुविधाएं उपलब्ध करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) असम, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों तथा दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र में इस समय क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम तैयार करके टेलीकास्ट किए जा रहे हैं। सातवीं योजना अवधि के अन्त तक लक्षद्वीप तथा दादर व नगर हवेली को छोड़कर शेष सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है ।

पेय जल के लिए केरल को वित्तीय सहायता

130. **प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या कृषि मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ी बस्तियों में पेय जल उपलब्ध कराने की अपनी योजना के लिए वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इनके लिए कोई धनराशि दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करने में राज्यों की सहायता करती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना में केरल को केन्द्रीय सहायता के रूप में 4557.41 लाख रु० मिला है। 1985-86 के चालू वर्ष के लिए केरल की 1010 लाख रुपये का अनन्तिम आबंटन किया गया है, जिसमें से 707 लाख रुपया पहले ही मुक्त किया जा चुका है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना हेतु तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजाति उप-योजना हेतु त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का प्रतिशत निर्धारित करें। ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए राज्य योजनाओं में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत इन योजनाओं के लिए जो राशि निर्धारित की जा रही है, प्रतिशत उसी के बराबर होना चाहिए ।

चेम्बूर में आई० एल० ए० सी० लिमिटेड में गैस का रिसाव

131. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :**
प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 30 अगस्त, 1985 को चेम्बूर में "केलिको" की सहायक कम्पनी आई० एल० ए० सी० लिमिटेड की भंडारण-टंकी में से गैस के भारी रिसाव के कारण कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी तथा एक लाख से भी अधिक व्यक्तियों पर इसका चिन्ताजनक असर पड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस घटना के सम्बन्ध में सरकार द्वारा यदि कोई जांच की गई है, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 30 अगस्त, 1985 को चेम्बूर में केलिको की सहायक कम्पनी, आई० एल० ए० सी० लिमिटेड की भण्डारण टंकी में से क्लोरीन गैस के रिसाव के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 139 व्यक्ति इससे प्रभावित हुए। यह सूचित किया गया है कि गैसकेट के फेल होने के कारण क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ। राज्य सरकार ने मामले की जांच की और गैस को प्रभावहीन करने तथा प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। कारखाना अधिनियम, 1948 और महाराष्ट्र कारखाना नियम, 1963 के अधीन राज्य सरकार ने कारखाने के प्रबंधक और अधिष्ठाता पर अभियोजन मामला चलाया। कुल मिलाकर, प्रबंधक और अधिष्ठाता के विरुद्ध 14 मामले दायर किए गए हैं।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम के फालतू गेहूं के भंडार को खुले बाजार में बेचना

132. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के गेहूं के फालतू भण्डार को खुले बाजार में बेचने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या फालतू अनाज लोगों को उचित दर दुकानों की तुलना में सस्ते दर पर उपलब्ध किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो वह कितना सस्ता मिलेगा; और

(घ) यदि नहीं तो क्या पूरी जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है और इसीलिए फालतू अनाज सभी लोगों को उपलब्ध करने के उद्देश्य से खुले बाजार में बेचा जायेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) सरकार ने निर्णय किया है कि भारतीय खाद्य निगम को खुले बाजार में 175 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं बेचने की अनुमति दी जाए जबकि सार्वजनिक विवरण प्रणाली के लिए गेहूं का केन्द्रीय निर्गम मूल्य 172 रुपये प्रति क्विंटल है। इस उपाय से उम्मीद है कि खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता में वृद्धि होगी और गेहूं के खुले बाजार के मूल्यों पर रोक लगेगी।

[अनुवाद]

पंजाब और हरियाणा से राजस्थान में धान की ढुलाई करने में कदाचार

133. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम को पंजाब और हरियाणा से राजस्थान में

स्थित गोदामों में धान का भण्डार करने और बेचने के लिए धान की ढुलाई करने में कदाचारों के कारण भारी घाटा उठाना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम को इस कारण प्रति वर्ष कितना अनुमानित घाटा हुआ और सरकार ने स्थिति में सुधार करने तथा धान की ढुलाई में यदि कोई कदाचार है, तो उसमें अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों का पता लगाने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं । यह सही नहीं है कि पंजाब और हरियाणा से राजस्थान को धान भेजने में कदाचारों के कारण भारतीय खाद्य निगम को भारी हानियां होती हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) 1984-85 के दोरान भेजी गई 3.21 लाख मीटरी टन की कुल मात्रा में से धान (चावल के हिसाब से) के मामले में अनुमानतः 0.10 लाख मीटरी टन वार्षिक मार्गस्थ हानि हुई थी ।

निगम ने मार्गस्थ हानियां को कम करने के लिए कई एक पग उठाए हैं । इनमें दोनों प्राप्ति और निर्गम के समय 100 प्रतिशत तौल करना, सिलाई का काम करने के लिए मशीनों का प्रगामी प्रयोग करना, स्क्वार्डों द्वारा लदान और उतरान केन्द्रों पर अचानक छापे मारना, खुले वैगनों में संचलन को कम करना और भारतीय खाद्य निगम के दौषी अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई करना शामिल है ।

महिला श्रमिकों के लिए प्रसूति लाभ और शिशु पालन सेवा

135. **श्रीमती फूलरेणु गुहा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सभी महिला श्रमिकों को खासतौर पर संगठित क्षेत्रों में कार्य कर रही महिला श्रमिकों को प्रसूति लाभ और शिशु पालन सेवाएं देने पर विचार कर रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : इस समय महिला श्रमिक या तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 या प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत प्रसूति और कुछ अन्य सुविधाओं की हकदार हैं । तथापि, इन दोनों अधिनियमों का कार्यक्षेत्र कारखानों और प्रतिष्ठानों की कुछ अन्य विशिष्ट श्रेणियों तक सीमित है । अतः मई, 1985 में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन ने, अन्य कई बातों के साथ-साथ, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के सीमाक्षेत्र को उन प्रतिष्ठानों/नियोजनों की नई श्रेणियों तक विस्तार करने की सिफारिश की जहां काफी संख्या में महिला श्रमिक काम कर रही हैं । तदनुसार, सरकार अधिनियम के सीमाक्षेत्र का विस्तार करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

पंजाब के किसानों द्वारा खाद्यान्नों का जलाया जाना

136. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्न खरीदने में भारतीय खाद्य निगम की असफलता के

कारण पंजाब में किसान अपने खाद्यान्नों को जला रहे हैं जैसाकि राजधानी के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, और यदि हां, तो खाद्यान्नों के इस प्रकार जलाए जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) खुले में रखे गये कितने मूल्य के और कितने खाद्यान्न पंजाब में आयी अभूतपूर्व बाढ़ में नष्ट हो गये; और

(ग) वर्षा और बाढ़ के कारण खाद्यान्न की हानि को रोकने के लिए पंजाब में आवृत्त भण्डारण सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) समाचार पत्रों में धान को जलाने के बारे में कुछ समाचार प्रकाशित हुए हैं लेकिन इनकी जांच करने पर यह पाया गया है कि किसानों द्वारा केवल धान की भूसी को जलाया गया था । मंडियों में लाए गए और बिक्री के लिए पेश किए गए विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप सभी अनाज को वसूली एजेंसियों द्वारा खरीद लिया गया है ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा कैंप भण्डारण में भण्डारित 5460 मीटरी टन गेहूं और जिसका मूल्य 106.47 लाख रुपए है, पंजाब में बाढ़ आने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है । पंजाब राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इन्हीं परिस्थितियां में 7.01 करोड़ रुपए के मूल्य की गेहूं और चावल की 1,97,590 बोरियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं ।

(ग) 1985-86 के दौरान, आशा है कि पंजाब में 2.93 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त ढकी हुई भण्डारण क्षमता का निर्माण किया जाएगा । यदि उपलब्ध हुआ तो उपयुक्त ढका हुआ स्थान किराये पर भी लिया जाएगा ।

अनिवासी भारतीयों को एशियाई खेल गांव के फ्लैटों की बिक्री

137. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेल गांव के कितने फ्लैट तक अनिवासी भारतीयों को बेचे जा चुके हैं और कितने रिक्त पड़े हैं; और

(ख) क्या एशियाई खेल गांव में स्थित रिवाल्विग टावर रेस्टोरेंट को किसी ठेकेदार को होटल चलाने के लिए बेच दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) प्रवासी भारतीयों से उनके लिए उद्दिष्ट 599 रिहायशी एककों के लिए धरोहर राशि सहित 95 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे । इनमें से 72 आवेदन पत्र अब वापस ले लिए गए हैं । शेष 23 आवेदन पत्रों में से 8 आवेदकों को उनसे विदेशी मुद्रा में पूर्ण भुगतान प्राप्त हो जाने के बाद फ्लैटों का कब्जा दे दिया गया है ।

(ख) बातचीत ने बाद निविदायें आमंत्रित करके रेस्तरां मैसर्ज छतवाल होटल्स को 50,000 रुपये की मासिक लाइसैंस फीस पर आबंटित किया गया है । यह लाइसैंस 19 जून, 1985 से 5 वर्ष के लिए वैध है ।

गन्ने की असन्तोषजनक बिक्री

138. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में गन्ने की

असन्तोषजनक बिक्री हुई है, जिसके कारण गन्ना उत्पादकों को भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सरकार के पास इस आशय की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि गन्ने की मजबूरन बिक्री की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ नुकसान

139. **श्री विजय एन० पाटिल :**
श्री नारायण चौबे :
श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान बाढ़, सूखे तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से हुई मौतों का कोई रिकार्ड रखा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार ऐसे कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(ग) इसी अवधि के दौरान फसल और सम्पत्ति का कितना नुकसान हुआ; और

(घ) इस अवधि में बाढ़ों की रोकथाम के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, वर्षा/बाढ़/चक्रवात में हुई जन क्षति तथा हानि संबंधी आंकड़े, विभिन्न राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर प्रत्येक वर्ष संकलित किए जाते हैं।

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार देश में भारी वर्षा/बाढ़/चक्रवात के कारण हुई जन क्षति के वर्षवार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	जन हानि (सं०)
1982	1818
1983	2377
1984	1577

इस अवधि के दौरान किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से सूखे के कारण मौत होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) देश में भारी वर्षा/बाढ़ों/चक्रवात के कारण सम्पत्तियों की वर्षवार हानि नीचे दी गई है :—

वर्ष	मकान (रु० करोड़ों में)	सार्वजनिक सम्पत्ति (रु० करोड़ों में)
1982	383.87	740.65
1983	339.61	873.43
1984	164.21	734.57

बाढ़, चक्रवात के कारण प्रभावित सस्यगत क्षेत्र का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	प्रभावित सस्यगत क्षेत्र (लाख हैक्टार में)
1982-83	485.53
1983-84	444.62
1984-85	387.64

(घ) बाढ़ नियंत्रण उपाय पर व्यय के वर्षवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)
1982-83 (वास्तविक)	146.92
1983-84 (वास्तविक)	133.79
1984-85 (प्रत्याशित)	197.39

देश में आलू-उत्पादकों को हानि

140. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में आलुओं को मजबूरन बिक्री की जानकारी है, जिसकी वजह से आलू उत्पादकों को भारी हानि उठानी पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आलू-उत्पादकों को इस स्थिति से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में आलू फसल लेने का मुख्य मौसम दिसम्बर से मार्च तक है। कुछ क्षेत्रों में आलूओं अगेती फसल विशेष रूप से हरियाणा तथा पंजाब में नवम्बर में शुरू होता है। इस आलू की ताजी फसल मंडी में पहुंचनी शुरू होती है और अच्छे दाम मिलते हैं। नवम्बर, 1985 से शुरू होने वाले विपणन मौसम में आलू की मजबूरन बिक्री के बारे में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

वर्ष 1985-86 के लिए खरीफ की फसलों की पैदावार की सम्भावनाएं

141. **श्री विजय एन० पाटिल : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के लिए चावल, गेहूं जैसी महत्वपूर्ण खाद्यान्नों और ज्वार, रागी आदि जैसी दालों के संबंध में देश के विभिन्न भागों में खरीफ की फसलों की क्या संभावनायें हैं; और

(ख) वर्ष 1985-86 के लिए चावल, गेहूं और ज्वार, रागी आदि जैसी दावों की राज्यवार पैदावार का अनुमान क्या है और वर्ष 1984-85 के लिए भी अनुमानित और वास्तविक पैदावार कितनी होगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मौजूदा संकेतों के अनुसार 1985-86 में खरीफ चावल (शरद और शीत) की कुल संभावनाएं गत वर्ष की अपेक्षा बेहतर हो सकती हैं। तथापि, मानसून के विलम्ब से आरम्भ होने में कुछ क्षेत्रों में लम्बे समय तक सूखा रहने से मोटे अनाजों के क्षेत्र और पैदावार दोनों प्रभावित हुए हैं। रबी फसलों, जैसे गेहूं की बुआई सामान्यतः अक्तूबर से दिसम्बर के दौरान की जाती है। 1985 के दौरान सितम्बर तथा अक्तूबर के दूसरे पखवाड़े में व्यापक वर्षा हो जाने से गेहूं और अन्य फसलों की बुआई करने के लिए पर्याप्त मृदा नमी मिलने की आशा है।

(ख) 1984-85 में विभिन्न कदन्नों के राज्य-वार उत्पादन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। 1985-86 के लिए इस प्रकार की सूचना अभी राज्यों से देय नहीं हुई है।

विवरण

कदन्नों का उत्पादन—1985-85

(लाख मी० टन)

राज्य	चावल	गेहूं	ज्वार	बाजरा	मक्का	रागी	छोटो कदन्न	जौ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	69.9	0.1	11.1	2.1	4.4	2.1	1.3	—
असम	24.2	1.3	—	—	0.1	—	0.1	—
बिहार	53.2	31.0	—	0.1	8.3	1.0	0.5	0.7
गुजरात	8.4	13.3	5.0	15.3	3.8	0.5	0.6	0.1
हरियाणा	13.6	44.2	0.5	4.8	0.8	—	—	0.9
हिमाचल प्रदेश	1.2	2.3	—	—	5.7	0.1	0.1	0.2
जम्मू और कश्मीर	5.7	1.8	—	—	4.5	—	0.1	0.1
कर्नाटक	23.7	1.9	16.4	1.8	4.2	11.1	1.0	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
केरल	12.3	—	—	—	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	36.7	37.3	16.3	1.4	11.1	—	3.3	1.4
महाराष्ट्र	19.4	8.6	48.0	5.7	1.2	2.6	0.7	—
उडीसा	45.3	1.5	0.1	0.1	2.0	2.7	1.8	—
पंजाब	50.6	101.8	—	0.6	5.8	—	—	0.9
राजस्थान	2.1	27.9	4.1	15.7	11.2	—	0.2	3.8
तमिलनाडु	53.9	—	5.1	4.3	0.5	3.1	1.5	—
उत्तर प्रदेश	71.8	159.7	5.7	9.6	17.7	1.8	1.8	7.1
पश्चिम बंगाल	80.9	8.1	—	—	1.0	0.1	0.1	0.2
अन्य	13.5	1.5	0.2	0.1	1.3	0.2	0.1	—
अखिल भारत	586.4	442.3	112.5	61.6	83.6	25.3	13.2	15.4

शहरों में सब्जियों की ऊंची कीमतें

142. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि शहरों तथा उपनगर क्षेत्रों में सब्जियों की कीमतें बहुत ऊंची हैं;

(ख) क्या ऊंची कीमतों के बावजूद भी सब्जी उत्पादकों को आनुपातिक लाभ नहीं मिल रहा है; और

(ग) क्या सातवीं योजना के दौरान सब्जियों की बाजार मांग के बारे में कोई अध्ययन किया गया है और क्या सब्जियों के उत्पादन, संरक्षण तथा विपणन में वृद्धि करने के लिए कोई प्रस्ताव है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) नगरों और उपनगरीय क्षेत्रों में मांग के संकेन्द्रित होने के कारण आमतौर से वहां सब्जियों के मूल्य शहरी क्षेत्रों को सब्जियों की आपूर्ति करने वाले भीतरी इलाकों के मुकाबले अधिक होते हैं। सब्जियों का व्यापार मुख्यतः निजी व्यापारियों और बिचौलियों के हाथ में है। पिछले अध्ययनों से पता चलता है कि खुदरा मूल्यों में उत्पादों का हिस्सा कुछ मामलों में लगभग 45 प्रतिशत बनता है। जहां कहीं भी सहकारी समितियों ने सब्जियों का विपणन किया है, किसान बेहतर मूल्य पाने में सक्षम हुए हैं।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा सब्जियों की बाजार मांगों के सम्बन्ध में कोई सशक्त अध्ययन नहीं किया गया है। उत्पादक और उपभोक्ता, दोनों के हित में

सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने और उनके विपणन में सुधार करने के साथ-साथ फल और सब्जी परिरक्षण सुविधाओं का विस्तार करने की कई योजनाएं हैं ।

बड़े शहरों के आसपास सब्जी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय रूप में 200 लाख रुपये के परिव्यय से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना विचाराधीन है । राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की भी सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान प्रतिवर्ष 63 लाख रुपए की अनुमानित लागत से प्रति वर्ष 1.20 लाख मिनीकिट वितरित करने के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रहा है । राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने दिल्ली और उसके आसपास उचित मूल्य पर सब्जियों के वितरण के लिए एक मार्गदर्शी परियोजना शुरू की है ।

कीटनाशकों द्वारा पारिस्थितिकी संतुलन को क्षति

143. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आयी है कि भारत में किसानों द्वारा प्रयोग की जा रही कीटनाशक औषधियां हानिकारक हैं और इनको कृषि फार्मों की ऊपरी पर्तों की संरचना के पारिस्थितिकी संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) फसल के कीड़ों के विरुद्ध प्राकृतिक तत्वों के नष्ट हो जाने के कारण इन कीटनाशक औषधियों से लाभ की तुलना में हानि अधिक हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो कीटनाशक औषधियों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को विनियमित करने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । वास्तव में सरकार कृमियों के जैव-नियंत्रण के लिए प्राकृतिक एजेंटों की वृद्धि हेतु संगठित प्रयास कर रही है ।

(ग) किसी कीटनाशी औषधि का उत्पादन शुरू करने मे पहले विनिर्माता को कीटनाशक औषधि अधिनियम की धारा 5 के तहत स्थापित पंजीकरण समिति के पास पंजीकरण कराना होता है । समिति इन पहलुओं का अध्ययन करती है और इस सन्तुष्टि के बाद ही पंजीकरण करती है कि कीटनाशक औषधियों निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पारिस्थितिकी सन्तुलन की दृष्टि से प्रभावोत्पादक तथा सुरक्षित हैं ।

उर्वरकों का उत्पादन

144. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में स्वदेशी तौर पर पैदा किये जा रहे उर्वरकों का कुल उत्पादन कितना है; और

(ख) क्या औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों की खेती के काम आने वाली खाद में बदलने की कोई योजनाएं हैं ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) चालू वर्ष में अप्रैल-अक्तूबर की अवधि के दौरान, उर्वरकों में नाइट्रोजन का उत्पादन लगभग 23.23 लाख टन तथा

पी₂ ओ₅ का उत्पादन 7.93 लाख टन था। वर्ष 1985-86 के दौरान उर्वरकों का उत्पादन लक्ष्य 44.15 लाख टन नाइट्रोजन तथा 13.19 लाख टन पी₂ ओ₅ है।

(ख) जी, नहीं।

[हिन्दी]

बरौनी उर्वरक कारखाने से यूरिया का गायब किया जाना

145. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना में प्रकाशित होने वाले 19 अक्तूबर, 1985 के एक अंग्रेजी के दैनिक में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बरौनी उर्वरक कारखाने से दो करोड़ रुपये मूल्य का यूरिया गायब है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) दिनांक 19-10-1985 की अंग्रेजी दैनिक "इंडियन नेशन" के प्रकाशित समाचार में यह बताया गया है कि सूचना मिली है कि बरौनी फर्टिलाइजर फैक्ट्री के गोदाम में दो करोड़ रुपए के मूल्य का यूरिया कम है।

(ख) इसी प्रकार के समाचार वर्ष 1983 में भी प्रकाशित हुए थे। एच० एफ० सी० के प्रबन्धकों ने मामले की जांच करने के लिए एक विभागीय समिति गठित की थी।

(ग) समिति में विभिन्न दस्तावेजों की जांच करने के बाद तथा वास्तविक सत्यापन के बाद अप्रैल-मई, 1983 महीने तक बरौनी सीलों में 11,000 टन यूरिया कम पाया। समिति ने यह भी टिप्पणी की कि यह कमी मुख्यतः रिकार्डिंग इन्स्ट्रूमेंट की खराबी के कारण हुई जो बेल्ट वेयर का पठन दर्शाता था, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1981-82 से आगे वास्तविक उत्पादन के बनिस्पत उच्चतर उत्पादन रिकार्ड किया गया था।

(घ) समिति ने बाद में इन्स्ट्रूमेंन्टों में कुछ जांच करने और सुधार करने की सिफारिश की, जो किया जा रहा है।

[अनुवाद]

गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित कपड़ा मिलों में कामगारों के काम करने की दशा का सर्वेक्षण

146. **डा० गौरीशंकर राजहंस :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अक्तूबर, 1985 के इण्डियन एक्सप्रैस में प्रकाशित "9000 माइग्रेट बर्कर्स कण्डिशन पैथेटिक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दक्षिणी राज्यों से आये प्रवासी श्रमिक गुजरात और

महाराष्ट्र में स्थित कपड़ा मिलों में बड़ी दयनीय स्थिति में कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो कामगारों की सुरक्षा के लिए सरकार का विचार कपड़ा मिलों के प्रबन्धों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य सरकारों से आवश्यक सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

"500 मिलियन विदआउट एडीक्वेट फूड" शीर्षक से समाचार

147. **डा० गौरीशंकर राजहंस** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 अक्तूबर, 1985 के इण्डियन एक्सप्रैस में "500 मिलियन विदआउट एडीक्वेट फूड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) भारत में ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों के नियमित आवंटन किए जा रहे हैं।

(2) ग्रामीण रोजगार योजनाओं तथा अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन कामगारों को खाद्यान्नों का वितरण किया जा रहा है।

कृषि उत्पादन के लिए आधुनिक साधन अपनाना

148. **डा० गौरीशंकर राजहंस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश में फसल उत्पादन का पूर्वानुमान लगाने के लिये दूरस्थ संवेदन तकनीक (रिमोट सेंसिंग जैसे टेकनीक) आधुनिक साधनों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों द्वारा मध्ययुगीन तरीकों और उपकरणों के उपयोग के कारण फसल उत्पादन लक्ष्य से कम होता है; और

(ग) देश में किसानों को नवीनतम और आधुनिक उपकरण और तकनीक उपलब्ध कराने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) यह सच है कि किसानों द्वारा परम्परागत उपकरणों के लगातार उपयोग से उत्पादकता में बाधा पहुंचती है ।

(ग) सरकार कृषि के आधुनिकीकरण तथा चयनित यन्त्रीकरण को बहुत महत्व देती है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रायोजित कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों तथा समन्वित प्रायोजनाओं द्वारा परिष्कृत यन्त्रों, उपकरणों और मशीन का विकास किया गया है । सातवीं योजना के दौरान अनुसंधान तथा शिक्षा कार्यक्रमों को और सुदृढ़ किया जा रहा है । भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में लोकप्रियता हेतु समीक्षा तथा सिफारिश के उपयोगी कार्यान्वियन के लिए एक कृषि कार्यान्वियन तथा मशीनरी पुनरीक्षण तथा रिलीज समिति स्थापित की है । नौ राज्यों के 600 ब्लाकों में वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान कस्टम हायरिंग (भाड़े पर कृषि उपकरण लेने) तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए किसान कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का परिचालन किया गया । सातवीं योजना के दौरान भी 500 अतिरिक्त ब्लाकों में इस योजना को जारी रखने का प्रस्ताव रखा गया है ।

मैसर्स श्री कृष्णा वूलेन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड बम्बई के विरुद्ध बकाया भविष्य निधि राशि

149. **डा० गौरीशंकर राजहंस** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसर्स श्रीकृष्णा वूलेन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई में अंशदान भविष्य निधि की बकाया राशि को जमा कराने के लिए बारम्बार कहने के बावजूद भी बकाया राशि में वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो 31 अक्तूबर, 1985 को मिल के विरुद्ध भविष्य निधि अंशदान की बकाया राशि कितनी है; और

(ग) भविष्य निधि की बकाया राशि की जमा न करने के लिए सरकार का मिल के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31-10-85 को मैसर्स श्री कृष्णा वूलेन मिल्स (प्राइवेट) लि०, बम्बई की भविष्य निधि अंशदान की कोई राशि बकाया नहीं थी । तथापि, इस प्रतिष्ठान तथा इसकी अन्य सहयोगी 6 फर्मों द्वारा भविष्य निधि अंशदानों के देरी से भुगतान करने के कारण हर्जाने के रूप में 10.47 लाख रुपये का भुगतान बकाया है ।

(ग) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र ने बकाया राशियों की वसूली के लिए अपेक्षित राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र सम्बन्धित राजस्व वसूली प्राधिकारियों के पास दायर कर दिए हैं ।

खाद्यान्न भण्डार में कमी

150. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न का 290 लाख टन से भी अधिक का भारी भंडार जमा हो जाने के

कारण भण्डारण और व्यवस्था सम्बन्धी भारी दिक्कतें पैदा हो गई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि आगामी कुछ महीनों में इस अत्यधिक भण्डार के 40 से 50 लाख टन और बढ़ जाने की आशा है; और

(ग) यदि हां, तो खाद्यान्न भण्डार को कम करने के लिए तथा भविष्य में खाद्यान्न भण्डारण के लिए स्थान की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जुलाई, 1985 में 290 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक था जो कि आवश्यकता की तुलना में अधिक है।

(ख) जी नहीं। चूंकि निर्गम में अधिक वृद्धि होगी, इसलिए स्टाक की मात्रा में कमी हो जाएगी।

(ग) खाद्यान्नों के अधिक स्टाक को कम करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं :—

(1) सार्वजनिक वितरण और रोलर फ्लोर मिलों के लिए आबंटन में वृद्धि करना;

(2) ग्रामीण रोजगार और अन्य कल्याण कार्यक्रमों के लिए खाद्यान्न मुहैया करना;

(3) गेहूं और गेहूं के उत्पादों का निर्यात करने की इजाजत देना; और

(4) खुले बाजार में गेहूं की बिक्री करने की इजाजत देना।

1985-86 के दौरान अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण किया जाएगा। भण्डारण स्थान किराये पर लिये जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यथावश्यक कवर और प्लिंथ (कैंप) का निर्माण करने के लिए भी प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

रबी फसल के मौसम के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन

151. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों तथा विशेषज्ञों को रबी फसल के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन के 710 लाख टन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु गहन प्रयास करने के लिये दिशा निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो जारी किए दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राज्य सरकारों तथा विशेषज्ञों ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि विभिन्न फसलों के लिए 28.43 लाख क्विटल प्रमाणित तथा उन्नत किस्म के बीजों की आवश्यकता होगी;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गये हैं; और

(च) यदि हां, तो इन कदमों से रबी फसल के लक्ष्यों को पूरा करने की आशा किस सीमा तक बढ़ी है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) रबी अभियान के लिए कृषि संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन 14 तथा 15 अक्तूबर, 1985 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। राज्यों तथा केन्द्रीय कृषि विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वरिष्ठ अधिकारियों तथा विशेषज्ञों और अन्य संबंधित संगठनों ने इस सम्मेलन में भाग लिया और खाद्यान्नों का 710 लाख मीटरी टन के रबी उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित नीति को अन्तिम रूप दिया :—

(1) सिंचित तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादकता को अधिक से अधिक बढ़ाना।

(2) अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत अधिकतम क्षेत्र शामिल करना।

(3) ठीक समय पर बुवाई, बीज तथा उर्वरकों का उचित प्रयोग करना।

(4) भूमि की किस्म तथा प्रकार के अनुसार उर्वरकों (एन० पी० के०) को इष्टतम मात्रा का प्रयोग करना।

(5) मैंगनीज, जस्ता, तथा गंधक जैसे सूक्ष्म-पोषक तत्व की कमी में सुधार करना।

(6) उपयुक्त अवधि के लिए उचित समय पर नहरी जल की यथोचित निर्मुक्ति और बिजली तथा डीजल की आपूर्ति के जरिए फसल बढ़वार की नाजुक स्थितियों में सिंचाई व्यवस्था करने के लिए कारगर जल प्रबंध।

(7) ठीक समय पर खरपतवार नियंत्रण उपाय अपनाना।

(8) सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों के पूर्ण सहयोग से किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराना।

(ग) राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने रबी उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उक्त नीति की मंजूरी दी है और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधनों के साथ उसे अपनाने को सहमत हैं।

(घ) तथा (ङ) जी हां।

(च) बीज, जो कि एक मूल आदान है, मद और अन्य आदानों की समय पर तथा पर्याप्त उपलब्धि से लक्षित उत्पादन प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

शहरी विकास संबंधी आयोग की स्थापना

152. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में भावी शहरी विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु समुचित मार्गदर्शन का सुझाव देने और शहरी विकास के लिए नीति निर्धारित करने के लिए शहरी विकास संबंधी आयोग स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग से अन्य किन-किन मुद्दों पर विचार करने के कहा गया है;

(ग) क्या आयोग में राज्यों और केन्द्रीय सरकारों के विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व है;

(घ) आयोग अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगा; और

(ङ) क्या आयोग से कोई अंतरिम प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह आयोग अन्य बातों के साथ-साथ शहरी विकास के जनसांख्यिकी, रोजगार, भौतिक, वित्तीय, आश्रय, सौन्दर्यता तथा सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन करेगा।

(ग) आयोग के गठन का विवरण संलग्न है।

(घ) आशा है कि यह समिति 4 जुलाई, 1986 तक अपनी रिपोर्ट दे देगी।

(ङ) जी, नहीं।

विवरण

समिति का गठन

1.	श्री चार्लेस कोरिया	अध्यक्ष
2.	श्री अमित सैन, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता	सदस्य
3.	श्री एम० श्रीनिवास, समाजशास्त्री, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन संस्थान, नागरभावी, बंगलौर	सदस्य
4.	श्री प्रणव राव, आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
5.	श्री एम० एन० बुच, मानव बस्ति तथा पर्यावरण का राष्ट्रीय केन्द्र, ई-4/17, अरेरा कालोनी भोपाल	सदस्य
6.	श्री बी० जी० फर्नांडीज, नियोजक, सी-57 डिफैन्स कालोनी, नई दिल्ली	सदस्य
7.	श्री गिरीश पटेल, सिविल इंजीनियर, 41-45 नागिन दास मास्टर रोड, बम्बई	सदस्य
8.	श्री कीर्ति शा, वास्तुक, अहमदाबाद स्टडी एक्शन ग्रुप, दलाल बिल्डिंग, रिलीफ रोड, अहमदाबाद	सदस्य
9.	डा० रश्मि मयूर, निदेशक, शहरी विकास संस्थान, माकर टावर, कुफी परेड, बम्बई	सदस्य
10.	श्री एक्सेरिक्स देसाई, प्रबन्ध निदेशक, टाटा प्रैस लि०, 414 वीर सावरकर, बम्बई	सदस्य
11.	श्री बी० के० भाटक, मुख्य नियोजक मण्डल, बी० एम० आर० डी० ए०, गृह निर्माण भवन, बान्द्रा (ई), बम्बई	आयोजक

राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन

153. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शीघ्र ही आयोजित किए जाने वाले आगामी राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन में प्रमुख मजदूर संघों को आमंत्रित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय खाद्य निगम के पास पड़े गेहूं के फालतू भण्डार को निपटाने की पैकेज योजना

154. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम को इस समय फालतू भण्डार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) संग्रह के लिए स्थान की समस्या के कारण कितना गेहूं खुले स्थान में रखा जा रहा है तथा कितना धान नहीं खरीदा जा सका;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं के फालतू भण्डार को निपटान के लिए एक पैकेज योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) भारतीय खाद्य निगम और राज्य की एजेंसियों के पास 1-10-85 को सरकार बफर की स्टाक रखने की नीति के अन्तर्गत अपेक्षित स्टाक से अधिक स्टाक था ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 30-9-85 तक 20.90 लाख मीटरी टन गेहूं कैप (कवर और प्लिंथ) में भण्डारित किया गया था । भण्डारण स्थान की कमी के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान की वसूली न करने की कोई घटना नहीं हुई है ।

(ग) और (घ) गेहूं की निकासी में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं :

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार सृजन कार्यक्रम योगनाओं के अन्तर्गत कामगारों और अन्य कमजोर वर्गों को रियायती मूल्यों पर अधिक गेहूं जारी करना ।

2. खुले बाजार में निर्धारित मूल्य पर गेहूं की बिक्री करना ।

3. भारतीय खाद्य निगम और प्राइवेट पार्टियों द्वारा सीमित मात्रा में गेहूं का निर्यात करने की इजाजत देना ।

4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रोलर फ्लोर मिलों के लिए उदारतापूर्वक निर्गम करना।

5. कल्याण योजनाओं के लिए गेहूं जारी करने हेतु स्कीमें तैयार करना।

गुजरात और महाराष्ट्र में सूखा

155. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल :**
श्री यू० एच० पटेल :
श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :
श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि :
श्री नरसिंह मकवाना :
श्री छीतूभाई गामित :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और महाराष्ट्र में कई जिले भयंकर सूखे की चपेट में हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या और नाम क्या हैं;

(ग) इन स्थानों के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है,

(घ) क्या राज्यों में लम्बे समय से चली आ रही सूखे की स्थिति को समाप्त करने के लिए कोई दीर्घकालिक योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों के अनुसार इस वर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान गुजरात के 17 जिले और महाराष्ट्र में 14 जिले सूखे से प्रभावित हुए हैं। प्रभावित जिलों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 1985-86 में महाराष्ट्र सरकार ने दो बार ज्ञापन दिए हैं। प्रथम ज्ञापन के जवाब में 34.50 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा स्वीकृत की गई है। दूसरे ज्ञापन के जवाब में केन्द्रीय दल शीघ्र ही राज्यों का दौरा करेगा। तथापि, केन्द्रीय सहायता की अंतिम स्वीकृति मिलने तक आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए साधनोपाय के रूप में अग्रिम और सीमांत धनराधि के केन्द्रीय अंश के रूप में 28.62 करोड़ रुपए की धनराशि निर्मुक्त की गई है।

गुजरात सरकार ने सूखा राहत के लिए केन्द्रीय सहायता मांगने के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। एक केन्द्रीय दल ने 7 से 10 नवम्बर, 1985 तक राज्य का दौरा किया था और इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति मिलने तक साधनोपाय अग्रिम के रूप में सीमांत धनराशि के केन्द्रीय अंश के रूप में 14.37 करोड़ रुपए की धनराशि निर्मुक्त की गई है।

(घ) और (ङ) सूखा स्थितियों के और प्रभाव और प्रखरता को कम के लिए भारत सरकार द्वारा कई दीर्घकालिक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि

करना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, मृदा और जल संरक्षण कार्यक्रम, बारानी खेती, फसल बीमा, वनस्पति रोपण, बीज की उन्नत और सूखा निरोधक किस्मों का विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, पेयजल कार्यक्रम और छोटे और सीमांत कृषक सहायता कार्यक्रम शामिल हैं।

विवरण

(ए) गुजरात

1. अमरेली
2. जूनागढ़
3. भावनगर
4. राजकोट
5. जामनगर
6. सुरेन्द्र नगर
7. कच्छ
8. बनासकण्ठा
9. मेहसाना
10. साबरकण्ठा
11. अहमदाबाद
12. गांधीनगर
13. खेड़ा
14. पंचमहल
15. बड़ौदरा
16. भड़ौच
17. सूरत

(बी) महाराष्ट्र

1. नासिक
2. धूले
3. अहमदनगर
4. जलगांव
5. सांगली
6. पुणे
7. सतारा
8. औरंगाबाद
9. बीड

10. नांदेड़

11. ओसमानाबाद

12. जालना

13. लातुर

14. परभानी

जल आपूर्ति और मल व्ययन योजनाओं के लिए कम्प्यूटर

156. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के मुख्य नगरों में जल आपूर्ति योजना और मल व्ययन योजनायें तैयार करने के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग किया जाएगा ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इससे वर्तमान कार्य प्रणाली में सुधार होगा और इसे कब शुरू किया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) कतिपय बड़े नगरों में जलपूर्ति तथा मलनिर्यास पद्धतियों के अभिकल्पन हेतु जलपूर्ति तथा स्वच्छता क्षेत्र अभिकरण अथवा उनके परामर्शदाता संगणकों का पहले ही उपयोग कर रहे हैं। भारत सरकार ने अन्ना विश्वविद्यालय मद्रास में मेनक्रेम संगणक पर आधारित जल वितरण के अभिकल्पन पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०)/विश्व बैंक की सहायता से देश में चयनित केन्द्रों में जलपूर्ति वितरण कार्य के अभिकल्पन हेतु संगणक तकनीकी के प्रयोग पर प्रशिक्षण पाठ्क्र्यम चलाने का भी प्रस्ताव है।

(ग) वितरण कार्य के अभिकल्पन में संगणक का प्रयोग वैकल्पिक कार्यतन्त्रों के उचित मूल्यांकन में सहायता करेगा तथा परिणाम भी मितव्ययी होगा।

यू० एन० डी० पी०/विश्व बैंक की सहायता से नगरीय जलपूर्ति अभिकल्पन में संगणक तकनीकी पर प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम फरवरी, 86 में चलाए जाने की संभावना है।

धान की खरीद और सुरक्षित भण्डार

157. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सितम्बर-अक्तूबर में बे मौसम की वर्षा हुई, जोकि लगभग समस्त देश मे हुई थी;

(ख) इसमें फसलों को कैसे क्षति हुई है; और

(ग) धान की वास्तविक खरीद कितनी की गई और यह सुरक्षित भंडार में कितना है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सितम्बर और अक्तूबर में व्यापक वर्षा खरीफ की फसलों के लिए सामान्यत: लाभदायी होती है।

इससे रबी की फसलों की बुआई करने के लिए पर्याप्त मृदा नमी मिलने की भी संभावना रहती है।

(ग) 11 नवम्बर, 1985 को चावल और धान की कुल अधिप्राप्ति 23.44 लाख मीटरी टन (चावल के रूप में) है। 1 अक्तूबर, 1985 को चावल का कुल भण्डार 57.3 लाख मीटरी टन आंका गया है।

गन्ना मूल्य फार्मूले के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता

158. **श्री प्रकाश बी० पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को, गन्ने का मूल्य निर्धारित करते समय कोई सहायता/राहत देती है;

(ख) यदि हां, तो कौन-सा फार्मूला अपनाया जाता है;

(ग) क्या इस फार्मूले में उपयुक्त संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) क्या गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिए किसी राज्य सरकार ने इस फार्मूले के अन्तर्गत अधिक केन्द्रीय सहायता की मांग की है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल में अल्प शक्ति के ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति के दूरदर्शन ट्रांसमीटरों में बदलना

159. **श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में अल्प शक्ति के दूरदर्शन ट्रांसमिशन केन्द्रों को उच्च शक्ति के केन्द्रों में बदलने के लिए एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। त्रिवेन्द्रम में नवम्बर, 1982 में और कोचीन में जुलाई, 1984 में स्थापित किए गए अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के स्थान पर उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाए जा चुके हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज, दिल्ली का फ्रूट जूस संयंत्र

160. **श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज दिल्ली के फ्रूट जूस संयंत्र की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस सरकारी क्षेत्र एकक ने अपने आपको गैर-सरकारी क्षेत्र के संगठित सोफ्ट-ड्रिंक्स क्षेत्र के साथ स्पर्धा में असमर्थ पाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस एकक को इतना व्यवहार्य तथा मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठायें जा रहे हैं जिससे यह गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ स्पर्धा कर सके ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड के फ्रूट जूस बाटलिंग प्लांट द्वारा उत्पादित फ्रूट जूस/पेय उपभोक्ताओं में काफी लोकप्रिय है और इनकी बिक्री में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए, कम्पनी ने वर्तमान प्लांट की क्षमता में विस्तार करने का निर्णय किया है। उत्पादन विषयक बाधाओं पर काबू पाने और बिक्री में वृद्धि करने के बारे में किए गए उपायों से आशा है कि चालू वर्ष के दौरान प्लांट सक्षम हो जाएगा।

विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरे

161. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टैक्सटाइल, सेरामिक्स आदि जैसे उद्योगों का पता लगा लिया है जिनसे तेजाब का धुआं अथवा रुई की धूल आदि उड़ती है और जो उन श्रमिकों के लिए हानिकारक है जिन्हें इस प्रकार के खतरों में उनमें काम करना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार ने श्रमिकों के स्वास्थ्य के हित में कुछ रक्षात्मक उपाय तैयार किए हैं ताकि उक्त प्रभावों को निष्प्रभावी किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के उद्योगों का ब्यौरा क्या है और श्रमिकों की रक्षा करने के लिए प्रत्येक उद्योग में क्या उपाय किए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) कारखाना अधिनियम, 1948, जिसे राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है, में एक समर्थकारी उपबंध है, जिसके अनुसार यदि राज्य सरकार की यह राय है कि किसी उत्पादन प्रक्रिया में या किसी कारखाने में की जाने वाली संक्रिया से वहां नियोजित किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट लगने, विष से प्रभावित होने या बीमारी लगने का गंभीर खतरा हो तो वह विशेष नियम बना सकती है जो ऐसे कारखाने पर लागू होंगे और उन्हें लागू कर सकते हैं। केन्द्रीय सरकार ने कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान महानिदेशालय के माध्यम से 26 प्रक्रियाओं या संक्रियाओं का खतरनाक संक्रियाओं के रूप में पता लगाया है और उक्त अधिनियम की धारा 87 के अधीन समुचित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को सिफारिश की है। राज्य सरकारों को उन नियंत्रण उपायों के ब्यौरे भी दिए गए हैं जो उन्हें राज्य कारखाना नियमों में शामिल करने चाहिएं ताकि श्रमिकों की दुर्घटनाओं या बीमारियों से रक्षा की जा सके। कारखाना अधिनियम की अनुसूची में सूचनीय बीमारियों को निर्दिष्ट किया गया है और एसिड धुआं, रुई की धूल, आदि से होने वाली बीमारियों को उस सूची में शामिल किया गया है। किसी प्रकार की व्यावसायिक बीमारी की दशा में किए जाने वाले पूर्वोपायों को उन नियमों में निर्धारित किया गया है जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा बनाया जाता है।

विदेशी भारतीय फिल्में दिखाने के लिए अदा की गई फीस

162. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी फिल्में दिखाने के लिए दूरदर्शन को कुछ राशि अदा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो 1985 के प्रथम छः महीनों के दौरान इन प्रकार कितनी राशि अदा की गई तथा दिखाई गई विदेशी फिल्मों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान टी० वी० पर दिखाई गई भारतीय फिल्मों तथा प्रत्येक फिल्म के लिए रायल्टी के रूप में अदा की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय तथा विदेशी फिल्मों को टी० वी० पर दिखाने के लिए अदायगी की दरें अलग-अगल फिल्मों के लिए भिन्न-भिन्न हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) 1985 के पूर्वाह्न के दौरान, दूरदर्शन द्वारा 8 विदेशी फिल्में टेलीकास्ट की गई थीं। अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-एक में दी गई है।

(ग) उसी अवधि के दौरान, दूरदर्शन द्वारा, राष्ट्रीय संजाल पर तथा विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों पर 277 भारतीय फीचर फिल्में दिखाई गई थीं। इस प्रकार की फिल्मों के लिए भुगतान की दरें प्रत्येक की श्रेणी तथा उन केन्द्रों, जिनसे वे टेलीकास्ट की गईं, के सन्दर्भ में है। दरें तथा केन्द्र समूह संलग्न विवरण-दो में दिए गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारतीय फिल्मों के मामले में, भुगतान श्रेणीकरण से संबंधित है जो फिल्म अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। विदेशी फिल्मों के मामले में भुगतान की दरें प्राप्ति स्रोत के ऊपर निर्भर करते हुये भिन्न भिन्न होती हैं।

विवरण-एक

फिल्म का नाम	रायल्टी भुगतान	स्रोत
1	2	3
1. टोनी एंड टिक-टैक डैगन	शून्य	हंगरी दूतावास
2. वार एण्ड पीस (4 भागों में टेलीकास्ट की गई)	1,00,000 रु०	सोवेक्स पोर्ट
3. अफेक्शन	शून्य	बलगारिया दूतावास
4. दि फाल्कन्स	शून्य	हंगरी दूतावास
5. क्राइम एण्ड पनिशमेंट (दो	50,000 रु०	सोवेक्स पोर्ट

1	2	3
भागों में टेलीकास्ट की गई)		
6. ए बिटर आटम विद ए सेंट आफ मैंगो	शून्य	दूरदर्शन तथा चैक टी० वी०
7. बैटल फार बर्लिन	शून्य	रूसी दूतावास
8. स्टार (दो भागों में टेलीकास्ट की गई)	शून्य	कनाडा दूतावास

विवरण-दो

भुगतान की दरें :

भुगतान की दरें इस प्रकार हैं :—

(क) प्रीमियर टेलीकास्ट (रंगीन) आठ लाख रुपये

"ए" श्रेणी (रंगीन) आठ लाख रुपये

"बी" श्रेणी (रंगीन) तीन लाख रुपये

"सी" श्रेणी (रंगीन) दो लाख रुपये

सादे के लिए 25% कम भुगतान किया जाता है।

(ख) दिल्ली और अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर (सादे)

"ए" श्रेणी 80,000 रुपये

"बी" श्रेणी 60,000 रुपये

"सी" श्रेणी 40,000 रुपये

(ग) दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा टेलीकास्ट की जाने वाली फिल्मों के लिए भुगतान कर दरें :—

(1) फिल्म की भाषा से संबंधित क्षेत्र के दूरदर्शन केन्द्र पर क्षेत्रीय फिल्मों को टेलीकास्ट करने के लिए तथा महानगरीय केन्द्रों अर्थात बम्बई, मद्रास, कलकत्ता तथा दिल्ली पर उप-शीर्षकों के साथ टेलीकास्ट करने के लिए भुगतान की दरें वही होंगी जो हिन्दी की फिल्मों के लिए हैं। शेष दूरदर्शन केन्द्रों के लिए दरें "सी" श्रेणी की फिल्मों की दरों के बराबर होंगी।

(2) हिन्दी की सादी फीचर फिल्मों के लिए भुगतान की दर-ढांचा इस प्रकार होगा :—

फिल्मों की श्रेणी	1. दिल्ली मसूरी 2. बम्बई-पुणे बंगलोर पणजी	1. कलकत्ता 2. मद्रास 3. जलंधर अमृतसर	1. श्रीनगर 2. लखनऊ कानपुर 3. हैदराबाद 4. जयपुर	1. रायपुर 2. मुजफ्फरपुर 3. गुलबर्गा 4. सम्बलपुर 5. नागपुर 6. अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर
1	2	3	4	5
		(रुपयों में)		
"ए"	20,000	15,000	10,000	3,000

1	2	3	4	5
"बी"	15,000	10,000	7,500	2,250
"सी" तथा पुनः टेलीकास्ट के लिए	10,000	7,500	5,000	1,500

वैयक्तिक केन्द्रों से रंगीन फीचर फिल्मों को टेलीकास्ट करने के लिए भुगतान की उक्त दरों (सभी के लिए) का 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञेय होगा ।

बहु-चैनल टेलीविजन योजना

163. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा **करेंगे कि** :

(क) क्या बहु-चैनल टेलीविजन योजना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की प्रतिकूल रिपोर्ट के कारण असफल हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं । इन धारणाओं में से कोई भी धारणा सही नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बंधुआ मजदूरों के रूप में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को रोजगार देना

164. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न निर्माण कम्पनियों द्वारा नियुक्त अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को बन्धुआ मजदूरों के रूप में रखा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसे बंधुआ मजदूरों के कल्याण और उन्हें स्वास्थ्यकारी जीवन दशा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) बंधुआ श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे श्रमिकों, जिनमें अनुसूचित जनजाति के श्रमिक भी सम्मिलित हैं, के बारे में शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रही हैं । जब कभी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं तब संबंधित राज्य सरकार द्वारा उनकी जांच कराई जाती है और उन्हें मुक्त कराने तथा पुनर्वासित करने के लिए उचित कार्रवाई की जाती है । उपलब्ध सूचना के अनुसार, निर्माण कम्पनियों द्वारा बंधुआ श्रमिकों के नियोजन के बारे में किसी भी शिकायत की जांच पड़ताल करने पर प्रमाणित नहीं किया गया है ।

प्रतिबंधित विदेशी फिल्मों का आयात

165. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी फिल्में, जो अपने संबंधित देशों में प्रतिबंधित थीं, हमारे देश में आयात की गईं और दिखाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आयात की गई इस प्रकार की फिल्मों का क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी है और ऐसे कितने मामले हैं; और

(ङ) इस प्रकार की विदेशी फिल्मों के आयात और उन्हें दिखाए जाने के विरुद्ध सुरक्षा उपाय करने के लिए सरकार ने क्या प्रक्रिया अपनायी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) सरकार को ऐसी किन्ही भी विदेशी फिल्मों, जो अपने-अपने देश में प्रतिबंधित थीं, के भारत में आयात तथा उनके भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के बारे में जानकारी नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

नीम की खली के प्रयोग को लोकप्रिय बनाना

166. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत के अनेक भागों में नीम की खली (तेल निकालने के बाद बचे अवशिष्ट) उर्वरक के रूप में प्रयोग्र की जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि खेतों में किए गए परीक्षणों से यह पता चला है कि नीम की खली से फसल की पैदावार कम से कम 40 प्रतिशत बढ़ाई जा सकती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि नीम की खली कोई उर्वरक नहीं है; और इसकी मुख्य विशेषता नायट्रीकरण के प्रतिरोधक के रूप में कार्य करना है; और

(घ) यदि हां, तो नीम की खली के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के कुछ भागों में कार्बनिक उर्वरक के रूप में नीम की खली का प्रयोग किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए प्रयोगों से पता चला है कि नीम की खली अपनी खाद शक्ति के अलावा एक कारगर नत्रजन निरोधक भी सिद्ध हुआ है। नत्रजन उर्वरक के साथ इसके उपयोग से चावल और गन्ने की पैदावार में लगभग 15-20 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है ।

(घ) सरकार नीम की खली सहित कार्बनिक खादों के सभी प्रकारों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने में यथावश्यक जोर दे रही है।

दैनिक समाचारपत्रों को वित्तीय सहायता

167. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों के ऐसे दैनिक समाचारपत्रों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें अपने विस्तार कार्यक्रमों तथा मशीनों की खरीद के लिए ऋण आदि के रूप में वित्तीय सहायता मिली है; और

(ख) उनके लिए कितनी-कितनी राशि मंजूर की गई और किन शर्तों पर ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसके उपलब्ध हो जाने पर उसे सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

[हिन्दी]

देश में बाल श्रमिक

168. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** :
श्री कमल प्रसाद रावत :
श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 वर्ष से कम उम्र के लगभग 2 करोड़ बालक और बालिकाएं अपनी जीविका कमाने के लिए काम करते हैं और यदि हां, तो उन श्रमिकों में बालिका श्रमिक बालिकाओं की संख्या क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1980 से 1985 के दौरान बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो बाल-श्रम कानून बनने के बावजूद भी इस वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार बाल-श्रम पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) 1980 से 1985 तक के लिए बाल श्रमिकों की संख्या से संबंधित तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि इस अवधि के दौरान बाल-श्रम की विद्यमानता में वृद्धि हुई है।

(घ) विभिन्न कानूनों के अधीन कई नियोजनों में पहले ही बाल-श्रम पर पाबंदी लगा दी गई है।

एक ही ब्राण्ड नाम के अन्तर्गत विभिन्न किस्मों के खाद्य तेल की बिक्री

169. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ तेल मिलें एक ही ब्राण्ड नाम के अन्तर्गत विभिन्न किस्मों का खाद्य तेल बिक्री के लिए जारी करते है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे मिलावट को प्रोत्साहन मिलता है;

(ग) यदि हां, तो इस समय कितनी मिलें इस तरह की अनियमितताएं कर रही हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी तेल मिलों के मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) एक ही फर्म द्वारा बेचे जाने वाले विभिन्न किस्मों के तेलों के लिए एक ही ब्राण्ड नाम का प्रयोग करने से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं होता है। इसके अलावा, इससे अपमिश्रण को बढ़ावा नहीं मिलता है, क्योंकि सामान्यतः प्रयोग में लाये जाने वाले खाद्य तेलों को खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के तहत मानकीकृत किया गया है और इन तेलों को खाद्य अपमिश्रण नियमों के तहत निर्धारित अपनी-अपनी विशिष्टियों के अनुरूप होना होगा । विनिर्माताओं को खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 32 के तहत अपने लेबिल पर नाम, व्यापार नाम, पैकेज में रखे गए खाद्य पदार्थ का विवरण देना होता है ।

(ग) ऐसा कोई दृष्टांत हमारे ध्यान में ही नहीं आया है ।

(घ) व (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

उड़ीसा में सूखा

170. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य से सूखे के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कलाहांडी जिले में स्थिति तेजी से खराब होती जा रही है जिसके परिणामस्वरूप वहां पर कठिनाइयां बढ़ रही हैं; यहां तक कि उचित दर की दुकानों में भी खाद्यान्न की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) वित्तीय राहत व्यय की योजना के अनुसार राज्य सरकार को प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित

लोगों को राहत मुहैय्या करने के लिए केन्द्रीय सहायता मांगने हेतु एक विस्तृत ज्ञापन भेजना होता है। उड़ीसा सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सूखा राहत हेतु केन्द्रीय सहायता मांगने के लिए अभी तक कोई विस्तृत ज्ञापन नहीं भेजा है। तथापि, उड़ीसा सरकार से 11 जनवरी, 1985 को मिले ज्ञापन के आधार पर सूखा राहत के लिए उड़ीसा सरकार को 8.95 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई थी, जिसमें से 30-6-1985 तक 6 करोड़ रुपये व्यय किया जाना था।

धान तथा चावल के लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना

171. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को राज्य के अन्दर तथा बाहर धान तथा चावल लाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने हेतु निदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्यों ने अभी तक धान तथा चावल ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया है;

(ग) नीति को बदलने और धान तथा चावल लाने ले जाने सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटाने का उद्देश्य क्या है;

(घ) क्या नई नीति से राज्य सरकारों को धान तथा चावल की वसूली के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी; और

(ङ) इस वर्ष चावल तथा धान की वसूली के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों को सलाह दी गई थी कि धान के अन्तर्राज्यीय संचलन पर लगे सभी मौजूदा प्रतिबन्ध हटा दें। देश में लेवीमुक्त चावल के संचलन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ख) आंध्र प्रदेश, असम तथा कर्नाटक, जिन्हें उनके अनुरोध पर प्रतिबन्ध लगाए रखने की अनुमति दी गई है, और तमिलनाडु तथा पांडिचेरी, जिन्होंने इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है, को छोड़कर सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों द्वारा धान के अन्तर्राज्यीय संचलन पर लगे प्रतिबन्धों को हटा लिया गया है।

(ग) देश में धान के उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि और सुगम उपलब्धता के कारण धान के संचलन पर प्रतिबन्ध लगाना सामान्तया आवश्यक नहीं समझा गया था।

(घ) और (ङ) खरीफ मौसम 1985-86 के लिए चावल और धान की वसूली के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा निर्मित परियोजनाएं

172. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं, जहां पर राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने पिछले 3 वर्षों के दौरान परियोजनाओं को पूरा किया है;

(ख) इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने कुल कितनी राशि लगाई है;

(ग) उनमें से प्रत्येक देश ने पिछले तीन वर्षों के दौरान वहां पर निर्मित परियोजनाओं के लिए कितनी राशि अदा की है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम सीमित ने गत तीन वर्षों के दौरान लीबिया, ईराक, नेपाल तथा भारत में परियोजनायें पूरी कर ली हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	देश का नाम	वर्ष 1982-83	1983-84	1984-85
			(करोड़ रुपयों में)	
1.	लीबिया	30.49	25.49	20.38
2.	ईराक	13.66	12.35	19.87
3.	नेपाल	—	—	1.09
4.	भारत	29.27	41.96	42.79
	योग :	73.42	79.80	84.13

"इफको" द्वारा उर्वरकों का उत्पादन

173. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड ने 30 जून, 1985 को समाप्त हुए सहकारी वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में उर्वकों का उत्पादन किया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान "इफको" द्वारा किन विभिन्न किस्मों के उर्वरकों का उत्पादन किया गया; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लि० ने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार

30 जून, 1985 को समाप्त हुए सहकारी वर्ष के दौरान 18.32 लाख मीटरी टन उर्वरक (यूरिया +एन० पी० के०+डी० ए० पी०) का उत्पादन किया :—

उत्पाद	उत्पादन (मीटरी टन)
यूरिया (46% एन)	8,14,563
एन० पी० के० 10:26:26	2,55,250
एन० पी० के० 12:32:16	4,64,450
डी० ए० पी० 18:46:0	2,92,800
कुल उर्वरक (यूरिया+एन० पी० के/डी० ए० पी०)	18,32,063

पत्रकारों और समाचार पत्रों के अन्य कर्मचारियों को बोनस/पेन्शन

174. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्रकारों और समाचार पत्रों के अन्य कर्मचारियों को पेंशन और बोनस देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या पत्रकारों और समाचार पत्रों के अन्य कर्मचारियों की कार्य-दशा में सुधार करने का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) श्रमजीवी पत्रकारों और अन्य समाचारपत्र कर्मचारियों को पेंशन देने का प्रश्न सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में औद्योगिक श्रमिकों को पेंशन देने के व्यापक प्रश्न के साथ जुड़ा है। तथापि वे बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के उपबंधों के अनुसार बोनस के हकदार हैं।

(ख) से (घ) इस मामले में कई एसोसियेशनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच की जा रही है।

अहमदाबाद में टेलीविजन स्टूडियो केन्द्र का निर्माण

175. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में इस समय टेलीविजन स्टूडियो केन्द्र निर्माणाधीन है;

(ख) इस स्टूडियो के कब तक चालू किये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या इस स्टूडियो केन्द्र द्वारा गुजराती भाषा में क्षेत्रीय कार्यक्रम तैयार किए जायेंगे और अहमदाबाद टेलीविटन ट्रांसमीटर से टेलीकास्ट किए जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) स्टूडियो केन्द्र के 1986 के अंत तक चालू हो जाने की उम्मीद है ।

(ग) जी, हां ।

दिल्ली दूरदर्शन से "वाल्ट डिसनी कार्टून फिल्म" का प्रसारण

176. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन का दिल्ली दूरदर्शन से प्रत्येक वाल्ट डिसनी कार्टून फिल्म को 25-25 मिनट के लिए प्रसारित करने का विस्तार है;

(ख) क्या इन फिल्मों को हिन्दी में डब किया जाएगा;

(ग) कुल व्यय कितना होगा; और

(घ) दिल्ली दूरदर्शन से कब तक इन फिल्मों के प्रसारण की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां ।

(ख) हिन्दी में डब करना संभाव्य नहीं पाया गया है ।

(ग) फिल्मों की अनुमानित लागत 11,050.00 अमरीकी डालर है ।

(घ) इनको 24 नवम्बर, 1985 से हर रविवार को सुबह टेलीकास्ट किया जायेगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम के निर्माण के लिए बिहार को सहायता

177. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बिहार को ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम बनाने के लिए सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादों के लिए पर्याप्त गोदाम सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार का विचार बिहार को कितनी सहायता देने का है;

(ग) इस कार्य के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि उपलब्ध की गई थी;

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा दी गई राशि से बिहार में कितने गोदाम बनाए गए ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी हां ।

(ख) ग्रामीण गोदामों की राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता देने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना का आबंटन 26.25 करोड़ करोड़ रुपया है । तथापि, अब तक निधियों को राज्य-वार निर्धारित करने की परम्परा नहीं रही

है, किन्तु राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से सहायता हेतु प्राप्त मामलों पर मेरिट के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजनावधि (1980-85) के दौरान ग्रामीण गोदामों की राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की योजना के अंतर्गत बिहार राज्य सरकार को 166 ग्रामीण गोदामों के निर्माण हेते 114.71 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई थी।

(घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि स्वीकृत 37 ग्रामीण गोदामों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

[हिन्दी]

गया में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

178. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया का नाम उन स्थानों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है जहां वर्ष 1985-86 के दौरान दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो गया में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) गया में अल्प शक्ति वाला ट्रांसमीटर जुलाई, 1984 में लगाया गया था और वह संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है।

[अनुवाद]

बिहार में दूरदर्शन सुविधा का विस्तार

179. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बिहार में दूरदर्शन सुविधा का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां। जबकि बिहार में दरभंगा और बेतिया में अल्प शक्ति वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर छठी योजना की स्कीमों के अंग के रूप में लगाया जा रहा है, बिहार में सातवीं योजना अवधि के दौरान बिहार में स्थापित करने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त दूरदर्शन ट्रांसमीटरों, जो योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की जाने वाली वर्षवार चरणबद्धताओं और अग्रताओं के अधीन है, का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(क) उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर

(1) कटिहार
(2) डाल्टनगंज

(ख) अल्प शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर

(1) मधुबनी
(2) सासाराम
(3) गिरिडीह
(4) सिवान
(5) गोपालगंज
(6) मोतीहारी
(7) सीतामढ़ी
(8) सहरसा
(9) सिंहभूम
(10) फारवीसगंज

उन्हीं शर्तों के अधीन, रहते हुए, सातवीं योजना अवधि के दौरान पटना में पूर्ण-रूपेण रंगीन दूरदर्शन स्टूडियो, रांची में एक छोटा स्टूडियो केन्द्र स्थापित करने तथा डाल्टनगंज में कार्यक्रम निर्माण सुविधाएं उपलब्ध करने का भी प्रस्ताव है ।

दूरदर्शन समाचार सेवा में सुधार

180. **श्री विष्णु मोदी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन समाचार सेवा में सुधार लाने के लिए एक स्वतन्त्र संगठन के साथ कोई करार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस करार में कौन-कौन से मद शामिल किए गए हैं अथवा करने का विचार है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) हमारे समाचार कार्यक्रमों को अधिक दार्ष्टिक बनाने के लिए दूरदर्शन ने समाचार कतरनों और समाचार फीचरों की सप्लाई करने के लिए निम्नलिखित चार टी० वी० समाचार एजेंसियों के साथ अधिनियम 6 महीने की अवधि के लिए करार किया है :—

(1) मैसर्स इनडिपेंडेंट टेलीविजन प्राइवेट लि०, 208, होटल एम्बेसेडर, सुजान सिंह पार्क, नई दिल्ली-110003

(2) मैसर्स टी० वी० प्रोग्राम प्राड्यूसर्स गिल्ड आफ इंडिया, ए-1/3, फ्लैट 4, बिसंट नगर, मद्रास-600090

(3) मैसर्स प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया, 4, पार्लियामेंट स्ट्रीट, **नई दिल्ली-110001**

(4) मैसर्स टी० वी० न्यूज इंडिया, 201, एशिया हाउस, कर्जन रोड, **नई दिल्ली-110001**

शर्तें मोटे तौर पर इस प्रकार हैं :—

(1) टी० वी० समाचार एजेंसियां अपने कार्यकलापों को मुख्यत: उन क्षेत्रों में केन्द्रित करेंगी जहां दूरदर्शन के अपने दल का कवरेज व्यापक नहीं है ।

(2) वे अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास और मानव रुचि की कहानियों को भी कवर कर सकती हैं ।

(3) उपर्युक्त चारों समाचार एजेंसियों को, उनक द्वारा देश के सभी भागों से सप्लाई की गई तथा दिल्ली के राष्ट्रीय बुलेटिनों अथवा विशेष कार्यक्रमों में टेलीकास्ट करने के लिए दूरदर्शन द्वारा स्वीकृत की गई समाचार कतरनों के लिए 50 रुपए प्रति सेकंड की दर से भुगतान देय होगा ।

यह भी निर्णय लिया गया है कि सूची में शामिल उपरोक्त समाचार एजेंसियों से तथा अन्य उस समाचार एजेंसी से, जिसे दूरदर्शन भविष्य में निम्नलिखित शर्तों पर सूची में सम्मिलित करे, प्राप्त समाचार कतरनें क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा भी स्वीकार की जा सकती हैं :—

(1) उन समाचार एजेंसियों को, जो क्षेत्रीय केन्द्रों को, केवल क्षेत्रीय समाचारों के लिए रंगीन में समाचार दृश्य उपलब्ध करते हैं, उस फुटमान के लिए 25 रुपए प्रति सेकंड की दर से भुगतान देय होगा जिसे इन क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा स्वीकार और टेलीकास्ट किया जाता है । यदि समाचार दृश्य सादे होंगे तो दरें रंगीन के लिए निर्धारित दर से 25 प्रतिशत कम होंगी ।

(2) दूरदर्शन क्षेत्रीय समाचारों के लिए समाचार कतरनें सप्लाई करने हेतु सूची में सम्मिलित समाचार एजेंसियों के साथ कर सकता है और इस स्थिति में करार 31 मार्च, 1986 तक प्रवृत्त रह सकता है । उसके बाद स्थिति की पुनः समीक्षा की जा सकती है ।

(3) उपरोक्त दरें उन उद्घाटनों, सम्मेलनों, प्रसिद्ध समारोहों तथा अन्य प्रकार की उन घटनाओं के समाचार दृश्यों के लिए लागू नहीं होंगी जिनके लिए आमतौर से दूरदर्शन कैमरामैनों अथवा अनुबंधित फुटकर संवाददाताओं का उपयोग किया जाता है ।

(4) उपरोक्त दरें केवल तात्कालिक और महत्वपूर्ण प्रकृति की समाचार घटनाओं के प्रभावी कवरेज के समाचार दृश्यों के लिए ही लागू होंगी ।

(5) दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्रों को यह अन्तिम सम्पादकीय विकल्प होगा कि सूची में सम्मिलित समाचार एजेंसियों द्वारा भेजी गई सामग्री का उपयोग किया जाए या नहीं और भुगतान उपयोग की गई सामग्री के लिए ही किया जाएगा ।

(6) उपरोक्त 25 रुपए प्रति सेकंड की दर के अलावा, पैनल में सम्मिलित एजेंसियों को किसी और यात्रा या अन्य प्रभारों का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

(7) समाचार एजेंसियों द्वारा क्षेत्रीय समाचारों के लिए समाचार दृश्य सीधे ही संबंधित दूरदर्शन केन्द्रों को सप्लाई किए जाएंगे ।

दूरदर्शन को यह अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि यह पैनल में सम्मिलित एजेंसियों को क्षेत्रीय समाचारों के लिए क्षेत्रीय केन्द्रों को समाचार दृश्यों की सप्लाई शुरू करने की अनुमति देने से पूर्व उनकी इन शर्तों से अवगत करा दे और उनके लिए उनकी लिखित में स्वीकृति प्राप्त करे ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा लीबिया में परियोजना का निर्माण

181. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अक्तूबर, 1985 के "नवभारत टाइम्स" में "भवन निगम का लीबिया पर 56 करोड़ रुपये बकाया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए अब तक कोई कदम उठाये हैं कि लीबिया राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा वहां पूरी की गई परियोजनाओं की बकाया 56 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) लीबिया से बकाया देयताओं के भुगतान का प्रश्न भारत-लीबिया संयुक्त आयोग की बैठक में उठाया गया था । सितम्बर, 1985 में एक तकनीकी दल ने भी लीबिया का दौरा किया । इसके अलावा यह निगम लीबियायी ग्राहकों के साथ इस मामले को दृढ़ता के साथ उठा रहा है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

प्रवासी श्रमिकों की स्थिति

182. **श्री नारायण चौबे** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उड़ीसा से गुजरात राज्य में जाकर बसे प्रवासी श्रमिकों की दयनीय स्थिति के बारे में 15 अक्तूबर, 1985 के "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में श्रमिकों को ले जाने वाले ठेकेदारों के पास लाइसेंस है और यदि हां, तो ऐसे लाइसेंसों की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को ऐसे ठेकेदारों तथा मुख्य नियोक्ताओं द्वारा श्रम कानूनों का भारी उल्लंघन किए जाने की जामकारी मिली है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने कितने मामलों में ऐसे उल्लंघन-कर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां। गुजरात सरकार से आवश्यक सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए विधेयक

183. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने औद्योगिक विवादों को निपटाने की व्यवस्था करने के लिये कोई व्यापक विधेयक लाने का वायदा किया था, यदि हां, तो यह विधेयक कब तक लाया जायेगा;

(ख) इस विधेयक के उपबन्धों की मुख्य बातें क्या होंगी और वर्तमान कानूनों में क्या संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इस विधेयक के संबंध में राज्य सरकारों के क्या विचार हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

केरल को बाढ़ सहायता

184. **श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों को बाढ़ राहत राशियों के वितरण की निगरानी रखती है;

(ख) केरल में हाल में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान केरल को कितनी राशि बाढ़ राहत सहायता के लिए दी गई; और

(ग) बाढ़ से प्रभावित सभी जिलों की बराबर राशि का वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय सरकार को उन राज्य सरकारों से आवधिक मदवार व्यय का ब्यौरा मिलता है जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं/संकटों का सामना करने के लिए केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है। अब यह निर्णय किया गया है कि उन राज्यों में व्यय की प्रगति तथा वास्तविक उपलब्धियों का मानीटर करने के लिए कृषि मंत्रालय में एक मानीटरिंग सेल स्थापित किया जाय; जो प्राकृतिक आपदाओं/संकटों का सामना करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त करते हैं।

(ख) हाल की बाढ़ों के कारण केरल को केन्द्रीय सहायता के रूप में 134.79 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है।

(ग) राज्य के विभिन्न बाढ़ से प्रभावित जिलों में केन्द्रीय सहायता का वितरण करना केरल सरकार का कार्य है।

कृषि उत्पाद बाजारों के विकास हेतु सहायता

185. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि विपणन कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि उत्पाद बाजारों का विकास करने के लिये, राज्य-वार, कितनी धनराशि की सहायता दिये जाने का विचार है; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार से किन-किन कृषि उत्पाद बाजारों के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी है और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) कृषि उपज बाजारों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना का आबंटन 19.33 करोड़ रुपये है। अब तक राज्य-वार निधियां निर्धारित करने की परम्परा नहीं रही है किन्तु राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से सहायता हेतु प्राप्त मामलों पर आवश्यकता के आधार पर विचार किया जाता है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने असीफाबाद ग्रामीण थोक बाजार के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

सरकारी, गैर सरकारी और सहकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी के लिए विधान

186. **प्रो० के० वी० थामस :**

श्री रेणुपद दास :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सरकारी, गैर सरकारी और सहकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कोई विधान लाने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या उन प्रतिष्ठानों को जिनमें सौ या उससे अधिक संख्या में श्रमिक हैं, इस विधान के अंतर्गत शामिल किया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख)- निजी क्षेत्र में प्रबंध में श्रमिक सहभागिता और इस योजना को वैधानिक समर्थन देने के प्रश्न पर 27 जुलाई, 1985 और 23 सितम्बर 1985 को हुए राज्य श्रम मंत्री सम्मेलन के 35वें अधिवेशन द्वारा गठित राज्य श्रम मंत्री-ग्रुप की बैठकों में विचार किया गया। इस प्रस्ताव पर अब 25 से 27 नवम्बर, 1985 तक नई दिल्ली में होने वाले भारतीय श्रम सम्मेलन के 28वें अधिवेशन में विचार-विमर्श किया जाएगा।

महिलाओं को रोजगार

188. **श्रीमती फूलरेणु गुहा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ ऐसी नौकरियां हैं जिनके लिए महिलाएं अधिक उपयुक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन क्षेत्रों का पता लगाया है; और

(ग) क्या सरकार ने निदेश दिए हैं कि इन क्षेत्रों में महिलाओं को अधिक संख्या में रोजगार दिया जाए ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) सरकार ने महिलाओं के लिए औपचारिक प्रशिक्षण का आयोजन करने के लिए कुछ व्यवसायों का पता लगाया है ताकि उन्हें रोजगार के योग्य बनाया जा सके। राज्य सरकारों को यह कहा गया है कि वे इन व्यवसायों में रोजगार हेतु महिलाओं को प्रशिक्षित करें तथा उन्हें तैयार करें और महिलाओं के उत्पादन कौशलों को उन्नत करने के लिए उपाय करें।

उर्वरकों की खपत

189. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों की खपत बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 में विभिन्न राज्य में उर्वरकों की कुल कितनी खपत हुई; और

(ग) विभिन्न राज्यों में वर्ष 1984-85 में गत वर्ष की तुलना में उर्वरक की कितनी प्रतिशत अधिक या कम खपत हुई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1984-85 के दौरान विभिन्न राज्यों में हुई रासायनिक उर्वरकों की खपत और 1983-84 में खपत में हुई प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1983-84 और 1984-85 में विभिन्न राज्यों में
रासायनिक उर्वरकों की खपत

(एन० पी० के० हजार मीटर टन में)

राज्य	खपत 1983-84	खपत 1984-85	1983-84 की तुलना में 1984-85 में प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (—)
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	908.6	980.3	(+) 7.9
2. कर्नाटक	487.2	590.7	(+) 21.2

1	2	3	4
3. केरल	129.5	127.6	(—) 1.5
4. तमिलनाडु	586.8	690.5	(+) 17.7
5. गुजरात	502.4	504.6	(+) 0.4
6. मध्य प्रदेश	315.0	372.6	(+) 18.3
7. महाराष्ट्र	642.0	581.3	(—) 9.5
8. राजस्थान	209.7	206.6	(—) 1.5
9. हरियाणा	326.2	336.6	(+) 3.2
10. पंजाब	991.7	1047.6	(+) 5.6
11. उत्तर प्रदेश	1642.8	1612.9	(—) 1.8
12. हिमाचल प्रदेश	19.1	21.8	(+) 14.1
13. जम्मू कश्मीर	16.5	29.1	(+) 76.4
14. असम	17.3	13.8	(—) 20.2
15. बिहार	292.3	381.6	(+) 30.6
16. उड़ीसा	103.0	114.0	(+) 10.7
17. पश्चिम बंगाल	369.1	405.7	(+) 9.9
18. मणिपुर	4.4	3.8	(—) 13.6
19. मेघालय	2.8	2.9	(+) 3.6
20. नागालैंड	0.3	0.3	—
21. सिक्किम	1.1	1.2	(+) 9.1
22. त्रिपुरा	3.3	3.1	(—) 6.1
23. अन्य	139.0	182.4	(+) 31.2
अखिल भारतीय	7710.1	8211.0	(+) 6.5

वर्ष 1984 और 1985 के दौरान मूंगफली का उत्पादन

190. **श्री राधाकांत डिगाल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूंगफली का उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) गत दो वर्षों में अर्थात् 1984 और 1985 में मूंगफली का कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ग) उक्त वर्षों में कितनी मूंगफली का तेल निर्यात किया गया; और

(घ) उक्त वर्षों में देश में कितनी मूंगफली के तेल की खपत हुई ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान मूंगफली का उत्पादन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) 1983-84 तथा 1984-85 में मूंगफली के तेल का निर्यात निम्नलिखित प्रकार रहा :—

	मात्रा (हजार मीटरी टन)
1983-84	291.66
1984-85	292.57

(घ) मूंगफली का उत्पादन तथा मूंगफली तेल के निर्यात के आंकड़ों के आधार पर मूंगफली की खली की अनुमानित घरेलू उपलब्धता 1983-84 में 21.54 लाख मीटरी टन और 1984-85 में 20.36 लाख मीटरी टन निकाली गई है ।

विवरण

1983-84 तथा 1984-85 के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों में साबूत मूंगफली के उत्पादन का अनुमान

(लाख मीटरी टन)

राज्य	1983-84	1984-85
आन्ध्र प्रदेश	17.2	13.2
गुजरात	18.1	15.7
कर्नाटक	7.4	7.5
मध्य प्रदेश	2.3	1.7
महाराष्ट्र	8.1	8.5
उड़ीसा	4.0	4.8
राजस्थान	1.7	1.7
तमिलनाडु	9.8	2.51
उत्तर प्रदेश	1.5	0.9
अन्य*	0.8	0.9
अखिल भारत	70.9	67.4

*अन्य में बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, केरल, नागालैंड, पंजाब, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा पांडिचेरी शामिल हैं ।

भारत द्वारा अफ्रीकी देशों को कृषि विकास के लिए सहायता

191. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अफ्रीकी देशों के कृषि का विकास करने हेतु सहायता करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का उन देशों को कृषि का विकास करने में किस तरह सहायता करने का है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अफ्रीकी देशों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) भारत सरकार, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहकारिता कार्यक्रम के अन्तर्गत अथवा खाद्य और कृषि संगठन जैसी एजेंसियों के तत्वावधान में भारतीय विशेषज्ञ प्रतिनियुक्त करके और बीजों की आपूर्ति करके, अफ्रीकी राष्ट्रों को प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करा कर सहायता करती है।

(ग) अफ्रीकी देशों को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव इस समय इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है ।

छोटे मछुओं को राहत पैकेज

192. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटे मछुओं को राहत पैकेज देने का है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) मछुआरों को मत्स्यन नौकाएं, नायलोन यार्न, गीयर तथा मत्स्यन की अन्य जरूरत की चीजें लेने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा राजसहायता तथा ऋण की योजनाओं द्वारा सहायता दी जाती है । पेटे, इंजिन तथा गीयर पर दी जाने वाली राज सहायता 10 से 70 प्रतिशत के बीच होती है । कुछ राज्यों की अपनी कल्याणकारी योजनाएं भी हैं, जिनमें कमी के मौसम में राहत की व्यवस्था तथा रियायती दरों पर मकानों की व्यवस्था करना शामिल हैं । उन सक्रिय मछुआरों के लिए जो सहकारी समितियों/संघों/कल्याणकारी संगठनों के सदस्य हैं । भारत सरकार ने ग्रुप ऐक्सीडेंट इन्शयोरेंस के प्रीमियम पर राजसहायता देने की एक योजना भी शुरू की है । प्रत्येक बीमा पालिसी पर सालाना प्रीमियम 12 रुपये है तथा इसमें दुर्घटना हो जाने से मृत्यु होने पर अथवा स्थायी रूप से विकलांग होने पर 15,000 रुपये तथा आंशिक रूप से विकलांग होने पर 7500 रुपये दिए जाने की व्यवस्था है । "मछुआरों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि" नामक एक और योजना भी चालू की जा रही है, जिसमें मूल नागरिक सुविधाओं

जैसे पीने का पानी, चिकित्सा तथा कल्याणकारी सुविधाएं, शिक्षा, आवास, बुढ़ापे में पेंशन आदि की व्यवस्था करना शामिल है। उपरोक्त दोनों योजनाओं में केन्द्रीय सरकार का अंशदान राज्यों के मामले में 50 प्रतिशत तथा संघ शासित क्षेत्रों के मामले में 100 प्रतिशत है।

(घ) प्रश्न ही प्रश्न उठता।

खाद्य तेल उत्पादन में कमी

193. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्य तेल का उत्पादन कम होता है;

(ख) वार्षिक आवश्यकता की तुलना में वार्षिक उत्पादन का अनुपात क्या है;

(ग) खाद्य तेल उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का विचार ताड़ के तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत के पश्चिमी तट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ताड़ रोपण का व्यापक कार्यक्रम आरम्भ करने का है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) देश में खाद्य तेलों की कुल मांग तथा उनके उत्पादन के बीच लगभग 12 से 13 लाख मीटरी टन वार्षिक की कमी है।

(ग) अल्पकालिक उपाय के रूप में यह कमी आयात द्वारा पूरी की जाती है। सरकार द्वारा तिलहनों तथा तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्न दीर्घकालिक उपाय किए गए हैं :—

(1) **राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना को कार्यान्वित करना** : जिसमें दूसरे तिलहनों के बारे में गहन विकास कार्यक्रम चलाने के अतिरिक्त मूंगफली, रेपसीड/सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी के बारे में विशेष परियोजना चलाना शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ गैर-पारम्परिक तिलहनों का विकास करना, सिंचित फसलों, विशेष रूप से रबी/गर्मी के मौसम में मूंगफली के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना, मूल निवेश उपलब्ध कराना और बड़े पैमाने पर बीज एवं उर्वरक मिनी किटों का निशुल्क वितरण करना है।

(2) **राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजना** : इस परियोजना के अन्तर्गत खाद्य तेलों और तिलहनों के उत्पादन ढांचे को नया रूप देने और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से विपणन के लिए सात राज्यों में राज्य स्तरीय सहकारी तिलहन उत्पादन संघ गठित किये गये हैं।

(3) न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

(4) तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

(5) सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी गैर-पारम्परिक तिलहनों की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ानाऔर वृक्ष तथा वनमूल के तिलहनों, चावल की भूसी आदि का उपयोग करना।

(6) तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप संसाधन और आधार ढांचे सम्बन्धी आवश्यक सुविधाओं की स्थापना करना।

(घ) लाल तेल वाले ताड़ के बागान लगाने की दो परियोजनाएं केरल तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में शुरू की गई हैं, जहां इनकी खेती के लिए उपयुक्त जलवायु मौजूद है। अब तक केरल में 3705 हेक्टेयर तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 1300 हेक्टेयर भूमि पर इनके पौधे लगाये गये हैं।

खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना

194. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की कोई निश्चित योजना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का किन स्रोतों का उपयोग करने का विचार है और किन-किन राज्यों में इस प्रकार का व्यापक कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है; और

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर ताड़ के पेड़ लगाने तथा सोयाबीन की खेती करने से भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर होने में सहायता मिलेगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सरकार द्वारा तिलहनों और तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं :—

(1) **राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना को कार्यान्वित करना** : जिसमें दूसरे तिलहनों के बारे में गहन विकास कार्याक्रम चलाने के अतिरिक्त मूंगफली, रेपसीड/सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी के बारे में विशेष परियोजना चलाना शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ गैर-पारम्परिक तिलहनों का विकास करना, सिंचित फसलों, विशेष रूप से रबी/गर्मी के मौसम में मूंगफली के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना, मूल निवेश उपलब्ध कराना और बड़े पैमाने पर बीज उर्वरक मिनी किटों कानि:शुल्क वितरण करना है।

(2) **राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजना** : इस परियोजना के अन्तर्गत खाद्य तेलों और तिलहनों के उत्पादन ढांचे को नया रूप देने और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से विपणन के लिए सात राज्यों में राज्य स्तरीय सहकारी तिलहन उत्पादन संघ गठित किए गए हैं।

(3) न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

(4) तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

(5) सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी गैर-पारम्परिक तिलहनों की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना और वृक्ष तथा वनमूल के तिलहनों, चावल की भूसी आदि का उपयोग करना।

(6) तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप संसाधन और आधार ढांचे संबंधी आवश्यक सुविधाओं की स्थापना करना।

(ख) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना 17 राज्य अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सिक्किम और असम में कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) केरल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में लगाये जा रहे लाल तेल वाले ताड़ के बागानों और राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत चलाई जा रही सोयाबीन सम्बन्धी विशेष परियोजना से देश में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

चार्टर नीति का पुनरीक्षण

195. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र इस समय कितने विदेशी चार्टर्ड पोत कार्य कर रहे हैं,

(ख) क्या चार्टर्ड नीति का कोई पुनरीक्षण कार्य पूरा कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो पुनरीक्षण कार्य का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस समय भारतीय एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में कार्य कर रहे विदेशी चार्टर्ड मत्स्यन पोतों की संख्या 27 है।

(ख) और (ग) जी हां। यह प्रस्ताव किया गया है कि विदेशी मत्स्यन पोतों को भाड़े पर लेने की नीति निलम्बित की जाये।

[हिन्दी]

लखीमपुर में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की स्थापना

196. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखीमपुर में एक दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) लखीमपुर में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव कितने समय से विचाराधीन है; और

(ग) लखीमपुर में सूचना प्रसारण की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लखीमपुर में अल्प शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना करने की व्यवस्था दूरदर्शन के विस्तार के लिए सातवीं योजना के लिए दूरदर्शन के प्रस्तावों के अंग के रूप की गई है। तथापि, इस अवस्था पर इस परियोजना को मुकम्मल करने की निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना कठिन है, क्योंकि यह उन वर्षवार चरणबद्धताओं और अग्रताओं पर निर्भर करता है जो सातवीं योजना अवधि के दौरान देश में दूरदर्शन के विस्तार के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की जाएं।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के नए गोदामों का निर्माण

197. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में तथा सातवीं योजना अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य निगम के नए गोदामों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा आंध्र प्रदेश में 4.31 लाख मीटरी टन क्षमता का निर्माण किया जा रहा है। निगम सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश में अतिरिक्त भण्डारण क्षमता की आवश्यकता का जायजा ले रहा है।

बंगलौर तथा हैदराबाद में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को आवास भत्ते का भुगतान

198. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर तथा अहमदाबाद के उच्चतम न्यायालयों ने बंगलौर तथा अहमदाबाद में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को मूल वेतन तथा महंगाई वेतन के 25 तप्रतिश के बराबर आवास भत्ता 31 अक्तूबर, 1985 से पहले भुगतान करने का निर्णय दिया है; और

(ख) यदि हां, तो न्यायालयों के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम/खाद्य विभाग ने क्या कार्यवाही की है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक और गुजरात के उच्च न्यायालयों में दायर की गई रिट याचिका/अपील का अन्तिम निपटान होने तक, भारतीय खाद्य निगम ने मकान किराये भत्ते का भुगतान करने के बारे में न्यायालयों के निर्णयों को कार्यान्वित करने के अनुदेश जारी किए हैं।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के हल्दिया यूनिट को राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के अधीन रखना

199. **श्री रेणुपद दास** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के हल्दिया यूनिट को राष्ट्रीय कैमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के अधीन रखने का विचार है,

(ख) क्या तकनीकी समस्याओं की जांच करने के लिए विशेषज्ञों के एक कृत्य दल को हल्दिया भेजा गया था, और

(ग) यदि हां, तो कृत्य दल की सिफारशें क्या हैं ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी नहीं । इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) बाधाओं की शिनाख्त करने तथा हल्दिया संयंत्र को शीघ्र चालू करने के लिए समाधान की सिफारिश करने के लिए एक "टास्क फोर्स" का गठन किया गया था ।

(ग) "टास्क फोर्स" ने हल्दिया संयंत्र को चालू करने की प्रगति का पुनरीक्षण किया और चालू करने के दौरान सामना की जाने वाली विशिष्ट तकनीकी समस्याओं के बारे में समय-समय पर सिफारिशें कीं । उन्होंने दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन स्वरूप की विभिन्न सिफारिशें कीं । टास्क फार्स की कुछ मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं :—

(1) टास्क फोर्स ने सिफारिश की कि आयल फायर्ड बर्नरों की क्षमता बढ़ाई जाए ताकि संयंत्र के लिए पर्याप्त स्टीम उपलब्ध हो सके ।

(2) आक्सीजन कम्प्रेसरों के संबंध में सामने आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, टास्क फोर्स ने यह भी सिफारिश की कि संयंत्र के लिए एक अतिरिक्त रेसिप्रोकेटिंग आक्सीजन कम्प्रेसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

औद्योगिक एककों में सुरक्षा संबंधी मानदण्ड

200. **श्री रेणुपद दास** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने भोपाल त्रासदी के बाद उन औद्योगिक एककों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है जिन्होंने औद्योगिक सुरक्षा संबंधी मानदण्ड पूरे नहीं किए थे ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निदेश दिया है कि वे उन सभी कारखानों का पता लगाएं जिनमें खतरनाक उत्पादन प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं और उन यूनिटों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के लिए अधिनियम के अधीन समुचित उपाय करें । राज्य सरकारों ने इस पहलू पर विचार करने के लिए टास्क फोर्स/विशेषज्ञ समितियां गठित की हैं । राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे ऐसे सभी औद्योगिक यूनिटों का 100 प्रतिशत निरीक्षण करें जिनमें जोखिमपूर्ण प्रक्रियाएं विद्यमान हों ।

धान उत्पादन के लिए फसल बीमा

201. **श्री आई० रामा राय** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश में धान की खेती लाभकारी नहीं है,

धान उत्पादक राज्यों के लिए फसल बीमा योजना का विचार करेगी; और

(ख) धान का उत्पादन करने वाले किसानों की स्थिति में विशेषकर इस फसल को विभिन्न बीमारियों और टिड्डी (ग्रीन लीफ हाप्पर) आदि जैसे कीड़ों से बचाकर सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं।

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) खरीफ 1985 के मौसम से देश में शुरू की जाने वाली व्यापक फसल बीमा योजना में गेहूं, कदन्न, दलहन तथा तिलहन की फसलों के लिए अतिरिक्त धान को भी शामिल किया गया है।

(ख) धान की फसल को विभिन्न रोगों और कीटों जैसे टिड्डी (ग्रीन लीफ होपर) आदि से बचाने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किये गये/किये जा रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा धान की पैदावार करने वाले मुख्य राज्यों के सहयोग से भारत सरकार खरीफ तथा रबी दोनों मौसमों में धान की फसल पर कीटों की निगरानी तथा प्रबोधन कर रही है। संबंधित प्राधिकारियों को कीटों की स्थिति से अवगत कराया जाता है ताकि वे समय पर जरूरत के आधार पर नियंत्रण के उपाय कर सकें।

कीटों की किसी विशेष वृद्धि के समय राज्य के विभागों द्वारा नियंत्रण अभियान चलाये जाते हैं तथा जन प्रचार साधनों और विस्तार संस्थाओं के माध्यम से किसानों को नियंत्रण के उपाय करने के लिए तैयार किया जाता है। ऐसे अभियानों में तकनीकी जानकारी, कार्यकर्ता तथा सामग्री की व्यवस्था भी राज्य सरकार के कृषि विभागों और केन्द्रीय पौध-संरक्षण, संगरोध तथा संचयन निदेशालय के क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा की जाती है।

महामारी के मामले में, कीट नियंत्रण अभियानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना

202. **श्री हरि कृष्ण शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिलों में विकास एजेन्सियों को प्रौद्योगिकी प्रगति के लाभ पहुंचाने के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक-एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए नियत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और ये केन्द्र कब स्थापित किए जायेंगे ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) "संयुक्त ग्रामीण प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र" नामक एक नई स्कीम सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई है। सातवीं योजना में इस स्कीम के लिए 20 करोड़ रुपये का परिव्यय तथा वर्ष 1985-86 के लिए 2.5 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। इस स्कीम का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश के सतना शहर के विकास हेतु विशेष अनुदान

203. **श्री अजीज कुरेशी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको यह जानकारी है कि खजुराहो, चित्रकूट और मेहर आदि की यात्रा कराने के इच्छुक विदेशियों सहित हजारों लोग मध्य प्रदेश के सतना शहर में आते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में छोटे तथा मध्यम शहरों के विकास की योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के सतना शहर के विकास हेतु कोई विशेष अनुदान देने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) जी हां, राज्य सरकार ने खजुराहो कस्बे को 79.47 लाख रुपये की अनुमानित परियोजना लागत से छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास की योजना में शामिल करने की सिफारिश की है क्योंकि यह पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य स्थान है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र का अंशदान लगभग 40 लाख रुपये होगा। केन्द्रीय सरकार के अंश में से इस कस्बे के विकासार्थ 23.00 लाख रुपये की राशि पहले ही रिलीज कर दी गई है। सतना को छोटे तथा मझोले कस्बों के एकीकृत विकास के कार्यक्रम में शामिल करने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

निर्माण स्थल पर रहने वाले निर्माण कम्पनियों के लोग

204. **श्री अनिल बसु** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में निर्माण स्थल पर रहने वाले निर्माण कम्पनियों के उन लोगों के बारे में, जो दशकों से एकनिर्माण स्थल से दूसरे निर्माण स्थल पर घूमते रहते हैं, सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का कोई ऐसी योजना तैयार करने का विचार है जिससे भविष्य में इन कारीगरों का संरक्षण हो सके और ऐसी निर्माण कम्पनियों के पास काम न होने की स्थिति में उन पर अनावश्यक रूप से भार न पड़े; और

(घ) ऐसी योजना कब तक तैयार कर ली जाएगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (घ) इस समय अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। तथापि सरकार ने निर्माण श्रमिकों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति गठित की है। उक्त त्रिपक्षीय समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार से हैं :—

(क) भवन और निर्माण उद्योग द्वारा सामाजिक सुरक्षा कानूनों यानी कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम एवं उसके अधीन तैयार की गई योजनाओं, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और उसकी योजनाओ, उपदान संदाय अधिनियम आदि के उपबंधों का अनुपालन करने में विशिष्ट कठिनाइयों का पता लगाना; और

(ख) यह निश्चय करना कि उपरोक्त (क) में उल्लिखित कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उक्त उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए किस तरह की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए।

उक्त समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

बागवानी का विकास

205. **श्री मुरलीधर माने** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं योजना के दौरान बागवानी के विकास पर अधिक बल देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) किन बड़े क्षेत्रों में बागवानी का विकास करने का प्रस्ताव है;

(घ) लक्ष्य प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार के फल लगाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) फलों की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाने हेतु तैयार की गई योजनाओं तथा संबंधित राज्य सरकारों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जी हां। बागवानी के विकास के लिए केन्द्रीय हिस्से के रूप में 2500 लाख रुपए के परिव्यय की स्वीकृति दी गई है। सातवीं योजना के दौरान बागवानी विकास के मुख्य क्षेत्र काजू, नारियल, मसालों, सब्जियों और फलों की फसलें हैं।

(घ) सातवीं योजना के अंत तक के लिए फलों के 280 लाख मीटरों टन के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर राज्यों और अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और गोवा संघ राज्य क्षेत्र में पौद लगाने की सामग्री पौध संरक्षण कार्यों के लिए छिड़काव यंत्र, सूक्ष्म पोषक तत्व, ओलों से बचाव के लिए जाल और बागबानी उत्पादन को ग्रेडिंग, पैंकिग और विपणन सम्बन्धी सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा, राज्य सरकारें राजकीय योजनागत धन-व्यवस्था से फलों के विकास के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित करती हैं।

हुडको, 1979 योजना के फ्लेटों का आबंटन

206. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "हुडको" 1979 योजना के अन्तर्गत कुल कितने लोगों ने पंजीकरण कराया था तथा निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के प्रत्येक टाइप के फ्लैटों के अलग-अलग अनुमानित मूल्य क्या था;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत प्रथम आबंटन कब किया गया था और कितने फ्लैट आबंटित किए गए थे और उक्त श्रेणियों में उनका मूल्य कितना था;

(ग) फ्लैटों को अब तक किए गए आबंटन की वर्षवार संख्या क्या है और उनके मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस योजना के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण में एक अलग अनुभाग खोला गया है; और

(ङ) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण का उक्त फ्लैटों की लागत का हिसाब लगाने पर खर्च की गई राशि की प्रतिशतता क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) विभिन्न श्रेणियों में पंजीकृत कुल व्यक्तियों की संख्या 1,71,729 थी। जिसका विवरण विभिन्न टाइप के फ्लैटों की सम्भावित लागत सहित नीचे दी गई हैं :—

श्रेणी	पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या	निर्मित फ्लैटों की संभावित लागत
जनता	56,254	8000 रुपये
निम्न आय वर्ग	67,587	18000 रुपये
मध्यम आय वर्ग	47,888	42000 रुपये

(ख) 31-3-81 को निकाली गई लाटरी के माध्यम से प्रथम आबंटन किया गया था तथा फ्लैटों की निम्नलिखित संख्या आबंटित की गई थी :—

श्रेणी	आबंटित फ्लैटों की संख्या
जनता	3185
निम्न आय वर्ग	953
मध्यम आय वर्ग	839
योग :	5977

फ्लैटों की पूर्णता की अवधि की निर्भरता पर कालोनी के हिसाब से कीमत अलग-अलग है।

(ग) वर्षवार आबंटन के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

वर्ष	जनता	निम्न आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग	योग
1981	3185	953	839	4977
1982	4700	3645	595	8940
1983	2718	3771	3336	9825
1984	2751	2452	1624	6827
1985	723	987	1979	3689
योग	14077	110808	8373	34258

फ्लैटों की पूर्णता की अवधि की निर्भरता पर कालोनी के हिसाब से कीमत अलग-अलग है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमि अवक्रमण

207. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन क्षेत्रों सहित बड़े पैमाने पर भारतीय भूमि क्षेत्र और अच्छी कृषि भूमि का हर वर्ष अवक्रमण हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो भूमि अवक्रमण से उत्पाकदता कम हो रही है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थिति किस हद तक बिगड़ी है; और

(घ) भूमि अवक्रमण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है और विभिन्न राज्यों में इस मामले में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) भू-अवक्रमण और मृदा-क्षरण वाले क्षेत्र के बारे में कोई नियमित देशव्यापी मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसीलिए, उत्पादकता को कम करने वाले भू-अवक्रमण के बारे में पिछले तीन साल के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, अनुमान है कि देश में वनों सहित विभिन्न भू-उपयोग श्रेणियों का कुल मिलाकर लगभग 1750 लाख हैक्टार क्षेत्र मृदा-क्षरण और भू-अवक्रमण से ग्रस्त है।

(घ) भू-अवक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए कदम संलग्न विवरण-1 में और उपलब्धियों का राज्यवार विवरण संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में कई मृदा संरक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं। राज्य क्षेत्र के कार्यक्रम मुख्यतः कृषि भूमि और कुछ गैर-कृषि भूमि का विभिन्न कृषि-वैज्ञानिक, इंजीनियरी और जीव-वैज्ञानिक उपायों से उपचार करने पर केन्द्रित हैं। प्राथमिकता/प्रतिसंवेदी क्षेत्रों को अभिज्ञात करने और आधारिक स्रवण विशिष्टताएं प्रदान करने की दृष्टि से मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी गयी है। जलाशयों में गाद के जमने को कम करने और उनके इस्तेमाल हो सकने की अवधि को बढ़ाने के साथ-साथ प्रदायक स्रवण क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं शुरू की गई थीं। एक पृथक योजना के तहत, 17 राज्यों में उत्पादक विकास के लिए कृषि योग्य बंजर भूमि का सर्वेक्षण और इसका 100 हैक्टार से कम के खण्डों में वर्गीकरण किया गया। इसी तरह, एक अन्य केन्द्रीय योजना द्वारा गुजरात,

मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में खड्डों वाली भूमि का सर्वेक्षण और विभिन्न गहराई-वर्गों तथा स्वामित्व पद्धतियों, अर्थात : निजी, सरकारी और पंचायती में इसका वर्गीकरण किया गया। पठारी भूमि में भू-क्षरण और खड्डों वाली भूमि में अतिक्रमण को रोकने, उथले खड्डों वाली भूमि का कृषि/बागवानी के लिए सुधार करने और ईंधन और चारा के आरक्षित क्षेत्रों का विकास करके मध्यम तथा गहरी खड्डों वाली भूमि के स्थायीकरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए गए थे। इस दृष्टिकोण की तकनीकी व्यवहार्यता, चौथी और पांचवीं योजनाओं के दौरान केन्द्रीय सहायता से मार्गदर्शी परियोजना के तहत प्रदर्शित की गई। पांचवीं योजनावधि के दौरान, नदीघाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों और खड्डों वाली भूमि में कार्यक्रमों को जारी रखने के अतिरिक्त, झूम खेती वाले क्षेत्रों के नियंत्रण और अम्लता से ग्रस्त क्षेत्रों के सुधार के लिए मार्गदर्शी परियोजनाएं शुरू की गईं। इसी योजनावधि के दौरान, हिमालयी पारिस्थितिकी-तन्त्र के संरक्षण और स्थिरीकरण के लिए मृदा, जल और वृक्ष संरक्षण की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई, जबकि सूखा-प्रवण और रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए दो पृथक योजनाएं शुरू की गईं।

छठी योजना के दौरान, राज्य क्षेत्र में कृषि और गैर-कृषि भूमि के उपचार के लिए जोर दिया जाना जारी रहा। निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से केन्द्रीय सहायता दी गई :—

1. नदीघाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण—17 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र में फैले 17 स्रवण क्षेत्रों में।
2. बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध सात राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र में स्थित 8 स्रवण क्षेत्रों में।
3. 12 राज्यों और संघ शासित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में मृदा, जल और वृक्ष संरक्षण।
4. जलावन की लकड़ी की कमी वाले 157 जिलों में ग्रामीण जलावन की लकड़ी के वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी।
5. 13 राज्यों में 70 जिलों के 615 खण्डों में सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम।
6. राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों के 17 जिलों तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर के 4 ठंडे शुल्क जिलों में मरु विकास कार्यक्रम।
7. संघ शासित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में झूम खेती का नियंत्रण।
8. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, दमन और दीव, मिजोरम तथा पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्रों में मृदा सर्वेक्षण संगठन को मजबूत बनाना।
9. 15 राज्यों के 19 जिलों के बारानी खेती वाले क्षेत्रों के लिए जल संरक्षण/उपयोग प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार।

1984-85 तक, लगभग 1222 करोड़ रु० की लागत से समस्याग्रस्त क्षेत्र के 293.8 लाख हैक्टार का उपचार किया गया है। इसके अतिरिक्त; समेकित पनधारा प्रबंध योजनाएं तैयार करने हेतु प्राथमिकता/संकटपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सुदूर-संवेदन जैसी आधुनिक प्रौद्यो-गिकी का इस्तेमाल करके विभिन्न किस्म के मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण करने के लिए अखिल

भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण के माध्यम से केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। मिट्टी की स्थिति और उसके वैज्ञानिक प्रबन्ध से सम्बन्धित मामलों पर नीतिविषयक निदेश देने के लिए राष्ट्रीय भूमि संसाधन संरक्षण और विकास आयोग और 1983 में स्थापित राष्ट्रीय भूमि बोर्ड को राष्ट्रीय भूमि प्रयोग और संरक्षण बोर्ड और राष्ट्रीय भूमि प्रयोग एवं बंजर भूमि विकास परिषद के रूप में पुनर्गठित किया गया है। इसी प्रकार राज्य स्तर पर मृदा और आर्द्रता संरक्षण तथा भूमि सुधार सहित भूमि से सम्बन्धित विभागों के कार्यकलापों के समन्वय के लिए मुख्य मन्त्रियों की अध्यक्षता मे राज्य भूमि प्रयोग बोर्ड कार्य कर रहे हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपरोक्त प्रयास जारी रखे जा रहे हैं।

विवरण-2

1951-52 से 1984-85 तक विभिन्न मृदा और जल संरक्षण उपायों से उपचारित किए गए क्षेत्र का राज्य वार विवरण

(क्षेत्र लाख हैक्टार में)

क्र० सं०	राज्य	केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र के तहत उपचारित क्षेत्र
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	7.72
2.	असम	1.58
3.	बिहार	9.02
4.	गुजरात	22.83
5.	हरियाणा	4.36
6.	हिमाचल प्रदेश	2.40
7.	जम्मू व कश्मीर	1.87
8.	कर्नाटक	31.08
9.	केरल	1.95
10.	मध्य प्रदेश	38.25
11.	महाराष्ट्र	95.50
12.	मणिपुर	0.88
13.	मेघालय	0.91
14.	नागालैण्ड	0.81
15.	उड़ीसा	6.19

1	2	3
16.	पंजाब	5.83
17.	राजस्थान	15.53
18.	सिक्किम	0.69
19.	तमिलनाडु	10.81
20.	त्रिपुरा	0.92
21.	उत्तर प्रदेश	27.78
22.	पश्चिम बंगाल	3.10
	राज्यों में, कुल (1)	290.01
23.	संघ शासित क्षेत्री में, कुल (2)	1.12
24.	डी० वी० सी० (3)	2.70
	(1), (2) और (3) का कुल योग :	293.83

गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम

208. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

श्रीमती किशोरी सिंह :

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की दिन प्रतिदिन बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय का देश में गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम में तेजी लाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कितने परिवारों को गन्दी बस्तियों से छुटकारा मिलने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां । वृद्धि हो रही है।

(ख) और (ग) शहरी मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की योजना, जिसका उद्देश्य शहरी मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधायें देना है, सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भी जारी है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 90 लाख मलिन बस्ती निवासियों को सातवीं योजना में लाभान्वित करने का विचार है।

[हिन्दी]

देश में सूखा

209. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :

श्री वी० तुलसी राम :

श्री आर० एम० भोये :

श्री कमला प्रसाद रावत :

श्री शांति धारीवाल :

श्री विष्णु मोदी :

श्री नरसिंह मकवाना :

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि :

श्री सत्यगोपाल मिश्र :

श्री महेन्द्र सिंह :

श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में विशेषतः आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में कुछ क्षेत्र काफी लम्बे समय से सूखा प्रवण क्षेत्र हैं;

(ख) क्या किसी दल ने सूखा प्रभावित राज्यों का दौरा किया है, यदि हां, तो दल द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य में सूखा राहत उपायों पर किये गए व्यय की धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के समक्ष प्रति वर्ष बार-बार आने वाली सूखा समस्या की रोकथाम के लिए राज्य स्तर से गांव तक कम्प्यूटर सेवा का उपयोग करने की कोई परियोजना आरम्भ की है;

(ङ) यदि हां, तो इस परियोजना के कार्यकरण की रूपरेखा क्या है; और

(च) क्या सरकार का विचार सूखा की वर्ष प्रति वर्ष पुनरावृत्ति की समस्या को हल करने के लिए अन्य राज्यों में भी ऐसी ही परियोजनाएं आरम्भ करने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1985-86 के दौरान, केन्द्रीय दल ने सूखे से प्रभावित निम्नलिखित राज्यों का दौरा किया :—

1. आंध्र प्रदेश	6. महाराष्ट्र
2. कर्नाटक	7. मध्य प्रदेश
3. हिमाचल	8. उत्तर प्रदेश
4. हरियाणा	9. राजस्थान
5. जम्मू व कश्मीर	10. गुजरात

पंजाब, मिजोरम तथा पांडिचेरी के अनुरोध पर अन्तर मंत्रालय दल ने विचार किया था। केन्द्रीय दलों/अन्तर मंत्रालय ग्रुप और राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने 1985-86 के दौरान अब तक 275.36 करोड़ रुपए की अधिकतम केन्द्रीय सहायता मंजूर की है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन संस्वीकृतियों में से किए गए व्यय के ब्यौरे वर्ष के अंत में ही प्राप्त होंगे।

(च) से (च) भारत सरकार को इस प्रकार की किसी परियोजना की जानकारी नहीं है।

विवरण

1985-86 के दौरान सूखे से प्रभावित राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता

क्रम सं०	राज्य	रकम (करोड़ रु० में)	टिप्पणी
1.	आन्ध्र प्रदेश	30.80	अतिरिक्त सहायता के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।
2.	हिमाचल प्रदेश	16.46	
3.	हरियाणा	9.21	
4.	गुजरात	—	सहायता के अनुरोध पर कार्यवाही की जा रही है।
5.	जम्मू व कश्मीर	4.12	
6.	महाराष्ट्र	34.50	अतिरिक्त सहायता के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।
7.	कर्नाटक	53.31	
8.	मध्य प्रदेश	39.74	अतिरिक्त सहायता के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।
9.	पंजाब	8.14	
10.	उत्तर प्रदेश	51.78	
11.	राजस्थान	25.87	अतिरिक्त सहायता के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।
12.	मिजोरम	0.24	
13.	पांडिचेरी	1.19	
		275.36	

[अनुवाद]

चीनी के आयात का घरेलू उत्पादन पर प्रभाव

210. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान चीनी के आयात से चीनी की मांग और पूर्ति के बीच अन्तर किस सीमा तक कम हुआ है; और

(ख) चीनी के आयात का घरेलू उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान स्वदेशी चीनी की उपलब्धता में कमी और आन्तरिक खपत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और आपूर्ति तथा मांग के अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार ने कुल 19.5 लाख मीटरी टन चीनी आयात करने का निर्णय किया था जिसके फरवरी, 1986 के अन्त तक पहुंच जाने के बारे में कार्यक्रम बनाया गया है ।

(ख) चीनी का आयात करने से स्वदेशी चीनी के उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है क्योंकि सरकार ने साथ ही साथ घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना उत्पादकों को गन्ने के लाभकारी मूल्यों का भुगतान करना शामिल है ।

केरल में भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्नों की फुटकर बिक्री अपने हाथ में लेना

211. श्री मुल्लापल्लि रामचन्द्रन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्नों की बिक्री वापस लेने और उसे गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लेने की जानकारी है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम के कुलियों और अन्य कर्मचारियों की ओर से केरल सरकार के निर्णय के विरोध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या रुख अपनाया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री० के० पी० सिंह देव) : (क) केरल सरकार भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्नों के खुदरा वितरण को अपने हाथ में लेने के लिए सहमत हो गई है क्योंकि मुख्यतया यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । तथापि, भारतीय खाद्य निगम राज्य में स्थित अपने आधार डिपुओं से राज्य सरकार के नामितों को खाद्यान्नों की आपूर्ति करता रहेगा ।

(ख) और (ग) जी, हां । यह मामला उपर्युक्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेजा दिया गया है ।

जैव उर्वरकों संबंधी राष्ट्रीय परियोजना

212. श्री महेन्द्र सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव उर्वरकों संबंधी राष्ट्रीय परियोजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे रासायनिक उर्वरकों की मांग किस सीमा तक कम हो जाएगी; और

(घ) विभिन्न किस्म के उर्वरकों की वर्तमान मांग कितनी है और जैव उर्वरक परियोजना द्वारा प्रत्येक किस्म के उर्वरकों की मांग कहां तक पूरी हो जाएगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) जैव-उर्वरकों के विकास और इस्तेमाल सम्बन्धी राष्ट्रीय परियोजना मार्च, 1983 में स्वीकृत की गई थी । इसमें एक राष्ट्रीय केन्द्र, 6 क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना करने और 40 उप-केन्द्रों के लिए वित्तीय सहायता करने की व्यवस्था है । राष्ट्रीय केन्द्र दिल्ली या उसके आस-पास स्थापित किया जा रहा है और क्षेत्रीय केन्द्र हिसार, पुणे, बंगलौर, जबलपुर, भुवनेश्वर और शिलांग में स्थापित किये जा रहे हैं । 40 उप-केन्द्र 18 राज्यों में स्थापित किये गये हैं ।

(ग) इससे रासायनिक उर्वरकों की मांग में कमी नहीं आयेगी क्योंकि ये कुछ फसलों की केवल नाइट्रोजन की मांग को पूरा करेगी ।

(घ) रबी 1985-86 (अक्तूबर, 1985 से मार्च, 1986) के लिए उर्वरकों की आंकी गई मांग और सम्भावित स्वदेशी उपलब्धता नीचे दर्शाई गई है :—

(लाख मीटरी टन में)

	एन०	पी०	के०	योग
1. आंकी गई मांग	35.20	14.61	5.75	55.56
2. सम्भावित स्वदेशी उपलब्धता	23.90	7.91	1.51	33.32

शेष मात्रा आयात द्वारा पूरी की जाएगी जिसके लिए आवश्यक व्यवस्था कर ली गई है ।

जैव-उर्वरक केवल पूरक स्रोत हैं, अतः इनसे विभिन्न किस्म के उर्वरकों की मांग में कमी नहीं आयेगी ।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं इंडियन एक्सप्रेस के मामले में उच्चतम न्यायालय ने जम्मू और काश्मीर के राज्यपाल की कड़े शब्दों में निंदा की है । **(व्यवधान)** उच्चतम न्यायालय के निर्णय का आदर किया जाना चाहिए । सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई निन्दा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। श्री माधव रेड्डी, क्या आपको व्यवस्था का कोई प्रश्न उठाना है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री माधव रेड्डी से पूछा है कि उनका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

श्री सी० माधव रेड्डी : इसकी अनुमति नहीं दी गई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे कि वे उच्चतम न्यायालय के निर्णय की जांच कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप जगमोहन के मामले का उल्लेख कर रहे हैं ?

श्री सी० माधव रेड्डी : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपको पहले ही कुछ कहना था।

प्रो० मधु दण्डवते : इसमें एक भ्रम है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई भ्रम नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भ्रम है। मेरे ख्याल से मै बिल्कुल स्पष्ट हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : इसमें कुछ भ्रम है। कृपया सुनिए (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप यह क्यों कर रहे हैं ? बैठ जाइए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम सभा में इस ओर से जो मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका इंडियन एक्सप्रेस थी इमारत के पूरे मामले से कोई सरोकार नहीं है अर्थात इमारत के निर्माण के लिए भूमि ठीक ढंग से प्राप्त की गई थी या नहीं आदि।

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं, मैं अनुमति नहीं देता हूं। नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सवाल यह नहीं है। हम उस प्रश्न के गुण या दोष पर नहीं जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : महोदय मैं आपसे सहमत नहीं हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह आवश्यक नहीं है कि हम विचार करें···(**व्यवधान**) यह मुद्दा नहीं है। यह जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के बारे में है और वह पहले दिल्ली के उपराज्यपाल थे। उनकी जब इस प्रकार निन्दा की गई है, तो क्या उनका पद पर बने रहना उचित है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं; यह एक ही बात है। यह परस्पर जुड़ी हुई है।

प्रो० मधु दण्डवते : आपके निर्णय देने से पहले मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले सुन लिया है। मैं समझता हूं कि यह पुराना हो गया है।

प्रो० मधु दंडवते : मुद्दा यह है कि यह सभा कुछ पूर्वोदाहरणों पर चलती है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, हम चलते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं केवल 2 या 3 पूर्वोदाहरण दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, पूर्वोदाहरण देने का प्रश्न नहीं है। मैं इन सब पूर्वोदाहरणों को जानता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया मुझे सुनिए; हमें सुनने में क्या बुराई है ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं विवाद की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं बताना चाहता हूं कि जब टी० टी० कृष्णामाचारी एक मामले में, जिसकी जांच की गई थी. फंसे थे तथा उनकी निन्दा की गई थी तब पंडित नेहरू ने उन्हें त्यागपत्र देने को कहा था। श्री अंतुले को त्यागपत्र देने के लिए कहा गया था।

अध्यक्ष महोदय : वह कुछ और है।

श्री एडुआर्डो फलीरो (मारमागाओ) : उसमें कोई निन्दा नहीं की गई थी।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है। नहीं।

प्रो० मधु दंडवते : उच्चतम न्यायालय ने निन्दा की है। उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। मैं केवल एक उदाहरण दे सकता हूं। यह बहुत साधारण है। प्रोफेसर साहिब भी इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आपने सुन लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप उस तथ्य को जानते हैं जिसको मैं बताने जा रहा हूं। मूल प्रस्ताव के माध्यम से राज्यपाल के आचरण की केवल चर्चा की जा सकती है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे सुनिए। करने को कुछ भी नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सुनिए···आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : हम केवल मूल प्रस्ताव के माध्यम से राज्यपाल के बारे में चर्चा कर सकते हैं। इसलिए मैंने नियम 184 के अन्तर्गत मूल प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने दिया है। मैं भी यही कह रहा हूं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जब मैं उसके लिए तैयार हूं ? मैंने पहले से ही उस तर्क को स्वीकार कर लिया है अर्थात मूल प्रस्ताव के माध्यम से राज्यपाल के आचरण की केवल चर्चा की जा सकती है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप चर्चा की अनुमति दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे सुनिए, आप तो निष्कर्ष निकालने लगे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब यह बात हुई तब वह राज्यपाल नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त जी, मैं इस पर इस तरह से चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं इस बात को अलग और उस बात को अलग नहीं समझ रहा हूं। यह पूरी एक बात है। मैं अन्य सभी बातों को भी समझूंगा और तब निर्णय लूंगा। ईश्वर के लिए मुझे सुनिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप चर्चा की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

अगर सुप्रीम कोर्ट को आप दो साल दे सकते हैं तो मुझे दो हफ्ते तो दीजिए।

[अनुवाद]

मैं अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहता हूं। मुझे इसका अध्ययन करने दीजिए। मैं आपके साथ वायदा कर सकता हूं कि मूल प्रस्ताव के अन्तर्गत मैं इस पर चर्चा करवा दूंगा।

कई माननीय विपक्षी सदस्य : ठीक है।

प्रो० मधु दंडवते : आपके निर्णय को समझते हुए, क्या आपका निर्णय यह है कि इस विषय पर नियम 184 के अन्तर्गत मूल प्रस्ताव अनुज्ञेय है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : आपने मुझे बुलाया है और आपने कहा है कि सभी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। सभी पहलुओं पर विचार करते समय जिस मुख्य पहलू पर विचार किया जाना चाहिए यह यह है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, यह मुख्य चर्चा के अन्तर्गत आएगा। आपको पूरी चर्चा की अनुमति होगी।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मुख्य पहलू जिस पर नजर डालनी है वह यह है : जनता सरकार, तत्कालीन मंत्री श्री सिकन्दर बख्त ने जिस तरह अवैध तरीके से अनुमति दी थी……

अध्यक्ष महोदय : जब समय आएगा तब आपको इस बारे में बोलने की पूरी अनुमति दी जाएगी।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल ने भी एक नोटिस दिया है। एक मिनट।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : नारियल 4 रुपये की दर पर बेचा जा रहा था और अब यह 50 पैसे में बेचा जा रहा है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे सुनिए। मैं आपको आपके हित में, श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल के हित में तथा प्रत्येक सदस्य के हित में कह रहा हूं। हमने चर्चा की है……

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : किसी वायदा की कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसको अपने तरीके से करना चाहते हैं तो करिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल मत करिए ? बोलने दो।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं चलेगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर पहले से ही चर्चा की है। श्री बसुदेव आचार्य जी, आप अनावश्यक रूप से सभा का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं ? यदि आप मुझे सुनने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है तो मुझे सुनिए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ नहीं है। यह सम्भव नहीं है। आप मुझे बेकार में यह चीजें बताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस दिया है। मैंने आपको और अन्यों को भी सुन लिया है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप मजाक बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि हमने निर्णय किया है और मैंने निर्णय लिया है। कृपया बैठ जाइए। कृषि के मूल्यों में गिरावट के बारे में इस सभा में प्रस्ताव के द्वारा चर्चा की जाएगी। हमने आज सुबह ही खाद्य तथा सूखे की स्थिति पर विचार किया था क्योंकि कुछ लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे और हमने सोचा कि उन पर इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चिन्ता मत कीजिए। हमें उसका ध्यान है। माननीय सदस्य आपकी समस्याओं पर हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : विरोधी पक्ष के नेताओं की बैठक में जैसा कि मैंने कहा था कि जहां तक सरकार का संबंध है, जैसा कि आपने ठीक ही कहा है कि उनके द्वारा उठाये गए इस विषय के अलावा कई विषयों पर चर्चा की जानी है। सरकार को उच्च न्यायालय के निर्णय पर तथा इसमें सम्मिलित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल (मुवत्तुपुजा) : मैंने एक नोटिस दिया है······

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे। आप इसे फिर से क्यों ले रहे हैं ? ठीक है। कृपया बैठ जाइए। यह क्या है ?

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : कपास के मूल्य में गिरावट और कपास उत्पादकों को बचाने के लिए सी० सी० आई० के आने न आने के संबंध में अलग से चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम इसको लेंगे। यह सबसे संबंधित है। इस पर विचार किया जाएगा। कृपया अब बैठ जाइए।

12.10 म० प०

(इस समय श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल और श्री के० मोहनदास सदन से बाहर चले गए)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : सरकार स्थिति का कम मूल्यांकन कर रही है······

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक और प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस सदन में दो महत्वपूर्ण परम्पराओं का उल्लंघन किया गया है। सत्र के दौरान केवल प्रधान मंत्री जी ही बाहर नहीं गए हैं बल्कि महोदय······**(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है।

प्रो० मधु दण्डवते : परम्पराओं···**(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है। असंगत है। हम अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेते हैं। श्री एस० बी० चव्हाण

12.11 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

राष्ट्रपति द्वारा 29 सितम्बर, 1985 को जारी की गई उद्घोषणा जिसके द्वारा पंजाब राज्य के संबंध में 6 अक्तूबर, 1983 को उनके द्वारा जारी की गई उद्घोषणा रद्द की गयी

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 29 सितम्बर, 1985 को जारी की गई उद्घोषणा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत पंजाब राज्य के संबंध में 6 अक्तूबर, 1983 को इनके द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को रद्द किया गया है, और जो 29 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 765(अ), में प्रकाशित हुई, सभा पटल पर रखता हूं।

ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1439/85]

नारियल विकास भर्ती (संशोधन) विनियम, 1985

कृषि मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 21 के अन्तर्गत नारियल विकास भर्ती (संशोधन) विनियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 3 अगस्त, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 727 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1440/85]

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1985, बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1985, वायुयान (संशोधन) अध्यादेश, 1985, बोनस संदाय (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1985

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 8 सितम्बर, 1985 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (1985 का संख्या 5)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1441/85]

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 27 सितम्बर, 1985 को प्रख्यापित बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (1985 का संख्या 6)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1442/85]

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 16 अक्तूबर, 1985 को प्रख्यापित वायुयान (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (1985 का संख्या 7)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1443/85]

(चार) राष्ट्रपति द्वारा 7 नवम्बर, 1985 को प्रख्यापित बोनस संदाय (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1985 (1985 का संख्या 8)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1444/85]

चीनी उद्योग विकास परिषद का 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं निम्नलिखित सभा-पटल पर पर रखता हूं :—

(1) चीनी उद्योग विकास परिषद के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तआ अंग्रेजी संस्करण)।

(2) चीनी उद्योग विकास परिषद के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1445/85]

सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1985

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : मैं सिनेमा-कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 की धारा 11 की उपधारा (4) के अन्तर्गत सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तबा अंग्रेजी संस्करण), जो 9 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 787 (ङ) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1446/85]

धन-कर (संशोधन) नियम, 1985, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 तथा आय-कर अधिनियम, 1961 और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, धन-कर (संशोधन) नियम, 1985, जो 19 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 685(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1447/85]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (नौवां संशोधन) नियम, 1985, जो 23 अगस्त, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 678(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, 1985, जो 28 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 813(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1448/85]

(3) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 4224, जो 14 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो "गुजरात इकालोजिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च फाउंडेशन" को कर-निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1986-87 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत छूट देने के बार में है ।

(दो) का० आ० 4225, जो 14 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो "पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री का राहत कोष" को कर-निर्धारण वर्ष 1981-82 से 1986-87 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत छूट देने के बारे में है ।

(तीन) का० आ० 4226, जो 14 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो "दि इंस्टीच्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इण्डिया" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत छूट देने के बारे में है ।

(चार) का० आ० 4227, जो 14 सितम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो "इंडियन एक्स सर्विसस लीग" को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत छूट देने के बारे में है ।

(पांच) का० आ० 4228, जो 14 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो "विवेकानन्द मिशन आश्रम" को कर-निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1987-88 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत छूट देने के बारे में है ।

(छ:) का० आ० 4229, जो 14 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो "इंडिया स्पौंसरशिप कमेटी, बम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि

के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत छूट देने के बारे में है।

(सात) का० आ० 4230, को 14 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो "सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान" को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत छूट देने के बारे में है।

(आठ) का० आ० 4231, जो 14 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो "इन्दिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत छूट देने के बारे में है।

(नौ) का० आ० 4232, जो 14 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो "सहकारी प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद" को कर-निर्धारण वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत छूट देने के बारे में है।

(दश) का० आ० 4233, जो 14 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो "सर रतन टाटा, ट्रस्ट, बम्बई" को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23क) के अन्तर्गत छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का० आ० 4234, जो 14 सितम्बर 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो "हरिजन सेवक संघ" को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत छूट देने के बारे में है।

(बारह) का० आ० 4235, जो 14 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, और "दि इण्डियन सैक्शन, दि थिऑसौफिकल सोसाइटी, वाराणसी" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का० आ 4236 जो 14 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो "ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र" कर निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1986-87 तक के अन्तर्गत आने

वाली अवधि के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का० आ० 4237, जो 14 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो "परिवार नियोजन संस्थापन" को कर निर्धारण वर्ष 1986-87 से 1987-88 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) का० आ० 4238, जो 14 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो "फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का० आ० 4239, जो 14 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो "दि नेशनल एसोसिएशन फार दि ब्लाइण्ड" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत छूट देने के बारे में है।

(सत्रह) का० आ० 4240, जो 14 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो "श्री कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन (धर्मार्थ औषधालय), कालेरा, जिला अजमेर" को कर-निर्धारण वर्ष 1980-81 से 1985-86 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत छूट देने के बारे में है।

(अठारह) का० आ० 4241 जो 14 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो "दि भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत छूट देने के बारे में है।।

(उन्नीस) का० आ० 4242, जो 14 सितम्बर 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो "आर्य वैद्यशाला, कोट्टाक्कल (केरल)" को कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 से 1988-89 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत छूट देने के बारे में है।

(बीस) का० आ० 4243, जो 14 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो "आंध्र तहिला सभा, हैदराबाद" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-

कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत छूट देने के बारे में है ।

(इक्कीस) का० आ० 4251, जो 14 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो "जे० आर० डी० टाटा ट्रस्ट, बम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत छूट देने के बारे में है ।

(बाईस) का० आ० 4252, जो 14 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो "कस्तूरबा गांधी कन्या गुरुकुलम, वैंडरनियम, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट" को कर निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1986-87 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत छुट देने के बारे में है ।

(तेईस) का० आ० 4253, जो 14 सितम्बर. 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो "डी० ए० वी० कालेज प्रबन्ध समिति" को कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1986-87 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत छूट देने के बारे में है ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1449/85]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 692 (अ), जो 28 अगस्त, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो मुद्रण ब्लाकों और मुद्रण टाइपों को उन पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पादन शुल्क से छूट देने के बारे में है ।

(दो) सा० का० नि० 699 (अ), जो 30 अगस्त, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 9 नवम्बर, 1984 की अधिसूचना संख्या 215/84-के० उ० में कतिपय संशोधन किया गया है, जिससे नियंत्रण उपस्कर को तब सम्पूर्ण उत्पादन शुल्क में से छूट दी जा सके जब उसकी निकासी मेले या प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने हेतु की जाये ।

(तीन) सा० का० नि० 701 (अ), जो 2 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो सिगरेटों पर उत्पादन शुल्क की संशोधित दरों के बारे में है ।

(चार) सा० का० नि० 702 (अ), जो 2 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 24 मई, 1985 की अधिसूचना संख्या 134/85-के० उ० को विखंडित करते हैं ।

(पांच) सा० का० नि 703 (अ), जो 2 सितम्बर, 1985 का भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 24 मई, 1985 की अधिसूचना संख्या 128/85-के० उ० में कतिपय संशोधन किया गया है, जिससे सिगरेटों को विशेष उत्पाद शुल्क से छूट दी जा सके।

(छह) सा० का० नि० 725 (अ), जो 5 सितम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसका आशय 75 रुपये प्रति किलोग्राम से अनधिक मूल्य के पान मसाले के बारे में 10 रु० प्रति किलोग्राम उत्पाद-शुल्क की प्रभावी दर निर्धारण करना है।

(सात) सा० का० नि० 727 (अ), जो 6 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो बहुमूल्य और कम मूल्य के रत्नों, संश्लिष्ट रत्नों और मोतियों को उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(आठ) सा० का० नि० 728 (अ), जो 6 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 45/85-उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि अपशिष्ट से पुनः संसाधित किये गए पोलिएस्टर फाइबर पर 14 रुपये प्रति किलोग्राम की उत्पाद-शुल्क की रियायती दर निर्धारण की जा सके।

(नौ) सा० का० नि० 734 (अ), जो 12 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके, द्वारा 23 फरवरी, 1982 की अधिसूचना संख्या 22/82-के० उ० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि यंत्रीकृत छोटे/लघु स्तर के एककों के संबंध में उस स्थिति में शुल्क की 1.60 रु० की रियायती दर लगाए जाने पर कोई रोक नहीं होगी यदि वे किसी अन्य निर्माता के लेबल का इस्तेमाल करते हैं जो छोटे/लघु स्तर का हो, भले ही ऐसे लेबल उन दियासलाइयों के लिए अनुमोदित किए गए हों जिन पर शुल्क की एक उच्च दर लगती हो।

(दश) सा० का० नि० 736 (अ), जो 13 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 24 मई, 1985 की अधिसूचना संख्या 128/85-के० उ० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि सिंथेटिक आर्गेनिक डाई स्टाफ, जिसकी निकासी अमानकीकृत अथवा अनगढ़ रूप में की जाती है, विशेष उत्पाद-शुल्क के संबंध में शुल्क से छूट प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(ग्यारह) सा० का० नि० 752 (अ), जो 24 सितम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अथवा आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा हुए तेल की खोज के संबंध में

किये जाने वाले कार्य के सिलसिले में उनको सप्लाई किए जाने वाले उत्पाद-शुल्क समस्त माल को, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में हैं।

(बारह) सा० का० नि० 781 (अ) जो 7 अक्तूबर, 1985 को भाकत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो एल्यूमीनो-थरमिक अथवा थरमिट प्रक्रिया, द्वारा निर्मित लोह मिश्रधातु, चाहे उसमें विद्युत का इस्तेमाल किया गया हो अथवा नहीं, को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(तेरह) सा० का० नि० 783 (अ) जो 8 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो डीजल तेल से चलने वाले अन्तर्दहन इंजिन के संघटकों की जब उनका इस्तेमाल ऐसे इंजनों के निर्माण के लिए किया जाए। उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(चौदह) सा० का० नि० 795 (अ), जो 16 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो मेटकोक को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 796 (अ), जो 16 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन "स्काईलार्क" परियोजना को सप्लाई हेतु निकासी किए जाने वाले माल को, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यार्धीन, उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1450/85]

बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी (पंजीकरण, सदस्यता, निर्देशन तथा प्रबन्ध मण्डल, विवादों का निपटान, अपील तथा पुनरीक्षण) नियम, 1985

कृषि मंत्री (श्री बूटा सिंह) : श्री योगेन्द्र मकवाना की ओर से, मैं बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 की धारा 109 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी (पंजीकरण, सदस्यता, निर्देशन तथा प्रबंध मंडल, विवादों का निपटान, अपील तथा पुनरीक्षण) नियम, 1985, जो 16 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 738 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1451/85]

12.13 म० प०

प्रत्यायोजित विधान उपबंध (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं प्रत्यायोजित विधान उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1985, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सभा-पटल पर रखता हूं ।

विधेयकों पर अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनी सभाओं द्वारा पारित और 23 अगस्त, 1985 को इस सभा में अन्तिम प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयकों को सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) काफी (संशोधन) विधेयक, 1985

(2) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 1985

(3) ओरोविल (आपात उपबंध) संशोधन विधेयक, 1985

(4) संपदा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1985

(5) पांडिचेरी विश्वविद्यालय विधेयक, 1985

(6) बाट और माप (प्रवर्तन) मानक विधेयक, 1985

(7) कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक, 1985

2. महोदय मैं पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति-प्राप्त और राज्य सभा के महासचिव द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणीकृत निम्नलिखित बारह विधेयकों की प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं, जिसकी अनुमति राष्ट्रपति ने 23 अगस्त, 1985 के बाद दी।

(1) राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक, 1985

(2) दण्ड विधि संशोधन (संशोधनकारी) विधेयक, 1985

(3) आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) संशोधन विधेयक, 1985

(4) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 1985

(5) भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक, 1985

(6) आवश्यक सेवा (संशोधन) विधेयक, 1985

(7) सरकारी बचत विधि (संशोधन) विधेयक, 1985

(8) तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1985

(9) आसूचना संगठन (अधिकार निर्बन्धन) विधेयक, 1985

(10) न्यायाधीश (संरक्षण) विधेयक, 1985

(11) रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक, 1985

(12) स्वायक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ विधेयक, 1985

12.15 म० प०

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे बिहार के बांका निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्रीमती मनोरमा सिंह का 8 नवम्बर, 1985 का एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा उन्होंने लोक-सभा में अपना स्थान त्याग दिया है और मैंने उनका त्यागपत्र 8 नवम्बर, 1985 से स्वीकार किया है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के बारे में समय-सीमा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा पर जो समय लगता है, उसकी सीमा को प्रतिबन्धित करने के प्रश्न पर हमेशा हमारा ध्यान लगा रहा है। मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने एवं स्वयं मैंने कई बार सदस्यों को सचेत किया है कि इस पर दिया जाने वाला समय आधे घण्टे से पैंतालीस मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। जबकि नियमों के अन्तर्गत सिर्फ स्पष्टीकरण मांगने वाले प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं, परन्तु यह किसी न किसी प्रकार एक नियमित चर्चा का रूप धारण कर लेता है।

इस विषय पर नियम समिति ने 28 अगस्त, 1985 को अपनी बैठक में विचार किया था। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का समय आधे घण्टे से लेकर पैंतालीस मिनट तक ही होना चाहिए। मंत्री जी के वक्तव्य के पश्चात्, पांच सदस्य, जिनका नाम इस विषय पर बोलने वालों के रूप में सूची में होगा एक दूसरे के पश्चात् स्पष्टीकरण मांगने वाले प्रश्न पूछ सकेंगे तथा मंत्री महोदय अन्त में सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों का जवाब देंगे। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि चर्चा आरम्भ करने वाले सदस्य को दस मिनट तथा अन्य सदस्यों को पांच मिनट से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा।

नियम समिति की सिफारिशें समाचार भाग II (पैरा संख्या 710) 14 नवम्बर, 1985 में भी छापी गई हैं।

सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना सहयोग दें।

12.16

(एक) दक्षिण अफ्रीका में विद्यमान स्थिति; (दो) निरस्त्रीकरण; (तीन) तमिलनाडु में प्राकृतिक आपदायें; और (चार) कोलम्बिया में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : (एक) "दक्षिण अफ्रीका में व्यापक स्थिति और उसके जातिवादी प्राधिकारियों द्वारा महाबीर स्वाधीनता सेनानी बेंजामिन मोलोसे को फांसी देने के निर्णय के बारे में 19 अगस्त, 1985 को लोक सभा में तथा 20 अगस्त, 1985 को राज्य सभा में पारित संकल्प और दिये गये वक्तव्यों को याद करके,

बेंजामिन मोलोसे का प्राण-दंड स्थगित करने और उसे माफ करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा और सुरक्षा परिषद, निर्गुट आन्दोलन तथा राष्ट्रमण्डल देशों के राज्याध्यक्षों/शासन प्रमुखों सहित अंतर्राष्ट्रीय समाज द्वारा बार-बार की गई अपीलों को भी याद करके,

अंतर्राष्ट्रीय मत का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन करके बेंजामिन मोलोसे को प्राण-दंड दिये जाने की बात को अत्यधिक आक्रोश और क्षोभ के साथ जानकर,

यह सभा सर्वसम्मति से संकल्प करती है कि वह—

(1) बेंजामिन मोलोसे की हत्या, जो कानून और न्याय के सभी सिद्धांतों का घोर मजाक है, की घोर भर्त्सना करती है;

(2) दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्षरत जन संगठनों के सदस्यों की हाल में की गई हत्याओं, मनमाने ढंग से की गयी गिरफ्तारियों और नजरबन्दियों की भर्त्सना करती है;

(3) इस बात की मांग करती है कि दक्षिण प्राधिकारी नेल्सन मंडेला तथा सभी अन्य राजनैतिक बंदी और नजरबंद लोगों के बिना किसी शर्त के रिहा करें;

(4) दक्षिण अफ्रीका के लोगों के स्वाधीनता संग्राम को हर संभव समर्थन देती रहेगी और सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनके उद्देश्य के पक्ष का पोषण करती रहेगी;

(5) कतिपय सदस्यों द्वारा नकारात्मक मत दिये जाने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय सात के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका पर अनिवार्य प्रतिबंध लगाने में अपनी हाल की बैठक में सुरक्षा परिषद की असफलता पर अपना खेद व्यक्त करती है; और

(6) रंगभेद प्रणाली को समाप्त करने और नामीबिया पर से अपना अवैध कब्जा छोड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका को विवश करने के लिए उस पर प्रभावी और व्यापक प्रतिबंध लगाने हेतु सभी राष्ट्रों का आह्वान करती है।"

(दो) "अमेरिका और सोवियत रूस के नेताओं के बीच कल जेनेवा में प्रारम्भ हो रही

बैठक के अवसर पर, यह सभा आज दुनिया में व्यापक तनाव पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करती है। यह हथियारों की दौड़ में, खास तौर पर परमाणु अस्त्रों की दौड़ में, नये सिरे से आई तेजी के बारे में गंभीर रूप से चिंतित है। पृथ्वी से कई बार मानव जाति को समाप्त करने में सक्षम 50 हजार से भी अधिक परमाणु अस्त्र, आणविक हथियारों वाले देशों में प्रचुर मात्रा में भरे पड़े हैं। नई रक्षात्मक अस्त्र प्रणालियों के विकास से परमाणु हथियारों की दौड़ और भी बढ़ेगी तथा इससे परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ेगा। यदि नई अस्त्र प्रणालियों को, जो विकास के प्रारम्भिक चरणों में हैं, अपना लिया जाता है तो विश्व भर के सैनिक खर्च में, जो पहले ही एक लाख करोड़ डालर तक पहुंच गया है, भारी वृद्धि की संभावना है। विकास सम्बन्धी परम आवश्यकताओं के लिए, और विशेष रूप से विकासशील देशों में अज्ञानता, गरीबी और रोगों को दूर करने के लिए, अपेक्षित बहुत-सी धनराशि विश्व भर के सैनिक खर्च में लग गई है और यह विश्व अर्थव्यवस्था के ठीक ढंग से कार्य न करने के लिए उत्तरदायी है।

इसलिए यह सभा सोवियत रूस और अमेरिका के नेताओं से अनुरोध करती है कि वे परमाणु हथियारों के जखीरे में पर्याप्त कमी करने के संबंध में समझौता करने के लिए हर संभव प्रयास करें। इस तरह का समझौता होने तक उन्हें परमाणु हथियारों के और आगे परीक्षणों तथा विकास पर तत्काल रोक लगाने की घोषणा करनी चाहिए। यह सभा यह मांग भी करती है कि वे अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ को रोकने के संबंध में कोई सहमति कायम करें। यह सम्पूर्ण मानव जाति की सांझी धरोहर है और मात्र शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। अन्त में यह सभी परमाणु हथियारों से लैस राष्ट्रों से जोरदार शब्दों में अनुरोध करती है कि वे परमाणु हथियारों की समाप्ति होने तक उनका प्रयोग अथवा उनका प्रयोग करने की धमकी न देने की शपथ लें। इससे विश्व में व्यापक तनाव में कमी आयेगी और परमाणु हथियारों के जखीरे आवश्यक हो जायेंगे।"

(तीन) "यह सभा तमिलनाडु में समुद्री तूफान के कारण जान व माल तथा सम्पत्ति की भारी क्षति पर अपना गहरा दुःख व्यक्त करती है। उस राज्य में हुई दुर्घटना से बचे जीवित व्यक्तियों को हमारी हार्दिक संवेदना पहुंचाई की जाये।"

(चार) 'यह सभा प्रकृति के प्रकोप से पीड़ित कोलम्बिया के लोगों से अपनी गहनतम सहानुभूति प्रकट करती है।"

मैं समझता हूं कि सभा मेरे साथ सर्वसम्मति से सहमत है।

श्री सुनील दत्त (बम्बई उत्तर पश्चिम) : मैं चाहूंगा कि संजीव कुमार का नाम भी यहां पर लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से नहीं। आप मेरे पास आइये, हम कोई तरीका निकालेंगे।

12.21 म० प०

नागरिकता (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नागरिकता अधिनियम,

*दिनांक 18-11-85 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

> "कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : मैं इस विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने का विरोध करता हूं क्योंकि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 का उल्लंघन करता है ।

इस विधेयक के अन्य खण्डों के गुण-दोषों के अलावा, खण्ड 4 में नागरिक को मत दिये जाने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है । एक व्यक्ति को नागरिकता तो दी जा सकती है परन्तु दस वर्षों तक उसे मत देने का अधिकार नहीं दिया जायेगा । 10 वर्ष की अवधि उस समय से आरंभ होती है जब यह पता चलेगा कि वह व्यक्ति नागरिक नहीं है । उसके बाद वह नागरिकता के लिए आवेदन करेगा । उसका पंजीकरण किया जाएगा परन्तु 10 वर्षों के लिए उसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा । संविधान के अनुच्छेद 326 के अन्तर्गत वयस्क मताधिकार क्या है :

> "लोक सभा तथा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा के लिए निर्वाचन वयस्क-मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा जो ऐसी तारीख पर, जैसी कि समुचित विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन इसलिए नियत की गई हो, इक्कीस वर्ष की अवस्था से कम नहीं है, तथा इस संविधान अथवा समुचित विधान मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृति, अपराध अथवा भ्रष्ट या अवैध आचार के आधार पर अनर्ह नहीं कर दिया गया है...."

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलें, विस्तार में नहीं ।

श्री अमल दत्त : मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि जो कुछ वे करने की कोशिश कर रहे हैं वह इनमें से किसी के अन्तर्गत नहीं आता है, अतः यह संविधान का उल्लंघन करता है ।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल उसे बता सकते हैं ।

श्री अमल दत्त : नागरिकता और मतदान करने के अधिकार के बीच यह विधेयक विभेद करता है जिसकी संविधान के अनुच्छेद 326 के अन्तर्गत मनाही है । जैसे ही इसको चुनौती दी जाएगी वैसे ही न्यायालय द्वारा विधेयक के इस विशिष्ट खण्ड को रद्द कर दिया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त ।

श्री अमल दत्त : यह महिला क्यों चिला रही हैं ?

अध्यक्ष अध्क्षक्ष : वह आपके देश की वासी हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : महोदय, मुझे लगता है कि आप इस समय यह नहीं चाहते हैं कि हम इस बात का कोई तर्क दें कि हम इस विधेयक का क्यों विरोध कर रहे हैं । मंत्री जी तब उत्तर कैसे देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप विस्तार में नहीं, बल्कि केवल संक्षेप में बोल सकते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस विधेयक में कई उपबंध संवैधानिक और कानूनी असंगतियों से

परिपूर्ण हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर भलीभांति विचार करें क्योंकि बाद में इसे न्यायालयों में भी चुनौती दी जा सकती है। मुद्दा यह है कि इस विधेयक में, जो अब आ रहा है, उस कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है जो पहले समझौते के द्वारा उत्पन्न हुई थी। निःसंदेह उस सीमा तक यह एक कल्याणकारी कदम है, क्योंकि इसमें एक बड़ी कमी रह गई है कि लोगों को 10 वर्ष के लिए मतदान करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि तब क्या वे नागरिक नहीं रहेंगे और सम्पत्ति या शिक्षा या रोजगार जैसे अन्य नागरिकता के अधिकारों को खो देंगे। अब इस विधेयक में यह उल्लेख है कि नहीं, नागरिकता के अन्य सभी अधिकार बने रहेंगे। केवल दस वर्षों के लिए मतदान करने के अधिकार को छीना जा रहा है। मैं नहीं जानता कि क्या इस प्रकार की बात सांविधानिक या कानूनी दृष्टि से संभव है, क्योंकि इसमें यह कहा गया है :

> "उपधारा(3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के, उस तारीख से जिसको उसके विदेशी होने का पता चला है और उस तारीख से दस वर्ष की अवधि के अवसान तक वही अधिकार और बाध्यताएं होंगी जो भारतीय नागरिक की हैं......"

लेकिन 10 वर्षों के लिए मतदान करने का हकदार नहीं होगा। अतः मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री को बताना चाहिए कि इन लोगों से असम छोड़ने की अपेक्षा क्यों नहीं की जा रही है, हालांकि उन्हें विदेशी पाया गया है। जिस समझौते में उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं उसमें यह उल्लेख है कि वे असम में रहेंगे और दस वर्षों के बाद उनके नामों को मतदाता सूची में स्वतः फिर से शामिल कर लिया जाएगा। अतः इस बात से वे विदेशी नहीं हो सकते हैं। मतदाता सूची से विदेशी का नाम अब किस प्रकार से निकाला जा सकता है और दस वर्षों के पश्चात् उनके नामों को मतदाता सूची में स्वतः ही किस प्रकार दुबारा से शामिल किया जा सकता है ? स्पष्ट रूप से आशय यह है कि उसे विदेशी के रूप में नहीं समझा जा रहा है। ऐसी स्थिति में उसे 10 वर्षों के लिए किस प्रकार से मत देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है ? किस कानून, किस संविधान के अन्तर्गत यह किया जा सकता है ? इस विधेयक की विशेषता यह है कि इसमें एक बड़ी कमी रह गयी है और अब यह कहकर उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है कि नागरिकता के सभी अन्य अधिकार बने रहेंगे। निस्सन्देह ऐसा ही है और ऐसा होना चाहिए लेकिन माननीय मंत्री को कृपया बताना चाहिए कि वह इसे सांविधानिक और कानूनी असंगति को किस प्रकार दूर करेंगे। पहली बार इस देश में इस प्रकार की चीज हो रही है कि उन लोगों को, जिन्हें नागरिक समझा जाता है, 10 वर्षों के लिए मत देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है और उसी समय यह कहा जा रहा है कि उन्हें विदेशी पाया गया है। तब उन्हें किस प्रकार से मतदाता की सूची में स्वतः शामिल किया जाएगा ? इसका तो कोई मतलब नहीं निकलता है। आप असंगत समझौते को सांविधिक रूप देने के लिए कुछ भी कर सकते हो, वह अलग बात है। लेकिन चूंकि सदन से इसे पारित करने की आशा की जाती है अतः मैं इसका यहां विरोध करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं इस विशेष विधेयक को पेश करने का विरोध करता हूं, क्योंकि यह न केवल अलोकतांत्रिक है अपितु यह असंवैधानिक भी है। वहां के नागरिकों को सभी अधिकार होंगे—रहने का अधिकार, रोजगार तथा हर चीज का अधिकार परन्तु उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा तथा वह भी 10 वर्षों के लिए···(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : केवल इस चुनाव के बाद। इस चुनाव में वे मतदान करेंगे; और इसके बाद वे मतदान नहीं करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं समझता हूं कि इससे उन बहुत से लोगों पर प्रभाव पड़ेगा जो 1966 और 1971 के बीच आसाम आए थे···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इन बातों में मत जाइए। केवल कुछ शब्द कहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : इससे पता चलता है कि यह असंवैधानिक तथा अलोकतांत्रिक है। इससे भी आसाम में अलगाववादी ताकतें मजबूत हुई हैं। जब इन ताकतों को अलग किया जा रहा था तो यह समझौता जल्दबाजी में किया गया था। अब ये अलगाववादी ताकतें आसाम में मजबूत हो गई हैं। हम इस विशेष विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप देश के कुछ नागरिकों को मतदान करने के अधिकार के अलावा सारे अधिकार होंगे।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : मेरा भी वही विचार है जो अभी मेरे विद्वान दोस्त ने व्यक्त किए हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि असम समझौते के कार्यान्वियन के प्रयोजन के लिए यह विधेयक नागरिकता अधिनियम में संशोधन कर रहा है, लेकिन विस्तार में न जाते हुए मुझे यह अच्छी तरह से स्पष्ट कर देना चाहिए कि असम समझौता और इस विधेयक के उपबंध असम के अल्पसंख्यकों के साथ एक धोखा है। अब जानबूझकर यह नई बात पैदा की गयी है कि वहां के कुछ लोगों को 10 वर्षों के लिए सभी अधिकार होंगे परन्तु उनको मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार की बात के लिए कोई आधार नहीं हो सकता। इससे पहले वे मतदान करते आए हैं और दस वर्ष के बाद भी वे निरन्तर मतदान करते रहेंगे। यह उपबंध करने का पूर्ण रूप से कोई आधार नहीं है कि उन्हें दस वर्ष की अवधि तक मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। यह पूर्णतः मनमानी है और वहां के आंदोलनकर्ताओं को खुश करने के लिए अल्पसंख्यकों के साथ एक धोखा है। इसलिए मैं कहता हूं कि सदन द्वारा पेश किए गए अवैध आप्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण) अधिनियम के पास करने के इस सभा के निर्णय के भी विपरीत है। इस सदन ने वह अधिनियम पारित किया था और अधिनियम के परिणामस्वरूप चुनावों में मतदान करने के अधिकार सहित सभी व्यवहारिक कार्यों के लिए 1971 को आधार वर्ष माना गया था। इसलिए बिना किसी आधार पर विधेयक में पूरी तरह से मनमानी की गई है और अल्पसंख्यकों के साथ धोखा किया गया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : विधेयक में उल्लिखित कुछ वर्गों के लोगों को दिए जाने वाले कुछ अधिकारों का विरोध न करने के लिए हम इस विधेयक के पुरःस्थापत का विरोध कर रहे हैं। वास्तव में ये सभी अधिकार, जो यह विधेयक उन्हें देना चाहता है, उनको प्राप्त हैं। वास्तव में अब इस विधेयक द्वारा उस अलोकतांत्रिक उपबन्ध को वैध बनाने जा रही है जिसमें कुछ नागरिकों के मताधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। यह एक अच्छा विधेयक नहीं है जैसा कि इसे होना चाहिए। प्रश्न यह है कि एक ही देश में दो प्रकार के नागरिक कैसे हो सकते हैं जहां कुछ को मताधिकार प्राप्त न हो यह पूर्ण रूप से भेदभाव पूर्ण, अलोकतांत्रिक तथा असंवैधानिक है जैसा कि श्री अमल दत्त ने संविधान के अनुच्छेद 376 का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है। सभी समझौते अच्छे नहीं हैं तथा असम समझौता, समझौता नहीं है अपितु इसे विसंगति पैदा हुई है। इसलिए हम इसका पुरःस्थापना के समय ही विरोध करते हैं।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, कुछ माननीय सदस्यों द्वारा जो विरोध किया गया है उसका क्या प्रयोजन है उसको मैं समझ नहीं पाया हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला : यदि आप चाहते हैं तो हमें अपने विचार और स्पष्ट करने की अनुमति दी जाये।

श्री एस० बी० चव्हाण : जब विधेयक पर विचार होगा तो निश्चित रूप से आपको अपना विचार स्पष्ट करने के लिए पूरा अवसर दिया जायेगा। लेकिन यह बहुत अजीब तरीका है। यह कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने की आवश्यकता है और सभी तरह की बातें यहां की जा रही हैं। महोदय, असम में बहुत समय से आन्दोलन चल रहा था और एक मैत्रीपूर्ण हल निकाला गया तथा एक समझौता किया गया जिससे सबकी संतुष्टि नहीं हुई......

श्री अमल दत्त : यह हल नहीं है।

श्री एस० बी० चव्हाण : सदस्यों द्वारा इस प्रकार के प्रचार, कि अल्पसंख्यकों को इस समझौते से कुछ नहीं मिलने जा रहा है, के संबंध में व्यक्त की गयी चिन्ता को अच्छी तरह से समझ सकता हूं। परन्तु चूंकि अब इस विधेयक को पेश किया जा रहा है मैं आपकी इस चिन्ता को भी समझ सकता हूं कि यह कुछ विरोधी दलों के लिए समस्या पैदा करेगा। इसलिए वे इस विधेयक को विरोध करने में दिलचस्पी रखते हैं। इस विषय में कोई कानूनी या संवैधानिक मामला उठाने का प्रश्न नहीं है। वस्तुतः हमने इस सम्बन्ध में विधि मंत्रालय से परामर्श किया था और मैं नहीं समझता कि इस विषय पर कोई संवैधानिक मामला उठाने की कोई बात है। (**व्यवधान**) मैंने आपको सुना है। मैं नहीं समझता कि मुझे कुछ और बताने की कोई आवश्यकता है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह असंवैधानिक है।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

12.31 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[**हिन्दी**]

(एक) दिल्ली के विभिन्न भागों में यातायात की भीड़-भाड़ को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : श्रीमान्, मैं निम्न विषय, जो कि अत्यन्त महत्व का है, सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

दिल्ली शहर में ट्रेफिक की समस्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। कई दफा मेरा स्वयं का अनुभव रहा है कि अगर दिल्ली शहर के किसी भी भाग से चाहे नई दिल्ली जाना हो, पूर्वी दिल्ली (यमुना पार) जाना हो, ट्रेफिक के जमाव की वजह से यातायात अवरुद्ध हो जाता है और कई दफा जिन लोगों को अत्यधिक आवश्यक कार्य से कहीं स्टेशन से गाड़ी पकड़नी हो, या कोई हवाई सेवा से जाना चाहता हो, समय पर नहीं पहुंच पाता। चांदनी चौक, खारी बावली व पुरानी दिल्ली स्टेशन के इर्द-गिर्द तो हालत और भी खराब है। अगर ट्रेफिक जाम का वाकई विशेष अवलोकन करता है तो यमुना पार जाने के लिये पुराने पुल का प्रयोग करके देखिये। विशेष नहीं तो इस पुल को पार करमे में 15 से 25 मिनट तक लग जाते हैं। इसी तरह दरियागंज का हाल है। आगे चल कर आई० टी० ओ० क्रॉसिंग पर और भी हालत खराब हो जाती है। स्कूल लेन पुल का भी पूरा उपयोग, बाराखम्भा रोड के क्रॉसिंग पर काफी भीड़-भाड़ की वजह से नहीं हो पा रहा है।

यद्यपि यह सही है कि एशिया-82 के दौरान कई फ्लाई ओवर बनाये गये थे और यमुना पार पर भी एक नये पुल का निर्माण हो रहा है तथापि मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी को मद्देनजर रखते हुए तुरन्त इस बारे में सोच-विचार कर प्रभावात्मक कार्यवाही की आवश्यकता है।

(दो) ग्रामवासियों के लाभार्थ दूरदर्शन सेट खरीदने के लिए ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : उपाध्यक्ष महोदय, देश को तेजी के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है, जिसके लिए विज्ञान और तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग हो ताकि हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकें। इसी प्रकार देश में एकता और अखण्डता की भावना और प्रबल हो तथा निहित स्वार्थ जनता की अनभिज्ञता से लाभ न उठा सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि देश की जनता जिसका अधिकांश भाग ग्रामों में निवास करता है हमारी योजनाओं और कार्यक्रमों से पूरी तरह अवगत रह सके और अपने को मानसिक रूप से प्रगति के लिए तैयार कर सके।

इसके लिए आज सबसे सशक्त साधन दूरदर्शन है। जिसका स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बड़ी तेजी से विस्तार का कार्यक्रम प्रारंभ किया था। देश के शेष बचे भागों में भी दूरदर्शन का शीघ्र अतिशीघ्र विस्तार होना जरूरी है। दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन का अभी बहुत कम लाभ मिल पा रहा है क्योंकि गरीबी के कारण लोग टेलीविजन सेट खरीदने में असमर्थ हैं। ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है।

इसलिए केन्द्र सरकार ग्राम पंचायतों को टेलीविजन सेट खरीदने के लिए अनुदान दे, जिससे कि वे सार्वजनिक स्थानों पर टेलीविजन सेट लगा सके और ग्रामीण जनता उससे लाभान्वित हो सके।

(तीन) खलीलाबाद के बुनकरों को समय पर भुगतान की व्यवस्था करने और उनके लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : नयी वस्त्र नीति के अंतर्गत हथकरघा द्वारा

निर्मित कपड़ों को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता देकर निस्सन्देह सराहनीय कार्य किया है। इसी संदर्भ में मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र खलीलाबाद जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में स्थित है जहां करबा मगहर संत कबीर की निर्वाणस्थली है तथा खलीलाबाद, अमरडोमा, मेंहदाबल, धरमसिहवा साथा खेसरहा आदि क्षेत्रों में लाखों की तादाद में बुनकर बसते हैं और हथकरघा ही उनके लिए रोजी-रोटी का एकमात्र साधन है, की प्रमुख समस्याओं की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि गरीब बुनकरों द्वारा निर्मित वस्त्रों की खरीद के बाद कई महीनो तक हथकरघा निगम उनके पैसों का भुगतान इस आधार पर नहीं करता है कि केन्द्र सरकार से सब्सीडी प्राप्त नहीं हुई है तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उस श्रेणी के सूत की आपूर्ति करने में भी निगम पूर्णत: विफल है। ये बुनकर आज भी पुरानी शैली के आधार ही वस्त्र निर्माण का कार्य करते आ रहे हैं जिससे वर्तमान आधुनिकतम प्रगतिशील एवं प्रतिस्पर्धा के युग में इनका विश्व के बाजार में टिक पाना संभव नहीं दिखता है। ऐसी परिस्थिति में लाखों लोगों की जीविका को बचाने, हथकरघा उद्योग को आधुनिक बनाने की दृष्टि से एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की आवश्यकता प्रतीत होती है।

अत: मैं माननीय वाणिज्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि बुनकरों द्वारा निर्मित वस्त्रों की खरीद पर तुरन्त भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही खलीलाबाद में बुनकरों को प्रशिक्षित करने और उनको आधुनिकतम जानकारी प्रदान कराने हेतु अविलम्ब एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

(चार) उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिल सके इस हेतु भारतीय कपास निगम द्वारा कपास खरीदे जाने और क्रपास का निर्यात कोटा जारी करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : आंध्र प्रदेश में कपास उत्पादक अत्यन्त क्षुब्ध हैं, क्योंकि कपास के मूल्य पिछले मौसम की तुलना में बहुत गिर गए हैं। भारतीय कपास निगम कपास नहीं खरीद रही है, जिसके परिणामस्वरूप बिचौलिये उत्पादकों का शोषण कर रहे हैं। पंजाब में भी यही स्थिति है। अत: भारत सरकार को चाहिए कि वह भारतीय कपास निगम से खरीदने का कार्य आरम्भ करने को कहे। सरकार को अब कपास का निर्यात कोटा उन सभी कपास उत्पादक राज्यों को देना चाहिए ताकि उत्पादक को अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके। सरकार को छोटे रेशे की कपास का आयात बन्द करना चाहिए।

(पांच) देश के विभिन्न भागों में श्रमिकों की दयनीय स्थिति और विदेश जाने के इच्छुक श्रमिकों को धोखाधड़ी और जालसाजी से बचाने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : भारत के विभिन्न भागों विशेषकर उड़ीसा से जो सहस्त्रों श्रमिक ठेकेदारों द्वारा उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए उत्तरकाशी तथा अन्य भागों में उनके साथ ले जाए गए हैं, उनके साथ अमानवीय अत्याचार किए जाते हैं तथा उन्हें सताया जाता है। यह बात एक जिला न्यायाधीश की रिपोर्ट पर आधारित उच्चतम न्यायालय की एक टिप्पणी से

प्रकाश में आयी है। श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती है और उन्हें गंदी जगहों में रखा जाता है। यहां तक कि महिला श्रमिकों से भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक परिस्थितियों में कार्य करवाया जाता है। श्रमिकों के शोषण तथा दुर्व्यवहार का मामला बहुत समय से आम जनता को क्षुब्ध कर रहा है।

विदेशों में भेजे गए श्रमिकों का अधिक शोषण और उपीड़न होता है। श्रमिकों को गैर-कानूनी एजेंटों द्वारा नियुक्त किया जाता है जो कई महीनों तक दिल्ली में रोके रखते हैं और उनसे विदेश भेजने के लालच में भारी रकम ले लेते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को केन्द्र तथा राज्य स्तर पर निगम बनाने चाहिए। सरकारी जनशक्ति निगमों की स्थापना की जाये और धोखा-धाड़ी तथा जालसाजी के कदाचारों को रोकने के लिए इन्हें सक्रिय बनाया जाए। केन्द्र तथा राज्य स्तर पर श्रम सलाहकार समितियों का गठन किया जाए जिसमें श्रमिकों के लाभ के लिए जनता के प्रतिनिधि भी शामिल किये जायें। केन्द्रीय श्रम विभाग को कुछ कदम उठाये जाने के लिए बधाई दी जानी चाहिए, किन्तु इनके कार्यान्वियन हेतु उससे तत्काल कठोर कदम उठाने की अपेक्षा की जाती है और यदि आवश्यकता पड़े तो अधिनियम भी बनाए जाएं।

(छः) उड़ीसा में मौसम विज्ञान कार्यालयों के लिए एक पृथक क्षेत्र बनाने और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को आर० सी० कलकत्ता से अलग करने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अन्तर्गत भारतीय मौसम विभाग अब पांच प्रशासनिक क्षेत्रों में, अर्थात् नई दिल्ली, मद्रास, नागपुर, बंबई तथा कलकत्ता में बंट गया है तथा प्रत्येक क्षेत्र सीधे क्षेत्रीय निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों के समेत पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के सभी राज्य कलकत्ता क्षेत्र के अन्तर्गत रखे गए हैं।

बिहार, उड़ीसा तथा असम राज्यों की राजधानियों को मौसम केन्द्र घोषित किया गया है जिनके प्रशासक विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त निदेशकों के बरावर ही हैं।

भुवनेश्वर का मौसम केन्द्र एक निदेशक के नियंत्रण के अन्तर्गत है। उसे राज्य के मौसम केन्द्र की तकनीकी कठिनाइयों की जांच करने का काम भी सौंपा जा रहा है परन्तु उसे उड़ीसा के विभिन्न इलाकों में वैधशालाओं के तकनीकी काम को चलाने के लिए न्यूनतम प्रशासनिक शक्तियां भी नहीं दी गयी हैं।

यात्रा/भत्ता दैनिक भत्ता तथा चिकित्सा संबंधी दावे कलकत्ता से लिए जाते हैं। इस प्रकार के दावे कई महीनों से बकाया पड़े हुए हैं।

कलकत्ता को छोड़कर समस्त पूर्वी क्षेत्र के कर्मचारियों को लोकप्रिय/कम लोकप्रिय तथा अलोकप्रिय क्षेत्रों के आधार पर तय की गई स्थानान्तरण नीति के कारण काफी नुकसान हो रहा है।

उड़ीसा में क्योंझर तथा चन्दाबली में मौसम वैधशालायें खोलने में सात वर्ष का विलंब हुआ है जबकि किसी विशेष राज्य में ऐसी वैधशालाएं शीघ्र खोली जा रही हैं।

इन सभी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मैं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह उड़ीसा में मौसम कार्यालयों के लिए अलग से एक क्षेत्र बनाने तथा क्षेत्रीय केन्द्र कलकत्ता से प्रशासनिक व्यवस्था को अलग करने के लिए आवश्यक कदम उठायें।

(सात) महाराष्ट्र में नागपुर में गंदी बस्तियों के सुधार के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में गंदी बस्तियों की समस्या अत्यन्त चिन्ताजनक है। सरकार देश में गंदी बस्तियों में रहने वालों को पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराने की भरसक कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र राज्य को सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गंदी बस्तियों के सुधार के लिए जो राशि निर्धारित की गई है वह बहुत कम है।

हो सकता है कि केन्द्रीय सरकार को इस बात का पता न हो कि महाराष्ट्र में केवल नागपुर में 5 लाख से अधिक लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार गन्दी बस्तियों में रहने वालों की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए प्रतिवर्ष एक करोड़ से अधिक रुपये उपलब्ध कराती थी। किंतु यह कहना अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि इसमें अब लगभग 50 प्रतिशत तक कटौती कर दी गयी है जो बिल्कुल अपर्याप्त है।

अब अधिक सहायता की बहुत आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकार या तो महाराष्ट्र सरकार को गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों को शीघ्र 2 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का आदेश दे अथवा केन्द्रीय सरकार नागपुर को प्रस्तावित सहायता उपलब्ध कराये।

(आठ) समाचार पत्रों आदि में सिगरटों के विज्ञापन पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सिग्रेट पीने की बढ़ती हुई लत के संबंध में गम्भीर चिंता व्यक्त की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिग्रेट पीने से फेफड़े का कैंसर होने के खतरे की चेतावनी दी है।

समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं, भित्ति पोस्टरों, विज्ञापन पटों में सिग्रेट के विज्ञापनों से सिग्रेट पीने की आदत को फैलाने में काफी सहायता मिली है।

समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में मदिरा तथा अन्य मादक वस्तुओं के विज्ञापन पर पहले ही रोक लगायी गयी है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि इसी प्रकार की रोक समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, भित्ति पोस्टरों, विज्ञापन पटों, कलेंडरों आदि में सिगरेट के विज्ञापन पर लगा दी जाए।

यह अत्यन्त आवश्यक है कि किसी भी रूप में सिगरेट के विज्ञापन को रोकने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाए।

12.42 म० प०

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक को लेगा। चूंकि यह सदन के इस अधिवेशन की पहली बैठक है, और बीच में आने वाली छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष ने विशेष तौर पर संशोधनों की अनुमति दी है जिसके लिए आज 11.00 बजे तक निम्नलिखित सदस्यों ने सूचनायें दी है :

1. श्री सी० माधव रेड्डी
2. श्री मूल चन्द डागा
3. श्री ई० ए० रेड्डी

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट सार्वजनिक क्षेत्र में 1 फरवरी, 1964 को भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य बचत और निवेश को प्रोत्साहन देना और प्रतिभूतियों के अर्जन, धारिता, प्रबंध तथा निपटान से ट्रस्ट को होने वाली आय और लाभ में यूनिट धारकों को भागी बनाने की व्यवस्था करना है। अपने कार्य के पिछले 21 वर्षों में इस ट्रस्ट के कार्यकलाप का क्षेत्र काफी बढ़ गया है। ट्रस्ट की सभी स्कीमों के अन्तर्गत कुल बिक्री 1964-65 में 19 करोड़ रुपए से बढ़कर 30 जून, 1985 को समाप्त हुए वर्ष में 756 करोड़ रुपए हो गयी। इसी प्रकार सभी स्कीमों के अन्तर्गत ट्रस्ट के निवेश योग्य संसाधन 1964-65 में 25 करोड़ रुपए से बढ़कर 1984-85 में 2,210 करोड़ रुपए हो गये। सभी स्कीमों के अन्तर्गत यूनिटधारी लेखों की संख्या में रिकार्ड वृद्धि हुई, अर्थात 1964-65 में 1.31 लाख से बढ़कर 1984-85 में 17 लाख हो गई, उनमें से 10,000 रुपए और इसमें कम निवेश के छोटे यूनिट धारको की संख्या लगभग 87 प्रतिशत है। यूनिटों में निवेश पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है और इसमें सरलतापूर्वक भुनाने तथा यूनिट धारकों को अधिक लाभ देने की व्यवस्था है। अतः छोटे पूंजी निवेशक बिना पूंजी की क्षति या जोखिम के इसमें पूंजी लगा सकते हैं। ट्रस्ट ने अपनी मुख्य स्कीम अर्थात् यूनिट स्कीम, 1964 में लाभांश, जो 1964-65 में 6.1 प्रतिशत था, 1984-85 में 14.25 प्रतिशत बढ़ाकर यूनिटधारकों को अधिक लाभ प्रदान कर सकता है।

ट्रस्ट के निवेश योग्य संसाधनों में 1980-81 से पर्याप्त वृद्धि हुई है। निवेश योग्य संसाधन जो वर्ष 1980-81 में 523 करोड़ रुपए थे, वे 1983-84 में बढ़ाकर 1,261 करोड़ रुपए हो गए। जो 1984-85 में और बढ़कर 2,210 करोड़ रुपए हो गये। ट्रस्ट के विकास के संदर्भ में ट्रस्ट को पूंजी निवेश के वर्तमान उपलब्ध स्रोत कुछ सीमित महसूस किए गए हैं। यह भी महसूस किया गया है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट को अब अपने काम में विविधता ला करके एक बहु आयामी

वित्तीय संस्था का रूप धारण करना चाहिए । ये दोनों उद्देश्य प्रस्तावित संशोधनों द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा की गयी है ।

प्रस्तावित संशोधन विधेयक में भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम की धारा 2(एक) के अन्तर्गत प्रतिभूतियों की परिभाषा को व्यापक बनाने की चेष्टा की गई है ताकि ट्रस्ट को पूंजी निवेश के अधिक साधन मिल सकें । इस विधेयक से ट्रस्ट निम्नलिखित नये कार्यकलाप भी कर सकेगा; अर्थात्—

(क) प्रत्यक्ष रूप से ऋण देना जो कि वर्तमान अधिनियम के अधीन व्यवहार्य नहीं है । इससे संकाय वित्तीय क्षेत्र में भी ऋण देने की प्रक्रिया सरल होगी;

(ख) विनियम-पत्रों का स्वीकार करना, मिनि काटे पर भुगतान करना, मिनि काटे पर पुनः भुगतान करना;

(ग) पट्टे पर धन देना;

(घ) अचल सम्पत्ति का अर्जन करना उसे बेचना तथा आवास क्षेत्र में धन लगाना;

(ङ) वाणिज्य बैंककारी और निवेश सलाह सेवाओं की व्यवस्था करना;

(च) कतिपय निर्दिष्ट विदेशी मुद्राओं में यूनिटों का जारी करना तथा पूंजी निवेश पर अनिवासियों को सलाह देना और भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा पूंजी निवेश का न्यासी के रूप में पोर्टफोलियो प्रबन्ध करना ।

इन तथा अन्य आनुषंगिक संशोधनों से, जोकि इस विधेयक में सम्मिलित है, ट्रस्ट अपने बढ़ते हुए निवेश योग्य संसाधनों को प्रभावी रूप से उपयोग में ला सकेगा तथा आने वाले वर्षों में एक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था बन सकेगा ।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का एक प्रमुख वितीय निवेश संस्था के रूप में अच्छा रिकार्ड रहा है । ट्रस्ट की कुल आय 1965 में 1.53 करोड़ रुपए से बढ़कर 1985 में 257.05 करोड़ रुपए हो गई । 1985 की कुल आय इससे पूर्व वर्ष 1984-85 की कुल 143 करोड़ रुपए की आय की अपेक्षा 80 प्रतिशत वृद्धि प्रदर्शित करती है । भारतीय यूनिट ट्रस्ट वित्तीय दृष्टि से सुव्यवस्थित और दृढ़ संस्था है जिसका वित्तीय रिजर्व तथा स्टाक 30 जून, 1985 को 298.47 करोड़ रुपए था । इससे पिछले वर्ष के 150 करोड़ के मुकाबले में 98.9 प्रतिशत वृद्धि का पता लगता है । इसके अतिरिक्त यूनिट धारियों को सेवाएं शीघ्र तथा कुशलता से दी जाती हैं ।

वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन लाभांश की घोषणा की जाती है तथा उसके बाद दो सप्ताह के भीतर लाभांश अधिपत्र भेजे जाने शुरू हो जाते हैं । भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों तथा विशिष्ट वर्गों में जैसे रक्षा कार्मिकों में, यूनिटों को लोकप्रिय बनाना शुरू कर दिया है । सरकार का इरादा है कि इस अनुपम संस्था को और सुदृढ़ तथा इस योग्य बनाया जाये ताकि यह बहुत से नये क्रियाकलापों को शुरू कर सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने को खड़ा हुआ हूं। साधारण तौर पर इस विधेयक को पूरे सदन का समर्थन मिलता। परन्तु दुर्भाग्य से विधेयक में कुछ धाराएं, कुछ खण्ड ऐसे हैं जो समर्थन करने योग्य नहीं हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि यह विधेयक अहानिकर है तथा इसका उद्देश्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट को पूंजी निवेश के नये साधन उपलब्ध कराना है जिसके पास आज निवेश करने के लिए काफी धनराशि है। मैं माननीय मंत्री से इस बात से सहमत हूं कि गत 21 वर्षों के दौरान यूनिट ट्रस्ट व्यवसाय काफी बढ़ गया है और इसके पास निवेश के लिए काफी धनराशि इकट्ठी हो गयी है और आज पूंजी निवेश के साधनों के अभाव में यह अपने को पंगु पाता है। जिस समय भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मूल अधिनियम पेश किया गया गया था तथा यह पास किया गया था उस समय निवेश के साधनों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये थे और मैं समझता हूं कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट की पूंजी लगाने की नीतियों का मार्गदर्शन करने के लिए ये प्रतिबन्ध जारी रखे जाने चाहिए। विधेयक के तैयार करने वाले व्यक्तियों ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह सोचा था कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट को दलाल का कार्य नहीं करना चाहिए। इसे एक शक्तिशाली वित्तीय संस्था बनना चाहिए जो देश के औद्योगिक विकास में योगदान दे सके। उन दिनों लगाये गये प्रतिबन्धों में एक प्रतिबन्ध धारा 19 में यह था कि इसे भू-सम्पत्ति व्यवसाय, भूमि तथा अन्य सम्पत्ति की खरीद, बिक्री, आदि नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आज धारा 19 में संशोधन करके तथा नयी धारा 19 को अन्तःस्थापित करके हम नये रास्ते खोल रहे हैं, हम भारतीय यूनिट ट्रस्ट को लाभप्रद साधनों न कि विकास कार्यों में धन लगाने की अनुमति दे रहे हैं। अभी-अभी मंत्री महोदय लाभप्रद साधनों को बता रहे थे। उन्होंने कहा कि वह भू-सम्पत्ति में पूंजी लगाने की बात कर रहे हैं तथा निर्माण कार्यों पर, सराफा व्यापार में, तथा बिलों, हुन्डिओं, आदि खरीदने जैसे अन्य मदों पर पूंजी लगायेगा। ये कार्य बैंकों को सौंपे गये हैं जोकि इन्हें भली प्रकार कर रहे हैं। ये कार्य उद्योगों को कार्यचालन पूंजी देने के लिए आवश्यक हैं, और ये कार्य बैंकिंग संस्थाओं द्वारा भली प्रकार किये जा रहे हैं, क्योंकि उनकी शाखाएं हर स्थान पर हैं, वे ग्राहकों के खातों का पर्यवेक्षण कर सकती हैं और वे लेन देन के सौदों पर भली प्रकार नियंत्रण कर सकती हैं। इस तरह की संस्था की कोई आवश्यकता नहीं है, जोकि एक अखिल भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्था है जो उद्योगों के दिन प्रति दिन के कार्यों की जांच करती है और उन्हें धनराशि तथा कार्यचालन पूंजी देती है। मुझे पता है कि यह संस्था अधिक पूंजी होने के कारण कष्ट उठा रही है। इसमें लाभ की राशि जमा हो गई है। इसके पास निवेश योग्य निधि जमा है। अब आप उसकी पूंजी को गैर-उत्पादक माध्यमों में लगाने की सोच रहे हैं। क्या हम उत्पादक साधनों की बात नहीं सोच सकते? हमारी भारतीय अर्थ-व्यवस्था का यह विचित्र उदाहरण है जिसमें बहुत अंर्न्तविरोध है। जहां एक ओर तो हमारे पास प्रमुख परियोजनाओं यथा विशाखापटनम इस्पात संयंत्र अथवा एल्युमिनियम संयंत्र अथवा अन्य प्रमुख परियोजनाओं में पूंजी लगाने के लिए धन नहीं है, हम संसाधनों की गम्भीर कमी का सामना कर रहे हैं, इन विकास परियोजनाओं पर हम अपने खर्चों में कमी कर रहे है, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित एक वित्तीय संस्था है जिसके पास काफी पूंजी निवेश के लिए है जिसे हम देश के विकास कार्य पर लगाना नहीं चाहते। यह विरोधाभास है। मुझे गन्ने के मूल्यों की याद दिलाई गई है। आज गन्ना बाजार में बहुत सस्ते मूल्य पर बिक रहा है जबकि दूसरी ओर चीनी के मूल्य आकाश को छू रहे हैं। इन विरोधाभासों को समाप्त किया जाना होगा।

हमें इस बात पर ध्यान देना है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट जैसी संस्था जोकि आई० डी०

बी० आई० अथवा आई० सी० आई० सी० आई० की तरह प्रमुख सार्वजनिक वित्तीय संस्था है, देश के औद्योगीकरण में सहायता देकर देश के विकास में प्रभावकारी भूमिका निभाये ।

हमें भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कार्यों पर ध्यान देना है । विधेयक को तैयार करने वालों ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट को जो स्पष्ट अनुदेश तथा निदेश दिये थे, उनमें बहुत से विरूपण किए गए हैं । भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने प्रायः एक बड़े दलाल, दलालों के एक बड़े साक्षी के रूप में कार्य किया । इसने एकाधिकारियों द्वारा नियन्त्रित बड़े व्यवसाय के विकास मे बहुत अवसर प्रदान किये हैं । यह छोटे निवेशकों की सहायता अब नहीं कर रहा है । परन्तु निश्चित रूप से यह छोटे निवेशकों की छोटी बचत राशि को ले रहा है । अभी-अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि 87 प्रतिशत पूंजी निवेश छोटे पूंजी लगाने वालों से प्राप्त होती है । परन्तु इसकी पूंजी कहां लगाई जा रही है ? यह छोटे व्यक्तियों को न मिलकर बड़े व्यवसायियों को मिल रही है । यदि उद्देश्य धन कमाना ही है तो निश्चय ही आप धन कई तरह से कमा सकते हैं । मैं भारतीय यूनिट ट्रस्ट बोर्ड की विचारधारा से भी परिचित हूं । वे अभियाचना धन (कालमनी) बाजार में भी व्यवसाय करना चाहते हैं । रातोंरात धन की आवश्यकता पड़ती है जिसके लिए बहुत ऊंची दर पर ब्याज मिलता है । बम्बई में यदि आपके पास 10 करोड़ रुपए पूंजी निवेश के लिए है तो आपको 1 प्रतिशत या अधिक अर्थात् 10 लाख रुपए तुरन्त एक रात अथवा एक दिन के लिए मिल सकते हैं । रात भर के लिए मांग पर धन देना बहुत लाभदायक है । निश्चय ही आप यह नहीं चाहते कि पूंजी निवेश इस प्रकार किया जाये । मैं जानता हूं कि धन गैर-सरकारी क्षेत्र में जा सकता है । धन रात भर में अन्तर निगमित अभियाचना धन (कालमनी) बाजार में जा सकता है ।

फिर भी मैं समझता हूं कि पूंजी निवेश का यह तरीका उचित नहीं है । विधेयक का खण्ड 5 समर्थन किए जाने योग्य नहीं हैं । खण्ड 5 मुख्य रूप से अनिष्टकारक है । इस विधेयक में तीन महत्वपूर्ण संशोधन किये जाने के प्रस्ताव हैं । एक है खण्ड 5 जिसके द्वारा ट्रस्ट को पूंजी निवेश के नये माध्यम दिये जा रहे हैं और दूसरा है विदेश स्थित भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश का प्रबन्ध । बाद के संशोधन पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है । यह संशोधन वांछनीय है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए । तीसरा संशोधन यूनिट ट्रस्ट के दावों के प्रबन्ध के बारे में है । दावों का प्रवर्तन एक बहुत आवश्यक संशोधन है पर आपत्ति मुख्य संशोधन के बारे में है क्योंकि उद्देश्यों तथा कारणों के ज्ञापन में यह स्पष्ट उल्लेख है कि विधेयक का मुख्य उद्देश्य उस कारबार के क्षेत्र का विस्तार करना है जिसे ट्रस्ट कर सकता है तथा वह जनता से जुटाई गई धनराशि को अधिक उत्पादक साधनों में लगा सकता है । यदि वित्त मंत्री महसूस करते हैं कि भूमि की खरीद भू-सम्पदा में पूंजी निवेश अधिक उत्पादक निवेश है, तो मैं इस सरकार की नयी आर्थिक नीति के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहूंगा । क्या सरकार की नयी आर्थिक नीति में इस बात को सुनिश्चित करना है कि आप बड़ी वित्तीय संस्थाओं द्वारा गैर-उत्पादक व्यय को प्रोत्साहन दें ? अब श्रीमान्, यूनिट ट्रस्ट क्या है ? अभी-अभी मंत्री महोदय ने हमें बताया है कि सभी छोटे पूंजी निवेशकर्त्ता मिलकर भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट खरीद सकते हैं । वे स्वयं शेयर नहीं खरीद सकते । यूनिट ट्रस्ट यूनिट धारियों की ओर से एक प्रतिनिधि निवेशक के रूप में कार्य करता है । यह मुख्य बात है । आज दुर्भाग्य से हमारे देश में इस तरह की अधिक संस्थाएं नहीं है । क्योंकि हमारे देश में ऐसी अधिक संस्थाएं नहीं है, चिट फंड हमारे देश में आगे बढ़ गयी हैं । इंगलैंड में इस प्रकार के 300 यूनिट ट्रस्ट हैं जोकि संसाधनों को जुटाकर उत्पादक व्यवसायों में लगा रहे हैं ।

भारत में यह भूमिका चिट फंडों को सौंपी गयी है जहां छोटे लोगों से करोड़ों रुपये जुटाये जाते हैं जिन्हें उत्पादक व्यवसायों में नहीं लगाया जाता है, इसके अलावा हमने इस संस्थान की उपेक्षा की है। परन्तु यह आन्तरिक गतिशीलता के कारण स्वयमेव पनपी कि इस प्रकार का निवेश हमारी अर्थव्यवस्था में हुआ है। मैं इसके बारे में बहुत प्रसन्न हूं। अब समय आ गया है जब हमें यह देखने के लिए बड़ी ही गम्भीरता से सोचना होगा कि यह संस्थान वास्तव में ही एक गतिशील संस्थान बने और देश के विकास हेतु निवेश का कार्य करे।

अब, महोदय, मैं उन माध्यमों का सुझाव दे रहा हूं जो कि निवेश हेतु हमारे सामने खुले हुए हैं। आज देश के औद्योगिक विकास में सर्वाधिक कमी विकास के लिए लोगों द्वारा अंशदान करना है। मंत्री महोदय यह बात मानेंगे कि इस वर्ष बाजार में धन की प्रचुरता के बाद, कंपनियां पर्याप्त मात्रा में जन अंशदान प्राप्त करने में सफल हैं। सच बात तो यह है कि कम्पनियों को मांग से कहीं अधिक अंशदान मिल रहा है और कभी-कभी तो दुगुना-तिगुना और इससे भी अधिक अंशदान मिल रहा है और इन्हें जनता को पूंजी वापिस करनी पड़ती है। परन्तु ये कम्पनिमां कौन-सी हैं? इनमें से बहुत-सी कंपनियां वे कंपनियां हैं जो कि बड़े व्यवसाय से आरंभ हुईं। इनमें से बहुत-सी कंपनियां सफल हैं जिन्होंने पहले ही बाजार में अपना नाम कायम कर लिया है···

1.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, मैं कुछ आय अधिक समय लूंगा। यह इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और बोलने वाले सदस्य भी अधिक नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक दो मिनट और ले सकते हैं और अब आप अपनी बात सभाप्त कीजिए।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं अपनी बात कहना जारी रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से सदस्यों ने अपने नाम दिए हैं। श्री अय्यप्पु रेड्डी, जो आपकी पार्टी के हैं, ने भी अपना नाम दिया है।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं आज लोगों द्वारा किए जा रहे वित्त पोषण में बड़ी कमी के बारे में बता रहा था।······

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि आपको अधिक समय चाहिए इसलिए अब हम दोपहर के भोजन के लिए सभा स्थगित करेंगे और 2 बजे म० प० समवेत होंगे।

1.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.07 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर सात मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

[जारी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री माधव रेड्डी अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, मैं निवेशकों के लिए यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया में उपलब्ध और अधिक उत्पादक माध्यमों के बारे में बात कर रहा था और इस संबंध में उस कमी के बारे में कह रहा था जो कि आज औद्योगिक वित्त में विद्यमान है अर्थात जबकि बाजार में अधिक धन की प्रचुरता है, कंपनियां अंशदान प्राप्त कर रही हैं और कहीं अधिक प्राप्त कर रही हैं। परन्तु फिर भी सभी कंपनियों को बाजार में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है क्योंकि बाजार में जाने की उनके, विशेषतया मध्यम दर्जे की कंपनियों के सामने मुख्य अड़चन यह है कि उनके सार्वजनिक निर्गम की जिम्मेदारी दलालों, बैंकरों अथवा सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने ली है। इन कंपनियों की बाजार में प्रवेश करने की प्रतिष्ठा ही नहीं है। उनके लिए शेयर बाजार बन्द हैं। लोग किसी भी अच्छी कंपनी, किसी भी अच्छी परियोजना में अंशदान देने को तैयार हैं। आज यदि आप जनता के पास जाएं तो सार्वजनिक निर्गम में अंशदान बिना किसी कठिनाई के मिलेगा और इसके लिए कुछ नीतियां, रियायतें जो कि कर-दाताओं को दी गई हैं, धन्यवाद की पात्र हैं। परन्तु मुख्य कठिनाई यह है कि जब आप एक निवेश, एक दलाल या बैंक के पास इक्विटी शेयर लेने जाएं तो वे निर्गमों का अभियोजन करने के इंकार कर देते हैं और जब तक सार्वजनिक निर्गमों का उत्तरदायित्व नहीं लिया जाता है तब तक आप जनता के पास नहीं जा सकते हैं। इस संबंध में, मैं आपको हिन्दी में कहावत की याद दिलाना चाहता हूं कि [**हिन्दी**] भगवान तो वरदान देना चाहता है, लेकिन पुजारी मन्दिर में आने नहीं देता है। [**अनुवाद**] मेरा अर्थ इन पुजारी जी से नहीं है। जनता तो किसी भी कंपनी की इक्विटी को अंशदान देने को तैयार है। परन्तु जब तक दलालों, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा इक्विटी उत्तरदायित्व लिया जाता है, तब तक ये मध्यम दर्जे की कंपनियां जनता के पास नहीं जा सकती हैं। आज यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के लिए खरीदने के लिए निवेश का एक अच्छा माध्यम खुला हुआ है और इससे मध्यम दर्जे की सभी कंपनियों को जनता के पास जाने और पर्याप्त अंशदान प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

मेरे विचार से आपको इस कार्य का आरंभ करने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये; यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया का सार्वजनिक निर्गमों की जिम्मेदारी लेने वाली एक बड़ी संस्था होना चाहिए। यह एक मुख्य माध्यम है जो कि उद्योगों के विकास के लिए सहायक होगा।

जहां तक मंत्री महोदय द्वारा उठाये गये अन्य मुद्दों की बात है, आज यू० टी० आई० के पास पर्याप्त पूंजी है अर्थात निवेश योग्य 2200 करोड़ रुपये की धन राशि और इस वर्ष के अन्त तक ऐसी आशा की जाती है कि यह बढ़ कर लगभग 3000 करोड़ रुपये हो जायेगी। जब देश के विकास हेतु इतना निवेश उपलब्ध है तो हमें इस साधन का लाभ उत्पादक कार्य के लिए उठाना चाहिए।

इस संबंध में मैं यह बताना चाहूंगा कि विगत काल में, भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिकतर लाभप्रद उद्यमों में निवेश करती रही है और उन कम्पनियों में निवेश करती रही है जिनका बड़ा नाम है और जहां उन्हें अच्छा लाभांश, आदि मिल सकता है जबकि मैं नहीं चाहता कि सरकार भारतीय यूनिट ट्रस्ट को अपनी आवश्यकताओं के लिए दुधारू गाय बना दें और इसके धन को खर्च करती रहे, क्योंकि सरकार की आवश्यकताएं

असीमित हैं, परन्तु उसी के साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि सरकार को प्रमुख उत्पादक परियोजनाओं में निवेश की कमी के कारण नुकसान न उठाना पड़े। मैं महसूस करता हूं कि यू० टी० आई० को सरकार क्षेत्र के लिए एक उत्प्रेरक की भूमिका का कार्य दिया जाना चाहिये जिससे वह जनता से अधिक पूंजी ग्रहण कर सके। हमें गंभीरतापूर्वक सोचना होगा और सरकारी कंपनियों, सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं को जनता के पास जाने की अनुमति देनी होगी और जनता के पास जाने के लिए यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया बड़ी ही प्रभावकारी भूमिका निभा सकता है।

एक अन्य मुद्दा, जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं यह है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट की गतिविधियां बम्बई, कलकत्ता और मद्रास आदि जैसे बड़े नगरों, महानगरीय केन्द्रों तक ही सीमित हैं एक विशाल ग्रामीण बाजार उपलब्ध है जहां पर यू० टी० आई० का कार्यकलाप लगभग न के बराबर है। मैंने विभिन्न स्कीमों के यूनिट धारियों की सूची देखी है और मैंने पाया है कि 90 प्रतिशत यूनिट धारक अहमदाबाद, बम्बई और अन्य ऐसे ही स्थानों के हैं। यद्यपि यू० टी० आई० की शाखाएं कुछ स्थानों पर हैं और उनके कुछ एजेंट हैं, परन्तु वे छोटे क्षेत्रों में सेवारत नहीं हैं, देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत नहीं हैं। यह देखने के लिये कुछ न कुछ करना चाहिये कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करे और छोटे लोगों से धनराशि जुटाये।

उस संबंध में, मैं यह बताना चाहूंगा कि हाल ही में भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में मध्यम दर्जे की कंपनियों को उनकी परियोजनाओं के लिए ग्रहण प्रदान करने के लिए ऋण-इक्विटी अनुदान को कम कर दिया। पहले' ऋण-इक्विटी अनुदान 2:1 था, आज यह 1½:1 हो गया है। अन्य शब्दों में, आज कल ऋण-इक्विटी अनुपात के कारण प्रवर्तकों को जितना वे निवेश किया करते थे उससे अधिक निवेश करना पड़ेगा। और यह किया गया है, क्योंकि सरकार ने सोचा था कि कर-रियायतों, आदि के कारण बाजार में धन की प्रचुरता है और लोगों के लिए जनता से संसाधनों को जुटाना सम्भव होगा, परन्तु हम जब जनता के पास जाते हैं तो हम संसाधन जुटा पाते हैं क्योंकि हमारे निर्गमों का कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता है। अतः यह बहुत ही संगत हो जाता है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट इस देश में एक उत्तरदायित्व लेने वाले अभिकरण के रूप में बहुत ही प्रभावकारी भूमिका निभाए और निवेश की प्रतिभूति मूलक नीति को त्याग पत्र दें। आज जहां कहीं जोखिम होता है, वहां यू० टी० आई० वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट निवेश वहीं पर करती है जहां शतप्रतिशत सुरक्षा हो और इसको निवेश से लाभांश 14 से 15 प्रतिशत से कम न हो। यद्यपि मैं जानता हूं कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट लाभांश दे रहा है, जिसका अधिकतम लगभग 14 प्रतिशत है। किसी भी तरह यदि आपको अधिक लाभांश मिलता है तो इसे आप यूनिट धारकों को देने को तैयार नहीं हैं। अतः आपको कुछेक माध्यमों को ही अपना करके अधिकाधिक धन कमाने की बात नहीं सोचनी चाहिये और देश में बैंकिग संस्थाओं से प्रतियोतिया करके और सोने और चांदी में निवेश करके या भू-संपत्ति व्यवसाय या निर्माण व्यवसाय में निवेश करके भी अधिकाधिक धन अर्जित करने की बात ही न सोचें। भारतीय यूनिट ट्रस्ट को निवेश के उत्पादक माध्यमों पर ही अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और इसे जनता और अधिक धन जुटाने हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में अपनी पूंजी को प्रयोग में लाना चाहिये। इसकी यही महत्वपूर्ण और गतिशील भूमिका होनी चाहिए।

इन्हीं आधारों पर में इस खण्ड 5 का विरोध करता हूं जो कि मुख्य खण्ड है और विधेयक

का मुख्य उद्देश्य भी है। चूंकि मैं खण्ड 5 का विरोध कर रहा हूं इसलिये मैं समूचे विधेयक का विरोध करने को विवश हुआ हूं, क्योंकि खण्ड 5 विधेयक का मुख्य खंड है। मैं इस सभा के समक्ष प्रस्ताव रखता हूं कि विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया जाये, क्योंकि हम वहीं पर विधेयक पर पूर्णरूपेण विचार कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कोई प्रस्ताव दिया है।

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, मैंने दिया है। एक संशोधन है।

1.17 म० प०

नये मंत्रियों का परिचय

[अनुवाद]

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मुझे आपसे और आपके माध्यम से, सभा से, अपने उन साथियों का परिचय कराते हुए अतीव प्रसन्नता हो रही है जिन्हें मंत्री नियुक्त किया गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : उद्योग मंत्री

श्री एम० अरुणाचलम : औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री।

12.18 म० प०

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक

[—जारी]

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे साथी ने यूनिट ट्रस्ट के बारे में बहुत-सी बातें कहीं। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जो इन्होंने कहा कि यूनिट ट्रस्ट नान-प्रोडक्टिव आइटम्स में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किस तरह से नान-प्रोडक्टिव हो सकती है, यह मैं समझ नहीं पाता हूं। इस सारे बिल का उद्देश्य, जैसा कि इसके आबजैक्ट्स एण्ड रीजन्स में सिखा हुआ है, यह है :

[अनुवाद]

> "विधेयक का मुख्य उद्देश्य ट्रस्ट के उस कारबार के क्षेत्र का विस्तार करना है, जिसका वह जनता से जुटाई गई निधियों का भारत में और भारत के बाहर दोनों स्थानों में अधिक उत्पादक विनिधाननिर्गमों में प्रभावी रूप से उपयोग करने में उसे समर्थ बनाने के लिए संव्यवहार कर सकता है। इससे यूनिट धारकों के लिए अच्छे और बढ़ाने वाले प्रतिफल की व्यवस्था होगी और ट्रस्ट विनिधान के लिए अवसरों के इष्टतम उपयोग द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति करेगा।"

[हिन्दी]

तो चाहे वह लीजिंग कम्पनी में लगाए, चाहे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगाए और चाहे रियल

एस्टेट में लगाए, मेरे ख्याल से यूनिट ट्रस्ट ठीक काम कर रहा है। रियल एस्टेट का काम दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरह से बढ़ रहा है, उसमें कोई गवर्नमेंट एजेन्सी आगे बढ़ कर रियल एस्टेट को खरीद ले और रीजनेबिल प्राइस पर लोगों को दे, तो इसमें हमारे माननीय साथी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वैसे इनके अपने विचार हैं और एतराज भी हैं। मैं तो समझता हूं कि यूनिट ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है और पिछले 20 सालों में यूनिट ट्रस्ट ने जितना अच्छा काम किया है, देश के बहुत कम पब्लिक सैक्टर यूनिट्स ने वैसा काम किया है। यह अपने आप में एक उदाहरण है कि पब्लिक सैक्टर सब बेकार नहीं है। यूनिट ट्रस्ट ने पिछले साल 750 करोड़ रुपये के यूनिट बेचे। तीन साल के अन्दर इसकी बिक्री चार गुना बढ़ गई है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हैं, कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। मैं कहूंगा कि यूनिट ट्रस्ट का स्कोप बढ़ाया जाना चाहिए। यूस्टि ट्रस्ट किसी भी हालत में आलोचना के योग्य नहीं है।

मैं माननीय सदस्य के एक विचार से सहमत हूं। इन्होंने कहा कि इंग्लैण्ड में चार सौ यूनिट ट्रस्ट्स हैं। यह बात सही है कि इंग्लैण्ड में चार सौ यूनिट ट्रस्ट्स हैं और अमेरिका में छः सौ यूनिट ट्रस्ट्स हैं और अपने देश में केवल एक यूनिट ट्रस्ट है। अपने देश में यूनिट ट्रस्ट ने मोनोपली का स्थान ग्रहण कर लिया है। जो अर्थशास्त्री हैं वे यह जानते हैं कि इसमें ढोल में पोल है। यूनिट ट्रस्ट डिविडेण्ड इस तरफ से देता है कि दूसरों की तुलना में इसमें फायदा होता है। मेरा कहना है कि यदि दूसरे देशों में चार सौ और छः सौ यूनिट ट्रस्ट्स हो सकते हैं तो अपने यहां पांच-सात यूनिट ट्रस्ट्स क्यों नहीं बनते?

पिछले कई सालों से यह मांग हो रही है कि जिस तरह से हमारे यहां पंजाब नेशनल बैंक है, युनाइटेड कमर्शियल बैंक है, केनारा बैंक है और बहुत से बैंक हैं उसी तरह से आप यूनिट ट्रस्ट क्यों नहीं बनाते हैं? देश के चार भागों में अलग अलग यूनिट ट्रस्ट बना दीजिए और उनसे कहा जाए कि एक यूनिट ट्रस्ट दूसरे यूनिट ट्रस्ट से कम्पीट करे। तभी यूनिट ट्रस्ट की असलियत पता चलेगी। आप यूनिट ट्रस्ट की मोनोपली की पोजिशन हटा दीजिए। मैं प्राइवेट सेक्टर का कोई हिमायती नहीं हूं, नाही उसकी तरफ से बोलने वाला हूं। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि आप यूनिट ट्रस्ट को भी सही कम्पीटीशन में बढ़ने दीजिए। पब्लिक सेक्टर के यूनिट ट्रस्ट को प्राइवेट सेक्टर के यूनिट ट्रस्ट से कम्पीट करने दीजिए फिर देखिये कि यूनिट ट्रस्ट का क्या रिजल्ट निकलता है।

यह कहा गया कि यूनिट ट्रस्ट को बैंक के साथ कम्पीट नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं कम्पीट करना चाहिए? इसमें क्या हर्ज है? यदि एक बैंक दूसरे बैंक साथ कम्पीट नहीं करता है तो बैंक की इतनी भी एफीशियेन्सी न्हीं रह जायेगी जितनी कि आज है। यदि यूनिट ट्रस्ट बैंकिंग आप्रेशन में जाता है तो हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए। हम तो यह कहेंगे कि यूनिट टस्ट को इस तरह से जनता के सामने लाइये जिससे लोगों को पता चल सके कि यह अपनी एफीशियेन्सी पर खड़ा है, सरकार की मदद करने के कारण नहीं खड़ा है।

यूनिट ट्रस्ट की कुशलता के बारे में बहुत-सी बातें कही गई। मेरा अपना अनुभव है कि देहात में अभी भी लोग यूनिट ट्रस्ट के बारे में नहीं जानते हैं। यूनिट टस्ट मुख्यतः बड़े-बड़े शहरों में रह गया है। उसके बाद कुछ मझौले शहरों में चला गया है। छोटे-छोटे शहरों और देहातों में

लोग यूनिट ट्रस्ट के बारे में बहुत कम जानते हैं। आप समझाने का प्रयास कीजिए लेकिन नहीं समझते। एक मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात कर रहा हूं। देहाती को अगर समझाइये कि इसमें शेअर हैं तो उठ कर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मैं शेअर जरूर लूंगा। इसलिए यूनिट ट्रस्ट वाले सही अर्थ में इसका प्रचार करें। देहातों में, रूरल सेक्टर में इतना पैसा है कि इसका बड़ी अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है।

हम सब लोगों में बहुत अधिक लोगों की कांस्टीच्युएंसी देहात में है। देहात में गरीबी बहुत है लेकिन देहात में कुछ वर्ग के हाथ में पैसा भी है। वह वर्ग उस पैसे को जमीन के अन्दर दबाये हुए है या किसी सूटकेस में बन्द किये हुए है। पैसा बैंक में नहीं देना चाहता, डाक घर में नहीं देना चाहता। अगर आप उसको यह बता दीजिए कि यूनिट ट्रस्ट एक ऐसा माध्यम है कि इसमें 12 से 15 परसेंट तक फायदा हो सकता है और उस टैक्स भी नहीं लगेगा तो वह यूनिट ट्रस्ट में जरूर पैसा लगा देगा। इससे लोग पैसा लगाने को तैयार हो जाएंगे। आपने बहुत-सी चीजों का देहातों में प्रचार किया और उसमें सफलता प्राप्त हुई है, उनमें से एक परिवार नियोजन कार्यक्रम है। इसी तरह से आप यूनिट ट्रस्ट का प्रचार देहातों में कीजिए और लोगों को समझाइए कि ये बड़ी-बड़ी कंपनियों के शेयर्स हैं। इसमें नाम किसी कंपनी का नहीं है, लेकिन बड़ी कंपनी में पैसा लगाने से जो फायदा होगा वह फायदा तुम्हें इसमें पैसा लगाने से होगा।

आपने इंशोरिंस का यूनिट कर दिया, लेकिन आज भी जनता इंश्योरेंस के यूनिट के बारे में नहीं जानती है। मेरा कहने का अर्थ है कि यूनिट ट्रस्ट ने पिछले 20 साल में बहुत अच्छा काम किया है और वह बहुत तारीफ के योग्य है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि यूनिट ट्रस्ट के सिमिलर यूनिट ट्रस्ट बना कर उसको कंपीट कराया जाए, जिससे वह अपने पांव पर खड़ा हो सके। देश में रिसोर्सेस की, पैसे की प्लान के लिए बहुत आवश्यकता है और यह पैसा पैदा करने के लिए, पैसा जमा करने के लिए मेरे विचार में यूनिट ट्रस्ट से अच्छा माध्यम और कोई नहीं है, क्योंकि लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। यही एक ऐसा आर्गनाइजेशन है जिसमें हर साल तरक्की होती गई है और हर आदमी, गरीब से गरीब आदमी चाहता है कि उसका दस रुपया बढ़कर 11 रुपया हो जाए और इसमें कोई रिस्क न हो। कोई बेइमानी से उसको 8 या 10 रुपया न कर दे। शेयर्स के बारे में आम धारणा है कि इसमें दस रुपए घटकर 2 और 5 भी रह सकते हैं, इसमें गोलमाल होता है, लेकिन यह शेयर ऐसा है कि इसमें 10 रुपए के 11 ही होंगे 8 नहीं होंगे।

कहने का अर्थ है कि यूनिट ट्रस्ट को सही अर्थ में कंपीटीटिव बनाइए और एक से ज्यादा यूनिट ट्रस्ट देश में स्थापित कीजिए और साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर को भी यह छूट होनी चाहिए कि इस तरह के यूनिट ट्रस्ट वह भी कायम कर सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, विधेयक का उद्देश्य मुख्य रूप से भारतीय यूनिट ट्रस्ट के क्रियाकलापों का विस्तार करना है। ऐसा करते समय धाराओं में संशोधन करने और नयी धाराएं जोड़ने का अवसर मिला है, ताकि ट्रस्ट प्रभावी रूप से कार्य कर सके तथा उद्योगों में पूंजी निवेश कर सके।

यूनिट ट्रस्ट को शक्ति मिली है तथा इसका विस्तार हुआ है तथा यह लोगों में बहुत लोकप्रिय बन गया है। परन्तु जैसा कि विपक्ष के मेरे मित्र ने बताया है कि यह केवल महानगरों तथा शहरों में लोकप्रिय है। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास किये जाने

चाहिए जहां पर गरीब लोगों द्वारा पूंजी लगाये जाने के पर्याप्त अवसर हैं। चूंकि यूनिट का मूल्य केवल 10 रुपए है इसलिए निम्न आय तथा मध्यम आयके लोग इनमें पूंजी लगा सकते हैं तथा वे लाभांश के बारे में अशवस्त हो सकते हैं। इसमें हानि का कोई प्रश्न नहीं है जैसा कि अन्य शेयरों में पूंजी लगाने में संभव है, जहां कि कम्पनी को घाटा हो सकता है। यहां हानि का कोई प्रश्न नहीं है। पिछले वर्ष लाभांश 10.5% था। यदि आप इसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय बनायें तो पूंजी लगाने को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। प्रोत्साहन इस प्रकार दिये जाते हैं कि यूनिटों से लाभांश के रूप में प्राप्त 3000 रुपए आयकर से मुक्त है तथा 35000 रुपए तक के यूनिटों की कीमत भी धन-कर से मुक्त है। अत: यह आकर्षक है।

अब एक तरह की प्रतिस्पर्धा आ गई है, क्योंकि पिछले बजट प्रस्तावों में एक नयी योजना शुरू की गई है अर्थात, 7 वर्ष के लिए नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट (राष्ट्रीय बचत पत्र) जारी किए गये हैं इनमें अधिकतम 40000 रुपए का पूंजी निवेश किया जा सकता है जोकि 7 वर्ष में दुगना अर्थात 80,000 हो जाते हैं। यह भी आय कर से मुक्त है। अत: वह अधिक आकर्षक बन जाता है तथा यूनिट ट्रस्ट लोगों को उतना आकर्षित नहीं कर पायेगा। अत: इस पहलू पर विचार करना पड़ेगा। अत: मेरा सुझाव है कि आयकर से छूट की सीमा 3,000 रुपए से बढाकर 5,000 रुपए की जाये, धन कर में प्रति व्यक्ति छूट की सीमा के लिए यूनिट की कीमत 35,000 रुपए से बढा कर 50,000 रुपए की जाये, तब आप देखेंगे कि यह कैसे कार्य करता है। अब आपको कर ढांचे को नियमित करना है तथा देश में बचतों के विस्तार को बढ़ाकर इसको युक्तिसंगत बनाना है।

यह छोटी बचतों को एकत्र करने का एक अभिकरण है। आपने एक अच्छा कार्य किया है। यह योजना के संसाधनों को बढ़ावा देगा, जिनकी कि अत्यन्त आवश्यकता है।

बड़ी कम्पनियों तथा नियमित निकाय में धन लगाया जाता है। उन्हें संस्थागत वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। यूनिट ट्रस्ट, लघु उद्योगों, हथकरघा क्षेत्र तथा कुटीर उद्योग के विकास के लिए ध्यान क्यों नहीं देता, ताकि वे क्षेत्र ऊपर उठ सकें। आपको पूरे क्षेत्र में गरीब लोगों को तथा वित्तीय दृष्टि से कम मजबूत लोगों की सहायता कार्य में आगे बढ़ना चाहिए तथा बड़ी कम्पनियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्हें संस्थागत वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। जबकि छोटी कम्पनियों को छोटे लोगों यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। लघु क्षेत्र और हथकरघा क्षेत्र, आदि को सरकार से प्रोत्साहन की अपेक्षा है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह इस पहलू पर भी ध्यान दें।

अब धारा 19 के स्थान पर एक नई धारा 90 रखी जा रही है, क्योंकि इससे न केवल भारत में अपितु भारत के बाहर भी व्यवसाय के विस्तार के अवसर प्रदान करती है। इससे अनिवासी भारतीयों को भी यूनिट खरीदने के अवसर मिलते हैं। ट्रस्ट के प्रबन्धक भारत के बाहर भी कार्य कर सकते हैं। यह एक स्वागत योग्य कदम है तथा मुझे विश्वास है कि इससे अनिवासी भारतीयों से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकेगी।

इस विधेयक में नई धारा 19 (ख) रखने का प्रयास किया गया है जोकि ट्रस्ट के प्रबन्धकों को यह शक्ति देती है कि वे सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम और आदेश 38 के अनुरूप निर्णय के अंतर्गत कुर्की के आदेश जारी कराने के लिए न्यायालय जा सकें। ट्रस्ट न्यायालय से अंतरिम आदेश भी प्राप्त कर सकती है तथा न्यायालय से 'रिसीवर' नियुक्त करने के लिए कह सकता है।

अतः ये उपबन्ध सिविल प्रक्रिया संहिता में दिए गए हैं। ऐसा लगता है कि यूनिट ट्रस्ट एक स्वतः पूर्ण न्यायालय है। प्रबन्धकों के पास ये शक्तियां सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों के अतिरिक्त हैं। ये शक्तियां इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि जब कोई व्यक्ति जिसने यूनिट ट्रस्ट से ऋण या अग्रिम लिया है, की सम्पत्ति, उपकरणों और मशीनरी को बेचने की चेष्टा करता है। अतः उनके पास न्यायालय जाकर आदेश जारी करने वाला कुर्की आदेश जारी कराने की शक्ति है। कम से कम एक अन्तरिम आदेश पास किया जा सकता है। इसके बाद प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाता है। वह कारण बताओ नोटिस पर पेश हो सकता है, और यदि कारण बताओ वैध है, तो उसे रद्द किया जा सकता है या कुर्की का मामला उठाया जा सकता है। यदि वह न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर पाता, तो संशोधन को पूर्ण बनाया गया है, तथा कुर्की भी की जा सकती है। ये शक्तियां आवश्यक हैं। मेरी राय में विधेयक में पेश किए गए ये संशोधन स्वागत योग्य हैं।

फिर धारा 49 का भी संशोधन किया जा रहा है जिसमें विनियम बनाने की शक्ति दी गई है। पहले कोई ऐसा उपबन्ध नहीं था कि विनियम दोनों सदनों के सभा पटल पर रखे जायें। अब इसे लागू किया गया है, जोकि स्वागत योग्य कदम है। इससे संसद के सदनों को विनियमों की वैधता पर विचार करने का अवसर मिलता है और यदि किसी सदस्य द्वारा किसी संशोधन की मांग की जाती है, तो वह उसे 30 दिन के भीतर रख सकती है, और उसके बाद उस पर चर्चा की जा सकेगी और तब विनियम को वैध माना जायेगा।

धारा 14-क इसलिए पुरःस्थापित की गई है कि आयात मामलों में चेयरमैन आदेश पारित कर सके जैसे कि बोर्ड पारित करने कर सक्षम है तथा बाद में बोर्ड को यह रिपोर्ट पेश करे कि शीघ्रता से आदेश क्यों पारित किये गये हैं तथा बाद में बोर्ड से उनकी पुष्टि कराये। मैं अनुभव करता हूं कि निश्चित रूप से इससे विद्यमान कानून में सुधार हुआ है जिसमें देश में बचत में वृद्धि का अवसर प्रदान किया गया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो अंशदान करता है, इस पर यह गर्व कर सके कि वह भी देश के विकास में योगदान कर रहा है। यदि उसने 10 रु० का भी योगदान किया है तो वह इस पर गर्व कर सकता है कि उसने कुछ न कुछ तो अंशदान किया है। अतः यह स्वागत योग्य कदम है।

प्रतिस्पर्धी एककों की स्थापना के सम्बन्ध में दिये गये तर्कों को मैं समझ नहीं सका। उदाहरण के तौर पर जीवन बीमा निगम को ही लें जोकि एक विशाल संगठन है जिसकी शाखाएं सभी राज्यों में हैं। उसे क्षेत्रों में विभाजित करने का एक प्रस्ताव या परन्तु कुछ क्षेत्रों में उसका विरोध किया गया एक शाखा अथवा एक यूनिट, तीन शाखाएं अथवा 3 यूनिट यह सब ग्रामीण क्षेत्रों में योजना की लोकप्रियता पर निर्भर करता है। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में योजना को लोकप्रिय बनाने पर अधिक बल देना चाहिए ताकि हम अधिक बचतें जुटा पायें जिससे यूनिट तथा निवेश बढ़ेगा।

मुझे यह जानकर खुशी है कि इसमें 200 प्रतिशत अधिक की वृद्धि हुई है। 1200 करोड़ रुपया से बढ़कर यह दुगुनी से अधिक हो गयी है। अतः इसको निष्ठापूर्वक तथा कड़ाई से जारी रखा जाना चाहिए, ताकि यूनिट ट्रस्ट अधिक लोकप्रिय बने, लोग इसमें पूंजी लगायें, तथा प्रतिस्पर्धा की भावना से पेश की जाने वाली सभी धारायें स्वागत योग्य हों। पूंजी लगाने वाले व्यक्तियों के लिए और प्रोत्साहनों की बात भी हमें सोचनी चाहिए।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, इस संशोधन का उद्देश्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट को पूंजी निवेश की व्यापक शक्तियां प्रदान करना है क्योंकि जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, कि इस संगठन के पास धन जमा हो गया है तथा इसे इस बात का पता नहीं है कि इसका क्या किया जाये। यह कुछ समय से पूंजी निवेश के माध्यम ढूंढ़ रहा है। अब यह सभा मांगी जा रही शक्ति को देने जा रही है।

महोदय, एक ओर तो जब हम बिजली उत्पादन, रेलवे, इस्पात उद्योग, सिंचाई, कृषि आदि किसी भी मामले पर चर्चा करते हैं तब हम बताया जाता है कि हमारे पास धन की कमी है। अर्थ-व्यवस्था का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसे इस देश की जनता की भलाई के लिए विकसित करना अथवा सुधारा जाना है, जहां पर हमें धन की कमी न हो। वास्तव में रेलवे अपनी पटरियां बदलने में इतनी पीछे है कि स्थिति भयानक बन गयी है। यदि जनता को यह सब पता हो तो वह रेलों का प्रयोग करना बन्द कर दे। बिजली का उत्पादन छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्यों से 33 प्रतिशत कम रहा है क्योंकि उसके लिए धन नहीं था, और एक सरकारी प्रतिष्ठान बी० एच० ई० एल०, जोकि बिजली उत्पादक उपकरणों का उत्पादन करता है, अपनी क्षमता का मात्र 45 प्रतिशत उपयोग कर पा रहा है, क्योंकि राज्य बिजली बोर्डों के पास धन नहीं है। मैं नहीं जानता कि क्या इस हालत में भारतीय यूनिट ट्रस्ट इन सभी क्षेत्रों में धन नहीं लगा सकता था। मैं समझता हूं कि वह कर सकता था। वर्ष 1983-84 के उनके वार्षिक प्रतिवेदन से मैं देखता हूं कि उन्होंने विद्युतोत्पादन में निवेश किया है, कम-से-कम उनमें से एक में। इसने इस्पात में भी निवेश किया है। अत:, इसके पास इन क्षेत्रों में निवेश का अधिकार है, परन्तु इसने आवश्यक मात्रा में निवेश नहीं किया है, या उतना निवेश नहीं किया है। जितनी कि इन क्षेत्रों को आवश्यकता है या जितना कि इसके पास धन है। परन्तु इस क्षेत्र में धन निवेश करने के लिए धन नहीं है और भारत की 80 प्रतिशत से अधिक अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में हैं। यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया ने वहां पर कुछ भी निवेश नहीं किया है। क्यों? क्या यह सम्भव नहीं है? और वे ग्रामीण क्षेत्र से बचत जुटाने की बाते करते रहे हैं। हां ऐसा करिए परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में निवेश भी करिए। यह सब कौन करेगा? किसान को एक खास समय पर जो ऋण मिलना ही चाहिए वह उसे कहां से प्राप्त करता है? सरकार कहती है कि बैंक यह सब कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि बैंक अपना कार्य गम्भीरता से नहीं कर रहे हैं। गरीब कृषक को गांव के महाजन के पास जाकर भारी ब्याज पर ऋण लेना पड़ता है, क्योंकि यह बैंक और महाजन के बीच एक षडयन्त्र ही है, क्योंकि जब बैंक ऋण नहीं देता है तो उसे महाजन के पास जाना ही पड़ता है। अन्यथा यदि बैंक समय पर ऋण दें तो महाजन का धन्धा चौपट होता है। बैंक देर से ऋण देते हैं और मौसम इसकी अनुमति नहीं देगा तो कृषक प्रतीक्षा कर नहीं सकता है, क्योंकि जिस समय तक बैंक आवेदन-पत्र लेकर उसे निपटायेंगे तो उसने हफ्तों और महीने गुजर जायेंगे।

यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के लिए ये सभी क्षेत्र निवेश हेतु खुले हुए हैं। उनकों नयी शक्तियां मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी क्योंकि वे तो उद्योग के संकीर्ण क्षेत्र में ही निवेश करना चाहता है। श्री माधव रेड्डी ने जो कुछ कहा है और जिससे एक अन्य माननीय सदस्य भ्रम में पड़ गये हैं, वह बात यह है कि यह उस उद्योग में धन निवेश करता है जो कि वास्तव में श्रमिकों के विलास-उपभोग निमित है और वास्तव में इस देश की 90 प्रतिशत और यहां तक कि

95 प्रतिशत जनता को जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। यूनिट ट्रस्ट उसी क्षेत्र में अपना अधिकांश निवेश करता है। वार्षिक प्रतिवेदन में दी गई तालिका से ऐसा लगता है कि इसका 80 से 90 प्रतिशत निवेश कुछ बड़ी कम्पनियों के इक्विटी शेयरों, अभियान शेयरों और ऋणपत्रों में होता है। अब यह बड़े उद्योगों, व्यापार बेंकिंग, हुंडियों को पुनः बट्टा को बढ़ावा देना चाहता है। यह छोटे उद्यमियों की हुंडियों पर पुनः बट्टा नहीं देगा। यह तो लाखों रुपये की ही हुंडियों पर पुनः बट्टा देना और यही इसका उद्देश्य है। यह इस सरकार की उस नई आर्थिक नीति के अनुरूप है, जो इस देश के 5 प्रतिशत या उससे कम धनिक वर्ग के विलासता के उपभोग को यथासम्भव बढ़ावा देती है। इन शक्तियों के बल पर ही जोकि सरकार उनके लिए प्राप्त करने जा रही है, यूनिट ट्रस्ट अब इस क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश कर सकेगा। यह एक बेकार का प्रयास है। क्योंकि सरकार की आर्थिक नीति बिल्कुल ही निष्फल है और इस देश की जनता के व्यापक हित के एकदम विरुद्ध है और समाज के 5 प्रतिशत या उससे कम धार्मिक वर्गों के पक्ष में है, ठीक उसी प्रकार यह विधेयक भी उसी प्रवृत्ति को और उस नीति को भी समर्थन प्रदान करने का प्रयास कर रहा है जो इस वर्ष के बजट में पहले से ही दी गयी है। अतः, सरकार इस बात को चाहती है कि अर्थव्यवस्था के सभी वर्ग और तमाम वित्तीय संस्थाएं, उसकी विलासतापूर्ण उपभोग, निर्यात-मूलक उत्पादन और इसी प्रकार की सभी बातों को समर्थन देने वाली आर्थिक नीति का अवश्य समर्थन करें और लगभग 90 से 95 प्रतिशत उन लोगों को भूल जाएं जो वह सब पैदा करते हैं जिसके 5 प्रतिशत लोग जीवित रहते है।

इस विधेयक का यही सार है। हमें इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु जहां तक यह विधेयक सरकार की उस प्रतिक्रियावादी आर्थिक नीति का समर्थन करता है, जो जनता के एक बहुत ही छोटे वर्ग के लाभार्थ है और देश तथा इसकी भावी पीढ़ियों के व्यापक हित के विरुद्ध है, तो यह एक हानिकारक विधेयक है।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : यह विधेयक ट्रस्ट के उस व्यवसाय के क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए है, जो वह कर सकता है और यह काफी विलम्ब से लाया गया हैं। ट्रस्ट को कार्य करते हुए अब तक दो से अधिक दशक हो गये हैं और इस अवधि के दौरान इसने जनता का विश्वास जीता है तथा अपनी शक्ति में उत्तरोतर वृद्धि की है।

छोटे बचत करने वाले लोग बहुत अधिक हैं जो उद्योग में अपनी बचतों का निवेश करना चाहते हैं, परन्तु उनके लिए सट्टा बाजार रहस्यमय है। वे न तो सट्टा बाजार की कार्य प्रणाली को समझ सकते हैं और न ही औद्योगिक वित्त की जटिलताओं को। उनको उस बातकी जानकारी नहीं है, जिससे वे निर्माता और व्यापार जगत की सहस्रों कम्पनियों की स्थिति का पता लगा सके। यूनिट ट्रस्ट एक ऐसा संगठन है, जो यह कार्य उनके लिए करता है और उस प्रक्रिया में न केवल इसमें अंतर्ग्रस्त जोखिम को कम करता है परन्तु वास्तव में अनेक सुविधाओं यथा कर में छूट तथा नकदी के साथ-साथ अच्छे लाभांश का भी आश्वासन देता है।

इन लाभों से देश भर के निवेशक आकर्षित हुए हैं जिसके फलस्वरूप 1983-84 में विभिन्न योजनाओं के अधीन यूनिटों की बिक्री 330 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है तथा निवेश योग्य संसाधन 1261 करोड़ रुपये तक पहुंच गये हैं। गत वर्ष अर्थात्, 1984-85 में, बाजार में नकदी जुटा करके अतिरिक्त 900 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करके निवेश योग्य संसाधन 2,179 करोड़ रुपए तक हो गए। यूनिट ट्रस्ट के इस सफल कार्यकरण एवं विकास से वे संशोधन आवश्यक हो गए थे जिन्हें मन्त्री महोदय ने पेश किया है।

विधेयक के खण्ड 2 में 'प्रतिभूति' शब्द का अर्थ स्पष्ट किया गया है और वास्तव में इसमें भारत के बाहर किसी निकाय या प्राधिकारी द्वारा जारी की गयी कोई यूनिट या उप-यूनिट या उसके द्वारा बनाई गई किसी यूनिट स्कीम में या भारत के बाहर स्थापित किसी पारस्परिक निधि में अन्य भागीदारी शामिल है।

जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है विधेयक को खण्ड 4 में पूर्णकालिक चेयरमैन को यूनिट ट्रस्ट के हितों को प्रभावित होने से बचाने के लिए ऐसी कार्यवाही करने, जैसी कि वह आवश्यक समझे, की आपातकालीन शक्तियां ठीक ही प्रदान की गई हैं।

तथापि, विधेयक का मुख्य उद्देश्य धारा 19 में दिया गया है, जोकि पुराने अधिनियम की धारा 19 का स्थान लेती है। नई धारा 19 ट्रस्ट की कुछ विद्यमान प्रथाओं को स्पष्ट विधिक अनुमति प्रदान करती है और इसके व्यवसाय के क्षेत्र को और अधिक व्यापक बनाती है जिससे ट्रस्ट जुटायी गयी धनराशि का उपयोग भारत और उसके बाहर दोनों जगह और अधिक लाभ सहित कर सके। इस प्रक्रिया में यह अनेक कार्य कर सकता है जैसा कि धारा 19 में उल्लिखित है— विनियमनों, आदि को स्वीकार करना, बट्टा देना, पुनः बट्टा देना, खरीदना, बेचना। इसका अर्थ हुआ कि ट्रस्ट आंशिक रूप से बैंक का काम करेगा क्योंकि अल्पकालिक बीजक अभी भी वाणिज्यिक बैंकिंग का मेरुदण्ड बना हुआ है, यद्यपि इस तथ्य से ट्रस्ट नियमित बैंक से भिन्न होगा कि यह अपने ग्राहकों के चालू खातों या जमा खातों का नहीं करेगा। यह खण्ड 19 ट्रस्ट को यह भी अधिकार देता है कि वह व्यापारिक बैंकिंग और निवेश सलाहकार सेवायें, सीधे ऋण देने, पट्टा देने और भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों तक निवेश सेवाएं प्रदान करे। खण्ड 19 में उल्लिखित अधिकांश कार्य भारत के बाहर भी चालू किये जा सकते हैं। धारा 19 में उल्लिखित अधिकांश कार्यों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं व्यापारिक बैंकिंग और पट्टेदारी। पट्टेदारी वित्तीय ढांचे में एक नवीन संकल्पना है, नीति है। तीन वर्ष पहले तक इस देश में मुश्किल से ही किसी प्रकार की पट्टेदारी होती थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान पट्टेदारी का कारोबार करने वाली कम्पनियों की संख्या 2 से बढ़कर 180 हो गई है और मुझे आशा हैं कि इस व्यवसाय को अपनाकर यूनिट ट्रस्ट को इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दो मूल संस्थाओं की सफलता से कोई अधिक आकर्षण नहीं होगा।

मेरे विचार से इन उपबन्धों से भारतीय यूनिट ट्रस्ट के स्वरूप और कार्यों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन आयेगा। इस विधेयक को पास करते समय मैं तीन सुझाव देना चाहूंगा। प्रथम यह है कि हाल ही में अधिक नकदी के कारण यूनिट ट्रस्ट को अपने को संयुक्त स्टाक कम्पनियों या बैंकों के पास और राष्ट्रीयकृत बैंकों की मांग पर भी आवधिक जमा में रखना पड़ा। वास्तव में, इस प्रकार का निवेश करना ट्रस्ट का काम नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ऐसा कर सकता है। ट्रस्ट का काम तो है दीर्घकालीन निवेश करना जिस पर मुझे आशा है कि यह भविष्य में ध्यान केन्द्रित करेगी। ट्रस्ट द्वारा किये नये निवेश का एक व्यापक आधार है। दूसरी ओर बैठे माननीय सदस्य ने कहा है कि निवेश विलास की वस्तुओं के उत्पादन के लिए किए जाते हैं, जोकि सही नहीं है। यूनिट ट्रस्ट के निदेश 16 उद्योगों या उद्योग समूहों तक फैले हुए हैं जैसे एक ओर एल्यूमिनियम या सीमेंट और दूसरी ओर पटसन एवं परिवहन। सबसे बड़ा भाग अभियान्त्रिकी को जा रहा है जोकि अब कुल जोड़ का 16 प्रतिशत है। परन्तु मैं आशा करता हूं कि ट्रस्ट भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों से और अधिक संसाधनों को जुटाएगा और अपनी सहायता का क्षेत्र ग्रामीण और कृषि-औद्योगिक क्षेत्र तथा महानगरों में भवन निर्माण तक फैलायेगा। इसकी निवेश

सम्बन्धी नीति विकसित हो रहे और नवीन उद्योगों को, जैसे इलेक्ट्रानिक्स जोकि औद्योगिक ढांचे में क्रान्ति लाने वाला है, और सहायता प्रदान करने की होनी चाहिए। यूनिट ट्रस्ट को इस बात में सावधानी बरतनी पड़ेगी कि वह सट्टेबाजारी की ओर आकर्षित न हो जिसने हाल ही में शेयर बाजार पर अधिकार कर लिया है। चूंकि इसका उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश है, इसलिए उसे इस प्रकार की सट्टेबाजारी की प्रक्रियाओं से दूर रहना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह सही है कि पिछले दो दशकों से इस ट्रस्ट में उत्तरोत्तर तरक्की होती रही है और वह उपलब्धि का वर्ष रहा है। इसके और विस्तार के लिए जो बिल लाया गया है मैं इसका समर्थन करता हूं।

अभी हमारे कुछ विरोधी पक्ष के लोगों ने इसमें यह कह कर शंका व्यक्त की कि यह ट्रस्ट उन लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाता है जिन लोगों को वित्त की आवश्यकता नहीं है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं तो यह कहूंगा कि वित्त व्यवस्था में हमारी सरकार ने खासकर वित्त मंत्रालय ने सातवीं पंचवर्षीय योजना का ध्यान रखते हुए उपलब्धि की व्यवस्था की है। अभी जो वित्त मंत्रालय ने राहु और केतु आपरेशन नाम से जो छापे मारे यह भी एक स्वागत योग्य कदम हैं और वह सरकार के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। हमारी यह भी मंशा है कि जो एक लाख 80 हजार करोड़ की योजना है, उसको हम पूरा करें।

अभी हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने अपने प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट अलग से बनाया है लेकिन वह विवादास्पद इस मायने में है कि अभी भी 52 को छोड़कर काफी जो वित्त से संबंधित गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं वह दूसरे मंत्रालयों के अधीन हैं। मैं चाहूंगा कि हमारी सारी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स इंडस्ट्री जो कि, पैसे की कमी के कारण सिक हो रही हैं उनकी मदद में वह सहायक हो खास कर उन इंडस्ट्रीज में जहां पर कि हमारे मजदूरों पर काफी असर पड़ रहा है। यदि इसी को लेकर हम यह कानून लाये हैं तो हमें इसका स्वागत करना होगा।

अभी कई सदस्यों ने यह भी कहा कि यह जो बिल है ऐसे अधिकार दे रहा है जिसमें उन क्षेत्रों में भी इसकी धनराशि का उपयोग होने लगेगा जो अन-प्रोडेक्टिव हैं। इसको हमें देखना होगा। यह सही है कि कुछ क्षेत्रों में जहां हम विकास की गति को बढ़ाना चाहते हैं वहां सोच-समझकर कदम बढ़ाना होगा। रूल्स में ऐसे अधिकार गवर्नमेंट को या इस ट्रस्ट को देना होगा। जिससे कि हम कभी भी अन-प्रोडेक्टिव कार्य में कोई इसकी धनराशि न लगा सकें। यह सही है कि इंवस्टमेंट वहां ज्यादा किया गया है जहां से कि प्राफीट ज्यादा होता है। यही कारण है कि इसके कार्यक्रम ज्यादातर शहरी और अरबन क्षेत्रों में हैं।

हमारे प्रधान मंत्री जी पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा करने गये, यह भी एक स्वागत योग्य कदम है। प्लैनिंग कमीशन ने अभी हाल ही में 6 प्रकार के बैकबर्ड एरिया डिक्लेयर किये हैं। उसमें बाढ़ग्रस्त होने वाले एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, कोस्टल एरिया हैं, सूखे और तूफान से प्रभावित होने वाले एरियाज हैं। इन सारी एरियाज में ट्रस्ट रुपया लगा सके छोटी-छोटी इंडट्रीज में तो यह

अच्छा काम होगा। अभी एच० एम० टी० का उद्घाटन करते हुए माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि हिल एरिया में और दूसरे बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज लगायी जानी चाहिए।

अभी माननीय वित्त मंत्री ने बताया कि इस समय इनके पास 2 हजार 2 सौ करोड़ रुपए की पूंजी है और यह तीन हजार करोड़ होने वाली है। तो इससे अच्छी इंडस्ट्रीज उन इलाकों में लगा सकते हैं जहां पर लगाने की जरूरत है। उसमें यह देखना पड़ेगा कि जिसमें एम्पलायमेंट पोटेंशियल ज्यादा हो वहां ज्यादा पैसा लगाएं। लाभ कमाने की बात तो रहेगी, वह तो ठीक है लेकिन उसमें यह देखना पड़ेगा केवल यही ध्येय न रहे जैसे आजकल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में यह बात आती जा रही है कि कौन ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके। केवल यही नहीं कि प्राइवेट सेक्टर में, बल्कि आजकल तो गवर्नमैंट, ज्वाइंट सेक्टर, कोआपरेटिव सेक्टर, इन सब में यह बात आती चली जा रही है। इन सब सेक्टर्स का कोई अपना अलग महत्व नहीं है। इन सबके पैसे के जो सोर्सेज हैं वह बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट के हैं। वे तो केवल नाम मात्र के लिए व्यवस्था करने का काम करते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट है, उसमें एम्पलायमेंट के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो हमारी 1956 की इंडस्ट्रियल पालिसी है उसके तहत हम ऐसे यूनिटस को पैसा दे रहे हैं जिनका दूरगामी परिणाम कोई अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए उसमें पैसा इन्वेस्ट करते समय हम इस बात को देखें कि दूरगामी व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। यह बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।

माननीय मंत्री जी को मैं आगाह करना चाहता हूं कि इसमें जो अधिकार और जो कार्यक्षेत्र दिए हैं उनको वह बढ़ाएं। उसमें माननीय सदस्य माधव जी को जो आशंका है वह होना जरूरी है कि कार्य-क्षेत्र अगर ऐसे बढ़ा देते हैं तो उसमें मोटिव केवल यह न हो जाय प्राफिट कमाने का क्योंकि आज गवर्नमैंट अंडरटेकिंग्स ज्यादातर काफी घाटे में चल रही हैं तो उसमें प्राफिट कमाने हैं अपना नाम नम्बर 1 पर लाने का उद्देश्य न हो बल्कि किस प्रकार से देश की अर्थ-व्यवस्था में गतिशीलता आए और कैसे बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज लगें, कैसे ऐसी जगह पैसा लगाए जिससे अनएम्पलायमेंट दूर हो, गरीबी दूर हो यह उद्देश्य सामने होना चाहिए। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन ने जो एरियाज फिक्स की हुई हैं वहां पर कैसे तरक्की हो उसके लिए ट्रस्ट के रुपये का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि 1956 की इंडस्ट्रियल पालिसी में यदि कहीं परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो वह परिवर्तन किया जाय। उस पर मैं समझता हूं डिस्कशन होना वाला है और सातवीं योजना पर डिस्कशन होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे।

यह सही है कि एमरजेंसी में इस बिल में चेयरमैन को काफी पावर्स दी गई थीं। वह होनी चाहिए लेकिन इसमें होल टाइमर्स को क्यों रख दिया है? समय आ सकता है कि कभी कोई होल टाइमर करप्ट हो, उसको बीच में निकालने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो यह होल टाइमर इसमें से निकाल दें तो ज्यादा अच्छा होगा। उसको यह पावर होनी चाहिए कि जब बोर्ड की बैठक न हो रही हो तो ट्रस्ट के हित में, लार्जर समाज के हित में और देश के हित में ऐसा ऐक्शन ले सके। लेकिन होल टाइमर को मैं चाहता हूं कि निकाल दें तो अच्छा होगा।

इसमें जो अमेंडमेंट्स आए हैं उन पर हमारे और माननीय सदस्य काफी बोल चुके है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि इस बिल में निश्चित रूप से एरियाज की व्यवस्था जरूर कर दें। यह बिल एक तरह से काफी काम्प्रीहेंसिव है और

कई नयी धाराएं इसमें आ गई हैं लेकिन एक व्यवस्था एरियाज फिक्स करने की होनी जरूरी है। जैसे लाफ इन्श्योरेंस को हमारी सरकार ने और कमेटी ने भी पांच हिस्सों में बांटने के लिए कहा था क्योंकि आज उनका कार्य-क्षेत्र ज्यादातर अर्बन एरियाज में सीमित है, तो पांच भाग उनका

3.00 म० प०

करने जा रहे हैं। ज्वाइंट सिलैक्ट कमेटी ने यही सुझाव दिया है। इसी प्रकार आप इसकी भी ऐसी ही व्यवस्था कीजिए। यही बात डा० राजहंस जी भी कह रहे थे कि पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर में कम्पीटिशन पैदा कीजिए, लेकिन प्राइवेट सैक्टर की हामी न मैं भरता हूं और न उन्होंने भरी है। मैं यह जरूर चाहता हूं कि दूर-दराज के इलाकों के लिए इसको पांच हिस्सों में बांट दीजिए, ताकि सारे हिन्दुस्तान में इसका फैलाव हो सके और मुल्क इसका फायदा उठा सके। बहुत से लोग इसके कार्यकलापों से अवगत नहीं हैं। यह बिल तो पिछले सत्र में प्रस्तुत हुआ था, तब हम लोगों का ध्यान इस ओर गया।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और श्री सी० माधव रेड्डी जी जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे इसका विरोध न करें और इस बिल को पास होने दें। इस बिल के पास होने के बाद अगर इसके कार्य क्षेत्र में कोई कमी होगी तो हमारी सरकार उस पर फिर से विचार करेगी।

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इन संशोधन का उद्देश्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट के क्रियाकलापों को बढ़ावा देना है। यह दो प्रकार का है, (एक) उद्योगों को आकर्षित करने के लिए और (दो) उत्पादक उद्देश्यों हेतु उपयोग करने के लिए। निःसन्देह यह वर्तमान अधिनियम में सुधार है। यह सच है, परन्तु इसके साथ ही इस बारे में कार्यवाही करने से पूर्व देश की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि पूंजी निवेश आकर्षित करने का यह सुझाव अपेक्षित परिणाम नहीं लायेगा। स्वाभाविक रूप से पूंज़ी लगाने वाला कोई भी व्यक्ति, यह प्रश्न करेगा कि क्या उसका धन सुरक्षित है तथा उसे कितना लाभ मिलेगा। वह अपने पूंजी निवेश पर लाभ का हिसाब लगा सकता है और वह तभी अपनी पूंजी लगायेगा, यदि उसे उसके बदले उचित लाभ मिलेगा। यदि वह हिसाब लगाते हुए धन के वर्तमान घटते हुए मूल्य का हिसाब लगायेगा तो वह अपना धन नहीं लगायेगा।

15.02 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

एक रुपए का जो मूल्य 1960 में था वह आज 11 पैसे के बराबर है। यदि कोई व्यक्ति भारतीय यूरिट ट्रस्ट में अपना धन लगाता है तथा बाद में वह पाता है कि उस धन का दिया जा रहा मूल्य वर्तमान मूल्य से कम है तो उसे कैसा संरक्षण मिला? इसलिए इस संशोधन को पारित करने तथा इसे क्रियान्वित करने से पूर्व पहला काम धन के संरक्षण के लिए वातावरण तैयार करना होगा। मुझे पता चला है यह सरकार दीर्घकालीन वित्त नीति पर चर्चा करने जा रही है। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार ने धन के मूल्य को किसी स्तर पर सुरक्षित रखने के बारे में सोचा है ताकि पूंजी लगाने वाले लोगों को कोई हानि न हो। इसकी गारंटी दी जानी चाहिए। ऐसी गारंटी के बिना पूंजी निवेश का औसत नहीं बढ़ेगा।

एक और बात है, यदि पूंजी निवेश के औसत को बढ़ाना है तो निजी क्षेत्र की ओर से प्रतिस्पर्धा को किसी तरह से रोकना होगा। इस देश में निजी रूप से धन उधार देने वालों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। निजी उधार देने वाले के पास अपना धन लगाने वाले व्यक्ति को सब जगह अपनी पूंजी पर 30 से 35 प्रतिशत ब्याज मिलता है। जब यूनिट ट्रस्ट अथवा अन्य बैंककारी संस्थान 10 अथवा 12 प्रतिशत लाभांश देता है तो साधारण व्यक्ति उनमें धन लगाने में रुचि नहीं रखता। अतः निजी उधार देने वालों पर नियंत्रण की आवश्यकता है, जो समाज के लिए एक मुसीबत बने हुए हैं। ऐसा किए बिना जनता भारतीय यूनिट ट्रस्ट में धन लगाने के लिए आकर्षित नहीं होगी।

दूसरा संशोधन, इस धन को उत्पादक उद्देश्यों के लिए लगाना है। इस बारे में, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस देश में उद्योगों में उत्पादन के लिए पूंजी निवेश की क्या स्थिति है? अधिकांश उद्योग, वे चाहे सरकारी क्षेत्र के अथवा निजी क्षेत्र के हों, इन संस्थानों से धन लेते हैं और अपने कारखानों को चलाते हैं, और बाद में जब देखते हैं कारखाने लाभ में नहीं चल रहे हैं, तो वे उन्हें रुग्ण बना देते हैं तथा सरकारी वित्तीय संस्थाओं अथवा बैंकों द्वारा लगाए गए धन को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है अतः उद्योगों में लगे धन को कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है। इस समय देश में लगभग 82,000 फैक्टरियां बन्द पड़ी हैं तथा उनमें से अधिकांश ने अपने पूंजी निवेश का 55 से 60 प्रतिशत सरकारी प्रतिष्ठानों से लिया हुआ है। अतः जब सरकार संस्थाओं में यूनिट ट्रस्ट का धन लगाएगी तब उनके पूंजी निवेश की कोई सुरक्षा नहीं होगी। अतः मेरा निवेदन है कि इन फैक्टरियों को बिना किसी क्षतिपूर्ति दिये अधिकार में लेने की व्यवस्था होनी चाहिए। वह उनका निवारक पहलू होगा। जब आप धन देते हैं और यदि उस धन का दुरुपयोग होता है तो उस धन की सुरक्षा कैसे हुई?

इस संशोधन का दूसरा पहलू उत्पादकता के आधार पर पूंजी निवेश करना है। उत्पादकता के आधार पर आपको उस जगह पूंजी लगानी चाहिए जहां आपको लाभ मिले। यदि आप ऐसे कारखानों में पूंजी लगाते हैं जो उत्पादक नहीं है, तब उसका क्या लाभ है?

इसलिए मेरा निवेदन है कि पहले आप निजी उधार देने वालों पर नियंत्रण करें। दूसरे आपको उद्योगों में इस प्रकार धन लगाना चाहिए जिससे समुचित नियंत्रण और संतुलन बना रहे जिससे वित्तीय संस्थाओं द्वारा लगाई गई पूंजी को समुचित संरक्षण प्राप्त हो उस संरक्षण के बिना जनता आपके यूनिटों में धन के लिए आकर्षित नहीं होगी। अतः मेरा निवेदन है कि इस बारे में तो समुचित संरक्षण दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति जी, यह जो बिल हमारे सामने रखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है। 1963 में पार्लियामेंट में जब श्री टी० टी० कृष्णामा चारी ने यह रखा था, अपने बिल को इन्ट्रोड्यूस करते समय उन्होंने कहा था :

[अनुवाद]

"संक्षेप में यूनिट ट्रस्ट की स्थापना के उद्देश्य बहुत से तथा विविध हैं, परन्तु मूलतः यह छोटे निवेश-कर्त्ताओं की बचतों का इकट्ठा करने का प्रयास है।"

[हिन्दी]

मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि इसमें जितने यूनिट होल्डर्स हैं, उनमें से कितने इन्कम टैक्स पेई हैं, कितने ऐसे लोग हैं, जिन्होंने वैल्थ टैक्स दिया है और कितने ऐसे हैं जो स्माल फारमर्स, मार्जिनल फारमर्स और वीकर सेक्शन्स आफ दि सोसाइटी हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि यह किस परपज के लिए बना था। जिन लोगों की हालत कमजोर है, वह अपना पैसा जमा कराएंगे, ऐसी इसकी मंशा थी। यहां पर तो इन्कम टैक्स को बचाने वालों ने अपना पैसा जमा कर दिया, वैल्थ टैक्स वालों ने जमा करा दिया और आप कह रहे हैं कि हमने बड़ी प्रोग्रेस की है। ज्यादा से ज्यादा 15 लाख खाते आपके हैं पूरे हिन्दुस्तान में। हिन्दुस्तान इतना बड़ा मुल्क है और उसमें केवल 15 लाख खाते हैं।

यह आपकी अपनी रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट से मालूम होता है कि आपने क्या प्रोग्रेस की है। इस रिपोर्ट में यह साफ कहा गया है कि अभी हमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करनी है।

[अनुवाद]

"बेशक यूनिट सभी महत्वपूर्ण नगरों, कस्बों तथा जिला मुख्यालयों में आम नाम हो गया है। परन्तु अभी भी इसे विस्तृत अर्द्ध नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों की आम जनता तक पहुंचने में काफी प्रयास करना पड़ेगा। अतः आने वाले वर्षों में इस ट्रस्ट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य इन क्षेत्रों में भी यूनिटों को लोकप्रिय बनाना होगा।"

[हिन्दी]

यह 1983-84 की रिपोर्ट है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपकी रिपोर्ट इस सदन में पेश नहीं होती है। मुझे आप बताएं कि क्या यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया ऐक्ट में यह प्रोविजन है कि हर साल उसकी रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। अब इस ऐक्ट में एमेंडमेंट लाने के बाद भी हमारे मंत्री महोदय ने वह क्लाज नहीं रखी कि हर साल की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाएगी। मुझे आप बताएं कि यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया ऐक्ट, 1963 के बाद उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने के लिए कोई मेंडेटरी प्रोविजन है। जनता का इसमें रुपया लगा हुआ है और उसका क्या स्काउन्ट है, इसका हमें पता नहीं। आप कहते हैं कि 20 साल में हमने बहुत प्रोग्रेस की है। इन्कम टैक्स बचाने वालों ने इसमें पैसा जमा किया और वैल्थ टैक्स बचाने वालों ने इसमें पैसा जमा किया है। इसका जो उद्देश्य श्री कृष्णामाचारी ने रखा था, वह यह था कि जो स्माल इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे-छोटे फारमर्स हैं और मार्जिनल फारमर्स हैं, वे इसमें पैसा लगाएंगे। यहीं नहीं, जो बिजनैस स्टैन्डर्ड पेपर है 25 दिसम्बर, 1984 का, उसके अन्दर यह निकला है :

[अनुवाद]

25 दिसम्बर, 1984 के '**बिजनेस स्टैंडर्ड**' में छपा था :

"अभी तक भारतीय यूनिट ट्रस्ट को ग्रामीण क्षेत्रों में सफलता नहीं मिल पायी है तथा यह नये समृद्ध वर्ग तथा छोटे किसानों के धन को आकर्षित नहीं कर पाया है।"

[हिन्दी]

मेरे यहां बड़े-बड़े दोस्त हैं। महाजन साहब ने कहा कि इसने बीस साल में बहुत प्रोग्रेस कर ली है। मंत्री जी ने भी एक बड़ी अच्छी रकम बता दी। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कौन स्माल फार्मर्स आपके यहां आते हैं? आपके चाहे 14 सौ या 15 सौ एजेन्ट हैं, हिन्दुस्तान में इनके आपके पास आने का तरीका क्या है?

मैंने जब इसकी रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे मालूम हुआ कि यह रुपया कहां जाता है। आपकी इस संस्था में सारे बड़े-बड़े आफिसर एक्स आफिशियो हैं। वे ही इसके कस्टोडियन हैं। इसमें कोई पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव नहीं है, कोई यूनिट होल्डर्स की तरफ से प्रतिनिधि नहीं है। आज हम जनता के प्रतिनिधियों में विश्वास करते हैं लेकिन कोई भी जनता का प्रतिनिधि इसमें नहीं है। न इसमें इन्वेस्टर्स की तरफ से और न छोटे फार्मर्स की तरफ से प्रतिनिधि है।

इसकी मनी का उपयोग कैसे किया जाता है? यह आप रिपोर्ट देखिये। इसमें फोटो दिये गये हैं। ये सारे बड़े-बड़े आफिसर के फोटो हैं। सारे बड़े सुन्दर और चमकीले फोटो हैं। इनमें कोई ऐसा नहीं है जो जनता का प्रतिनिधित्व करता हो। कितना शानदार कागज है। इस पर हजारों रुपया खर्च किया गया होगा। इसको जो खर्चा होता है उसका जनता को कुछ भी मालूम नहीं है।

जब आप इस बिल का अमेंडमेंट करने जा रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि इसमें कौन-कौन डाइरेक्टर्स बनने चाहिए जो कि जनता का प्रतिनिधित्व कर सकें। इसमें सारे के सारे सरकार के ही अफसर हैं। आपको यह भी देखना चाहिए कि यह संस्था सरकारी हाथों में ही न चली जाए।

मेरे पास समय नहीं है, नहीं मैं आपको बताता कि किस प्रकार से ये संस्थाएं बनती हैं और बनने के बाद क्या होता है। ऐसी संस्थाओं का बड़े-बड़े पैसे वालों के पास धन लोन के रूप में चला जाता है। महाजन साहब अभी कह रहे थे कि यह और ज्यादा इन्वेस्टमैंट करेंगे। क्या आपने यह देखा है कि इनका इन्वेस्टमैंट करने का तरीका क्या है? क्या इसके बारे में आपने सोचा है? सभापति जी आप तो इस बारे में काफी जानकर हैं और अपने यह रिपोर्ट भी देखी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने कितना धन बट्टेखाते में डाल दिया है।

[अनुवाद]

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का 20 वांवार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1983-84 पृष्ठ—39 (अंग्रेजी)

"इस वर्ष के दौरान ट्रस्ट ने 0.17 करोड़ रुपए की पूंजी (जिसका संबंध 9 कम्पनियों से है) को बट्टे खाते में डाला जबकि पूर्व वर्ष में यह राशि 120 करोड़ रुपए थी (32 कंम्पनियों से संबंधित)"

[हिन्दी]

उन कम्पनियों को धन दिया गया जहां कि वह डूब गया। 1982-83 में 232 कम्पनीज को धन दिया गया। उसका कुछ पता नहीं है। उसकी कोई रिकवरी नहीं कर सके। इन्होंने कह दिया कि हम रिकवरी नहीं कर सकते। इनके पास पैसा जमा हो जाता है लेकिन

बहुत-सी मनी इनके पास अनकलेम्ड रह जाती है। एल० आई० सी० के पास भी अनकलेम्ड मनी रह जाती है। ये इतने सारे अफसर इसमें बैठे हुए हैं इनको मालूम नहीं है कि यह देश की पूंजी है, देश का पैसा है। इसमें जन-प्रतिनिधियों का कोई हाथ नहीं होने से सब होता है। इस अनकलेम्ड अमाउंट के लिए कौन दोषी है ?

[अनुवाद]

यह यूनिटधारकों का शीघ्र सेवा है।

[हिन्दी]

हमको लगा कि यह प्राम्पट सर्विस क्या होती है। क्या यही प्राम्पट सर्विस होती है कि आपके यहां अनकलेम्ड मनी रह जाए और लोग उसको रिकवर नहीं कर सकें ? यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एनुअल रिपोर्ट देखने से हमको जानकारी मिली, अगर यह रिपोर्ट हर साल सदन में रखी जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। एक साल की रिपोर्ट मिली है, नई रिपोर्ट तो अभी आएगी लेकिन पिछले साल की रिपोर्ट में बताया है—

[अनुवाद]

लगभग 219.79 लाख रुपए की बिना दावा की गई वितरित आय।

[हिन्दी]

यह अनकलेम्ड है। एल० आई० सी० में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट देहातों तक नहीं पहुंचा, शहरों तक सीमित हो गया। यह समाजवादी समाज और कल्याणकारी राज्य है, यहां कुछ पूंजीपतियों के लिए हमको संस्थाएं नहीं खड़ी करनी हैं। हमारा यह लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हम लोग पूंजीपतियों के लिए संस्थाएं खड़ी कर दें, पैसा खड़ा कर दें और उनको दे दें। आप कहते हैं कि प्रांप्ट सर्विस है, जब प्रांप्ट सर्विस है तो फिर अनक्लेम्ड कैसे रह गया, मैं पूछना चाहता हूं कि यह अनक्लेम्ड अकाउन्ट कैसे हो सकता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के बारे में भी सरकार ने कानून बनाया है कि अगर कोई दूसरा उसको एन्कैश करा जाता है तो सही व्यक्ति को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। आप बताइए कि यूनिट किसी ने खो दिया तो उसका क्या तरीका है, उसका प्रावीजन बताइए। जब मैंने प्रावीजन पढ़ा तो मालूम हुआ कि इनकी आडिट रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट सदन पर रखने का प्रावधान किया गया है। अब रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं। श्री जनार्दन पुजारी जी ने अमेंडमेंट कर दिया है कि रेगुलेशन सदन की मेज पर रखे जाएंगे, क्या यह बात आपको आज मालूम हुई ?

[अनुवाद]

नौकरशाही हमारे अधिकारों का अतिक्रमण करती है। समिति यह सिफारिश करती आई है कि तैयार किये गये नियमों को अवश्य ही सभा पटल पर रखा जाये, परन्तु वे समिति की सिफारिशों की परवाह नहीं करते।

[हिन्दी]

सबसे पहले यह रेगुलेशन 1958 में किया, लेकिन वह खत्म हो गया, उसके बाद···

[अनुवाद]

"इस विषय में समिति अपनी सिफारिश को दोहराती है तथा चाहती है कि नियम तथा विनिमय सभा-पटल पर रखे जायें।"

आज आया है कि रेगुलेशन, ऐक्ट के जो रेगुलेशन बनाएंगे वे सदन की मेज पर रखे जाएंगे। सदन के जो पावर्स हैं वे तो ब्यूरोक्रट्स ने पहले ही ले लिए और आज तक रेगुलेशन नहीं दिए। आप बहुत खुश हो रहे हैं कि रेगुलेशन रखे जाएंगे। हम पूछते हैं कि बड़े-बड़े अफसरों ने यह नहीं सोचा कि 1963 के अन्दर कानून बना और उसके बाद पार्लियामेंट की कमेटियों ने और पार्लियामेंट ने बार-बार कहा कि रेगुलेशन रखने चाहिए।

[अनुवाद]

अधिनियम के अन्तर्गत तैयार किये गये नियम तथा विनियम संसद के सभा पटलों पर रखे जायें।

[हिन्दी]

तो इतने दिनों तक जो रेगुनेशन बन गए वे अब रखे जाएंगे। न एनुअल रिपोर्ट न आडिट रिपोर्ट।

तो मेरा परपज यह था कि जो कुछ भी आपको ऐक्ट के अन्दर करना चाहिए था वह आप जरूर करिए जिससे स्माल इंडस्ट्रीज को फायदा हो सके। मैंने सजेशन दिया था कि आजकल देश में मकानों की कमी है, जो लोग मकान बनाना चाहते हैं उनको लोन दिया जाए। जो साइंटिस्ट हैं और कोई खोज करना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनको लोन दिया जाए ताकि उनको बाहर न जाना पड़े। वेंचर कंपनियों को लोन दीजिए, लेकिन आप किसको लोन दे रहे हैं? यूनिट ट्रस्ट जब बनाया गया था तो श्री कृष्णामाचारी ने कहा था कि छोटे-छोटे फारमर्स को लाभ होगा। जो-जो बातें मैंने पूछी हैं, मुझे उम्मीद है पुजारी जी उनका उत्तर देंगे। बड़े लम्बे भाषण दिए जा रहे हैं कि इतना रुपया इकट्ठा हो रहा है और इन्कम टैक्स बचाने के लिए लोग इतना रुपया जमा कराते हैं। सन् 63 में कानून बना, उसके बीस साल बाद अमेंडमेंट अगर रहे हैं। हम लोगों का स्वभाव है कि कानून जल्दी से पास कर देते हैं। बीस साल पहले जो भावना थी, वह भी पूरी नहीं हो सकी और न ही गावों तक पहुंच पाए। मैं यह कहना चाहूंगा कि ट्रस्टीज में कोई भी जन-प्रतिनिधि नहीं है। सैक्रेटरीज, ज्वायंट सेक्रेटरीज या दूसरे बड़े-बड़े अधिकारी इसमें हैं। कोई साधारण आदमी नहीं है। समझ में नहीं आता कि कैसे वाच करते हैं। एमरजेंसी डिसीजन जो भी बोर्ड ले, वह बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए। इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्री विजय कुमार यादव . (नालन्दा) : सभापति जी, मूल चन्द डागा साहब ने जिन भावनाओं को व्यक्त किया है, मैं समझता हूं वह सही पर्सपेक्टिव में की हैं। शासक दल का सदस्य होते हुए भी जिन बातों की चर्चा उन्होंने की है, वह काफी उपयुक्त हैं और समय के मुताबिक हैं। मैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में जाना है। इसमें कुछ उद्देश्यों की चर्चा की गई है। जिस समय यह कानून बना था और आज जो एम्स एंड आवजेक्टिव्ज बताए जा रहे हैं, मैं समझता हूं, ठीक उसके बिपरीत है, क्योंकि छोटी बचत करने

वालों के संरक्षण के लिए और उनके पैसे जमा करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया था। आज इस बिल के जरिए विदेशों से जो पैसा अगर उसको जमा करने की बात और फिर देश के अन्दर गांव में जाने की बात की जा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो उद्देश्य था, उसके विपरीत ही काम हुआ है। अभी जो डिपाजिट आते हैं, उसके कई सिस्टम हैं। बैंकों के जरिए, पोस्ट आफिस के जरिए या यूनिट ट्रस्ट के जरिए तथा अन्य साधनों के जरिए पैसा डिपाजिट होता है। मेरी अपनी समझ यह है कि इस तरह के जो डिपाजिट हैं उसमें प्राईवेट सैक्टर का हाथ नहीं होना चाहिए, पूरी पाबन्दी लगनी चाहिए। हम लोगों के सामने कई उदाहरण मौजूद हैं। बंगाल में संचयिता नाम की फर्म द्वारा चिट-फण्ड कांड हुआ था। इसी तरह की एक फर्म पियरलैन भी काम कर रही है। इस कार्य में हमारे देश में जितनी एजेन्सियां लगी हैं और जिनके जरिए गरीब और साधारण आमदनी वाले लोगों का बड़े पैमाने पर शोषण होता है. उनके जमा पैसे के साथ बंगलिंग की जाती है, इन बातों को रोकने के लिए तथा इस तरह के जो बाकी क्षेत्र बच जाते हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा पैसा आ सके, और पैसा आने का यही जरिया रहे, जिससे देश के विकास और उन्नति में हम लोग लग सकें, इसके लिए जरूरी है कि इसके अन्दर जितना प्राइवेट सैक्टर आता है, उस पर बैन लगाया जाए। उनको इस तरह के डिपौजिट्स लेने का कोई हक नहीं दिया जाना चाहिए।

जहां तक जमा पैसों के इस्तेमाल का सम्बन्ध है, इस विषय पर पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है और रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है कि बैंकवर्ड एरियाज पर इस पैसे का प्रयोग होता है, परन्तु वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जाता। हमारे देश का विकास बहुत ही असुन्तलित ढंग से किया जा रहा है। कई राज्यों में बहुत से इलाके से काफी पिछड़े हुए हैं। इसमें जमा पैसे का उपयोग देश के संतुलित विकास में किया जा सके, तमाम राज्यों के पिछड़े इलाकों का विकास हो सके, इस ओर हमें आवश्यक कदम उठाने चाहिएं। पिछड़े राज्यों, पिछड़े इलाकों के विकास पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। चौतरफा विकास के लिए इसमें पैसे का इन्वैंस्टमैंट किया जाना चाहिए।

मंत्री जी ने शुरू-शुरू में कहा है, जिस समय वे प्रस्ताव को प्रस्तुत कर रहे थे कि इसमें जमा पैसे का 87 परसैंट भाग स्माल इन्वैस्टर्स की ओर से जमा किया गया है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका जिस तरह से खर्चा हो रहा है, हमारे देश की आबादी का बहुत बड़ा भाग आज पिछड़ा हुआ है, उनके सामने कई तरह की समस्याएं हैं, उनके विकास पर जमा राशि का 87 प्रतिशत भाग व्यय नहीं किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि इस जमा पैसे का उपयोग देश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। हमारे सामने सिर्फ यही उद्देश्य न रहे कि यूनिट ट्रस्ट को कैसे मैक्सिमम प्रौफिट हो, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि देश के उत्पादन को बढ़ाया जाए, कृषि का विकास हो, बिजली का विस्तार हो और खास तौर पर ग्रामीण विद्युत परियोजनाएं बड़े पैमाने पर चालू की जाएं, लघु सिंचाई का विकास हो, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का विकास हो, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा मैडिकल सुविधायें पहुंचाई जाएं, लोगों की पेयजल सम्बन्धी दिक्कतों को दूर किया जाए, बेरोजगारी दूर करने की योजनाओं पर अधिक से अधिक व्यय किया जाए, इस तरह की योजनाओं पर इस पैसे का उपयोग होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं क्योंकि मैंने एक मीटिंग में जाना है।

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : यदि आप विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन पर

ध्यान दें, तो आप पायेंगे कि विधेयक का प्रमुख उद्देश्य ट्रस्ट के व्यवसाय को व्यापक बनाना है ताकि ट्रस्ट, जनता से एकत्र किए गए धन को भारत में तथा भारत के बाहर अधिक उत्पादक माध्यमों में लगा सके···

प्रो० एन० जी० रंगा : भारत के बाहर भी ?

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : जी हां, भारत के बाहर भी।

अधिनियम की धारा 19(1) को पूरी तरह नई धारा 19(1) द्वारा बदल दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मूलतः इस विधेयक का उद्देश्य सभी छोटी बचतों को प्राप्त करना तथा उन्हें उत्पादक कार्यों पर लगाना था। वास्तव में यह बात साफ नहीं की गई कि धारा 19 के सिद्धान्तों को उलट दिया गया है। मैं इस समय मूल अधिनियम की धारा 19 को पढ़ूंगा। इसमें स्पष्ट रूप से अचल सम्पत्ति में पूंजी नियोजन की मनाही की गई थी।

ट्रस्ट किसी अचल सम्पत्ति, सिवाय अपने व्यक्तिगत उपयोग के, न लीज़ पर लेगी, न खरीदेगी, न अर्पित करेगी न ही इसमें कोई हित रखेगी।

धारा 19 में विशेष तौर पर ट्रस्ट पर अचल सम्पत्ति अथवा उसमें किसी हित को अधिग्रहण करने पर रोक लगाई गई है, सिवाय उनके जो उनके अपने उपयोग के लिए हों, उस सिद्धान्त को क्यों त्याग दिया गया है और यूनिट ट्रस्ट अब भू-सम्पदा में व्यवसाय क्यों करना चाहता है, इसका उल्लेख नहीं किया गया।

वर्तमान धारा 19 के अन्तर्गत ट्रस्ट जो कुछ कर सकता है, वह इस प्रकार है :

> "(9) किसी स्थावर सम्पत्ति या उसमें किसी हित का अर्जन का करने, ऐसी सम्पत्ति का विकास (जिसके अन्तर्गत सन्निर्माण हैं) और विक्रय करना तथा किसी व्यक्ति को किसी स्थावर सम्पत्ति या उसमें किसी हित का अर्जन करने के लिए ऐसी सम्पत्ति के विकास (जिसके अन्तर्गत सन्निर्माण है) के लिए वित्तीय या अन्य सहायता देना।"

अब इनके द्वारा न केवल ट्रस्ट को अचल सम्पत्ति अधिगृहीत करने, भू-सम्पदा में व्यवसाय करने की शक्ति दी गई है बल्कि अचल सम्पत्ति का व्यवसाय करने और व्यवसाय करने वालों को प्रोत्साहन देने की शक्ति प्रदान की गई है। इससे भी बढ़कर धारा 14(क) चेयरमैन को बोर्ड की ओर से कार्यवाही करने का अधिकार प्रदान करती है। यदि चेयरमैन किसी भू-सम्पदा को अधिगृहीत करना चाहता है, अथवा भू-सम्पदा अधिग्रहण करने वाले किसी व्यक्ति को धन देना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। धारा 19 के द्वारा व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय की कोई सीमा नहीं है और इससे भी बढ़कर चेयरमैन को बोर्ड की ओर से कार्य करने की शक्ति दी गई है। इस प्रकार चेयरमैन सर्वे-सर्वा बन जाता है। वह जहां भी चाहे और जितना भी चाहे धन निवेश कर सकता है, क्योंकि बोर्ड की व्यापार गतिविधियों को बढ़ा दिया गया है। जो भी हो यूनिट ट्रस्ट की गतिविधियों पर किसी प्रकार की सीमा नहीं है और अब चेयरमैन को बोर्ड की ओर से कार्य करने का अधिकार दिया गया है।

आप इन सभी बातों को एक करके पढ़िये और आप देखेंगे कि चेयरमैन को अब क्या शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। मान लो कि वह किसी विशेष व्यापारी को 4 से 5 करोड़ रुपये तक देना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह बोर्ड की ओर से कार्य कर सकता है फिर

चाहे यह किसी थियेटर या पांचतारा होटल के निर्माण के लिए ही क्यों न हो। आपने उद्देश्यों और कारणों के कथन में जो प्रयोजन दिया है वह कैसे प्राप्त होगा।

निस्सन्देह, मन्त्री महोदय ने आम आदमी, विशेषकर कमजोर वर्गों के हित में बड़ा वचन दिया है। श्री पुजारी हमेशा यही कहते रहते हैं कि उनका हृदय कमजोर वर्गों के साथ है और वित्तीय संस्थाओं को, विशेषकर राष्ट्रीयकृत बैंकों को उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए परन्तु यदि विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए गए निवेशों के गंभीरतापूर्वक किए गए विश्लेषण पर विचार किया जाए तो आप पायेंगे कि इन सभी वित्तीय संस्थाओं का ऋण 200 बड़े औद्योगिक घरानों ने छीन रखा है। उनको पहले स्थान मिलता है। उसके बाद आते हैं लगभग 4,000 वे उद्यमी जो अपनी एक भी पाई लगाए बिना उद्योगों को चलाने के लिए वित्तीय संस्थाओं से लाभ उठाने की कला में निपुण हैं। अब भारत में यह एक कला बन गई है कि अपनी जेब से कुछ भी पैसा खर्च किए बिना उद्योगों को किस प्रकार चलाया जाए या किस प्रकार नए उद्योग खड़े किए जाएं। सब कार्य संस्थाओं के वित्त से होता है और वह बड़ा उद्योगपति बन जाता है। सभी वित्तीय संस्थाएं उन्हीं लोगों की सहायता कर रही हैं जो नगर-दर-नगर विमानों में घूमते हैं और पांचतारा होटलों को छोड़कर और कहीं नहीं ठहरते हैं। यह सब मन्त्री महोदय के वक्तव्य के बावजूद हो रहा है। निस्सन्देह, सभी संस्थाओं से 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत अथवा 20 प्रतिशत सहायता कमजोर वर्गों को दिये जाने की बात कही जाती है। सभी बैंकिंग संस्थाओं और सभी वित्तीय संस्थाओं के आंकड़े प्रकाशित किए जाएं और यहां तक कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के भी तो, हम पायेंगे कि भारत में वित्तीय संस्थाओं का 80 प्रतिशत ऋण सबसे बड़े पूंजीपति और समृद्ध वर्ग ले जाते हैं, न कि कोई आम आदमी।

महोदय, अब यह विधेयक भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष के लिए यह काम आसान करने जा रहा है कि वह जिस ढंग से भी चाहें निवेश करें, क्योंकि भारतीय यूनिट ट्रस्ट के व्यावसायिक कार्यकलापों पर कोई सीमा नहीं लगती है। मैं उन मुद्दों को दोहराना नहीं चाहता हूं, जिनको दूसरे मित्र यहां पहले ही उठा चुके हैं।

इसके बाद अगला महत्वपूर्ण खण्ड है 19-ख। जहां तक खण्ड 19-ख का प्रश्न है यह एक बहुत ही विशिष्ट धारा है, जिसे पहली बार लाया गया है, अर्थात्, यह उस प्रक्रिया के सम्बन्ध में है जिसे भारतीय यूनिट ट्रस्ट किसी कम्पनी या किसी अदायगी न करने वाली करार करने वाली पार्टी से देय राशि को वसूल करने के लिए अपना सकता है। जहां तक भारतीय यूनिट ट्रस्ट का सम्बन्ध है, एक विशेष उपबन्ध रखा गया है। इस विशेष उपबन्ध के अधीन वे न्यायालय अर्थात उच्च न्यायालय में जा सकते हैं और यह कहते हुए एक आवेदन-पत्र दे सकते हैं कि हमारी अमुक राशि उस पर बकाया है और आप अन्तरिम आदेश देने या सीधे ही प्रबन्धकों को अपने हाथ में लेने की मांग कर सकते हैं। न्यायालय का कोई विवेक नहीं होता है। उसे तो मजबूर किया जाता है और अन्तरिम आदेश देना या वह आदेश देना जो इसे एकदम सीधे ही चाहिए, न्यायालय के लिए अनिवार्य होता है। उसके पश्चात् नोटिस कम्पनी की सम्बन्धित संस्थान को जाता है और वह आकर कारण बताओ नोटिस दाखिल कर सकता है और केवल तभी न्यायालय इसमें संशोधन कर सकता है। उसके पश्चात उच्चतम न्यायालय को केवल एक अपील ही की जा सकती है क्योंकि मूल क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय का ही है। यह एक नयी प्रक्रिया है जिसका इस विधेयक में समावेश किया गया है। पहले किसी भी अन्य विधेयक में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी। अब जहां

तक वित्तीय सस्थाओं का सम्बन्ध है, हम बैंक पर ही विचार करते हैं। बैंक को न्यायालय में जाना पड़ेगा, अर्थात धन सम्बन्धी क्षेत्राधिकार के अनुसार किसी अधीनस्थ न्यायालय या मुन्सिफ कोर्ट में जाना पड़ेगा और मुकदमा दायर करके फिर अन्तरिम आदेश की मांग या सम्पत्तियों के प्रबन्धक हेतु 'रिसीवर' की नियुक्ति करने के लिए आवेदन करना पड़ेगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कोई बैंक आजकल अपनाने का अधिकारी है। जहां तक भारतीय यूनिट ट्रस्ट का सम्बन्ध है, आप विशेष उपबन्ध क्यों चाहते हैं ? अत: सभी वित्तीय संस्थाओं पर यही उपबंध लागू करिए। बैंकों के लिए एक प्रकार के प्रक्रियात्मक अधिकार हैं और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के लिए दूसरे प्रकार के। जहां तक उन वित्तीय निगमों का सम्बन्ध है जो राज्य वित्तीय निगमों के अधीन गठित किए जाते हैं, उनके लिए एक भिन्न प्रकार की प्रक्रिया रखी गई है। इसका अर्थ है कि वे जाकर जिला कलक्टर के यहां आवेदन कर सकते हैं और यह आदेश प्राप्त कर सकते हैं कि देय राशियों को भू-राजस्व का बकाया माना जाए। वे भू-राजस्व बकाया राशि को वसूल करने के अधिकारी हैं। जहां तक वित्तीय राज्य निगमों का सम्बन्ध है, उनकी एकदम भिन्न प्रकार की प्रक्रिया है। आखिर क्यों ? इसका मतलब यह हुआ कि वे उनको देय राशियों को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कर सकते है। बैंकों से कहा जाता है कि वे अदालत में जाकर मुकदमा दायर करें और आदेश प्राप्त करें या रिसीवर का भुगतान प्राप्त करें। जबकि भारतीय यूनिट ट्रस्ट में अलग ही प्रक्रिया है। वह सीधे ही उच्च न्यायालय में जाकर आवेदन कर सकता है।

अब उच्च न्यायालय में जाने का उपबन्ध सिविल प्रक्रिया संहिता के विरुद्ध है। किसी भी व्यक्ति ने अन्तरिम आदेश की या मुकदमा दायर किए बिना प्रबन्धकों को बदलने की मांग नहीं की है। परन्तु दुर्भाग्य से इस खण्ड 1९-ख का उपबन्ध करते समय यह नहीं कहा गया है "सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन रखी गई किसी बात के होते हुए"। उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों को उस सीमा तक नजरअंदाज कर दिया जाता है जिस सीमा तक उसका अधिनियम में उपबन्ध किया गया है। इसीलिए मैंने संशोधनों की सूचना दी है।

जहां तक सभी वित्तीय संस्थाओं का सम्बन्ध है, उन्हें एक समान और स्वीकृत प्रक्रिया अपनानी चाहिए। कुछ भी हो यह सभी सरकारी धन है, चाहे यह राष्ट्रीयकृत बैंक हो या राज्य वित्त निगम हो या फिर भारतीय यूनिट ट्रस्ट हो, आदि। उनको देय राशियों की वसूली के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं नहीं अपनानी चाहिए। इन सभी बातों से भ्रम पैदा होता है और मैं नहीं जानता कि खण्ड 19-ख का क्यों समावेश किया गया है, जो कि इसमें पहले कतई नहीं था।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सभापति महोदय, मैं आरंभ में ही उन सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है। वास्तव में, सभी माननीय सदस्यों ने, विशेषकर विपक्ष के सदस्यों ने बड़े ही रचनात्मक सुझाए दिये हैं। इन सभी का स्वागत है, क्योंकि यह अन्ततः राष्ट्रीय हित में है। सच तो यह है कि इन विधानों में किसी प्रकार की कमी के बारे में सरकार को बताना सभा का कर्त्तव्य है।

कुछ माननीय सदस्यों ने, विशेषकर श्री डागा ने, एक बात उठाई है, जो कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट की भूमिका और निवेशकों के स्वरूप के बारे में है चाहे वे छोटे निवेशक हैं, चाहे वे सीमांत किसान हैं, चाहे वे गरीब लोग हैं, चाहे वे अमीर लोग नहीं हैं, आदि। सभा की सूचनार्थ मैं निवेदन करूंगा कि 17 लाख निवेशकों में से 87 प्रतिशत छोटे दर्जे के हैं और उनका निवेश 10,000 रुपये से अधिक नहीं है उससे कम ही है। इन 87 प्रतिशत में भी 70 प्रतिशत वे छोटे

निवेशक हैं, जिनका निवेश 5,000 रुपये से अधिक नहीं है, कुल निवेशकों से 13 प्रतिशत का निवेश 10,000 रुपये से अधिक है।

अब, क्या छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करना सरकार का कर्त्तव्य नहीं है ? ये वे लोग जिन्होंने धन निवेश किया है। अतः भारतीय यूनिट ट्रस्ट को जो भूमिका निभानी है, उसकी मूल भूमिका, जो पूंजी बाजार में एक निवेशक रूप में निभानी है, सर्वोपरि रहेगी। ये छोटे निवेशक लोग पूंजी बाजार को नहीं जानते हैं, और यदि वे पूंजी बाजार में जाते हैं तो वे इस स्थिति में नहीं हैं कि वे वहां निवेश कर सकें और इसीलिए इस निकाय को गठित किया गया है और इसका मुख्य लक्ष्य है जोखिम को कम-से-कम करना। और अब तक क्या जोखिम उठाना पड़ा है ?

अब प्रश्न यह है कि क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने अपनी भूमिका निभाई है। अपने प्रस्ताव को विचार के लिए पेश करते समय, मैंने भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कार्य से सम्बन्धित आंकड़े दिए थे। माननीय सदस्यों के लाभार्थ दोहराने के दोष सहित मैं यह बताना चाहूंगा कि 1964-65 के वर्ष में इस निकाय की स्थापना करते समय निवेशीय संसाधन 25 करोड़ रुपये के लगभग थे और आज हमने संसाधन 2200 करोड़ रुपये तक जुटाने हैं। इससे जो आय हुई है उसके बारे में मैं सही आंकड़े बाद में दूंगा क्योंकि मेरे पास इस समय कागजात नहीं हैं।

श्री डागा जी ने यह बात कही है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट के प्रतिवेदन को संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है और नियमों तथा विनियमों को सभा पटल पर रखने के लिए भी पर्याप्त उपबन्ध नहीं किया गया है। महोदय, यहां पर मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस निकाय में भारत सरकार का धन नहीं लगा है। बजट सम्बन्धी आबंटन से कोई प्रावधान नहीं किया गया है और सरकार को कोई लाभांश नहीं दिया जाता है। जहां तक प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। अतः, अभी तक इसे सभा के समक्ष रखे जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। अब यदि संसद चाहती है या संसद हमें निदेश देती है तो हमें इसे सभा के समक्ष रखने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : यह जनता का रुपया है।

श्री जनार्दन पुजारी : इसीलिए तो माननीय सदस्य, जिन्हें भारी अनुभव है, से मैं यह कहना चाहता हूं कि वह मेरे कक्ष में आएं और मामले पर चर्चा करें। मैंने तथ्य आपके समक्ष रख दिये हैं और मैं आपके साथ इस पर चर्चा कर सकता हूं और आप भी अपने अनुभव से मुझे लाभान्वित कर सकते हैं। इसके लिए कोई रोक नहीं है। यदि कोई कमी है तो हम उसे दूर कर सकते हैं। जैसी कि आज प्रक्रिया है, कि यह भारत सरकार के धन से पोषित नहीं हैं और चूंकि यह सरकार को कोई लाभांश नहीं देता है और इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करना पड़ता है तो हमें प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि माननीय सदस्य इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं तो मैं उनके साथ चर्चा करने को तैयार हूं तथा वह हमें बता सकते हैं कि हम बेहतर कार्य कैसे कर सकते हैं। इस पर कोई रोक नहीं है और यह मेरा प्रथम अनुरोध है। मैं यह भी महसूस करता हूं कि हमारे लिए यह अच्छा होगा कि हम इस पद की कटु आलोचना न करें। कुछ भी हो, हम सभी जिम्मेवार सदस्य हैं और यदि कोई कमी है तो हम उनका भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। सभापति के रूप में माननीय सदस्य को गहरा अनुभव है और हमें निश्चित

रूप से उनके अनुभव का लाभ मिला है । मुझे इसमें स्वयं रुचि है और मैं डागा जी द्वारा दिये गये सुझाव को ध्यान में रखूंगा जो कि इस सभा के अनुभवी एवं वरिष्ठ सांसद हैं ।

महोदय, इस प्रणाली में पायी जाने वाली प्रतिस्पर्धा और धन के जुटाने की भी आलोचना हुई है। इसमें प्रतिस्पर्धा है। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे यहां अल्प बचतें भी हैं, जीवन बीमा निगम है और अन्य अल्प बचत जुटाने वाली संस्थायें भी हैं । बैंक भी किसी और उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं । इन सब बातों के साथ भारतीय यूनिट ट्रस्ट 25 करोड़ रुपये की अल्प राशि से आरम्भ करके 2210 करोड़ रुपये एकत्र कर सकता था। यह सारी राशि लघु निवेशकों से प्राप्त होती है। माननीय सदस्यों के लाभ के लिए मैं कह सकता हूं कि यह एक ऐसी संस्था है जो 14 प्रतिशत से भी अधिक लाभांश देता है। कुछ लोग इस बात को भी नहीं जानते हैं। अब मेरा विचार है कि यह अन्य संस्थाओं से अच्छी बचत व्यवस्था है । और मेरा विचार यह भी है कि इसे सुदृढ़ बनाना हम सबका कर्तव्य है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि यह एक ऐसी संस्था है जिसने बेहतर ढंग से कार्य किया है । अत: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि ऐसी संस्था की आलोचना न करें जिसने अच्छा कार्य किया है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि चेयरमैन को अधिक अधिकार दिए गए हैं और वह एक विशेष सीमा तक बोर्ड के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं । यह सच नहीं है । यहां उस सम्बन्ध में भी एक संशोधन है, वह, यह कि चेयरमैन द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय की तीन महीने के अन्दर-अन्दर पुष्टि होनी चाहिए। माननीय सदस्यों की सूचना के लिए मैं यहां यह भी कह सकता हूं कि केवल आवश्यकता पड़ने पर वह बोर्ड के सम्मुख जिम्मेदार है। वह निर्णय ले सकता है। दो महीनों में एक बार बोर्ड की एक बैठक होगी और बोर्ड से इसकी स्वीकृति लेनी होगी । इस सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकती हैं। वह आशंका भी नहीं रहेगी। अतः मेरा विचार है कि उस प्रकार की आशंका भी तर्कसंगत नहीं है।

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम) : यदि वह बात है तो चेयरमैन को आपातकालिक अधिकार देने की क्या आवश्यकता है ?

श्री जनार्दन पुजारी : विशेष मामलों में जब कोई निर्णय लिया जाना है और जब यह सामान्य निर्णय नहीं है, जब आवश्यकता पड़ती है तो वह निर्णय लेने के सक्षम हो। यह एक समर्थकारी उपबंध है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह प्रतिदिन एक निर्णय ले ले और अनुमोदन के लिए बोर्ड में जाए। ऐसी बात नहीं है। वह केवल उस समय बोर्ड के पास जाएगा जब इसकी आवश्यकता होगी और अत्यन्त आवश्यक होगा और किसी प्रकार का संकट है और निर्णय लेने की आवश्यकता है।

अब निवेश के संबंध में। एक मुद्दा यह उठाया गया है कि हम आवास के लिए ही धन उपलब्ध क्यों कराएं, अन्य अनुत्पादिक निवेश के लिए क्यों न कराएं ? देश में एक राय यह है कि जब हम आवास की बात करते हैं, तो लोग समझते हैं कि यह एक अनुत्पादन निवेश है। यहां तक कि बैंकिंग क्षेत्र का भी यही मत है। और मैं यह बात माननीय सदस्यों के विचार के लिए उसके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे समक्ष आवास की गम्भीर समस्या है। जब एक मकान का निर्माण किया जाता है, इंटों की आवश्यकता पड़ती है, बढ़ईगिरी की आवश्यकता पड़ती है, फर्नीचर की आवश्यकता पड़ती है, सीमेंट तथा कई अन्य उपकरणों की आवश्यकता

पड़ती है । इससे रोजगार भी उत्पन्न होता है । जैसा कि आप जानते हैं कि किसी गांव में यदि मकान बनाया जाना है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इससे कोई आय अथवा रोजगार के अवसर नहीं पैदा नहीं होते हैं । जब मैं इस मुद्दे को सामने लाता हूं, लोग कहते हैं कि यह . उनकी मांग है । यह उत्पादक उद्देश्यों के लिए नहीं है । मैं इन विचारों को कतई स्वीकार नहीं करता हूं । आदरपूर्वक मैं यह महसूस करता हूं कि रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं । हमें इस संबंध में भी विचार करना है और हम केवल एक समय यह नहीं कहते कि कोई आवास सुविधा नहीं है और लोग आवास के बिना हैं । यह हमारा कर्त्तव्य है और यह भारत सरकार का कर्त्तव्य है कि इस दिशा में विचार किया जाए । इसके विपरीत, मैं समझता हूं कि यह हमारा कर्त्तव्य है—मैं पूरी तरह उन सुझावों से सहमत हूं जो यहां दिये गए हैं—हमें उत्पादक उद्देश्यों के लिए कार्य करना चाहिए और यह केवल एक कल्याणकारी उपाय ही नहीं है किन्तु, इसे रोजगार उत्पन्न करने वाला भी माना जाता है । मैं तो यह कहूंगा कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट को इस उद्देश्य के लिए और लोगों को आवासी सुविधा उपलब्ध करने के लिए आगे आना चाहिए ।

अब अधिक निवेश करने के लिए केन्द्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हम केवल बड़े उद्योगों में पूंजी लगाते थे । हां, आप ने 750 कंपनियों में पूंजी लगाई है, किन्तु हमने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी पूंजी लगाई है । किन्तु वहां भी हम शेयरों में पूंजी नहीं लगा सके । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हम केवल ऋणपत्र ले सकते हैं । उनका स्वामित्व भारत सरकार के हाथ में है । शेयरों में किसी व्यक्ति के स्वामित्व की व्यवस्था नहीं है । उसमें भी हमारी पूंजी ऋणपत्र के रूप में है । हमने वहां भी कुछ पूंजी लगाई है । ऐसा कहा जाता है कि रोजगार के लिए कोई अवसर नहीं है और हमने पूंजी एक ही क्षेत्र में केन्द्रित कर दी है । वास्तव में, भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने केवल निजी क्षेत्र की ओर ही ध्यान नहीं दिया है अपितु सार्वजनिक क्षेत्र में भी पूंजी लगाई है ।

अब प्रश्न यह है कि क्या हमने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कोई धन उपलब्ध कराया है । जब हम सीमेंट कम्पनियों, मानव निर्मित रेशे अथवा कपड़े की इकाइयों में पूंजी लगाई है तो क्या हम राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और जनता के लिए रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर रहे हैं ? हमें इस सम्बन्ध में विचार करना है ।

हम यहां गरीबी की बातें करते हैं । भारत सरकार की आर्थिक नीति की भी आलोचना की गई है । मैं यह कहता हूं कि सरकार की समस्त आर्थिक नीति का लक्ष्य बचत तथा पूंजी-निवेश वृद्धि को प्रोत्साहन देना है । हमें सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं को भी कम करना है । अतः हमें गरीबी पर अपने सीधे आक्रमण को और तेज करना है । ऐसा कैसे किया जा सकता है ? हमारे राष्ट्र की जनता को रोजगार उपलब्ध करा के । इसीलिए हमें कमजोर वर्गों को अधिक रोजगार देकर उन्हें अतिरिक्त अवसर प्रदान करते हैं ।

हमारी समाजवाद की विचाराधारा की भी आलोचना की गई है । समाजवाद की हमारी विचारधारा का सार यह है कि हमें आम जनता को रोजगार के अवसर प्रदान करके विषमता को कम करना है ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : किंतु आपने समृद्ध वर्गों को अधिक सुविधायें दी हैं ।

श्री जनार्दन पुजारी : दुर्भाग्य से, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं । हम कहते हैं हम रोजगार के

अवसर उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं हैं। हम कभी-कभी यह भी कहते हैं कि हम सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं हैं। जब निजी क्षेत्र रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है, तो मैं नहीं समझता हमें ईर्ष्या क्यों करनी चाहिए। हमें उन्हें इस प्रणाली पर पूंजी लगाने की अमुमति दे दें और वह भी इस देश की जनता के लिए रोजगार में अवसर पैदा करें। आखिर हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हम इसकी अपेक्षा नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह सुनकर प्रसन्न होंगे कि पश्चिम बंगाल के मुख्य-मंत्री ने भी यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है।

श्री अमल दत्त : क्योंकि आप कोई पैसा नहीं लगा रहे हैं, और हम मरना नहीं चाहते हैं इसलिए हम ऐसा करते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : सच तो यह है कि हम निजी क्षेत्र की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में भी उनका योगदान है। हम आंखें नहीं मूंद सकते हैं और उनसे जब अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं, केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही अवसर पैदा नहीं कर सकता उन्हें भी अवसर

4.00 म० प०

पैदा करने दीजिए। आखिरकार यह भारत के लिए ही तो है, अपनी जनता के लिए है, हम इस देश की जनता को आर्थिक बल प्रदान करें। यही हमारा लक्ष्य है। उस उद्देश्य के लिए मैं केवल इसका सुझाव दे रहा हूं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, अब हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि 4 बजे नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा होगी। आप अपना वक्तव्य कल जारी रख सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : हमारे जिस मित्र ने चर्चा आरम्भ करनी है उनके दिल का आपरेशन हुआ है। उन्हें अपने स्थान पर बैठकर ही बोलने की अनुमति दी जाए।

4.01 म० प०

देश के विभिन्न भागों में बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा नियम 193 के अधीन चर्चा आरम्भ करेगी। श्री बी० वी० देसाई।

श्री बी० वी० देसाई (रायचूर) : सभापति महोदय, मैं जिस विषय पर चर्चा आरम्भ करने जा रहा हूं वह इतना महत्वपूर्ण और आवश्यक है कि चर्चा के लिए इसका चयन सत्र के पहले दिन ही किया गया है। जब मैं इस विषय के संबंध में सोचता हूं तो मेरा ध्यान तमिलनाडु की हाल की बाढ़ की ओर जाता है जिसमें लाखों लोग बेघर हो गए हैं और अनेक लोगों की जानें गई हैं। यदि आप समाचार पत्रों की सुर्खियों को पढ़ें आप देखेंगे कि यह भयानक है। उदाहरणत: मद्रास में 4 लाख लोग बेघर हो गए हैं और वर्षा के कारण मृतकों की संख्या 63 तक पहुंच चुकी है।

यदि आप कर्नाटक में सूखा-ग्रस्त क्षेत्र देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह 150 लाख हेक्टेयर के करीब है। यह स्थिति है। इन सब बातों को इकट्ठा करने के बदले यही पर्याप्त होगा यदि मैं केवल 1953 से 1981 तक प्रतिवर्ष वास्तविक हानि और औसत हानि का उल्लेख करूं। एक सारणी दी गई है। कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र 8.10 लाख एकड़ के लगभग है। यह 1953 से 1981 तक ही वार्षिक औसत है।

4.02 म० प०

(श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए)

इसमें प्रतिवर्ष कुल 270 लाख 40 हजार जनता प्रभावित हुई। कुल 3.7 मिलियन हैक्टेयर फसल को क्षति पहुंची है जो रुपयों में 2.63 मिलियन बैठती है। यह प्रत्येक वर्ष की औसत है। कुल 97.4 हजार पशु मरे हैं। जनक्षति हजारों में—1.4 हजार है। जन उपयोग को क्षति 1103 मिलियन रुपये हैं। फसलों, मकानों तथा जनता को क्षति 4069 मिलियन की हुई हैं। यह सारा एक वर्ष में नहीं हो रहा है। यह दोनों आपदाएं हमारे देश में बारबार आती रहती हैं। अतः मानव आपदाओं को दोहराने की बजाए और इसे किस प्रकार तैयार किया जाए, मैं कुछ उपचारात्मक उपायों का सुझाव देता हूं जो लम्बी तथा छोटी अवधि के लिए अपनाई जानी हैं। अल्पकालिक उपायों के संबंध में, हमारी प्रौद्योगिकी इतनी उन्नत हो गई है कि इन बाढ़ों के संबंध में पूर्वसूचना दी जा सकती है और उपचारात्मक उपायों के बदले सावधानी के उपाय किए जा सकते हैं। मान लीजिए कि इंनसैट द्वारा हमें टी० वी० में दिखाया जाता है कि बंगाल की खाड़ी में तूफान आने वाला है, एहतियाती उपाय किए जाने चाहिएं क्योंकि बाढ़ की तीव्रता यंत्र से मापी जा सकती है। अतः मैं समझता हूं कि इस प्रकार के उपाय नहीं किए जा रहे हैं और मानवीय आपदाएं अधिक कष्टदायक बन जाती हैं और इस प्रकार हाल में बाढ़ आई हैं और इसी प्रकार उत्तर में भी बाढ़ से भारी संख्या में मानव जीवन नष्ट हो गया है विशेषकर देश के पूर्वी और उत्तरी दोनों भागों में। अतः, दूसरा अत्यन्त महत्वपूर्ण उपाय है, किए जाने वाले सहायता कार्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता और राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों द्वारा जुटाई गई सहायता। जो भी कार्य आरम्भ किए जाएं वे उपायों के अनुपूरक होने चाहिए, अर्थात् अगर सूखाग्रस्त क्षेत्र में कुछ राशि खर्च की जानी है तो उस राशि को राज्य सरकार द्वारा पहले से खर्च की जा रही राशि का पूरक होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक को ले सकते हैं। यह अन्य राज्यों पर भी लागू होगा। उदाहरण के तौर पर नया निर्माण या नहरों की खुदाई। वहां हर वर्ष सूखा पड़ता है। और हर वर्ष ही केन्द्र व राज्य सरकार सहायता देती है। वे करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, अगर वे इस राशि का उपयोग नहर खोदने में करें तो बेहतर होगा। उदाहरण के तौर पर हम घाटप्रभा, मल्लाप्रभा और ऊपरी कृष्णा का क्षेत्र ले सकते है, कावेरी बेसिन में भी यही स्थिति है। सभी बांधों में पानी भरा हुआ है। दुर्भाग्यवश, धनराशि की कमी या सही प्रबन्ध न होने के कारण, नहरों की खुदाई का कार्य आरम्भ नहीं किया गया। अतः, मैं चाहूंगा कि सभी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नहरों की खुदाई का कार्य आरम्भ किया जाए। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा पैसा खर्च करते समय, इस उपाय को ध्यान में रखना चाहिए।

बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए अन्य महत्वपूर्ण उपाय हैं वनों के विनाश, काटे जाने को रोकना। हिमालय में जिस प्रकार वनों को काटा गया है, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। अगर

आप बद्रीनाथ, ज्योतिमठ, जिसे अब जोशी मठ कहा जाता है, जाएं तो 20-25 वर्ष और आज की स्थिति में अन्तर देख सकेंगे। अब यह इलाका बंजर भूमि जैसा बन गया है। आप देखेंगे कि विभिन्न स्थानों पर जल बिजली परियोजनाओं के लिए वन काटे जा रहे हैं और इसी प्रकार जगह-बनों को नष्ट किया गया है। इन सबका सामूहिक परिणाम यह हुआ है कि अब देश के उत्तरी भाग में बाढ़ आने लगी हैं। इसी प्रकार पूर्वी भाग में, ब्रह्मपुत्र घाटी में न केवल पेड़ों के काटे जाने को रोका जाना चाहिए बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में करोड़ों नए पेड़ भी उगाए जाने चाहिए जिससे वन-विनाश को रोका जा सके। इससे वन लगाए जाने में भी सहायता मिलेगी। अतः, इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाने होंगे, अन्यथा इन दो विनाशों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता।

इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण पहलू, अकाल संहिता है, जोकि देश में ब्रिटिश शासन के समय से चली आ रही है। अभी इसी का प्रयोग किया जा रहा है, इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। वास्तव में, मात्र अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें उस क्षेत्र को अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित कर देती हैं। यह सही नहीं है। वास्तव में हमारे जैसे कल्याणकारी राज्य के लिए, यह उचित बात नहीं है। अतः अंग्रेजों से हमें विरासत में मिली अकाल संहिता को जल्दी नए सिरे से तैयार किया जाना चाहिए। मेरा यही निवेदन है।

मेरे विचार में एक अन्य महत्वपूर्ण उपाय है, सहायता देना। देखा जाए तो सूखा-प्रभावित क्षेत्रों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दी जानी वाली सहायता में ज्यादा गुणात्मक अन्तर नहीं है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को दी जाने वाली सहायता अनुदान मानी जाती है जबकि सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए दी जाने वाली राशि को योजना आबंटन से काट लिया जाता है। अतः इस काल्पनिक मान्यता के आधार पर सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए धन योजना आबंटन से दिया जाता है, इस राशि को अकाल सहायता के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, जबकि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के मामलों में ऐसा नहीं है। दोनों ही प्राकृतिक विपत्तियां हैं और उन्हें समान समझा जाना चाहिए। नामों में छोड़ा जाना चाहिए। नामों में थोड़ा अन्तर हो सकता है। पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों को हमेशा ही इन विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। वहां बाढ़ अधिक आती है। जबकि देश के उत्तरी और पूर्वी भाग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं अतः योजना की कार्यप्रणाली में भी असन्तुलन है। इस दृष्टि से मैं महसूस करता हूं कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों को दी जाने वाली सहायता बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दी जाने वाली सहायता के समान ही समझी जानी चाहिए। ये कुछ अल्पकालिक उपाय हैं।

देश की बाढ़ और सूखे की स्थिति को स्थायी ढंग से हल करने के लिए आवश्यक है हम कुछ दीर्घकालिक उपाय अपनायें। इस समस्या को हल करने के लिए, हमें एक अखिल भारतीय जल ग्रिड स्थापित करनी चाहिए। जब तक इसे प्राथमिकता के आधार पर नहीं बनाया जाता मैं समझता हूं कि ये दोनों समस्याएं हल नहीं हो सकतीं। सभा द्वारा इस विषय को उच्च प्राथमिकता देने और सत्र के पहले दिन ही इस पर विचार करने से हम समझ सकते हैं कि सारी सभा इसके प्रति कितनी चिन्तित है। हमारे प्रधान मंत्री देश को तकनीकी रूप से 21वीं शताब्दी की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। जब तक हम एक अखिल भारतीय

जल-ग्रिड स्थापित नहीं कर लेते और सारे देश को सूखे और बाढ़ की पुनरावृत्ति से नहीं बचा लेते, मैं समझता हूं इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। अतः मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय जल नीति पर शीघ्र विचार किया जाए ताकि इस शताब्दी के अन्त तक हम अखिल भारतीय जलग्रिड बनाने के लिए नजदीक पहुंच जाएं। मैं जानता हूं कि इस ग्रिड का बनाना कोई आसान कार्य नहीं है क्योंकि विभिन्न राज्यों के बीच अपने-अपने हितों के कारण विवाद है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय जल नीति बनाए जाने के बारे में पहले ही कदम उठाए हैं। हमने एक राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् बनाने के लिये पहले ही कदम उठाये हैं। पिछले माह ही इसकी पहली बैठक हुई थी, जिसमें विभिन्न मुख्यमंत्रियों ने निस्सन्देह अलग-अलग विचार प्रकट किये थे। इस परिषद् ने अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, सिंचाई मंत्री उपाध्यक्ष हैं और सभी मुख्य मंत्री इसके सदस्य हैं। विभिन्न राज्यों के विभिन्न विचार होना स्वाभाविक हैं, विशेषकर उस समय जबकि कई अन्तर-राज्यीय जल-विवाद अनिर्णीत पड़े हैं। इस संदर्भ में, मैं महसूस करता हूं कि अगर विभिन्न राज्यों में सद्भावना हो तो जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करने से प्रत्येक राज्य को लाभ होगा। अतः इस संबंध में कोई आदान-प्रदान होंगे, क्योंकि संविधान इस विषय में थोड़ा-सा अस्पष्ट है। जल को राष्ट्रीय सम्पदा और अन्तर्राज्यीय नदियों को राष्ट्रीय नदियां घोषित करने के लिए हमें संविधान में संशोधन करना होगा, क्योंकि स्रोतों का उपयोग राज्य का विषय है, जबकि अन्तर्राज्यीय जल परियोजनाएं केन्द्र का विषय हैं, जब तक सभी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय हितों को ध्यान में नहीं रखेंगे, यह नहीं हो सकता। अतः पहली बैठक में ही माननीय प्रधान मंत्री ने एक सही कदम उठाया और आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब के मुख्यमंत्रियों का एक दल बनाया है जो राष्ट्रीय जल नीति तैयार करेगा। यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। जब तक विभिन्न नदियों के थालों से फालतू जल शुष्क क्षेत्रों में जहां जल एक विषम वस्तु है, सप्लाई नहीं किया जाता, जब तक ये दोनों समस्याएं पूरी तरह से हल नहीं हो सकतीं। और इसके लिए विभिन्न राज्यों के बीच सद्भावना होनी आवश्यक है। अतः इन दोनों विपत्तियों का एकमात्र समाधान अखिल भारतीय जल ग्रिड की स्थापना है। इसके लिए कई योजनाएं जैसे कि माला नहर योजना या कावेरी-गंगा लिंक योजना आदि जो भी नाम आप दें, पुस्तकालय की शोभा बढ़ा रही हैं लेकिन मूल बात यही है कि नदी के थालों से फालतू जल को निकाल कर मुख्य रूप से दक्षिण और पश्चिम के शुष्क क्षेत्रों को सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सप्लाई करना होगा। देश के पूर्वी और उत्तरी भागों में हमेशा बाढ़ आती है, जबकि शेष दो भागों में सूखा पड़ता है।

मैं एक बात और कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। जब मैं राष्ट्रीय जल ग्रिड की बात करता हूं, तो इसमें भावात्मक अखंडता भी निहित है, क्योंकि भारत का नागरिक होने के नाते हम सभी में चाहे कोई दक्षिण का हो या उत्तर का भावात्मक विचार हैं, भावात्मक भावना है कि हमें अपने जीवन काल में रामेश्वरम से कुछ पानी लाकर गंगा में डालें और फिर गंगा से कुछ पानी लेकर रामेश्वरम में डालें। यह भावात्मक अखंडता और मजबूत होगी अगर अन्तर-बेसिन जल ग्रिड का निर्माण हो जाए। इससे इस भावात्मक-एकता, अखण्डता को आर्थिक शक्ति प्राप्त होगी।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : सभापति महोदय, भारत एक बड़ा देश है। देश के एक भाग में गम्भीर सूखा पड़ता है तो अन्य भाग में गम्भीर बाढ़ें आती हैं। इन दिनों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात सूखे से प्रभावित हैं। पिछले तीन वर्षों से हम

यही देख रहे हैं। कुछ अन्य राज्यों जैसे, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु और यहां तक कि पूर्वी तटीय क्षेत्रों में आजकल बाढ़ आई हुई है। लेकिन भारत सरकार इन राज्यों में समुचित रुचि नहीं ले रही है और न ही उनका ध्यान रख रही है। वे औपचारिकताएं पूरी करने में समय नष्ट कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति भूखा होता है तो उसे खाने के लिए तत्काल रोटी चाहिए। दो-तीन दिन बाद उसे रोटी देने का कोई लाभ नहीं होता। यदि स्थिति आन्ध्र प्रदेश की है। पिछले लगातार तीन वर्षों, 1983-84, 1984-85 से सूखा पड़ रहा है और इस वर्ष भी सूखा पड़ा है। 1983-84 में हमारी राज्य सरकार ने 369 करोड़ रु० की मांग की लेकिन भारत सरकार ने मात्र 54 करोड़ रु० ही दिये। 1984-85 में राज्य सरकार ने 342 करोड़ रु० की मांग की जबकि भारत सरकार ने मात्र 50 करोड़ की ही सहायता दी और इस वर्ष 462 करोड़ रु० की मांग की है, लेकिन काफी मुश्किल और दबाव के बाद भारत सरकार ने केवल जांच-दल ही भेजा है। वहां के लोग यातना सह रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार को भारत सरकार से अभी तक कोई संदेश नहीं मिला है कि उन्हें पैसा कब, कितना मिलेगा। वे फरवरी या मार्च में कुछ पैसा देंगे और फिर राज्य सरकार को कहेंगे कि इस सारे पैसे को इसी वित्तीय वर्ष में ही खर्च किया जाए, और बाद में वे कहेंगे कि उन्होंने राज्य सरकार को इतनी राशि दी थी, लेकिन वह इसे पूरा खर्च नहीं कर पाई। भारत सरकार की यह स्थिति है। यद्यपि आंध्र प्रदेश में तेलगु देशम की सरकार है, लेकिन वह प्रदेश भी, भारत का अभिन्न खंड है। वहां के लोग पीने के पानी, पशुओं के लिए चारे आदि के लिए तरस रहे हैं। वे अपने पशुओं को बूचड़खाने में भेज रहे हैं क्योंकि उनके लिए चारा नहीं है। राज्य सरकार ने अभी तक 440 करोड़ रुपए खर्च किये हैं। अपने सीमित साधनों के कारण वे, इससे अधिक खर्च नही कर सकते। भारत सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। उन्होंने आन्ध्र प्रदेश में केवल एक टीम भेजी है। वास्तव में उन्होंने राज्य सरकार को यह भी सूचित नहीं किया है कि वे कितनी सहायता देने जा रहे हैं या जांच-दल की रिपोर्ट क्या है। अभी हाल ही में अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में हमने कुछ गोदामों का निर्माण किया था, और राज्य का दौरा करने के समय केन्द्रीय दल ने इन गोदामों को ही देखा। लेकिन अगस्त और सितम्बर माहों के दौरान जबरदस्त सूखा पड़ा और खरीफ की सारी फसल नष्ट हो गई। इसीलिए, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि यद्यपि राज्य में तेलगु देशम की सरकार है, लेकिन राजनैतिक दृष्टि से विचार न करके हमारे राज्य को और अधिक धन देना चाहिए। हमारे राज्य में ही नहीं, बल्कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में भी यही स्थिति है। श्री देसाई ने सुझाव भी दिया है कि इनका स्थायी हल खोजा जाना चाहिए। हमारे सामने समस्या यह है कि केन्द्र हमें योजनाएं लागू करने के लिए समय पर मंजूरी नहीं देता है। हम पोलावारम और ईशापुरम परियोजनाओं को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन केन्द्र इन्हें मंजूरी देने में ढील ढाल कर रहा है, जिससे हम इनका निर्माण कार्य आरम्भ नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है। मेरा सुझाव यह है कि इस बात का ध्यान न रखते हुए कि राज्य में किस दल की सरकार है, केन्द्र को परियोजनाओं को मंजूरी देने में अधिक समय नहीं लेना चाहिए। समय पर कार्यवाही करना ज्यादा महत्वपूर्ण है।

भूमि संरक्षण और कुशल जल प्रबन्ध दो स्थायी उपाय हैं। आपको इन पर राष्ट्रीय आधार पर विचार करना चाहिए। आप सामाजिक वन रोपण के लिए धन दे रहे हैं, लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इसे वहां लागू नहीं किया जा रहा है। अगर आप उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चयन करके, कृषि तथा वन विभागों को मिला दें, तभी इन सतस्याओं को हल किया जा सकता है।

मेरा अगला सुझाव है कि मौसम विभाग को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए। यह हमें आने वाले प्राकृतिक विपदाओं के बारे में समय-पूर्व जानकारी दे सके, ताकि राज्य सरकारें समय पर कार्यवाही कर सकें। विद्युत के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जहां कहीं विद्युतोत्पादन की संभावना है, वहां अविलम्ब पनबिजली बोर्डों को गठित किया जाना चाहिए और विद्युत पैदा की जानी चाहिए। उनका किसानों को वितरण प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और तभी हमारा देश समृद्ध बन सकेगा।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं मन्त्री महोदय से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि वह आन्ध्र प्रदेश के निवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और राज्य सरकार ने जिस धन राशि की मांग की है उसे देने के तुरन्त आदेश दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वित्तीय वर्ष के एकदम अन्त में धनराशि दें और फिर हम पर यह दोषारोपण करें कि हम धनराशि खर्च नहीं कर सके हैं।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, देश का और इस शताब्दी का सबसे भयंकर सूखा राजस्थान में पड़ा है और राजस्थान के भी पश्चिमी भाग में सबसे ज्यादा प्रभाव इस सूखे का हुआ है। हमें इस सूखे का मुकाबला करना है और इस सूखे का मुकाबला करने के लिए केन्द्र के अध्ययन दल वहां पर पहुंचा हुआ है वह वहां स्थिति देख रहा है आर उसके बाद वह जल्दी-से-जल्दी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस सम्बन्ध में मेरा यही निवेदन है कि अध्ययन दल जैसे ही रिपोर्ट प्रस्तुत करे उसके पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर आठवें फायनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन्स के आधार पर निर्णय करके राजस्थान को मदद दी जाए।

वहां पर पीने के पानी और चारे का बहुत जबर्दस्त संकट है। इन दोनों के साथ-साथ अनाज का संकट भी है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन तीनों चीजों की शीघ्र व्यवस्था वहां पर की जाए। वहां पर इस प्रकार का सूखा 1966-67 में पड़ा था और उसके बाद वैसा भयंकर सूखा अब पड़ा है। इस भयंकर सूखे का मुकाबला करने की क्षमता राजस्थान सरकार में नहीं है इसलिए इस सूखे का मुकाबला करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से ज्यादा मदद दी जाए।

केन्द्रीय सरकार की ओर से जिस प्रकार से एडवांस प्लान में मदद दी जा रही है वह पर्याप्त नहीं है क्योंकि इसके तहत आधा अनुदान और आधा लोन मिल रहा है, इससे हमारा काम नहीं चलता है क्योंकि राजस्थान की विषम परिस्थितियां हैं, इन विषम परिस्थितियों को देखते हुए पूरी राशि अनुदान के रूप में दी जाए तभी हम इस भयंकर सूखे का मुकाबला कर सकेंगे।

हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में चारे का भयंकर संकट है इसकी वजह से हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों की गायें पाकिस्तान में जा रही हैं और वहां कट रही हैं। हम लोग कभी भी यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे यहां की गायें चारे के संकट की वजह से पाकिस्तान में जाएं और वहां कटें। इसलिए इस संकट का मुकाबला करने के लिए हरियाणा और पंजाब से तुरन्त चारा मंगवाकर इस चारे के संकट को समाप्त करना चाहिए। जो भी चारा वहां से मंगवाया जाय वह सब्सीडाइज्ड रेट पर वहां के लोगों को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से पीने के पानी का भयंकर संकट है और पीने के पानी के लिए अभी तक टैंकरों की व्यवस्था नहीं की गई है। सीमा-

वर्ती क्षेत्रों में पहले जो मिलैट्री के टैंकरों की व्यवस्था होती थी, वह तुरन्त की जानी चाहिए, अन्यथा राजस्थान सरकार चाहे कितनी भी कोशिश करे, उसके पास इस तरह के टैंकर नहीं हैं कि वह पीने का पानी उन क्षेत्रों में पहुंचा सके। मिलट्री के टैंकरों की व्यवस्था बहुत आवश्यक है। पीने के पानी का परमानेंन्ट सौल्यूशन तब तक नहीं हो सकता है जब तक राजस्थान नहर से ग्रामीण और रेगिस्तानी क्षेत्रों में पीने का पानी नहीं पहुंचता है।

अभी तक जिस प्रकार की योजना बन रही है, उससे बहुत से क्षेत्रों में नलकूप बने हैं लेकिन बहुत से क्षेत्रों में पीने का पानी खारा है या उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह जो योजना बनाई गई है, यह भी काम नहीं दे सकती है। अगर आप सातवीं पंचवर्षीय योजना में पीने के पानी का परमानेंट सौल्यूशन करना चाहते हैं तो आपको राजस्थान नहर से उसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

सिंचाई की योजनाओं को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। राजस्थान नहर ही एक ऐसा तरीका है जिससे यह व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि जो कार्य चल रहे हैं, उसमें कुछ रचनात्मक कार्य भी चलने चाहिए। हमारे राजस्थान की नहर मोहनगढ़ तक पहुंच गई है। मोहनगढ़ से रामगढ़ और रामगढ़ से लेकर गदरा रोड़ तक जो कैनाल रेगिस्तानी क्षेत्रों में जाती है, यहां अकाल की भयंकर स्थिति है, पीने के पानी का संकट है। इस क्षेत्र में यह कार्य फैमीन के अन्तर्गत लेना चाहिए।

राजस्थान के नहर मंत्री अपनी खुद की योजनाओं के पीछे पड़े हुए हैं। इस वर्ष फैमीन पड़ा है इसलिए वहां पर मिट्टी का कार्य हो सकता है। मिट्टी के इस कार्य को प्राथमिकता से लेना चाहिए और फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्य को तीव्र गति से किया जाना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि फैमीन और फ्लड को बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। फ्लड जब आता है तो उसके बाद रबी की फसल अच्छी हो जाती है, लेकिन फैमीन जब आता है तो उससे इकनामी नष्ट हो जाती है, पशु नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। इसलिए जो 75 परसैंट नान-प्लान्ड मदद फ्लड के वक्त दी जाती है, यह मदद फैमीन में भी देनी चाहिए।

जो एडवान्स्ड प्लान के बारे में व्यवस्था की जाती है उससे पश्चिमी राजस्थान में तो रोड बन जाती है लेकिन पूर्वी राजस्थान में कुछ नहीं होता है। लोग इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमारे यहां कोई डैवलपमेंट नहीं हुआ। इस तरह से हमारे पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में हमेशा संघर्ष रहता है। इसलिए इस समस्या को सौल्व करना चाहिए।

इसलिए उसके मुताबिक फोडर बैंक की स्थापना करनी चाहिए। फोडर बैंक, नेशनल ग्रास फार्म्स स्थापित करके कोई परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कभी भी अगर चारे का संकट हो तो हम उसका मुकाबला कर सकें। इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, अभी हमारे साथी श्री वृद्धिचन्द्र जी ने बाढ़ और सूखा से बचने के लिए बड़े ही रचनात्मक सुझाव दिये हैं। उन सुझावों का स्वागत करते हुए मैं कुछ चन्द सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगा।

उत्तर प्रदेश में अभी हाल में बाढ़ की विभीषिका ने अपनी लीला दिखाई है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 57 जिले हैं, उनमें से 42 जिले इस साल अप्रत्याशित बाढ़ से प्रभावित रहे हैं। वहां की घाघरा, गोमती और गंगा नदियों ने ऐसे कहर ढाये कि किसान की कमर टूट गई है। मैं कहना चाहता हूं कि जो बाढ़ और सूखा में सहायता दी जाती है वह समान रूप से नहीं है। 1982-83 में जब बाढ़ और सूखा आया था और उस समय जो सहायता दी गई थी वह बहुत कम थी। यही हालत इस साल भी है। अभी आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने बड़ी कृपा की और कई जगह जाकर दौरा भी किया। हमारे नये मुख्य मंत्री ने लगभग 10 अरब के आसपास सहायता मांगी है, लेकिन वह सहायता 50 करोड़ के आसपास मिली है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, जहां पर बहुत अधिक पिछड़ापन हैं, वह कैसे इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर सकेगा। मैं चाहता हूं कि जो सेंट्रल सहायता है, यह किसी टेक्नीकल ग्राउंड से रोकी नहीं जाये, बल्कि समान रूप से दी जाये।

उत्तर प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि वह बाढ़ और सूखा दोनों से प्रभावित होता है। जहां तक दक्षिणी और पूर्वी हिस्से का प्रश्न है वह भी दोनों से प्रभावित होता है। इससे छुटकारा पाने के लिए भारत सरकार ने डी० पी० ए० पी० की योजना चलायी थी। लेकिन दुख की बात है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो धनराशि चाही गई वह नहीं दी गई। नतीजा यह हुआ कि डी० पी० ए० पी० के अंतर्गत जितनी योजनाएं सिंचाई की उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में ली गई वह पूरी नहीं हो पा रही हैं। राज्यों के पास भी ऐसी क्षमता नहीं और उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि उन योजनाओं को पूरा कर सकें। जनता शासन के समय में कुछ डी० पी० ए० पी० की योजनायें निकाल दी गई थीं। हमारी कांस्टीच्येंसी के दो ब्लाक पहाड़ी ब्लाक और मणिहान ब्लाक इस डी० पी० ए० पी० प्रोग्राम से निकाल दिये गये। नतीजा यह हुआ कि जो पैसे आपने दिये वह बेकार हो गये। मैं चाहता हूं कि जो शुरू में डी० पी० ए० पी० के अंतर्गत जितने ब्लाक लिये गये हैं, उनको भी शामिल किया जाये और उन योजनाओं को पूरा किया जाये।

अब मैं पेय जल के बारे में कहना चाहूंगा। जो योजना 1972 से पेय जल की ली गई हैं, वह सारे देश में ही अधूरी पड़ी हैं। मेरे जिले में 1972 में 29 परियोजनायें ली गई थीं, लेकिन कोई योजना पूरी नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि जो पेय जल की योजनायें हैं, उनको वरीयता के आधार पर पूरा करें। साथ-साथ सड़कों और नहरों आदि का काम जो अधूरा पड़ा है, उनको भी पूरा करायें।

सिंचाई के लिए स्वर्गीय प्रधान मंत्री जी ने हमारे जनपद में कई योजनायें जैसे कनहर परियोजना, सोन लिफ्ट, बकहर और बाण सागर स्वीकृत की थीं, लेकिन वह सब अधूरी पड़ी हैं क्योंकि केन्द्रीय सहायता नहीं मिल रही है। स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि उनको पूरा करें। मैं चाहूंगा कि जो योजनायें अधूरी पड़ी हैं उनको आप पूरा करें। साथ-साथ सातवीं पंचवर्षीय योजना में सूखा और बाढ़ के लिए अलग से रिपोर्ट बनायें। केन्द्रीय सरकार इस काम को करे। प्रदेशीय सरकार, यहां से जो संसाधन जाता है वह खर्च नहीं कर पाती है, उसका सदुपयोग

नहीं कर पाती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जो पैसा दें उसकी मानिटरिंग करने के लिए आपके यहां एक सेल हो और वह सेल इस बात को देखे कि उनका सदुपयोग किस तरह से होता है।

जो फेमिन कोड अंग्रेजों के समय का बना हुआ है वह आज की परिस्थिति में लागू नहीं होता है जिसके परिणामस्वरूप प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार भी ऐसे क्षेत्रों को अकालग्रस्त घोषित करने में आनाकानी करती है। नतीजा यह होता है कि किसान की फसल नष्ट होती है, उसको सहायता नहीं मिल पाती···(**व्यवधान**)···मैं एक मिनट में निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर विभिन्न राज्यों में जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं वहां के किसानों के ऊपर वर्षों से जो कृषि-ऋण और अन्य ऋण बकाया चले आ रहे हैं उनको माफ करने के लिए निर्देश दें**···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह जो कुछ बोल रहे हैं वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अब श्री सुरेश कुरूप बोल सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : सभापति महोदय, इस वर्ष 11 अक्तूबर को और इस मास के अन्तिम सप्ताह में भी, देश के अनेक भागों में बाढ़ और तूफान जैसी अनेक प्राकृतिक आपदायें आई हैं। तमिलनाडु को बाढ़ ने जिस तरह से प्रभावित किया है, वह उस राज्य के इतिहास में कुछ अभूतपूर्व है। यहां तक कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री को भी अपना निवास स्थान बदलने को बाध्य होना पड़ा। मैं तमिलनाडु की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना और दुःख प्रकट करना चाहता हूं।

गत अक्तूबर के तूफान में जो दो राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुए थे वे हैं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के कुछ जिले बाढ़ या भू-स्खलन अथवा तूफान से प्रभावित हुए थे। तीन जिले जो कि बुरी तरह प्रभावित हैं वे हैं 24 परगना, मिदनापुर और हावड़ा। उड़ीसा में भी तूफान का प्रभाव पड़ा। उड़ीसा वह राज्य है जो कि निरन्तर सूखा प्रभावित रहा है और यह राज्य प्राधिकारियों और सरकार के उस क्रूर रवैये का शिकार होने के लिए भी प्रसिद्ध रहा है जो कि बाढ़ या तूफान अथवा सूखे जैसी इन प्राकृतिक विपदाओं के प्रति रहा है।

आन्ध्र प्रदेश एक अन्य प्रदेश है जो कि तूफान से पीड़ित रहा है। जब तूफान विशाखापठनम के समुद्री तट की ओर बढ़ा तो इसने सहस्रों लोगों को प्रभावित किया और हजारों को बेकार कर दिया। तमिलनाडु की जहां तक बात है, उत्तरी-पूर्वी मानसून ने उसे भविष्य से झकझोरा है। तंजौर, दक्षिण-अरकाट, चिंगलपेट और मद्रास में लाखों लोग बेकार हुए हैं। एक मोटे से अनुमान के अनुसार 1.12 लाख हेक्टेयर के धान के खेत जलमग्न हैं। रेल और सड़क संचार अस्तव्यस्त हो गया। इस बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित हैं मद्रास में अडयार नदी के तट पर बसी झोपड़ियों और गरीब लोगों की कालोनियां। कोटटुरपुरम नाम का क्षेत्र, जो अडयार नदी के

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

तट पर है, प्रति वर्ष बाढ़ से वार-बार प्रभावित होता रहता है जिसके परिणामस्वरूप इन झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को यहां से खाली करके जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मेरा केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन है कि उसे इस बात पर विचार करना चाहिए कि इससे कैसे निपटा जा सकता है। मैं प्राधिकारियों से निवेदन करता हूं कि यदि आवश्यक हो तो, इस पर सविस्तार विचार करने के लिए एक उच्च-शक्ति प्राप्त वैज्ञानिक समिति नियुक्त की जाए जो यह भी देखे कि इसे किस प्रकार रोका जा सकता है।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मद्रास नगर की जल-निकासी प्रणाली की कमियों के बारे में भी विचार किया जाए।

जहां तक तमिलनाडु में बाढ़ों का प्रश्न है, मैं यह बता देना चाहता हूं कि स्थिति के संबंध में सरकार का रवैया कहीं अच्छा था और जब राहत के कदम उठाये जाने लगे तो उसमें समन्वयन का अभाव दिखाई पड़ा।

प्रति वर्ष हमारे देश के किसी न किसी भाग में या तो सूखा, बाढ़ या तूफान आदि आते ही रहते हैं।

इस प्रकार की आपात-स्थिति में राहत पहुंचाने के लिए कोई न कोई स्थायी तंन्त्र होना चाहिए। लगभग इन सभी मामलों मे, राहत में विलम्ब हो जाती है। विलम्बित राहत न के बराबर है। अतः, राहत तुरन्त पहुंचाई जानी चाहिए। इस प्रकार की स्थिति में जो लोग इस प्रकार की विपदाओं से प्रभावित होते हैं उनको यथासम्भव शीघ्र और उचित राहत पहुंचाई जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में यही आवश्यक होता है।

केरल में, दो या तीन मास पूर्व हमने भयंकर बाढ़ें देखी और हम कृषि मंत्री महोदय के आभारी हैं जो दौड़कर दिल्ली से केरल पहुंचे तथा जिन्होंने हमारे राज्य का दौरा करके तुरन्त कार्यवाही की।

इस सम्बन्ध में, मैं कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि प्रधान मन्त्री महोदय के अलावा यह तमिलनाडु भी जाएं और भयंकर बाढ़ों का स्थल पर जाकर अध्ययन करें।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : महोदय, भारत सरकार से मुझे जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उनसे पता चलता है कि उड़ीसा में 22,000 ग्राम प्रभावित हुए हैं और वर्ष 1985 के दौरान बाढ़ों, भू-स्खनल और भारी वर्षा के कारण 1,17,000 मकानों को क्षति पहुंची है। केवल इतना ही नहीं, सूखा के कारण भी भारी नुकसान हुआ है।

इस पृष्ठभूमि में मेरा कृषि मन्त्री महोदय से निवेदन है कि जहां तक पिछड़े क्षेत्रों का सम्बन्ध है, उन्हें अत्यन्त ही उदार रवैया अपनाना चाहिए। उड़ीसा एक पिछड़ा राज्य है और यह सदियों से प्राकृतिक विपदाओं से ग्रस्त रहा है।

मैं कृषि मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम यह करें कि मंत्रालय जो अध्ययन दल भेज रहा है उनके मार्गदर्शक सिद्धांत उदार होने चाहिए। वर्तमान मार्गदर्शक सिद्धान्त, जिनके अधीन वह कार्य कर रहे हैं, पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आ गया है। अतः, अध्ययन दल के मार्गदर्शक सिद्धांतों को बदला जाना चाहिए। विशेष रूप से यह उल्लेख किया जाना

चाहिए कि जहां तक बाढ़ों और तूफानों और मरम्मत कार्य के लिए धन आबंटन का प्रश्न है पिछड़े राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं एक और बात राहत सम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में कहना चाहता हूं। आज प्रश्नकाल के दौरान कृषि मन्त्री महोदय ने कहा कि उन्होंने नये मार्गदर्शक सिद्धांत भेज दिए हैं। लेकिन भारत सरकार ने तो सूखा और बाढ़ के प्रबन्ध के लिए और राहत उपायों को तैयार करने के लिए भी मार्गदर्शक सिद्धान्त भेजे हैं। मेरा निवेदन है कि मार्गदर्शक सिद्धान्त बहुत ही उदार होने चाहिए। सारा घर क्षतिग्रत हो गया है और अधिकाधिक वित्तीय सहायता केवल 400 रुपए या :00 रुपए दी जा रही है। इसका क्या मतलब है ? क्या इसका यह अर्थ है कि इस रुपये से फिर से घर खड़ा कर सकता है ? मेरा निवेदन यह है कि दी गई वित्तीय सहायता बहुत ही उदारतापूर्ण ढंग से दी जानी चाहिए। मैं जानता हूं कि कृषि मन्त्री महोदय यही कहेंगे कि यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। परन्तु इसके साथ-साथ उन्हें राहत सम्बन्धी कार्य-कलापों में समन्वय स्थापित करना होगा। मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में, चाहे वे लागू किये जा रहे हैं या नहीं, हम चाहेंगे कि मन्त्री महोदय सभा को अवगत करायें कि विभिन्न राज्यों में क्या स्थिति है।

मेरा एक अन्य निवेदन बाढ़ नियन्त्रण के बारे में है। जहां तक बाढ़ नियन्त्रण का सम्बन्ध है, कृषि मंत्रालय ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि प्रायः यह होता है कि जिन परियोजनाओं पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए उनकी उपेक्षा कर दी जाती है, क्योंकि धन का आबंटन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। मन्त्री महोदय हमें बता सकते हैं कि वे कौन-सीपरियोजनाएं हैं जिन पर राज्य सरकार की ओर से उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन सब बातों का समन्वय करके उन्हें यदि किसी राज्य स्तर पर नहीं, तो राष्ट्रीय विकास परिषद स्तर पर ही हल क्यों नहीं किया जाता है ?

मैं एक अन्य निवेदन यह करना चाहूंगा कि कृषि मन्त्रालय और सिंचाई मन्त्रालय को अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यह 1956 में बनाया गया था, परन्तु इस अवधि के दौरान अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों को हल नहीं किया गया है। मेरा निवेदन यह है कि समस्त संविधि को हटाया जाना चाहिए और इस मामले पर नए सिरे से विचार करना चाहिए जिससे कि हम अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों को तेजी से हल करने के लिए कार्यवाही कर सकें। उड़ीसा में तीन या चार बड़ी नदियां ऐसी हैं जो कि तबाही मचा रही हैं। मैंने इस सभा में हीराकुण्ड का मामला उठाया था और सिंचाई मन्त्री ने वह फायदा किया था कि महानदी की बाढ़ नियंत्रण समस्या पर ध्यान दिया जायेगा। हीराकुण्ड बांध के जलाशयों में गाद जमा हो गयी है और उनका कार्यकाल घटकर एक तिहाई रह गया है अर्थात यदि इसकी योजना 21 वर्ष के लिए थी तो अब यह घटकर सात वर्ष ही रह गयी है। हमें इसके लिए प्रौद्योगिकीय उत्तर चाहिए। जो अन्य नदियां कहर ढा रही हैं वे हैं सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी और वैतरिणी। जैसा कि मैंने कहा है कि सिंचाई मंत्री ने सभा में वायदा किया था कि महानदी बाढ़ नियंत्रण के मामले पर गौर करेंगे। उन्हें राज्य सरकार के साथ समन्वय करके कुछ ठोस कार्य करना चाहिए जिससे कि यह कोई तबाही न मचाये। कृषि मन्त्रालय ने इस पर गत दो या तीन वर्षों से कोई कार्यवाही नहीं की है। इस पर ध्यान देना पड़ेगा।

अब तूफानों को लीजिए जो कि उड़ीसा में बार-बार आने वाली नई प्राकृतिक आपदा है। ऐसा कहा जाता है कि नया राडार इसका पता लगा सकता है। *मुझे यह यह तो पता नहीं है कि* भारत सरकार के पास ऐसी राडार प्रणाली है भी कि नहीं। उड़ीसा में तूफान बार-बार आते रहते हैं। मेरा निवेदन यह होगा। आप उस प्रकार के नये जनरेटर राडार क्यों नहीं लगवाते जिससे कि जानकारी शीघ्र ही उपलब्ध हो सके और लोगों को सावधान किया जा सके? हमें पता चला है कि इस प्रयोजन के लिए सुपर कम्प्यूटरों हेतु कृषि मंत्रालय की अमरीका से बातचीत चल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें सफलता मिली है या नहीं।

कृषि मंत्रालय को उड़ीसा के गरीब लोगों के प्रति उदार होना चाहिए और उस राज्य को पर्याप्त वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

***श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** (कोयम्बटूर) : सभापति महोदय, आपके समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा कि तमिलनाडु अभूतपूर्व बाढ़ की चपट में है। हाल की बाढ़ों से मद्रास, चिंगलपट, दक्षिण आरकाट, तंजाबूर और तमिलनाडु के कुछ अन्य भाग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कई हजार व्यक्ति बाढ़ के पानी में उतरा रहे हैं। हमारे प्रधान मंत्री महोदय तुरन्त विमान से मद्रास पहुंचे और राज्य के बाढ़ से पीड़ित क्षेत्रों का हवाई जहाज से सर्वेक्षण किया। राज्य के उनके दौरे से पीड़ित लोगों को तुरन्त सांत्वना मिली। हमारे प्रधान मन्त्री के बाढ़ राहत कार्य हेतु प्रधान मन्त्री के बाढ़ राहत कोष से उसी जगह 15 लाख रुपये की राशि स्वीकृत करके तमिलनाडु की जनता का मन जीत लिया। लगभग 84,000 एकड़ भूमि पर खड़ी फसलें नष्ट हो गई है। इन बाढ़ों में हजारों पशु मर गये हैं और कई हजार लोग बेघर हो चुके हैं। मेरा सुझाव है कि राहत कार्य युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए। यह वास्तव में ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है, बाढ़ से पीड़ित लोगों की समस्याओं के प्रति सरकारी कर्मचारियों की उदासीनता के परिणामस्वरूप बाढ़ राहत कार्यों में मन्द गति आई है। जबकि सहस्रों लोग मर गये हैं तो तमिलनाडु सरकार के मुख्य-सचिव ने कहा है कि हाल की बाढ़ों में केवल लगभग 100 व्यक्तियों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। इसकी निन्दा की जानी होगी।

श्री पी० कुलन्दईवेलु (गोबिचेट्टिपालयम) : सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह तमिलनाडु सरकार द्वारा किये गये राहत उपायों के सम्बन्ध में राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। यदि उन्हें आपोप लगाने ही हैं तो उन्हें वह प्रमाणित करना चाहिए। सरकार ने पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए तुरन्त कदम उठाये हैं। प्रधान मन्त्री जी तुरन्त कदम उठाने के लिए तमिलनाडु सरकार की पहले ही सराहना कर चुके हैं।

श्री सी० के० कुप्पूस्वामी : मैं सुझाव देता हूं कि तमिलनाडु के उन लोगों को तुरन्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए जो बाढ़ों के कारण अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित लोगों को उनके पुनर्वास हेतु दी जाने वाली वित्तीय सहायता उन तक पहुंचे। मैं यह बात फिर से दोहराने के लिए इसलिए बाध्य हुआ हूं क्योंकि तमिलनाडु सरकार के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जनता के दुखों के प्रति उदासीन हैं। प्रधान मन्त्री जी के दौरे के बाद कुछ राहत कार्य किया गया है। मैं जानता हूं कि

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

यह पता करने के लिए कि बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है, एक केन्द्रीय दल तमिलनाडु का दौरा करेगा। मैं इतना बता देना चाहता हूं कि इतना ही पर्याप्त नहीं है। धनराशि की स्वीकृति दिये जाने के बाद, मैं मांग करता हूं कि यह देखने के लिए कि आबंटित धनराशि वास्तव में बाढ़ राहत कार्यों पर ही खर्च की जाती है, एक समिति गठित की जानी चाहिव। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मुसीबत के समय सहायता लोगों के पास पहुंच जाए। मैं कृषि मन्त्री से निवेदन करता हूं कि तमिलनाडु की पीड़ित जनता के लिए बाढ़ राहत सहायता तुरन्त स्वीकृत की जानी चाहिए। तमिलनाडु के उन लोगों की ओर से जो अभूतपूर्व कष्ट झेल रहे हैं, मैं यह बात दोहराना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की द्वारा एक पर्यवेक्षक समिति गठित की जानी चाहिए जिससे बाढ़ राहत सहायता पीड़ित लोगों के पास पहुंच सके। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री पी० कुलन्दईवेलु (गोबिचेट्टिपालयम) : सभापति महोदय, मैं भारत के प्रधान मन्त्री की सराहना करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के बाढ़ से पीड़ित लोगों के कष्टों को कम करने के लिए कदम उठाये और उस दिन कार्य में अति व्यस्त होने के बावजूद तमिलनाडु का दौरा किया।

उसी दिन ही राज्य सरकार को सांकेतिक सहायता के रूप में कुछ राहत उपाय करने के लिए उन्होंने लगभग 15 लाख रुपये देने की घोषणा की और शनिवार को अर्थात दो दिन बाद जब वह मद्रास शहर में थे एक आश्वासन दिया कि एक विशेषज्ञ समिति का तुरन्त गठन किया जायेगा और इस विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा सोमवार को की जायेगी। आज सोमवार है और इसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है। अतः, मैं भारत सरकार और प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूं कि विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के नामों की तुरन्त घोषणा करने के लिए कदम उठाए जायें और उनसे तुरन्त वहां जाकर बाढ़ से विनाश का मूल्यांकन करने के लिए कहा जाये।

कर्नाटक के मुख्य मन्त्री श्री हेगड़े ने पीड़ितों की सहायता की है। उन्होंने 10 लाख रुपये भी दिये हैं। हमें श्री हेगड़े को उनकी धर्मार्थ भावना के लिए बधाई देनी होगी और सराहना करनी होगी।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : प्रो० रंगा कह रहे हैं कि 'सुनिये, सुनिये'!

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : वह पुरानी कांग्रेस पार्टी से हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस विरासत में पाई है।

श्री पी० कुलन्दईवेलु : लगभग दस दिन तक हुई अनवरत वर्षा के कारण मद्रास शहर और उसके आस-पास के क्षेत्र चिंगलपट, थंजावूर और दक्षिण अरकाट जिले बाढ़ से गम्भीर रूप से प्रभावित हुए हैं। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं थंजावूर जिला तमिलनाडु का अनाज-भण्डार है और तीन लाख एकड़ से अधिक ऐसी भूमि पानी में डूब गई है और किसानों को भारी हानि हुई है क्योंकि उसमें धान की फसल खड़ी है और वे उस फसल को काटने में असमर्थ हैं क्योंकि यह तैयार है।

दूसरी बात यह है कि दक्षिण अरकाट में भी और मद्रास शहर, कोट्टूपुरम में और अन्य उन क्षेत्रों में भी यही स्थिति है जो बाढ़ग्रस्त हो गये हैं। लगभग सभी घरों की पहली मंजिल बाढ़ के पानी में डूब गई हैं······

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आपके मुख्य मंत्री के घर भी बाढ़ का पानी भर गया है।

श्री पी० कुलन्दईवेलु : जैसा कि आपने कहा है हमारे मुख्य मंत्री भी बाढ़-ग्रस्त घर में नहीं ठहर सके आर उन्हें एक होटल में शरण लेनी पड़ी।

मेरा निवेदन है मद्रास और क्षेत्रों में आई बाढ़ के बारे में सुझाव देने के लिए मैं श्री कुरूप का भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि वह तमिलनाडु के नहीं हैं।

अन्य बातों के बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ों के समय पानी बेकार चला जाता है। यह सर्वविदित है कि तमिलनाडु और अन्य राज्य राष्ट्रीय जल ग्रिड बनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। यह अभी तक नहीं बनाया गया है और यह भारत सरकार के लिए और प्रधान मंत्री महोदय के लिए सही समय है कि वे राष्ट्रीय जल ग्रिड बनाने के लिए आगे आएं।

एक और बात है। हम राज्यों के लिये अधिक शक्तियों की मांग कर रहे हैं और सरकारिया आयोग पहले ही नियुक्त किया जा चुका है और यह इस मामले पर विचार कर रहा है। जब कभी बाढ़ या सूखा अथवा तूफान जैसी कोई प्राकृतिक विपदा आती है तो हमें हाथ फैलाए केन्द्रीय सरकार के पास आना पड़ता है और इस प्रकार की बातें सदा के लिए बन्द की जानी चाहिये। राज्यों को अधिक शक्तियां देने का अर्थ होगा कि हम कि हम बाढ़ या सूखा, जो भी हो, के पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए रूपया खर्च कर सकते हैं और हमारे यहां तमिलनाडु में न केवल बातें आती हैं अपित कुछ जिलों जैसे रामनाथपुरम को सूखे का भी सामना करना पड़ रहा है। वहां पर ऐसी स्थिति है।

प्रधान मंत्री महोदय ने जब तमिलनाडु का दौरा किया था तब हम उन्हें तमिलनाडु में वर्षा द्वारा हुए विनाश की रिपोर्ट पहले ही दे चुके हैं और तमिलनाडु सरकार इसके लिये 120 करोड़ रुपये के अनुदान की मांग कर रही है। मेरे विचार से प्रधान मंत्री इससे सन्तुष्ट हैं और वह तुरन्त अमुदान देंगे।

धनराशि के बारे में मेरे मित्र श्री कुप्पूस्वामी एक आरोप लगा रहे थे। वास्तव में भारत सरकार ने अभी तक प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिये जोई धनराशि नहीं दी है। परन्तु वह करते हैं कि सही ढ़ंग से खर्च किया जाये और राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को इसका हिसाब दिया जाये। हो सकता है कि माननीय सदस्य को यह पता न हो कि वह इस सम्मानित सदन में जो कुछ कह रहे हैं उसका क्या प्रभाव होगा। कुछ भी हो मेरे विचार से राज्य सरकार सही ढंग से खर्च कर रही है और 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में हम राज्यों में सबसे आगे हैं। अतः हम ऐसा करेंगे और और सम्पत्ति और मानव जीवन की भी रक्षा करेंगे। हाल की बाढ़ों में हम 100 व्यक्तियों से पहले ही हाथ धो बैठे हैं। इसके अतिरिक्त 350 तालाबों में दरारें पड़ गयी हैं और अधिकांश गांव बाढ़ग्रस्त हैं। अधिकांश सड़कें और रेलवे पुल क्षतिग्रस्त हो गये हैं। भारत सरकार को पीड़ितों को बचाने के लिये तुरन्त आगे आना चाहिये।

5.00 म० प०

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, दो-तीन मिनट में ही मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा । इस समय गफूर साहब यहां पर नहीं हैं । मैं चाहता था कि वह यहां रहते तो अच्छा रहता । बजट सैशन के दौरान जब सूखे पर बहस हो रही थी तो गफूर साहब ने कहा था कि हिमाचल में वर्फ पिघलेगी और दरिया में पानी आयेगा जिससे सूखा अपने आप खत्म हो जायेगा । गफूर साहब के राज्य बिहार क्षेत्र में शायद हिमालय से पानी आ गया और दरिया में जो बाढ़ आई उसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता । मेरा कहना है कि जैसे राजस्थान अनेक वर्षों से सूखे से प्रभावित है, वैसे ही बिहार का उत्तरी भाग मिथिला भी बाढ़ से प्रभावित है । वहां पर साल में छह से आठ महीने तक लोग बाढ़ की चपेट में रहते हैं ।

5.02 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मुझे आश्चर्य होता है कि देश के अन्य भागों के लोगों को इस बात का पता नहीं है कि वहां लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । कोसी, कमला और अदबारा तथा कितनी ही नदियां जो हिमाचल से निकलती हैं उत्तरी बिहार के लोगों को तबाह करती हुई चली जाती हैं । लाखों लोग हर साल तबाह होते हैं लेकिन उनके दुख को सुनने वाला कोई नहीं है । मैं तो सदन से यह अनुरोध करूंगा कि अगली बार बाढ़ के महीने में सदन के कुछ सदस्य उत्तरी बिहार जाएं और बाढ़ की विभीषिका अपनी आखों से देखें । हम सबके लिए यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि इसी देश के नागरिक साल में छह महीने मचान बनाकर या बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में रहकर दिन बिताते हैं । आपको क्या अधिकार है कि उनके साथ इस तरह से बर्ताव करें क्योंकि केवल इसीलिए कि उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है । हर साल लोखों लोग बाढ़ से तबाह होते हैं लेकिन इसका दर्द किसी को नहीं है । इस बार भी मिथिला तथा उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित हुआ, लेकिन न तो केन्द्र से कोई मंत्री गया और राज्य के भी जो मंत्री गये, उन्होंने खाना-पूर्ति कर दी । पिछले सत्र में जब शंकरानन्द जी यहां पर बैठे हुए थे तो मैंने कहा था कि जब तक नेपाल की नदियों को कंट्रोल नहीं किया जायेगा, उत्तरी बिहार बाढ़ से नहीं बच सकता है । मैं चाहता था कि वह भी हाऊस में आज रहते । उन्होंने पत्र लिखकर मुझे बताया है कि नेपाल की सरकार से बात चल रही है कि उन नदियों को कन्ट्रोल किया जाये ; यह बात कब तक चलेगी ? क्या हमारी जिन्दगी में यह बात कभी समाप्त होगी । उन नदियों को कन्ट्रोल करने से न केवल बिहार को बल्कि नेपाल को भी फायदा है वहां सिंचाई हो सकती है । वहां पर बराज और रिजरवेायर बनाये जाएं । उससे बहुत बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन हो सकता है और नेपाल तथा बिहार में अनेक उद्योग लग सकते हैं । वहां पर कायाकल्प हो सकता है । आज जो उत्तरी बिहार नरक बना हुआ है वह उन्हीं नदियों के पानी से स्वर्ग बन जायेगा । क्या आप चाहते हैं कि उत्तरी बिहार के लोग नरक की जिन्दगी जिएं । महोदय आप कल्पना भी नही कर सकते कि उसी पानी में ही लोग रहते हैं, नहाते हैं, उनके जानवर रहते हैं और यही कारण है कि वहां मलेरिया होता है, कालाजार होता है और बड़े पैमाने पर पीलिया की बीमारी होती है । वहां के

लोग किस तरह से अपना जीवन बिताते हैं, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। आप पिछले दस सालों की इंक्वायरी करवा लीजिए, बिहार में बाढ़ की रिलीफ के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा चुका है। मैं इस सदन में खुले आम कहना चाहता हूं कि वह पैसा कहां गया, यदि आप उसकी इंक्वायरी करवायें तो जैसा मैंने पहले भी कहा और अब उसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं रह गई है कि बिहार में बाढ़ की रिलीफ के नाम पर जो पैसा खर्च हुआ, वह एल डिवाइडिड बाई फोर में जाता रहा जिसमें कान्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेटस तथा पोलिटिशियन्स भी शामिल हैं। जो बात आज से 15 साल पहले होती थी, वही बात आज भी वहां हो रही है, उत्तरी बिहार के बाढ़ पीड़ितों की तकदीरों को बदलने वाला कोई नहीं है। महोदय, जब वहां ऐसी समस्या विद्यमान है तो कब तक लोग इस अभागेपन को बर्दाश्त करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या को गम्भीरता से लिया जाए और बिहार को बाढ़ की विभीषिका तथा खास तौर से हिमालय के निचले इलाकों में बाढ़ की विभीषिका का समाधान खोजा जाए।

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सत्र के प्रथम दिन देश में बाढ़ और सूखे की समस्या पर बहस के लिए, अध्यक्ष महोदय ने समय दिया है, इससे इस समस्या के महत्व को स्वीकारा जा सकता है। महोदय, मैं पटना से आता हूं और आज से हजारों साल पहले भगवान बुद्ध के पटना के विषय में कहा था कि इसकी बर्बादी आग, बाढ़ और आन्तरिक कलह से होगी। मैं समझता हूं कि अग्नि की वजह से तो कम नुकसान हुआ है परन्तु बाढ़ और आन्तरिक कलह के कारण, उन्होंने जो बात पटना के विषय में कही थी, वह पूरी तरह लागू होती है।

आज बाढ़ की समस्या बिहार राज्य तक ही सीमित नहीं है, सारे भारतवर्ष में उसको देखा जा सकता है। हर साल उससे बड़े पैमाने पर क्षति होती है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा तटवर्ती इलाके तो बाढ़ से पीड़ित हैं ही लेकिन विडम्बना ऐसी है कि हमारे देश में बाढ़ के साथ-साथ कई प्रदेशों में सूखा भी पड़ता है। एक क्षेत्र में बाढ़ के कारण लोगों को परेशानी होती है तो दूसरी तरफ सूखे की वजह से लोग परेशान हैं। मेरा सुझाव है कि बाढ़ से उत्पन्न जितनी समस्याएं हैं, और सूखे के कारण जो कष्ट लोगों को होता है, दोनों को एक साथ सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिये। हमारे प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रपति जल नीति के संबंध में जैसी कल्पना की है, सूखा-नीति की कल्पना की है और जिस तरह से पर्यावरण पर जोर दिया है, इससे हमें उन समस्याओं को सुलझाने में भी मदद मिलेगी।

बाढ़ की समस्या सिर्फ नदियों में पानी ज्यादा आ जाने से ही उत्पन्न नहीं होती है, कहीं तो वर्षा ज्यादा होने की वजह से बाढ़ आती है, आजकल एक नई समस्या है कि जहां बड़े-बड़े बांध बनते हैं, उनके आसपास काफी पानी जमा हो जाता है और उसकी वजह से भी लोगों के सामने कई तरह की कठिनाइयां उपस्थित हो जाती हैं। तटबंध टूटने के कारण जो समस्या पैदा होती है, वह अलग समस्या है। इसे मैन-मेड भी कहा जा सकता है जो आदमी की लापरवाही से पैदा होती है। हिन्दुस्तान में ऐसा भी देखा गया है कि जो बाढ़-प्रोन इलाके हैं, जहां अधिक बाढ़ आती है, यदि एकड़ के हिसाब से देखा जाए तो वह भूमि बढ़ती ही चली जा रही है। उसके पीछे कारण यही है कि हमारी नदियों की गहराई कम होती जा रही है और जंगल कटते जा रहे हैं।

हिमालय क्षेत्र में जहां पहले 50 प्रतिशत जंगल था, अब वह घटकर 1/3 भाग भी नहीं रह गया है, इन सब कारणों से बाढ़ की समस्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। हमें इस पर विचार करना चाहिए। अब मैं बिहार की ओर आता हूं।

जैसा यहां पर डा० राजहंस ने कहा, यदि हम उत्तरी बिहार को देखें तो वहां नदियों का जाल-सा बिछा हुआ है, बागमती, कोसी, गण्डक, बूढी गण्डक आदि बहुत-सी नदियां हैं, लेकिन वहां से गरीबी फिर भी नहीं जाती। जैसा फोर्डफाउन्डेशन के एक्सपर्ट ने कहा था कि बिहार की जमीन बहुत उपजाऊ है, वहां पानी भी है, लेकिन उसके बावजूद गरीबी भी है इसलिए कि अरबों रुपये की फसल वहां हर साल बर्बाद हो जाती है।

इसलिए इन नदियों पर व्यापक दृष्टिकोण से डैम बनाने का नहीं सोचा जाएगा तब तक उत्तरी बिहार का विकास नहीं हो सकता है। एक वहां गंडक योजना चल रही है, पता नहीं वह कितने सालों से चल रही है और कब तक पूरी होगी तथा पूरी होगी भी या नहीं। इसी प्रकार से वहां पर एक वैशाली जिला है, जो तीनों तरफ से नदियों से घिरा है। अब मैं गंगा नदी पर आता हूं। वह ठीक बिहार के बीचों बीच से गुजरती है और बिहार के लोगों को मोक्ष लेने के लिए तो ठीक है, लेकिन उससे कोई फायदा बिहार के लोगों को नहीं है। उस पर डैम बक्सर के नजदीक बनाया जाय तो शायद कुछ फायदा हो सकता है। वहां पर सर्वेक्षण होना चाहिए कि किस तरह से इस गंगा नदी पर डैम बनाया जाए, तो उससे बिहार के इलाके को फायदा हो सकता है।

अब मैं पटना शहर पर आता हूं। जैसा मैंने पहले कहा पता नहीं यह भगवान बुद्ध का श्राप है या क्या है कि वहां इतने संकटों से लोगों को गुजरना पड़ता है। पटना में एक पुनपुन नदी है उस पर भी तटबन्ध नहीं बन सका है। सोन नदी पर बांध बनाने के लिए बहुत साल पहले अंग्रेजों ने सोचा कि शायद सोन नदी पर बांध बनाने से बिहार के लोगों को फायदा होगा इसलिए उन्होंने सोन नदी पर बांध बनाया और अब वह बांध 110-115 वर्ष पुराना हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने उस बांध को देखने तक का प्रयास नहीं किया है। अब वह बांध टूट गया है और खराब हालत वहां पर इसके कारण हो गई है।

पिछले सत्र में सिंचाई मंत्री महोदय ने कहा था कि अगर बिहार सरकार इस बांध से संबंधित सारी फाइलें और सूचना केंद्र को भेज देगी, तो जो बाहर सौ करोड़ की योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से बन चुकी है, उसको केन्द्र सरकार शीघ्र मंजूरी दे देगी। तो अब मंत्री महोदय अपने कहे अनुसार इसको शीघ्र मंजूरी दिलावें। क्योंकि बिहार सरकार को तो वैसे ही बहुत कम पैसा मिलता है इसलिए वह अपने साधनों से तो इसको पूरा नहीं कर सकती है। अतः मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार इसके लिए शीघ्र ध्यान दे।

अब मैं छोटा नागपुर क्षेत्र की तरफ आता हूं। वहां पर सूखा है। बिहार एक ऐसा प्रान्त है जहां पर खान हैं जिनका इस्तेमाल तो सारा देश करता है, लेकिन वहां पर जो विपत्तियां आती हैं, उनका कोई इन्तजाम नहीं होता है। इसीलिए आज अगर भारत में कहीं पिछड़ापन है, तो वह बिहार में सबसे ज्यादा है। भारत में पैदा होने वाली हर समस्या जैसे सूखा या बाढ़ जो भी आपदाएं आती है वे बिहार भी आती हैं।

मैं, अन्त में सिंचाई मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि बिहार में सोन नदी पर बांध

बांध की जो परियोजना है, उसको कम से कम तुरन्त क्लियर कर दें और इसी प्रकार की अन्य परियोजनाएं जो उत्तरी बिहार की नदियों के सम्बन्ध में हैं, उन पर शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही की जाकर उन्हें मंजूरी दिलवाई जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, वे सभी लोग जो बाढ़ और सूखे से प्रभावित हैं इस सभा के प्रति कृतज्ञ होंगे कि इस सभा ने देश की इस ज्वलन्त समस्या को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है, लेकिन मात्र चर्चा ही पर्याप्त नहीं है। मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त सहायता उपाय करेगी।

मैं, व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि देश के किसी भी भाग में ऐसी प्राकृतिक विपदा आने पर उसे राष्ट्रीय विपत्ति समझा जाना चाहिए। जिस तरह से पिछले दिनों प्रधान मंत्री महोदय तमिलनाडु अचानक हवाई जहाज से पहुंचे और कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने तमिनाडु प्रभावित लोगों को कुछ अनुदान राशि दी, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। इससे वहां की राज्य सरकार को काफी नैतिक बल मिला है। जब बंगलादेश में प्राकृतिक विपत्ति आई थी तो हमारे प्रधान मंत्री ने लंका के प्रधान मंत्री के साथ वहां का अचानक दौरा किया था, जिसकी सारे विश्व में सराहना की गई थी। जब कभी किसी राज्य में सूखा या बाढ़ आये, सभी राज्यों को इसे अपनी समस्या समझना चाहिए न कि यह मत्रा प्रभावित राज्य की ही चिन्ता होनी चाएहि।

अब मैं अपने राज्य के बारे नें कुछ कहना चाहता हूं। पहले ही माननीय सदस्य श्री देसाई ने संक्षेप में स्थिति के बारे में चर्चा की है? और जो कुछ उन्होंने कहा है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। पिछले तीन वर्षों से मेरे राज्य में सूखा पड़ रहा है, लेकिन इस वर्ष यह सूखा पिछले वर्षों की तुलना में बहुत गम्भीर है। दक्षिण-पश्चिम मानसून सही ढंग से आरम्भ हुआ था, लेकिन यह अनियमित हो गया और इसने कर्नाटक की जनता को पूर्णतः धोखा दिया। कर्नाटक राज्य सरकार ने हर सम्भव सहायता प्रदान की और अपने तंत्र को चुस्त, तेज किया। आपको जानकर हैरानी होगी कर्नाटक के 19 जिलों में से 18 जिले इससे प्रभावित हैं। यहां तक कि मालनाड जिला जहां प्रर्याप्त वर्षा होती थी, इससे प्रभावित है। 175 तालुकों में से 146 तालुके प्रभावित हैं और इस सूखे से राज्य में करीब 50 प्रतिशत जनता प्रभावित है। आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि राज्य सरकार कैसे स्थिति का निपट रही है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि विधायकों और स्थानीय नेताओं के सहयोग से राज्य सरकार अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रही है। लेकिन उनके सीमित वित्तीय साधन इस कार्य में मुख्य बाधक हैं। मैं श्री बूटा सिंह को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। जब इन्होंने बंगलौर का दौरा किया तो सूखे की स्थिति की गंभीरता को महसूस किया और उन्होंने 151 करोड़ रु० की मांग के एवज में इस वर्ष 53 करोड़ रु० मंजूर किये हैं। लेकिन पिछले दो वर्षों, 1984 और 1985 में केन्द्रीय सहायता बहुत कम दी गई। 209 करोड़ रु० की मांग में से मात्र 32.5 करोड़ रु० की ही केन्द्रीय सहायता दी गई। इसकी वजह से राज्य को पिछले लगातार दो वर्षों में 2,000 करोड़ रु० का घाटा उठाना पड़ा और खाद्य उत्पादन पर घाटे और राजस्व में घाटे कुल मिलाकर राज्य सरकार के एक वर्ष राजस्व के बराबर हो गये। इन हालतों में राज्य सरकार कैसे कार्य कर सकती है? उसकी विकास योजनाओं का क्या होगा? सूखे के कारण इस वर्ष राज्य के सभी विकास कार्यों

पर असर पड़ा है। आप जानते हैं, कर्नाटक में ज्यादातर बिजली योजनाएं, पन-बिजली परियोजनाएं हैं, इस सूखे के फलस्वरूप राज्य में उद्योगों को दी जाने वाली बिजली में 70 से 75 प्रतिशत की कटौती हुई है, जिससे औद्योगिक उत्पादन पर असर पड़ा है।

अतः श्रीमन, मैं पुनः श्री देसाई के इस तर्क का समर्थन करता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता और केन्द्र द्वारा सूखे की स्थिनि का जायजा लेने संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत पूरी तरह से बदले जाने चाहिए। माननीय मंत्री ने पिछले दिनों कहा था कि इनमें परिवर्तन किया जायेगा। यह अच्छे के लिए परिवर्तन होना चाहिए। यह तर्कसंगत होना चाहिए। मेरा यही कथन है। मात्र कैलेंडर वर्ष को ही लें। राज्य सरकार ने करीब 100 करोड़ रु० खर्च किये जिसमें से केन्द्र ने 53 करोड़ रु० ही दिये। इसी प्रकार राज्य सरकार प्रति वर्ष अपने विकास बजट में से काफी राशि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए खर्च कर रही है।

मैं जानता हूं कि मेरे हिस्से समय बहुत कम है। मैं केवल एक मिनट और बोलूंगा। आप उन क्षेत्रों को जानते हैं, जहां बार-बार सूखा पड़ता है। मैं 16 वर्षों तक विधायक रहा हूं और हर वर्ष मैं इस विषय पर बोलता रहा हूं और सुनता रहा हू कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को सूखा सहायता के लिए स्थायी उपाय करने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाये गये उपाय नगण्य हैं। स्थायी उपाय होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं कि कोलार क्षेत्र में बार-बार सूखा पड़ता है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि कर्नाटक राज्य सरकार ने शुष्क भूमि पर खेती आदि उपाय किए हैं, जिनके बारे में माननीय कृषि मंत्री जानते हैं। इसके लिए काफी राशि चाहिए। इस प्रक्रिया के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। राज्य सरकार अपने स्रोतों से इस राशि को नहीं जुटा सकती। मैं केन्द्र से निवेदन करता हूं कि वे स्थायी उपायों को उच्च प्राथमिकता दे। इस संबंध में श्री देसाई द्वारा कही गई बातों मैं समर्थन करता हूं। तमिलनाडु में कई लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और देश के अन्य भागों में कई अन्य लोग सूखे से प्रभवित हुए हैं। केन्द्र सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित बनाना चाहिए कि लोगों को सहायता प्रदान की जाए ताकि उनके दुखों में कमी आ सके।

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा में भाग लेने के लिए कई सदस्यों ने अपने नाम दिये हैं। सभी सदस्यों को सम्मिलित करने के लिए आवश्यक है कि सदस्यगण संक्षेप में अपनी बात कहें। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा उठाई जा रही मुश्किलों के प्रति चिन्ता व्यक्त करना चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे संक्षेप में अपनी बात रखें ताकि ज्यादा सदस्यों को शामिल किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : माननीय सभापति जी, संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में खाद्यान्न की उत्पत्ति दुगनी हुई है। लेकिन आज भी विश्व के लगभग 50 करोड़ व्यक्ति खाद्यान्न के अभाव से पीड़ित हैं। इसके साथ ही मानव ने विज्ञान टेक्नालाजी और दूसरे क्षेत्रों में बहुत बड़ी प्रगति की है, लेकिन दैवी आपदाओं का मुकाबला करने में अब भी मानव शक्ति एवं मानव संसाधन काबू पाने में सक्षम नहीं हो सके हैं। यही कारण है कि हिन्दुस्तान का इतिहास बताता है कि 1850 से 1900 तक भारतवर्ष में 24 अकाल

पड़ हैं। इससे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि भारतवर्ष में प्रत्येक दो वर्ष के बाद अकाल की स्थिति किसी न किसी भू-भाग में रहती है।

मैं जिस प्रान्त से आता हूं वह अपने आपमें प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित है। मुझे सदन को सूचना देते हुए इस बात का क्षोभ है कि राजस्थान में पिछले 7 वर्षों से लगातार अभाव और अकाल की स्थिति है। वहां का अकाल और अभाव केवल खाद्यान्न तक सीमित नहीं बल्कि पशु चारा एवं पीने के पानी के अभाव तक जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1985 का वर्ष भारतवर्ष के लिए प्राकृतिक आपदाओं का वर्ष है। जनवरी, 1985 में शीत लहर से उत्तरी भारत और मध्य भारत काफी प्रभावित हुआ और काफी नुकसान हुआ। इसके साथ ही साइक्लोन और अधिक वर्षा उड़ीसा, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में आई। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा के कुछ भागों में अगस्त माह के दूसरे सप्ताह के पश्चात मानसून नहीं आता और इस साल वहां पर बहुत बुरी तरह से इंसान अकाल का मुकाबला कर रहा है। आज अकेले राजस्थान में 30 हजार से अधिक गांव अकाल की चपेट में हैं, दो करोड़ से अधिक व्यक्ति अकाल से पीड़ित हैं और तीन करोड़ पशु-धन अकाल से जूझ रहा है। पशुओं के लिए चारा नहीं है और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है।

आज पश्चिमी राजस्थान की इकोनमी पैस्ट्रल-पशुधन पर आधारित है। इसी प्रकार के अभाव की स्थिति में राजस्थान का पशुधन समीपवर्ती क्षेत्र हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश के इलाकों में जहां पर चारा मिलता था, वहां जाता था, लेकिन हमें यह कहते हुए दुख है कि इस वर्ष मालवा अर्थात मध्य प्रदेश में भी अकाल की स्थिति है। जिस मालवा के लिए कहा जाता था कि "पग-पग रोटी, डग-डग नीर" वहां भी अभाव की स्थिति है। इस कारण वहां का किसान और वहां के गांव के रहने वाले लोग हमारे यहां के पशुओं को वहां जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं करते हैं।

यही हालत हरियाणा के समीपवर्ती इलाके और उत्तर प्रदेश की है। मैं निवेदन करते हुए सुझाव दूंगा कि राजस्थान नहर की जो परियोजनायें पीने के पानी के लिए तजवीज की गई हैं उनको केन्द्र सरकार वित्तीय सहायता दे जिससे कि पीने के पानी की व्यवस्था हो सके।

इसके अलावा जो हमारी स्थानीय नदियां हैं उन नदियों के ऊपर इस तरह के जल स्रोत कायम करे जिससे पीने के पानी का संकट समाप्त हो जाये। आवश्यकता इस बात की है कि आप पीने का पानी उनको उपलब्ध करायें और पाने का पानी उपलब्ध कराने के लिए पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी केनाल से जो परियोजनायें तजवीज की गई हैं इनको पूरा किया जाये। साथ-साथ जयपुर के लिए जो योजना स्वीकार की गई हैं अर्थात बनास नदी योजना, उसको शीघ्र पूरा किया जाये। राजस्थान को आप शत-प्रतिशत सहायता दें। एडवांस प्लान का पैसा इस प्लान में एडजस्ट नहीं किया जाये। राजस्थान सरकार ने जो 500 करोड़ रुपये की मांग की है। मुझे उम्मीद है कि माननीय कृषि मंत्री जी पूरी सहायता देकर अकाल से निपटने के लिए राजस्थान प्रान्त को मदद देंगे।

[अनुवाद]

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति (कनकपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं देश के विभिन्न भागों

में सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक विपत्तियों से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी प्राकृतिक विपदाएं हमारे देश में हर वर्ष एक आम बात हो गई है। वर्षा न होने से सूखा पड़ता है, जबकि बाढ़, चक्रवात, प्राकृतिक प्रकोप हैं। लेकिन भारत सरकार इन पर काफी बड़ी रकम खर्च कर रही है। छठी पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण और इससे हुए नुकसान की पूर्ति के लिए ही 1045 करोड़ रु० खर्च किये थे।

मैं, पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में बाढ़ से हुए नुकसान का ब्यौरा इस प्रकार है:—

1980-81	1,182 करोड़ रु०;
1982-83	1,714 करोड़ रु०;
1984-85	2,460 करोड़ रु०;

बाढ़ों के कारण हमें इतने अधिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि भारत सरकार ने 1954 में बाढ़ के संबंध में एक नीति तैयार की थी और 12 वर्ष पूर्व, बाढ़ से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया था, लेकिन इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं किया गया। श्री के० एल० राव, जो कि केन्द्र में कृषि मंत्री थे, ने भी विभिन्न प्रस्तावों का सुझाव दिया था और देश के विभिन्न भागों में बाढ़ नियंत्रण के लिए एक व्यापक रिपोर्ट पेश की थी। लेकिन इस दिशा में कुछ नहीं किया गया।

सूखा से निपटने के कार्यक्रम का उद्देश्य यह होना चाहिए कि राज्यों में ही आधार-ढांचा तैयार किया जाए? जैसे कि जल संसाधन का उचित प्रबन्ध, सिंचाई सुविधाओं का उचित विस्तार, वह भी चोटी सिंचाई योजनाओं द्वारा, और भूमिगत जल का सही प्रयोग और फसलों की उचित अदल-बदल। राज्यों को चाहिए कि वे चारा-बैंक तैयार करें और सुरक्षित भंडार बनायें। राज्य सरकारों द्वारा यह आधार ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 38 वर्षों बाद भी, प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करने के लिए, राज्यों ने इस आधार-ढांचे को तैयार नहीं किया।

केन्द्रीय सरकार ने डी० पी० ए० पी०, एन० आर० ई० पी०, डेयरी विकास कार्यक्रम, आर० एल० ई० जी० पी० और आई० आर० डी० पी० आदि कई योजनाएं बनाई हैं। ये कार्यक्रम विशेषरूप से कमजोर वर्गों और प्रभावित क्षेत्रों के लिए बनाये गए हैं, लेकिन इन्हें राज्य स्तर पर लागू किया जाना है।

अब मैं, कर्नाटक के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जैसा कि मेरे से पूर्व के वक्ता ने दिया था, हमारे राज्य में पिछले तीन वर्षों से सूखा पड़ रहा है, वह भी, इस वर्ष इसका प्रकोप अधिक है, 19 जिले सूखे से बुरी तरह प्रभावित हैं, 146 तालुक प्रभावित है, 21,000 गांव और करीब 1.6 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। इससे कर्नाटक के कई भागों में व्याप्त समस्या की गम्भीरता का अन्दाजा लगाया जा सकता है।

जैसा कि पहले कहा गया है। केन्द्रीय सरकार ने काफी सहायता दी है। यह सहायता समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त न हो, लेकिन उन्होंने काफी राशि दी है।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान राज्यों और सूखा, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने संबंधी ढांचे की ओर से दिलाना चाहता हूं। सामान्यता उन सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए, राज्य को उसके योजना व्यय से धन आबंटित किया जाता है। जबकि बाढ़ से प्रभावित राज्यों के लिए गैर-योजना व्यय से सहायता दी जाती है। क्योंकि दोनों क्षेत्र एक जैसे प्रभावित हैं, अतः मैं माननीय मंत्री को सुझाव दूंगा कि वे योजना आयोग को सुझाव दे सकते हैं कि सूखे प्रभावित क्षेत्र को दी जाने वाली सहायता को भी गैर-योजना व्यय माना जाए और उस राज्य के योजना व्यय में से इस राशि को न घटाया जाए। मेरा उनसे यह विनम्र अनुरोध है।

क्या सरकार ने सूखे, बाढ़ या चक्रवात आदि से प्रभावित राज्यों को सहायता देने के उद्देश्य से कोई अलग से मंत्रालय या अलग से केन्द्रीय एजेंसी का गठन करने का विचार रखती है ? सातवीं योजना में इन समस्याओं से निपटने के लिए कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है और न ही इसके लिए कोई धन ही रखा गया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करें।

सारे देश में इस धन के अपव्यय के बारे में शोर मचाया जा रहा है। क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है, जिससे प्रभावित राज्यों को दिये जाने वाले धन के खर्च की निगरानी की जा सके ? इन शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह कर्नाटक को अधिक सहायता दें, ताकि राज्य इन समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल कर सके।

श्री डी० पी० जदेजा (जामनगर) : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है और कई सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं। कई सदस्यों ने इस विषय पर बोलने के लिए अपने नाम दिये थे, लेकिन वक्ताओं की सूची में उनके नाम नहीं हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उन सदस्यों को अपने विचार रखने के लिए भी कुछ समय प्रदान करें।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : उड़ीसा, तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों के साथ-साथ मेरा राज्य भी बाढ़ एवं तूफानी हवाओं से प्रभावित है। भारत के लगभग सभी हिस्सों में बाढ़ एवं तूफान का प्रकोप है। जैसा कि हम जानते हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा का कुछ हिस्सा सूखे से अत्यधिक प्रभावित है। मैं इस बात को सरकार की जानकारी में लाऊंगा कि यह प्रकृति द्वारा बदला लिये जाने के अलावा कुछ भी नहीं है। नदियों पर नियंत्रण करने में तो हम समर्थ रहे हैं परन्तु नदियों के बहाव को रोकने में हम बुरी तरह असफल रहे हैं। पूरे भारत में नदी तल बहुत ऊंचा हो गया है तथा नदियों द्वारा पानी झेलने की क्षमता कम हो गई है और प्रत्येक वर्ष यह क्षमता कम होती जा रही है। जबकि समूचे देश में 33 प्रतिशत भूमि को वनभूमि के अंतर्गत लाना चाहते हैं, क्योंकि किसी-किसी हिस्से में तो यह 12 से 10 प्रतिशत ही है। सारे देश का औसत केवल 22 प्रतिशत है। जो कोई भी बांध पहले बनाये गये हैं उनका निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है। उदाहरण के लिये दामोदर घाटी निगम को लीजिये, अगर आप निर्माण कार्य को पूरा करना चाहते हैं तो आपको दो बांधों को और बनाना होगा ताकि आप एक का पानी दूसरे में उपयोग कर सकें। विद्यमान बांध में गाद जमा है। स्वाभाविक है जो कोई भी बांध आप बनाते हैं उसमें गाद जमा हो जाती है क्योंकि ये सभी 50 से 60 वर्ष पुराने हैं। हम महसूस कर रहे हैं कि पुराने बांधों की जगह नये बांध बनने चाहियें। यह बहुत ही आवश्यक होता जा रहा है क्योंकि प्रकृति प्रतिशोध कर रही है इसीलिये कहीं पर बाढ़ है तो कहीं पर सूखा

हमारी सरकार को अन्य राज्यों की मदद से उपाय करने चाहियें ताकि उपचारात्मक कदम उठाये जा सकें। हम वनभूमि का विस्तार करना होगा; हम नदियों की सफाई करनी होगी क्योंकि सभी नदियों में गाद जमा हो गई है, उनकी सफाई की जानी चाहिये। भारत में हम नदियों के प्रति बहुत ही सम्मान एवं सद्भाव रखते हैं। उदाहरण के लिये पवित्र नदी गंगा का लीजिये गंगा नदी की पवित्रता समाप्त हो रही है। बिहार तथा उत्तर प्रदेश जहां से गंगा बहती है, बरसात के दिनों में वहां बाढ़ आ जाती है और गर्मियों में पानी का अभाव हो जाता है। इन सभी बातों पर गौर किया जाना चाहिये।

हमें खुशी है कि श्री योगेन्द्र मकवाना ने हमारे राज्य का दौरा करने वाले थे। हमने माननीय मंत्री जी के आने की भी आशा भी की थी, परन्तु समाचार पत्रों से हमें पता चला कि कुछ और कार्यों की वजह से वे नहीं आ सके।

उड़ीसा में बार-बार भारी तूफान एवं बाढ़ आती रहती हैं। हजारों की संख्या में लोग बेघर हो जाते हैं। मेरे राज्य में भी मिदनापुर, जहां से मैं आता हूं 24-परगना, हावड़ा तथा हुगली सभी जिले प्रभावित हुये हैं। 50 हजार लोग बेघर हो गये, 4,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया तथा सरकारी सूची के अनुसार पश्चिम बंगाल में 18 लोग तथा उड़ीसा में 33 लोगों की मृत्यु हुई। उड़ीसा तथा बंगाल में अभी भी कई मछुआरे लापता हैं।

उड़ीसा में बालासोर, कटक, मयूरगंज तथा क्योंकर जिले बाढ़ग्रसित हैं जबकि कालाहाडी फूलबनी, बालनागर जिले सूखे से प्रभावित हैं। मां द्वारा पुत्री का बेचा जाना तथा भाई द्वारा बहन को बेचना सभी खबरें उड़ीसा की हैं जहां पर सूखा पड़ा हुआ है। जब कभी भी प्रधान मंत्री जी का दौरा होता है तो कुछ काम किया जाता है। परन्तु देश सिर्फ एक आदमी, अकेले प्रधान मंत्री ने नहीं चलाया जा सकता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह वहां की परिस्थिति से बहुत ही अप्रसन्न थे। उन्होंने जिस भी राज्य में गये उस स्थिति को देखा। जो कुछ भी प्रस्ताव बनाये जाते हैं, प्रधान मंत्री के लौटने के बाद उन्हें ताक में रख दिया जाता है उड़ीसा में ऐसा ही हुआ है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : प्रस्तावों को ताक पर रख दिया जाता है, आपको यह कैसे पता चला ?

श्री नारायण चौबे : क्योंकि हमें समाचार-पत्रों दूरदर्शन द्वारा यह पता चला है। आपके मुख्य मंत्री श्री जे० बी० पटनायक ने खुले तौर पर कहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, जबकि ऐसा दूरदर्शन पर कहा गया है। दूरदर्शन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण रखा जाता है न कि हमारे द्वारा।

अतः ऐसी ही हालत बहुत से राज्यों की है। मैं नहीं कहता कि मेरे राज्य की स्थिति अच्छी है। यहां पर भी स्थिति खराब ही है। मैं नहीं जानता वे क्या कर रहे हैं परन्तु मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्यों की मदद करें।

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : आप पश्चिम बंगाल की बात क्यों नहीं करते ?

श्री नारायण चौबे : वह मैं आप पर छोड़ता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार की मदद करने के लिये आप कुछ भी कह सकती हैं। पश्चिम बगाल सरकार ने वहां के मिदनापुर जिले में

सुवर्णरेखा नदी पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव किया था जोकि योजना आयोग के पास है। इस बार सुवर्णरेखा नदी ने पश्चिम बंगाल में काफी तबाही मचाई है और बर्बादी की है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस बांध को इस नदी पर बनाया जाये।

इस बार सुन्दरबन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। सुन्दरबन के एकदम दूसरी तरफ बंगलादेश है। तत्कालीन पाकिस्तान सरकार ने पक्की एवं कंक्रीट तटबन्धन किया था। उनके सम्पूर्ण तटबन्धन पर जीप द्वारा जाया जा सकता है। यहां तक कि उनकी फौज भी इस तटबन्धन पर परेड कर सकती है। परन्तु पश्चिम बंगाल में इस तरफ बैलगाड़ी या साइकिल तक भी नहीं चलायी जा सकती है। यह सिर्फ पश्चिम बंगाल का ही प्रश्न नहीं है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का भी प्रश्न है। मैं आपके द्वारा प्रधान मंत्री और भारत सरकार द्वारा इसमें मदद किये जाने की आशा करता हूं कम से कम सुन्दरबन पर तो तटबन्धन का कार्य केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना चाहिये तथा इसे पक्का बनाना चाहिये। क्योंकि होता यह है कि बाढ़ आने पर पानी पश्चिम बंगाल की नदियों में आता है तथा फिर बंगलादेश की तरफ जाता है। परन्तु उधर जाने पर यह पानी पक्के तटबन्धन से टकरा कर वापस हमारी तरफ आ जाता है। यह एक ऐसी समस्या है जोकि सिर्फ अकेले पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नहीं सुलझाई जा सकती। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे सुन्दरबन तटबन्धन को केन्द्र की सहायता से पक्का एवं कंक्रीट वाला बनवायें।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : प्रत्येक वर्ष उड़ीसा तूफान, बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित होती है। मुझे कहना है कि 13 जिलों में से 9, 121 खण्ड तथा 7509 ग्राम पिछली तूफानी बाढ़ के शिकार हुये हैं। 40 लाख लोग इससे प्रभावित हुए तथा पांच लाख हेक्टेयर भूमि जलमग्न हुई। लगभग 40 लोगों की मृत्यु हुई।

प्राकृतिक विपदाओं के बाद सहायता देने के वर्तमान ढंग के बारे में हमारे पक्ष की तरफ से काफी सदस्य बोल चुके हैं। बाढ़ के लिये अनुदान दिया जाता है तथा सूखे के लिये दी गई सहायता को योजना आबंटन में से काट लिया जाता है। इससे उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य की संसाधन स्थिति विकार हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप विकसित किये जाने वाले क्षेत्रों में भी कमी आती है। मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि सम्पूर्ण सहायता अनुदान की शकल में होनी चाहिये।

अक्तूबर, 1985 में; उड़ीसा में बाढ़ आने पर 30 करोड़ रुपये की तदर्थ सहायता की राज्य सरकार ने मांग की थी। परन्तु केन्द्र सरकार ने कहा कि केन्द्रीय दल द्वारा निर्धारण करने के बाद केन्द्रीय सहायता दी जायेगी। यह घोषणा 15 नवम्बर को की जानी थी परन्तु अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की गई है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वे इस कार्य में प्रगति लायें।

मैं कहूंगी कि उड़ीसा में सभी तरह की प्राकृतिक विपदायें आती हैं जैसे कि बाढ़, तूफान चक्रवात तथा यहां तक कि सूखा भी पड़ता है।

जहां तक चक्रवात का संबंध है, भूमि तथा समुद्री मौसम संबंधी वेधशालाओं द्वारा सही जानकारी लेने के लिये उनका आधुनिकीकरण करवा एवं सशक्त बनाना जरूरी है। तूफान आने

पर पारादीप एवं भुवनेश्वर के बीच दूर-संचार व्यवस्था में गड़बड़ी आ जाती है। इसे भी ठीक किया जाना चाहिये।

तटवर्तीय क्षेत्रों के लिये आपात योजना की भांति ही देश में राष्ट्रीय चक्रवात संहिता होनी चाहिये।

मैं तो कहूंगी कि तूफान (चक्रवात) तैयारी में शोध की तुरन्त आवश्यकता है। सरकार को कार्यक्रम तैयार करने चाहिये तथा शोध कार्य करने चाहिए कि किस प्रकार से प्राकृतिक विपदाओं द्वारा उत्पत्त स्थिति का सामना किया जाये।

अभी-अभी विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने प्राकृतिक विपदाओं पर बोला और मेरे विचार से वे केरल के हैं। उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में होने वाली प्राकृतिक विपदाओं पर उन्हें बहुत सहानुभूति थी परन्तु वे सिर्फ आन्ध्र और तमिलनाडु के पक्ष में ही बोल रहे थे। यद्यपि उड़ीसा में आने वाली प्राकृतिक विपदाओं पर उन्हें सहानुभूति तो थी परन्तु उन्होंने कहा कि इन विपदाओं से निपटने के लिये उड़ीसा सरकार ने कठोर मन से काम किया। म उन्हें बताना चाहूंगी कि पिछले 200 वर्षों में उड़ीसा में कभी भी ऐसी बाढ़ नहीं देखी गयी। मुझे 1950 की की बाढ़ याद हो आती है जब दलाईवई में दरार पड़ गई थी, इसकी वजह से वहां की सरकार खत्म हो गई थी। अगर 1982 में सभी संभव कार्यवाही न की जाती तो वहां के लोग सरकार को कमी सहन नहीं करते। प्राकृतिक विपदाओं को राज्य सरकार ने बड़ी गम्भीरता से लिया तथा केन्द्र सरकार की सहायता से सभी मुमकिन कार्यवाही की गई। वहां की स्थिति के बारे में राज्य सरकार काफी गम्भीर है।

जहां तक देश के कुछ भागों में सूखे की स्थिति का संबंध है, सिंचाई योग्य और सिंचित भूमि के अन्तर को पाटने, प्रयास शुरू करने के लिये और सूखा रोधी फसलें उगाने के लिये आकस्मिक योजनाएं बनाने के अतिरिक्त सूखी भूमि जल संरक्षण प्रयासों को आरम्भ करने में ही सही कार्यवाही मानी जायेगी। मैं यह बात अवश्य कहूंगी कि सूखे एवं बाढ़ से निपटन के लिये भरपूर प्रयास किया जाना चाहिये।

जहां तक बाढ़ पर नियंत्रण करने का संबंध है, हमारे राज्य को स्थायी उपचार चाहिये। इस संदर्भ में यह भी कहा जाना चाहिये कि अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण अवयवों को, जैसे कि सुवर्णरेखा को, पूरी तरह भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये।

मैं एक बात और कहना चाहूंगी। काफी वर्षों पहले केन्द्र सरकार ने डेल्टा क्षेत्रों में भविष्य में बाढ़ों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से स्थायी उपाय के रूप में महानदी पर हीराकुंड परियोजना के लिये पैसा दिया था और उसका निर्माण किया गया था। महानदी में गाद जमा होती जा रही है तथा इसकी उम्र भी कम होती जा रही है, अतः मैं कहना चाहूंगी कि केन्द्र सरकार महानदी के दूसरे चरण का निर्माण करने के बारे में विचार करे उसी प्रकार से वैतरणी नदी पर बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की भी आवश्यकता है तथा केन्द्र सरकार को इस पर जल्दी से जल्दी विचार करना चाहिये।

जब ये प्राकृतिक विपदायें आती हैं तो हम गरीबी दूर करने वाले कार्यक्रम जैसे कि एन० आर० ई० पी० तथा आर० एल० ई० जी० पी० आदि पर पूरा ध्यान देना चाहिये। इन कार्यक्रमों को पूरे जोर शोर से शुरू किया जाना चाहिये। निश्चित ही जो कार्य हम हाथ में लेते हैं उस पर हमें और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। पर कोलेशन तालाबों, नहरों सिंचाई करने वाले टैंकों से गाद हटाना, भूमि संरक्षण, वनरोपण तथा बेकार जमीन पर धान की खेती करने आदि बातों को निश्चित ही प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

इसी सदन में जब मैंने चक्रवात के बारे में बोला था, तो मैंने तटवर्तीय खेती के बारे में कहा था। तटवर्तीय बागान अत्यन्त महत्वपूर्ण चीज है और उस समय मैंने माननीय मंत्री जी से से पूछा था कि तटवर्तीय खेती कार्यक्रम का संचालन करने के लिये केन्द्र सरकार क्या कदम उठा रही है। अतः मैं चाहूंगी कि केन्द्र सरकार तटवर्तीय खेती कार्यक्रम और अन्य बाढ़ नियंत्रण उपायों को गम्भीरता से ले ताकि उड़ीसा को इन विपदाओं से छुटकारा मिले। कोई भी ऐसा वर्ष नहीं है जब उड़ीसा में ये विपदायें न आई हों। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुहा (कन्टई) : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में कंटई निर्वाचन क्षेत्र में 13 पंचायतें है, जिनमें 7 पंचायतें हाल ही में आए चक्रवात और बाढ़ों के कारण प्रभावित हुई हैं। बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए हैं, जिनमें कि अधिकांश मछुआरे हैं। मछुआरे मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में गए थे। बे चार-छः महीनों तक की खाद्य सामग्री लेकर समुद्र के किनारे बस गए थे, उनके पास मछली पकड़ने के काम आने के सभी तरह के साधन थे, लेकिन दुर्भाग्यवश चक्रवात और बाढ़ों के कारण उनका सब कुछ नष्ट हो गया। रेडियो के माध्यम से उन्हें बार-बार चेतावनी दी गई इससे केवल दो ही व्यक्तियों की जान गई किंतु बड़ी संख्या में लोगों का सारा सामान नष्ट हो गया। उनके घर नष्ट हो गए और उनकी सभी वस्तुएं बह गईं। उनके कई खेत नष्ट हो गए और कई ट्यूबवैल नष्ट हो गए जिसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में पीने का पानी नहीं मिला। 42 मील तक बांध नष्ट हो गया। इन बांधों का काफी लम्बे अर्से से उपयुक्त रखरखाव नहीं किया गया है। इसी कारण चक्रवात आने से बांध जल्दी ही टूट गए। उस पर भी सरकार ने पश्चिम बंगाल को कोई राहत नहीं दी। और कोई विकल्प न होने के कारण हमें कन्टई के एस० डी० ओ० के पास जाना पड़ा। आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि हमें अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने राहत दिए जाने के लिए कहा है किंतु पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें राहत नहीं दी।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : फिर राहत किसने दी ?

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुहा : आपने इस क्षेत्र का दौरा नहीं किया है। इसलिए आप नहीं जानते। मैंने कन्टई के कोने-कोने का दौरा किया है और मैं जानता हूं कि आपने कितनी राहत दी है। जो भी राहत दी गई है, वह केवल सी० पी० एम० के लोगों को दी गई थी। आम जनता को किसी तरह की राहत नहीं मिली। समाचार पत्रों में यह बात प्रकाशित हुई है और इस बात से इंकार नहीं किया गया है कि 23 करोड़ से भी अधिक सीमान्तक राशि बंगाल सरकार के पास

है और उन्होंने जरूरतमंद लोगों को राहत देने के लिए शायद ही उस राशि में से कुछ पैसा खर्च किया है। हमें कृषि मंत्रालय से प्राप्त लेखे-जोखे से पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राहत के लिए और धन दिए जाने के लिए नहीं कहा है। अतः पश्चिम बंगाल सरकार ने न तो स्वयं किसी तरह की राहत देने का प्रबन्ध किया और न ही रामाकृष्ण मिशन, भारत सेवक समाज, लुथेरिअन वर्ल्ड सर्विस जैसे स्वयंसेवी संस्थाओं से कन्टई में राहत कार्य संबंधी कोई बात कही, सामान्यतः जब उनसे कहा जाता है, वे इसे करते हैं।

मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करना चाहती हूं कि वह विभिन्न विभागों के लोगों का एक दल भेजे जो वहां के बांधों की स्थिति, पीने के पानी की व्यवस्था तथा कृषि संबंधी सुविधाओं की पुनरीक्षा करे। इस संबंध में मैं यह भी जिक्र करना चाहती हूं कि पिछले वर्ष पश्चिम-बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा पीने के पानी के लिए दी गई 8 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उन्हें वापस लौटा दी थी। उस क्षेत्र में लोगों को पेयजल नहीं मिल रहा है और इन्होंने पैसा लौटा दिया है। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि बहुत से क्षेत्रों में धान नष्ट हो गया है। उन लोगों को राहत दिए जाने का प्रबन्ध किया जाए, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि 24 परगने का भी बड़ा क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ है, लेकिन चूंकि समय का अभाव है, मैं उस क्षेत्र के बारे में नहीं बता पाऊंगी। लेकिन मैं इतना तो कहूंगी कि वहां की स्थिति भी कन्टई जैसी ही है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह बंगाल सरकार से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए कहे। मैं भारत सरकार से यह भी अनुरोध करती हूं कि वह बांधों की सुरक्षा तथा कृषि के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थायी प्रबंध करे, क्योंकि पश्चिम बंगाल के कन्टई क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

अंत में, मैं कहूंगी कि यदि चक्रवात 15-20 मिनट तक भी और रहता तो न केवल कन्टई क्षेत्र अपितु मिदनापुर क्षेत्र का अधिकांश भाग भी उजड़ गया होता, जैसा कि अक्तूबर, 1942 में हुआ था। यहां उपस्थित युवा लोगों को वहां की जनता की स्थिति की जानकारी नहीं है और वे नहीं जानते कि उस समय क्या हुआ था। पश्चिम बंगाल सरकार को जनता के प्रति बिलकुल सहानुभूति नहीं है, इसलिए वे उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे ये सब बातें बनाते हुए दुःख हो रहा है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़, सूखा और प्राकृतिक आपदाएं रोज की बात हो गई हैं।

संभवतः जब जनसंख्या कम थी और इस देश की संपदा कम थी तो स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह समझा नहीं जा सका।

लेकिन महोदय देश में जनसंख्या के साथ-साथ संपदा भी बढ़ी है, तो इनके कारण होने वाले विनाश में बहुत वृद्धि हुई है।

जब तक समय पर आवश्यक उपाय न किए जाएं, पशुओं तथा मानव के जीवन को बचाया नहीं जा सकता। यदि ये उपाय समय पर नहीं किए जाते, तो इससे आपको कोई सफालता नहीं मिलेगी। यह मेरा सविनय अनुरोध है।

राज्यों के मन में यह भावना है कि उनमें से बहुतों को अपर्याप्त सहायता दी जा रही है। लेकिन इस तरह गलतियां निकालने की बजाय, चूंकि संसद सदस्य ही राज्यों का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, यह निर्णय लिया जा सकता है कि यह देखने के लिए योजना नियतन में वृद्धि की जाए ताकि सभी राज्यों को पर्याप्त प्रावधान किया जा सके तथा उन्हें आवश्यक धनराशि दी जाए।

इसी तरह योजना आबंटनों में और राज्यों के बजट में भी व्यवस्था की जा सकती है।

अनेक बार ऐसा देखा गया है कि कई वार कई राज्यों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा बढ़ा-चढ़ा कर घाटे दिखाए जाते हैं, जिससे वास्तविक लोगों को जो संकटग्रस्त होते हैं तथा जिन राज्यों में इस प्रकार की आपदाएं आई होती हैं, उन्हें पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाती है। कई बार ऐसा पाया गया है कि बाढ़ से निर्धन लोग और मध्य वर्ग के लोग ही अधिक प्रभावित होते हैं। इन राज्यों को प्राथमिकता देकर और अन्य क्षेत्रों जैसे नागर विमानन, संचार विभाग आदि को दिए जाने वाले आबंटन में कटौती करके, इन्हें अधिक धन आबंटित किया जा सकता है। हमारे नीति दस्तावेज अनुसार आबंटन के संबंध में जिन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है, तदानुसार इस क्षेत्र को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, अल्पकालिक उपायों की बजाय दीर्घकालिक उपाय किया जाना आवश्यक है और इस संबंध में ये दीर्घकालिक उपाय ही करने होंगे।

मैं समझता हूं दीर्घकालिक उपाय करते समय हमें एक पृथक नियंत्रण बोर्ड बनाना चाहिए। हमें बाढ़ नियंत्रण या प्राकृतिक आपदा नियंत्रण बोर्ड बनाना चाहिए। यह इसे अखिल भारतीय स्तर पर बनाया जाना चाहिए तथा इसे आवश्यक धनराशि प्रदान की जानी चाहिए जिससे यह बोर्ड ऐसे क्षेत्रों का पता लगा सके, जहां पर अकसर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। उस बोर्ड द्वारा क्षति का पता लगाया जाना चाहिए और ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे समस्याओं का समाधान हो, जिसे किसी भी दल को इस ओर उंगली उठाने या कोई आरोप लगाने का मौका न मिले।

विशेष रूप से इसे देश में अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध जल संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। इससे हम न केवल आय बढ़ा सकते हैं अपितु इन बाढ़ों से होने वाली क्षति को भी रोक सकते हैं।

जल ग्रिड बनाए जाने का सुझाव पहले ही दिया जा चुका है। इस समय राष्ट्रीय ग्रिड बनाना संभव नहीं भी हो सकता है। लेकिन कुछ क्षेत्रीय ग्रिड या राज्य ग्रिड बनाए जाने के बारे में सोचा जा सकता है जिन पर हमारे देश के विभिन्न भागों में बनाई गई परियोजनाओं के कारण अधिक खर्च भी नहीं आएगा।

बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए लोगों के लिए बीमा योजना पर विचार किया जा सकता है। एकत्र किए जा रहे विभिन्न करों और उत्पाद शुल्कों तथा सीमा शुल्कों में से एक प्रथक निधि बनाई जा सकती है।

जो कंपनियां या व्यक्ति बाढ़ग्रस्त लोगों को राहत देने के कार्य में सहयोग दें उन्हें कर से छूट दी जा सकती है।

स्वयंसेवी संगठनों की भी प्रोत्साहन दिया जाना एक ऐसा कदम है जिसे व्यापक रूप से उठाया जाना चाहिये ।

6.00 म० प०

इसके कारण आंध्र-प्रदेश को हाल ही में बहुत नुकसान हुआ है । चूंकि यह समुद्र तट पर इसलिए वहां समुद्री तूफान और चक्रवात अलग से आते हैं । वहां भी यह ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार द्वारा अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई है । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर तुरन्त विचार करें क्योंकि जैसा कि मेरे कुछ सहयोगियों ने कहा कि विलंब से दी गई सहायता निरर्थक सिद्ध हो जाती है । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर बोलने के लिए कई सदस्यों ने अपने नाम दिए हैं । इसलिए मैं समझता हूं कि हम आज इस विषय पर चर्चा के लिए और अधिक समय बढ़ा सकते हैं ।

श्री बसुदेव आचार्य : हम इसे कल जारी रखेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : कई सदस्य आज ही बोलना चाहते हैं ।

श्री पी० कुलन्वईवेलू : महोदय, हम इस पर कल चर्चा कर सकते हैं । **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : कृपया इस चर्चा को कल जारी रखें ।

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं यह समझता हूं कि एक तरफ तो सदस्य चाहते हैं कि अधिक से अधिक विषयों पर चर्चा की जाए और यदि हम चर्चा इसी तरह स्थगित करते हैं तो कई बातों पर चर्चा नहीं की जा सकती है । इसलिए मैं तो समझता हूं कि मंत्री महोदय आज पूरे जवाब नहीं दे सकते । लेकिन सदस्यों के भाषण आज ही समाप्त हो जाने चाहिए, कल नहीं । अतः मेरा प्रस्ताव है कि आप समय और बढ़ा दिया जाए ।

श्री पी० कुलनवईवेलू : यदि मंत्री महोदय का आज यहां पर भाषण है तो इस विषय पर कोई तर्क-वितर्क नहीं किया जा सकता है ।...

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, मंत्री महोदय कल जवाब देंगे । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम पहले समय एक घंटा बढ़ा सकते हैं ? मैं चर्चा का समय एक घंटे तक और बढ़ा रहा हूं, उसके बाद और देखेंगे ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले हम समय एक घंटे तक ही और बढ़ाएंगे । मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने भाषण एक घंटे के अन्दर ही समाप्त कर दें, क्योंकि कई सदस्य अपनी बात संक्षेप में कहना चाहते हैं और इसलिए वे अपने भाषण एक घंटे में खत्म कर सकते हैं । 12 सदस्यों को बोलना है । यदि प्रत्येक सदस्य 5 मिनट ले, तो वे इसे एक घंटे में खत्म कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : क्या मंत्री महोदय जवाब कल देंगे ?

श्री एच० के० एल० भगत : वह जवाब कल देंगे। पहले सदस्यों को अपनी बात पूरी करने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम सभा एक घंटा तक और बढ़ाएंगे।

श्री डी० पी० जदेजा (जामनगर) : आपकी सूची के अनुसार केवल 12 सदस्यों को बोलना है, लेकिन इस विषय पर बहुत पर सदस्य बोलना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे।

6.03 म० प०

काय मंत्रणा समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री हरिकिशन लाल भगत) : महोदय, मैं कार्य मन्त्रणा समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

देश के विभिन्न भागों में बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा

[हिन्दी]

***श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** (राजकोट) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज आपने इस चर्चा में बोलने के लिए जो समय दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूं।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इस वर्ष भी कहीं अतिवृष्टि तो कहीं सूखा की स्थिति है। विशेषकर के गुजरात के 17 जिलों में से 10 जिलों में सूखे की स्थिति है। 184 तालुकों में से 127 तालुकों में बारिश नहीं हुई है। राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, बनासकांठा, अमरेली, मेहसाना, साबरकांठा आदि जिले सूखे की चपेट में आ गये हैं। राजकोट मेरा चुनाव क्षेत्र भी है और जिला भी है। मैंने इसके बारे में सदन के पिछले सत्र में भी चेतावनी दी थी। लेकिन खेद की बात है कि सरकार ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया।

वैसे तो इस हालत का मुकाबला करने के लिए गुजरात सरकार ने अपना कार्य तेजी से शुरू कर ही दिया है, लेकिन केवल गुजरात सरकार के काम से कुछ नहीं होगा। केन्द्रीय सरकार को भी अपना योगदान देना होगा। वरना गुजरात की जनता को अत्यन्त परेशानी का सामना करना पड़ेगा। गुजरात के मानवधन और पशुधन दोनों पर विपत्ति है।

---

*गुजराती में दिए गए भाषण का हिन्दी अनुवाद।

आज पशुधन बचाना अत्यन्त जरूरी है। मेरे चुनावा क्षेत्र में घास की अत्यन्त कमी है। इसे दूर करने के लिए मेरा सुझाव है कि पानी की कमी दूर करने के लिए जिस तरह महाराष्ट्र सरकार न फास्ट प्राड्यूसिंग यूनिट मशीन लाकर घास की कमी घास और खरीफ की फसल को बचाया, वैसे अन्य वैज्ञानिक तरीकों या साधनों का प्रयोग करके गुजरात सरकार को भी कुछ करना होगा। केन्द्रीय सरकार को भी इसके लिए आवश्यक उपकरण गुजरात सरकार को उपलब्ध कराने होंगे। जिससे बुचड़खाने में जा रहे पशुओं को हम बचा पायेंगे।

आज लोगों के सामने रोजगार का बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए यथासंभव अधिक से अधिक राहत कार्यों को शुरू करना पड़ेगा। और ज्यादातर रोजी की कीमत इस महंगाई के जमाने में मिलनी चाहिए।

बड़ी हैरानी की बात है कि आज जहां पर सौराष्ट्र में सिंचाई की सुविधा के लिए सिंचाई मेरे जिलों में के पम्प बनाने के लिए बड़े-बड़े उद्योग चल रहे हैं वहां पर पानी की किल्लत है। लोगों को पीने के लिए पर्याप्त पानी भी प्राप्त नहीं है। सरकार को चाहिए कि इसके लिए जरूरी कदम उठाये।

गुजरात में नर्मदा परियोजना बन रही है। उसका पानी सौराष्ट्र को देना होगा। सौराष्ट्र की महिलाओं की एक घड़ा पानी लेने के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है। जरा सोचिए तो कि गर्मियां आने तक उनका क्या हाल होगा?

नर्मदा जैसी बड़ी परियोजना गुजरात में ही बन रही हैं और सौराष्ट्र को उसका पानी तक नहीं मिलता। यह सौराष्ट्र के लिए अन्याय नहीं है तो और क्या है?

मैं अन्त में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती हूं कि गुजरात सरकार के सूखा राहत के मास्टर प्लान को सफल बनाने के लिए अपनी ओर से पूरी-पूरी मदद पहुंचायें।

आज मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपने जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : महोदय, तमिलनाडु की जनता और विशेषकर मद्रास शहर के लोग गत दिनों से आंसू बहा रहे हैं। मद्रास शहर की सड़कें बाढ़ के पानी से भर गयी हैं परन्तु मद्रास शहर के लोगों के आंसू सूख गये हैं।

झोंपडियों में रहने वाले लोग, विशेषकर हरिजन हाल की बाढ़ों से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं।

सारा मद्रास शहर, विशेषतया उत्तरी मद्रास के चारों ओर पानी भरा है। वे बाहर नहीं आ-जा सकते है। वे वहां पर ऐसे रह रहे है जैसे एक द्वीप में रह रहे हों। अभी तक भी पानी नहीं घटा है। वे उसी दयनीय दशा में गत दस दिन से कष्ट उठा रहे हैं।

बाढ़ में दो बसें और एक मोटर लारी बह गयीं, जिससे सैकड़ों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। यह प्राकृतिक प्रकोप की पूरी स्थिति बता सकती है।

तंजौर जिले के तटीय तालुकों के 5 लाख से अधिक लोग डेल्टा में गत दो सप्ताह से हो रही लगातार वर्षा के कारण आई बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

लगभग 50,000 एकड़ में कुरावई की फसल और लगभग 3 लाख एकड़ में साम्बा की फसल अकेले तंजोर जिले में प्रभावित हुई है।

हाल की बाढ़ों के कारण लगभग एक लाख लोगों को अपने घर खाली करने पड़े हैं। मदुरांतकम बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्र रहा है। अभी भी भारी विनाश लीला चल रही है। तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव के अनुसार, तंजौर जिले में 40,000 हेक्टेयर दक्षिण अरकाट जिले में 16,000 हेक्टेयर धान और 20,000 हेक्टेयर मूंगफली, चिंगलपट में 4000 हेक्टयर की धान और मूंगफली की फसल में बाढ़ का पानी भर गया। सैकड़ों सिंचाई के तालाबों के तटों में दरारें पड़ गयी हैं। मैं झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की स्थिति का सहानुभूतिपूर्वक वर्णन करना चाहता हूं।

एक प्रवक्ता के अनुसार लगभग 1,50,000 झोंपड़ियां मद्रास शहर में क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 12,300 झोंपड़ियां चिंगलपट जिले में, 4,500 झोंपड़ियां दक्षिण अरकाट जिले में और 12,000 झोपड़ियां तंजौर जिले में हाल की बाढ़ में नष्ट हो गई हैं। सरकारी आंकड़े सदैव कम ही रहेंगे परन्तु जो आंकड़े मैंने अभी दिये है, उसके मुकाबले वास्तव में नुकसान दो या चार गुना अधिक होगा।

अपार जन-हानि हुई है। उत्तर मद्रास में वर्णनातीत विपत्ति पड़ी है। विलियाक्कम, अम्बात्तूर पोरूर, विरुगामबक्कम, कलैग्नार, करणानिधि नगर में लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति उन्हें बाहर से कोई सहायता नहीं भेज सकता है। सारे का सारा क्षेत्र पानी डूबा पड़ा है।

पोरूर में आग में घी डालने वाली बात और हुई है। एक उद्योगपति **अपने पैसे से एक मेडिकल कालेज बना रहा है। अपने परिसर से पानी बाहर निकालने के लिए, उसने कृषि-मार्ग को पांच जगहों से काट दिया। इस लापरवाहीजन्य कार्यवाही से लगभग 500 झोंपड़ियां पानी से भर गईं और धान के खेत नष्ट हो गये। लोग वास्तव में ही सड़कों पर पानी में थे।···

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। यह एक आरोप ही है। आप नाम का उल्लेख नहीं कर सकते हैं और उसको यहां उल्लिखित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

श्री पी० कुलन्दईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : वह इस सभा के सदस्य नहीं हैं।

श्री एन० वी० एन० सोमू : मैंने तमिलनाडु के मुख्य सचिव से भी शिकायत की थी, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

इसी प्रकार, तिरुवोयूर क्षेत्र, जिसमें अधिकतर औद्योगिक फैक्टरियां हैं, पूर्णतया पानी से घिर गया है। सारा तिरुवोत्रियूर क्षेत्र अण्डमान द्वीपसमूह की तरह है—वहां परिवहन, भोजन और

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

बिजली नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है। यह विपत्ति इसलिए आई, क्योंकि बकिंघम नहर, जो उस क्षेत्र को घेरती है, के तट ठीक प्रकार से नहीं बनाए गए हैं। इस क्षेत्र में पानी को घुसने से रोकने का केवल एक ही तरीका है और वह है बकिंघम नहर के तटों का निर्माण। यह तुरन्त किया जाना चाहिए।

पेरम्बूर निर्वाचन-क्षेत्र, अधिकांश हरिजन लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं जो कि वर्षा के पानी में ढह गए हैं। राज्य सरकार द्वारा की गई क्षतिपूर्ति पर्याप्त नहीं है। प्रति झोंपड़ी 300 रुपये की धनराशि दी जाती है और यदि छः या सात किरायेदार रहते हैं तो उनको आपस में बांटनी पड़ती है। ये गरीब हरिजन 50 या 60 रुपये लेकर क्या कर सकते हैं ?

आर० के० नगर और शेयापुरम निर्वाचन क्षेत्र में लोग अभी भी पानी में रह रहे हैं। जहां तक मेरी याददास्त जाती है, केवल 1945 में बाढ़ों से जार्ज टाउन क्षेत्र प्रभावित हुआ था। और कटे पर नमक यह भी पड़ गया कि जल-मल नाली का पानी बाढ़ के पानी में मिल गया, तथा लोग उसकी दुर्गन्ध से परेशान हैं तथा महामारी फैलने का खतरा है। मद्रास शहर की जल-मल प्रणाली को तुरन्त आधुनिक बनाया जाना चाहिए। मैं यहां पर यह बता देना चाहता हूं कि एक अभियन्ता ने चेतावनी दी थी कि यदि मद्रास शहर की जल-मल प्रणाली को तुरन्त नहीं ठीक किया जाता है तो मद्रास मल-जल में तैरने लगेगा। प्रधान मंत्री महोदय ने चारों महानगरों की जल-मल प्रणाली को आधुनिक बनाने की बात कही है। मद्रास में जल-मल प्रणाली को आधुनिक बनाने का काम तुरन्त ही आरम्भ किया जाना चाहिए। अन्यथा ये दुःखद कहानियां प्रति वर्ष दोहराई जाती रहेंगी।

जहां तक रेलवे को हुए नुकसान की बात है, मद्रास और इसके दक्षिण भागों के बीच कोई रेल सेवा नहीं है। दक्षिण रेलवे के महाप्रबन्धक के अनुसार, प्राक्कलित नुकसान लगभग दो करोड़ रुपये का हुआ है और उन्होंने इसे हाल की स्मृति में सर्वाधिक छोटी लाइन की आपत्तियों में से एक कहा है।

मैंने प्रधान मन्त्री महोदय को तार देकर निवेदन किया है कि तुरन्त उदारतापूर्वक सहायता दी जाये। राज्य सरकार ने 91 करोड़ रुपये की सहायता का निवेदन किया है और 30 करोड़ रुपये की तुरन्त राहत का भी। परन्तु प्रधान मंत्री महोदय ने केवल 15 लाख रुपए ही दिये हैं। यह तो नाममात्र है, जो कि भूखे हाथी को अनाज का एक दाना प्रदान करना। यहां तक कि कर्नाटक राज्य के मुख्य मन्त्री श्री हेगड़े ने 10 लाख रुपये दिये है। एक पड़ोसी राज्य के मुख्य मन्त्री ने भी 10 लाख रुपये दिये हैं, परन्तु प्रधान मन्त्री महोदय ने केवल 15 लाख रुपए ही दिये हैं। मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि इस खतरनाक स्थिति में तमिलनाडु के लोगों पर दया की जाए। दुःख की इस घड़ी में कृपया सौतेली मां जैसा व्यवहार न कीजिए।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि 1976 में भी हमें कटु अनुभव हुआ था। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या 1976 की बाढ़ों से सही पाठ सीखा गया है कि नहीं।

मैं "हिन्दू" समाचार-पत्र से एक रिपोर्ट उद्धृत करके अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं :

"क्षेत्र से मिलने वाली रिपोर्टों में भी कहा गया है कि सरकारी अभिकरणों की कार्यवाही भी कहीं धीमी या अथवा उतनी तेज नहीं थी जितनी कि बिगड़ती जा रही स्थिति में होनी चाहिए और जब यह कार्यवाही शुरू हुई तो इसमें कोई समन्वय नहीं था। प्रारम्भिक अवस्था में इस प्रकार बचाव और राहत कार्यों के संचालन में राज्य तन्त्र सुस्त था, जो कि अन्य क्षेत्रों के अनुभव से भी स्पष्ट है। इस प्रकार के आवर्ती संकट प्रशासन से कहीं और अधिक तैयारी की अपेक्षा करते हैं।"

महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि सभी रेलवे, केन्द्रीय और राज्य कर्मचारियों को राहत राशि के रूप में अनुदान की स्वीकृति दी जाए। केवल केन्द्रीय सरकार ही बाढ़ से पीड़ित लोगों के आंसू पोंछ सकती है।

श्रीमती बसव राजेश्वरी (बेल्लारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे देश में बाढ़ तथा सूखे तथा अन्य राष्ट्रीय आपदाओं पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए अतीव प्रसन्नता हो रही है।

महोदय, इस मामले पर बोलने वाले माननीय सदस्यों और कर्नाटक के सदस्यों से भी मैं सहमत हूं। समय की कमी के कारण मैं इन बातों को दुहराना नहीं चाहती। कर्नाटक की स्थिति सबसे भयंकर है। आज लोगों ने पहले ही पड़ोसी राज्यों तथा शहरों को जाना शुरू कर दिया है। वहां पर पीने का पानी नहीं है तथा पानी की पूर्ति ट्रकों द्वारा गांवों से गांवों तक की जा रही है। जलाशयों में पानी का स्तर घट गया है।

पशुओं के लिए चारा नहीं है। वे पहले ही मर रहे हैं तथा उनको वध-शालाओं को भेजा गया है। कर्नाटक की यह स्थिति है।

एक केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया है तथा उन्होंने कुछ उपायों की सिफारिश की है। कर्नाटक सरकार ने 150 करोड़ रुपए की राहत राशि देने का प्रस्ताव किया है जिसमें से हमारी सरकार ने 38 करोड़ रुपए पहले ही दे दिये हैं। संसद सदस्यों के निवेदन पर कर्नाटक सरकार ने एक बैठक इस महीने की 10 तारीख को अभाव की स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए बुलाई। उस बैठक से हमें पता चला कि स्थिति और भयंकर होने जा रही है।

रबी की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं तथा हाल का मानसून कर्नाटक तक नहीं पहुंचा जबकि यह तमिलनाडु में इस राज्य के बहुत समीप तक पहुंए गया था। हमारी आशाएं धूमिल हो गई हैं। जहां कहीं पर भी रबी की फसलों की बुवाई हुई वहां मैं नहीं समझता कि कम नमी के कारण वहां फसलें होंगी। इस समय कर्नाटक की यही स्थिति है।

मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं। स्थिति से निपटने के लिए मैं कुछ स्थाई तथा कुछ तात्कालिक सुझाव देना चाहती हूं।

पहला है, हमें लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। उसके लिए हमें अधिक धन की आवश्यकता होगी। मुझे आशा है कि भारत सरकार और अधिक धन देगी। दूसरी बात यह है कि लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करना होगा इस समय कर्नाटक सरकार ने राहत निधि में से अधिक धन के आबंटन के लिए अनुरोध किया है ताकि मिनी जल योजनाएं चलाई जा सकें। यह वर्तमान जल पूर्ति को विस्तार देने हेतु है। पानी के बिना कुएं खोदना कठिन है। अतः वर्तमान

जल पूर्ति को बढ़ावा देने के लिए हम मिनी जल योजनाओं को प्रोत्साहन देंगे। कर्नाटक सरकार ने भारत सरकार से निवेदन किया है कि जो भी धन मिनी जल योजनाओं पर व्यय किया गया है उसे अभाव निधि में से लिया जाये। अतः भारत सरकार को मिनी जल पूर्ति योजनाओं के लिए अधिक धन आबंटित करने के लिए सही कदम उठाने चाहिए। आजकल चारा ढोने के लिए ही धन दिया जाता है। मैं भारत सरकार को जहां चारा उपलब्ध है विशेषत: सिचित क्षेत्रों में से, चारा खरीदने के लिए और अधिक धन आबंटित करने का निवेदन करती हूं, क्योंकि यही सही मौसम है जब कुछ चारा खरीदा जा सकता है।

अतः परिवहन व्यय के साथ-साथ सिंचित क्षेत्रों से चारा खरीदने के लिए धन का आबंटन शीघ्र किया जाये।

इस समय बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए धन दिया जाता है। बाढ़ के लिए आबंटित किये गये धन को अनुदान माना जाता है। जबकि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए दिया गया धन ऋण के रूप में दिया जाता है। उसे अनुदान नहीं माना जाता। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि बाढ़ तथा अभाव की स्थिति से निपटने के लिए दी जाने वाली धनराशि को समान माना जाये।

कर्नाटक सरकार हरे कार्ड धारकों को चावल तथा कपड़ा कम मूल्य पर दे रही है। यह सब अपर्याप्त है, अतः मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि मई-जून के खरीफ के मौसम तक अनाज, चावल तथा जो कुछ भी संभव है दिया जाये। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे सुझाव को स्वीकार करेंगे।

अंतिम बात, जो कम महत्वपूर्ण नहीं है वह यह है कि इस समय पम्प सैटों पर भी बिजली की कटौती लादी गई है। किसान 6 से 10 घंटे बिजली न दिये जाने के कारण भारी कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करती हूं कि पड़ोसी राज्यों से हस्तक्षेप करे और तुरन्त बिजली की सप्लाई बहाल करे ताकि कर्नाटक में बिजली की अतीव कमी न रहे।

इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगी कि छिड़काव—सिंचाई को पूरी तरह बढावा देना चाहिए, तथा जहां कहीं मुख्य सहायक नदियां हैं, वहां नहर के दूसरी ओर के किसानों को छिड़काव सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करने देना चाहिए ताकि कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सके। इसलिए मैं यह सुझाव भी देना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

एक माननीय सदस्य : महोदय, वह बहुत अच्छे सुझाव दे रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु अन्य सदस्यों को भी तो सुझाव देने दीजिए।

श्रीमती बसव राजेश्वरी : अन्त में भारत सरकार से निवेदन करती हूं कि प्रत्येक राज्य की स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक स्थाई समिति गठित की जाए। जहां कहीं पर भी सूखा अथवा बाढ़ हो उसका मासिक पुनरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि धन के उपयोग पर सही ध्यान दिया जा सके तथा दिन-प्रति-दिन की स्थिति को समझा जा सके और इसकी रिपोर्ट सरकार को दी जा सके जो यह देखे कि ताकि को तुरन्त सहायता दी जा सके।

अभी हाल ही में एक जल संसाधन समिति का गठन किया गया है जिसके प्रधान मन्त्री महोदय अध्यक्ष हैं, सिंचाई मन्त्री उपाध्यक्ष और मुख्य मन्त्री सदस्य हैं, देश के समक्ष बहुत-सी समस्याएं हैं तथा मुझे उम्मीद है कुछ मुख्य मंत्रियों द्वारा गठित 34 समितियां राष्ट्रीय जल-संसाधनों पर शीघ्र ही अपने प्रतिवेदन देंगी ताकि भविष्य में सभी प्रभावित क्षेत्रों को जल के समान वितरण के लिए वे समस्या का यथाशीघ्र हल कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री जुझार सिंह (झालावाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के उस क्षेत्र से आता हूं, जहां आम तौर पर फैमिन नहीं हुआ करता था। जब राजस्थान के फैमिन की बात होती है तो अक्सर लोग राजस्थान के डैजर्ट के बारे में विचार करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खास तौर से एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बताना चाहता हूं कि पिछले दो-तीन साल से जो हमारा सम्पन्न क्षेत्र था, जहां समय पर वर्षा हो जाती थी, जहां कोई फैमिन नहीं है। वहां भी लगातार फैमिन जैसी स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आशा करता हूं कि वे इस ओर ध्यान देंगे, ताकि हमारे क्षेत्र में यह फैमिन परमानेंट फीचर न बन जाए।

कुछ समय में नेशनल लैंड यूज पॉलिसी का काफी जिक्र होता है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस पालिसी का प्रापर फॉलो-अप न होने की वजह से हमारे क्षेत्र में काफी डैमेजेज हो रहे हैं। ऐसे क्षेत्र जिनको जंगल के लिए या मार्जिनल लैंड की तरह प्रोटेक्ट किये जाने चाहिए थे, गलत पालिसी की वजह से कल्टीवेशन के लिए एलॉट कर दिया गया है। इसकी वजह से इरोजन बढ़ गया है और प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। यह सिलसिला पिछले तीन दशकों से लगातार चला आ रहा है। मैं बीस बरस तक विधान सभा का सदस्य रहा, वहां पर मैंने कई बार इस प्रश्न को उठाया कि यह तरीका ठीक नहीं है। लैंड का प्रापर यूज होना चाहिए। जो जमीन जिस काम के लिए उपयुक्त हो, उसका उसी प्रकार उपयोग होना चाहिए। हर जमीन कल्टीवेशन के काबिल नहीं होती है। इस पर सही ध्यान न देने की वजह से हमारे क्षेत्र में फ्लड की वाल्यूम बढ़ती जा रही है। हमारे क्षेत्र में पानी की कमी की वजह से नहीं पानी की ज्यादती की वजह से फैमिन है। जंगल न होने की वजह से जितना पानी बरसता है आधे घंटे के अन्दर नदी में आ जाता है, और नदी सीमा से कुछ दूर बह कर करता है। मेरे खुद के क्षेत्र में करीब एक हजार गांवों में फैमिन है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी फार्मूला आप अपनायें लेकिन राजस्थान के लिए उससे भिन्न फार्मूला हमारे क्षेत्र में अमल में लाना चाहिए।

आज से तीस बरस पहले जब रियासतों का राज था, उस वक्त प्लानिंग डिपार्टमेंट नहीं होता था परन्तु उस वक्त भी कोटा रियासत में एक महकमा था, जिसका नाम था महकमा बंधात, या जो इस काम को ही देखा करता था। मैं कहना चाहता हूं कि उस अनस्लान्ड टाइम में भी इस तरह के मैजर्स लिए जाते थे कि प्राकृतिक विपदाओं की वजह से डैसेजेज न हो। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र के स्टैप जंगलों को लगाने की दिशा की ओर लें और एन्टी इरोजन वर्क को भी तेज करने के लिए कोशिश करें।

हमारे यहां नदियों की बहुतायत है, हर तीन मील, चार मील पर नदी है, लेकिन उनका प्रापर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। पानी के प्रापर यूटिलाइजेशन के लिए केन्द्र सरकार के पास कुछ स्कीमें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति के लिए भेजी गई हैं। मैं निवेदन करता हूं कि उनको जल्दी से जल्दी मंजूर किया जाना चाहिए ताकि उनका फायदा हमको समय पर मिल सके।

एक निवेदन मेरा यह भी है कि इस फ्लड की वजह से हमारे यहां का सारा कैनाल सिस्टम चौपट हो गया है और उसमें मिट्टी भर रही है। जिसकी सफाई के लिए सरकार की तरफ से कोई कोशिश नहीं की जा रही है। कई कैनाल्स ऐसी हैं, जिनमें 1982 में फ्लड आया और सिल्टिंग की वजह से सारी कैनाल चौक्ड हो गई। आज चार बरस के बाद भी उनकी सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से लोगों को सफाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि फ्लड की वजह से जो सिल्टिंग कैनाल में हो गया है, उसको प्रायरटी की बेसिस पर हाथ में लिया जाना चाहिए और उसकी सफाई करके पानी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि अकाल का मुकाबला किया जा सके।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं और आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

***श्री सी० सम्बु** (बापतला) : उपाध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश देश में सबसे अधिक सूखा-ग्रस्त क्षेत्र है। राज्य के 19 जिले अभूतपूर्व सूखे का सामना कर रहे हैं। 684 मंडलों में स्थिति गम्भीर है। राज्य सरकार द्वारा किए गये सर्वेक्षण से पता चलता है कि इस क्षति को पूरा करने के लिए लघु तथा मुख्य सिंचाई योजनाओं, सड़कों तथा भवनों की मरम्मत के लिए कम से कम 340 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त 12 करोड़ रुपए दस्तकारों तथा हथकरघा के कामगारों को ऋण देने और सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी एवं चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए चाहिए। राज्य सरकार ने सूखे की स्थिति पर विस्तृत प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को भेजा है तथा तुरन्त राहत की मांग की है। परन्तु यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्रीय सरकार ने अभी तक एक रुपया भी मंजूर नहीं किया है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य की सूखे की स्थिति के अध्ययन के लिए एक दल भेजा था। अध्ययन दल ने सभी जिलों का दौरा किया तथा स्वयं इस बात का अध्ययन किया कि सूखे की स्थिति कितनी भयंकर है। इस सबके बावजूद केन्द्र से अभी तक कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। इससे पता चलता है कि केन्द्र हमारे राज्य के साथ उपेक्षा का रवैया अपनाये हुए है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से निवेदन किया है कि तात्कालिक राहत उपायों हेतु 20 करोड़ रुपए मंजूर किए जाएं। आपके माध्यम से मैं केन्द्र से एक बार फिर अपील करता हूं कि वह तुरंत आवश्यक धन की शीघ्र ही मंजूरी दे। इस कार्य पर राज्य सरकार 40 करोड़ पहले ही खर्च कर चुकी है। राज्य सरकार ने राज्य में अभूतपूर्व सूखे का मुकाबला करने के लिए 600 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है। परन्तु अभी तक एक रुपए की भी मंजूरी नहीं दी गई। इससे केन्द्र के राज्य के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये का पता चलता है।

महोदय, आंध्र प्रदेश का प्रकाशम जिला सूखे से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। इस जिले को

*तेलुगु में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

तुरन्त सूखा पीड़ित घोषित किया जाये। रानीगिरि कम्भम, दारासी पोडिली निर्वाचन क्षेत्रों में पीने के पीनी की भारी कमी है। बहुत से पशु तो पहले ही मर चुके हैं। पशुओं के लिए चारा नहीं है। इसके परिणामस्वरूप पशुओं को वधशालाओं को बेचा जा रहा है। यह दुर्भाग्य की ही बात है कि देश में सूखे की ऐसी विकट स्थिति है कि चारे की कमी के कारण पशुओं को वध शालाओं में भेज जा रहा है। महोदय जिले के लगभग सभी तालाब सूख गये हैं। फसल पैदा नहीं हुई। खाने को अन्न नहीं है। आज जिले में स्थिति इतनी भयंकर है कि लोग जीवित रहने के लिए राज्य के अन्य भागों को जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार को राज्य की विकट स्थिति का अध्ययन करके लोगों को साम्यिक सहायता देनी चाहिए। महोदय, जिले के निचले क्षेत्रों में कपास का बहुत उत्पादन किया जाता है। रुई का लाभदायक मूल्य न मिलने के कारण किसानों ने पहले ही आन्दोलन शुरू कर दिया है। पिछले वर्ष रुई 700 रु० प्रति क्विटल बिक्री थी। परन्तु इस वर्ष चालू भाव 250-300 रु० प्रति क्विटल मुश्किल से है। आज उत्पादकों की यह दयनीय स्थिति है। धान तथा मूंगफली के मूल्य भी लाभप्रद नहीं रहे हैं। उनके उत्पादनों का लाभप्रद मूल्य न मिलने से किसान अति पीड़ित हैं। इस दयनीन स्थिति के अतिरिक्त कपास की फसल पर श्वेत कीटों का और धान की फसल पर लाल कीटों का प्रकोप रहा है, जिससे फसलों को भारी क्षति हुई है। महोदय प्रकाशम जिले की आज यह तो स्थिति है। इस जिले पर सूखे का सबसे अधिक कुप्रभाव पड़ा है। वहां पर न खाना है न चारा है। लोगों की दुर्दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। महोदय, अभी परसों ही चिराला और वेटपालिम में तूफान आया था। पूरे क्षेत्र में बाढ़ का पानी फैल जाने से 10,000 करोड़ रुपये की फसल की क्षति हुई है। स्थिति की भयंकरता को ध्यान में रखते हुए, मैं एक बार फिर केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि वह इस संकट से उभरने के लिए राज्य सरकार द्वारा मांगी गयी 600 करोड़ रुपये की सहायता दे। राज्य सरकार को केन्द्र की साम्यिक मदद के बिना स्थिति का सामना करना कठिन है। अभी तक केन्द्र ने एक भी रुपया आबंटित नहीं किया है। केन्द्र ने स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक दल भेजा था। यदि केन्द्र सहायता नहीं देना चाहता तो वे अध्ययन दल ही को क्यों भेज रहे हैं? यह देखने के लिए यह एक अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार मेरे राज्य के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। जब तक केन्द्रीय सरकार, राज्य के द्वारा मांगे गये 600 करोड़ रुपए नहीं देती है तब तक राज्य सरकार स्थिति का सामना नहीं कर सकती है। राज्य सरकार अकेले ही स्थिति से नहीं निपट सकती है। सूखे की समस्या के साथ अब बाढ़ से उत्पन्न समस्याएं भी पैदा हुई हैं। हाल के तूफान से प्रकाशम तथा निल्लोर जिले में भयंकर क्षति हुई। सभी खड़ी फसलें नष्ट हो गईं। सभी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि आंध्र प्रदेश को तुरन्त 600 करोड़ रुपये दिये जायें। मुझे उम्मीद है कि केन्द्र राज्य को सभी संभव सहायता देगा।

यह अवसर देने के लिए धन्यवाद के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय, अपना भाषण शुरू करने से पूर्व मेरी सहानुभूति उन शोकाकुल परिवारों के साथ है जिनके परिवारिक जन उड़ीसा, यू० पी०, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पिछले अक्तूबर, नवम्बर में आई बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए।

उड़ीसा राज्य की स्थिति को लेते हुए मुझे निवेदन करना है कि इस सभा का मैं ही एक-

भात्र अभागा सदस्य हूं जिसका निर्वाचन क्षेत्र इस वर्ष में आई अक्तूबर की बाढ़ से प्रभावित हुआ है। उड़ीसा राज्य में मृत्यु को प्राप्त होने वाले 40 व्यक्तियों में से आज तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, 23 व्यक्ति बालासोर जिले के बालीपल खण्ड के वदखानपुर गांव के, जो मेरे चुनाव-क्षेत्र में पड़ता है, आपको यह जानकर दुःख होगा कि 782 की जनसंख्या और उनके 92 परिवारों वाला यह गांव सुवर्ण रेखा नदी की बाढ़ में बह गया। सुवर्ण-रेखा, महानदी, वैतर्णी, बुध बलांग ब्राह्मी में अभूतपूर्व भयंकर बाढ़ तथा तूफानी हवाओं से 678 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। बाढ़ तथा लवणीय संरक्षण के लिए 316 बांध बनाये गये थे, जिन पर कि 140 से अधिक दरारें पड़ी हैं। लगभग 35000 आवासी मकान पूरी तरह ढह गए थे और सहस्त्रों मकानों को भारी क्षति पहुंची थी, और 7500 ग्राम असहाय (पानी में डूब गए) हो गए।

कुल मिलाकर राज्य में 42 लाख लोग पिछले अक्तूबर की बाढ़ से प्रभावित हुए। ढाई लाख हेक्टेयर भूमि में खड़ी फसल पूर्णतया नष्ट हो गई। इन फसलों में, कई हजार हेक्टेयर की, हर प्रकार की धान की और नकदी की फसले भी सम्मिलित हैं।

उड़ीसा की राज्य सरकार अपने सीमित साधनों और अतिरिक्त राशि की सहायता से प्रभावित लोगों को बचाने हेतु आगे आई और उन्होंने बहुत कार्य किया है। किन्तु उड़ीसा जैसा पिछड़ा हुआ राज्य इस प्रकार की अभूतपूर्व स्थिति का भार तब तक अकेले नहीं उठा सकता है जब तक केन्द्र बृहद रूप में उसकी सहायता करने सामने नहीं आता है। राज्य सरकार ने राहत, पुनर्वास तथा पुनरुद्धार कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार से 105 करोड़ रुपये की मांग की है।

मैं नम्रतापूर्वक केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि 105 करोड़ रुपये की पूरी राशि को अनुदान के रूप दिया जाए न कि ऋण के रूप में। इस संबंध में, मैं प्रधान मंत्री के प्रति हार्दिक आधार व्यक्त करता हूं जो उस समय विदेशों का भ्रमण (की यात्रा) कर रहे थे परन्तु वह मंत्रि-मण्डल को इस स्थिति का सामना करने के लिए सभी संभव कदम उठाने के लिए परामर्श देते रहे थे। माननीय राज्य मंत्री, श्री मकवाना तथा केन्द्रीय टीम (दल) ने क्षेत्र का दौरा किया और उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के कई भागों का दौरा किया तथा उन्हें बाढ़ के कारण भारी क्षति पर विश्वास हुआ। अतः, मैं नम्रतापूर्वक केन्द्र सरकार को अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकार की सहायता के लिए आगे आये और शीघ्र ही धन दे दें।

महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पूर्व, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि ये सभी अल्पावधि के लिए उपाय है और मैं बहु-उद्देशीय स्वर्णरेखा परियोजना, वैतरणी परियोजना तथा इन्द्रावती परियोजना जैसे उपायों को भी युद्ध स्तर पर पूरा करने का निवेदन करता हूं ताकि यह केवल भूमि की सिंचाई ही नहीं अपितु बाढ़ों की रोक-थाम कर सकें।

इसके अतिरिक्त, मेरे राज्य में सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए, मेरे एक माननीय मित्र श्री चौबे ने यह आरोप लगाया है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा जिन सूखा-पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया है, वहां कोई काम नहीं हुआ है। यह सभी निराधार आरोप हैं। हम कालाहांडी जिले के अनेक अन्दरूनी इलाकों का दौरा करने तथा स्थिति को देखने के लिए प्रधान मंत्री के आभारी हैं। राज्य सरकार द्वारा सुझाई गई सभी परियोजनाएं केन्द्र की सहायता से कार्यान्वित की जा रहे हैं। बालिकाओं के विक्रय के सम्बन्ध में आरोप भी निराधार है और यह केवल एक मनगढंत कहानी है।

[हिन्दी]

***श्रीमती उषा ठक्कर** (कच्छ) : माननीय उपाध्यक्ष जी, गुजरात में इस वर्ष कच्छ, पंचमहाल तथा सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात के कुछ जिलों में भयंकर सूखा पड़ा है। गुजरात के करीब दस हजार गांव सूखे से प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण बाजरा, मक्का आदि धान्य तथा मूंग आदि की पैदावार बिल्कुल नहीं के बराबर हो पाई।

मैं अपने चुनाव क्षेत्र कच्छ के बारे में ही बताऊं तो उस क्षेत्र के 925 गांवों में से करीब 850 गांव इस समय सूखे की भयंकर चपेट में फंसे हुए हैं। शेष गांवों पर भी सूखे का थोड़ा बहुत प्रभाव है ही। सूखे के कारण कच्छ जिले की जनता को जीना दूभर हो गया है। उनके लिए रोजगार की समस्या अति विकट है। माननीय कृषि राज्य मंत्री योगेन्द्र भाई स्वयं इस जिले का दौरा कर चुके हैं इसलिए वे इस क्षेत्र का हाल जानते ही हैं।

कच्छ की जनता के पास पशुपालन के अलावा कोई और धंधा नहीं है। कच्छ की जन-संख्या साढ़े दस लाख है, जबकि कच्छ में पशुओं की संख्या 13 से 14 लाख हैं। चरवाहे तथा किसानों के निर्वाह का प्रमुख साधन पशु ही हैं। आज इन पशुओं को जिन्दा रखने के लिए घास और पानी जुटाना जनता के लिए दूभर हो गया है। अगर पशुओं के लिए घास-पानी का इन्तजाम शीघ्र नहीं हो सका, तो कच्छ का पशुधन बरबाद हो सकता है तथा परिणामस्वरूप कच्छ की जनता को भारी आर्थिक हानि हो सकती है।

पशुओं को राहत पहुंचाने के लिए कैटल कैंप बनाये जाते हैं। इन कैंपों के लिए सरकार की ओर से बहुत कम सहायता मिलती है। इसलिए इन कैंपों का प्रबंध करने वालों को बहुत परेशानी होती है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि वह कैंपों को दी जाने वाली सहायता को बढ़ायें। आज कई स्थानों पर चैरिटेबल ट्रस्टों तथा पांजरापोलों की ओर से भी पशुओं को राहत पहुंचायी जा रही है। सरकार को चाहिए कि उन सेवाभावी संगठनों को राहत की दर पर घास पहुंचाये। गाय, भैंस आदि आदि पशुओं के साथ-साथ भेड़, बकरियां, ऊंट आदि जानवरों को बचाने के लिए भी कुछ करना होगा। आज गुजरात के लिए भी 15 करोड़ कि० ग्रा० घास की आवश्यकता है, जबकि उसके पास केवल 8 से 9 करोड़ कि० ग्रा० ही घास उपलब्ध है। अन्य राज्यों से घास वहां पहुंचाने के लिए केन्द्र सरकार को कुछ प्रबंध करना होगा। इसके लिए रेलवे को भी अपना विशेष योगदान देना चाहिए।

कच्छ एक मरूभूमि क्षेत्र है। इसलिए यहां पर पानी का अभाव हमेशा रहता है। पिछले तीन सालों में यहां पर बहुत कम बारिश हुई थी और इस वर्ष तो बिल्कुल वर्षा हुई ही नहीं है। परिणामस्वरूप पीने के पानी की भी अत्यन्त कमी हो गई है। कच्छ में कोई खास बड़ी नदी या बांध भी नहीं है ताकि बारिश के पानी का संग्रह किया जा सके।

प्रकृति का एक सामान्य नियम है कि अगर आषाढ़ या सावन के महीनों में वर्षा होती है और भादों के महीने में वर्षा नहीं होती, तो भूगर्भ में पानी का स्तर और नीचे उत्तर

*गुजराती में दिए गए भाषण का हिन्दी अनुवाद।

जायेगा । पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्छ क्षेत्र में भादों के महीने में एक बार भी वर्षा नहीं हुई, तथा इस वर्ष तो पूरे मौसन के दौरान बिल्कुल कम वर्षा हुई है, इसलिए इस समय पानी की अत्यन्त कठिनाई है । कच्छ की इस हालत को देखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना में मच्छु बांध से पानी की एक केनाल कच्छ के कुछ भाग में पहुंचाने के बारे में सोचा गया है । यह अत्यन्त सराहनीय विचार है, उसे जल्दी ही कार्यान्वित रूप देना चाहिए । फिलहाल इस बांध के बगल में एक नलकूप बनाकर, तथा वहां से कच्छ तक पानी ले जाने के लिए युद्धस्तर हर पाईप लाइन बिछा कर पीने के पानी की व्यवस्था फौरन करानी होगी ।

उपाध्यक्ष जी, आप जानते होंगे कि गुजरात में नर्मदा, मच्छु और नदियों के तथा राजस्थान में भी कई नदियों का पानी बिना उपयोग किये ही सागर में बह जाता है । हमारे प्रधान मंत्री का कहना है कि छोटी-बड़ी नदियों का जो पानी बिना प्रयोग किए बह जाता है, उसका प्रयोग जनहित के लिए करना चाहिए । माननीय प्रधान मंत्री के विचारों को साकार बनाने के लिए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगी कि वह नर्मदा तथा मच्छु जैसी नदियों का पानी कच्छ एवं सौराष्ट्र को पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाये । अगर यह काम धन के अभाव ने नहीं हो रहा है, तो हमें अन्य योजनाओं के खर्च में कटौती करके इस काम को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि बिना पानी लोगों को जीवन चलाना अत्यन्त मुश्किल है । आजादी प्राप्त करने के इतने वर्षों के बाद भी हमारे लोगों को पानी के बिना बार-बार परेशान होना पड़े, यह हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए । सूखे क्षेत्रों के लोगों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर जयन्ती बहन ने जो कुछ कहा है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं । एस० आर० डी० पी० योजना के लिए हमने जितने धन का प्रावधान किया है उसका पूरा-पूरा खर्च सूखे से बचाव के लिए ही करना होगा । केन्द्रीय सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना होगा ।

श्रीमन आपने सदन के सामने गुजरात तथा मेरे क्षेत्र से संबंधित विचार व्यक्त करने का जो मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं ।

***डा० एस० जगतरक्षकन** (चिंगलपट्टू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु एक ऐसी अभूतपूर्व त्रास्द स्थिति में फंस गया है जो कि पिछली तीन पीढ़ियों में नहीं देखी गई । उत्तर पूर्व मानसून की प्रचण्डता तमिलनाडु के अनेक भागों में तबाही हुई है । 13 तथा 14 नवंबर को 52 सेंटीमीटर वर्षा हुई । उस एक सप्ताह में तमिलगाडु में 109 सेंटीमीटर वर्षा हुई । यह कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि पूरा तमिलनाडु राज्य बाढ़ के जल पर तैर रहा है । ऐसा अनुमान किया जाता है कि डेढ़ लाख झौंपडियां नष्ट हो गई हैं । चिंगलपट्टु मे 30 हजार झौंपडियां थंजाबूर में 12 हजार झौंपडियां, और दक्षिण अरकाट में 4,500 झोपड़ियां बाढ़ में बह गई हैं । 100 लोगों मरने की खबर मिली है । मद्रास के कई भागों में लोग बाहर नहीं आ सकते हैं क्योंकि 8-8 फुट पानी खड़ा हुआ है । मेरे चुनान-क्षेत्र चिंगलपट्टु को सबसे भारी क्षति पहुंची है । ढाई लाख एकड़ भूमि जलमग्न हैं । जनता की वर्णनातीत दुर्दशा रही है । एक सौ के करीब टैंकों में दरारें पड़ गई हैं । लगभग 600 ग्रामों में बाढ़ आई है । हजारों लोग बेघर हो गए है । मेरे चुनाव क्षेत्र में

*तमिल में दिए गए भाषा के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

गम्भीर बाढ़ के कारण लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में कल्लार बांध में लगभग एक सौ फीट की लम्बाई में दरारें पड़ी हैं। रेलवे लाइन कट जाने के कारण मद्रास से राज्य के उत्तरी भागों में कोई यातायात सम्भव नहीं है। चम्बरपक्कम टेंक में केवल बीस फीट पानी आ सकता है; किंतु आज पानी 22.5 फीट तक है।

थंजावूर जिले में लगभग 1,20,000 एकड़ उपजाऊ भूमि एक गन्दा तालाब बन कर रह गयी है। 80 हजार एकड़ भूमि पर कुरुवई की खड़ी फसल नष्ट हो गई है। थिरुथूरैंपूंड़ी, वेदारण्यम, सिर्गाझी, मन्दारगुडी, पत्तुकोटई तथा नागपट्टिनम को बाढ़ से सबसे अधिक क्षति पहुंची है। लगभग 45 नहरों में दरारें पड़ गई हैं। 25 राज्यमार्ग दरारों के कारण यातायात के अयोग्य हो गये हैं। 114 स्कूलों तथा 16 अस्पतालों को क्षति पहुंची है। इस क्षेत्र के लोग भारी संकट में हैं। किलियर रेल पुल पर 900 फीट रेलवे लाइन बह गई है। ओंगर रेलवे लाइन भी 175 कि० मी० की लम्बाई तक बह गई है। लगभग एक लाख टेलीफोन लाइनें (कनेक्शन) नष्ट हो गए हैं।

हमारे मुख्य मंत्री, डा० एम० जी० आर० की सीधी देख-रेख तथा प्रोत्साहन के अन्तर्गत राहत कार्य युद्ध-स्तर पर आरंभ किए गए हैं। वास्तव में राहत कार्य भी चक्रवती गति से ही आरम्भ किया गया है। हमारे मुख्य मंत्री ने बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों की समस्याओं का पता लगाया। उन्होंने स्वयं राहत उपायों के आदेश दिये हैं। 600 उपकेंद खोले गए हैं, जिनके द्वारा प्रभावित लोगों को खाना तथा वस्त्र दिए जा रहे हैं। इन उप-केन्द्रों द्वारा औषधियां भी दी जा रही हैं। तेज गति से बह रहे पानी में डूबने वाले लोगों को बचाने के लिए नौसैनिक तट रक्षक जहाजों को कार्य में लगाया गया है। लोगों को डूबने से बचाने के लिए, निजी संगठनों तथा जनता से भी नौकाओं की मांग की गई है। रुके हुए पानी को मोटरों द्वारा निकाला जा रहा है। राहत कार्य युद्ध स्तर पर आरम्भ किया गया है।

मुख्य मंत्री के आदेशानुसार तमिलनाडु, राज्य बिजली बोर्ड शनिवार तथा रविवार को भी काम करता है; उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है। हमारे प्रधान मंत्री द्वारा राज्य के दौरे से लोगों का उत्साह बढ़ गया है। जब हम उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने स्वयं कहा कि बाढ़ के कारण लगभग 200 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। तमिलनाडु सरकार ने राहत कार्य के लिए केवल 120 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है। क्षति की मात्रा के संबंध में केन्द्रीय दल द्वारा अपनी रिपोर्ट देने से पूर्व, मैं यह सुझाव देता हूं कि केन्द्रीय सरकार बाढ़ राहत कार्य के लिए तुरन्त 30 करोड़ रुपये दे दे। मैं कहता हूं कि तुरन्त 30 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जाए ताकि हम लोगों को मृत्यु के चंगुल से बचा सकें। मैं इस बात की मांग करने का अवसर भी लेता हूं कि तमिलनाडु को तुरन्त केन्द्रीय भंडार से 50,000 टन चावल दिए जाए तकि संकट में पड़े लोगों का कुछ खाने को मिले। लोगों तथा सामान को मद्रास से मद्रास के उत्तरी भागों तक एक से दूसरे स्थान तक ले जाने में मद्रास तथा चंगलपट्टु के बीच विद्युत रेलवे लाइन को तुरन्त पुनः चालू किया जाना चाहिए। समाप्त करने से पूर्व मैं यह सुझाव दूंगा कि बाढ़ राहत सहायता को पूर्ण रूप से तमिलनाडु राज्य के लिए अनुदान मान लिया जाए। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि

आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। जैसा आपको पता है महाराष्ट्र राज्य में हर साल सूखा पड़ता है लेकिन इस साल खाली सूखा ही तो नहीं, बाढ़ का तो सवाल ही नहीं, लेकिन पीने के पानी ही नहीं है। इसका प्रभाव वहां की खरीफ की फसल पर पड़ा है। भारत सरकार की ओर से केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री, श्री योगेन्द्र मकवाना, ने स्वयं महाराष्ट्र में आकर स्थिति का अध्ययन किया है और सारी हालात को देखा है। वहां पीने के पानी की काफी कमी है और जमीन काफी सूखी है। इस कारण वहां बोआई तक नहीं हो पाई है। तीन सौ ताल्लुकाज में से लगभग आधे में खरीफ की फसल जल गई है। जहां तक रबी की फसल की बुआई का सम्बन्ध है, उसमें से भी लगभग 70 प्रतिशत सूखी तो नहीं है लेकिन जल गई है। यह हालत महाराष्ट्र में किसी एक जिले में नहीं है: अहमद नगर, नासिक, धुलिया, औरंगाबाद उस्मानाबाद, लातूर आदि कई जिलों में सूखे का जबर्दस्त प्रभाव पड़ा है। वहां पर 15 हजार से ज्यादा गांवों में टैंकरों से पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। हमने डिफीकल्ट विलेजेज की जो डैफिनीशन निर्धारित की है, उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। लगातार तीन सालों से उन गांवों में टैंकरों के जरिए पानी दिया जा रहा है। डिफीकल्ट विलेजेज की कैटेगरी में न आने के कारण वहां कोई वाटर सप्लाई स्कीम नहीं बन पायी है। इसलिए डिफीकल्ट विलेजेज की व्याख्या को बदलना बहुत जरूरी है।

दूसरी बात यह है कि क्रॉप इंशोरेंस स्कीम के चालू न होने से किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। कृषि मंत्री महोदय ने एक बयान दिया था क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में कि एक नैशनल क्रॉप इंश्योरेंस फण्ड बना दिया जाएगा, लेकिन हमें अभी तक कोई भी ऐसा फण्ड देखने को नहीं मिला है। इस स्कीम से कोई फायदा नहीं हो रहा है यह तो बैंक की गारंटी स्कीम बन गई है। इसमें जो कलैक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डिक्लेरेशन देता है और इंश्योरेंस कम्पनी को मिलता है, इससे तो कम्पनी का ही फायदा होता है, इसमें सुधार करने की जरूरत है।

मेरे जिले में 300 फीट तक पानी नहीं है वहां पर 80 प्रतिशत ड्रिलिंग फेल हो गई है। महाराष्ट्र में 5 लाख से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं जिनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां पर पानी की बहुत स्केअर सिटी और सीरियसनैस है जिसके कारण वहां के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानवरों के लिए खाने को घास या पानी नहीं है। इसलिए जहां जहां पर इरीगेशन डैम बने हुए हैं वहां पर कैटल कैम्प बनाए जाने चाहिए ताकि जानवरों को चारा या पानी मिल सके। एक प्रोजैक्ट अप्पर प्रवारा में 1976 में सैंक्शन हुआ था, लेकिन उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है जिसके कारण 161 गांवों के 5 लाख लोगों लोगों को पुनर्वासित करना पड़ेगा इसलिए बहुत सीरियस सिचुएशन महाराष्ट्र में हो रही है।

महाराष्ट्र सरकार ने सूखे से राहत के लिए जिन पांच सौ करोड़ से ज्यादा रुपयों की मांग की है उसमें से ढाई सौ करोड़ रुपया तुरन्त दिया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर अभी तक सूखे के अध्ययन के लिए सेंट्रल टीम नहीं जा सकी है। दो बार वहां पर सेंट्रल टीम भेजने का विचार बना और दोनों बार वह कैंसिल हो गया है, इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां सेंट्रम टीम सर्वेक्षण के लिए तुरन्त भेजी जाए और जब तक सेंट्रल टीम सर्वेक्षण करके आए और अपनी रिपोर्ट दे तब तक राहत के लिए ढाई सौ करोड़ रुपया महाराष्ट्र सरकार को तुरन्त दिया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र का अहमदनगर तो सूखे का परमानेंट क्षेत्र बन गया है इसलिए ऐसे परमानेंट सूखे को हल करने के लिए और भूमि को सिंचित करने के लिए लिफ्ट इर्रिगेशन हो या मेजर तथा मीडियम इर्रिगेशन स्कीम बनें जिनसे वहां सिंचाई की जाकर वहां के परमानेंट सूखे को समाप्त किया जा सके।

महाराष्ट्र में जब स्टेट लेबल पर प्लान बन जाता है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात आती है, तो कहा जाता है कि प्लान में और पैसा दीजिए, तो कहा जाता है कि हम इससे ज्यादा पैसा डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं दे सकते क्योंकि पैसे की बहुत कमी है इसलिए मेरी केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से विनती है कि इस असंतुलन को दूर किया जाए और फेमीन कोड में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं तथा अहमदनगर के अपर चयनी प्राजेक्ट के 161 गांवों के लिए सिंचाई की व्यवस्था शीघ्र से शीघ्र की जाए।

मैं, माननीय कृषि मंत्री महोदय से विनती करूंगा कि वे माननीय प्रधान मंत्री का एक दौरा अहमदनगर का करवाएं वे स्वयं आकर अहमदनगर के सूखे की स्थिति का जायजा लें और स्वयं देखें कि अहमदनगर में सूखे के कारण कितनी खराब हालत है और वहां मुआयना करके एक परमानेंट योजना इस सूखे को दूर करने के लिए वे बनवाएं।

महाराष्ट्र के अहमदनगर में 12 चीनी की मिलों से तीन चीनी मिलें बिलकुल बन्द हैं क्योंकि वहां गन्ना नहीं है जिसके कारण सैकड़ों लोग बेरोजगार हैं। न वहां गन्ना है न वहां गन्ना घास है जिसके कारण पशु भी मर रहे हैं। इसलिए मेरी आप से विनती है कि वहां के लिए एक योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाना बहुत जरूरी है। अतः मैं भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं और विनती करता हूं कि वहां के लिए प्रधान मत्री के दौरे का एक कार्यक्रम बनवाकर वहां की स्थिति को सुधारने की कृपा करें।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विशालता वाला देश जहां विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियां हैं और ये प्राकृतिक परिस्थितियां बड़ा परिहास करती हैं—कभी बाढ़, तो कभी सूखा। देश के कुछ कोनों में बाढ़ की स्थिति है, तो कुछ में सूखे की। परन्तु मान्यवर, मैं उस स्थान से आती हूं जहां इस शताब्दी का सब से भयंकर सूखा पड़ा है।

7.00 म० प०

राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जहां पर सूखा और अकाल एक स्थायी फीचर हो गया है और इसी वजह से राजस्थान में हमेशा अकाल की छाया बराबर बनी रहती है। पिछले 3,4 सालों में बराबर अकाल पड़ता रहा है और इस समय वहां पर यह स्थिति है कि नदी, नाले, तालाब और कुएं तो सूखे ही हैं, पेड़-पौधे भी सूख गये हैं और साथ ही मनुष्यों और पशुओं के चेहरे भी मुरझा गये हैं। पशुओं के खाने के लिये चारा नहीं और मनुष्यों पीने के लिए पानी नहीं।

मैं श्री बूटा सिंह जी की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने राजस्थान का दौरा किया और 25 करोड़ रुपये वहां के लिये मंजूर किये, परन्तु हिन्दुस्तान के क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा प्रान्त

राजस्थान है, उसमें 25 करोड़ की राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। राजस्थान में ऊंट बहुत अधिक हैं, और उनके मुंह में यदि जीरा हो तो वह कुछ भी नहीं है। यह कहावत वहां चरितार्थ है। यह राशि भी पूरी नहीं मिली, ऐसी स्थिति में राजस्थान की स्थिति भयंकर से भयंकर होती जा रही है।

मैं राजस्थान के दक्षिणी इलाके से आती हूं जो कि एक पहाड़ी इलाका है। वहां पर अकाल की छाया इस बार इतनी है कि मैंने अपने जीवन-काल में इस प्रकार की परिस्थिति कभी नहीं देखी कि लोगों को पीने का पानी नहीं है।

मनुष्य की सबसे प्राथमिक आवश्यकता पीने का पानी है। यदि इस कल्याणकारी राज्य में भी हम लोगों के लिये पाने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकेंगे तो वह दुःख की बात होगी।

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान की विशेष परिस्थिति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार को उस पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिये।

राजस्थान सरकार ने 576 करोड़ रुपये की मांग की है। इतना पैसा अगर आप नहीं भी दे सकें तो इसका आधा, तिहाई तो अवश्य दीजिये। आपने तो केवल 25 करोड़ ही दिया है, इसमें राजस्थान के लोगों को कैसे बचाया जा सकता है?

आज राजस्थान में इससे प्रथम आवश्यकता यह है कि जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति हैं वह खासतौर से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं और अनाज पैदा न होने से वह मारे-मारे फिर रहे हैं। अकाल राहत का कोई कार्य वहां शुरू नहीं हुआ है। मैं दो, तीन दिन पहले ही जिले का दौरा करके आई हूं, वहां पर आपकी स्टडी टीम भी पहुंची हुई है। उसने स्टेटमैंट दिया है कि 1 नवम्बर से अकाल-राहत कार्य शुरू हो जायेंगे। हम जन-प्रतिनिधियों की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। हर व्यक्ति कहता है कि ऐसी स्थिति कभी नहीं थी, फिर भी आज अकाल राहत के काम नहीं चल रहे हैं।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अतिशीघ्र राजस्थान को अधिक धनराशि देकर अकाल-राहत के कार्य वहां शुरू करवाने चाहियें।

एक निवेदन मैं यह करना चाहूंगी कि पीने के पानी की समस्या का समाधान आपको करना चाहिये। हमारे इलाके में खासतौर से बहुत कम पैसे में ट्यूबवैल और हैंड-पम्प की सुविधा दी जी सकती है, इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिये।

एक सुझाव यह है कि पश्चिम राजस्थान में जो इंदिरा गांधी कैनाल है, उसको राष्ट्रीय परियोजना बनाकर उसके लिये आप धनराशि दीजिये।

एक सुझाव और है कि प्राकृतिक विपदाएं इस देश में बराबर आती रहती हैं इसलिये सातवीं पंचवर्षीय योजना में आप प्राकृतिक विपदाओं के लिये एक फंड कायम करें जिससे राजस्थान और गुजरात जैसे प्रदेशों को सुविधा दी जा सके।

अन्त में अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यह विनती करती हूं, इस समय तीनों मंत्री

महोदय यहां पर विराजमान हैं, कि राजस्थान की स्थिति को देखते हुए अधिक से अधिक ध्यान इस ओर दिया जाना चाहिये। खासतौर से अपने जिले के लिये निवेदन करना चाहूंगी कि वहां के लोगों को मरने से बचाने के लिये चारे की व्यवस्था और काम की व्यवस्था होना चाहिये।

आज एफ० सी० आई० के गोदामों में अनाज सड़ रहा है, उस अनाज को कम-से कम अकाल की स्थिति में गरीबों को दीजिये ताकि वे इस कल्याणकारी राज्य का अधिक से अधिक फायदा उठा सकें।

[अनुवाद]

***श्री जी० एस० बसवराजू** (टुमकुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन घंटों में हम देश में प्रकृति के प्रकोपों की तरंगों की चर्चा कर रहे हैं। विडम्बना तो यह है कि एक ओर हमारे देश के अनेक भाग भयंकर सूखे से पीड़ित हैं, और दूसरी ओर भारी वर्षा तथा विध्वंसक बाढ़ों ने देश के विभिन्न भागों में तहलका मचाया है। वास्तव में यह कोई नया तथ्य नहीं है। बाढ़ तथा सूखे तो हमारे देश में स्वतंत्रता से पूर्व भी थे तथा पश्चात् भी हैं। केवल उस स्थिति में ही हमारे देश में एक सुखद वातवारण होगा, जब बाढ़ तथा सूखा दोनों पर ही नियंत्रण कर लिया जायेगा।

गरीब किसानों को ही बाढ़ तथा सूखे से सर्वाधित क्षति होती है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अस्थाई समाधानों से किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है। अतः, यह उपयुक्त समय है कि हम कुछ ठोस तथा स्थाई समाधानों पर विचार करें। हम केवल केन्द्र पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। गरीब लोगों को तो केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा दी गई सहायता का 40% भी नहीं मिल पा रहा है। इस भारी क्षति के लिए बिचौलिये ही पूरी तरह जिम्मेवार हैं। यदि 8000 करोड़ की राशि आवंटित की जाती है तो केवल 800 करोड़ रुपये ही उन लोगों को मिल पाते हैं, जिनके लिए यह राशि होती है। इन आबंटित राशियों का अधिकतम लाभ बिचौलियों तथा धनवान लोगों को मिलता है।

जैसे पहले ही विभिन्न माननीय सदस्यों ने कहा है बाढ़ से असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु के राज्यों तथा महाराष्ट्र के भागों को क्षति पहुंची है। कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में घोर सूखा पड़ता रहता है। मैंने सूखे के कारण अपने राज्य में गरीब किसानों के कष्टों को स्वयं अपनी आंखों से देखा है। राज्य के बहुत से भागों में खाद्यान्न उपलब्ध ही नहीं हैं। पीने के पानी की कमी है। पशुओं के लिये पर्याप्त चारा भी नहीं है।

कर्नाटक में पशु-गणना के अनुसार पशुओं की संख्या डेढ़ करोड़ से घटकर एक करोड़ रह गई है। प्रतिवर्ष लाखों पशुओं को बूचड़खानों में भेजा जाता है। यदि इसे तुरन्त रोका नहीं गया तो मेरे राज्य में कृषि संकट में पड़ जायेगी।

हम कर्नाटक में प्रत्येक गांव में 4 से 5 बोर तक के कुएं पाते हैं। ये सभी कुएं बेकार हो गये हैं क्योंकि सारे राज्य में वर्षा बहुत कम हुई है और जल-स्तर दिन-पर-दिन

*कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

गिरता जा रहा है। अतः, मेरा सुझाव है कि पेय जल की सुविधाएं प्रदान की जाएं। एक हजार गांवों के एक समूह के लिए एक लघु जल पूर्ति योजना का होना बहुत आवश्यक हो गया है।

हो सकता है हमारे देश ने अन्न के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली हो परन्तु कर्नाटक में खाद्यान्नों की कमी है, क्योंकि 173 में से 136 ताल्लुके भंयकर सूखे की चपटे में कराह रहे हैं। अतः, इन जगहों पर गेहूं और ज्वार की पूर्ति तुरन्त होनी चाहिये। पशुओं के लिए चारा प्रदान करने के लिये चारा-बैंक खोलने पड़ेंगे। जब तक कि पशुधन में सुधार नहीं होता, इस देश में कृषि फल फूल ही नहीं सकती है।

काम के बदले अनाज, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम आदि जैसी अनेक योजनाएं हैं। परन्तु दुर्भाग्य से इन योजनाओं के माध्यम से कुल आवंटित धनराशि का 35 प्रतिशत भी अधिकारी और जरूरतमन्द लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है। आवंटन के हिसाब-किताब में तोड़-मरोड़ की जाती है। इस आबंटन का मुख्य भाग निहित स्वार्थी लोगों को मिल रहा है। हर अवस्था पर चोरी गड़बड़ी की जाती है और गरीब किसान को बहुत कम राशि मिल पाती है। इस चोरी को रोकने के लिये, सतर्कता समितियां स्थापित करना अपरिहार्य हो गया है।

सामाजिक वनरोपण और वन-रोपण कार्यक्रमों को सर्वाधिक महत्व देना होगा। आजकल वन गायब होते चले जा रहे हैं। वन-क्षेत्र वीरान-शुष्क क्षेत्र बनते जा रहे हैं। इस समस्या का एक स्थायी हल ढंढ़ना होगा।

जल का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। कर्नाटक राज्य में केवल 20 प्रतिशत ही सिंचाई वाली भूमि है, जबकि पड़ौसी राज्यों में 60 प्रतिशत से 65 प्रतिशत तक सिंचाई की भूमि है। राज्यों बीच किसी न किसी के प्रकार का सन्तुलन तो होना ही चाहिये। कर्नाटक में लगभग 80 लाख एकड़ भूमि सिंचाई वाली की जा सकती है। परन्तु राज्य में इस कार्य को करने की क्षमता नहीं है। नेत्रवती परियोजना, हेमावती परियोजना, अपर भद्रा और अपर तुंङा परियोजना को शीघ्र हीं चालू करना होगा।

मेरे चुनाव-क्षेत्र तुमकुर में, सूखे के कारण खोपरा उत्पादक और सुपारी उत्पादक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पानी के अभाव के कारण, इन फसलों में 300 करोड़ रुपये तक की कुल हानि हुई है। सुपारी और खोपरा उत्पादकों को नल-कूप खोदने, जल छिड़कने की सुविधाएं और टपकने वाली सिंचाई की सुविधाएं देनी पड़ेंगी।

हमारे प्रधान मंत्री महोदय देश को प्रगति और समृद्धि के युग में ले जाने के बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं। अतः, मेरा सुझाव है कि 2000 ई० तक देश में सभी पंचतारा होटलों और बड़े भवनों का निर्माण रोके देना चाहिये। शहरी क्षेत्र के लिए आवंटित राशि को सिंचाई परियोजनाओं की ओर मोड़ देना चाहिये। दस्तूर समिति के प्रतिवेदन और अन्य विशेषज्ञ समितियों के प्रतिवेदनों पर विचार करना पड़ेगा और गंगा तथा ब्रह्मपुत्र को कावेरी से जोड़ देना चाहिये। इस सम्पर्क से न केवल बाढ़ों की, सूखे की समस्या हल हो जायेगी, बल्कि बेरोजगारी की भी। निस्सन्देह यह सम्पर्क हमारे देश को समृद्धि की ओर ले जायेगा।

अन्त में, मैं अपने मंत्री महोदय श्री बूटा सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे राज्य कर्नाटक में सूखा राहत कार्यक्रमों हेतु 120 करोड़ रुपये की धनराशि तुरन्त भेजें। मुझे बोलने का आपने जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री चिन्ता मोहन (तिरूपति) : उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिये, मैं आपका अति धन्यवादी हूं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं और मैं संक्षेप में ही अपनी बात कहना चाहूंगा। हमारे देश में बाढ़ें और चक्रपात प्रायः आते रहते हैं। हम चक्रवातों का आवर्तन देखते रहे हैं अतः, हमें इन बाढ़ों और चक्रवातों का स्थायी हल निकालना चाहिये। मैं केन्द्रीय सरकार को एक सुझाव देना चाहूंगा कि वह एक अध्ययन दल हालैण्ड को भेजे। अपने देश हालैण्ड में उन्होंने समुद्र-तटीय क्षेत्रों के लिए एक नई प्रौद्योगिकी को अपनाया है जिसे डयूक्स और डाइक्स प्रौद्योगिकी कहा जाता है। हमें पहले उस प्रौद्योगिकी का अध्ययन करना चाहिये और फिर इसे अपने समुद्र-तटीय क्षेत्रों के लिए भी अपना लेना चाहिये जहां पर 30 प्रतिशत से भी अधिक आम ग्रामीण आदमी बसता है। मैं चाहता हूं कि सभी मन्त्रीगण और अधिकारीगण को जो कि सरकारी दीर्घा में बैठे हैं, हालैण्ड जाकर उस प्रौद्योगिकी का अध्ययन करना चाहिये और फिर तन उसे अपने देश में अपनायें। दूसरे, मैं यह कहना चाहूंगा कि राहत अनुदानों को स्वीकृति देते समय केन्द्रीय सरकार को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं सोचना चाहिये फिर चाहे पश्चिम बंगाल हो या आन्ध्र प्रदेश, या तमिलनाडु अथवा कर्नाटक या कोई भी राज्य, क्योंकि आम आदमी ही बाढ़ों और चक्रवातों से पीड़ित होता है। मेरी कामना है कि राहत कार्यक्रमों की अनुमति देते समय सरकार तत्परता दिखायेगी। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से अन्य सदस्य भी उसी परिपाटी का अनुसरण करेंगे और संक्षेप में बोलेंगे क्योंकि बोलने वाले अन्य बहुत से सदस्य हैं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : आप कल भी चर्चा जारी रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं अब हम इसे समाप्त कर रहे हैं।

श्री मूल चन्द डागा : बाढ़ें और अकाल एक महत्वपूर्ण विषय है। इस पर चार या पांच घण्टे की चर्चा क्यों नहीं करवा लेते हैं जो कल तक जारी रह सकती है? यह एक ऐसा विषय है जिस पर सभी महत्वपूर्ण मन्त्रियों को जैसे सिंचाई मंत्री, योजना मंत्री आदि को उपस्थित रहना चाहिये क्योंकि हमें आखिर इस चर्चा में सभी मुद्दे उठाने हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसका सम्बन्ध भारत के दस करोड़ लोगों से है। यह मेरा विषय नहीं है। हमें इसे हल्के रूप में नहीं लेना चाहिये। इसे चार बजे आरम्भ करने के बजाय आपको यह 12 बजे आरम्भ कर देनी चाहिये थी यह एक ऐसा विषय है जो हमारे देश देश के प्रत्येक मानव को प्रभावित करता है और उसके बावजूद वे इसे बहुत गम्भीरतापूर्वक नहीं ले रहे हैं। हम नहीं जानते कि अध्ययन प्रतिवेदन क्या है, हम नहीं जानते कि राज्यों का ज्ञापन क्या है। सदस्यों को सभी कागज-पत्र दिये जाने चाहिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा कृपया बैठ जाइये। अब श्री वी० आर० एस० वेंकटेशन बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : उपाध्यक्ष जी, किसको कहूं, क्या कहूं, क्या सुनूं और क्या सुनाऊं—बात समझ में नहीं आ रही है। एक बात निवेदन कर दूं कि 1980 की राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशें इस सदन में तत्कालीन मन्त्री श्री अब्दुल गनी खां चौधरी ने बड़े ताम-झाम के साथ रखी थीं। करीब 240 अनुशंसायें उसमें अंकित हैं। उसमें से अगर दस-पांच अनुशंसायें भी, जोकि मौलिक और मुख्य रूप से इस देश के लिए आवश्यक हैं, उनकी अगर पूर्ति हो गई होती तो शायद आज मैं आपके सामने खड़ा न होता। मैं उस इलाके से आता हूं जो पानी से परेशान है। बहुत से माननीय सदस्यों ने पानी के लिए अपनी परेशानी जाहिर की लेकिन हम तो पानी से परेशान हैं। अपने पानी से परेशान हैं तो हैं, मध्य प्रदेश के पानी से परेशान है, हम दूसरे के पानी से भी परेशान हैं। दिल्ली के पानी से परेशान हैं, हिमालय के पानी से परेशान हैं और हमारा पानी तो पूरा उतर ही गया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : तब फिर रहा ही क्या है।

श्री डी० पी० यादव : उपाध्यक्ष जी, कभी-कभी हंसी-मजाक की बात हम यहां पर कर लिया करते हैं लेकिन सच्चाई क्या है? जब कभी भी बाढ़ से पीड़ित इलाकों का सर्वेक्षण आप कीजिए तो उसके दो पहलुओं पर हमारे कृषि मंत्री जी आवश्यक ध्यान दें। जब पानी नाक के ऊपर चला जाता है उस समय क्या हालत होगी—उसका पीरियड करीब तीन महीने का है—और जब पानी बहकर निकल जाता है तब उसके बाद तीन महीने तक जो सड़ी हुई हालत रहती है—इस तरह से 6 महीने पानी के कुप्रभाव से हम किस प्रकार पीड़ित हैं इसका एक वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए, साइंटिफक अध्ययन होना चाहिए। सैटेलाइट आपके पास है, इमैजिनरी फोटोग्रैफ्स आपके पास आते हैं। मेरी राय है कि ज्यों ही फ्लड शुरू हो, जितने भी ऐसे स्थान हैं, 5-7 दिन के बाद उन फोटोग्रेफ्स का आप अध्ययन कीजिए, उससे आपको पता चल जायेगा कि हमारी स्थिति क्या है। गंगा को बाधो, यमुना को बांधो, पूरब को बांधो, पश्चिम को बांधो—हम यह कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं हम तो केवल यह कहना चाहते हैं कि बड़े-बड़े बहरों को बसाने के लिए बड़ी-बड़ी हैबिटाट स्कीम्स बनाई जा रही हैं लेकिन जिनके मकान बाढ़ से उजड़ गए हैं जो नदी के किनारे रहने वाले हैं उनकी भी चिन्ता आपको करनी होगी। घर उजड़ गया, माल मवेशी चले गए उसको झोंपड़ा देने के लिए भी हम तैयार नहीं हैं। बातें बड़ी-बड़ी होती हैं।

माननीय मंत्री जी, मैंने अपने जरिए से एक अध्ययन करवाया है—रूरल डैवलपमैन्ट प्लानिंग इन इंडिया—ए केस स्टडी आफ मुंगेर एंड जमालपुर सदर ब्लाक्स। ये दोनों ही फ्लड जोन्स हैं। इसकी कुछ अनुशंसायें हैं और उसके आचार पर मैं बता सकता हूं कि गंगा को बांधने के पक्ष में नहीं हूं। गंगा के पानी के उछाल के कारण जो तबाही होती है उससे बचाने के लिए हमको जो टेम्पोरेरी, सेमी टेम्पोरेरी और परमानेन्ट मैजर्स लेने हैं उन पर सौ दो सौ करोड़ नहीं लगेगा बल्कि ब्लाक-वाइज एक करोड़, सवा करोड़, डेढ़ करोड़ रुपया लगेगा। लाज ब्लाक-वाइज इनपुट्स और आउटपुट क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेन्ट स्टैटस हमारा क्या है और इन्वेस्टमेन्ट प्लान क्या है? फ्लड के लिए इन्वैस्टमेंट प्लान क्या है, जब तक हम इसको स्टडी नहीं करेंगे, हम इस बारे में लाख बातें करें, तब तक हमको कोई राहत मिलने वाली नहीं है। दस साल के बाद गारलैंड प्लान बनेगा, नेपाल की नदियों को हम घेरेंगे, वहां से बिजली निकालेंगे—ये सारी बातें

थ्योरेटिकल हैं। इन बातों में मेरा कतई विश्वास नहीं हैं। छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए आप पंचायत के लोगों से पूछिए कि उनके दर्द क्या हैं। उनको एक साथ कम्पाइल करके दूर करने की ओर कदम बढ़ाइए। ब्लाक लैवल पर प्लानिंग कीजिए और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए। यह कह देना कि गल्ला भिजवा दिया, पैसा भिजवा दिया और रिलीफ बंटवा दिया, इससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। मुझे इस बात को कहने के लिए क्षमा करेंगे कि यहां से जो एमंसमेंट बोर्ड जाता है राज्य सरकार के पास, उसमें अन्डर सैक्रेटरी से लेकर सैक्रेटरी तक, ब्लाक के कर्मचारियों से लेकर जो भी प्लान बनाते हैं, उसमें जो पैसा आबंटित होता है, उसमें कह दिया जाता है कि इतना पैसा दे दीजिए तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन उस पैसे का क्या उपयोग हुआ, क्या कभी आपने पोस्ट-इन्वैस्टमेंट मूल्यांकन किया है कि कितना पैसा पिछले 38 सालों में खर्च किया गया। चाहे फ्लड हो या ड्राउट हो, जिओमा-फॅलोजिकल या जिओफिजिकल स्टडी के जितने भी रिकमैंडेशन्स आए, उन पर कभी गौर किया गया ? या बी० डी० ओ० ने जो प्लान बना दिया, उसको हमने मान लिया और वहां पैसा भिजवा दिया। मेरी अपनी राय है कि गंगा या यमुना के कटाव से जिस किसी का भी मकान बह जाए, उसको नेचुरल क्लैमिटी मानकर शत-प्रतिशत मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाना चाहिए।

मिडरिंग की कहानी तो आप जानते हैं। वह बैल्ट जो मिडरिंग करती है, चाहे वह कोसी नदी के पेट में हो, गंगा के पेट में हो या यमुना के पेट में हो, इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। इस पेट वाली जमीन को "दियारा लैंड" कहते हैं। जब तक इस क्षेत्र की जियोलोजिकल स्टडी नहीं होगी, वहां के लोगों की डिमांड क्या हैं, एसपिरेशन्स क्या हैं, इस बारे में आप जानकारी नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे इस दिशा में कदम उठा पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितनी देर से आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उतनी ही देर आप मुझे बोलने दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यादव जी मैं आपको आपकी मर्जी के अनुसार अनुमति नहीं दे सकता हूं। मुझे और अधिक सावधान रहना होगा।

श्री डी० पी० यादव : इसे 12 बजे तक चलने दो। महोदय, इससे मेरी भावना को ठेस पहुंचती है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, परन्तु दूसरे लोग की तो हैं, उन्हें भी तो बोलना है।

श्री डी० पी० यादव : महोदय, मैं अधिक समय नहीं ले रहा हूं। मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि योजना खण्ड स्तर पर बननी चाहिए जिसे उस क्षेत्र के लोग तैयार कर सकते हैं और उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। एक मास्टर फोर्मेट होना चाहिए जिसे कि तैयार किया जा सकता है। एक प्रश्नावली होनी चाहिये जिसे परिचालित किया जा सकता है बाढ़ से हुई वर्बादी को सही ढंग से कूता जा सकता है। बाढ़ से प्रभावित लोग जो सुझाव देते हैं और जो कुछ बात

इन चर्चाओं से उत्पन्न होती है उसे तुरन्त कार्यान्वयन हेतु एक योजगा के रूप में लिया जा सकता है। मेरा सुझाव तो यह है कि निवेश-दर्जा और निवेश-योजना तैयार की जानी चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय को इस सम्बन्ध में योजना तैयार करनी चाहिये जब तक आप स्थिति का सही ढंग से निर्धारण नहीं कर लेते कुछ भी उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं हो सकती है। आप कुछ धनराशि आबंटित कर सकते हैं परन्तु अन्ततः इससे लोगों को कोई सहायता नहीं मिलेगी। हम यह पाते हैं कि आबंटित धनराशि का .पव्यय किया जाता है। आबंटित किए गए धन पर आपको सही निगरानी रखनी चाहिए। हमें हर स्तर पर उचित देख-रेख करनी चाहिये। अन्यथा आप तो इस प्रकार धन लगाते रहेंगे और परिणाम शून्य होगा।

[हिन्दी]

गंगा बांधो, यमुना बांधो, पूर्व बांधो या पश्चिमी बांधो—इससे कुछ नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप छोटी-छोटी आवश्यकताओं की ओर ध्यान दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

***श्री पी० आर० एम० वेंकटेशन** (कुड्डालोर) : उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु में व्याप्त बाढ़ की स्थिति पर कुछेक शब्द बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने देश के विभिन्न भागों में व्याप्त सूखे और बाढ़ की स्थिति का उल्लेख किया था। तमिलनाडु की इस अभूतपूर्व बाढ़ ने मद्रास, थन्जावूर, चेंगलपट्ट दक्षिण अरकोट जिलों और केन्द्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में विनाश लीला मचा दी है। सहस्रों गरीब लोगों ने अपने घर-बार खो दिये हैं। उन्हें ऐसी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं जिन्हें यहां कुछेक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। दक्षिण अरकोट जिले के पूरनमपेट में बच्चे-बूढों, युवकों और महिलाओं को ले जा रही एक बस ही बाढ़ में बह गई। इस नाजुक घड़ी में प्रधान मंत्री महोदय द्वारा तमिलनाडु के दौरे से पीड़ित जनता को बहुत ही सान्त्वना मिली है। तमिलनाडु यी जनता की ओर से, राहत कार्यों के लिए 15 लाख रुपये मंजूर करने तथा और अधिक वित्तीय सहायता देने का आश्वासन देने के लिए मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं। हानि तो कई सौ करोड़ की हो सकती है। केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु में बाढ़ राहत कार्य के लिए उदारतापूर्वक सहायता करनी चाहिए। मद्रास-त्रिचरापल्ली रेलवे लाइन में कई जगह पर दरारें पड़ गई हैं। केन्द्रीय रेल मंत्री महोदय को उस लाइन को तुरन्त पुनः आरम्भ करवाना चाहिए। बहुत से जिलों में टेलीफोन की तारें कट गई हैं। सम्बद्ध मंत्री महोदय को इन टेलीफोन लाइनों को शीघ्रातिशीघ्र ठीक करवाना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार को बाढ़ राहत सहायता उदारतापूर्वक देनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि तमिलनाडु में बाढ़ राहत कार्यों के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए एक केन्द्रीय दल का गठन किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं कि वे बाढ़ सहायता उदारता-

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पूर्वक मंजूर करके पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र एवं तमिलनाडु में सामान्य स्थिति लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री डी० पी० जदेजा (जामनगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोलने का अवसर दिये जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो मेरे साथियों ने कही हैं।

मैं सरकार का ध्यान गुजरात की कतिपय उन समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं जिनका वहां इस वर्ष सामना किया जा रहा है और जिनके बारे में शायद कभी सुना ही नहीं गया और न ही ऐसी विपदा गुजरात ने कभी झेली। गुजरात ने 17 जिलों में से 5 को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। तथा बचे हुए 12 जिलों में से 10 जिले भी लगभग सूखे की स्थिति में हैं। उनकी स्थिति इतनी खराब है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते और अगर एक महीने में कदम नहीं उठाये गए तो यह गर्मी का मौसम बहुत ही खतरनाक होगा तथा सरकार के लिए सुलझाना भी बहुत ही कठिन होगा।

मैं चाहूंगा कि आप कुछ मुद्दों पर विचार करें। सबसे पहली बात तो है गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ तथा उत्तर गुजरात क्षेत्रों के लिये पाने के पानी की व्यवस्था किये जाने की मांग कर रहा है पीने के पानी की समस्या इतनी गम्भीर है कि इस क्षेत्र में न तो कोई बड़ी नहर ही है तथा न ही पानी को पाईप लाइन द्वारा लाया जा सकता है तथा न ही नलकूप लगाए जा सकते हैं इसका कारण है वहां का पानी खारा है। अतः आपको नये प्रस्ताव के बारे में सोचना होगा। आज हम वर्ष 1985 में रह रहे हैं क्या हम नई तकनीक, आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक के बारे में नही सोच सकते जोकि इस समस्या का समाधान करने के लिए हमारे देश में विकसित की गई है। जब भी हम कभी खारापन को दूर करने का सुझाव देते हैं तो हमें हमेशा कहा जाता है कि यह बहुत ही खर्चीला एवं महंगा है। मैं मानता हूं कि यह महंगा है तथा यह भी स्वीकार करता हूं कि इस अवस्था में यह महंगा भी है। अगर आप सोचते हैं कि आठ महीने और बीत जायें उस स्थिति में जबकि पिछले 4-5 महीनों से वहां पीने का पानी नहीं है, तो क्या उस मुद्दे पर आप विचार नहीं करेंगे कि उस समय ऐसी बात सोचने से अच्छा होता कि इस तरह के प्रस्ताव के बारे में पहले ही सोचा जाता। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इन मुद्दों पर ध्यान दें। पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए नलकूपों को लगाना या नई पाईप लाइनों को बिछाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप ऐसी योजनाओं के बारे में क्यों नहीं सोचते जिससे पानी का संरक्षण किया जा सके। सौराष्ट्र एवं कच्छ के सभी तटवर्तीय शहरों को आप क्यों नहीं सुझाव दे देते कि वे सफाई एवं जल निकास के लिए पानी का उपयोग करें? दोहरी पाईप-लाइन होने से आप समुद्र का पानी उपयोग में ला सकते हैं। सिर्फ वैकल्पिक योजनाओं का प्रयोग करने से ही आप 40 प्रतिशत पानी बचा सकते हैं। परन्तु यह एक महंगी योजना है। इसका मतलब है कई करोड़ रुपये का खर्चा। परन्तु योजनाओं को लागू करने का यही सही समय है तथा इन योजनाओं पर विचार करने का यह सही समय है। और अगर आप चाहें कि नगर-पालिका उसके लिए आपको भुगतान करे या फिर ऋण दे तो उसके लिए यह राशि लौटाना

नामुमकिन होगी और वह भी उस हालत में जबकि वहां पर इस तरह की स्थिति है।

हमने अपने सौराष्ट्र एवं कच्छ क्षेत्रों में दूरवर्ती क्षेत्रों से पाईप लाइनों द्वारा पानी लाने के बारे में सोचा है। हम ग्रामीण क्षेत्रों की कीमत पर शहरों में पीने के पानी की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामवासी बिना पानी के रहेंगे। मैं पीने के पानी की बात कर रहा हूं न कि सिंचाई की। उन लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा तथा हम शहरों में पीने का पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं वह भी सिर्फ इसी वर्ष के लिए तथा करोड़ों रुपयों की लागत से। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे इस बात पर फिर से विचार करें।

दूसरी बात, ग्रामीण राहत कार्य है, जिन पर ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों के लिए विचार किया जा रहा है। आप प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को मजदूरी करने की अनुमति दीजिए। यह मुद्दा मैं इस वक्त इसलिए लाना चाहता था कि "सौराष्ट्र को पश्चिमी राजस्थान या पूर्वी मध्य प्रदेश अथवा आन्ध्र प्रदेश के किसी भाग की तरह मत समझिये" ये सभी तो सूखा-ग्रस्त हैं।, मेरे कहने का तात्पर्य है वहां पर हमेशा सूखा रहता है। वे इस स्थिति के आदी हैं परन्तु हम नहीं हैं। इसके विपरीत हम पहली बार पानी के लिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि पिछले वर्ष हमारे यहां बरसात कम हुई थी। इस वर्ष वर्षा हुई ही नहीं। आज स्थिति ऐसी है कि कुछ क्षेत्रों में तो लोगों को 2 रुपये प्रति बाल्टी तक पानी बेचा जा रहा है। अभी नवम्बर, 1985 है। हमारे यहां बरसात 1986 के जून-जुलाई महीनों में होने की सम्भावना है स्थिति इस प्रकार है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सौराष्ट्र एवं कच्छ के इस हिस्से को तथा उत्तर गुजरात पर ज्यादा ध्यान दीजिए जहां पर ऐसी स्थिति कभी नहीं थी। 46 वर्ष पूर्व सौराष्ट्र के इस हिस्से में सूखा पड़ा था। वह और समय था। प्रवसन न सिर्फ पशुओं का ही हुआ परन्तु व्यक्तियों का भी हुआ है। अब आप आदमियों के प्रवसन के लिए भी तैयार रहिए। सिर्फ मेरे जिले में 15 लाख लोग प्रभावित हैं और वे इस क्षेत्र को छोड़ सकते हैं। मैं आपको सचेत कर सकता हूं कि जून तक वहां पर सिर्फ एक दो लाख लोग ही होंगे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह रेडियो तथा दूरदर्शन का उपयोग करें। लोगों को पता चले कि स्थिति कैसी है, क्या सुविधाएं दी जा रही हैं तथा चारों तरफ की स्थिति कैसी है। फिर उन्हें कहीं और जाने की व्यवस्था करने दीजिए या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने दीजिए।

संक्षिप्त में, मेरे बहुत ही कम मुद्दे हैं। परन्तु मैं कहूंगा कि जब हम सूखे की स्थिति एवं उससे निटपने के उपचार की बात करते हैं तो हमें जानवरों के बचाव के भी उपाय सुझाने चाहिए। इन प्रभावित जानवरों में भेड़, बकरियां तथा ऊंट भी हैं। सौराष्ट्र तथा कच्छ में अन्य पशु भी रहते हैं वहां पर इन पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं आपका कीमती समय ज्यादा नहीं लेना चाहता।

मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, खास कर मालवा से मालवा में कभी भी अकाल नहीं पड़ा। वहां एक कहावत है—

डग डग रोटी पग पग नीर
यह धरती सूखी पड़ी हुई।

आज वहां के लोग रोटी के लिए भाग रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। मवेशी घास के लिए तरस रहे हैं। इस शताब्दी का यह भयंकर सूखा है। हम राजस्थान के साथियों से रेगिस्तान की बात सुनते थे लेकिन आज रेगिस्तान मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। मैं कृषि मंत्री जी से कहूंगा कि इसको रोका जाना चाहिए और मध्य प्रदेश और राजस्थान को इसके लिए अधिक से अधिक धन दिया जाना चाहिए।

राज्य सरकार ने वहां राहत कार्य चालू किये हैं मगर यह राज्य सरकार के बस की बात नहीं है कि वह वहां के लाखों लोगों को रोजगार दे सके। वहां कुएं में पानी नहीं है, नदी में पानी नहीं है, नाले में पानी नहीं है। पूरा का क्षेत्र सूखा पड़ा हुआ है।

भारत शासन की एक टीम वहां गई थी। उसने यह सब देखा है। मैं कृषि मंत्री जी से कहूंगा कि वे जाकर इसको देखें की लोगों की मदद करें। जब तक दूसरी खरीफ फसल न आये तब तक उन लोगों को रोजगार मिलने की व्यवस्था की जाए। पानी के लिए तीन सौ फुट तक जो हैंड पम्प लगाए गए हैं, उनमें से भी नहीं पानी निकल रहा है, इसलिए 6 इंच वाली बोरिंग मशीन की अभी से आपको व्यवस्था करके रखनी चाहिए। मवेशियों के लिए जहां से भी घास मिल सकती हो, उसको उपलब्ध कराया जाना जाहिए।

मेरा एक निवेदन और है कि जब सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है तो उसी वक्त सरकार मदद करने के लिए आगे आती है और उसको रोकने की कोशिश करती है। इसकी व्यवस्था पहले से की जानी चाहिए। जहां-जहा पर छोटे-छोटे नदी नाले हैं, उनको वहां पर बांध देना चाहिए और वहां पर जंगल लगाए जाने चाहिए। इससे पानी भी उपलब्ध होगा सिंचाई के लिए और घास भी उपलब्ध होगी। सूखे को रोकने में भी मदद मिलेगी। मेरा जिला झाबुआ 1965 से सूखाग्रस्त है, लेकिन वहां पर कहीं तालाब, कहीं सड़क, कहीं स्कूल, इस तरह के छोटे-छोटे काम किए जा रहे हैं, इससे हमारी समस्या हल नहीं होगी। मैं कृषि मंत्री जी से कहूंगा कि ऐसे क्षेत्रों के लिए कोई स्थायी योजना बनाई जाए, जिससे ऐसे क्षेत्रों में सूखा समाप्त हो और लोग शांति से रहें। उन लोगों की कहानी हम कह नहीं सकते हैं, लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं, मवेशी मर रहे हैं और राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। भारत शासन उनकी अधिक से अधिक मदर करे और लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था करे। घास की भी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर कहीं पर रेलवे लाइन की आवश्यकता है तो वह भी बनाई जानी चाहिए, जहां सिंचाई में डैम चाहिए वहां सिंचाई डैम बनाना चाहिए। आज लोगों के जिन्दा रहने का सवाल है, रोटी का सवाल है। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं मालवा की बात ही यहां पर उठाना चाहता था।

श्री प्रभूलाल रावत (बांसवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं राजस्थान के बांसवाड़ा, डोंगरपुर जिले से आया हूं। राजस्थान में आज अकाल की स्थिति है और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं यह एक आदिवासी क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है। आदिवासी लोग कभी भीख नहीं मांगते, लेकिन आज स्थिति यह है कि शहरों में गलियों में आदिवासी लोग भीख मांग रहे हैं, जिस तरह से भिखारी भीख मांगते हैं। राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई होगी, ऐसा हम सुनते हैं, लेकिन वहां के आदिवासी लोगों को आज समय पर घासफूस की रोटी भी नहीं मिल रही है। आदिवासी कभी मरे हुए मवेशी का

मांस नहीं खाते हैं, लेकिन गत वर्ष अकाल पड़ा और इस वर्ष भी भयंकर अकाल पड़ा जिसकी वजह से डोंगरपुर, बांसवाड़ा के आदिवासी लोगों ने मरे हुए मवेशियों का सड़ा हुआ मांस खाया और बीमार हुए। इस तरह की वहां पर स्थिति है। डोंगरपुर, बांसवाड़ा के लोग मध्य प्रदेश में और गुजरात में मजदूरी करने के लिए जाया करते थे, लेकिन आज वहां भी भयंकर अकाल है। मध्य प्रदेश और गुजरात हमारे पड़ोसी इलाके हैं, लेकिन मालवा में अकाल होने के कारण वहां भी लोग नहीं जा पा रहे हैं। बांसवाड़ा जिले में 1465 गांव हैं और डोंगरपुर जिले में 1100 गांव हैं। इन गांवों की कुल आबादी 15 लाख है। दो लाख अन्य लोग भी वहां पर रहते हैं, बाकी सभी आदिवासी हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों को जिंदा रखने के लिए सड़क, तालाब, वन विभाग के कार्य, मेढ़ बांधने का कार्य और छोटे-छोटे नदी नालों पर बांध बांधने के कार्य शुरू किए जाने चाहिए, ताकि लोग मेहनत-मजदूरी करके बच सकें। इसके साथ ही अनाज के बारे में एक निवेदन और करना चाहूंगा। दोनों जिलों को मिलाकर वहां पर चार सौ पंचायतें हैं। लेकिन वहां लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। अगर अनाज मिलता भी है तो लोगों के पास पैसा नहीं होता है। इसलिए, मैं यह कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। माही बजाज सागर बांध पर तीन सौ करोड़ रुपया खर्च हुआ है। उससे 165 गांवों को पानी मिला है। लेकिन सभी किसानों को सहायता नहीं मिल पाई है। मैं कहना चाहूंगा कि लिफ्ट सिंचाई योजना लागू की जाए। इससे अकाल में कमी आयेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मैं माननीय कृषि मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने तीन अक्तूबर को 25 करोड़ रुपया राजस्थान को दिया है। राजस्थान सरकार की ऐसी हालत नहीं है कि वह अपनी ताकत पर सब लोगों की सहायता कर सके। माननीय मकवाना साहब भी आदिवासी हैं और वहां के आदिवासियों की हालत को जानते हैं। माननीय बूटा सिंह जी भी गरीब तबके के हैं और वहां के लोगों की स्थिति को जानते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि अकाल की विभीषिका से लोगों को जिन्दा रखने के लिए मदद करें। माननीय कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे हमारे क्षेत्र में पधारें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेहनत मजदूरी दिलवाएं और उनकी सहायता करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दरबार) : उपाध्यक्ष जी, हमारे महाराष्ट्र में हजारों गावों में सूखा पड़ा है। मैं प्रधान मंत्री जी और कृषि मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने कृषि राज्य मंत्री श्री योगेन्द्र मकवाना जी को भेज कर स्थिति से अवगत कराया है। वहां जो सूखा पड़ा है उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने भारत सरकार को दी है। हमारे महाराष्ट्र में जंगल की कटाई भारी मात्रा में हो रही है और बारिश भी कम हुई है जिसकी वजह से काफी सूखा पड़ा है। जंगल की कटाई रोकने के लिए भारत सरकार को कोई उपाय करना चाहिए। एनक्रोचमेंट हटाया जाए और पेड़ लगाने का प्रोग्राम बड़े पैमाने पर किया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से जो सहायता धनराशि के रूप में मांगी है वह तुरन्त दी जानी चाहिए। धूलिया जिले में 1026 गांवों में सूखा पड़ा है। वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था करना बहुत ही जरूरी है। महाराष्ट्र में आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई के बांध का काम धनराशि होने की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा है। इस कार्य के लिए आर्थिक सहायता तुरन्त दी जानी चाहिए। हमारे यहां राशन की दुकानों में एक यूनिट पर एक किलो अनाज मिलता है। मेरी प्रार्थना है कि पांच किलो अनाज अवश्य दिया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले आपके पास शिकायत दर्ज करना चाहता हूं। अभी डागा जी ने ठीक कहा कि जब कभी इस विषय पर बहस होती है तो मैं समझता हूं कृषि मंत्री जी के साथ-साथ जल संसाधन मंत्री, योजना मंत्री एवं विद्युत मंत्री को भी यहां पर होना चाहिए ताकि जो सुझाव हम दें, हमें अहसास हो सके कि हमारे सुझावों को कोई सुन रहा है। उस पर कितना कार्य हो पाता है, यह तो बाद की बात है......

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उनका दल है, निश्चित ही वे इसे करेंगे।

श्री हरीश रावत : मैं कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे सदस्यों के विचारों को अन्य सम्बन्धित मंत्रियों को बता दें।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, हां, वे ऐसा करेंगे। वे सभी परस्पर सम्बन्धित हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : भारत जैसे देश में निश्चित तौर पर बाढ़ और सूखे को नियंत्रित करना बड़ा ही दुष्कर कार्य है और इसको पूरी तरह से नियंत्रित किया भी नहीं जा सकता। मगर हमें इसको कम करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। हमारा कृषि मंत्रालय इस क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि समस्या के आकार को देखते हुए, इसमें और गहराई तक जाने की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि उन एरियाज को आइडेन्टिफाइड किया जाए, लोकेट किया जाए, जिन एरियाज में बहुधा बाढ़ आया करती है या जो इलाके सूखे से प्रभावित रहते हैं। उन बाढ़ के आने के कारणों की भी खोज की जाए तथा सूखे के पीछे कौन से कारण हैं। इसका भी अध्ययन किया जाए। साथ-साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि इन समस्याओं का क्या दीर्घकालीन हल निकाला जा सकता है, क्या दीर्घकालीन उपाय अपनाए जाएं, इस विषय में कृषि मंत्रालय को विचार करना चाहिए। इस कार्य में राज्य सरकारों से भी जो मदद लेने की जरूरत है, वह भी ली जाए।

उदाहरण के लिए जल के उपयोग के संदर्भ में दीर्घकालीन योजना बनाने की बात कही जाती है, मगर मैं नहीं समझ पाता कि हमारे यहां जल या उपयोग बेहतर तरीके से हो पा रहा है। जहां हम भूगर्भीय जल का उपयोग कर रहे हैं, उसी क्षेत्र में जल संसाधनों के उपयोग के दूसरे जितने तौर-तरीके हो सकते हैं, उनको भी काम में लाते हैं। फिर भी कुछ एरियाज हमारे यहां ऐसे हैं जो बिल्कुल नैग्लैक्टिड हैं, अछूते रह गए हैं। उन एरियाज के विषय में भी योजना बनाए जाने की आवश्यकता है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विषय में, यादव साहब, उसका जिक्र करना चाहते थे कि हमारे उत्तरी भारत की नदियों में सिल्टेशन की इतनी बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि उसकी ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसका परिणाम यह होता है कि जब कहीं तेज वर्षा हो जाती है तो उसके कारण नीचे के एरियाज में बाढ़ आ जाती है और कई तरह का नुकसान हो जाता है। मेरा सुझाव है कि कम से कम गंगा को एक नमूना मानकर इसके रेत को निकाल का काम बड़े पैमाने पर होना चाहिए। इसी तरीके से इन नदियों पर जितने बड़े-बड़े डैम बने हुए हैं, उनमें भी सिल्टेशन

की प्रौब्लम है । उनमें से भी रेत को निकालने की व्यवस्था किया जाना बहुत आवश्यक है । इसके लिए एक योजना बनाई जाये ।

आजकल बाढ़ और सूखे आदि कार्यों पर जितना पैसा खर्च किया जा रहा है, उसका अच्छी तरह से उपयोग नहीं किया जाता । बिहार और उत्तर प्रदेश की बात मैं कह सकता हूं कि बाढ़ से हम तब तक नहीं बच सकते जब तक कि इस इलाके में बहने वाली नदियों के उद्गम स्थान से ही हम कोई योजना बना कर कार्य नहीं करते । मुझे आश्चर्य हुआ जब हमारे बिहार के कुछ साथियों ने इस सम्बन्ध में कोई सुझाव प्रस्तुत नहीं किया । मेरा निवेदन है कि नेपाल सरकार के साथ हमें तुरन्त बातचीत करनी चाहिए और नेपाल सरकार को इस कार्य के लिए जितनी मदद की आवश्यकता है, वह उसे तुरन्त देनी चाहिए । इसके अलावा हिमालय एरियाज से जितनी नदियां निकलती हैं, उस क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर सायल-कन्जर्वेशन एवं सायल-प्रोटैक्शन का काम होना चाहिये । उनके बंधीकरण के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार को बड़े पैमाने पर मदद दिये जाने की आवश्यकता है । इस समय कार्य के लिए जितनी धनराशि दी जा रही है वह बहुत ही कम है । इस विषय में विशेष जोर देने की जरूरत है । अभी तक वांछित जोर नहीं दिया जा रहा है ।

एक निवेदन मैं माननीय मंत्री जी से यह करना चाहता हूं कि उनकी तरफ से राज्य सरकारों को यह कहा जाना चाहिए कि कोशिश करके सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किये जाने के लिये निर्धारिन मापदण्ड को बदला जाये । हम लोग इस समय जो मापदण्ड अपनाते हैं, वह बहुत पुराना हो चुका है और समय के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है । नये दृष्टिकोण से उसमें परिवर्तन किये जाएं । उत्तर प्रदेश सरकार ने सूखा-राहत के लिए आपसे जितनी धनराशि दिये जाने की मांग की है, वह मदद उसे जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराई जाए । इसके अलावा जितनी मदद आप देना चाहते हैं, उसके सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय किया जाये ।

एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि हमारे यहां एक ऐसे कोष की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें सभी राज्य सरकारें भी कन्ट्रीब्यूट करें और केन्द्रीय सरकार भी अपना अंशदान उसमें दे और जहां भी इस किस्म की स्थिति पैदा होती है, उस कोष में से अविलम्ब सहायता उस प्रदेश को दी जाये । उसका कारण यह है कि हमारे कृषि मंत्रालय के पास साधन बहुत सीमित हैं और कृषि मंत्रालय अथवा कृषि मंत्री चाहे कितनी ही दरियादिली से काम लें, वे वांछित राहत उपलब्ध नहीं करवा पाते और यही कारण है कि हमारा मंत्रालय कंजूसी से चलने का आदी रहा है । कहीं भी विपत्ति आने पर वह बहुत धीरे मदद देता है, जिससे कोई भी काम नहीं हो पाता और उसके विरुद्ध हमेशा शिकायत बनी रहती है । आवश्यकता की स्थिति में समुचित और समय पर मदद पहुंचाने के लिए यह जरूरी है कि मंत्री जी प्लानिंग कमीशन आदि से बातचीत करके एक कोष की स्थापना करें जिसमें सभी राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार अपना-अपना योगदान दें और जहां भी बाढ़ अथवा सूखे की विभीषिका आती है, वहां आवश्यक राहत पहुंचाई जा सके ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भयंकर अकाल है और राजस्थान सरकार की जब तक पूरी तरह से बूटा सिंह जी मदद नहीं करेंगे तब तक राजस्थान की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाएगी । ढाई करोड़ की आबादी अफेक्टैड है

जिसमें से साढ़े बारह लाख लोगों को रोजगार दिलाया जाना जरूरी है और अगर एक व्यक्ति को साढ़े ग्यारह रुपए रोजाना के हिसाब से दिए जाएं तो एक करोड़ रुपये से ऊपर प्रतिदिन खर्चा बैठेगा और यदि ये 365 दिन तक दिया जाएगा, तो 365 करोड़ रुपया राजस्थान को एक साल में खर्च करना पड़ेगा। इस हिसाब से राजस्थान सरकार ने 300 करोड़ रुपया ठीक मांगा है।

माननीय मंत्री महोदय राजस्थान में कैटल पापुलेशन बहुत बड़ी है जिसमें से 20 हजार गायें मेरे क्षेत्र में आ गईं और मेरे क्षेत्र में जितनी भी घास और पानी था वह सब चर गईं और पी गईं। माननीय मंत्री जी मैं आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं जालौर से भीलवाड़ा तक कोई भी व्यवस्था पीने के पानी की नहीं है। मेरे क्षेत्र में एक तालाब था जिसमें पानी था वे गाएं आकर उस तालाब का सारा पानी पी गईं और वह तालाब सूख गया। इसलिए उन गायों के लिए और वहां की अन्य कैटल पापुलेशन के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, फॉडर की व्यवस्था, दूध देने वाली गायों के लिए फीड की व्यवस्था और इन सब व्यवस्थाओं के लिए जब तक आप सबसिडी पर ये चीजें नहीं देंगे तब तक वहां के लोगों को राहत नहीं मिलेगी।

आज राजस्थान में चालीस रुपए मन घास बिक रही है वे इतनी महंगी घास खिलाकर अपने पशुओं को कैसे जिंदा रख सकते हैं उनकी क्षमता नहीं है कि इतनी महंगी घास और चारा खरीद सकें। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इतनी सबसिडी दीजिए ताकि गरीब से गरीब आदमी भी अपने जानवरों के लिए घास और चारा खरीद सके और उसको खिलाकर अपने जानवरों को जिंदा रख सके। इसीलिए राजस्थान सरकार ने इस कार्य के लिए एक सौ करोड़ रुपए की मदद मांगी है।

आपने राजस्थान में हैंडपम्प खोदे हैं उनमें से पचास परसेंट हैंडपम्प सूख गए हैं और जो ट्यूबवैल खोदे गए हैं वे तो लगभग सारे ही सूख गए हैं क्योंकि उनकी ज्यादा नीचे तक खुदाई नहीं की गई। हमने ज्यादा गहराई तक खुदाई करने के लिए रिग मशीनें मांगी थीं लेकिन हमें वे उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं इसलिए हम ट्यूबवैल्स ज्यादा गहरे नहीं खोद सके। यदि ये रिग मशीनें हमें उपलब्ध करवादी जाएं, तो हम उनसे ज्यादा गहरे ट्यूबवैल्स खोद कर जानवरों और आदमियों को पानी की व्यवस्था कर सकेंगे। लेकिन यह सारी व्यवस्था आज तक नहीं हो सकी है।

अब, तो मंत्री महोदय, आपका भी राजस्थान से ताल्लुक है, इसलिए मैं आपसे खास तौर से निवेदन करूंगा कि इनकी व्यवस्था तुरन्त करवाई जाए ताकि ये कठिनाइयां भविष्य में न हो सकें और राजस्थान के लोग अपने जानवरों और आदमियों को जिंदा रख सकें। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर धन की व्यवस्था राजस्थान सरकार के लिए आपको करनी पड़ेगी।

राजस्थान सरकार ने बहुत-सी जगह टैंकर्स से पानी पहुंचाने के लिए, जितने हैंडपम्प सूख गए हैं उनको दुबारा से चालू करने के लिए और ट्यूबवैल्स को खोदने के लिए और इस प्रकार के तमाम सिंचाई और पीने के पानी को व्यवस्था करने के लिए 600 करोड़ रुपया मांगा है, वह सही है। इसके अलावा इस कार्य को एक्जीक्यूट करने के लिए मशीन्स के लिए 60-70 करोड़

रुपए की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस प्रकार से करीब-करीब 700 करोड़ रुपये की आवश्यकता राजस्थान को है और आपने केवल मात्र 20-25 करोड़ रुपया देने की घोषणा की है जिससे कोई काम नहीं चलेगा। राजस्थान के अन्दर हजारों लाखों जानवरों का निष्क्रमण हो रहा है, मारे-मारे फिर रहे हैं, भूख और प्यास से परेशान हैं और पच्चीस करोड़ रुपए की घोषणा करने के बाद भी आज तक कोई पैसा राजस्थान को नहीं दिया गया है। इसलिए माननीय मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आप वहां के लोगों को और जानवारों को जिंदा रखना चाहते हैं और उनको रिलीफ देना चाहते हैं, तो इमीजिएट पैसा दीजिए। जानवरों के लिये घास की व्यवस्था हो और पीने के पानी का इन्तजाम हो, हम आपसे और कोई ज्यादा चीजें नहीं चाहते इन तीनों चीजों की जरूरत है और इन्हें आप जल्दी से जल्दी दिलवाइये ताकि राजस्थान के लोगों का भला हो सके। हिन्दुस्तान की सरकार आज तक राजस्थान के लोगों को बचाती आई है, अकाल में मदद करती आई है।

इस साल भी हमारे नेता श्री राजीव गांधी ने राजस्थान में जाकर कहा कि राजस्थान के लोगों पर जो अकाल की विभीषिका आई है, हम उसमें बराबर उनकी मदद करेंगे और लोगों को तकलीफ नहीं होने देंगे। इस आश्वासन के बावजूद भी अभी तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द कोई व्यवस्था करें जिससे हमारे प्रधान मंत्री के दिये हुए वचन कभी झूठे न पड़ जायें, उनके किये हुए वादे कभी अधूरे न रह जायें। उनको पूरा करने के लिये आप पूरी तरह से मदद कीजिये और राजस्थान के लोगों को इस विभीषिका से बचाइये। आशा है आप हमारी इसमें मदद करेंगे। धन्यवाद।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्दी का समय है, अगर आज अकाल के समय गांव में जायें तो मेरे ख्याल से फटा हुआ कपड़ा पहने हुए, सर्दी में ठिठुरते हुए आदमी मिलेंगे। भूख से वह पीड़ित हैं, दिन भर उन्होंने पानी पिया नहीं है। आप ऐसे हजारों लाखों आदमियों को राजस्थान में देख सकते हैं। मैं यह देखकर आया हूं, यह कोई हंसी-मजाक की बात नहीं है।

हमें क्या मालूम है कि उनकी पीड़ा क्या है? उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोग तो अकाल देखते आये हैं, उन्होंने दर्द से मौहब्बत कर ली है। यह कैसा समय आया है?

यहां कहने लग गये कि वहां 11 रुपये गांव में काम करने वाले को मिलेंगे। अगर गांव में काम करने वाले को आज 6 रुपये ही मिल जाते हैं तो भी काफी है। आप मेहरबानी करके यह घोषणा कर दीजिये कि वहां पर जो व्यक्ति मजदूरी के लिये जाता है उसे कम से कम 8 रुपये रोज मिलने चाहियें। किसी हालत में इससे कम नहीं मिलने चाहियें।

एक माननीय सदस्य : दस रुपये मिलने चाहियें।

श्री मूलचन्द डागा : 10 रुपये दिलवाइये, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर 8 रुपये ही मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है।

सस्ते धान की दुकानें, फेअर प्राइस शाप्स के बारे में कहना चाहता हूं कि आप सिविल सप्लाईज के मिनिस्टर को कहिये कि मेहरबानी करके राजस्थान की विजिट कर लें और देखें कि

कितनी फेयर प्राइस शाप्स वहां काम करती हैं। कागज पर तो 3 लाख हैं, लेकिन काम करने वाली दुकानें वहां पर 2,000 भी नहीं हैं। जहां पर मजदूर काम करता हो और जिस दिन उसे मजदूरी चुकाई जाये, उस दिन उसे अनाज सस्ते भाव पर मिलना चाहिये। मजदूरी चुकती है 2,3 महीने के बाद और लूटने वाला व्यापारी उसको महंगा धान देता है अब उसे मजदूरी मिलती है। फेअर प्राइस शाप वाला अपनी दुकान बन्द कर देता है। जहां आप फेअर प्राइस शाप खोलते हैं, वहां से मजदूर को धान दिया जाना चाहिये।

अ प यह भी मत कीजिये कि तुम्हारी 40 एकड़ जमीन है, तुमको धान नहीं मिलेगा। वह जमीन का क्या करेगा, उसके पास दाना नहीं है। वहां पर आदिवासी लोग पेड़ खा गये हैं। मैं श्री बूटासिंह जी से कहूंगा कि आप मेरे क्षेत्र को देखिये, आप राजस्थान से आये हुए मंत्री हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप ईमानदारी से जाकर वहां देखिये कि लोग क्या खा रहे हैं? वहां लोग एक पाव आटे के अन्दर आधा किलो लकड़ी का फूसट मिलाकर रोटी खाते हैं। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो आप मुझे सजा दीजिये। आज यह हालत देश की हो रही है। हमें यह कहते हुए दुःख होता है, लेकिन हम देश की बात कह रहे हैं।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जब राजस्थान के लोग भूख की कगार पर खड़े हैं, आप उनके गाय, भैंस, ढोर मुफ्त में ले लीजिये। उनके प्राणों को देखते हुए ऐसा लगता है कि उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं। वह अपने गाय-भैंस दे रहे हैं, लेकिन कोई उनको लेने वाला नहीं है। हमारी गायें जाते-जाते रास्ते में गुजर जाती हैं।

वहां लोगों को बिजली मिल नहीं पाती। जो कुएं गहरे हैं, वहां बिजली नहीं है। जब बिजली नहीं है तो पानी नहीं है। सारे हमारे पाली जिले का पानी, सेन्दड़े और निमाच का पानी पाइप के द्वारा श रों में भेज दिया गया है।

8.00 म० प०

शहर वालों की यह चकाचौंध रोशनी, सिनेमाघर और टी० वी० सब चलते रहे और गांव वालों को पीने का पानी निकालने के लिए, जो 50 फुट, 100 फुट नीचे पानी चला गया था, उस पानी को निकालने के लिए बिजली उपलब्ध नहीं है। यह आपकी व्यवस्था है। इस व्यवस्था में शहर वालों को भी इस तकलीफ में जोड़िए और गांव वालों के साथ न्याय कीजिए।

मैं बहुत कड़वी बात नहीं कहना चाहता हूं, सीधी बात कहता हूं कि जो चार साल से पीड़ित हो, उसके बच्चे अब विकलांग पैदा होंगे, हिन्दुस्तान में विकलांग बच्चे ज्यादा होंगे और यह बताएगा आंकड़ा कि हिन्दुस्तान में कितने लोग भूख के मारे अन्धे हो गए, कितने लोग भूख के मारे विकलांग हो गए। यह समय बतलाएगा और फिर सरकार के समाज कल्याण मंत्री खड़े होकर कहेंगे कि भारत में इतने विकलांग लोग हैं, इनको मदद दी जाए।

मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप सेवेन्थ फाइव ईयर प्लान में ऐडवांस प्लानिंग का पैसा, प्लान का पैसा उनमें लगा दीजिए और उस प्लान के अन्दर जो इर्रीगेशन के बड़े-बड़े काम शुरू करवाए थे उनको पूरा करवाइए। साथ ही जैसा मैंने कहा था आप गावों के लोगों से

पूछिए, वह आपको काम बतला देंगे, उनको कीजिए। आप छोटी छोटी इर्रीगेशन की योजनाएं शुरू करवा दीजिए। गांव वाले ज्यादा अच्छी योजनाएं आपको बताएंगे, यह नौकरशाही नहीं बताएगी। हम लोग जो पार्लियामेंट में आते हैं वह अपना फर्ज अदा करने के लिए आते हैं। लेकिन हमारा मन कहता है कि समय आया है, अगर हमने अपना काम नहीं किया तो आने वाले समय में जैसे दूध से मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं ऐसे ही हमें वह निकाल कर फेंक देंगे।

आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राजस्थान से चुनाव लड़कर आए हैं, इस नाते हमारा अधिकार होता है आपसे कहने का, आप हमारे गांवों में चलिए और देखिए, स्थिति की जांच कीजिए। आज हमें यह कहने में खुशी होती है कि हमारी बात सुनी जाती है। लेकिन मैंने प्रार्थना की थी कि योजना मंत्री को बुलाइए, बिजली मंत्री को बुलाइए, सिविल सप्लाईज मंत्री को बुलाइए, इतना बड़ा इम्पार्टेंट डिस्कशन हो रहा है और उसमें मंत्री नहीं हैं, विरोधी दल के नेता नहीं हैं। यह तो औपचारिकता हो रही है। यह विषय इसलिए नहीं लिया गया था कि इसको हलके रूप में लिया जाए।

राजस्थान की धरती वीरों की धरती है। वह भूख बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन चार साल का भूखा किसान, थका हुआ किसान, बीमारी से उठा हुआ किसान, अपने घर द्वार, जर जमीन, बरतन सब बेचा हुआ किसान कहां जाएगा ? वह भारत मां की गोद में आएगा और राजीव जी के चरणों में आएगा। राजीव जी से कहेगा कि आप देश के रक्षक हैं, मेरी रक्षा करें। आप उनके मन्त्रिमंडल के सदस्य हैं, आप आकर के उनके आंसू पोंछिए। यही आपका फर्ज होगा, यही हमारा फर्ज होगा। यदि हम इस तरह से काम करेंगे तभी हम राजस्थान के अकाल से लड़ सकते हैं, नहीं तो राजस्थान का अकाल इतना भयंकर होगा कि लाशें सड़कों पर, गलियों में, मुहल्लों में और गांवों में पड़ी हुई मिलेंगी। जानवर, ढोर हजारों की संख्या में मर रहे हैं। उनको और भी मरते हुए देखेंगे। आपके अधिकारियों ने तीन दिन में रिपोर्ट बना दी। उनसे पूछिए कहां गए थे वह देखने के लिए ? तीन दिन में रिपोर्ट बना कर दे दी। न हमें मालूम है कि क्या रिपोर्ट इन्होंने दी है, न हमें यह मालूम है कि क्या ज्ञापन हमारी सरकार ने दिया है। इस पर डिस्कशन होना चाहिए कि रिपोर्ट क्या थी और ज्ञापन क्या था, स्टडी टीम ने देखा क्या, क्या ये कर रहे हैं और कहां रखी हैं हमारी योजनाएं ? हम राजस्थान वालों से राजस्थान की योजना की बात करें, यू० पी० की योजना की बात करें, कर्नाटक वालों से कर्नाटक की योजना की बात करें। हमारे सामने सरकार की स्टडी टीम की रिपोर्ट नहीं है। इसको लाइब्रेरी में रख दीजिए। हम देखेंगे कि स्टडी टीम ने क्या रिपोर्ट दी है। आप आंकड़ों पर बात करना चाहते हैं। फैक्ट्स एण्ड फिगर्स आपके पास हैं। वह हमें बताए नहीं जाते हैं।

[अनुवाद]

कृपया उनसे कहिये कि वे उस रिपोर्ट की एक प्रति संसद ग्रंथालय में रखें। ताकि हम उसे पढ़कर देख सकें कि अध्ययन दल ने क्या किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से माननीय सदस्यों ने इस विषय को गम्भीरता से लिया है। मंत्री जी ने भी इसे गम्भीरतापूर्वक लिया है।

हमारे देश के कई हिस्सों में पीने के पानी की गम्भीर समस्या है तथा कई माननीय सदस्यों ने इसका उल्लेख भी किया है। परन्तु होता यह है कि हम जब योजना बनाते हैं तो अधिकांश परियोजनाओं को संबंधित सिंचाई परियोजना की लागत-मुनाफा अनुपात को मद्देनजर रखते हुए शुरू किया जाता है। इसके साथ ही, अगर वे पीने के पानी के मसले को भी जोड़ दें तो इससे ज्यादा फायदा होगा।

सभी माननीय सदस्यों ने और ज्यादा सहायता देने की बात कही है, इनमें राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि शामिल हैं। उन्हें भी इस समस्या को सुलझाने के लिए काफी पैसे की जरूरत है। मन्त्री जी कल उत्तर देंगे। धन्यवाद। सभा स्थगित होती है।

8.05 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 19 नवम्बर, 1985/28 कार्तिक, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, दिल्ली-53